Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारत की अग्रगामी विकास योजना

हिन्दी रूपान्तर
" पाइलट प्रोजेक्ट इण्डिया "

लेखक
एल्बर्ट मायर
मैकिम मैरियट
रिचर्ड पार्क

सम्पादन-कर्ता डा. बैजनाथ सिंह

अनुवादक भगवान दास अवस्थी

भूमिका पं. गोविन्द वल्लभ पंत

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ग्राम विकास का जो प्रारम्भिक कार्य उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में १९४८ से चल रहा है, उसका पंच वर्षीय योजनाओं के अंतर्गत चलने वाली सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय प्रसार सेवा सम्बन्धी आयोजनों पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इटावा की अग्रगामी योजना का यहाँ पहला विस्तृत विवरण दिया जाता है—उसे प्रारम्भ करने वाले विचार किस प्रकार उद्भूत हुए, उसका विस्तार कैसे होता गया, वर्षों के अनुभव से उसमें क्या-क्या परिवर्तन करने पड़े, इन सब का यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है। यह वर्णन उन कार्यकर्त्ताओं द्वारा दिया गया है, जो कि उस समय उस योजना में सक्रिय भाग ले रहे थे। वर्णन का अधिकांश भाग श्री मायर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। श्री मायर उस समय उत्तर प्रदेशीय सरकार के नियोजन और विकास के सलाहकार थे। जिस समय कार्य संचालित हो रहा था, उस समय अनेक रिपोर्टें, स्मृति-पत्र तथा सूचना-पत्र लिखे गये थे, जिनमें प्रतिदिन की सफलताओं और असफलताओं का दिग्दर्शन कराया गया था; इन्हीं सब में से बहु-संख्यक उद्धरण दिये गये हैं, जिनके द्वारा कार्य की प्रगति और विकास पर बहुत अधिक प्रकाश पड़ता है। एशिया और अफ्रीका की ग्रामीण जनता को प्रबुद्ध करने और उसे प्रगति-उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिये जो लोग सामुदायिक विकास से सम्बन्ध रखते हैं, उनके लिये यह विवरण बहुत ही लाभदायक और रुचिकर सिद्ध होगा; क्योंकि वे इसे देखकर यह निर्णय कर सकेंगे कि कृषि तथा उत्पादन के नवीन कार्यों को किन कसौटियों पर कसना चाहिये और नये सुधारों को किस रूप में ढाल कर अपने यहाँ लागू करना चाहिये; नये विचारों को किस तरह अपनाया जा सकता है; गांव वाले किस प्रकार नई सड़कों को खुद बना सकते हैं और वे अपने घरों में किस तरह सुविधाजनक सुधार कर सकते हैं; गांव के तालाबों को किस तरह गहरा किया जा सकता है; अशिक्षा दूर करने के लिये एक-दूसरे से कैसे सहायता ली जा सकती है; ग्रामवासी अपनी प्रसुप्त शक्तियों को किस प्रकार जागृत करके अपनी सर्वतोन्मुखी उन्नति के कार्यों को स्वतः सफलतापूर्वक चला सकते हैं।

२० रुपये

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारत की अग्रगामी विकास योजना

इटावा (उत्तर प्रदेश)

के

ग्रामीण विकास की कहानी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारत के कर्मठ किसान

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारत की अग्रगामी विकास योजना

(पाइलट प्रोजेक्ट इण्डिया का हिन्दी रूपान्तर)

लेखक

एल्बर्ट मायर एवं उनके सहयोगी

सहायक लेखक

मैकिम मैरियट तथा रिचर्ड पार्क

सम्पादन-कर्त्ता

डॉ० बैजनाथ सिंह

ए० ए०, एम० एस०, पी० एचडी० (**कार्नेल**)

अनुवादक

भगवानदास अवस्थी, एम० ए०

ब्रिटिश बुक डिपो

८४, हज़रतगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस पुस्तक का कोई भी अंश किसी
भी रूप में प्रकाशक की लिखित अनुमति
के बिना पुनरुद्धृत नहीं किया जा सकता।

प्रथम हिन्दी संस्करण १९६०

(C) अंग्रेजी - केलीफोर्निया युनीवर्सिटी प्रेस।

(C) हिन्दी संस्करण ब्रिटिश बुक डिपो।

प्रकाशक—शांति प्रकाश कक्कड़
ब्रिटिश बुक डिपो,
८४, हज़रतगंज, लखनऊ।

मुद्रक—प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्राक्कथन

भारत की ८५ प्रतिशत जनता गाँवों में निवास करती है। शताब्दियों से भारतीय गाँव गणतन्त्र की इकाई रहे हैं, जिनमें ख्याति-प्राप्त संगठित जीवन, शान्ति व सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आत्म-निर्भरता विशेष रूप से प्रशंसनीय रही है। लेकिन पिछली दो शताब्दियों की राजनैतिक उथल-पुथल तथा विदेशियों के आक्रांत प्रभाव से देश की यह स्थायी शान्ति और व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई और हमारे गाँव अशिक्षा और निर्धनता के गर्त में चले गए। सन् १९३७ में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शासन का आरम्भ हुआ तो गाँवों की अवनति पर विचार किया गया और यह अनुभव किया गया कि यदि गाँव की यह दुर्दशा बिना किसी रोक के चालू रक्खी गई तो ग्राम जीवन के समस्त क्षेत्रों में ऐसी गिरावट आ जायगी कि वे संभल न सकेंगे। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर 'ग्राम विकास विभाग' की स्थापना की गई और उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह सम्पूर्ण प्रदेश में ग्राम्य पुनर्निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वित करे। जब यह कार्यक्रम आगे बढ़ ही रहा था तो उसी बीच द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया और कांग्रेस सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत की नीति के विरोध में त्याग-पत्र दे दिया। १९४६ में कांग्रेस सरकार पुनः सत्तारूढ़ हुई और कांग्रेस के सिद्धान्तों के अनुरूप ग्राम जीवन में पुनः जागरण लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

इसी समय श्री एल्बर्ट मायर हमारे बीच में आए। उन्होंने दिसम्बर १९४६ में "ग्राम नियोजन तथा पुनरुत्थान" की प्रारम्भिक रूपरेखा बनाई और प्रदेश के एक ग्रामीण क्षेत्र में अग्रगामी विकास योजना लागू करने को प्रस्तुत की। उन्होंने कुछ निश्चित सुझाव भी दिए जो विचार विनिमय के पश्चात् भारतीय स्थिति के अनुकूल बना लिए गए। यह अनुभव किया गया कि पूर्व स्थापित 'ग्राम विकास विभाग' द्वारा आशाजनक सफलता न प्राप्त करने का प्रमुख कारण ग्रामवासियों का 'योजना कार्य में हाथ न बटाना' रहा है। गाँव में नालियों का निर्माण करना था, तालाबों को गहरा करना था, एक गाँव से दूसरे गाँव तक सड़क बनाना व मरम्मत करना था और नहरें व गूलें खोदना था। यही नहीं, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा तथा कृषि उपज की वृद्धि के काम भी संचालित करने थे। ये सभी बड़े पैमाने के कार्य थे, जिन्हें पूरा करने के लिए ग्रामवासियों के सक्रिय सहयोग की महती आवश्यकता दिखाई पड़ी। यद्यपि ग्रामवासियों में सुधार और अच्छे रहन-सहन के प्रति लालसा थी तथा रचनात्मक कार्यों में सहयोग देने के लिए वे विमुख नहीं थे, फिर भी उनकी जिज्ञासा और सक्रियता सुप्त अवस्था में पड़ी थी और वे निश्चेष्ट प्राय हो रहे थे। उनमें उत्साह और कार्यशीलता को पुनः जागृत करना आवश्यक था, जिससे ग्रामवासियों के सक्रिय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सहयोग और चेष्टा से गाँव के सर्वांगीण जीवन में पुनर्निर्माण और नयी चेतना लाई जा सके।

तदनुसार श्री मायर की सहायता से निर्मित अग्रगामी विकास योजना, अक्टूबर, १९४८, में इटावा ज़िले में आरम्भ की गई। ग्राम्य योजना में यह नया परीक्षण था, जिसके अंतर्गत ग्रामवासियों की सहायता से उचित रहन-सहन तथा गाँवों के पुनर्निर्माण और पुनर्जीवन पर विशेष महत्व प्रदान किया गया और नियोजन के कार्य संचालित किए गए। प्राविधिक विषयों में विशेष परामर्श उपलब्ध कराने के लिए भी व्यवस्था करनी आवश्यक थी। परन्तु इस व्यवस्था की विशेषता यह थी कि एक ऐसी एकीकृत योजना तयार की जाय जिसमें प्राविधिक कार्यकर्ता सम्पूर्ण गाँव के सर्वांगीण विकास कार्य के प्रति गहन रुचि और सहयोग प्रदर्शित कर सकें, जिससे ग्राम समुदाय में विश्वास पैदा कर के उसमें स्थिरता लाई जा सके। लागू किया जाने वाला दूसरा नया विचार ग्राम स्तर पर एक बहुधंधी कार्यकर्त्ता की नियुक्ति थी। अनुभव से यह प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट हो गया था कि ग्रामवासी के पास जब भिन्न-भिन्न विकास विभागों के कार्य-कर्ता पहुँचते थे और कृषि उपज की वृद्धि, नई खादों की जानकारी, उन्नतशील बीज, पशुपालन, सफाई तथा जन-स्वास्थ्य आदि की बातें बताते थे, तो वे इन बातों से बहुत कम लाभान्वित हो पाते थे। होता यह था कि वे एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते थे। अतः एक ऐसे बहुधंधी कार्यकर्त्ता की आवश्यकता महसूस हुई जो इन सभी बातों में प्रशि-क्षित हो और जिसमें गाँव की सेवा की लगन मौजूद हो। ऐसे कार्यकर्ता द्वारा ही जन-सहयोग प्राप्त किया जा सकता था और गाँव का बहुमुखी सुधार किया जा सकता था।

इटावा के परीक्षण ने उक्त विचार की पुष्टि की और यह प्रशासनिक प्रणाली काफी प्रशंसनीय ठहराई गई। इस ज़िले में हुए ग्रामीण विकास के अग्रगामी कार्यों के अनुभवों से समस्त राष्ट्र को नयी दिशा प्राप्त हुई और भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सामुदायिक विकास योजना को आशातीत प्रेरणा मिली। वस्तुतः सामुदायिक विकास योजना का यह रूप इटावा की ही महान् देन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और द्वितीय योजना में भी उसकी उपलब्धियाँ राष्ट्र के सम्मुख विकास की प्रतीक रही हैं।

इटावा और अन्य स्थानों में हुए प्रसार सम्बन्धी व अग्रगामी कार्यों से जो प्रेरणा प्राप्त हुई, उसके फलस्वरूप मई, १९५४, में लखनऊ में उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा 'विकास अन्वेषणालय' की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश सदैव विकास कार्यों में अग्रणी रहा है। इस दिशा में श्री एल्बर्ट मायर का योग स्तुतनीय है और उन्हें इस महान कार्य का अधिष्ठाता होने का गौरव सहज ही प्रदान किया जा सकता है। उन्होंने इस पुस्तक के लिखने में काफी परिश्रम किया है और अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करने में साहस का परिचय दिया है। इटावा में प्राप्त उनके अनुभवों को विभिन्न प्रदेश और अन्य राष्ट्रवासी भी जान सकने में सफल होंगे और सामुदायिक विकास योजना के क्षेत्र में नया ज्ञान और नई चेतना प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय प्रसार सेवा द्वारा अपने पांच लाख गाँवों में से प्रत्येक गाँव का पुनर्निर्माण करने का भारत का प्रयास वर्तमान युग की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस दिशा में श्री एल्बर्ट मायर की यह पुस्तक उन सभी कार्यकर्त्ताओं के लिए, जो अन्य प्रदेशों या

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्थलों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लगे हैं, एक दीपशिखा की भाँति कार्य करेगी और अदम्य उत्साह तथा चेतना का प्रादुर्भाव करेगी । मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक विकास कार्यकर्त्ताओं में नई चेतना का स्पन्दन करने में पूर्णतया सफल होगी ।

गोविन्द बल्लभ पंत

सितम्बर १२, १९५६
६, किंग एडवर्ड रोड,
नई-दिल्ली

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निवेदन

अग्रगामी विकास योजना इटावा में गांवों के विकास कार्य के संगठन और संचालन के लिये जो सुनियोजित प्रयास किये गये थे, उनकी कहानी इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई है। सामुदायिक विकास आन्दोलन के कार्यकर्त्ताओं को इसके अध्ययन से अवश्य ही पर्याप्त प्रोत्साहन और मार्ग-दर्शन मिलेगा।

परन्तु मूल पुस्तक के अंग्रेजी में होने के कारण विकास क्षेत्रों में काम करने वाले ग्राम सेवकों को इस पुस्तक से लाभ उठाने में कठिनाई होती थी। इसके अतिरिक्त अनेक स्वयंसेवक, संस्थाओं के रचनात्मक कार्यकर्त्ता और नेता भी मूल पुस्तक से यथेष्ट लाभ नहीं उठा सकते थे। गांवों के जीवन में रुचि रखने वाले और भी ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं समझ सकते। उनकी आवश्यकता का ध्यान रखते हुये "भारत की अग्रगामी विकास योजना" का यह हिन्दी संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है।

समाज शिक्षा की प्रसिद्ध पत्रिका 'तालीम व तरक्की' ने भी जून, १९६०, के अपने संस्करण में लिखा है :

> "अगर संभव हो तो सामुदायिक विकास मंत्रालय को चाहिये कि वह इस पुस्तक का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराये और उसे छाप कर ग्राम सेवकों, पंचायत के सदस्यों और प्रधानों में वितरित करे, जो सामान्यतः अंग्रेजी नहीं समझ पाते। यह इसलिये आवश्यक है कि इन कार्यकर्त्ताओं के लिये यह पुस्तक एक मार्गदर्शक सिद्ध होगी, जिससे वह पग-पग पर सहायता ले सकते हैं।
>
> "सामुदायिक विकास के कार्यकर्त्ताओं के लिए यह पुस्तक इसलिए आवश्यक है कि इटावा पाइलट प्रोजेक्ट, जिसकी कहानी इसमें लिखी गई है, वस्तुतः सामुदायिक विकास की वर्तमान योजना की जन्मदाता थी। इस दृष्टिकोण से विचार कीजिए तो पुस्तक की यही विशेषता, जो इसकी विद्वता के महत्त्व को कम करती है, कार्यकर्त्ताओं की मार्गदर्शक होने की दृष्टि से इसकी उपयोगिता को बहुत अधिक बढ़ा देती है, क्योंकि पाइलट प्रोजेक्ट के कार्यकर्त्ताओं के सम्मुख जो समस्याएँ, जिस रूप में आईं, उन्होंने उनके समाधान के लिए जो कुछ किया, उसमें उन्हें जिस सीमा तक सफलता या असफलता हुई, यह सब कुछ उसी रूप में रख दिया गया है। सामुदायिक विकासक्षेत्र में काम करने वाला कोई कार्यकर्त्ता हो या किसी और प्रोजेक्ट में काम करने वाला हो, उसे अगर किसी नमूने से अपने काम में सहायता मिल

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सकती है तो उसका यही उपाय है कि वह नमूना जिस रूप में निर्मित किया गया है, उसे ठीक उसी रूप में उपस्थित भी किया जाय।"

हिन्दी संस्करण की योजना मेरे मन में आरंभ से ही थी। जब मूल पुस्तक को पांडुलिपि के रूप में न्यूयार्क में देखने का अवसर मिला था, उसी समय मैंने डाक्टर पार्क से इसकी चर्चा भी की थी, श्री मायर भी हिन्दी संस्करण के लिये तैयार थे। पर यह कुछ हद तक मूल पुस्तक के प्रकाशकों पर निर्भर था और बहुत कुछ हिन्दी में योग्य प्रकाशक पाने पर।

ब्रिटिश बुकडिपो, हजरत गंज, लखनऊ, के स्वामी चंद्र प्रकाश कक्कड़ ने कैलिफोर्निया यनिवर्सिटी प्रेस से हिन्दी में इसके प्रकाशन का अधिकार लेकर जो समारंभ किया, उससे मेरी कल्पना फलवती हुई।

श्री भगवान दास अवस्थी, एम० ए०, ने अपने व्यस्त लेखन कार्यक्रम के होते हुए भी इसके अनुवाद के लिये समय निकाला और कठिन परिश्रम करके इसे पूरा किया, इसके लिये मैं इनका आभारी हूँ। अनुवाद का संपादन करने में मुझे कुछ समय लगा, जो अनिवार्य था। श्री राम शरण दीक्षित ने इस पुस्तक की प्रतियाँ बनाने में सहयोग दिया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।

अनुवाद में मूल भाषा का प्रवाह लाने का प्रयास किया गया है, परन्तु इसमें कहाँ तक सफलता हमें मिल सकी है, इसे पाठक ही बता सकते हैं। आशा है, हिन्दी भाषी जनता और हिन्दी भाषी प्रदेशों के ग्राम सेवक तथा सहायक विकास अधिकारी और अन्य कार्यकर्त्ता इस संस्करण से अधिक से अधिक लाभ उठावेंगे।

बैजनाथ सिंह
एम० ए०, एम० एस०, पी-यच० डी०
भूतपूर्व उप विकास अधिकारी
इटावा योजना

जन्माष्टमी २०१५
अगस्त १४, १९६०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भूमिका

इस पुस्तक का उद्देश्य है, उस प्रवृत्ति पर प्रकाश डालना, जो कि वर्तमान शताब्दी की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रगति का रूप पकड़ चुकी है—वह है, एशिया और अफ्रीका की बहुसंख्यक जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना और जीवन की मर्यादा तथा मान को ऊँचा करना।

संसार के स्वल्प अधिकार प्राप्त कृषि जन समुदाय के जीवन स्तर को ऊँचा उठा कर समृद्धिशाली बनाने वाला यह आंदोलन दिन पर दिन तेजी पकड़ता जा रहा है; और इसी दिशा में उत्तर प्रदेश के इटावा की अग्रगामी ग्रामीण नियोजन और विकास ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इटावा की अग्रगामी योजना संसार के किसानों के जीवन में नव-जीवन संचार करने में तेजी से वही रूप धारण कर रही है, जो इंग्लैण्ड में संसार के सहकारिता आंदोलन के लिए 'राकडेल' परीक्षण ने किया है, और जो टेनेसी घाटी ने अमेरिका में जल प्रवाह को जन-उपयोगी वनाने में संसार के सामने सबसे बड़ा उदाहरण रक्खा है।

१९४८ के अंतिम भाग में ६४ गावों की इकाई को लेकर उत्तर प्रदेशीय सरकार के तत्वावधान में इटावा अग्रगामी विकास योजना चालू की गई थी। किन्तु तीन वर्ष के अन्दर ही उसी जिले के तीन सौ गांवों तक में वह फैल गई। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के अन्य चार केन्द्रों में उसी तरह की योजनाएँ प्रारम्भ की गईं। और अन्त में उसी के आधार पर भारतवर्ष के प्रत्येक भाग के हजारों गांवों में सामुदायिक विकास खण्ड और राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड चालू किये गये। इसकी सफलता से प्रभावित होकर भारत के अन्य राज्यों, एशिया, अफ्रीका, योरप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से सैकड़ों की तादाद में सरकारी पर्यवेक्षक प्रारम्भिक अग्रगामी विकास योजना और उसके आधार पर चलने वाली दूसरी योजनाओं को देखने के लिए आये। उनके आने का यही उद्देश्य था कि यहाँ की कार्य-पद्धति का अध्ययन करके कुछ शिक्षा प्राप्त करें और इटावा की अग्रगामी विकास योजना की सीख को अपने देश के ग्रामीण विकास के लिए व्यावहारिक रूप में लागू करें। इटावा की अग्रगामी योजना ने संसार के सामने एक सफल ग्रामीण विकास के आदर्श नमूने का रूप धारण कर लिया है, जिसे एक जनप्रिय प्रबुद्ध सरकार ने इस उद्देश्य से प्रारम्भ किया है कि वह विना दबाव के उन किसानों में उन्नति के लिए चालू रक्खे, जो दकियानूसी के लिए प्रसिद्ध हैं।

यद्यपि बहु-संख्यक पर्यवेक्षक इस योजना और इसके आधार पर चलने वाली दूसरी योजनाओं को देखने के लिए आये, किन्तु उन्होंने जो कुछ देखा उसके केवल

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आंकड़ों सम्बन्धी विवरण दिये हैं, पर उसकी कार्य-पद्धति के सम्बन्ध में शायद ही किसी ने लिखा हो। इस प्रकार यद्यपि इटावा में जो परीक्षण प्रारम्भ किये गए, उनसे सम्बन्ध रखने वाले पथ-प्रदर्शक विचारों, प्राविधिकों या समस्याओं का ही न तो ठीक से विश्लेषण किया गया है और न उसका विस्तृत विवरण ही दिया गया है। इस कारण प्रारम्भिक अग्रगामी योजना की आंतरिक कहानी को प्रस्तुत करना इस समय भी शेष है।

हमें विश्वास है कि नियोजन सिद्धांत प्रशासनिक नवीनीकरण, पूर्व परम्पराओं के व्यावहारिक लाभदायक उपयोग, सरकारी तथा गांवों के भारतीय संगठनों और इटावा के मानवीय इतिहास के सम्बन्ध में अभी भी बहुत कुछ कहना जरूरी है--- क्योंकि आंकड़ों सम्बन्धी विवरण से, चाहे वे कितने ही पूर्ण क्यों न हों, बहुत अधिक बातें बतानी जरूरी हैं। हम यह भी विश्वास करते हैं कि इस महत्त्वपूर्ण परीक्षण का एक विस्तृत विवरण बहुत ही पहले दिया जाना चाहिए था।

इस विवरण को प्रस्तुत करने के लिए न्यूयार्क के श्री एल्बर्ट मायर से अधिक उपयुक्त कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि वे १९४८ से ही उत्तर प्रदेशीय सरकार के नियोजन और विकास सलाहकार रहे हैं। श्री मायर वास्तुकला विशेषज्ञ तथा शहर और ग्राम नियोजन विशेषज्ञ हैं, और उनमें बहुत ही अद्भुत कल्पना शक्ति है। श्री मायर १९४२ से १९४५ तक भारत में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैनिक इंजीनियर के रूप में रहे हैं और उन्होंने बाद में बम्बई, कानपुर और चन्डीगढ़ ऐसे नगरों के सम्बन्ध में सुधार योजनाएँ तैयार की हैं। ये ही वे महानुभाव हैं, जिन्होंने इटावा की अग्रगामी विकास योजना को प्रारम्भ करने का प्रमुख दायित्व वहन किया है और वे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत के नेतृत्व में उन्हीं के प्रोत्साहन से कार्य संचालन करते चले आ रहे हैं। ये श्री मायर ही हैं जिन्होंने ग्रामीण समस्याओं के बहुमुखी किन्तु सुसंगठित दृष्टिकोण को मूर्त-रूप दिया और उसे व्यावहारिक रूप में सम्मुख रक्खा। इसी बात को उत्तर प्रदेशीय सरकार के श्री के० बी० भाटिया और श्री ए० एन० झा ने पहले ही साधारण सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया था। ये श्री मायर ही हैं जिन्होंने कार्यकर्त्ताओं को सुसंगठित किया, विचारों को उपस्थित किया और उस समय चलने वाली योजनाओं और कार्य-पद्धतियों को संग्रहीत किया और उनका विश्लेषण किया। इस प्रकार इटावा की कहानी अधिकांश में श्री एल्बर्ट मायर की आत्मकथा ही होगी। श्री मायर ही इस परीक्षण की कहानी को प्रस्तुत करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त सिद्ध होते हैं; क्योंकि वे दूरदर्शी हैं और बहुत ही प्रखर गुण-दोष-निर्णायक पर्यवेक्षक हैं, साथ ही बहुत ही बहुमुखी लेखक हैं, इसलिए इटावा की उन्नति का निरीक्षण करने वाले अन्य सभी दर्शकों की तुलना में श्री मायर सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होते हैं।

इस कारण इस पुस्तक के अधिकांश शब्द और भाग श्री मायर के ही लिखे हुए हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा है, उसकी पूर्ति अनेक स्थानों पर श्री होरेस होम्स (जो कि उत्तर प्रदेशीय सरकार के कृषि सलाहकार के रूप में बहुत ही योग्यता तथा सहानुभूतिपूर्ण ढंग से इटावा के गावों में काम कर चुके हैं), ध्यान पाल सिंह, आई० ए० एस०, बैजनाथ सिंह, रुद्रदत्त सिंह, एच० सी० सेठ तथा उत्तर प्रदेशीय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सरकार के अनेक योग्य अधिकारियों ने की है। इन सभी अधिकारियों ने अग्रगामी विकास योजना के सुयश को फैलाने में योग दिया है और इन्हें इससे आनन्द भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जिन लोगों ने इटावा परीक्षण को सफलतापूर्वक चलाया, वे ही अपने-अपने कार्य-विवरण के स्वयं लेखक हैं।

इटावा की कहानी को बिल्कुल सीधे तौर पर प्रस्तुत करने के लिए ये ही लेखक अपने कार्यों का विवरण स्वयं ही करते हैं, और अनेक स्थानों पर ये विवरण व्यक्तिगत हो गये हैं, क्योंकि जिस समय उनका काम आगे बढ़ रहा था, उस समय वे रिपोर्ट, पत्र-व्यवहार आदि प्रस्तुत करते जाते थे। उनके उस समय के विवरण तथा पत्रों आदि की सामग्री को कहीं-कहीं केवल इस तरह का रूप दे दिया गया है कि वह अधिक सुपाठ्य हो सके। प्रत्येक उद्धरण के साथ उसकी तारीख और नम्बर दे दिये गये हैं, साथ ही किताब के अन्त में उनका पूरा विवरण दिया गया है। लेखकों के दृष्टिकोण से जो उद्धरण दिये गये हैं, वे कोष्ठों में रक्खे गये हैं और उनके साथ कुछ शब्द जोड़ दिये गये हैं, और सहकारी लेखकों की चीजें भी स्पष्ट कर दी गयी हैं। ऐसे अंशों के लिए श्री मायर और हम लोग उत्तरदायी हैं। इन कारणों से इस पुस्तक के अंशों में एकरूपता नहीं है। न ही यह पुस्तक सिद्धांतों पर कोई ग्रंथ रूप में ही है। इसका कारण यह है कि हमारा उद्देश्य यही रहा है कि जो समस्याएँ सामने आएँ उनका सीधा वर्णन किया जाय, साथ ही क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार जो खास स्थिति सामने आये, वह स्पष्ट कर दी जाय, क्योंकि इन स्थितियों के उठने पर नीति तथा उच्च स्तरीय योजना पर प्रभाव पड़ता है। योजना के स्थानीय विस्तृत कार्यक्रमों की अत्यधिक महत्ता के विचार से हमने इस पुस्तक में कार्यों के विवरणात्मक इतिहास को दिया है, हालांकि ये साधारण सिद्धान्तों के बाहर चले जाते हैं और खास-खास घटनाओं का विवरण देते हैं। कार्य-संचालन सम्बन्धी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में हमने आदान-प्रदान की नीति को स्वीकार किया है, और इस कारण हमने आपस की बातचीत के विवरणों को, व्यक्तियों के शब्दचित्रों को और घटनाओं को दिया है; क्योंकि इसी प्रकार के अनुभवों के विवरण से ही ग्राम्य विकास के काम को प्रगति मिलती है, और इस कारण इटावा में जो कुछ हुआ, उसे समझने के लिए ये सारी बातें उतनी ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती हैं, जितने कि नियोजन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सिद्धांत।

अग्रगामी योजनाओं के इस अध्ययन में एक विलक्षणता की भावना है, क्योंकि इसका विषय उत्तर प्रदेश में और भारत में ग्रामीण विकास का एक अकेला नमूना है। इसके साथ ही हम यह भी विश्वास करते हैं कि इटावा के परिपक्व अनुभव से जो अनेक सिद्धांत निश्चित हुए हैं वे सर्वत्र व्यावहारिक रूप में लागू किये जा सकते हैं, यह हो सकता है कि विभिन्न स्थानों की स्थितियों के अनुसार उनके विस्तृत मदों में भले ही कुछ विभिन्नता आये। और इस तरह की विस्तृत मदें ही ठोस नियोजन के मूल तत्व हैं। अनुशासनपूर्ण विचार, क्षेत्रीय कार्यक्रम को ठीक से बना लेने का माद्दा, प्राविधिक का ज्ञान तथा स्थानीय परम्पराओं की पूरी तरह से जानकारी की आवश्यकता की सम्भवतः ग्राम विकास के लिए सभी सफल नियोजन तथा कार्यक्रमों में एक-सी आवश्यकता होती है।

इस पुस्तक में जिन घटना-चक्रों तथा घटना-विश्लेषणों के वर्णन दिये गये हैं,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उनको पढ़ने पर जो पाठक भारतीय ग्रामीण सामुदायिक विकास के बाद वाले क्रम से परिचित होंगे, उनके सामने यह स्पष्ट हो जायगा कि इस तरह के विकास का विस्तार पहले से कितना अधिक बढ़ गया है। बहुत बड़े-बड़े पुलों के बनाये जाने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है और उसे सफलतापूर्वक अधिकांश में पूरा भी किया गया है। किन्तु पहली छोटी-छोटी सफलताओं के इतिहासों को सामने लाकर रख लेना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं से यह स्पष्ट होगा कि लोगों में चले आने वाली कार्य न करने की भावना को दूर करने की चेष्टा करनी पड़ी थी, जनता के सामने पहले से चले आने वाली सफलता के नमूने उपलब्ध नहीं थे, इस कारण उनका सामना करना पड़ा था और न केवल नियोजन की पद्धतियों को, बल्कि विकास कार्य को प्रारम्भ करने की विधियों को भी निश्चित और निर्णीत करना था।

जो कहानी आगे दी जा रही है, वह नौ अध्यायों में विभक्त है। हर अध्याय में इटावा के अनुभवों और सीखों से प्राप्त होने वाले फलों का वर्णन है, जिनसे संसार के अन्य भाग लाभान्वित हो सकते हैं। प्रथम अध्याय में इसका वर्णन किया गया है कि सघन ग्रामीण विकास के नमूनों की तलाश में उत्तरी भारत में घूमते रहना पड़ा था, जहाँ कि अनेक स्थानों पर सड़कें हैं और नहीं भी हैं। दूसरे अध्याय में उस नौकरशाही की संगठन सम्बन्धी उन समस्याओं का वर्णन है जो कि विकास कार्यकर्त्ताओं के बीच पायी जाती थीं; साथ ही पूर्णतया प्रशासनिक व्यक्तियों, कार्य-संचालन की समस्याओं का वर्णन है, जो कि कट्टर रूढ़िवादी प्रशासन के बीच पाया जाता था; जिसके उदाहरण एशिया, अफ़्रीका के अनेक देशों में आज भी बहुतायत से पाये जाते हैं। तीसरे अध्याय में नवीन संगठनात्मक उपायों की रूपरेखा तथा उदाहरण दिये गये हैं, जो इस उद्देश्य से किये गये थे कि सरकार के सेवाओं के सभी स्तरों पर आंतरिक जनतांत्रिक भावना लाने में सहायता मिले और व्यक्तिगत दायित्व तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी यथार्थता का बोध हो।

चौथे अध्याय में स्थानीय प्रशासनिक विकास सम्बन्धी समस्याओं का वर्णन तथा विश्लेषण किया गया है; किन्तु इस अध्याय में सरकारी संगठन पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया है वरन् इस बात का विश्लेषण किया गया है कि उस संगठन का गाँव वालों के प्रति क्या रुख रहा है, क्योंकि गाँव वाले ही उसके कार्य के लक्ष्य थे। इटावा में जो सघन व्यावहारिक कार्य-संचालन हुए हैं, उन्हीं का उदाहरण सामने रख कर उन प्राविधिकों तथा सिद्धांतों का सम्मिलित प्रदर्शन किया गया है जो अन्य स्थानों के कृषि प्रसार कार्यकर्त्ताओं के बीच भलीभाँति व्याप्त हैं।

पांचवें अध्याय में कुछ विस्तार के साथ उन प्राविधिकों का वर्णन किया गया है जो जनता की भावना को जगाने और उन्हें कार्य में सम्मिलित करने के उद्देश्य से विशेषरूप से कार्यक्रम में सम्मिलित किये गये थे। पश्चिमी देशों में ग्रामीण विकास कार्य में मुख्य रूप से केवल ये ही बातें शामिल की जाती हैं कि सुधरे हुए कृषि और गृह-प्रबन्ध की विधियों को प्रदर्शित कर दिया जाय और उन्हें जन-प्रिय बना दिया जाय। किन्तु इटावा के अनुभव से पता चलता है कि भारत में, और गरीब किसान जनता में आम तौर पर, यह आवश्यक हो जाता है कि उत्पादन की उन्नति की सफलता के लिए जो कार्य किये जायँ उनमें जनता को जागृत करने और उन्हें काम में सम्मिलित होने की उत्तेजना भरने वाला कार्य अवश्य सम्मिलित कर लिया जाय। मानव

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विज्ञान शास्त्री अक्सर इस बात की चेतावनी देते हैं कि सुधारों और परिवर्तनों की योजना को स्थानीय परम्परागत संस्कृति और सामाजिक संगठन से टक्कर न लेनी चाहिए। अग्रगामी योजनाओं का सबसे अनोखा विचार और उद्देश्य यही रहा है कि परम्परागत संस्कृति और सामाजिक संगठन को हितकर विकास करने में सहायता दी जाय, ताकि उसके द्वारा आवश्यक प्राविधिक विकास वाले उद्योगों के संचालन में सहयोग मिले और जनता के नवीन प्रयत्नों के लिए भावनात्मक शक्ति प्राप्त हो।

छठें अध्याय में वही वर्णन चालू रहता है। आठ साल के कार्य के कुछ फलों को सूक्ष्म रूप में दिया गया है और उनका परीक्षण किया गया है। इन परीक्षणों में सफलताओं और असफलताओं दोनों का ही ध्यान रक्खा गया है। सब से बड़ी अनिर्णीत समस्याओं में एक समस्या है कि एकरूपता और सघनता को न खोते हुए हम ग्रामीण विकास को कितनी तेज़ी से अग्रगामी सोपान से बढ़ाकर देश व्यापी सघन सोपान तक ला सकते हैं। यही एक ज्वलंत प्रश्न है, जो कि ग्राम विकास कार्यक्रम को शुरू करने वाले प्रत्येक देश के सामने आ कर खड़ा हो जाता है और इसी का विवरण हमने आठवें अध्याय में दिया है।

सातवें और नौवें अध्यायों में भूतकाल की घटनाओं के विवरण से आगे बढ़ाकर भविष्य के कार्यक्रम तक ले जाया गया है। अध्याय सात में विशेष रूप से व्यावहारिक वैज्ञानिक अन्वेषण का विशेष रूप से पूर्वाभासपूर्वक विचार किया गया है। जैसा कि श्री मायर ने कहा है कि एक सफल विकास कार्यक्रम शीघ्र ही उस स्थिति से काफी आगे बढ़ जाता है जहाँ से कि वह परीक्षित अन्वेषण के एकत्रित आधार पर प्रारम्भ किया गया था। उन विधियों के भी उदाहरण दिये गये, हैं, जिनमें अन्वेषण द्वारा नये आधार प्राप्त हुए हैं और भविष्य में अन्वेषण द्वारा नये आधारों के प्राप्त होने की सम्भावना है। अध्याय नौ में अधिक व्यापक दृष्टिकोण से इस बात की आलोचना की गई है कि सामाजिक और नैतिक विकास की व्यापक प्रवृत्तियों की योजना बनाये बिना भविष्य के लिये भौतिक विकास की योजना बनाना केवल एकांगी कार्य होगा।

हमारा यह विचार है कि स्वयं यह पुस्तक ही सामाज विज्ञान और व्यावहारिक कार्यक्रम के पारस्परिक सम्बन्धों को निर्णीत करने के रूप में स्वाभाविक रूप में विकसित भी हो सकी है। सहकारी लेखकों ने श्री मायर से व्यावहारिक कार्य-संचालन वाले कार्यक्रमों के उनके निजी अनुभवों के आधार पर विशेष रूप का ज्ञान उपलब्ध करने की चेष्टा की; जब कि श्री मायर ने अपने सह-लेखकों से सामाजिक, मानवीय सम्बन्धी तथा राजनीतिक सिद्धान्तों के विस्तृत ज्ञान को उपलब्ध किया। श्री मायर ने १९५४ में बर्कले स्थित कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय के 'इंस्टीच्यूट आफ ईस्ट एशियाटिक स्टीज़' तथा 'सोशल साइंस फैकल्टी आफ कोलोक्युयम' में सेमिनारों और व्याख्यानों की व्यवस्था की और वहीं इन दोनों तत्वों का सम्मिलित समावेश हुआ।

श्री मायर ने स्वयं ही सम्पादकीय भार के बहुत अधिक भाग को स्वयं वहन किया, जिसमें प्राविधिक और वित्तीय दोनों ही भाग सम्मिलित थे। हमारे आह्वान पर श्री मायर ने अपनी व्यक्तिगत संचिकाओं से अग्रगामी योजना सम्बन्धी तथा सामुदायिक योजनाओं और राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों पर बाद में दिये गये अपने विवरणों से सम्बन्ध रखने वाले बहुत ही महत्त्वपूर्ण लेख तथा पत्र आदि हमें दिये।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सहकारी लेखकों का अधिकांश कार्य था उन सब में से उचित सामग्री को छांटना, उसे फिर से उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करना, संक्षिप्त करना, पूर्वापर सम्बन्ध स्थापित करना और सारी सामग्री को एकरूपता देना।

प्रधान मंत्री श्री नेहरू और भारत सरकार और मुख्य मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत और श्री सम्पूर्णानन्द जी तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक महत्त्वपूर्ण सरकारी लेखों आदि का उपयोग करने और उन्हें प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए इस पुस्तक के लेखकगण आभार प्रकट करते हैं। विकास अन्वेषणालय, उत्तर प्रदेश, के संचालक श्री ध्यानपाल सिंह और हरीश चन्द्र सेठ दोनों ही ने अनेक विस्तृत सूचनाएँ दीं और हमारे विवरणों को प्रमाणित किया, इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। 'हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल आफ बिजिनेस एडमिनिस्ट्रेशन' ने इटावा पर श्री रिचर्ड मोर्स के विचारों को प्रकाशित करने की अनुमति दी तथा 'कौंसिल आन एकानमिक एण्ड कल्चरल अफेयर्स इनकार्पोरेट' ने प्रकाशन का व्यय वहन करने में सहायता दी, इस लिए हम उन दोनों के आभारी हैं।

हम लोग व्यक्तिगत रूप से इस पुस्तक की तयारी में सहयोग देने के अवसर दिये जाने के लिए अनुगृहीत हैं : पार्क माडर्न इंडिया प्रोजेक्ट के, फोर्ड फाउन्डेशन के और यूनीवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया, बर्कले, के ; मैरियट, यूनीवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया, बर्कले के, यूनीवर्सिटी आफ शिकागो के और फोर्ड फाउन्डेशन फारेन एरिया एन्ड इंटर नेशनल रिलेशंस फेलोशिप प्रोग्राम के। किन्तु जो विचार इस पुस्तक में प्रगट किये गये हैं, उनके लिए न तो कोई विश्वविद्यालय ही जिम्मेदार है, न तो फोर्ड फाउन्डेशन ही। प्रोफेसर डेविड जी० मैंडिल बाम ने हमें प्रोत्साहन दिया, इसके लिए हम दोनों उनके आभारी हैं।

इस पुस्तक के लिखे जाते समय जितना अधिक पत्र-व्यवहार हुआ उसके लिए हम लोग और श्री मायर भी मिसेस मेरी ब्लेयर और मिस डोना डिवाइन ने हमें बहुत अधिक सहायता दी है। मिसेस जैनेट सीबर्ट ने इस पुस्तक के लेखों की अनेक प्रतियाँ टाइप कीं, इसके लिये हम उनके आभारी हैं। कीथ सेक्सटन और राबर्ट फ्राइकेनबर्ग ने बहुत ही सावधानी से सैकड़ों लेखों को संभाल कर सुव्यवस्थित किया, इसके लिए हम उनकी सहायता के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। मिस एंनज़ हॉस के प्रति नक्शों के लिए, मिस बेटी जे० ब्लेन के प्रति चार्टों के लिए और यूनीवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया प्रेस के कर्मचारियों के प्रति उनकी सहनशीलता के लिए आभार प्रदर्शित करते हैं।

फोर्ड फाउन्डेशन की सौजन्यता से अर्नेस्ट क्लीन वर्ग ने आवरण पृष्ठ तयार किया। आनन्द माधव शुक्ल के साथ बातचीत करते हुए श्री एलबर्ट मायर का चित्र हरीश चन्द्र सेठ ने लिया है। साक्षरता कक्षाओं वाला चित्र उत्तर प्रदेशीय सरकार की सौजन्यता से प्राप्त हुआ।

मैकिम मैरियट

यूनीवर्सिटी आफ शिकागो

रिचर्ड एल० पार्क

यूनीवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया, बर्कले

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विषय सूची

अग्रगामी २३

१ आरम्भ २५

गांव में जाकर खोज-बीन ३७

सरकारी विकास कार्य—गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता—मिश्नरी (ईसाई प्रचारक)

योजना के रूप का निखार ४३

ग्राम योजना और पुर्ननिर्माण की प्रारम्भिक रूपरेखा

योजना ६०

उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण—अग्रगामी योजना के सघन कार्य के लिए पहले जिले का चुनाव, वाद-विवाद : विचार और संक्षिप्त वर्णन—अग्रगामी विकास योजना में नियोजन, विकास और प्रशासकीय समन्वय के प्रयोगों का निश्चित कार्यक्रम

२ संगठन ७९

जिले और विभागीय प्रशासन की पुरानी प्रणाली ८०

नवीन संगठनों में संघर्ष ८६

नवीन बनाम दकियानूसी शासन विधियां—इटावा की वर्तमान संकटकालीन स्थिति पर टिप्पणी : रूपरेखा, समस्या, उसका निदान और विकास कार्यों पर उसका प्रभाव—नया संगठन जीवन के लिए संघर्ष करता है

३ आन्तरिक जनतांत्रीकरण १०८

समारम्भ के अनेक स्तर १०८

सरकार सेवक के रूप में—गांव के उत्साह को खास दिशा में प्रवाहित करना

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

काम की जड़ जमाना १२१

राज्य में—जिलों में

जनता से सलाह लेना १२६

रात्रि विश्राम—जनता की राय का अध्ययन

पारस्परिकता और आन्तरिक पुरस्कार १४०

सलाहकार के कर्तव्य—पुरस्कार

४ ग्राम सेवा की रीति नीति १४८

विकास कार्यक्रमों को चुनने की कसौटी १५०

महसूस की हुई आवश्यकता—विश्वास का निर्माण—कार्य की रीति का ज्ञान

यथार्थवादी योजना के सिद्धान्त १६१

सफलता के लिए लक्ष्य—योजना के प्रयत्नों की तालिका—कार्य विवरण

गांवों से सम्पर्क १७६

ग्राम कार्य के लिए प्रशिक्षण—बहुधन्धी ग्राम सेवक—योजना को सफल करके दिखाना

सामूहिक कार्यों की व्यक्तिगत घटनाओं का अध्ययन १८३

इटावा में सड़क बनाने का काम—गोरखपुर में गृह-निर्माण—कुछ परिणाम

५ जन सहयोग १८९

ग्राम सहयोग कार्यक्रम क्यों ? १९०

ग्राम योगदान के तीन कार्य १९३

सुनना और देखना, १९४ :—प्रेरक कार्य, १९७ :—प्रौढ़ शिक्षा से लाभ; विकास कार्य को नाटकीय रूप देना; मन्दिर से समाचार; गांव के बड़े-बूढ़ों के लिए अध्ययन शिविर; सामूहिक कार्य; परंपरा का विकास—कार्य का स्थायित्व, २२८ :—स्थायी रूप से काम को चालू रखने के लिए योजना; गांव वालों द्वारा काम को अपने जिम्मे ले लेना; गांव के नेतृत्व का विकास; गांव का स्वरूप सुन्दर करना

६ परिणाम और उसके प्रभाव २५१

कार्य को प्रगति का विवरण २५३

कृषि—कृषि के औजार—पशुपालन—भूमि संरक्षण—सार्वजनिक निर्माण कार्य, वातावरण की सफाई और जन-स्वास्थ्य—ग्राम उद्योग—सहकारी समितियां—महिलाओं की उन्नति के कार्य

आर्थिक हानि-लाभ का विवरण २९०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

७ शोध और कार्य — २९५

गोध के लिए संगठन — २९६

आवश्यक कार्यकर्ता और उनके कार्य

इंस्टिच्यूट का कार्य-विवरण — ३०२

नमूने की अनुसंधान योजनाएं — ३०३

ग्रामीण उद्योग—सहकारिता

८ विकास कार्य के विस्तार की कुछ समस्याएँ — ३१३

तीव्र प्रगति के लिये नियोजन — ३१६

पक्ष में—विपक्ष में—"मातृ" योजनाएं : एक सुझाव

कार्यकर्त्ताओं की वृद्धि — ३२१

योग्यता की सीमा-रेखा—नौकरशाही शासन का कार्यानुकूल बनाया जाना—विकास के लिए शिक्षा—प्रशिक्षण के बाद व्यावहारिक अभ्यास—सहयोगियों से अपील

९ भविष्य और सम्भावनाएं — ३३२

आदान प्रदान — ३३३

ग्रामीण जीवन में नव-शक्ति संचार — ३३४

अंतिम लक्ष्यों की दिशा का निर्धारण — ३३६

संदर्भ — ३३९

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चित्र-सूची

पृष्ठ ६४ के आगे

नियोजन सलाहकार और ग्राम्य मित्र
महसूस की हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
गाँव वालों के साथ काम करते हुए
सुधरे हुए प्राविधिक ज्ञान का प्रसार करते हुए
स्थानीय स्वतः-कार्य-प्रारम्भ करने की प्रवृत्ति को उन्नत करना
साक्षरता कक्षाएं
अधिक उत्तम कृषि के लिए प्रशिक्षण
ग्राम सेवक

मानचित्र

१. भारत, उत्तर प्रदेश और जिला इटावा के नक्शे, अग्रगामी योजना दिखाते हुए, मार्च, १९५९ ६३
२. महेवा ब्लाक अग्रगामी योजना, १९४८-१९५६ ६७
३. लखना, महेवा और भाग्यनगर ब्लाक, जिला इटावा, मार्च ३१, १९५६ १२९
४. महेवा क्षेत्र : श्रमदान द्वारा सड़कों का निर्माण, १९४८-१९५६ २७६

चार्ट

१. नियमित उत्तर प्रदेश जिला संगठन ९४
२. इटावा अग्रगामी योजना संगठन, १९५२ ९५
३. शीतकालीन फसल में सुधार, इटावा अग्रगामी योजना के महेवा ब्लाक में, १९४८-१९५६ २६०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तालिकाएं

१. पूर्ति तालिका, १९५३-५४, कसिया योजना क्षेत्र के लिए, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश १५६

२. गाजीपुर अग्रगामी योजना के लिए वार्षिक कार्यक्रम, १ जुलाई, १९५१–३०, जून १९५२ १७०

३. प्रदर्शन के खेतों की बढ़ी हुई उपज का औसत, शीतकाल १९४९-५० २८८

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अग्रगामी

मैं सरल रूप में आप को यह बताने की चेष्टा करूँगा कि योजनाओं के एक खास समूह में, जिन में कि मेरा हाथ था, क्या हुआ। ऐसी योजनाओं की क्या भावनाएं और विचारधाराएं थीं, उनकी क्या आवश्यकताएं थीं, किन तत्त्वों के द्वारा उनमें रुकावटें पड़ती थीं; उस तरह की योजना कितनी महत्त्वपूर्ण कार्य की श्रंखला थी और उन सबके सम्बन्ध में वहाँ वाली जनता के सहयोग से किस तरह की उद्‌भावनाएं सामने आईं; कितनी गहरी आत्मीयता एवं निकटता उन की अंग-भूति के रूप में प्रसारित हुई, और इन भावनाओं ने निःसृत होकर उन्हें महत्त्वपूर्ण बनाया; और इन सब बातों के अलावा ऐसे कार्य में पारस्परिकता की भावना को कितना प्रोत्साहन मिला, इन सब को मैं आपके सामने प्रकट करूंगा।

अग्रगामी योजना क्या है? इटावा में पहली और उसके बाद चार अन्य योजनाओं को प्रारम्भ करने में सहायता देने के तीन साल बाद श्री मायर ने नियोजन आयोग के श्री तारलोक सिंह को निम्नलिखित पत्र लिखा। आयोग उस समय उसी तरह के सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्यक्रम को बृहद रूप में चालू करने का विचार कर रहा था; और उसी तरह का आयोजन बाद में किया भी गया।

मायर एवं ह्विटिलसे
३१ यूनियन स्क्वायर
न्यूयार्क ३, न्यूयार्क
२४ सितम्बर, १९५१

श्री तारलोक सिंह
भारत सरकार
नई दिल्ली, भारत

प्रिय तारलोक सिंह

भारत अपने प्रजातान्त्रिक रूप में आगे बढ़ रहा है, किन्तु वह इसके लिए पाशविक बल का प्रयोग नहीं करना चाहता। आप सभी तरह की भूलों को कर सकते हैं, अपने आलोचकों का दमन कर सकते हैं, हजारों मनुष्यों को मौत के घाट उतार कर खत्म कर सकते हैं, और संभवतः अन्त में रुधिर और यातनाओं के महासागर को पार कर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। किन्तु भारत यह सब नहीं करेगा।

इन सारी भीषणताओं से बचते हुए उन्नति करने का मैं केवल एक ही उपाय देखता हूं; और वह है तुरन्त ही दृढ़ निश्चयात्मक रूप से, किन्तु खूब समझ-बूझ कर, अग्रगामी योजनाओं की स्थापना करना, ताकि हम उनसे अनुभव एकत्रित कर सकें,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और जो हमारे परीक्षणों के लिए नमूने सिद्ध हों, और जो व्यावहारिक प्रशिक्षण केन्द्रों का काम दें। ठोस प्रगति के लिए मुझे इसके अलावा और कोई दूसरा शीघ्रगामी उपाय नहीं देख पड़ता। अग्रगामी योजना वाली पद्धति पहले तो धीमी जरूर होगी, किन्तु यदि उसे दृढ़ आधार पर स्थापित करके चालू कर दिया जाय, तो उसमें जल्दी ही तेजी और महत्त्वपूर्ण प्रगति आ जायगी; यह तभी होगा जब एक बार हमें प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता प्राप्त हो जायंगे। बिन्दु-रेखा चित्र रूप में मेरे मस्तिष्क में उसकी रूप-रेखा इस प्रकार उदित होती है—सम्भवत: मैं पहले ही इसके सम्बन्ध में आप से वर्णन कर चुका हूँ:

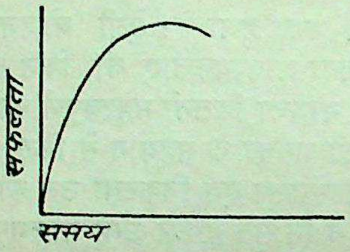

प्राचीन पद्धति
प्रारंभिक तीव्रता, बाद में धीमी गति

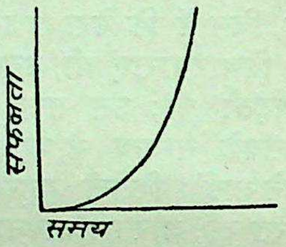

अग्रगामी योजना
धीमा आरंभ, तीव्र उत्थान

यहाँ मैं अग्रगामी योजना पद्धति के लाभ की एक बात को और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अग्रगामी योजनाओं के कुछ थोड़े से समूहों में आप को कुछ बहुत ही अच्छे व्यक्तियों को चुनने का अवसर मिलेगा, जो इस बात को ठीक से हृदयंगम कर लेंगे कि यह एक सच्चा परीक्षण या अनुसंधान है, और इन व्यक्तियों में इतनी योग्यता होगी कि वे ईमानदारी से सफलताओं और असफलताओं का मूल्यांकन कर सकेंगे, साथ ही उन बातों से शिक्षा लेंगे और उन्हें जल्दी ही व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित कर सकेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप बौधिक ईमानदारी तथा आत्म-परीक्षण की प्रणाली की नींव डाल सकेंगे।

अग्रगामी योजना पद्धति का दूसरा लाभ यह है। ऐसी सामान्य स्थितियों का चुनाव किया जायगा, जिन से ऐसे फल निकलें जो यथार्थ में महत्त्वपूर्ण हों। इसके लिए जरूरी होगा कि जहाँ तक सम्भव हो, सफलता को निश्चित करने के लिए उन्हीं बातों पर पूरा ध्यान केन्द्रित कर दिया जाय; और इसका फल यह होगा कि न तो ऐसी पद्धितियों का प्रयोग किया जायगा और न ऐसी चीजों की मांग ही की जायगी, जिनका प्राप्त होना या दुबारा मिलना कठिन होगा और जो दूसरे क्षेत्रों या स्थितियों में व्यावहारिक रूप से लागू न की जा सकेंगी। प्रथम अथवा अग्रगामी प्रयत्नों में यदि सफलता की परिपाटी स्थापित की जा सकी, तो यह निश्चय ही एक महान मनोवैज्ञानिक प्रभाव का रूप धारण कर लेगी और उस क्षेत्र में होने वाले सभी कार्यों को सफल बनाने में बहुत अधिक सहायक होगी।

भवदीय,
एल्बर्ट मायर
[५१.४]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१ आरम्भ

[भारत से मेरा पहला सम्बन्ध दूसरे विश्व युद्ध के समय हुआ। उस समय मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिक इंजीनियरों के दल का एक अफसर होकर भारत आया था। किसी दूसरे देश वाला आदमी जब किसी नये, अनजाने, अजीब लगने वाले देश में पहली बार आता है, तब दो बातें हो सकती हैं। एक तो यह कि बाहर से आने वाला आदमी विदेशियों के क्लबों तक ही आना-जाना सीमित रक्खे, और इस तरह वह देशवासियों से मिलने-जुलने से बचा रहे। दूसरी बात यह, कि वह सहानुभूति से उस देश वालों से मिले-जुले और उन के बारे में जानने समझने की कोशिश करे।]

उस समय तक भारत अंग्रेजों के शासन में था। अंग्रेज अधिकारी इस बात के लिए बढ़ावा नहीं देते थे कि बाहर वाले यहां आने पर भारतवासियों से मिलें जुलें। अमेरिकन सैनिक अधिकारियों का भी यही रुख था। वे भी अपने को अलग ही रखना पसन्द करते थे। ऐसी दशा में बहुत कोशिशों के बाद ही कोई बड़े निश्चय वाला विदेशी इस देश के मित्रतापूर्ण भावना वाले आदमियों से मिलने में सफल हो सकता था।

भारतवासी अपने बारे में बतलाने और बाहर वालों के बारे में जानने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितने हम लोगों में से कुछ लोग उनके बारे में जानने को उत्सुक थे। इसलिये सन् १९४५ में मेरे अमेरिका लौटने के कुछ ही हफ्ते पहले मेरे भारतीय मित्रों में से एक ने यह सुझाव दिया कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलूं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जवाहरलाल जी हाल में ही जेल से छूटे थे। मिलने के लिये समय देने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि, मैं तो बहुत से कामों में इतना अधिक फंसा हूं कि मामूली तौर पर भेंटों के लिए समय दे सकना मेरे लिए कठिन है। पर इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि मैं उनके घर पर इलाहाबाद में कुछ दिन के लिए मेहमान बन कर ठहर सकूं तो बीच-बीच में बात करने के लिए वे समय निकाल लेंगे, वह भी काफी रात बीतने के बाद ही।

मैं उनके यहां मेहमान बन कर ठहरा। उस समय तक यह लगभग तय हो चुका था कि भारत को स्वतंत्रता अवश्य मिलेगी। ऐसे वातावरण में नेहरू जी के सुखद, सुन्दर आनन्द भवन में रात में हम लोग बहुत देर तक समय निकाल कर आपसी तौर पर खुल कर बातें करते थे। ऐसे ही मौके पर मेरी अमेरिकन आदत ने जोर मारा। मैंने अपने अनुभवों और विचारोंको नेहरू जी के सामने रक्खा। और यह भी बताया कि "मैं क्या करूंगा।" मेरा विचार था कि मैं अनेक अग्रगामी योजनाओं का परीक्षण करता चलूं। जैसे-जैसे और जितनी जल्दी इन योजनाओं पर पूरी तरह से विचार किया जा सके, उनके बारे में निश्चय किया जा सके और वे काम में लाई जा सकें, उतनी ही जल्दी परीक्षण भी किये जाते रहें।

मुझे विश्वास था कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल जायेगी, तब "अधिक अच्छे जीवन" की बड़ी तेज़ मांग होगी। और तब बहुत ही बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। इस बड़े पैमाने के काम के लिए हम अपने पहले से किये हुए परीक्षणों के भरोसे पर ही तैयारी कर सकेंगे। क्योंकि इन पहले किये गये परीक्षणों से ही हमें यह पता चल जायेगा कि हम कौन-सा काम सफलता से कर सकते हैं और कौन-सा काम किन कारणों से सफल नहीं हो सकता। और इस पहले अनुभव को हम जितनी ही अधिक जल्दी प्राप्त कर सकें उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि इसी अनुभव के बल पर हम अपने उस बड़े पैमाने के कार्यक्रम में ठीक से सफलता पा सकेंगे जिसे हमें अवश्य ही चलाना पड़ेगा। बाद वाला व्यापक कार्यक्रम भी तभी सफल हो सकेगा जब हम अपनी अग्रगामी योजना के जरिये ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार कर सकें जो ऐसे काम को आगे बढ़ा सकें और जो ऐसे लोगों को भी प्रशिक्षित कर सकें जो आगे चलकर और कार्यकर्त्ताओं को तैयार कर सकें। [५२-१]

[हमने इस बात पर भी विचार किया कि कुछ "आदर्श गांव" स्थापित किये जायें। इन "आदर्श गांवों" में अच्छे मकानों, वातावरण की सफ़ाई और सामाजिक ढांचे पर ही जोर दिया जाये। मैं समझता था कि आज भारत में इस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है कि वह कुछ खास कामों को लेकर इतनी अच्छी तरह करके दिखा दे कि वे काम नमूने के रूप में सामने आ जायें। भारत को इस समय केवल ऐसी ऊंचे दर्जे की बातों की सलाह की जरूरत नहीं थी जिनको ठीक से लागू न किया जा सके।]

[इसके बाद ही मैं अमेरिका लौट गया। सेना से अलग हो गया। अपने मामूली रोजगार धन्धे में लग गया। और तीन वर्ष के बाद अपने कुटुम्ब से फिर नाता जोड़ घरेलू जीवन बिताने लगा। इसके ६ महीने बाद मुझे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का पत्र मिला। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने अक्सर उन बातों पर विचार किया है जो हम लोगों के बीच में हुई थीं और उन्होंने मुझ से पूछा था कि क्या मैं भारत आ सकूंगा? और उन कामों में से कुछ कामों का परीक्षण कर सकूंगा, जिनके

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बारे में बातें हुई थीं ? इसमें सन्देह नहीं है कि किसी योजना को असली रूप में बनाना और उसके मुताबिक काम करके दिखाना कठिन होता है। उन पर बातें करना काफी आसान होता है। अन्त में मैंने यह तय किया कि मैं भारत जाऊं। वहां की हालत का अध्ययन करूं और तब यह कहूं कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता।]

आनन्द भवन,
इलाहाबाद, भारत
जून १७, १९४६

प्रिय मिस्टर मायर,

मुझे आपका २० मई का पत्र मिला। मैंने उसे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त के पास भेज दिया है और उसी समय आपको तार भेजा है। उसके बाद मैंने उनसे बात भी कर ली है। मैं समझता हूं कि उन्होंने भी आपको तार भेजा है। उन्होंने उसमें बतलाया है कि भारत में बरसात शुरू हो गई है, और बरसात समाप्त होने तक कोई बड़ा काम शुरू करना कठिन होगा। इसके अलावा इस मौके पर कुछ राजनीतिक उलटफेरों के होने की सम्भावना भी है। खाद्य की कमी की भी समस्या है। ये सब बातें दूसरे मसलों पर विचार करने में विघ्न डाल सकती हैं।

जैसा आपने लिखा है, यह तो कम-से-कम एक आगे का रास्ता दिखाने वाला पहला काम होगा। यह ठीक है कि दूसरे बहुत-से लोगों ने इस पर विचार किया है और योजनायें भी बनाई हैं। पर वे योजनायें एक दूसरे से एक दम अलग-अलग हैं और हर योजना में सवाल के केवल एक ही पहलू पर विचार किया गया है। किन्तु जैसा आपने मुझ से कहा था, इस सवाल पर विचार करने का उचित ढंग यह है कि इस सारे मसले को साथ लिया जाये और इस तरह देखा जाय मानों उसके हर पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम जनता के जीवन-स्तर को ऊंचे उठाना चाहते हैं और उस स्तर को पूरी तरह से उपयोग में लाने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिए कि हम चाहते हैं कि पुरानी बुनियादों को तोड़े बिना ही सामाजिक जीवन का स्तर ऊंचा उठा दें। हम आजकल के नये औद्योगिक तथा अन्य तरीकों से काम लेना चाहते हैं और भारत के साधनों और परिस्थितियों के अनुसार उन्हें ढालना चाहते हैं। पर यह काम सरल नहीं है। क्योंकि इस समय भारत के साधन बहुत कम हैं। भारत की परिस्थिति भी पश्चिमी देशों से बहुत कुछ भिन्न है। किन्तु मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि काम तो किया ही जा सकता है। और किया जाना ही चाहिए। पहले हमें बहुत से परीक्षण करने पड़ेंगे और उसके बाद ही शायद इस सवाल को हल करने का ठीक तरीका हमारे हाथ लगेगा। यह भी हो सकता है कि ऐसे कई तरीके हों जो साथ-साथ अपनाये जायें। मुझ में योजनाओं को बनाने की विशेष योग्यता तो नहीं है, तो भी इस काम की तरफ़ मेरी रुचि बहुत है। इस काम का असर मेरे ऊपर बहुत अधिक पड़ा है। आपसे मेरी बातें इलाहाबाद में हुई थीं। उनसे मुझे ऐसा लगा कि आपके विशेष ज्ञान, योग्यता और अनुभव से इन

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मसलों के बारे में बहुत मदद मिल सकती है। उससे भी अधिक सहायता इस काम में आपसे इस कारण मिल सकती है कि आप इन मसलों पर एक खास ढंग से सोचते, समझते और विचार करते हैं। एक औसत दर्जे के साधारण अमेरिकन को भारत की बहुत-सी बातें बड़ी खेदजनक लग सकती हैं। वे उसके लिए एक दम नई होती हैं और उसके रहन सहन के ढंग से मेल नहीं खातीं। मैं समझता हूं कि आप ऐसा महसूस नहीं करेंगे। ....उलट फेर होने ही वाले हैं और बहुत से लोग बड़े पैमाने पर सामाजिक सुधार करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आपके विचारों और अनुभवों की सहायता से यदि हम एक बार काम शुरू कर दें तो जनता उसमें पूरा सहयोग देगी। हो सकता है कि शुरू-शुरू में एक विदेशी के भारत के निर्माण के काम में दखल देने के काम को कुछ लोग संदेह की नजर से देखें क्योंकि वे अंग्रेज विशेषज्ञों के अफसराना तानाशाही तौर तरीकों से परिचित रहे हैं जो न तो कभी भारतवासियों की दशा को समझ सके थे, न जिन्होंने कभी उसे समझने की कोशिश की थी। भारतवासियों को पिछली कई पीढ़ियों तक विदेशी शासन और शोषण में रहना पड़ा है। उस लम्बे अरसे में उनके मन में कुछ खास उलझनें पैदा हो गई हैं। किन्तु यदि मौका मिला तो हम उन पर विजय पा सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि भारत आने के सम्बन्ध में यदि आपके मन में कुछ शंका पैदा हो या कुछ कठिनाइयां सामने आयें तो उन्हें आप मुझे लिखेंगे और हम उन्हें दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे।

शुभ कामनाओं के साथ।

आपका
जवाहर लाल नेहरू
[४६-१]

[नगर-निर्माण और भवन-स्थापत्य कला ही मेरा धंधा रहा है। इसी में मेरा अनुभव भी रहा है। मैंने इस बात पर भी विचार किया था कि जिस काम के लिए मैं भारत जा रहा हूँ वह मेरे अपने अनुभव और योग्यता के अनुसार है भी ? अभी तक मैं पश्चिम के देशों में नगर-निर्माण की योजनाओं का काम करता रहा था। अब मुझे भारत जाकर वहां नये गांवों के बनाने की योजना में लगना होगा। ऐसी हालत में मुझे नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। किन्तु मैं यह भी जानता हूं कि योजना बनाने वाले को करीब-करीब सभी नई योजनाओं में नई परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। नये काम को नई नज़र से देखने समझने पर लाभ ही होता है।]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न्यूयार्क
२ अगस्त, १९४६

श्री गोविन्द बल्लभ पंत,
मुख्य मंत्री, यू० पी०,
नैनीताल, भारत

प्रिय श्री पंत जी,

आपका तार जून में मिला। उसमें जिन बातों की चर्चा थी उन्हीं के अनुसार गृह निर्माण और ग्राम सुधार पर मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं। मुझे विश्वास है कि इन्हीं मसलों पर श्री जवाहर लाल नेहरू से मेरी बातचीत और पत्र व्यवहार हुआ था। इसके बाद मैं उन्हीं मसलों पर विचार और कार्य भी कर रहा हूं। उन पर आपके सुझावों से मुझे बहुत लाभ हो सकेगा।

१—बुनियादी तौर पर हमारा उद्देश्य है गांव के निर्माण और क्रियात्मक नियोजन की व्यावहारिक योजना तैयार करना जिससे गांव के जीवन को अधिक अच्छा बनाया जा सके और कार्य संचालन में अधिक कुशलता लाई जा सके। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि हमारा उद्देश्य है व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति में आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करना और इस तरह के विकास को निश्चित रूप से चलाने में सहायता देना।

२—इस तरह के कार्यक्रम की बुनियाद नमूने की अग्रगामी योजना पर रक्खी जानी चाहिए और उसी नमूने की योजना से उसकी जांच भी होनी चाहिए। ये कार्यक्रम दो तरह के होगें।

(१) उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थानों पर जो पहले अनुभव हुए हों, उनकी जहां तक सम्भव हो सके जांच पड़ताल करनी चाहिए।

(२) उत्तर प्रदेश में परीक्षण के लिये नये काम शुरू करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में यह काम कई तरह के ग्राम समूहों में शुरू होगा। इन ग्राम समूहों में काम अलग-अलग शुरू किये जायेंगे और इनका चुनाव इस तरह होगा कि हर ग्राम समूह की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति जहां तक सम्भव हो एक दूसरे से अलग-अलग हो ताकि उन ग्राम समूहों में किये हुए कामों के अनुभव से हम कुछ निश्चित नतीजों पर पहुँच सकेंगे।

असल में इस तरह का प्रत्यक्ष व्यावहारिक काम नीचे लिखे कारणों से बहुत अधिक महत्त्व का होगा :—

(क) जिन विचारों को अपनाया जायगा उनका पहले पहल व्यावहारिक रूप में ठीक से परीक्षण कर लिया जायगा। इनकी विशेषताओं और कमियों की जांच की जायेगी। यह पता चलाया जायगा कि जिन लोगों के लिए ये विचार अपनाये गये हैं, वे उनका कैसा स्वागत करते हैं। पर मुख्य कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया जायेगा या जरूरत होने पर उसमें आवश्यक हेर फेर कर दी जायेगी।

(ख) जो अनावर्तक व्यय शुरू में होगा और जो आवर्तक व्यय बाद में करना पड़ेगा, उसकी ठीक से जांच की जायगी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

३—कार्यक्रम बनाने में सबसे जरूरी बात यह होगी कि उस पर जो खर्च पड़ेगा और जितने समय में वह पूरा हो सकेगा उसका मेल उन आदमियों की आर्थिक स्थिति से मिलाना पड़ेगा जिन पर उसका असर पड़ेगा। साथ ही यह भी देखना पड़ेगा कि वह खर्च उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के आय व्यय और आर्थिक शक्ति के अनुरूप ही है।

यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मसले को हम किस तरह हल करेंगे। यह देखेंगे कि योजना ऊंचे दर्जे की और तारीफ़ के लायक होते हुए भी अव्यावहारिक है या इस कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप में साल दर साल सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है।

४—विशुद्ध रूप से भौतिक और क्रियात्मक नियोजन में नीचे लिखी बातें शामिल की जायेंगी—

(क) जहां तक हो सकेगा हम नीचे लिखी चीजों की व्यवस्था करना चाहेंगे—

(१) अच्छे मकान जो स्थानीय दशा के अनुसार हों, अच्छे ढंग के हों और स्थायी हों।

(२) अच्छी सड़कें, जो आसानी से बनाई जा सकें किन्तु जो सभी मौसामों में काम में लाई जा सकें और जिनसे उन मुख्य केन्द्रों को जोड़ा जा सके जहां उस स्थान पर उत्पन्न होने वाली चीजें बिक्री के लिए नियमित रूप से भेजी जा सकें।

(३) सफ़ाई...शारीरिक सफ़ाई, कूड़ा करकट और दूसरी चीजों की निकासी, पानी वगैरह की निकासी के लिए नालियों का प्रबन्ध।

(४) पीने के पानी की व्यवस्था और वितरण।

(५) मलेरिया की रोकथाम।

(६) स्थानीय सिंचाई का अधिक से अधिक प्रबन्ध, इसका सम्बन्ध किसी ऐसी बड़ी योजना से किया जाय जो उस समय चालू हो या जिसे चालू करने का विचार हो।

(७) रोगों के निदान और दवा दारू के लिए अस्पताल।

(८) सामुदायिक केन्द्र या मनोरंजन केन्द्र [जो स्कूल की इमारत में भी हो सकता है।]

(९) स्कूल।

(१०) सभा भवन....या स्थानीय शासन के लिए या सामाजिक कार्यों के लिए स्थान [हो सकता है कि सामुदायिक केन्द्र में ही इसका प्रबन्ध हो।]

(११) गोदाम [यदि आवश्यक हो तो]

(१२) मशीनों, कर्घों आदि के लिए घर या स्थान [गांव के कुटीर उद्योग के अनुसार ही उसका प्रबन्ध किया जाय] [सहकारी पद्धति पर खेतों में काम में लाये जाने वाले औज़ार भी यहां रक्खे जा सकते हैं।]

हो सकता है कि ऊपर जिन बातों का मैंने सुझाव दिया है, उनमें से कुछ ऐसी हों जो व्यावहारिक रूप में अधिक अच्छी तरह से करके दिखाई जा सकती हों और कुछ कम। लेकिन मेरा विश्वास है कि रहन-सहन के अच्छे स्तर और उत्पादन कार्य करने की शक्ति के लिए इनमें से प्रत्येक बात इतनी आवश्यक है कि उस पर विचार करना ही चाहिए। हो सकता है कि परीक्षण के ढंग के थोड़े से कामों में हम करीब-करीब सभी बातों को पूरा करने की कोशिश करें। किन्तु पूरे कार्यक्रम को करते समय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इन सारी बातों को पूरा करना शायद एक बहुत महत्वाकांक्षापूर्ण बात होगी। यह भी हो सकता है कि इस समय हम जिस नतीजे पर पहुंचें उससे कहीं अधिक कार्य करने के लिए हमें निर्णय करना पड़े। लेकिन यह तभी सम्भव है जब कि परीक्षण करते समय हमें इस बात का पता चल जाय कि जो काम हमने किये हैं उनसे जनता की उत्पादन शक्ति और आय में काफी वृद्धि हुई है।

(ख) सूची के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक बुद्धि और कुशलता की ज़रूरत होगी। हम स्थानीय वस्तुओं और स्थानीय लोगों के श्रम को अधिक काम में लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह हम खर्च में कमी कर सकेंगे।

इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नीचे लिखे स्तर पर जांच-पड़ताल करना ज़रूरी होगा—[1]

इन बातों की जांच सावधानी से करनी होगी कि भारत में और दूसरे देशों में लोगों ने सुधारे हुए मिट्टी के घर बनाने में, नमी से बचने के सस्ते तरीकों में और मज़बूत कच्ची सड़कों के बनाने में क्या किया है। इसके अतिरिक्त हमें प्रयोगशाला सम्बन्धी और व्यावहारिक प्रयोग करने होंगे।

इस प्रकार जिन कार्य-पद्धतियों के व्यावहारिक होने का पता चले, उनको काम में लाया जाय। साथ ही यह भी जांच की जाये कि वे कार्य-पद्धतियां उत्तर प्रदेश की परिस्थति के और यहाँ की जनता की सामर्थ्य के कहाँ तक अनुकूल है।

५—यहाँ तक तो कार्यक्रम के भौतिक और क्रियात्मक पहलुओं पर लिखा गया है किन्तु यदि हमें अपने काम को स्थायी रूप देना है तो अपने अनुभवों के अनुरूप उसमें हमें और दूसरी बातों को भी शामिल करना पड़ेगा।

इसमें सन्देह नहीं है कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक उचित भौतिक और क्रियात्मक ढांचा या कार्य की रूपरेखा सबसे अधिक ज़रूरी है। किन्तु यह तो केवल पहला ही कदम है। यदि जनता इनका उचित उपयोग न जानती हो या उधर ध्यान ही न देती हो तो कार्य के ढांचे के बहुत अच्छे होने पर भी उस से बहुत कम लाभ उठाया जा सकेगा।

जनता इस कार्यक्रम को खुशी से अपनाये और उससे अधिक से अधिक लाभ उठाये इसके लिए नीचे लिखी बातों की व्यवस्था बहुत जरूरी है।

(अ) इन सुविधाओं के उपयोग के सम्बन्ध में पूरी जानकारी। इस बात को जान-समझ लेना बहुत जरूरी है कि इस तरह की नई बातों से जनता को कैसे लाभ पहुँच सकता है और वे उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए—अगर हम सफाई के सुधरे हुए तरीकों का प्रबन्ध कर दें, किन्तु जनता अपने पुराने तरीकों पर ही चलती रहे और इन नये तरीकों से काम न ले तो इन पर किये गये खर्चे और कोशिशें बिल्कुल बेकार हो जायेंगी।

(ब) शुरू में ऐसे जानकार लोगों को बाहर से लाकर साधारण मशीनों या औज़ारों, कुओं, सिंचाई के साधनों आदि को चलाने के लिए रखना पड़ेगा जो इनकी देखरेख और ज़रूरी मरम्मत आदि करके उनको बराबर चालू हालत में रख सकें। किन्तु इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे जानकार लोग केवल प्राविधिक

---

[1] असल में बाद में हमें बिना जांच-पड़ताल किये ही बहुत से कामों को शुरू कर देना पड़ा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

योग्यता और कुशलता के लिए ही न चुने जाय, बल्कि उनमें यह योग्यता भी होनी चाहिए कि वे यहाँ के गाँव वालों को उन यंत्रों को ठीक से चलाने का काम सिखा सकें ताकि आगे चलकर गाँववाले स्वयं इन कामों को चालू रख सकें। कार्यक्रमों को नियमित रूप से चालू हालत में रखना बहुत ज़रूरी है। यदि इस बात पर ध्यान न दिया गया तो जो मशीनें आदि काम में लाई जायेंगी वे ठीक से काम न दे सकेंगी और उन्हें समय के पहले ही बदलना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि वे बेकार हो जायें और निकम्मी हालत में पड़ी रहें या हानिकारक साबित हों। किन्तु यदि उनकी देखरेख ठीक से होती रहेगी तो उन पर पड़ने वाले खर्च में बहुत कमी हो जायेगी। और शुरू शुरू में तो बहुत ही मामूली मशीनों, औजारों को काम में लाना चाहिए।

(स) सहकारी कार्य को बढ़ावा देने के लिए सुधरे हुए खेती के कामों को शुरू करना—उपज के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। अमेरिका के कृषि विभाग में काउण्टी एजेण्टों (ब्लाक के प्रसार कार्यकर्त्ताओं) की एक बहुत ही अच्छी प्रणाली मिलती है। यह लोग गाँव में जाकर केवल उपदेश ही नहीं देते बल्कि गाँववालों से बराबर मिलते रहते हैं, उनके सवालों का जवाब देते रहते हैं, गाँववालों के कामों में अपनी निजी रुचि दिखाते हैं और इस तरह खेतिहरों के मित्र होकर उनका विश्वास प्राप्त कर लेते हैं। सम्भव है इस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चालू हो। यदि नहीं है तो वहां इसी तरह की कोई प्रणाली चालू करना जरूरी है।

मैंने यहाँ भौतिक कार्यक्रम और उसके व्यावहारिक उपयोग पर इसलिए जोर दिया है कि वस्तुतः ये दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। शुरू से ही हम इन बातों को एक साथ मिलाकर चलाने की कोशिश करेंगे। मेरी अपनी योग्यता और अनुभव तो नियोजन और गृह-निर्माण के कार्य तक ही अधिकतर सीमित है। किन्तु व्यवहार वाले दूसरे पहलू से भी मेरा काफी सम्बन्ध रहा है। मैंने इसे व्यावहारिक रूप में देखा है। और मैं जानता हूँ कि यह कितने अधिक महत्त्व का है।

इतनी अधिक दूरी पर बैठकर मैं इस मसले के सम्बन्ध में जो कुछ भी देख समझ सका हूँ यह उसकी साधारण सी रूप-रेखा है। हो सकता है कि आपके मन में जो विचार हों उससे यह रूप-रेखा बिल्कुल भिन्न हो। किन्तु मुझे आशा है कि इसके द्वारा हम जल्द ही उस कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ व्यावहारिक और उपयोगी निर्णय कर सकेंगे।

आपका
अलबर्ट मायर

[४६-२]

[इस पत्र के बाद भारत जाकर अलबर्ट मायर को जाँच पड़ताल का काम शुरू करना पड़ा। भारत आने के एक महीने बाद अलबर्ट मायर ने अपने अमेरिकन मित्रों को एक सूचना-पत्र (न्यूज लेटर) लिखा (बाद में उन्होंने इसी तरह के अनेक सूचना-पत्र भेजे।]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नई दिल्ली, भारत
अक्टूबर २७, १९४६

....मैं पहले पहल करांची पहुँचा। वहाँ से मैंने श्री नेहरू को एक तार भेजा। हवाई जहाज को दिल्ली होते हुए जाना था। मुझे दिल्ली में एक रात बितानी थी। मैंने सोचा कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से लखनऊ में जाकर मिलने के पहले नेहरू जी से मिल लूं तो अच्छा होगा। मैंने उनको लिखा था कि मैं उनसे कब और कहाँ मिलूँ। इसकी सूचना वे मुझे शाम के ७.०० बजे होटल में दे सकें तो अच्छा हो। मैं होटल ७.०५ मिनट पर पहुँचा। और पहुँचते ही मुझे बताया गया कि ठीक ५ मिनट पहले पंडित नेहरू ने मुझे फोन किया था। उन्होंने मुझे रात को खाने पर आने का निमन्त्रण दिया था। इसके बाद दूसरे दिन भी कलेवा के समय में उनसे मिला।

उस समय नेहरू जी बड़े महत्त्व के कार्यों में लगे हुए थे। क्रांतिकारी घटनायें घट रहीं थीं। मुस्लिम लीग से समझौते की बात चल रही थी। ऐसे अवसर पर भी उन्होंने मुझे केवल मिलने का समय ही नहीं दिया, बल्कि मेरी बातों को ध्यान से सुना और साथ ही यह भी बताया कि मैं दिल्ली में कुछ लोगों से मिल लूँ। उन लोगों के बारे में उन्होंने बहुत-सी बातें भी बतलाईं। और अपने सचिव को आदेश भी दिया कि वे उन सब लोगों से मेरे मिलने का प्रबन्ध कर दें। उस दिन संयोग से पंत जी दिल्ली में थे। मेरे आने के पहले ही नेहरू जी ने यह प्रबन्ध कर दिया था कि मैं दूसरे दिन सबेरे पंत जी से मिल सकूं। नेहरू जी ने मुझसे यह भी कहा कि मैं दिल्ली से जाने के पहले गांधी जी से भी मिल लूँ और उन्होंने गांधी जी से मेरे मिलने का प्रबन्ध भी कर दिया।

मैं इस बीच में बहुतों से और बहुत तरह के लोगों से मिला। उनकी योग्यता, विचारधारा, कार्यशक्ति, और लगन का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। योजनाओं, आशाओं और द्विविधाओं से वहां का वातावरण गूंज रहा था। फिर भी वहाँ काफी गम्भीरता और आत्मविश्वास था। एक नये राष्ट्र का जन्म हो रहा था। लोग मुझसे बहुत बड़े काम की आशा कर रहे थे। किन्तु मैं जो कुछ कर सकता था वह उनकी आशाओं से बहुत कम जान पड़ा। और यह अन्तर इतना अधिक था कि जब मैंने काम पर उसकी असलियत की नज़र से विचार किया तो मैं बहुत डर-सा गया। मेरे मन में यह विचार उठा कि मैं अपने संदेहों को उनके सामने साफ साफ रख दूं, उनसे माफी माँग लूं और अमेरिका वापस लौट जाऊँ। मेरे अनुभव की कमी यहाँ के अपने काम में इतनी अधिक बाधायें डाल सकती थी; जितना न मैंने पहले महसूस किया था न वे लोग ही समझ सके थे।

दूसरे लोगों को जिन कामों में सफलता मिली है या वे जिन कामों में असफल हुए हैं, उनका कारण वहाँ के सामाजिक और आर्थिक ढांचे रहे हैं। मैं उन ढांचों को न तो प्रभावित ही कर सकता था और न उन पर काबू ही पा सकता था। साथ ही मैं उनको ठीक से समझ भी नहीं सकता था। पिछले दिनों की कई मुलाकातों और अध्ययन से मैं इसी नतीजे पर पहुँचा था। यह हो सकता था कि काम में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँ वैसे ही वैसे मुझे सफलता मिलती जाय। किन्तु यह भी हो सकता था कि काम शुरू करने पर मैं बिल्कुल निकम्मा साबित हो जाऊँ और मुझे यह काम छोड़कर हट जाना पड़े।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मैं इन भेंटों और बातचीतों में से एक का विवरण नीचे दे रहा हूँ। यह बातचीत उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पंत से हुई थी।

मुख्य मंत्री पंत एक बहुत ही आश्चर्यजनक वयोवृद्ध पुरुष हैं। मुझे बताया गया था कि वे एक संत हैं। मुझे बताया गया था कि पंत जी पहले बहुत ही धनी थे। किन्तु सब कामों को छोड़कर वे तन-मन-धन से जनसेवा में लग गये। और इतनी अधिक बार जेल गये कि वह एक दम निर्धन से हो गये। वह मुझसे इतने अधिक काम की आशा लगाये हुये बैठे थे कि उनकी बातें सुनकर मैं गद्‌गद हो गया। योजना बनाने वाले के दिमाग और काम के बारे में उनकी बहुत ही काव्यात्मक और कलात्मक धारणायें हैं। योजना सम्बन्धी बातों की विशेषताओं का उनको कोई वज्ञानिक अनुभव नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि जिस काम को शुरू करने के लिए मैं बुलाया गया हूँ, उसके लिए वह बहुत ही उत्सुक हैं। किन्तु उन्होंने इसके साथ यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि मैं सबसे पहले एक दूसरे काम को कर दूँ, क्योंकि वह इस दूसरे काम को सबसे अधिक महत्त्व देते हैं। उन्होंने बतलाया कि कुछ ही वर्षों में कानपुर शहर की जनसंख्या तिगुनी हो गई है। कानपुर उत्तर प्रदेश के शहरों में सबसे बड़ा है। भारत के सबसे बड़े औद्योगिक केन्द्रों में कानपुर का एक खास महत्त्व हो गया है। इस समय इस शहर में अधिक जन-संख्या के कारण बहुत बड़ी गड़बड़ी मच गई है। इसे दूर करने के लिए नई योजना बनाकर कानपुर शहर का सुधार करना सबसे अधिक आवश्यक हो गया है। उन्होंने बतलाया कि कानपुर का काम बेहद ज़रूरी है। उसे बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। उसके सम्बन्ध में पहले भी योजनायें बनाई जा चुकी हैं। किन्तु उन्होंने मेरे आने तक इस काम को रोक रक्खा है। मैंने उनको यह समझाने की कोशिश की कि मैं एक विदेशी आदमी हूँ। अकेला हूँ। इतने थोड़े समय में मैं इतने पेंचीदे काम को आसानी से सुलझा न सकूंगा। उन्होंने कहा कि वे इस बात को समझते हैं। किन्तु साथ ही उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर डाला कि मैं कम से कम इस मामले की जांच पड़ताल करके उन्हें असली हालत का पता तो दे ही दूं। इसलिए अब मैं कल कानपुर जाऊँगा। लखनऊ की बात पीछे देखी जायेगी। इतना ही नहीं। उन्होंने मुझे यह भी बतलाया कि उन्हें तुरन्त ही एक भूतत्व वेत्ता (धरती के बारे में जानने वाले) की सबसे अधिक आवश्यकता है। वे उससे उत्तर प्रदेश की धरती के बारे में सर्वेक्षण कराके धरती के भीतर की चीजों की जांच पड़ताल कराना चाहते हैं। किन्तु सबसे पहले वे यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जांच पड़ताल करके एक ऐसे अच्छे स्थान को खोज निकाला जाय, जहां सीमेन्ट का कारखाना चालू किया जा सके। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किसी अच्छे भूतत्त्व वेत्ता का नाम बताऊँ। उसे तार भेजकर उससे यहां आ कर काम करने की शर्तें तय कर लूं। साथ ही उन्होंने इस बात पर ध्यान रखने के लिए भी कहा कि भारत एक ग़रीब देश है (और शायद बहुत अधिक वेतन न दे सकेगा) (सीमेन्ट के कारखाने के बनाये जाने और उसमें लगने वली मशीनों की रूप-रेखा तैयार करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बातें कीं। मुझसे यह भी कहा कि इस काम को करने के लिए मैं किसी आदमी को बताने की भी बात सोचूं। अस्तु, आप लोगों को यहां की स्थिति और वातावरण का इससे पता तो चल ही जायगा।

[४६-३]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[जिस समय मेरी ये भेंटें चल रही थीं, उसी समय भारत को बहुत ही बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।]

अनेक कारणों से विश्व युद्ध के पहले के मुकाबले में उस समय भारत में भोजन की समग्री, कपड़ा और मकान बनाने के समानों के उत्पादन की बहुत कमी पड़ रही थी। असल में सबसे बड़ी चिन्ता का कारण यह था कि जितनी भूमि पर पहले खेती होती थी उससे अधिक भूमि पर खेती तो होने लगी थी, पर खाद्यानों के उत्पादन में कमी हो गई थी। अनाज के दाम बहुत बढ़ गये थे। इस कारण किसानों को कम मेहनत करने पर भी बहुत अधिक आमदनी होने लगी थी। इस बढ़ी हुई आमदनी के हिसाब से भारत के एक साधारण किसान की न तो आवश्यकतायें ही बढ़ी थीं और न उसने अधिक अच्छे रहन सहन के ढंग को अपनाने की बात ही सोची थी। इन कारणों से मकान बनाने के सामानों की और कपड़े की अधिक मांग न हो सकी थी। इसका फल यह हुआ कि आम तौर पर किसानों में अधिक लगन से काम करने का उत्साह नहीं बढ़ा। और न उन्होंने अधिक अन्न उपजाने की ओर ही विशेष ध्यान दिया। इस सम्बन्ध में मैं यह जरूर कहूँगा कि पड़ती और बंजर भूमि को ट्रैक्टरों द्वारा खेती के योग्य बनाने वाले बहुत से बड़े पैमाने के काम खूब सफल रहे। किन्तु सब मिलाकर जो भी काम हुआ, वह बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता।

यह सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान भर में और खासकर गांवों में बहुत अधिक सामाजिक और आर्थिक असमानता है। यह असमानता सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। इसके बारे में बहुत से काम किये गये हैं। कुछ तो विधान सभाओं द्वारा नीति के रूप में किये गये हैं, और कुछ आंशिक प्रयास के रूप में। ईश्वर ही जानता है कि ठोस रचनात्मक कार्यक्रम इस असाधारण परिस्थिति की आकस्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो भी सकेगा। गांव में बहुत अधिक संख्या पिछड़ी जातियों की है। इनमें से अधिकांश ऐसे मजदूर हैं जिनके पास खेती के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। अनेक स्थानों पर ये अपनी मांगों को खुलकर सामने रखने लगे हैं, क्रियाशील हो गये हैं और अपनी बातों को ज़ोर देकर मनवाने के लिए उतारू हो गये हैं। खास बात यह है कि इन वर्गों में ही उनके अपने नेता पैदा हो गये हैं और उन नेताओं के बल पर वे अपनी आवाज़ ऊँची उठाने लगे हैं। किसी किसी स्थान पर दंगे भी हो गये हैं। इन दंगों में से कुछ तो बहुत ही भीषण हैं। अनेक मामले ऐसे भी हुए हैं जिनमें उन्होंने अपनी मांगों को स्वीकार करा लिया है। और यदि संख्या के हिसाब से विचार किया जाय तो इनका अपना महत्त्व भी है। उदाहरण के लिए ८ आना प्रति दिन से बढ़ाकर उनकी मज़दूरी १२ आना या १ रुपया कर दी गई है। किन्तु रुपये की क्रय शक्ति की दृष्टि से यह बहुत ही कम है। यह कहा जाता है कि ऐसी गड़बड़ी के समय बहुत से राजपूतों ठाकुरों और ब्राह्मणों को अपने खेतों को खुद अपने ही हाथों जोतना पड़ा। इतिहास में यह बात पहली ही बार हुई है। इसके पहले ब्राह्मण और क्षत्रिय हल को हाथ भी न लगाते थे। भारत में जाति व्यवस्था का बहुत ही कड़ाई से पालन किया जाता है, किन्तु अब वह कई तरह से टूट रही है।

[४८-१]

[उस समय प्रदेश की प्रान्तीय सरकार के सामने काम करने की योजनाओं की कमी नहीं थी]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश की सरकार के पास ३०० पृष्ठ की एक पुस्तक है। इसमें विश्व युद्ध के पहले की योजनाओं का संग्रह है। ये योजनायें सरकार के भिन्न भिन्न विभागों द्वारा बनाई गई थीं। इनमें से बहुत-सी योजनाओं को सरकार ने मंजूर कर लिया है और वे शुरू की जायेंगी। सरकार के पास जल विद्युत सम्बन्धी कुछ योजनायें हैं। वे राज्य के सिंचाई विभाग द्वारा बनाई और शुरू की गई हैं। इसके अलावा उद्योग विभाग या कृषि विभाग भी कारखाने खोलकर या उन्नति-शील खेती के तरीकों द्वारा उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे विभाग भी इसी तरह की चीजें करना चाहते हैं। सहकारिता मंत्री श्री कैलाश नाथ काटजू ने अनेक विषयों की एक लम्बी सूची तैयार की है। उससे पता चलता है कि वे बहुत ही योग्य और बहुमुखी प्रतिभा वाले हैं। डाक्टर काटजू ने यह सुझाव दिया है कि एक विकास बोर्ड स्थापित किया जाय जो इन योजनाओं पर विचार करे, उन्हें चुने, यह तय करे कि कौन-सी योजनायें पहले शुरू की जायं और कौन-सी बाद में।

इस तरह का काम होना बहुत ही जरूरी है। किन्तु इससे भी अधिक काम करना है। इस बोर्ड का काम तो केवल योजनाओं को छांटना होगा और उनके बारे में अपना निर्णय देना होगा। इसका कारण यह है कि ये सारी योजनायें अलग-अलग बनाई गई हैं। बहुत-सी योजनायें एक दूसरे से मिलती जुलती और एक ही तरह की हैं। उन पर अलग अलग विचार हुआ है और अलग अलग वे पेश की गई हैं। ऐसी दशा में सबसे जरूरी बात यह है कि सारी योजनाओं पर विचार करके एक पूरा कार्य-क्रम तैयार किया जाय जिसमें अलग अलग सोची गईं योजनाओं का समन्वय हो। इस प्रकार एक आदर्श योजना तैयार की जाय और तब हर एक विभाग को उससे सम्बन्ध रखने वाली योजनाओं को कार्यरूप में परिणत करने के लिए बांट दिया जाय। [४६.४]

[पहली बैठकों में यह आशा नहीं की जा सकती कि कार्य-क्रम का अन्तिम रूप निश्चित किया जा सकेगा। किन्तु इतना तो होगा ही कि शुरू में आपस में जो बातें होंगी उनसे कार्यक्रम का अन्तिम रूप कुछ निखर जायगा।]

छोटे-छोटे क्षेत्रों में जांच पड़ताल की योजना चलाई जाय। साथ ही प्रतिदिन के जीवन और कार्य-व्यापार में हुए ऐसे सुधारों का मेल बैठाया जाय, जिनके बारे में काफी जानकारी है, पर जो एक दूसरे से अलग-अलग हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो भी आधार या बुनियाद मुझे मिलेगी उसमें इन दोनों बातों को आगे बढ़ाऊँगा। भारत के ८० या ९५ प्रतिशत आदमी ऐसे हैं जिन के प्रतिदिन के रहन सहन का साधारण दर्जा बहुत ही नीचा है। उनको जीवन की बहुत-सी साधारण सुविधायें भी नहीं मिली हैं, और जो कुछ सुभीते उन्हें मिले भी हैं वे बहुत ही नीचे दर्जे के हैं। जो आदमी उनके बीच में रहकर उन बातों का अनुभव नहीं कर चुके हैं, उन्हें उनके बारे में समझना सोचना भी कठिन है। यह परिस्थिति हमारे देश (अमेरिका) की जनता के शायद बहुत ही थोड़े लोगों के सामने है। पर विश्वयुद्ध के कारण योरोप के बड़े भाग में भी शायद यह पाई जाती है। भारत में तो यह एक चिरस्थायी दशा है। भारत की जनता का बहुत बड़ा भाग उसका शिकार है। इस विपत्ति के साथ ही नीचे लिखी कठिनाइयां भी सामने आ रही हैं। पूंजी की बिल्कुल कमी। विकास सम्बन्धी साधनों का अभाव। दाम देकर यदि जनता खरीद भी सके तो अच्छी चीजों का न मिल सकना। ऐसी चीजों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को तैयार करने वाले कल-कारखानों का न होना। ऐसी दशा में उन चीजों को तैयार करने का कार्यक्रम बनाना अपने को धोखा देना होगा, जिनको अमेरिका में हम लोग प्रतिदिन के जीवन के लिए आवश्यक समझते हैं। फिर भी भारत में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो साधारण आदमियों के प्रति दिन के जीवन में काम में लाई जाती हैं। वे जीवन के ताने-बाने में मिली हुई हैं और अनेक वर्षों तक उनका यही हाल रहेगा। मैं ऐसी ही चीजों के बारे में अधिक व्यावहारिक उद्योग करना पसन्द करूंगा।

अनेक तरह के सुधार सफलतापूर्वक देश के अनेक स्थानों में अलग-अलग किये गये हैं। किन्तु उनका उपयोग केवल कुछ ही स्थानों पर बहुत ही संकुचित रूप में हुआ है। और जिसने जिस सुधार को आरंभ किया, वही उसके उपयोग को जानता है। इस तरह के सुधारों और मसलों को इकट्ठा करना होगा, उनकी जांच करनी होगी और उनके सम्बन्ध की जानकारी ठीक से सबमें फलानी होगी। [४६.४]

गांव में जाकर खोज बीन

[१९४६ का शरद् काल कानपूर शहर के लिए प्रमुख योजना की रूपरेखा बनाने में बीता। प्रान्तीय गृह-निर्माण और नगर-निर्माण कार्यालय सम्बन्धी सुझावों की तैयारी करनी पड़ी। इसी काल में नगरों की बेहद बढ़ती हुई जन-संख्या और उनके पुर्ननिर्माण के कामों से सम्बन्ध रखने वाली योजनाओं पर भी योजना तयार करनी पड़ी। इस बीच भी मैंने अधिक ध्यान गांवों के सवालों को हल करने वाले मसलों पर केन्द्रित रक्खा।]

[इसी साल के अंत में मुझे भारत के अनेक छोटे बड़े गांवों का अध्ययन करने में बिताना पड़ा, इनमें कहीं बड़े राजपथ थे, कहीं-कहीं पगडंडिया मात्र और बहुत से ऐसे गांव भी थे जिनके आस पास किसी तरह की सड़क नहीं थी।][२]

शुरू में हमने कुछ आदर्श गांवों को विकसित करने का विचार किया था। यह आदर्श गांव अपने खास वातावरण और भौतिक रूप के अनुसार चुने जाने वाले थे। लेकिन इनकी स्थापना के पहले हमने देहात में जाकर तीन महीने तक खोज बीन इसलिए करना उचित समझा कि क्या इस तरह के आदर्श गांव स्थापित करना ठीक होगा और यदि सम्भावना हो तो किस तरह से काम शुरू किया जाय। इस जांच पड़ताल के बीच में यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि आदर्श गांव का स्थापित करना केवल दिखावटी प्रयास होगा। इस तरह के गांवों का स्थापित करना ऊपर से लादी हुई चीज की तरह

---

[२] १९४६ में भारत में जो सड़कें और रास्ते थे उनका विवरण आगे दिया गया है। गांव में जाकर उसकी पहली खोज बीन के समय मुझे अनेक पथ-प्रदर्शकों की सहायता मिली थी। इन सब में श्री हरी राम जोशी सबसे उत्तम सिद्ध हुए थे। वह बहुत ही अनुभवी, कार्य कुशल और हर एक चीज को पैनी दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति थे। इस गहरी छान बीन और व्यावहारिक अध्ययन के फलस्वरूप इटावा योजना के जो सुझाव सामने आये उनमें से अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव जोशी जी के दियें हुए थे सरकारी काम से अवकाश प्राप्त करने तक वे सहकारी विभाग में डिप्टी रजिस्ट्रार रहे। गांव के सुधार और उत्थान के बारे में बराबर उनसे विचार विमर्श करता रहता था।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

होगा, जिसकी जड़ें देहातों में जमने न पायेंगी। यह अलग-अलग की गई कोशिशों का नमूना तो ज़रूर होगा, किन्तु राष्ट्र इस नमूने के अनुसार सभी गांवों में सुधार न कर सकेगा। भारत में तो इस तरह की नई सामाजिक, आर्थिक और उत्पादक बुनियाद डाल देनी चाहिए और इस तरह का वातावरण तैयार कर देना चाहिए कि नमूने के ये गांव उसके खास अंग बन सकें।

इसके भी बहुत अधिक सबूत मिल चुके हैं कि अलग-अलग किये गये एकांगी सुधार बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। ऐसे गांव मिले जिनमें कुछ समय पहले ईटों की सड़कें बना दी गई थीं किन्तु मरम्मत न हो सकने के कारण वे सड़कें बिल्कुल खराब हो गईं। जनता के लिए सुधरे हुए पाखाने तैयार किये गये थे, किन्तु जनता ने कभी उनका उपयोग न सीखा। कुछ गांवों के घरों में एक खास अफसर के दवाब से रोशनी और हवा पहुंचाने वाले प्रसाधन काम में लाये गये थे। किन्तु उस अधिकारी के वहां से हटते ही उनको एकदम बन्द कर दिया गया। एकांगी और ऊपरी तौर पर किये गये काम, जिनके लिए उचित वातावरण तैयार न कर लिया गया हो, कभी टिकाऊ नहीं हो पाते।
[५१.६]

[अनेक वर्ष पहले से बहुत से आदमियों ने और समुदायों ने तरह-तरह के उपाय बताये थे और गांव की समस्याओं के अनेक तरह के हल सामने रक्खे थे। गांव में जाकर देहाती मसलों के बारे में जांच पड़ताल करते समय इन सुझावों पर भी जांच करना था। कुछ अनुभव के बाद मैं समझ सका कि उनको दो या तीन वर्गों में बांटा जा सकता है।]

१—सरकारी विभाग जिन्होंने ढली ढलाई योजनायें तैयार कर रक्खी थीं पर जिन्होंने इस बात पर कभी विचार नहीं किया था कि उनका मेल जनता के बीच में किस तरह बैठाया जाय, न कभी यही सोचा था कि इन योजनाओं में बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार हेर फेर करके किस तरह उन्हें काम में लाया जाय। और न जनता को कभी उन योजनाओं के लिए तैयार ही किया गया था।

२—विचारक लोग, जिनके मन में बड़े सुन्दर सुझाव थे और जिन्होंने जनता को तयार और शिक्षित करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया था ताकि जनता स्वयं इन सुधारों के लिए उत्सुक हो उठे और किये हुए सुधारों का उचित उपयोग कर सकें और उन्हें ठीक से कायम रक्खे। किन्तु यह सब कैसे किया जाय, इसके बारे में इन विचारकों के मन में कुछ साफ सुझाव न थे। [४६.४]

सहकारी विकास कार्य

तीन महीने की इस जाँच पड़ताल मेंहमने यह भी देखा कि सरकार विकास के सम्बन्ध में बंधे हुए ढर्रे पर प्रतिदिन जो काम चलाती रहती है उससे बहुत ही कम लाभ होता है। जो तरीके काम में लाये जाते हैं और जो सरकारी रवैया रहता है, उसमें कोई जान नहीं दिखाई पड़ती। सारा काम, सारी बातें निर्जीव-सी लगती हैं। हमें पता चला कि जो काम हो रहा है (या जिसका एकदम अभाव है) उसमें न तो कुछ भी उत्साह ही मिलता है और न असलियत से उसका कोई सम्बन्ध ही है। इसके **अनेक कारण हैं—**

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सरकारी कार्य में अविश्वास के कुछ कारण ये थे—सरकारी कर्मचारियों की अलग रहने की आदत, जनता के दृष्टिकोणों और उनकी ज़रूरतों के प्रति इन लोगों में दिलचस्पी का एकदम अभाव, व्यावहारिक अनुभव की उनकी कमी और गाँवों में ठोस काम करने के प्रति उनकी अरुचि। सरकारी नौकरी करने का एक मुख्य प्रलोभन यही होता है कि गाँव में जाकर जीवन न बिताना पड़े, मिट्टी और कीचड़ से हाथ बचे रहें और किसी तरह का छोटा काम न करना पड़े। [५२.१३]

सबसे अधिक हानिकारक बात यह थी कि गाँव में जाकर काम करने वालों को बड़े अधिकारियों से आदेश मिलते थे। इन आदेशों में यह बताया जाता था कि कितना काम किया जायेगा और किस तरह से उसे करना चाहिए। किन्तु आज्ञा देनेवाले इन बड़े अधिकारियों ने इस तरह का कोई भी काम खुद कभी किया ही नहीं था। इसलिए उनको इस तरह के काम का कोई अनुभव नहीं था। इस कारण काम को पूरा करने के समय के बारे में और काम की दूसरी बातों के बारे में उनका जो तख्मीना होता है वह बिल्कुल निरर्थक और असलियत से दूर होता है। गाँव में काम करनेवाला गाँववालों के बारे में कुछ बातें जानता ही है। किन्तु उससे इस काम के बारे में कुछ पूछा नहीं जाता। इसलिए काम को पूरा करने की उसकी कोई भी नैतिक और आध्यात्मिक ज़िम्मेदारी नहीं रहती। उसे अपनी बातों को बताने का कोई मौका भी नहीं दिया जाता। उसमें इतनी सूझ या साहस नहीं होता कि वह अपनी बात मनवाने के लिए जोर डाल सके। मज़े की बात तो यह है कि बड़े अधिकारी जब कहीं कुछ देखने जाते हैं तो पहले से ही उनके आने का ढिंढोरा पीट दिया जाता है। ऐसे मौकों पर गाँवों में सरकारी तौर पर काम करनेवाला बहुत अच्छे दिखावे का प्रबन्ध कर लेता है। इधर उच्च अधिकारी ऐसे दिखावों और प्रदर्शनों को बहुत पसन्द करते हैं और उसी से सन्तुष्ट हो जाते हैं। इस तरह बहुत आत्म प्रवंचना चलती है और सभी अपने को धोखे में डाले रहते हैं। किन्तु इन बातों का असर, गाँव वालों पर नहीं पड़ता। जनता खूब अच्छी तरह जानती है कि जो काम किये जा रहे हैं उनसे उनको लाभ नहीं होगा। यह कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पहले भारत में इसी तरह का दिखावटी काम हुआ करता था।

कभी कभी सरकार की ओर से खास कोशिशें भी की गई थीं। उत्तर प्रदेश में तो प्रायः कुछ काम हुआ था। १९३७ से लेकर १९३९ तक इसी तरह का एक प्रयत्न किया गया था जिसे "ग्राम सुधार" का नाम दिया गया था। उस समय कांग्रेस दल के हाथ में शासन की बागडोर आ गई थी। कांग्रेस इस समय सबसे शक्तिशाली दल था। इस दल के मुखिया थे महात्मा गांधी और पंडित नेहरू। सन् १९३७ के चुनाव में कांग्रेस दल की विजय हुई थी। किन्तु ब्रिटिश सरकार को युद्ध के समय कांग्रेस दल लड़ाई के कामों में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं हो सका। इसका फल यह हुआ कि उसे प्रान्तीय शासन से अलग होना पड़ा। किन्तु १९३७ से १९३९ तक प्रान्तीय शासन को चलाते समय कांग्रेस दल जो कुछ कर सकता था उसने गांव वालों के लिए करने की कोशिश की। इन दो वर्षों में कांग्रेस दल ने "प्रान्तीय ग्राम सुधार की" स्थापना की।

लेकिन उनका काम जनता के बीच जड़ न पकड़ सका। काम तो बहुत कुछ किया गया। किन्तु वह प्रायः निर्माण सम्बन्धी था जिसे लोग देख सकते थे। उन दिनों में ईंटों की सड़कें बनाई गईं, पाखाने तैयार किये गये और इसी तरह से बहुत से

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दूसरे काम हुए। इन सबके सुबूत आज भी देखने को मिल सकते हैं। किन्तु गांव वालों ने उनमें से किसी भी चीज का व्यवहार नहीं किया। उदाहरण के लिए एक गांव में "खुर पका," "मुंह पका" नामक पशुओं के रोग के इलाज के लिए "फुटपाथ" बना था किन्तु कई साल बीत जाने पर भी लोगों को इस बात का पता न था कि वह किस काम के लिए बनाया गया था।

"ग्राम सुधार" का काम कुछ और कारणों से भी सफल नहीं हो सका। यह काम व्यवस्थित ढंग पर नहीं चलाया गया था। कई ग्राम समूहों पर एक कार्यकर्त्ता रक्खा गया था। वह क्या काम करेगा यह अधिकतर उसकी इच्छा पर निर्भर था। कुछ गाँवों में काम बहुत कम था। किन्तु इन कामों का जनता के मन पर कोई असर नहीं पड़ा था। उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वे क्या क्या आशा लगाये बैठे हैं, उनके क्या विचार हैं यह जानने की कभी कोशिश नहीं की गई।

ऐसे भी कुछ काम थे, जो बहुत जल्दी में किये गये थे। ऐसा जान पड़ता है कि उनका भी असर जाता रहा। एफ० एल०ब्रायन का नाम भारत में मशहूर था। ब्रायन ने पंजाब में काम किया था। वे इंडियन सिविल सर्विस के उच्च अंग्रेज अधिकारी (जिलाधीश) थे। वे उत्साह और लगन से काम करने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने खास तौर पर गुरगांव जिले में बहुत-से ऐसे काम कराये, जिन्हें हर एक करना चाहता है। उन्होंने बहुत अधिक दबाव डालकर काम कराये। जिलाधीश के हाथों में बहुत शक्ति रहती है। एक जिलाधीश चाहे तो बहुत तरह के लाभ पहुंचा सकता है या लाभ पहुंचाने में रोक भी लगा सकता है। ऐसे अधिकारी का बहुत बड़ा दबाव हो सकता है। ब्रायन ने दो-तीन साल तक इसी ढंग से काम लिया। किन्तु जब वे गुरगांव से चले गये तो उनके द्वारा कराये हुए सब काम समाप्त हो गये और कुछ ही दिन बाद उन कामों का नामो-निशान भी न रह गया। वहां की जनता उनको करीब-करीब भूल ही गई। ब्रायन के कामों से यह शिक्षा मिलती है कि ऐसे कामों को कराने की कोशिश न करनी चाहिए जिनसे जल्दी लाभ होने लगे पर जो पक्की बुनियाद पर न खड़े हों। दबाव डालकर जल्दी काम कराने की कोशिश से स्थायी लाभ नहीं हो सकता।

ब्रायन ने अनेक अच्छे-अच्छे विषयों को काम के लिए छाँटा था, जसे सफाई सम्बन्धी निर्माण, हवा और रोशनी के अधिक अच्छे साधनों का उपयोग आदि-आदि। किन्तु गांव वाले इन बातों को बहुत जरूरी नहीं समझते थे। गांव वालों की जरूरतें कुछ दूसरी ही तरह की थीं। ऐसी दशा में इन कामों की कोई ठोस बुनियाद हो ही नहीं सकती थी।

ऐसा जान पड़ता है कि ब्रायन के काम से गाँव के उत्थान पर और गांव वालों के जीवन और विचारों पर कोई भी स्थायी असर नहीं पड़ा। फिर भी ब्रायन के उत्साह-पूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनकी पुस्तकों का सरकारी कार्यकर्त्ताओं और दूसरे लोगों पर, और खास तौर पर उच्च श्रेणी के व्यक्तियों पर काफ़ी असर पड़ा।

[५४.२]

गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्त्ता

"गांधीवादी रचनात्मक" कार्यकर्त्ताओं के कामों का मूल्यांकन निर्पेक्ष भाव से करना कठिन है। सबको कार्य की प्रेरणा और उत्साह देने वाले महान नेता महात्मा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गांधी और उनके अनेक अनुयायियों की अमिट छाप सभी के विचारों और कार्य-प्रणालियों पर पड़ी है। इसका कारण है उनकी सूझबूझ, विनयशीलता, सन्तों की तरह किसी काम में अपने को खपा देने की लगन और भारतवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं से अपने को पूरी तरह एकाकार कर देने की क्षमता। इसीलिये जनता के हृदय पर उनके कार्यों और विचारों की अमिट छाप है। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भारत में या संभवतः संसार भर में गांवों की सेवा के काम में उनकी-सी भावना बहुत आवश्यक है।

इसमें सन्देह नहीं है कि ऐसे भी आदमी हैं जो देहातों में जाकर व्याख्यान देते हैं और कहते हैं, "हमें अपने महान नेता की आन्तरिक भावना के अनुसार ही भक्ति और लगन से काम करना चाहिए और महात्मा जी को पूज्य दृष्टि से देखना चाहिए।" दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए ऐसी बातें तो सभी कहते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे व्याख्यानों का उल्टा ही असर पड़ता है। सुनने वाले मजाक उड़ाने लगते हैं; क्योंकि लोगों से यह छिपा नहीं रहता कि व्याख्यान देने वाले उस उपदेश पर खुद ही अमल नहीं करते। ऐसे व्याख्यान देने वालों से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता।

रचनात्मक काम करने वाले के लिये काम की मुख्य कसौटी नैतिकता है। सामाजिक और आर्थिक उन्नति को वह महत्त्वपूर्ण मानता है। पर उसी हद तक जहां तक उनसे जनता के नैतिक और आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि हो। चिन्ता और परिग्रह ही रचनात्मक कार्यकर्त्ता के दो शत्रु हैं। क्योंकि इनसे नैतिक भावना के बढ़ने में विघ्न पड़ता है।

गांव की जनता से अच्छी तरह आत्मीयता स्थापित कर लेना रचनात्मक कार्यकर्त्ता के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण बात है। सभी लोगों की कठिनाइयों को अपनी ही कठिनाइयां समझ कर उनके सुख दुःख में पूरी तरह से शामिल होना ही जनता से एकाकार स्थापित करना है। गांधी जी ने इसी बात को व्यावहारिक रूप में सामने रक्खा था। और आमतौर पर जनता से आत्मीयता का यही मतलब है। जनता से आत्मीयता स्थापित करके ही नम्रता और विनयशीलता से देहाती बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किन्तु मुझे इसमें यह खतरा भी जान पड़ा कि कहीं जनता की कठिनाइयों से अति-एकाकार न स्थापित करने की कोशिश की जाय और अभावों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर न समझा जाय। ऐसा न हो कि अत्यन्त अभाव वाले दुःखमय और सादे और कम खर्चीले जीवन बना डाले जायें ताकि उन्नति और सुधार करने की ज़रूरत ही न महसूस हो। मैंने देखा कि उत्पादन को बढ़ाकर उन्नति करने वाले मसले पर खास जोर नहीं दिया जा रहा है। रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं की देख-रेख में ऐसी कोई भी योजना चालू नहीं की गई है जिसमें खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई ठोस और सुव्यवस्थित क्रम-बद्ध काम किया जा रहा हो।

मैं गांधी जी से मिला। मेरे मन में उनके और उनके उपदेशों के लिए बहुत पूज्य-भाव उत्पन्न हुआ। मैं उनके संत-भावना वाले कुछ अनुयायियों से भी मिला। मैंने महसूस किया कि उनकी नजर में दुनियां में इतने संत-भावना वाले लोग हैं जितने सचमुच हैं नहीं। इन भेंटों से मैंने यह तय किया कि ऐसे आदमियों पर भरोसा करके उनसे काम लिये जाने की योजना बनाई जाय जिनसे हम अधिक काम की आशा करें पर इतने अधिक काम की भी आशा न करें जो सामान्य लोगों के लिए असम्भव हो।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यह तो सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय जीवन के पुनर्निर्माण के लिए बहुत अधिक काम करने वालों की जरूरत पड़ेगी।

रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं का विश्वास है कि गांव वालों के जीवन में कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं जिनका स्थायी रूप से कायम रखना जरूरी है। उनके इस विश्वास में शंका करने का कोई कारण नहीं है। गांव एक ऐसा स्थान है जहाँ लोगों के आपसी सम्बन्ध निकटता के होते हैं। गांव वाले आपस में अपने भावों को खुलकर प्रकट करते रहते हैं, ऐसी दशा में शक्ति और महत्वाकांक्षाओं के प्रयोग इंसान की कमजोरियों से सीमित रहते हैं। किन्तु यह सब किस हद तक होना चाहिए, इस पर सवाल उठ सकते हैं :—अधिक आर्थिक हानि न उठाते हुए किस हद तक एक गांव आत्म-निर्भर रह सकता है या पुराने जमाने की तरह आत्म निर्भर बनाया जा सकता है ? कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ एक तरह का कच्चा माल अधिकता से पैदा होता है। उन स्थानों में उस माल से जो वस्तुएं तैयार की जाती हैं वे सस्ती और अधिक अच्छी होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक गांव ऐसे केन्द्रों से तैयार माल किस हद तक ले सकता है ? क्योंकि सस्ता माल लेने से उसकी जनता की योग्यता-कुशलता और सुख-सुविधा बढ़ेगी। सस्ती बिजली आदि के लेने से भी लाभ होगा। सवाल यह है कि एक गांव किस हद तक बाहर से माल और शक्ति को ले ताकि उसकी स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। उसकी नैतिकता कम न हो, उस गांव के काम करने वालों को नुक्सान न पहुंचे। जिस गांव में जो पैदा हो, जो आसानी से मिल सके उसी पर वहाँ वालों को गुजर करना चाहिए। यह है आत्म-निर्भरता। यदि इस तरह की आत्मनिर्भरता पर बहुत अधिक जोर दिया गया तो जनता का आर्थिक जीवन बहुत नीचा हो जायगा। समाज-कल्याण का स्तर बहुत नीचे गिर जायेगा। मेरे विचार से यदि जीवन-स्तर की यही हद बांध दी गई, तो संतुलित जीवन के निर्वाह के लिए यह बहुत ही कम होगी।

ग्राम उद्योगों को फिर से जीवित करने के कारण गांधी जी रुढ़िवादी नहीं कहे जा सकते। खास कर हाथ-कताई और हाथ की बुनाई को उन्होंने फिर से चालू किया। वे यह समझ गये थे कि स्थानीय उद्योग-धन्धे ही खासतौर पर आत्म संतोष देने वाले आत्म-प्रकाशन के ढंग हैं। इसके साथ ही यह बात भी सच है कि शहरों में ही पनपने और केन्द्रित होने वाले नये ढंग के कल-कारखानों में जो पूंजी लगाई जाती है, उसके मुकाबले में कुटीर या ग्राम उद्योगों में बहुत कम पूंजी लगानी पड़ती है। किन्तु उस समय जो ग्रामोद्योग चल रहे थे वे सब बहुत ही बुरी दशा में थे। उत्पादन का बढ़िया उचित रूप देने के लिए उनमें सुधार करने के लिए, या उनको फिर से संभाल कर अपने पांव पर खड़ा करने के लिए बहुत ही जोरदार उपायों से काम लेना होगा।

इसके अतिरिक्त रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं में क्रमिक लक्ष्य बनाते समय विभाजन करने या मूल्यांकन करने का एक दम अभाव था। रचनात्मक कार्यकर्त्ता इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं देते थे कि किसी खास समय में कोई आदमी किसी खास काम में कितनी दूर तक आगे बढ़ा है और उसके मुकाबले में उसे उस समय तक असल में कहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था। मुझे ऐसा समझ पड़ा कि आध्यात्मिक गुण और पद्धति पर दिये जाने वाले जोर के साथ उस जोर का मेल बैठाना जरूरी है जो किसी खास काम के पूरे किये जाने या उससे उचित फल निकालने पर दिया जाय। मुझे यह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

समझ पड़ा कि भारत की अत्यधिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन सबका मेल बैठाना जरूरी है।

मिश्नरी (ईसाई प्रचारक)

आत्म-त्याग और दृढ़ता और लगन से किसी काम को करने में मिश्नरियों से बहुत अधिक सीखा जा सकता है। इसके अलावा उनमें से कुछ लोगों ने भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे का विशेष रूप से अध्ययन किया था। उनकी जानकारी एक दम नई, ताजी और काफी मार्मिक है। अन्दर की असली दशा को साफ-साफ सामने लाकर रख देती है।

मिश्नरियों ने खास-खास क्षेत्रों में काफी काम किया है। फतेहगढ़ और बेलोर में उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग के अस्पताल खोल दिये हैं। एग्रिकल्चरल इंस्टीच्यूट की स्थापना उन्होंने इलाहाबाद में की है। पंजाब के मोगा स्थान में नवीन ढंग के ऊंचे दर्जे के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल खोले हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में और दूसरे स्थानों के गाँवो में "भारत-ग्राम-सेवा" की बुनियाद डाली है, जो उनकी खास देन है।

मिश्नरी लोग गाँवों में जो काम कर रहे हैं, उसमें तीन बहुत बड़ी कठिनाइयाँ सामने आती हैं। पहली तो यह कि मिश्नरी लोग यद्यपि व्यक्तिगत रूप से ईमानदारी और लगन से तो जरूर काम करते हैं, पर गाँव वाले इन मिश्नरियों के साथ आत्मीयता का अनुभव नहीं करते। इसलिये मिश्नरी लोगों का काम अक्सर गांव वालों के अन्तर में बैठ नहीं सका है। इसमें सन्देह नहीं कि एक-रसता के अनुभव में गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं का काम, मिशनवालों के काम के मुकाबले में बहुत सफल है।

दूसरी बात यह है कि मिश्नरी लोग शीघ्रता से तत्काल ही काम करने की जरूरत नहीं महसूस करते। मिश्नरियों को अपने उद्देश्यों और पद्धतियों में पूरा विश्वास है। धार्मिक बातों के अंतिम फल पर ही वह अधिक जोर देते हैं। और इन कारणों से वे आम तौर पर इस बात को भूल जाते हैं कि किसी निश्चित समय में कितना काम पूरा हो जाना चाहिए।

मिश्नरियों के विकास के कार्यों में तीसरी बात यह है कि वे स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर सरकार से अपने को अलग रखते हैं। बंधे हुए सरकारी ढांचे से स्वतंत्र रहकर काम चलाने का अपना एक महत्त्व है। इस तरह के काम में परीक्षण करने की छूट रहती है। और इसकी देश को जरूरत भी है। सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों में भी इस तरह की छूट की आवश्यकता है। किन्तु एक ऐसे देश में जहाँ जनता के हर काम में सरकार का हाथ रहता है और जहाँ कर्ज़ देने या पूर्ति के बहुत से कामों के लिये सरकार के अलावा दूसरे विश्वसनीय संगठन लगभग हैं ही नहीं, गाँवों के विकास के कामों को ठीक से चलाने के लिये यह जरूरी जान पड़ता है कि सरकारी विभागों से काफी आपसी मेल रक्खा जाय और कामों के बारे में एक दूसरे को जानकारी रहे।

(५४.१)

योजना के रूप का निखार

[जांच पड़ताल के इन तीन महीने के बाद मैं नई दिल्ली और लखनऊ लौटा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस बीच में मुझे काफी जानकारी हो गई थी। मैं फिर प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री से मिला। मैंने पहले जो सुझाव दिये थे उन पर बातें हुईं। और मैंने अपने सुझावों में काफी परिवर्तन किये। मेरी पहली योजना गाँव से सम्बन्ध रखने वाले गृह-निर्माण और नियोजन के सम्बन्ध में थी। अब यह साफ जाहिर हो गया कि मेरे ये सुझाव अधूरे थे। अब यह समझ पड़ा कि पहले हमें गाँवों के सामाजिक और आर्थिक विकास को पूरा करने के लिये कोशिश करनी होगी। इसके कई साल बाद गाँवों के निर्माण की योजना पर काम किया जा सकेगा। इसका फल यह हुआ कि हमें विकास की बुनियादी और अग्रगामी योजना की रूपरेखा तैयार करनी पड़ी।]

[केवल मुझे और पंडित नेहरू को छोड़कर शायद और कोई दूसरा यह बात नहीं जानता कि करीब एक घंटे तक गांधी जी के साथ इस योजना के बारे में मेरी बातें हुई थीं। पंडित नेहरू ने खास इसी काम के लिये गांधी जी से मिलने और बातें करने का प्रबन्ध किया था। गांधी जी ने बड़े ध्यान से मेरी सारी बातों को सुना और इस योजना को अपना आशीर्वाद और प्रोत्साहन दिया।]

लखनऊ
दिसम्बर २, १९४६
अलबर्ट मायर

ग्राम योजना और पुनर्निर्माण की प्रारम्भिक रूपरेखा

टिप्पणी : इस सुझाव का यही उद्देश्य रखा गया है कि खास तौर पर गाँव के निर्माण और सामाजिक पुनर्निर्माण पर जोर दिया जाय। यह योजना इस तरह बनाई गई है कि इससे जो फल निकलें, जो लाभ हों उन्हें गाँव वाले अपनायें, उसके महत्व को समझें और उसे अपने बीच कायम रक्खें। जांच पड़ताल, निरीक्षण और अध्ययन से इस बात का पता चल गया कि ग्राम-निर्माण सीधे इमारतों के निर्माण के मसले को हल करने से ही सफल नहीं हो सकता।

यह योजना एक बड़े पैमाने की है, पर इतनी बड़ी भी नहीं है कि इसको ठीक से सम्भाला और नियंत्रित न किया जा सके। और इसमें आवश्यक सुधार न हो सकें। इस समय पर यह योजना काफी लचीली है जिससे अध्ययन और जाँच के बाद उसमें रद्दोबदल की जा सके। साथ ही किसी भी समय और परिस्थिति में यह लचीली रहेगी और इसमें आवश्यक सुधार और रद्दोबदल हो सकेंगे।

तीन कदम

काम का पहला कदम आर्थिक है। अधिक तादाद में खेती, पशुपालन, मत्स्य-पालन से उपज बढ़ाई जाय और अधिक अच्छी चीजें पैदा की जांय। और इस तरह किसानों की आमदनी बढ़ाई जाय। पैदा किये हुए माल की खरीद-बिक्री के उचित प्रबन्ध के लिये सड़कों आदि में सुधार किया जाय। खेतों की चकबन्दी हो। आंशिक रूप में सामूहिक खेती को प्रोत्साहन दिया जाय। स्थानीय उद्योग-धन्धों में सुधार किया जाय और उन्हें अच्छे ढंग पर चलाया जाय। खासकर शुरू-शुरू में इन सारी बातों को एक ही जगह कराने की कोशिश न की जाय। किन्तु खास-खास स्थानों पर जहाँ जिस

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चीज को करने में अधिक सुभीता हो और जहाँ जिस चीज की जरूरत हो, वहीं वह चीजें अग्रगामी रूप में ठीक से की जायें। यह सारा काम ठीक उसी तरह का है जिस तरह के काम सरकार के अनेक विभागों द्वारा किये जाते हैं या जिनके करने का विचार किया जा रहा है। किन्तु यह काम इस तरह किया जायेगा कि इसे पहला आधार मानकर दूसरे अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आसानी से हम आगे बढ़ सकें। इस समय पर योजना या उन्नति के बारे में कोई खास प्रचार नहीं किया जायेगा। केवल इतना प्रचार जरूर होगा जितना कि हमारे इस पहले काम को पूरा करने के लिये जरूरी होगा। इस बीच में गाँव वालों को इस बात का पता भी न चलेगा कि हम एक व्यापक योजना लेकर चल रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि हम आसानी से समझे जा सकने वाले लाभों पर अधिक जोर लगायेंगे, जिससे हमें गाँव वालों की सद्भावना और विश्वास प्राप्त हो सके। और हम आगे के लिये इस तरह से रास्ते को साफ कर दें कि गाँव वाले सभी तरह के लाभों को भी स्वीकार करलें और उनके लिए हमसे मांग करें। हमारे प्रतिनिधि को गाँव वाले अपना मित्र समझने लगें। जो-जो आवश्यकताएं सामने आती जांय, उनको पूरा करने में हमारा प्रतिनिधि गाँव वालों की सहायता करे। पहले से ही वह गाँव वालों की आवश्यकताओं के बारे में तैयारी कर ले और आगे की सीढ़ी की तैयारी के लिये वह शिक्षा सम्बन्धी तरीकों को काम में लाये और उस क्षेत्र में काम करने वालों के साथ मिलकर काम करे।

यदि हम सफल हो गये तो तीसरे दौर में गांव के जीवन के हर पहलू में सुधार, को स्वास्थ्य, सफाई, घर और सामाजिक सुविधाओं आदि को गांव वाले न केवल स्वीकार ही करेंगे बल्कि उनके लिए मांग भी करेंगे। इस हद तक पहुंचते-पहुंचते हमारा काम ऐसा हो जाना चाहिए कि वह अपने आप आगे बढ़ता रहे और चालू रहे, जिससे हमारा खास जोर न रहने पर भी जो सुधार किये जा चुके हैं वे मिट न जायें। हमारे काम का फल यह होना चाहिए कि खुद गांव वाले ही काम में सहयोग दें और अन्त में खुद ही काम को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी लें।

हमने इन तीन कदमों का अलग-अलग वर्णन जरूर किया है, लेकिन काम करते समय वे एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। तीनों कदम एक दूसरे से मिले जुले होंगे और कई बातों में एक दूसरे के साथ ही चलेंगे, पर स्थान-स्थान पर मुख्य काम के क्रम और उनके बढ़ने की गति में भिन्नता होगी। क्योंकि एक तो अलग-अलग जगहों पर हम अलग-अलग तरीकों से काम करने की कोशिश करेंगे, और भिन्न-भिन्न स्थानों में इस काम के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग तरह की होंगी। हम आशा करते हैं कि जहां हमारा काम सब से अधिक सफलतापूर्वक चलेगा, वहां तीन से चार वर्ष के अन्दर हम अपने उद्देश्य को पूरा कर लेंगे। किन्तु दूसरे स्थानों में इससे अधिक समय लग सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुर्ननिर्माण का काम तब तक पूरा हो जायेगा। विकास सम्बन्धी विचारों को चाहे कितनी ही जल्दी क्यों न फैलाया जाय और उसके कारण गांव वालों की मांग कितनी ही तेज़ी से क्यों न बढ़े, गांवों के निर्माण का कार्यक्रम पूरा किये जाने के लिए आर्थिक और रुपये पैसे सम्बंधी सुविधाएं शायद ही पूरी पड़ें। किन्तु कुछ स्थानों पर हम अपने उद्देश्य को पूरा कर ही लेंगे।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लक्ष्य और कार्य-क्षेत्र

हम जिस पैमाने पर काम करेंगे, वह न तो इतना छोटा ही होगा कि बेकार हो जाय और न इतना बड़ा ही कि उसकी देख रेख कठिन हो। हमारा सुझाव है कि दो या तीन जिलों में दो-दो तहसीलें चुन ली जायें। हर तहसील में १००-१५० तक गांवों में काम किया जाय। इस तरह पहले साल ७०० से लेकर ८०० तक गांवों में काम शुरू किया जायेगा।[३]

एक या दो तहसीलों के सभी गांवों को लेकर उनमें पूरी ताकत लगाकर काम करने के बजाय हमने नीचे लिखे कारणों से इस दूसरे तरीके को अधिक अच्छा समझा—

हम यह चाहते थे कि हम ऐसे तरीकों को अपनाएं जिससे जिन गांवों में हम काम करें, उनके आस पास के गांवों में उत्सुकता पैदा हो और वहां वाले भी उस तरह के काम की मांग करें। इस तरह इस काम में दिलचस्पी लेने वाले गांवों की संख्या अपने आप बढ़ती रहेगी। हमारे काम की सफलता की यह एक कसौटी भी होगी। बाद में अध्ययन और जांच के बाद हमारे इस निर्णय में रद्दोबदल किया जा सकता है। कम से कम एक ज़िले में हम दूसरे तरीके पर भी काम करना चाहेंगे जिससे दोनों ढंगों का मुकाबला किया जा सके।

बुनियादी इकाई

ऐसे कई गांवों को हमने एक बुनियादी इकाई माना है जो केवल शासन प्रबन्ध की नजर से एक इकाई न हो बल्कि सामाजिक और सामुदायिक रूप में भी एक इकाई का काम दे सकें। इससे हमें ऐसी सामाजिक, सामुदायिक कार्य और सुविधायें मिल सकेंगी जो केवल एक अलग गांव में नहीं मिल सकतीं।

कार्य-पद्धति

१—गांव और समुदाय का स्तर

हमारी कार्य पद्धति का सार यह होगा कि गांव समूह या मण्डल के स्तर पर काम करने वाला हमारा प्रतिनिधि सब तरह के कामों का एक मात्र माध्यम होगा। उसी के जरिये से विकास विभागों की सभी तरह की सहायता गांव वालों तक पहुंचाई जा सकेगी। कृषि विभाग के कामदार या ग्राम सुधार के आर्गनाइज़र या दूसरे विभागों के प्रतिनिधि कभी-कभी गांवों में जाते हैं। उन्हें वेतन भी कम दिया जाता है। वे इतने योग्य भी नहीं होते। हमारे आदमी सदा गांव में ही रहेंगे और काम करेंगे।

हम इनके वेतन की दर इतनी अच्छी रखना चाहते हैं जिससे अच्छे योग्य व्यक्ति काम करने के लिए आसानी से मिल सकें। इस वेतन से ही वे अच्छी तरह जीवन

---

[३] शुरू में जितना बड़ा कार्य क्षेत्र चुना गया था वह बहुत अधिक बड़ा जान पड़ा। काम करते समय अन्त में हमने एक तहसील में १०० गांवों में काम शुरू करना ठीक समझा। तीन साल के बाद पांच जिलों के ७००,८०० गांवों में काम शुरू किया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बिता सकें और उन्हें घूस लेने या अनुचित रूप से जनता से रुपये ऐंठने की जरूरत न रहे। हमारा विश्वास है कि इस तरह के आत्म सम्मान वाले और ऊँचे नैतिक स्तर के वेतनभोगी सेवकों के एक दल को तैयार कर देना भारतीय जीवन के लिए हमारी खास देन होगी। हम चाहते हैं कि जनता उदासीनता और अविश्वास का अपना दृष्टिकोण छोड़कर सरकारी कार्य में पूरा विश्वास करने लगे।

जब हमारा आदमी गांवों में रहकर काम करने लगेगा, तब ग्राम सुधार आर्गनाइज़र या कामदार की जरूरत नहीं होगी। जनता के स्वास्थ्य और सफाई वाले मामलों को भी यह ग्राम सेवक देख लेगा। जब उसे किसी खास मौके पर किसी विभाग से विशेष सहायता या सलाह की जरूरत पड़ेगी तो वह उस विभाग के सबसे अच्छे अधिकारी की सहायता ले सकेगा। उदाहरण के लिए कृषि विभाग के फार्म सुपरिंटेण्डेण्ट, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कुटीर उद्योग के विशेषज्ञ से वह सहायता ले सकेगा। आज गांवों में जो बहुत से नीचे स्तर के लोग काम कर रहे हैं, उनके स्थान पर वह ऊंचे से ऊंचे स्तर के लोगों की मदद गांव वालों के लिए पहुंचा सकेगा। अभी तो यदि सुधरे हुए खेती के तरीकों को दिखाने की जरूरत पड़ती है तो गांव वालों को सरकार के किसी बहुत दूर वाले फार्म पर ले जाना पड़ता है। किन्तु हमारी योजना के अनुसार चुने हुए गाँववालों के खेत पर ही उत्तम तरीके की खेती कराई जायेगी और जरूरत पड़ने पर वहां वालों को उसी खेत पर ले जाकर दिखा देने से काम चल जायेगा। उन्हें दूर के ऐसे सरकारी फार्मों पर नहीं ले जाना होगा जिनके ऊंचे स्तर के कारण किसान उसका अनुसरण न कर सकें। विशेषज्ञ और गांव वालों दोनों को एक दूसरे की जरूरत है।

इस नये संगठन के कारण जो कार्यकर्त्ता खाली होंगे उनके वेतन की बचत के कारण ग्राम सेवकों के अधिक वेतन से होने वाला कुल व्यय बढ़ेगा नहीं। यह सोचा जा रहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वालों को १०० रूपये महीना दिया जायेगा और दो या तीन गांवों में काम करने वाले ग्राम सेवकों को ८० रूपये महीना दिया जायेगा। [यह धन वैसे तो कम ही मालूम होता है पर इस समय काम करने वालों को जो वेतन दिया जाता है उसके मुकाबले में हमारी दर ड्योढ़ी होगी।]

२—जिला और तहसील के संगठन

तहसील के स्तर पर एक विकास अधिकारी होगा। वह योजना भी बनायेगा और उसे चालू भी करेगा। व्यावहारिक रूप से काम किये जाने पर अधिक जोर दिया जायेगा। कम से कम शुरू-शुरू में जिले के लिये जो योजना बनेगी, उसे हम लखनऊ में तैयार करेंगे। किन्तु ऐसी योजना को तैयार करते समय जिले के प्रतिनिधि और जिले की विकास समिति से सलाह मशविरा जरूर लिया जायेगा। हम जो सुझाव देंगे उन पर इस समिति की टीका-टिप्पणी, आलोचना और स्वीकृति जरूर ली जायेगी। किन्तु ऐसा सोचा जा रहा है कि पहले उनसे योजनाएं नहीं बनवाई जा सकेंगी। क्योंकि यदि योजना बनाने का काम उन पर छोड़ दिया गया तो काम भारी भरकम हो जायेगा और ठीक से समय पर काम न हो सकेगा। किन्तु बाद में जैसे-जसे विचार, प्रयत्न और जल्दी काम करने की भावना लोगों में फैलती जायेगी, वैसे-वसे योजनाओं के बनाने का काम स्थानीय लोगों के हाथ में दे दिया जायेगा। काम करने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की शक्ति सुझाव, और प्रेरणा नीचे से ही ऊपर की तरफ आनी चाहिये। हर क्षेत्र वाले खुद काम करने के लिये हमें सुझाव देंगे।

३—जिलों की योजनाएँ

राज्य के जिलों के लिये हर विकास विभाग के पास कुछ अपनी योजनाएँ हैं। योजना के केन्द्रीय स्तर पर हम लोग इन योजनाओं को जांचना चाहते हैं। और समय और स्थान के विचार से उन योजनाओं का मेल अपनी योजनाओं से मिलाना चाहते हैं। यह सब हम उन जिलों के लिये करना चाहते हैं जिनमें हम काम करेंगे।

४—काम करने वाले और उनका नैतिक स्तर

हमारी योजनाओं और उनको कार्य रूप में लागू किये जाने की सफलता या असफलता शुरू में मुख्य रूप से हमारे कार्यकर्त्ताओं की योग्यता पर निर्भर होगी। जितनी ही अधिक नैतिकता और उत्साह को वे कायम रख सकेंगे, उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी।

यहां उत्साह पर अधिक जोर दिया गया है। यह कैसे किया जायेगा वह नीचे लिखे उदाहरणों से साफ हो जायगा।

अपने अनुभवों, विचारों, सवालों को एक दूसरे के सामने रखने और उन पर विचार करने के लिये कार्यकर्त्ताओं की सभाएँ करीब दो-दो महीने पर की जायेंगी। बाद के विकास और सामाजिक मेल मिलाप को बढ़ावा देने और उनके बारे में जानकारी कराने के लिये हम हर साल एक हफ्ता या दस रोज का समारोह करेंगे। इस तरह के समारोह में ऊपर से लेकर नीचे तक की सभी श्रेणियों वाले कार्यकर्त्ता आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। हम एक छोटा-सा साप्ताहिक भी निकालेंगे जिसमें कार्य की प्रगति की सूचनाएँ दी जायेंगी, समस्यायों पर हर पहलू से विचार किया जायेगा और व्यक्तिगत टिप्पणियाँ तो खास तौर पर छापी जायेंगी। गाँव या गाँव के समूह में अध्यापक, सरपंच, वैद्य, हकीम, स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले अधिकारी, कानूनगो आदि से हम सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से दो लाभ होंगे। हमारे काम में अधिक तेजी आ जायेगी। गाँवों में काम करने वाले हमारे कार्य-कर्त्ताओं का जीवन अधिक सुखमय और रोचक हो जायेगा और गाँव वाले उन्हें खुशी से अपना लेंगे। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि कार्यकर्त्ताओं की पत्नियाँ भी चालू काम में रुचि से सक्रिय भाग लें। ऐसा करने से उनका भी जीवन गाँव में सुखमय हो जायगा और वे भी गाँव वालों में घुलमिल जायेंगी। गाँव में अध्यापक का अपना खास स्थान होता है। उसे बहुत महत्त्वपूर्ण काम भी करना पड़ता है। किन्तु उसे वेतन बहुत ही कम मिलता है। ऐसी दशा में उसे प्रोत्साहन देने और उससे सक्रिय सहायता लेने के लिए, हम उसे दस से लेकर पंद्रह रुपये माहवार तक योजना की ओर से देंगे। कार्यकर्त्ताओं और स्थानीय नेताओं के लिए प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। हम एक-एक व्यक्ति से सीधा सम्बन्ध रखकर उनसे काम करायेंगे, साथ ही हम उन समूहों या वर्गों से भी सीधा सम्बन्ध रक्खेंगे जिनके बीच वे रहते हैं। जहाँ-जहाँ हम ऐसा कर सकेंगे, वहीं हमारे काम का प्रभाव सबसे अधिक पड़ेगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सर्वेक्षण

बुनियादी असली बातों (तथ्यों), आवश्यकताओं और विचार-धाराओं को जानने के लिए आरम्भिक सर्वेक्षण जरूरी है। फिर भी एक तो शुरू-शुरू में पूरी तरह से सर्वेक्षण करने में खर्च बहुत अधिक पड़ जायेगा, दूसरे जिन लोगों के बीच जांच पड़ताल की जायेगी वे घबड़ा उठेंगे। यह भी हो सकता है कि वे लोग हमें शंका की दृष्टि से भी देखने लगें। शुरू-शुरू की ऐसी जांच पड़ताल आम तौर पर बहुत ही गलत साबित हो सकती है। आरम्भ में जांच पड़ताल करने वाले लोगों को अनुभव तो रहता नहीं। इस कारण पूछतांछ से जो उत्तर मिलते हैं, उनकी सच्चाई और असलियत के बारे में वे ठीक-ठीक अंदाजा नहीं लगा सकते।

इन कारणों से हम अपने सर्वेक्षण को दो भागों में बाँट देंगे। पहली बार जो जांच पड़ताल की जायेगी उसमें केवल कुछ खास बातें ही ली जायेंगी। फिर अनुभवी जानकार लोगोंसे मिलकर उन बातों के बारे में छानबीन की जायेगी और तब पहली जांच से उसका मेल बैठाया जायेगा।

सम्भव है कि काम शुरू करने के तीन या छः महीने बाद हम खास तौर पर ठीक-ठीक सर्वेक्षण करें जिसमें ऊपर वाले दोष न आने पायें [काम की तेजी के कारण इस तरह का सर्वेक्षण पूरी तरह से कभी नहीं किया जा सका।] हम इस सर्वेक्षण के ढांचे को बहुत सोच-समझ कर तैयार करेंगे, और इसी की बुनियाद पर समय-समय पर अपनी प्रगति और काम की सफलता की जांच करते रहेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। देखेंगे कि किस हद तक काम में हमें सफलता मिली। बीच-बीच में होने वाला ऐसा मूल्यांकन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। हम ऐसे तरीके निकालेंगे जिनके कारण मूल्यांकन के काम में पक्षपात न हो। वह जांच ऐसी न हो जिसके द्वारा हम अपने काम का औचित्य साबित करें।

निर्माण सम्बंधी योजनाएँ : सामुदायिक सुविधाएँ

इसका उद्देश्य है गाँवों के भौतिक ढांचे को समझना और उसे फिर से तैयार करना। इसी तरह गाँव के सामाजिक जीवन को भी समझना होगा और उसका पुनर्निर्माण करना होगा। आज के गाँव का नक्शा बहुत ही भद्दा और खर्चीला है। गाँवों में बहुत-सी टेढ़ी-मेढ़ी सड़कें और गलियाँ हैं। बहुत-सी बेकार और अस्वास्थ्यप्रद खुली जगहें पड़ी हुई हैं जिनमें जगह-जगह पर टूटी-फूटी दीवालें खड़ी हुई हैं। बीच बीच में ऐसे गड्ढे भी हैं जिनमें पानी भर जाता है और मलेरिया के मच्छर पैदा हो जाते हैं। यदि हम गाँव के पूरे नक्शे पर ध्यान न दें तो पानी की निकासी के लिये बनाई गई नालियों आदि पर या स्वास्थ्य और सफाई सम्बंधी कामों पर शुरू-शुरू में जो खर्च पड़ेगा वह बहुत अधिक और व्यर्थ होगा।

खर्च

हमारे कार्यक्रम पर पड़ने वाला खर्च नीचे लिखे मदों पर होगा :—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१—केन्द्रीय और क्षेत्रीय कार्यकर्ता

जहाँ हम काम करेंगे वहाँ पर इस समय जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग अनावश्यक हो जायेंगे। उन पर इस समय जो खर्च हो रहा है उसमें बचत हो जायेगी। और हमारे कार्यकर्त्ताओं पर जो खर्च पड़ेगा, उसका कुछ भाग इस तरह की बचत से पूरा हो जायेगा।

२—खरीद, बिक्री और वितरण पर होने वाला खर्च

जहाँ हमारा काम शुरू होगा वहाँ इस तरह का काम शुरू-शुरू में करना होगा। काम चालू हो जाने पर इस मद पर पड़ने वाला खर्च कमीशन या दलाली की आय से पूरा हो जायगा।

३—निर्माण सम्बन्धी काम

यह दो तरह का होगा (अ) विभागों में पहले से ही जिस काम को करने का विचार किया गया है, उसे हम अपनी योजनाओं और आवश्यकताओं के अनुसार बदलकर अपना लेंगे। (ब) गाँव के पुर्ननिर्माण, सफाई, सामूहिक तथा मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाओं और गृह निर्माण की व्यवस्था करेंगे।

निर्माण सम्बन्धी काम पर पड़ने वाला खर्च तीन जरियों से आयेगा जो आपस में मिले जुले होंगे :—गांव से मिलने वाला अनुदान [और घरों के निर्माण के सम्बन्ध में व्यक्तिगत अनुदान] जो रुपये पैसे, श्रम या चीज़ों के अनुदान के रूप में होगा। ये तीनों तरह के अनुदान मिले जुले ही हो सकेंगें; जैसे चीज़ों की खरीद और बिक्री से होने वाला लाभ, सरकारी अनुदान और अनुसंधान।

अन्वेषण और समन्वय[४]

निर्माण सम्बन्धी काम के लिये हमें साधारण-सा अन्वेषण चालू करने की जरूरत पड़ेगी। यह पुर्ननिर्माण केवल भौतिक ही न होगा। इसका स्तर ऊँचा रखना होगा। पुर्ननिर्माण के दो भाग होंगे।

पहला संकलन :—अनेक स्थानों पर लोगों ने ग्राम जीवन और उसकी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अनेक उपायों और पद्धतियों को निकाला है, और सफलतापूर्वक काम करके भी दिखाया है। किन्तु जिस खास स्थान पर इस तरह का काम किया गया है, उसके बारे में दूसरे लोगों को बहुत ही कम जानकारी हो सकी है। हमारा विचार यह है कि इस तरह की लाभदायक सूचनाओं को इकट्ठा किया जाय, उनके हानि लाभ के सम्बन्ध में जांच की जाय और तुलनात्मक रूप से उनका अध्ययन किया जाय, ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि जिन जिलों में हमारा काम चालू होगा वहाँ उस तरह की चीज़ों की जानकारी का उपयोग किया जा सकेगा।

---

४ जिस तरह के अन्वेषण का यहां जिक्र किया गया है वह कई वर्ष तक पूरा नहीं किया जा सका। कई वर्ष बाद इस सम्बंध में कुछ काम किया जा सका था। सांतवा परिच्छेद देखिये।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दूसरा :—जहां तक सम्भव हो इन मामलों पर ठीक से प्रारम्भिक अन्वेषण का काम इस नज़र से आरम्भ किया जाय कि स्थानीय चीज़ों और कुशलताओं का अधिक अच्छी तरह उपयोग किया जा सके।[५]

इन दोनों बातों को साथ में लेकर चलने से हम अपना काम अधिक अच्छी तरह किन्तु काफी कम खर्च पर कर सकेंगे। इस अन्वेषण के बाद जो चीज़े सामने आयेंगी और उनसे जो बचत होगी उसके एक छोटे भाग से ही अन्वेषण के काम पर पड़ने वाला खर्च पूरा हो सकेगा। केन्द्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारें और उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर भारी-भारी वैज्ञानिक और प्राविधिक अन्वेषण कराने का विचार कर रहे हैं। हमारा अन्वेषण गांवों से सम्बंध रखने वाली बातों में, उन बड़े अन्वेषणों में सहायक ही सिद्ध होगा।

दूसरे विभागों का सहयोग

हमारी योजनाओं से दूसरें विभागों के कामों पर भी असर पड़ेगा। साथ ही उन विभागों के काम पर भी हमारा काम बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसी कारण बुनियादी परीक्षणों के आधार पर हमने आपसी सम्बंधों के बारे में सुझाव दिये हैं। सम्बंधित विभागों का पूरा-पूरा सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। विशेषकर जिले के स्तर पर आगे इस सम्बध में किसी तरह का भ्रम न पड़े, इसके लिए हम और अधिक नये संगठनों की स्थापना नहीं करेंगे। नये संगठनों की स्थापना केवल तभी की जायेगी जब ऐसा करना एकदम जरूरी समझ पड़ेगा।

वित्तीय (धन सम्बंधी) स्वीकृति के लिये इस योजना का अंतिम रूप में उपस्थित किया जाना

आशा की जाती है कि लगभग एक महीने में इस सुझाव के स्वीकृत हो जाने पर एक महीने के भीतर थोड़े से विशेषज्ञ काम शुरू कर देंगे। इसके बाद एक ज़िले के लिये पूरी योजना का अन्तिम विवरण वित्तीय स्वीकृति के लिये उपस्थित किया जायेगा और बाद में दूसरे जिले से सम्बन्ध रखने वाली अंतिम योजनाएं उपस्थित की जायेंगी और यदि सम्भव हुआ तो उसके बाद तीसरे जिले की योजनाएं भी बनाई जायेंगी। [४६.५]

[इस आरम्भिक रूपरेखा के बाद ही बाहर से चुने हुये अनुभवी विशेषज्ञों के एक छोटे से दल के बुलाये जाने के लिये सुझाव दिया गया; जिन्हें खेतीबाड़ी के कामों में, योजना बनाने में, शिक्षा में, या पानी की निकासी आदि के सुधार के बारे में विशेष जानकारी व अनुभव था। शहरी और देहाती विकास से सम्बंध रखने वाली प्रांतीय योजनाओं के बनाने के काम में शुरू-शुरू में मदद देने के लिये ही इन विशेषज्ञों से सहायता ली जाने वाली थी। विकास का यह काम जैसे-जैसे बढ़ता जायेगा, वैसे ही वैसे प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता बढ़ती जायेगी। इन कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिये भी इन विशेषज्ञों की मदद ली जायेगी।]

---

५ ऐसा अन्वेषण कभी नहीं किया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अमेरिकन मित्रों को लिखे गये एक सूचना-पत्र से

दिसम्बर ११, १९४६

....मैं जब इन योजनाओं पर विचार करता हूं तब मुझे अक्सर बहुत ताज्जुब होता है। जब भारत वालों ने मुझे पहले पहल बुलाया था, तब जो काम मुझे करना था उसके बहुत ही थोड़े से ऊपरी भाग को मैं देख और समझ सका था। आप जानते हैं कि समुद्र के बीच में बहने वाले बर्फ के पहाड़ का बहुत ही थोड़ा-साहिस्सा ऊपर देख पड़ता है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा तो समुद्र के पानी के नीचे रहता है। मुझे अब तक जो अनुभव था उसके बल पर मैं काम के बहुत ही थोड़े भाग को समझ पाया था, किन्तु अब आप समझ गये होंगे कि यह काम बर्फ के पहाड़ (Ice berg) की तरह बहुत ही भारी है।

मैंने मुख्य मंत्री जी के सामने बहुत ही डरते-डरते गांव-विकास की योजना को रक्खा। क्योंकि मैंने उनके साथ जो बातें की थीं, उनसे यह योजना बहुत-ही भिन्न थी, फिर भी उन्होंने उस काम को करने की स्वीकृति दे दी। अब मैं उस काम को पूरा करने में लग गया हूं। मैं उसे एक खास स्थान पर विशेष रूप से चालू करूँगा।

उस काम को पूरा करने वाले कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करूंगा। और खर्च का आय-व्यय पेश करूंगा। इस समय तक मैं उस काम को पूरा हो सकने की सम्भावना की सफलता और असफलता के झूले पर झोके खा रहा हूं। कभी कभी तो मैं यह आशा करके खुशी से झूम उठता हूं कि वह काम पूरा हो ही जायेगा। किन्तु अक्सर मैं निराशा की भंवर में पड़ जाता हूं। निराशा के कारण यह हैं :—

व्यक्तिगत अयोग्यता

१—इस काम को पूरा करने में मेरे अन्दर कितनी शक्ति है और मैं कहां तक सफल हो सकूंगा? [सफलता और योग्यता कुछ कम ही देख पड़ती है।]

२—तुरन्त करने के लिये कई तरह के योग्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी। ऐसे उत्साही, पक्की लगन से काम करने वाले, योग्य और ईमानदार कार्यकर्ताओं को पा सकने में कठिनाइयां हैं।

३—भारत में और भारत के बाहर भी इस तरह की योजना को चालू करने और उसे ठीक से चालू रखने के लिये बहुत ही बड़ी खोज और जांच पड़ताल की आवश्यकता होगी। वह इसलिये कि जैसे-जैसे काम बढ़ता जायेगा वैसे-वैसे शुरू में की गई भलों को दूर किया जायेगा और अभावों की पूर्ति होती रहेगी। सवाल यह है कि यह सब करना क्या सम्भव है? इसके सम्बन्ध में मैं बहुत ही निराशावादी हूं। तो भी मैं काम को आगे बढ़ाने से बहुत अधिक डर नहीं रहा हूं। इसका कारण यह है कि यहां की राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि हर हालत में बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों को चलाना ही पड़ेगा। और ऐसी दशा में इस तरह की अग्रगामी योजना को भी चालू करना ही पड़ेगा।

जिस तरह की योजना की रूपरेखा मैंने बनाई है, करीब-करीब उसी तरह की योजना पर वे काम चालू करने जा रहे हैं। इसके लिये अग्रगामी योजना से क्या फल

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निकलते हैं यह देखने के लिये वे रुक नहीं सकते। खास तौर पर हमारे अनुभव से वे एक लाभ और उठाना चाहते हैं, वह यह कि जैसे-जैसे काम बढ़ता जाय वैसे ही वैसे पहले काम में होने वाली गलतियों को वे समझ लें, उनको दूर कर लें और उसी हिसाब से काम करने के तरीकों में सुधार करते जांय। किन्तु मैं तो एक बंधे हुए संकुचित क्षेत्र में अपनी सारी शक्ति लगाकर काम को चालू करने पर तुल गया हूँ। ऐसी दशा में मैं उनके बड़े विकास कार्य से अपने को दूर ही रखने की कोशिश करूंगा।

४—एक कठिनाई और भी है। हम जिस काम को करने जा रहे हैं उसका बहुत बड़ा असर अन्य विभागों पर पड़ेगा। इसके साथ ही उन सभी विभागों से तरह-तरह की सहायता लेते रहने की हमें बहुत आवश्यकता है। और भी बहुत सी कठिनाइयां हैं, जिनका सामना मुझे करना पड़ेगा, किन्तु मैं समझता हूं कि जो कुछ मैं कह चुका हूं उससे आपको यहां की स्थिति का आभास मिल गया होगा।

आपका
एलबर्ट मायर
(४६.६)

एलबर्ट मायर ने मुख्य मंत्री पंत के सामने अग्रगामी योजना को उपस्थित किया। फरवरी १९४७ में विधान सभा ने उस योजना से सम्बन्ध रखने वाले आय-व्यय की स्वीकृति दे दी। पंत जी ने एलबर्ट मायर को बुला कर उस योजना के अनुसार काम चालू करने की आज्ञा दी।

[मैं योजना से सम्बन्ध रखने वाले कामों के बारे में अध्ययन और जांच पड़ताल करने में लग गया। मैंने इस बारे में सभी तरह के लोगों और साधनों से सलाह और सहायता ली। भारत में और भारत के बाहर भी ऐसे कार्यकर्ताओं की खोज में लगा जो इस काम में लगाये जा सकते थे। मैंने तीन महीने तक भारत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जा-जाकर निरीक्षण, अध्ययन और जांच पड़ताल की थी। और उसी के बल पर मैंने इस अग्रगामी योजना की रूप-रेखा तैयार की थी। अब मैं ही इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये चुना गया था। उसके बाद अमेरिका लौटने पर मैंने यह आवश्यक समझा कि जहां कहीं भी इस योजना से सम्बन्ध रखने वाली बातों को पा सकूं वहां जा-जाकर अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर लूं।

पिछले दिनों में समाज-शास्त्र के जानने वालों ने समाज के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की थी। मानव विज्ञान के विषय में ज्ञान रखने वालों ने मनुष्य के विकास आदि के विषय में बहुत-सा ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी खोजों के परिणाम जल्दी ही संसार के सामने आ गये। व्यवहार के अन्दरूनी भेदों पर नया प्रकाश पड़ा। उनके सम्बन्ध में नई जानकारी प्राप्त हुई। यह सब नीचे लिखे ग्रन्थों के पढ़ने से हुआ। लूमस के 'योरप में ग्रामीण सामाजिक संगठनों के अध्ययन' (Looms' Studies of Rural Social Organisation in Europe) इन्स मिंगर के 'यूनाइटेडस्टेट्स और लेटिन अमेरिका' (The United States and Latin America of Ensminger) ब्रनर और सेन्डर्स के "संसार के किसान : कृषि प्रसार का विकास" (Bruner and Sanders' "Farmers of the World : The Development of Agricultural Exten-

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

tion) नवाहों लोगों के बीच और जापानी अमेरिकन लोगों के बीच युद्ध नियंत्रित पड़ावों में किये गये काम से सम्बन्ध रखने वाली लेटन की रिपोर्ट (Alexander Leighton's Reports on Work among Navahos and among Japanese-Americans at a War Relocation Camp)

[हमें दिन पर दिन यह बात अधिकाधिक समझ में आने लगी कि प्रसार कार्य के विस्तार के लिए भारत के गाँवों में व्यापक रूप से सजगता फैलाने की खासतौर पर बहुत अधिक जरूरत है। पश्चिमी देशों में ऐसे काम के लिए जितनी जागृति की जरूरत है, भारत में उससे कई गुना अधिक आवश्यकता है। वाइजर की पुस्तक "मिट्टी की-दीवालों के पीछे" (Behind Mud walls) और "हिन्दू जजमानी पद्धति" (Hindu Jajmani System) में भारत के गाँवों की स्थिति को बहुत साफ-साफ सामने रख दिया है। गांधीवादी ढंग से भी भारतीय गाँवों की स्थिति का अध्ययन हुआ है और उस पर लिखा गया है। स्वयं गांधी जी ने इस पर लेख लिखे हैं। श्री जे० सी० कुमारप्पा ऐसे विचारक कार्यकर्ताओं ने भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है। नाना वती, अंजरिया, और एमहर्स्ट ने तो भारतीय कृषि सम्बन्धी अर्थशास्त्र पर काफी अधिक और अच्छा साहित्य तैयार किया है। मेलकम डार्लिंग ने "पंजाब में सहयोग समितियां" नामक विषय पर लिखा है। जे० सी० हीनरिच ने छुआ-छूत पर लिखा है। ब्रायन ने पंजाब के गुरगांव जिले में किये गये परीक्षणों के बारे में लिखा है। स्पेन्सर हैच ने दक्षिण भारत के मार्तण्डम स्थान पर जो ग्रामीण कार्यक्रम चलाया था, उसका वर्णन दिया है।]

[संसार के दूसरे देशों के भिन्न-भिन्न स्थानों पर गांवों में जो काम किये गये हैं, उन सब के वर्णन भी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। एच०बी० एलेन ने "मेसिडोनिया आइये" (Come Over to Macedonia) नामक पुस्तक लिखी है। "नियर ईस्ट फाउन्डेशन" (Near East Foundation) नामक संस्था ने ग्रीस देश में पहले तो सहायता तथा पुनर्वास का काम चालू कराया था। उसके बाद वहीं उस काम को स्थायी रूप से चलाये जाने का कार्यक्रम बनाया गया था। एलेन की पुस्तक में इसी काम का विवरण दिया गया है। युद्ध के बाद अनेक लोगों ने यू०एन०आर०आर०ए० (U. N. R. R. A.) की सहायता से चीन में जो काम किया गया था, उसके वर्णन। अमेरिकी सरकार के कृषि विभाग के एम०एल० विल्सन, कार्ल सी० टेलर और डग्लस इन्समिगर से भी बहुत अधिक व्यावहारिक सहायता और पथ-प्रदर्शन मिला। इन सब के द्वार मेरे लिए खुले थे। सभी ने खुशी से हर तरह से मेरे काम में सहायता दी। यह सब केवल इसी लिये नहीं हुआ कि ये सब संसार की जनता के सेवक हैं, और सब की सहायता करना चाहते हैं, पर इसलिए कि लोगों को भारत से बहुत अधिक दिलचस्पी है। संसार भर में यह आशा और यह विश्वास जोर पकड़ गया है कि भारत का भाग्य सुधरेगा, और भारत बहुत उन्नति करेगा। संसार के लिए भारत की यह उन्नति बहुत महत्त्व रखती है।]

एलबर्ट मायर ने उन समाज शास्त्रियों से सलाह मश्विरा किया जिनको ग्रामीण विकास का काफी अनुभव था। इसके बाद मायर ने ग्रामीण-जीवन-विश्लेषक [देहात-वालों के रहन-सहन के हर पहलू को ठीक से जांच कर देखने वाले विशेषज्ञों] के कार्यों व्यापारों से सम्बन्ध रखने वाली रूप-रेखा तैयार की। अगले वर्ष जो कार्य इस अग्रगामी योजना के अनुसार चलाया गया, उसमें ग्रामीण-जीवन-विश्लेषक के द्वारा किया जाने वाला काम बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ :—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ग्रामीण-जीवन-विश्लेषक उस दल का एक आदमी होगा जो योजना के अनुसार गांव में काम करेगा। ग्रामीण-जीवन-विश्लेषक का यह काम उसी आदमी को दिया जायेगा जो अनुभवी ग्रामीण-समाज शास्त्री होगा और जिसे इस खास विषय की शिक्षा दी गई होगी। वह कार्यकर्ताओं के दल में निरीक्षण का काम करेगा। विकास कार्यक्रम के शुरू किये जाने के पहले गांव वालों के बीच आपसी सम्बन्धों का ढांचा क्या-कैसा है, इसका विश्लेषण करना, उसके हर पहलू को जांच कर देखना, यही खास काम उस ग्रामीण-जीवन-विश्लेषक का होगा। वह यह भी जांचता रहेगा कि विकास का काम जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे ही वैसे मानवीय सम्बन्धों के उस ढांचे में क्या-क्या परिवर्तन होते जायेंगे। वह स्थानीय लोगों के प्रति, अपने दल के तथा प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार के प्रति जिम्मेदार होगा। वह ऐसे उपाय निकालता रहेगा जिनके बल पर खास स्थान पर शुरू किया गया विकास कार्यक्रम, दूसरे गांवों में भी चालू किया जा सके।

ग्रामीण-जीवन-विश्लेषक को खास तौर पर नीचे लिखे चार काम करने होंगे :

(१) जिस-जिस स्थान पर (क्षेत्र में) विकास कार्यक्रम चालू किया जाये उस स्थान के मनुष्यों के आपसी सम्बन्धों का ढांचा क्या-कैसा है, इसका विश्लेषण [जांच पड़ताल] करना।[६] लोगों को काम करने की कुछ खास आदतें पड़ जाती हैं। इन सब आदतों और सोचने के ढंग का अपना खास मतलब भी होता है। ग्रामीण-जीवन-विश्लेषक की सबसे पहली जिम्मेदारी यही होगी कि वह लोगों की आदतों और विचारों के इस भीतरी मतलब को ठीक से समझने की कोशिश करें। उसे इस बात को जानने की आवश्यकता होगी कि पहले से चली आने वाली इन रूढ़ियों और प्रथाओं से हमारे विकास कार्य का मेल कैसे मिलाया जा सकता है। उसे यह भी देखने की जरूरत पड़ेगी कि गांवों में जो रीति-रिवाज मजबूती से जड़ जमाये हुए हैं, उनके अनुसार हमारे विकास के कामों में क्या रद्दोबदल की जानी चाहिए। थोड़े शब्दों में यह कहा जायेगा कि उसे यह समझना पड़ेगा कि कौन-सी प्रथाएं, कौन-से रीति-रिवाज बदले जा सकते हैं और किन रीति-रिवाजों के अनुरूप हमें विकास कामों में रद्दोबदल करनी पड़ेगी।

(२) भिन्न-भिन्न विषयों के विशेषज्ञों से सदा सलाह मश्विरा चालू रखना। वह स्थानीय स्थिति का विश्लेषण करेगा। और यह निर्णय करेगा कि स्थिति के अनुसार कौन काम सबसे पहले शुरू किये जायें ताकि वे सबसे अधिक सफल हों। वह दूसरे कामों

---

६ काम की जो सबसे पहली परिभाषा दी गई थी, उसमें अधिकारियों के आपसी सम्बन्धों के विश्लेषण की बात शामिल नहीं की गई थी। पर जल्दी ही इसे परिभाषा में शामिल कर लिया गया और ग्रामीण-जीवन-विश्लेषक का यह एक सबसे महत्त्वपूर्ण अंग मान लिया गया। विकास कार्य को चलाने वाले अधिकारियों के दल में एक दूसरे के साथ कैसे सम्बन्ध हैं, दूसरे सरकारी विभागों के स्थायी अधिकारियों के साथ विकास-कार्यकर्ताओं के आपसी सम्बन्ध कैसे हैं, और इन सभी तरह के अधिकारियों के सम्बन्ध गांव वालों के साथ कैसे हैं, इन सबकी जांच और विश्लेषण भी ग्रामीण-जीवन-विश्लेषक को करना था और उसके विश्लेषण के फल स्वरूप जो सुधार किये गये उनसे विकास के कामों में काफी उन्नति हुई।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को शुरू करने के सबसे बढ़िया क्रम को भी निश्चित करेगा। विकास के हर काम के शुरू किये जाने के ठीक-ठीक समय को निश्चित करना सबसे अधिक आवश्यक है और ठीक समय का निश्चय तभी किया जा सकता है जब उस स्थान की काम सम्बन्धी जानकारी हासिल कर ली जाये, जहाँ विकास के काम चालू हों। यदि ऐसा न किया गया तो विकास का काम ऐसे समय में शुरू कर दिया जायेगा, जब वहां की जनता उसमें सहयोग देने के लिये तैयार ही न हो। फल यह होगा कि वहां की जनता उस काम को नहीं अपनायेगी। यह भी हो सकता है कि किसी काम को चालू करने में बहुत अधिक देर कर दी जाये। जनता उस तरह के काम को अपनाने और उसमें सहयोग देने के लिए बहुत पहले ही तैयार हो जाये, पर उसे सहयोग देने के लिए कोई काम ही न मिल पाये। किसी काम को अच्छी तरह सफल बनाने के लिए पहले से तैयारी की जानी चाहिए। जहां काम शुरू करना हो वहां कार्यकर्ताओं के दल के विशेषज्ञ को पहले काफी समय तक उस स्थान की जांच पड़ताल करनी चाहिए कि वहां वाले लोग किस तरह काम करते हैं और उन कामों को उसी तरह क्यों करते हैं। इस जानकारी के बाद ही उस स्थान पर पुराने जमाने से चले आने वाले काम के ढंग और रीति-रिवाजों के बारे में आदर की भावना जागेगी, जो चलने वाले काम के ढंगों में परिवर्तन और सुधरे हुए तरीकों पर परीक्षण की शुरुआत करने में लाभदायक सिद्ध होगी।

(३) स्थानीय नेताओं, अध्यापकों और जनता से सम्बन्ध रखने वाले दूसरे लोगों को यह समझने में मदद देना कि ग्राम विकास के कामों से क्या-क्या लाभ हो सकते हैं। ऐसा कर सकने के लिए ग्रामीण-जीवन-विश्लेषक को इस बात का पता लगाने की जरूरत पड़ेगी कि उस स्थान पर किस ढंग से लोग जनता के बीच में अगुआ बन कर प्रभाव डालते हैं। वहां जन-नेता बनने के क्या तरीके हैं। इस जानकारी के बल पर ही वहां उन्हीं लोगों को राज़ी करके उन्हीं की खुशी से योजना में आवश्यक रद्दोबदल कराई जा सकेगी। उस स्थान के संगठनों, कार्य करने वाले दलों और गुटों की जानकारी हासिल करना विश्लेषक के लिए जरूरी होगा। यह जानकारी इतनी अधिक और अच्छी तरह होनी चाहिए कि उसके बल पर उन संगठनों का उपयोग हमारे विकास के कामों में ठीक से किया जा सके। यह जान लेना भी जरूरी होगा कि विकास के कामों को मज़बूत बनाने के लिए क्या नये संगठन बनाना संभव होगा। यह पता कर लेना भी जरूरी होगा कि जो सरकारी या गैर-सरकारी संगठन उस समय उस स्थान पर काम कर रहे हैं, उनके कामों के साथ विकास कार्यक्रम के कामों का मेल कहां तक ठीक से बैठाया जा सकता है।

(४) विकास से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे तरीकों और कार्यक्रमों को तैयार करना जिनके द्वारा स्थानीय ग्रामोन्नति के कामों के बारे में जनता को जानकारी कराई जा सके और उन कामों में जनता की दिलचस्पी बढ़ाई जा सके। ये तरीके और कार्यक्रम ऐसे हों जिन्हें प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारें काम में ला सकें। इसके लिये आवश्यक होगा कि जो विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनकी प्रगति और उसके सम्बन्ध में पूरा विवरण तैयार किया जाये।

थोड़े शब्दों में यह कहना ठीक होगा कि ग्रामीण-जीवन-विश्लेषक को स्थानीय स्थितियों की बहुत ही गहरी जांच और जानकारी प्राप्त करनी होगी। और उसी जानकारी के बल पर उसे विभिन्न कामों के विशेषज्ञों को, स्थानीय जनता को और प्रान्तीय तथा केन्द्रीय अधिकारियों को अधिक से अधिक सहायता देनी होगी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१९४७ के अगस्त के महीने में मायर उत्तर प्रदेश लौटे

"हवाई जहाज पर बैठे-बैठे मैं फिर से विचारों के सागर में डूब गया। मैं आश्चर्य से सोचने लगा कि पहले जो काम किया गया था, उसका कितना मूल्य या महत्त्व हो सकता है ? मुझे इस बात का पता था कि पूरे प्रदेश के लिए ग्राम-विकास के विचार का आरम्भ उत्तर प्रदेश में कर दिया गया। किन्तु इस बात का मुझे कोई पता न था कि इसमें कितनी बात काम की है और कितनी केवल भरती की।

लखनऊ पहुंचते ही मैंने मुख्य मंत्री पंत जी को सूचना दी। वे उसी दिन देहली जा रहे थे। किन्तु उन्होंने मुझे फौरन ही बुला लिया। वह सारा दिन और उसके बाद वाला दिन भी मुझे लोगों से मिलने और बातें करने में बिताना पड़ा। मैं उन सभी लोगों से मिला जिनका सम्बन्ध ग्राम-सुधार से था। मैं ऐसे लोगों से भी मिला जिन का सीधा सम्बन्ध ग्राम-विकास से तो नहीं था, पर जिनको उसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी थी। खास तौर पर मैं विकास आयुक्त श्री के०बी०भाटिया से मिला। इन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। इस बार श्री भाटिया ने मेरे सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। भाटिया बड़ी उत्सुकता से मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे यह जानना चाहते थे कि मेरे ऊपर उनकी बातों का क्या और कैसा असर पड़ा। उनके साथ कई घण्टे तक बातें हुईं। पूरे प्रान्त में जो कुछ उन्होंने किया था उसे मुझे बताया, जो कुछ और करने की योजनायें बना चुके थे, वह सब भी उन्होंने मेरे सामने रक्खीं। मैंने बहुत ही जल्दी यह नतीजा निकाल लिया कि उन्होंने जो कुछ बताया है वह सब कागज़ी रद्दोबदल है। इसमें न तो कोई व्यावहारिक परिवर्तन ही किया गया है, न नैतिक दृष्टिकोण, कार्यकर्त्ताओं के चुनाव, उनके उत्साह या कार्य के लक्ष्य में ही कोई फर्क पड़ा है। किन्तु उस समय मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस समय भी पहले की तरह ही दो विकट प्रश्न सामने थे। पहला प्रश्न तो यह था कि बुनियादी अंतर को श्री भाटिया के सामने किस तरह से साफ-साफ रक्खा जाय। दूसरी बात यह थी कि इस बात को इतनी जोरदार कैसे बना दी जाय कि श्री भाटिया उस पर काम करने के लिये उत्सुक हो जांय।

श्री भाटिया ने मुझे बहुत से सरकारी आज्ञा-पत्र और नीति सम्बन्धी विवरण दिये। इसके बाद हम लोगों ने दूसरी बैठक की। भाटिया के सामने सारी बातें साफ हो गईं। क्योंकि भाटिया ने स्वयं ही नई जरूरतों को महसूस किया और उसी तरह उन्हें मंज़ूर भी कर लिया।

इसके बाद मुझे, कई दिन कानपुर में बिताने पड़े। ये दिन भेंटों और योजनाओं पर विचार करने के कारण बहुत व्यस्तता में बीते। उसके बाद मैं देहली चला गया। देहली में मेरे सामने एक विकट प्रश्न खड़ा हो गया। वैसे तो मुझे पूरे एक दिन ठहरना था। किन्तु मुझे जो दो भेंटें करनी थीं, उन दोनों को उसी रात में निपटा देना था। नेहरू जी से सात बजे मिलना था और पंत जी से आठ बजे। दूसरे दिन ६ बजे देहली से रवाना हो जाना था। इतना भी समय नहीं था कि जो बातें हों, उन पर मैं खद ही दुबारा विचार कर सकूं।

पंत जी से करीब एक घन्टे तक बातें हुईं। मैं उसके पहले भी कई बार पंत जी से मिलकर बातें कर चुका था। किन्तु आज की बातें उन सबसे बिलकुल दूसरे तरह की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

थीं। वैसे तो शुरुआत वैसी ही हुई जसे पहले हुई थी। किन्तु औपचारिक बातों के बाद न तो कोई विघ्न बाधा पड़ी और न तो विषयान्तर ही हुआ। पंत जी से मेरा बड़े लम्बे अर्से से परिचय है। किन्तु इस लम्बे अर्से के बाद आज पहली बार मुझे पूरा निश्चय हो गया कि मुझे काम करना ही है और उसमें मुझे पूरी सफलता मिल रही है। उनका पहला प्रश्न यही था कि उत्तर प्रदेश में जो विकास-कार्य शुरू किया गया है उसके सम्बन्ध में मेरे विचार क्या हैं? मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं उन्हें एक दम अपर्याप्त समझता हूं।

मेरे उत्तर से उनको धक्का-सा लगा। उन्हें अचरज हुआ। पर मैंने जो कहा था उसमें पूरा जोर और सचाई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो विकास का काम चालू किया गया था, वहां जिस विकास पद्धति को लोग काम में लाने और परीक्षण करने जा रहे थे उसी की मैंने पिछले दिनों में जांच पड़ताल की थी। हमने कार्यकर्त्ताओं, और उनके प्रशिक्षण, नैतिक स्तर, कार्य के लक्ष्य, प्रोत्साहन-प्रेरणा और रुचि आदि विषयों पर काफी गंभीरतापूर्वक विचार किया था। उनके बारे में खूब सोच-विचार कर ठिकाने के हल या उत्तर निकाल लिये थे। किन्तु जब उसका विवरण तैयार हुआ तभी मैं बाहर चला गया था। और शायद उसके बाद उस विवरण को किसी ने पढ़ा तक नहीं था। मेरी बातों का पंत जी पर काफी प्रभाव पड़ा। इन बातों की सच्चाई उनके सामने आ गई। और उसके बाद तो पंत जी कुर्सी पर तन कर सीधे बैठ गये और बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनते रहे। उन्होंने सारी बातों को विस्तार पूर्वक एक-एक कर जानना चाहा। वे बीच-बीच में यह भी पूछते गये कि क्या इस खास बात को मैंने जोर देकर भाटिया को बतलाया था या नहीं। पिछले महीनों में उन्हें कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण कामों में इतना व्यस्त रहना पड़ा था कि वे किसी दूसरी बात की ओर ध्यान नहीं दे सके थे। किन्तु अब वे विकास के इस काम को खुद अपने हाथों में ले लेंगे और उसे देखते समझते रहेंगे।

[मैंने एक अमेरिकन सहायक दल के बारे में सुझाव दिया था। इसे पंत जी ने पहले ही मान लिया था। पर इस बार की बातों से पंत जी उस सुझाव पर पूरी तरह से विश्वास करने लगे और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने पक्का इरादा कर लिया। मेरे आंशिक सहयोग अर्थात् केवल चार महीने तक ही काम करने वाली बात को तो उन्होंने पसन्द नहीं किया, किन्तु उन्होंने मुझ से यह जरूर ताकीद कर दी कि मैं दूसरे विशेषज्ञों को चुन लूं और उन्हें भारत बुला लूं। मुझे इस बात का पता नहीं था कि पंत जी ने इस सहायक दल के बारे में नेहरू जी से भी बातें की हैं और नेहरू जी इस दल को देहली ले जाने की बात सोच चुके हैं, ताकि देहली से इस प्रकार की सहायता अन्य सभी प्रदेशों को भी दी जा सके। [बाद में मैंने नेहरू जी को बतलाया कि उनके इस विचार में मुझे कुछ आपत्तियां हैं। मैं समझता हूं कि नेहरू जी अपने उस विचार के अनुसार काम करना कुछ समय के लिए तो रोक ही देंगे। कम-से-कम यह तो होगा ही कि वह काम पहले उत्तर प्रदेश में ही किया जाये।] [४७।२]

अब मैं समझता हूं कि पंत जी से इस बार मेरी जो भेंट हुई है, वह भारत में होने वाले मेरे अन्य सभी अनुभवों में से सबसे अधिक सन्तोषजनक और आशावर्धक है।

दूसरा कदम था योजना के काम में सहायता देने वाले कार्यकर्त्ताओं को खोज निकालना।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[कुछ समय तक तो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की बातों का पूरा ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों को विदेशों से ही लाया जा सकता है और लाया जाना भी चाहिए। किन्तु भारत में जिस तरह से कार्य-कुशल और कर्मठ इंजीनियरों की जरूरत है, वैसे इंजीनियरों की संख्या उन देशों में भी बहुत अधिक नहीं हैं, जो औद्योगिक और शिल्प कला-कौशल में बहुत आगे बढ़े हुए माने जाते हैं। तो भी इतने इंजीनियर तो अन्य देशों से मिल ही जायेंगे, जो यहां वालों को इन नई तरह की विधियों में प्रशिक्षित कर सकें जिन की भारत को बहुत आवश्यकता है। मेरे विचार से ऐसे कृषि इंजीनियर तो मिल ही जायेंगे, जो यहां आकर कृषि इंजीनियरों के प्रशिक्षणों को चला सकें।]

[जो सुझाव मंजूर कर लिये गये थे, उन के अनुसार चार विदेशी विशेषज्ञों को रखना था। इन से प्रान्त भर के कार्यकर्त्ताओं को सलाह मिल सकती थी। इनमें एक था नगर और गांवों के निर्माण की योजनाएं तैयार करने वाला विशेषज्ञ। अग्रगामी योजना के ग्राम विकास के कामों में पूरा समय देने वाले ये थे :—(१) कृषि प्रसार के विशेषज्ञ, (२) कृषि-इंजीनियर और (३) ग्रामोद्योगों के विशेषज्ञ। ग्रामोद्योग का विशेषज्ञ उस समय नहीं मिल सका। १९४८ की वसन्त ऋतु तक अन्य प्रकार के तीनों विशेषज्ञ अपने-अपने काम पर नियुक्त कर दिये गये। होरेस होम्स कृषि प्रसार विशेषज्ञ के रूप में आये। एल्डन कालिन्स कृषि इंजीनियर के पद पर रक्खे गये। आर० डी० ट्रेजेट ने नगर और ग्राम निर्माण के विशेषज्ञ का काम संभाला। ट्रेजेट के निर्देशन में प्रान्तीय नगर और ग्राम-निर्माण कार्यालय चालू किया गया। और उस समय से वे अग्रगामी योजना के ग्रामीण प्रश्नों पर केवल "यदा-कदा" सलाहकार के रूप में सहायता देने लगे। ग्रामीण काम के निर्माण-कार्य के संचालन विभाग के चीफ इंजीनियर के रूप में कालिंस ने काम शुरू किया और वे एक वर्ष तक काम करते रहे। उसके बाद वह विभाग तोड़ दिया गया।]*

[इन तीन अमेरिकनों में से केवल होरेस होम्स ही ग्रामीण कार्य के पहले दो वर्षों के पूरे कार्य काल तक भारत में रहे। होम्स ने अमेरिका के कृषि विभाग के प्रसार कार्यक्रम में काउंटी एजेन्ट का काम किया था। उन्होंने चीन में यू० एन० आर० आर० ए० के कृषि अधिकारी के रूप में भी काम किया था। उनके पहले के उन अनुभवों से हमारे काम को लाभ पहुंचा। वे उत्तर प्रदेश की सरकार के कृषि सलाहकार के पद पर काम करते रहे। उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया कि हमारे कृषि विभाग में काम करने वाले लोग गांवों में जाकर किन खास पद्धतियों से और किन भावनाओं से काम करें। १९४९ में कुछ समय तक वे प्रमुख प्रशासक के रूप में भी काम करते रहे। १९५० की वसन्त ऋतु में उन्होंने हमारा काम छोड़ दिया। इसके बाद वे अमेरिका के "प्वाइंट फोर" (चतुर्मुखी) कृषि कार्यक्रम के कार्यकर्त्ता के रूप में फिर भारत लौटे।]

[मुख्यतः योजना का कार्य इस तरह चलाया गया कि अग्रगामी योजना को अधिक से अधिक भारतीय रूप में रक्खा जाय और भारतीयों को ही प्रशिक्षित करके उन्हें कार्य के लिए तैयार किया जाये। सारांश यह है :—कि एक वर्ष तक पूरे समय काम करने वाले तीन अमेरिकन रक्खे गये। दूसरे वर्ष केवल दो ही अमेरिकन रह गये।

*अग्रगामी साधन कार्य के लिये विशेष कार्यक्रम के तीसरे अनुच्छेद में देखो।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उसके बाद केवल मेरी ही सेवाओं का उपयोग किया गया। वह भी हर वर्ष कुछ महीनों के लिये, केवल एक सलाहकार के रूप में। और वर्ष के बाकी महीनों में मेरा घनिष्ट सम्बंध भर बना रहा। पहली और बाद की सभी योजनाओं में ऊपर से नीचे तक काम करने वाले सभी लोग भारतीय ही थे।]

[१९४८ की वसंत ऋतु में हमारे अग्रिम कार्यकर्ता दल में श्री ध्यानपाल सिंह और श्री रुद्रदत्त सिंह शामिल हो गये। ध्यानपाल सिंह तो हमारे पहले जिला विकास अधिकारी हुए (उस पद का नाम बाद में जिला नियोजन अधिकारी कर दिया गया), रुद्र दत्त सिंह ने हमारे ग्रामीण-जीवन-विश्लेषक का पद संभाला। ध्यानपाल सिंह भारतीय प्रशासन विभाग के थे। वे एक परिश्रमी, योग्य, दूरदर्शी और कुशल कार्य-संचालक थे। जिले के स्तर पर सरकारी शासन प्रबन्ध की सभी विस्तार की बातों की उन को काफी जानकारी थी। बाद में जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे ही वैसे वे अग्रगामी योजना के एक से एक अधिक जिम्मेदारी और महत्त्व के पदों पर उन्नति करते गये। रुद्रदत्त सिंह जी एक अनुभवी शिक्षक और शिक्षा-विशारद थे। उन्होंने मानवीय भूगोल और सामाजिक मानव-शास्त्र का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्हें ग्रामीण जीवन से बहुत ही अधिक लगाव और रुचि थी। इस सारी पृष्ठ भूमि को लेकर वे हमारे बीच में आये। वे इटावा में केवल एक ही वर्ष तक काम कर सके। पर हमारे विचारों के विकास में उनका बहुत सहयोग रहा।]

योजना

आरंभिक प्रस्तावों (सुझाव) के स्वीकृत होने के बाद काम करने वाले प्रमुख कार्यकर्ता चुनकर इकट्ठे किये गये; अब काम के उद्देश्यों, स्थानों, और पद्धतियों आदि के सम्बन्ध में अधिक व्यापक और अधिक विस्तृत विवरण की जरूरत हमारे सामने आई।

उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण

(१) **उद्देश्य अभिप्राय**—इस योजना का उद्देश्य यह देखना होगा कि ऐसे जिले के गांवों में जहां बिजली, बाँध या और कोई विशेष सुविधा नहीं है वहां सामाजिक उन्नति, उपज में वृद्धि, खुद आगे बढ़कर सुधार के कामों के करने की प्रवृति-प्रोत्साहन-लगन, आत्मविश्वास और सहयोग आदि की भावना पैदा करने में किस हद तक सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही यह भी निश्चय करना है कि सफलता की वह भावना कितनी जल्दी पूरी तरह जगाई जा सकती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब वह खास दबाव या प्रभाव, जिसके कारण यह सब उन्नति उतनी जल्दी हो सकी है, उन गांवों से हटा दिया जाये, तब भी गांव वालों की जो मानसिक, आध्यात्मिक, और कार्य-कुशलता तथा विञ्चार सम्बन्धी उन्नति हुई है, वह स्थायी रूप से उन लोगों में कायम रहे। हमारे काम में यह नहीं होना चाहिए कि जो कुछ भी किया जाये वह दिखावे के लिए केवल ऊपरी तौर पर ही कर दिया जाये। यदि सफलता को स्थायी बनाना है, और उस को यह रूप देना है कि उन्नति का वह काम बाद में भी अपने आप बराबर होता जाये, तब तो ऊपरी दबाव डालकर काम कराना बिल्कुल ठीक न होगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(२) **पद्धतियों का फिर से दूसरे स्थानों पर उपयोग**—यहां जो पद्धतियां निकाली जायें वे ऐसी हों कि उनका उपयोग दूसरी जगहों पर भी किया जा सके और ऐसा करने में न तो बहुत अधिक खर्च पड़े और न दूसरे खास साधनों की ही जरूरत पड़े।

(३) **चुने हुये विषयों पर विशेष ध्यान**—थोड़े से गांवों की सभी तरह की आवश्यकताओं की एक पूरी तस्वीर या खाका बनाकर हम अपने सामने जरूर रक्खेंगे। किन्तु काम करते समय हम केवल थोड़ी बातों को ही एक बार में लेकर चलेंगे और उन्हीं पर पूरा ध्यान और बल देंगे। इस का कारण यह है कि हमारे पास समय कम है, हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक नहीं है और काम करने की हमारी योग्यता भी सीमित है। इसके अतिरिक्त यदि अनेक तरह के काम एक साथ चालू किये जायेंगे तो गांव वाले भ्रम में पड़ जायेंगे। हम गांव वालों को केवल उस तरह की और उतनी ही सहायता देना चाहते हैं जिससे वे इस योग्य हो जायें कि वे खुद ही अपने साधनों का विकास कर सकें और उनमें इतना आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाये कि वे अपनी सहायता खुद करलें।

हमें अपना कार्य क्षेत्र चुन लेना होगा। गांव वाले अपनी जिन आवश्यकताओं को खास तौर पर महसूस करते हों, उन्हीं की बुनियाद पर हमारे कार्य का क्षेत्र तय किया जायेगा। बाद में उसी के अनुसार हम गांव वालों की आवश्यकताओं के क्षितिज को बढ़ा सकेंगे। हमारा सब से पहला काम होगा आर्थिक यानी कृषि सम्बन्धी। गांव वाले इस बात को खूब समझते हैं। काफी जल्दी की जाने वाली उन्नति को वे लोग समझते हैं। अपनी खेती सम्बन्धी सफलता से उन्हें अपने ऊपर और हम लोगों पर अधिकाधिक विश्वास बढ़ेगा। इससे हमारा काम आगे फैलेगा।

(४) **सरकारी विभागों का सहयोग** ८ — यह सहयोग स्थानीय, जिले और राज्य के स्तर पर होगा।

(५) **स्थानीय आत्मनिर्भरता; स्थानीय साधनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति**—आवश्यक वस्तुओं का बिल्कुल ठीक समय से ठीक स्थान पर पहुँचाये जाने का निश्चय कर देने से शासन प्रबन्ध पर और यातायात तथा परिवहन के साधनों पर माल-ढुलाई आदि का बहुत बोझ नहीं पड़ेगा।

(६) **एक ही साथ सब तरह की उन्नति और सुधार** :—आदमियों, भूमि, आवश्यकता की वस्तुओं, औजारों आदि सभी में साथ ही साथ सुधार करना होगा। यह सारा काम लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिये, उसके विपरीत नहीं।

(७) **भावना और ढंग**—सरकारी कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने की हमारी अपनी भावना और ढंग का प्रश्न सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। हमें गांव वालों के साथ मिल कर काम करना चाहिए। उनसे केवल मौखिक रूप में यह कहना काफी नहीं कि "तुम इस काम को इस तरह करो।" गांव में और खेतों में जाकर हमें खुद अपने हाथों से काम करके लोगों के सामने नमूना पेश करना चाहिए। हमें "मिट्टी में सने हुए हाथों" से काम करना होगा। आराम कुर्सी की बैठक बाज़ी से काम नहीं चलेगा। मान-

---

८ उत्तर प्रदेशीय सरकार बहुत दिनों से इस तरह के शासन सम्बन्धी पुनर्गठन की बात पर विचार कर रही थी, जिस के द्वारा विकास, पशुपालन, कृषि, सहयोग-समिति सम्बन्धी विभिन्न विभागों के काम एक साथ मिल कर चलाये जा सकें।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सिक झुकाव के बारे में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है "लोगों के मन में जनतांत्रिक भावना का उदय होना।" इस भावना के उदय होने पर ही सब से बड़ा अधिकारी अपने अधीन काम करने वाले सभी लोगों को अक्सर बुलाकर या उनसे मिलकर उनकी राय लेता है और ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें छोटे-से-छोटे कार्यकर्ता भी निडर हो कर अपनी बातों को सचाई से कहता है। बड़प्पन के घमंड के कारण दूसरों को दूर रखने वाली ऊंचे पद की किले-बन्दी को तोड़ देना बहुत जरूरी है। तभी विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिए सभी स्तरों पर उत्साह, प्रेरणा, और कार्यकुशलता की धारा फूट पड़ेगी।

(८) **लक्ष्य**—उत्पादन के लक्ष्य तथा जन-स्वास्थ्य और, प्रौढ़शिक्षा आदि लक्ष्य और इन सब कामों के लिए समय-सारिणी का निश्चित करना बहुत ही जरूरी है। हमारे उद्देश्य चाहे कितने भी ऊंचे हों, उनका विस्तार चाहे जितना भी अधिक हो, पर निश्चित लक्ष्य और समय-सारिणी के निश्चित होने पर ही उन में बल आयेगा और उनकी हालत टिकाऊ होगी।

(९) **कार्यकर्त्ता**—किसी भी योजना का कार्यक्रम बहुत आकर्षक बनाया जा सकता है, उसकी रूप-रेखा बहुत उत्तमता से तैयार की जा सकती है। किन्तु उसे व्याहारिक रूप में करके दिखाने वाले कार्यकर्त्ता जैसे होंगे, वैसी ही वह योजना भी मानी जायेगी। कोई भी काम, चाहे वह कितना ही जरूरी क्यों न हो, तब तक शुरू नहीं किया जाना चाहिए जब तक उस खास काम को पूरा कर सकने वाले योग्य कार्यकर्त्ता न मिल जायें। संकट काल की तो बात ही दूसरी है। साधारण रीति पर योग्य कार्यकर्त्ताओं के मिलने पर ही किसी काम को चालू करना चाहिये। कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षित किये जाने का कार्यक्रम भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। उनके चुनाव में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए।

(१०) **अनुभवों का आदान-प्रदान** :— किसी भी योजना या प्रसार कार्य में सभी तरह के कुशल कार्यकर्त्ताओं और अनुभवी लोगों को इकट्ठा करके रखने में बहुत अधिक खर्च पड़ेगा। कुशल कार्यकर्त्ताओं का समय भी व्यर्थ जाता रहेगा। इस कारण यह जरूरी है कि एक विभाग दूसरे सरकारी विभागों से या बाहर वालों से बराबर सलाह-मश्विरा लेते रहें। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि जब किसी काम में हम सफल हो जायें तो हम उन्हें दूसरे विभागों और लोगों को बता दें। अपने अनुभवों का प्रचार कर दें। इसीमें योजना की सबसे बड़ी उपयुक्तता है, लाभ है।

(११) **गांव का नेतृत्व**—शुरू में यह जरूरी होगा कि हमारे कार्यकर्त्ता आगे बढ़कर काम चालू करें और उसके लिए संगठन एवं प्रबन्ध करें। तभी योजना के बहुत से कामों में सफलता प्राप्त हो सकेगी। यह भी जरूरी है कि हमारे कार्यकर्त्ताओं को काफ़ी समय तक इस तरह के काम में डटकर लगा रहना पड़े। किन्तु स्थानीय नेताओं को तैयार करके और उनको आगे बढ़ाकर काम करने की प्रवृत्ति को उभार कर ही उन्नति के काम को स्थायी बनाया जा सकता है।

१९४८ के जून के अन्तिम सप्ताह में एक छोटे दल ने मिलकर एक साथ कुछ जिलों का दौरा किया। इस दल में होरेस होम्स, ध्यानपाल सिंह, एल्डन कोलिन्स, रुद्रदत्त सिंह और एलबर्ट मायर थे। दौरे के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें नीचे लिखे सुझाव दिये गये :—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अग्रगामी योजना के सघन कार्य के लिए पहले जिले का चुनाव वादविवाद, विचार और संक्षिप्त वर्णन

(१) **विचाराधीन जिले १५**––सात जिलों का दौरा किया गया था। उनमें से तीन बाद तक विचाराधीन थे। चुनाव के विचार से इटावा, प्रथम; प्रतापगढ़, द्वितीय; और आजमगढ़, तृतीय माना गया था। चुनाव की कसौटी मोटे तौर पर इस प्रकार थी :—

(अ) क्या जिले की स्थिति औसत दर्जे की है? यानी वहां की स्थिति इतनी अच्छी तो नहीं है कि अन्य स्थानों के मुकाबिले में हमारे काम की वहां जरूरी ही न महसूस हो। साथ ही वह इतनी पिछड़ी हुई दशा में तो नहीं है कि पहली योजना का काम वहां ठीक से न चलाया जा सके।

(ब) क्या उस जिले में ऐसे खास मसले हैं, जिन को हल कर देने से ऐसे फल निकलें

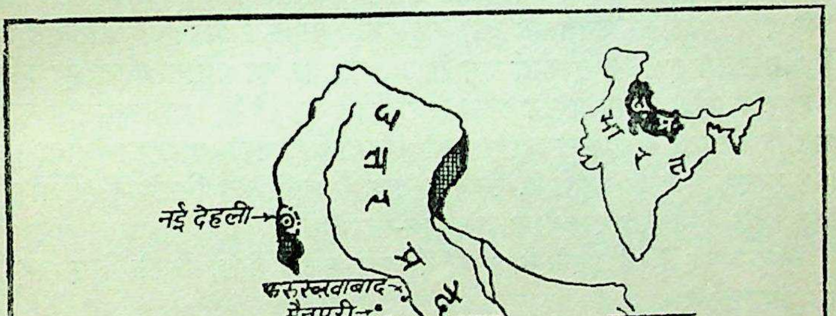

चित्र १—उत्तर प्रदेश और जिला इटावा के नक्शे, अग्रगामी योजना दिखाते हुए मार्च, १९५६

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जिनसे दो लाभ हो सकें। पहला तो यह कि वे प्रगति के नमूने के रूप में सामने रक्खे जा सकें। दूसरा यह कि दूसरे स्थानों में उनका उपयोग किया जा सके।

(स) क्या ज़िले में इस तरह के मसले हैं जिनको वही जिला खुद अपने साधनों से हल कर सकता है। और जिनके हल करने में ऐसे साधनों और वस्तुओं को काम में लाने की जरूरत न हो, जो कठिनाई से मिल सकते हों।

(द) उस जिले में भूमि सुधार और भौतिक उन्नति तथा मानव सम्बन्धी और संस्था सम्बन्धी विकास की सुविधायें मौजूद हों ताकि अपनी योग्यता, अनुभव, कार्य विधि से थोड़े समय में सफलता मिल सके।

२—**आजमगढ़**—जिन तीन ज़िलों को हमने चुना, उनमें से हर एक में हमें इस कसौटी के अनुसार कुछ न कुछ सुविधाएं दीख पड़ीं। किन्तु आजमगढ़ के विषय में बहुत-सी आपत्तियां भी देख पड़ीं। इसलिये हमने उसे पहले प्रयोग में नहीं रक्खा। दूसरे स्थानों के मुकाबले में आजमगढ़ की जनसंख्या बहुत अधिक और घनी है। वहां प्रति व्यक्ति भूमि की औसत बहुत कम है। ऐसी दशा में दूसरी बातों में चाहे जितनी उन्नति क्यों न कर ली जाय, वहां की जनता के लिये वह कमही समझ पड़ेगी। इस कठिनाई को दूर करने के भी उपाय हैं। किन्तु कार्य रूप में उन उपायों का प्रयोग बहुत ही कठिन है, और विकास के पहले प्रयोग में उन कठिनाइयों को दूर करने में बहुत समय लग जायेगा। आजमगढ़ के सम्बन्ध में दूसरी बहुत बड़ी कठिनाई है, वहां बाढ़ का आना। जिन नदियों के कारण ये बाढ़ें आती हैं, उनके बहाव के मार्ग कई ज़िलों में हैं और केवल आजमगढ़ जिले से उनकी रोकथाम असम्भव-सी है।

[६]यह जरूर है कि इसके बाद जो योजना चलाई जाय, उसके लिए यह ज़िला बहुत ही उपयुक्त है।

(१) **इटावा और प्रतापगढ़**—हमने जो कसौटी बनाई थी, उसके हिसाब से ये दोनों ही जिले खरे उतरते थे। इन दोनों जिलों में से हरएक में वही स्थिति थी, जिसकी जरूरत थी।

प्रतापगढ़ में निर्माण सम्बंधी, सामाजिक, आर्थिक, सभी मसले व्यापक रूप में मौजूद थे। इन्हीं मसलों को हल करने के लिए हमारी योजना चालू की जाती थी। किन्तु प्रतापगढ़ में ये मसले इतने कठिन या भयंकर रूप में भी नहीं हैं कि उनका सुधार करना आसान न हो। प्रतापगढ़ के बहुत बड़े भाग में सिंचाई, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, ऊसर को तोड़कर उपजाऊ बनाने का और पशुओं की नस्ल के सुधार की जरूरत है। यहाँ फलों के बागों के सुधार और उपज के अधिक अच्छे तरीकों को काम में लाने की भी जरूरत है। और हमें विश्वास है कि इनमें से बहुत अधिक मसलों को हल करने में हम मदद दे सकते हैं। इन मसलों में और अन्य अनेक बातों में भी प्रतापगढ़ दूसरे जिलों के मुकाबले में न तो बहुत ही अधिक अच्छा है और न बहुत ही खराब। इसलिये हम अपनी पहली योजना को यहाँ बहुत अच्छी तरह चालू करके उसका परीक्षण कर सकते हैं।

प्रतापगढ़ में जो भी मसले हैं, वे सभी के सभी और वह भी उसी गहराई से

---

[६]१९५० में अन्य दो जिलों (गाजीपुर, बलिया) के साथ आजमगढ़ में भी विकास कार्य शुरू कर दिया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

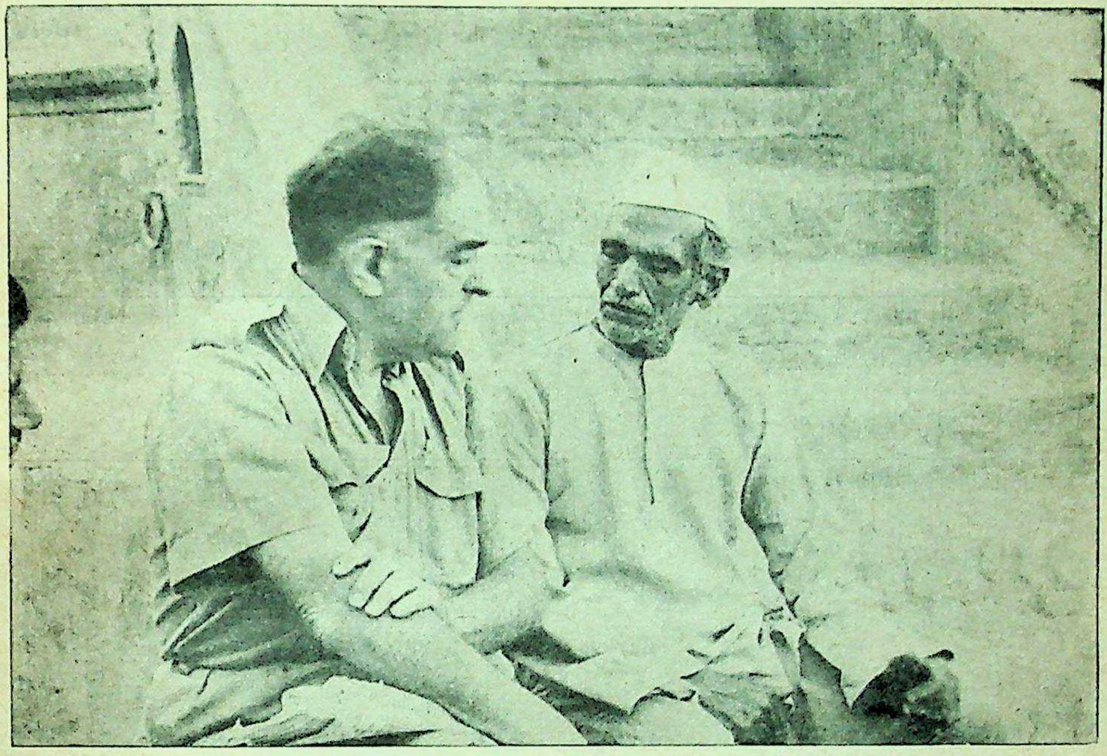

योजना सलाहकार और ग्राम्य-मित्र—श्री एल्बर्ट मायर आनन्द माधव शुक्ल (अग्रगामी विकास योजना के प्रारंभिक तथा निरंतर सहायक किसान) के साथ सलाह करते हुए।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

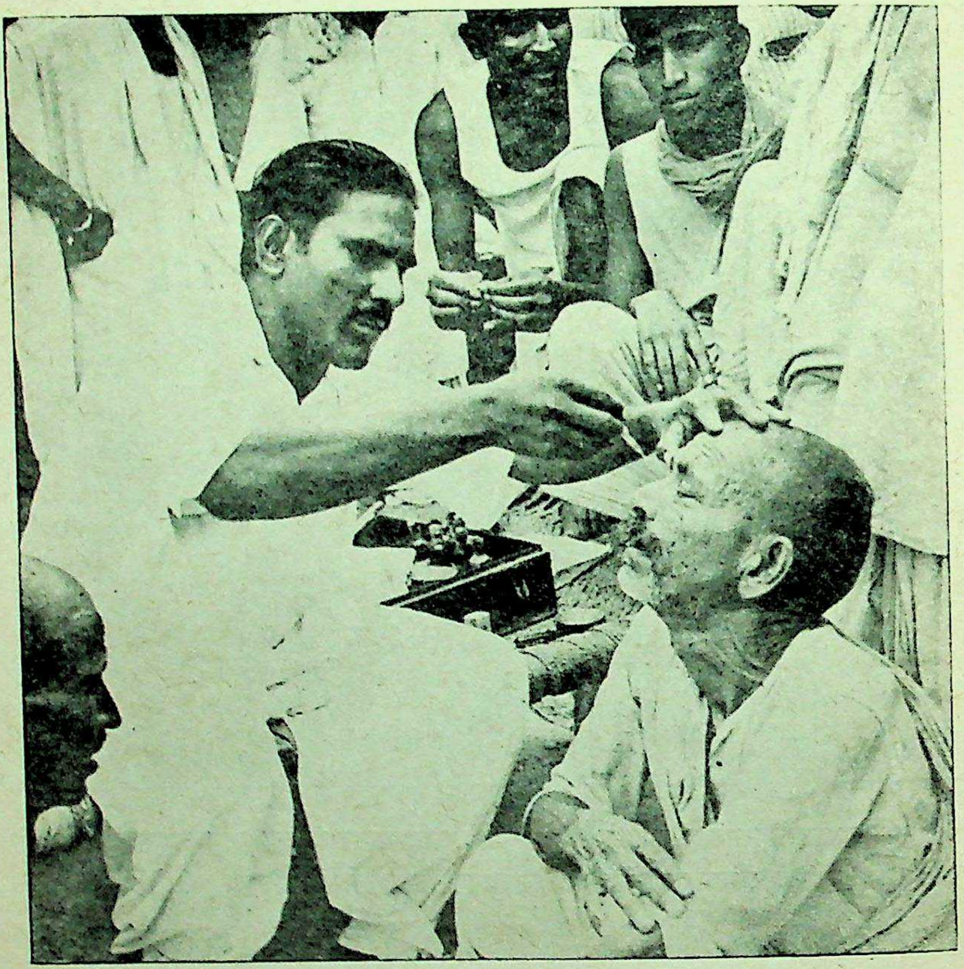

महसूस की हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए—ग्राम-सेवक की 'दवा वाली पेटी', तुरंत उन रोगों के उपचार में सहायक होती है, जिन पर फौरन ध्यान देना जरूरी होता है; इस के साथ ही धीरे-धीरे पूरे होने वाले दूसरे कार्यक्रमों के लिए भी विश्वास उत्पन्न करती है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गाँव वालों के साथ काम करते हुए—उत्तर प्रदेशीय सरकार के कृषि-सलाहकार श्री होरेस होम्स, इटावा के एक किसान को सुधरे हुए हल को जांचने और ठीक करने में सहायता दे रहे हैं।

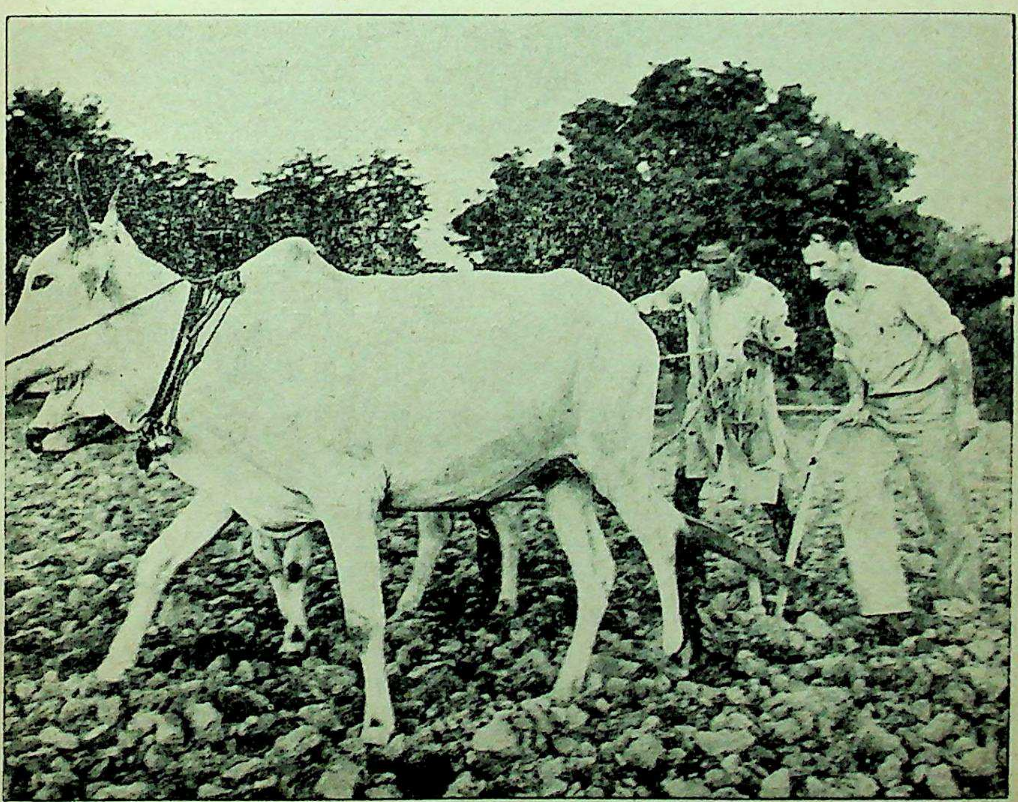

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

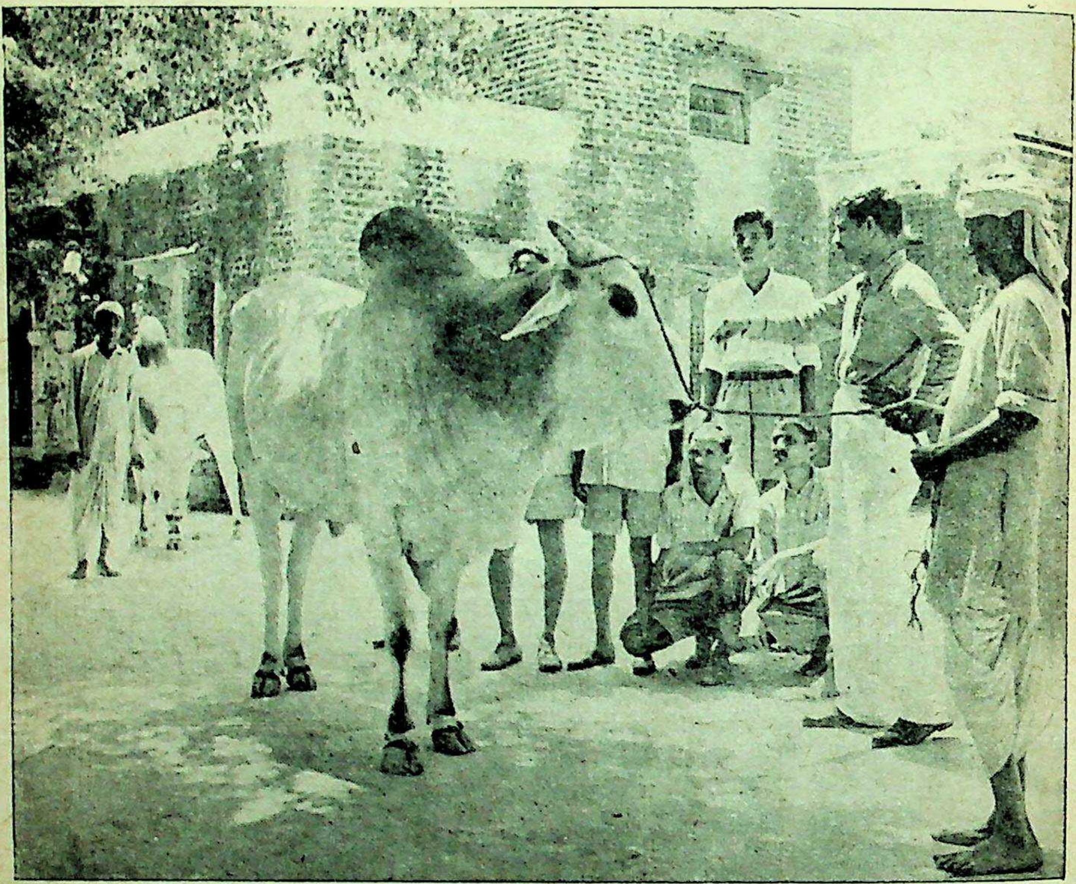

सुधरे हुए प्राविधिक ज्ञान का प्रसार करते हुए—इटावा विकास योजना क्षेत्र के एक पशु-औषधालय में ग्राम सेवक इस बात का प्रशिक्षण ले रहे हैं कि पशुओं की नस्ल कैसे सुधारी जाय और प्रचलित रोगों की रोक के लिए टीके कैसे लगाये जायं। बाद में वे इन प्राविधिक बातों को उन अनेक गाँवों में प्रसारित करेंगे, पहले जिनमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रसारित होना संभव नहीं था।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्थानीय स्वतः-कार्य-प्रारम्भ करने की प्रवृत्ति को उन्नत करना—अग्रगामी विकास योजना का निरंतर चलने वाला प्रयत्न तथा उनके ग्राम-योगदान कार्यक्रमों का विशेष लक्ष्य यही रहता है कि ग्रामीण अगुआई को प्रोत्साहन मिले। सहकारी संस्थाएं और ग्राम-कौंसिलें, इटावा क्षेत्र की इस पंचायत की तरह ही, ग्राम-विकास में उत्तरोत्तर अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने लगी हैं।

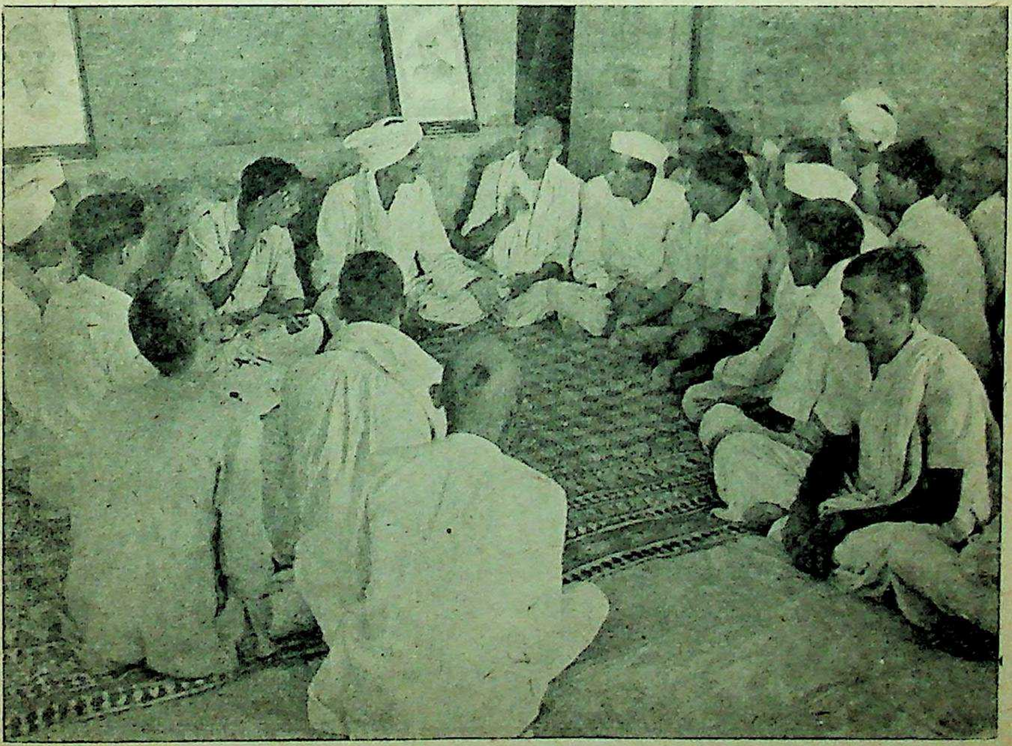

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

साक्षरता कक्षाएँ—पढ़ना-लिखना सीख लेने पर गांव वाले अनेक स्त्री-पुरुष प्रौढ़ों के सामने सामूहिक कार्यों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र खुल जाता है। (उत्तर प्रदेशीय सरकार के सौजन्य से यह फोटो प्राप्त हुई।)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिक उत्तम कृषि के लिए प्रशिक्षण—अग्रगामी विकास योजना, लखना, के प्रशिक्षणार्थियों को श्री महेश वार्ष्णेय, उप विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग), सुधरी हुई बुवाई की मशीन के संबंध में समझा रहे हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ग्राम सेवक—अग्रगामी विकास योजना के लखना शिविर के प्रशिक्षणार्थी व्यावहारिक कार्य के लिए पास वाले गाँवों में जा रहे हैं।

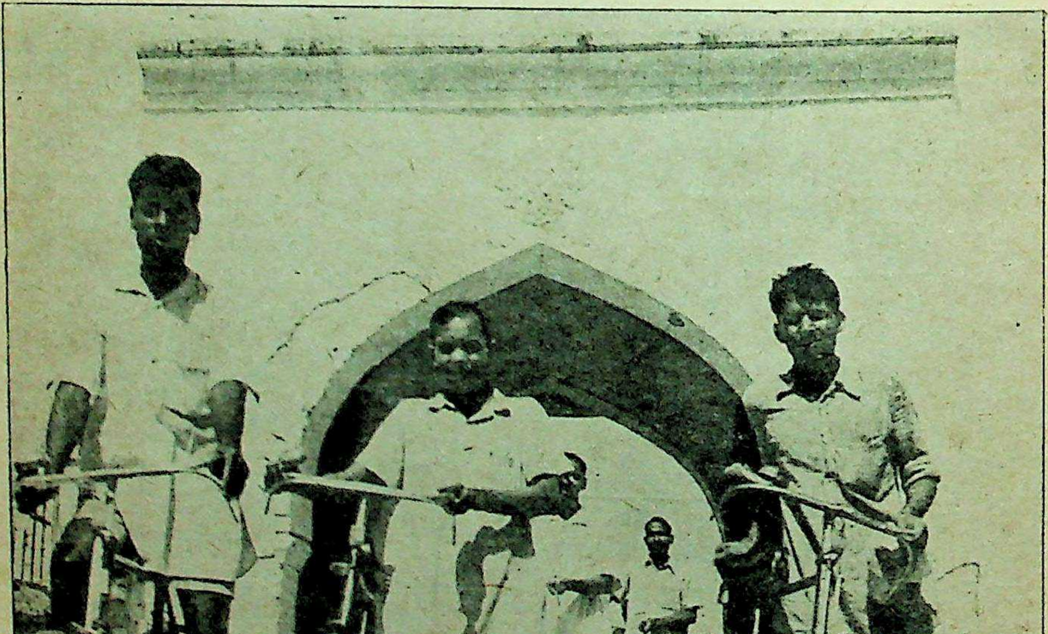

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इटावा में भी हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि इटावा में मिट्टी के कटाव का सवाल बहुत ही अधिक भयंकर है। इस बात को सभी महसूस करते हैं। वन विभाग ने कुछ ऐसे स्थानों को भूमि-संरक्षण के लिये चुना है जो शायद खेती के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इन स्थानों पर वन-विभाग मिट्टी से कटाव के हर पहलू पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। किन्तु इटावा जिले के बहुत बड़े भाग में मिट्टी के कटाव का यह मसला खास मसला बन गया है। वन-विभाग जिस भाग में काम कर रहा है उसके ऊपर वाले भाग में जमीन को बचाने और नई जमीन को तोड़कर खेती के योग्य बनाने की बड़ी जरूरत है। हमें विश्वास है कि मिट्टी के कटाव के मसले को हल करने के काम में हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। वन-विभाग अपना काम अलग कर सकता है और हम अलग। इस तरह दोनों के काम एक ही समय में साथ-साथ चल सकते हैं, ताकि वन-विभाग के अच्छे काम में बाधा न पड़े। इसके अलावा जनता के हाथों में भी जमीन का बहुत अधिक भाग छोड़ा जा सकता है। हम समझते हैं कि कुछ ही समय के अन्दर हम एक बहुत बड़े भाग में काफी सफल काम करके दिखा सकेंगे। हाँ, यह तभी हो सकेगा जब हम अपने काम में मशीन आदि की सहायता लें। इस काम के लिए मशीनें मिल भी रही हैं।

कटाव से जमीन को बचाकर और ऊसर आदि को उपजाऊ बनाकर हम खेती के लिए जमीन का रकबा बढ़ा सकेंगे। इस तरह हमें काफी जमीन मिल जायेगी। और जब हम जमीन की योजना पर काम चालू करेंगे, उस समय लोगों के विचार हमारे अनुकूल होंगे, वातावरण बहुत उपयुक्त होगा। इससे किसी भी दूसरे स्थान के लिए एक बहुत महत्त्वपूर्ण उदाहरण उपस्थित हो जायेगा। इससे कई तरह की मिश्रित खेती (पशु पालन और उद्यान के साथ) की नीति को अपनाने में सहूलियत होगी। चारे की फसलें तैयार की जा सकेंगी। गोचर भूमि का प्रबन्ध किया जा सकेगा। ईंधन को तैयार करने के लिए कुछ जमीन काम में लाई जा सकेगी। जो अधिक भूमि निकलेगी, उससे कुछ महत्त्वपूर्ण काम किये जा सकेंगे, जैसे, खेत की इकाई का रकबा बढ़ाया जा सकेगा। कुछ भूमि-हीन मज़दूरों को खेती के लिए भूमि दी जा सकेगी। और गाँव के पुनर्निर्माण की योजना के लिए जमीन दी जा सकेगी।

इन सब कारणों से प्रतापगढ़ के मुकाबले में इटावा ही पहला जिला माना गया। वैसे तो दोनों जिले उपयुक्त जान पड़े, पर इटावा की समस्यायें ज्यादा महत्त्वपूर्ण थीं, जिनके आधार पर हम अपनी बहुमुखी योजना के अनेक कामों को ठीक से पूरा कर सकते थे। हम कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ के मुकाबले में इटावा में किया गया हमारा काम अधिक नाटकीय ढंग का होगा और उसका अधिक अच्छा असर पड़ेगा। हमने यह भी सोचा कि इटावा में वन-विभाग ने परीक्षण के कार्य के रूप में पहले ही से खास तरह का काम तथा पौधघर चालू कर दिया था। उनके इन कामों से हमारे कुछ कामों में बहुत सहायता मिलेगी।

इसी समय हमारे दल में दो आदमी और शामिल हो गए। उनकी नियुक्ति उपविकास अधिकारी के रूप में हुई थी। एक तो थे हरिश्चन्द्र सेठ। इन्हें कृषि के विकास के लिए रक्खा गया था। श्री सेठ ने अपना घरेलू फार्म चलाया था और उस दिशा में अनुभव प्राप्त किया था। दूसरे थे बैजनाथ सिंह। वे गाँव वालों से

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सहयोग-सम्पर्क स्थापित करने के लिए रक्खे गये थे। वे गांधी जी के अनुयायी थे और उन्हें सामाजिक सेवा कार्य का कुछ अनुभव था। वे इसके पहले अध्यापक थे। अब वे बड़ी लगन से व्यापक रचनात्मक कार्य के अवसर की खोज में थे। हमारे इन दोनों चुनावों से आगे चलकर बहुत अधिक लाभ हुआ।

हमने कृषिविभाग, पशुपालन विभाग, जन-स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग, जन-गृह निर्माण विभाग के अधिकारियों से विचार विनिमय किया। आपसी तौर से गांव वालों से मिलकर उनसे बातें कीं और उनकी राय ली। इसके बाद ही इस कार्यक्रम को तैयार किया। उस समय के विकास आयुक्त के० बी० भाटिया, हमारे मुखिया थे। इन सब कार्यों में उन्होंने बहुत दिलचस्पी ली और सक्रिय भाग लिया। मुख्य मंत्री, पंत जी और विकास मंत्री केशवदेव मालवीय निकटतम संपर्क में रहे। सारी सूचनाओं और जानने योग्य बातों को पहले इकट्ठा करना पड़ा और हमें केवल छः हफ्ते में अपने उद्देश्यों को तय करके काम शुरू कर देना पड़ा। योजना की रूपरेखा जैसे ही तैयार हुई, वैसे ही वह स्वीकृत हो गई। जो कुछ इसके आगे दिया जा रहा है, वह पहली योजना का संक्षिप्त विवरण है। इसमें विस्तार की कुछ बातें कायम रक्खी गई हैं; ताकि यह साफ-साफ जाहिर हो सके कि नियोजन में कितनी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है।]

× × × ×

अग्रगामी विकास योजना में नियोजन विकास और प्रशासकीय समन्वय के प्रयोगों का निश्चित कार्य-क्रम।

१५ सितम्बर १९४८

प्रथम परिच्छेद

सामान्य वक्तव्य और समय-सारिणी

इस स्मृति-पत्र का उद्देश्य है बिल्कुल निश्चित कार्यक्रम उपस्थित करना। इसमें आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, तिथि, समय तथा स्थानों का निर्णय सम्मिलित है। किन्तु योजना का यह एकदम अन्तिम रूप नहीं है। अन्य अनुभवी लोगों से सलाह करने के बाद इस कार्यक्रम में आवश्यक और उचित परिवर्तन किया जा सकता है।[१०]

---

[१०] यह पता चला कि इस प्रथम कार्यक्रम की सभी बातें तुरन्त ही पूरी नहीं की जा सकतीं। छठें अध्याय में परिणामों का वर्णन दिया गया है। उनके मिलान से यह बात साफ जाहिर हो जाती है। बीज की जिन किस्मों के उपयोग की सिफारिश की गई थी, उनसे जो फसलें तैयार हुईं, उनमें से कुछ स्थानीय फसलों से खास तौर पर अधिक अच्छी नहीं निकलीं। कुछ चीजें मिल ही नहीं सकीं। व्यावहारिक रूप से काम करने पर हमें पता चला कि जिन गेहूँ, आलू आदि मुख्य फसलों की उपज पर खास तौर से सफलता दिखाना है, उन्हीं पर पूरा ध्यान और जोर लगाकर काम करना चाहिये। उनके सामने कम लाभ की दूसरी फसलों को छोड़ ही देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कुछ दूसरी चीजों की खेती करके देखा गया जिनमें बड़ी सफलता मिली। जैसे रबी में चना और मटर और खरीफ में ज्वार, बाजरा और तरकारियाँ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सुझाव, स्थान और समय

(१) जिस स्थान पर पहले काम शुरू किया जायगा, उसका केन्द्र महेवा होगा। **महेवा** इटावा से पूर्व की ओर १८ मील की दूरी पर है। साल के अन्त तक इस क्षेत्र में लगभग सत्तर गाँव शामिल कर लिये जायेंगे। यह क्षेत्र सेंगर और यमुना के बीच में होगा। पूर्व से पश्चिम तक इस क्षेत्र की चौड़ाई पाँच-छः मील तक होगी और यमुना के तट पर इसकी लम्बाई दस मील के करीब होगी। इस क्षेत्र में निर्माण सम्बन्धी वे सभी तरह के मसले आ जाते हैं, जो इटावा के और दूसरे कई जिलों के ख़ास मसले हैं।

इस क्षेत्र का उत्तर से दक्षिण का बीच वाला भाग साधारण तौर पर एक अच्छा भाग है जिसमें कोई भयंकर कठिनाइयां नहीं हैं, यद्यपि इस क्षेत्र में वे सभी कमियां या कठिनाइयां हैं जो आम तौर पर भारत के सभी देहाती स्थानों में पाई जाती हैं। यहाँ सघन तरीके पर आम तौर से खेती नहीं की जाती। नहरें हैं, तो भी सिंचाई की छोटी-मोटी कठिनाइयां हैं ही। पशुओं की दशा बहुत ही दयनीय है। आबादी में सफाई और स्वास्थ्य सम्बंधी सुविधाएं नहीं हैं। या तो सड़कें हैं ही नहीं, और जो हैं भी, उनकी हालत बहुत खराब है।

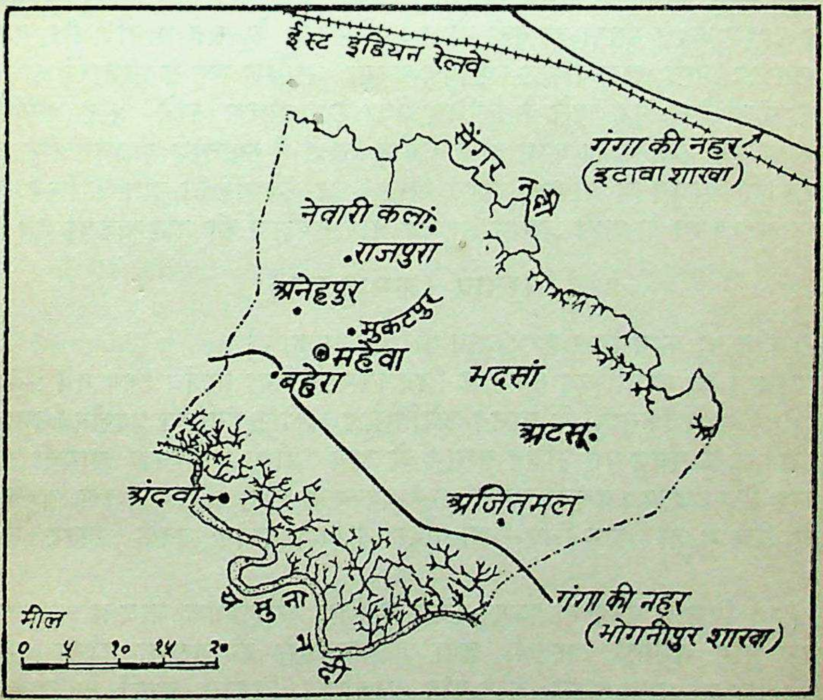

चित्र २—महेवा ब्लाक पाइलट प्रोजेक्ट १९४८-५६

यमुना की ओर के दक्षिणी भाग में मिट्टी के कटाव की समस्या बहुत ही भीषण है। इसके कुछ हिस्सों में सिंचाई की भी व्यवस्था नहीं है।

सेंगर नदी के उत्तरी भाग में मिट्टी के कटाव का सवाल है जरूर। पर उतना

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भीषण नहीं है। तो भी इसके पहले कि यमुना की तरह यहाँ भी कटाव से गहरे-गहरे खड्ढ बन जायें, उनकी रोकथाम उपाय कर लेने जरूरी हैं।

(२) दूसरे वर्ष के शुरू में या शायद उसके पहले ही दूसरे स्थान पर काम चालू करना होगा। वह स्थान रेल की सड़क के और 'लोअर गंगा' की नहर के उत्तर में है। इस क्षेत्र में भी करीब-करीब उतने ही गाँव होंगे। इसके सबसे जरूरी मसले दूसरी ही तरह के हैं। यहाँ ढाक के जंगलों का और सिंचाई के साधनों के अभाव का प्रश्न है। पानी की निकासी की हालत खराब है। यहाँ की जमीन ऊसर है।[११] इस तरह क्रम-क्रम से विभिन्न क्षेत्रों में चलाया जाने वाला विकास कार्यक्रम इटावा के सभी खास-खास मसलों को हल करने के लिए उपयोगी होगा। यह सब काम उन्हीं तरीकों से होगा जो जिले के अपने साधनों से ही पूरी तरह से हल हो सकें। यदि हम यह दिखा सकें कि मसलों को ठीक से और थोड़े समय में हल किया जा सकता है, तो बाद में उचित गति से काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर इस काम को चाहे इस दल से कराया जाये, या उसके लिये दूसरे सरकारी विभाग चुने जायें।

(३) **जिले भर की योजना**—इटावा और दूसरे स्थानों पर उसी तरह के जो मसले रह गये हैं उन्हें हल करने के लिए नमूने की प्रदर्शनात्मक विकास योजना और उससे होने वाले कार्यों का आगे विस्तार किया जा सकता है। किन्तु योजना का अन्तिम उद्देश्य केवल इतना ही नहीं होगा। पूरे जिले के सब भागों और कार्यों को लेकर उनके आपसी सम्बन्धों को स्थापित करना, आर्थिक रूप से बाजारों और सड़कों का जाल फैला देना, पूरे जिले के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक ढांचे और कार्यक्रम का मेल बैठाना इस योजना का काम होगा। थोड़े शब्दों में स्थानीय योजना और क्षेत्र का सब तरह का विकास ही अन्तिम उद्देश्य होगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये योजना का काम शुरू करने के पहले क्षेत्रीय अनुभव और सर्वेक्षण की आवश्यकता है।

प्रस्ताव (क्रमानुसार)

[कौन सा काम किस तरह आगे-पीछे किया जाये]

योजना को कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित निर्णय किये गये :—

(१) पहले किसानों के सामने उन्नतिशील खेती के ढंगों का प्रदर्शन किया जाय। इसके लिये उन्हें समय पर उचित सलाह दी जाय और आवश्यक सामग्री की पूर्ति का प्रबन्ध किया जाय। इसकी तुरन्त आवश्यकता है और गाँव वाले इसे बहुत चाहते हैं। इस बीच में जो काम भिन्न-भिन्न गाँवों में किये जायेंगे, उनके प्रकार में अन्तर होगा।

(२) निर्माण सम्बन्धी काम—जिस के लिये आरम्भिक योजना बनाना और आवश्यक भूमि, मशीनों, वस्तुओं तथा कार्यकर्त्ताओं को जुटाना पड़ेगा। भूमि को सरकारी तौर पर प्राप्त करके और गाँव वालों को विकास कार्यों के लाभ समझा कर उनका सहयोग प्राप्त करना होगा।

---

११ बाद में दो नये स्थानों पर असल में प्रसार कार्य शुरू किये गये। महेवा गाँव को केन्द्र मानकर जिस क्षेत्र में हमारा काम सबसे पहले शुरू किया गया था, उसके पूर्व की ओर के स्थान पर और उसके बाद पश्चिम की ओर के स्थान पर काम शुरू किये गये। देखो चित्र नं० १

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(३) सेवा कार्य का विकास—असल में लोगों और योजनाओं के बीच सहकारी कार्य पद्धति को प्रचलित करना। इससे पहला सुझाव व्यापक होगा और यह जनता को महसूस की हुई जरूरतों के विकास पर आधारित होगा।

(४) बाद में स्त्रियों के बीच में काम आरम्भ किया जायगा।

(५) बाद में सर्वेक्षण और अनुभव के आधार पर विकास-कार्य और अधिक व्यापक बनेगा तथा ग्राम-योजना, कुटीर उद्योग, खास-खास उपजों और उत्पादनों की बिक्री आदि के कार्य को शामिल कर लिये जायेंगे।

अनुच्छेद दो

विकास कार्य और उसका समन्वय—जिला कार्यालय के संगठन की स्वकृति मिल गई है। और अब उसे पूरा किया जा रहा है। इसकी स्थापना इटावा में होगी। और वह लखनऊ के केन्द्रीय नियोजन कार्यालय के अधीन रहेगा। पहला विकास केन्द्र महेवा में स्थापित किया जायेगा। वहाँ कार्यकर्त्ताओं और अधिकारियों के रहने के लिये स्थान की तलाश की जा रही है। इस समय कई तरह के कार्यक्रम चालू किये जायेंगे। हमारा काम इन मान्यताओं और विश्वासों पर आधारित है कि गाँव वालों का सहयोग सब से अधिक आवश्यक है और उनका सहयोग बहुत ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। वे उन्हीं कार्यक्रमों या विकास कार्यों के लिये आसानी से सहयोग देंगे, जिनमें उनको स्वयं रुचि होगी। गाँव की आवश्यकताओं को बताकर और उनके हल की विधि दिखाकर जिन लोगों के मन में हम रुचि पैदा कर सकेंगे उनसे यह सहयोग मिलेगा। इसलिये बहुत सम्भव है कि पास के दूसरे गाँव, खासकर के शुरू-शुरू में, दूसरे-दूसरे तरह के कामों को लेकर आगे बढ़ें।

खास तरह के विकास कार्यों के लिए ऐसे लोगों को खोज लेना होगा, जिनमें इसके लिये विशेष रुचि हो। ऐसे लोगों को काम करने के तरीके बताये जायेंगे। इसके साथ जरूरी चीजों को प्राप्त करने में उन्हें व्यावहारिक सहायता भी दी जायेगी।

ऐसे काम होंगे :—(१) प्रामाणिक बीजों का पैदा करना, पौधों को तैयार करना, गुड़ बनाने के सुधरे हुए तरीकों से काम लेना। जहाँ कहीं भी स्थानीय संगठन पहले से ही काम करते हुए पाये जायेंगे, हम वहाँ उन्हीं के साथ मिलकर और उन्हीं के जरिये से काम करेंगें। पर जहाँ ऐसे संगठन नहीं होंगे, वहां हम उन लोगों के जरिये काम शुरू करेंगे जिनमें प्राकृतिक रूप से अगुआई करने के गुण होंगे। पहले हम केवल स्थानीय जरूरत के काम लेंगे। हम उन कामों को खुद केवल तभी तक चलाते रहेंगे, जब तक गांव की पंचायत उन्हें अपने हाथ में न ले लें। हम केवल उन्हीं मौकों पर सहयोग समितियों का संगठन करने की कोशिश करेंगे, जहाँ कुछ खास-खास आर्थिक काम होंगे, जिनमें लोग अपने समय और शक्ति को ठीक से लगा सकें। अधिकतर एक-एक विधि या उन्नतिशील वस्तु के प्रदर्शन पूरे गांव में इस तरह किये जायेंगे कि इसे वहाँ के सभी किसान अपना लें। इनका चुनाव ऐसा होगा जिनमें अधिकतर खेतिहर कुछ रुचि दिखायें। यह जरूरी होगा कि गांव वालों का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त हो जाय ताकि उस काम में गांव में निश्चित परिवर्तन हो ही जाये। उदाहरण

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के लिए किसी एक गांव में पुराने बीज को छोड़ कर उन्नतिशील किस्म के गेहूं के बीज ही बोना शुरू करदें। और इस नये बीज में इतनी अधिक सफलता दिखादें कि वह गांव उसका केन्द्र मान लिया जाय, दूसरे गांव वालों को उस गांव से प्रेरणा मिले और वे उस तरह का बीज उसी गांव से लेने लगें। शुरू-शुरू में मांग की भावना को जगाने के लिए ही दूसरे प्रदर्शन नमूने के तौर पर किये जायेंगे।

पंचायतों को संगठित करने का भी कार्यक्रम रक्खा गया है।[१२] और पंचायतों के संगठित हो जाने पर उन्हीं के द्वारा कार्यक्रम चालू कराया जाये। महेवा में ग्राम सेवकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। एक ग्राम-साथी छः से लेकर आठ गांवों तक में काम करेगा।[१३] निगरानी का काम अच्छी तरह होना चाहिए। यह योजना बनाई गई है कि पंचायत की देख रेख में ही कई कमेटियाँ बना दी जायें जो ग्राम साथी के काम में मदद दें। गांव वालों के और इन संगठनों के बीच ग्राम-साथी बीच की कड़ी का काम करेगा।

काम को दो भिन्न-भिन्न क्रमों में पूरा करना होगा :—

(१) **प्रदर्शन कार्यक्रम**—यह सीधा गांव वालों के साथ ग्राम सेवकों और पंचायतों के द्वारा चलाया जायेगा। इस काम में कृषि, जन-स्वास्थ्य और सभी प्रकार के साधारण ग्राम जीवन को सजीव बनाने के प्रयत्न शामिल होंगे। जिन कामों में गांव वालों की रुचि होगी, उन पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। और जैसे-जैसे गांव वालों की रुचि दूसरे-दूसरे कामों में अधिकाधिक होती जायेगी, वैसे ही वैसे इस काम में भी विकास होता जायगा। इस के लिये उन संगठनों को काम में लाना होगा जो इस समय मौजूद हैं और गांव वालों से जिन का संपर्क है। इस काम का विस्तार जल्दी किन्तु ठोस बुनियाद पर होना चाहिए।

(२) काम का दूसरा अंग ऐसा होगा जो गांव वालों की या गांव के संगठनों की शक्ति के बाहर हो। जैसे; यमुना नदी के किनारों पर होने वाले भारी कटावों की रोक के लिए रूप रेखा बनाना, उपाय करना और बड़ी-बड़ी मशीनों से उनकी विधि प्रदर्शित करना।

निश्चित कार्यक्रम

(१) **सुधरे हुये बीज**—जिले में बुनियादी बीज गोदामों (Basic Seed Station) और दूसरे जरियों से केवल थोड़ी ही तादाद में सुधरा हुआ बीज मिल सकता है। पहले क्षेत्र के विकास की सुविधा के लिये उसी हद तक यह बीज काम में लाया जायेगा कि दूसरे क्षेत्रों के काम को बाधा न पहुंचे। इस वर्ष तो कुछ बीज जिले के बाहर से भी मंगवाना पड़ेगा। आवश्यकताओं की सूची के हिसाब से वह इस प्रकार है :—

---

१२ उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट १९४७ के अनुसार १९४८ में पंचायतों का चुनाव किया गया और उन्हें स्थानीय कामों को संचालित करने का अधिकार दिया गया।

१३ कुछ समय काम का अध्ययन करने के बाद यह तय किया गया कि एक ग्राम सेवक केवल ४ ही गांवों की देख भाल करे।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(अ) **गेहूं का बीज**—इटावा जिले में पंजाब नं० ५९१ वाला बीज २००० मन मिल सकता है। इसमें से १००० मन प्रामाणित बीज उगाने वाले किसानों को दिया जायेगा। यह वितरण प्रचलित नियमों के अनुसार किया जायेगा, ताकि बुनियादी बीज गोदामों को अच्छा और शुद्ध बीज वापस मिल सके। महेवा क्षेत्र में १००० मन बीज बांटा जायगा। और यह बीज अधिकांश उन दो या तीन गांवों में दिया जायेगा जो अपने कुल गेहूं के खेतों में इसका प्रदर्शन और प्रयोग करने के लिए तैयार होंगे। इन गांवों में सिंचाई की सुविधाओं का होना भी जरूरी होगा।

प्रदर्शनों की बुनियाद :—घुन आदि से बचाने के लिए बीज में दवा का प्रयोग कर देना चाहिए। मामूली बुवाई के लिए किसान की मर्जी के मुताबिक बीज का वितरण या तो बीज गोदाम से उधार के रूप में प्रचलित रीति से किया जाये, अथवा सीधी बिक्री या बराबर की वापसी के रूप में हो। बीज गोदामों को यह छूट देने के लिए प्रामाणिक किसानों को राजी होना चाहिए कि गोदाम वाले चाहें तो उपज के किसी भाग को या पूरी की पूरी उपज को बाजार दर पर दो आना रुपया अधिक देकर खरीद लें। बीच-बीच में उन खेतों का निरीक्षण किया जायेगा जिनमें प्रामाणिक बीज बोया गया है और फसल कटने के समय मिलावट को रोकने और गोदाम में रखते समय क्षति को बचाने के लिए खास सावधानी बर्ती जायेगी।

आशा के अनुसार नतीजे : (उन गांवों में जहाँ के सभी खेतों में केवल उन्नति शील बीज बोया गया है) पहले साल १००० एकड़ भूमि पर खेती। दूसरे साल वितरण के लिये खरीदा हुआ कुल उन्नतिशील बीज-----८००० मन। बीज और खाद आदि को रखने के लिए बीज गोदामों की सुविधाओं का उपयोग किया जायेगा। पहले साल इसके अलावा और दूसरी चीजों के रखने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। दूसरे साल ऐसे गांवों की संख्या बढ़ाकर २४ कर दी जायेगी, जो पूरे गांव के लिए प्रदर्शन कार्य-क्रम रक्खेंगे। ये गांव सुधरे हुए बीज की दूसरी पीढ़ी के अनाज को करीब ६०,००० मन तक इकट्ठा करेंगे। इससे क्षेत्र भर के सभी गांवों को दिये जाने के लिए बीज की सारी जरूरत पूरी हो जायेगी।

(ब) **जौ** :—जौ के वितरण के भी वे ही नियम होंगे जिन का वर्णन गेहूं के सम्बन्ध में ऊपर किया गया है। २५१ नम्बर की किस्म के जौ का उपयोग किया जायेगा। जिन बीजों की जरूत पड़ेगी वे ये हैं :—२५१ नम्बर का जौ ३०० मन। कीड़ा मार दवा साठ पौंड (३० सेर)।

(स) **सरसों** :—इसकी नम्बर ११ वाली किस्म बांटी जायेगी। इस किस्म का बीज बाहर से मंगवाना पड़ेगा।

(ड) **सनई** :--- (हरी खाद के रूप में) इस क्षेत्र में बहुत छोटे रकबे में सनई बोई जाती है। पर वह हरी खाद की आवश्यकता के अनुसार काफी नहीं है। इस सम्बन्ध में बीज की पूर्ति की और बीज बोने के तरीके में परिवर्तन करने की जरूरत है। इसके साथ ही सनई को जोत कर खेत में खाद के रूप में मिला देने वाली जुताई का भी मसला है। इस समय खेतिहरों की जो स्थिति है, उसके हिसाब से वे इस तरह के जोत के मसले को सफलता पूर्वक खुद हल नहीं कर सकते। भूमि-सुधार के काम को नीचे लिखे कामों से जोड़ना पड़ेगा। प्रदर्शन के लिये हलों का उधार दिया जाना, बरसात के पहले जुताई करना, बरसात शुरू होने के ठीक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पहले सनई बोना, रबी की फसल बोने के पहले सनई को जोतकर खेत की मिट्टी में मिला देना।

प्रस्तावित वितरण :—बीज गोदामों के जरिये सीधे बिक्री करना या उधार देना। इस कार्य-क्रम के अनुसार पहले दस गांवों में वितरण पर खास जोर दिया जायेगा। पौध लगाने या बीज बोने के तरीकों को, जुताई के काम को और तैयार होने वाली फसल से कितनी उपज हुई, इसे देखने के लिए प्रदर्शन सभाओं को संगठित करना चाहिए। तैयार फसल में वैज्ञानिक रीति से कटाई का प्रबन्ध करना चाहिए। यह आशा की जाती है कि दो दाल वाली फसलों और हरी खाद की खेती का यह कार्य-क्रम, सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में सभी तरह की फसलों की उपज को बढ़ा देगा।

(इ) **मक्का**—मक्का की जौनपुरी किस्म को बहुत से किसान अधिक समझते हैं। १९४९ के खरीफ में (जून-अक्टूबर) कम से कम दस गांवों में क्षेत्रीय प्रदर्शन के रूप में इसका उपयोग शुरू किया जायेगा। प्रदर्शन के हर एक खेत के आधे में देशी बीज और आधे में उन्नतिशील बीज बोकर आज़माइश की जायेगी कि दोनों का क्या नतीजा निकलता है।

टिप्पणी—प्रदर्शन योग्य भुट्टों के लिए मकई की जो सुधरी हुई किस्म शुरू की जायेगी उसके लिये ये बातें जरूरी होंगी—(१) कम्पोस्ट खाद देना और जहां मिल सके वहां रासायनिक खाद भी डालना (२) जिस तरह इस समय बोवाई की जाती है, उस के स्थान पर कतारों में बोना, (३) सुधरे हुये किस्म के बीज बोना। (४) बीच-बीच में दो दाल वाली फसलों को बोना।

(फ) **आलू**---इस क्षेत्र में सुधरे हुये आलू की किस्मों की बहुत जरूरत है। आमतौर पर गोला या पटना किस्म के आलू बोये जाते हैं। यहां माल को बाहर लेजाने के साधनों की बहुत कमी है। गर्मी के दिनों में बीज को रखने का भी सवाल है। आलू की फसल बढ़ाने की योजना में ये दोनों कठिनाइयाँ बहुत विघ्न डालेंगी।

हम प्रयोग करने के लिए सुधरे हुए पटना किस्म के २० मन बीज लेंगे। इन्हें बाहर से मंगाना होगा। अक्टूबर के महीने में कुछ चुने गए बोने वालों को ये बीज दिये जायेंगे। १९४९ में बीजों को प्राप्त करने के स्थानों और उपज बढ़ाने में सहायक सामग्रियों का प्रबंध किया जायगा।

(ग) **बरसीम**—चारे की बहुत कमी हो गई है। इससे किसानों का ध्यान बरसीम की तरफ अधिक खिंचा है। कुछ थोड़े-से किसान इस तरह की फसल के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। और जिन दूसरे किसानों ने इसके बारे में सुना है, वे बोकर देखने की कोशिश करेंगे। परीक्षण के रूप में काम करने के लिए इस फसल में रुचि रखने वाले किसानों में बांटने के लिए १०० मन बीजों की जरूरत है।[१४]

(ह) **फलदार पेड़ पौधे**—पपीते, केले, आम, लीची, नीबू के पौधे थोड़ी-थोड़ी तादाद में केवल उन गांव वालों को दिए जायेंगे, जो इस काम में रुचि दिखाएंगे और जो नाम मात्र के दाम देने को तैयार होंगे। कोर्ट-आफ-वार्डस द्वारा किसानों को पेड़ लगाने

---

१४ बाद में पता चला कि यह अनुमान बहुत अधिक था—पहले वर्ष केवल ५ मन बरसीम का बीज खप सका।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के अधिकार दिला दिये जायेंगे। जो किसान अर्जी देंगे, उन्हें पेड़ लगाने और उनकी रक्षा करने की बातें बताई जायेंगी। उन्हें प्रदर्शन करके भी दिखाया जायेगा। गांवों की पंचायतों को स्कूलों और दूसरे स्थानों पर जनता के उपयोग के लिए पेड़ लगाने के काम में प्रोत्साहन दिया जायेगा। जहाँ संभव होगा वहाँ कटीले पेड़ों और झाड़ियों को बीच बीच में लगाकर इस बात का प्रदर्शन करके दिखाया जायेगा कि पशुओं से पेड़ों की कैसे रक्षा की जानी चाहिए।

आवश्यकताएँ :—५०० अमरूद, १०० आम, ५०० नीबू, १००० पपीते। ये सब एक साल के लिए लिए जायेंगे। यह सब गांव वालों की मांग पर निर्भर रहेगा।

वितरण का आधार :—नाम मात्र के दामों पर गांव वालों के हाथ इन चीजों की बिक्री की जायेगी। दामों का निश्चय कर लिया जायेगा। जिन गांवों को पौध दिये जायेंगे, वहां प्रदर्शन का प्रबंध किया जायेगा।

औजार-यंत्र और साधन-सामग्री :—जमीन तोड़ने वाले छोटे हल, जमीन तोड़ने वाले भारी हल, कटाई के औजार आदि; जैसे इस समय बीज गोदामों में रक्खे जाते हैं, वैसे ही रक्खे जायेंगे। इनके अलावा यह विचार किया जा रहा है कि एक प्रदर्शन सेवा दल तैयार किया जाये। इसके साथ सुधरे हुए औजारों का एक सेट जरूर रहे। प्रत्येक ग्राम सेवक को औजारों का यह एक सेट जरूर दिया जाये। प्रदर्शन और उपयोग के लिए यह सेट बराबर काम में लाया जाये। इसे उधार देने और उसे ठीक से रखने की जिम्मेदारी ग्राम सेवक की होगी।

इन नये औजारों को प्रचलित करने के लिए इनके काम के ढंग को करके दिखाना होगा। जो लोग रुचि दिखायें, उनको खास समय के लिए साधनों को उधार दिया जायेगा। जब एक बार इन सुधरे हुये औजारों के लिए चाह पैदा हो जायेगी तो बाद में जो मांग होगी उसकी पूर्ति प्रचलित जरियों से करनेकी कोशिश की जायेगी।

३ पशु :—अच्छे किस्म के साँड़ों और भैंसों के जरिये पशुओं की नस्ल को सुधारने की जो इस समय योजना चल रही है उसके अंतर्गत सांड़ और भैंसे दिये जायेंगे। इसलिए किसी अतिरिक्त आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन गांवों में इस तरह का परिवर्तन करने के लिए काफी सहयोग और रुचि दीख पड़ेगी, उनमें कमजोर किस्म के देशी सांड़ों के स्थान पर अच्छे किस्म के सांड़ दिये जाने की कोशिश की जायेगी।

वितरण का आधार निम्नलिखित होगा :—

(अ) कमजोर और बुड्ढे सांड़ों की जगह अच्छे नस्ल के सांड़ों को रखने के लिए तैयार होना और खराब नस्ल के देशी सांड़ों को बधिया करने के लिए राजी होना।

(ब) सभी मादा पशुओं को दो श्रेणियों में बांटना—अच्छे किस्म के और कमजोर, रोगी तथा खराब नस्ल वाले जानवरों की पहचान के लिए हर एक पर चिन्ह लगा देना।

(स) पशु रोगों की रोकथाम के लिए अच्छे किस्म के पशुओं को दवा के टीके लगाना।

(द) जो पशु रक्खे जाँय उनके लिए चारे का काफी तादाद में उत्पादन करना।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पशुओं की आवश्यकता :—मार्च, १९४९—सांड़ २०, भैंसे ३०। मार्च, १९५०—सांड़ ३०, भैंसे ५०।

स्वास्थ्य और सफाई :—इस बात को तो सभी स्वीकार करते हैं कि स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने, टीका लगवाने तथा मक्खियों, मच्छरों, चूहों, कीड़े-मकोड़ों आदि के नियंत्रण के लिए गांव वालों को राजी करने के लिए बहुत प्रयास करना है। शुरू में तो इस काम के केवल कुछ ही पहलुओं पर जोर दिया जायेगा। किन्तु आशा है कि बाद में अस्पतालों के सहयोग से काफी बड़ा कार्यक्रम चालू किया जा सकेगा।

शुरू में हम केवल निम्नलिखित बातों के लिए कोशिश करेंगे :—

(अ) स्वच्छ जल का प्रबन्ध।

(ब) जल की निकासी, तालों, पोखरों आदि की सफाई [जिनका पानी रुका हुआ हो और जिनमें मलेरिया के कीटाणु पैदा होते हों।]

(स) गांवों में सफाई आंदोलन—१० छोटे गांवों में घरों के कीड़े-मकोड़ों को दूर करने के लिए डी० डी० टी० का छिड़काव।

(द) चेचक की रोकथाम के लिए टीके।

जिन गांवों में पम्प दिये जायेंगे उन्हीं में घरों के कीड़े-मकोड़ों को दूर करने के लिए डी० डी० टी० का छिड़काव किया जायेगा और पानी की निकासी का प्रबंध तथा गंदे गड्ढों, तालाबों, नालियों और गांव की गलियों में सुधार किया जायेगा। इसके लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वे ये हैं—

डी० डी० टी० पाउडर के ६ ड्रम, जनवरी १, १९४९, और १२०० पौंड पीला रंग। इससे सुधरे हुए घरों की दीवालें पोती जायेंगी। इससे पोते हुए घर सुधरे हुए नमूने के प्रदर्शन का काम देंगे। साथ ही इससे की गई पुताई उन लोगों के इनाम के रूप में होगी जो इस दिशा में अच्छा काम करेंगे।

५ सहकारी सेवाएँ :—गांवों में बिजली या इस तरह की दूसरी पशु या मशीन संचालन शक्ति की बहुत कमी है। इस कमी के कारण किसान जमीन को तोड़कर उपजाऊ नहीं बना सकता, बाढ़ की रोक के लिए बांध नहीं बांध सकता, गहरे कुओं से पानी निकाल कर सिंचाई नहीं कर सकता। हर किसान के अपने-अपने खेत इतने छोटे होते हैं कि वे इस तरह की शक्ति को काम में नहीं ला सकते। इसका उपाय यही हो सकता है कि परीक्षण के रूप में सहयोगी सेवाओं की स्थापना की जाए, ऐसा करने से इस बात का पता चल जायगा कि जिस तरह की शक्ति का प्रबन्ध छोटी-छोटी जोतों वाले किसान अलग-अलग नहीं कर सकते, वह प्रबन्ध सहयोगी सेवाओं द्वारा हो सकता है या नहीं। इसके साथ ही यह भी निश्चित हो जायगा कि इसके लिए जो खर्च पड़ेगा उसे किसान दे भी सकेंगे या नहीं।

६. प्रोत्साहन देने वाले कार्य :—इस कार्यक्रम में योगदान करने का जो मुख्य सिद्धान्त रक्खा गया है उसका उद्देश्य है गांव वालों के दृष्टि-कोण को व्यापक बनाना और कुछ नये नये उन्नति के कामों को करने की भावना को प्रोत्साहित करना। यह कई तरह से पूरा किया जायेगा :—

(अ) ऐसी यात्राओं का प्रबंध करना जिनमें कुछ थोड़े-से चुने हुए किसान सुधरी हुई पद्धतियों को और दूसरे क्षेत्रों को देखने के लिए जायें।

(ब) विकास केन्द्रों या जिले के सदर मुकाम पर छोटे प्रशिक्षण केन्द्र की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्थापना करना, जिसमें प्रदर्शनी, सिनेमा आदि के दिखाने और व्यावहारिक प्रदर्शनों को दिखलाने पर जोर दिया जाये।

(स) स्थानीय मेलों का प्रबंध किया जाये। ऐसे अवसरों पर जो अच्छे परिणाम निकले हैं उनका प्रदर्शन किया जाये और उनकी सहायता लेकर दूसरे गांव वालों को उस तरह के प्रदर्शन का महत्व समझाया जाय।

(द) **सफाई आन्दोलन**—जिसमें प्रौढ़ों और बालकों, दोनों का सहयोग प्राप्त किया जाये और अधिक अच्छे काम के लिए विशेष पुरस्कार दिये जायें।

(च) आगे नेता या अगुआ हो सकने वाले नौजवानों तथा अन्य लोगों के लिए दृश्य दर्शन या अध्ययन यात्राओं का प्रबंध करना, जिनसे उनके निजी विचारों का विकास हो और अधिक अच्छे जीवन के लिए प्रोत्साहन मिले।

(छ) केन्द्रीय गांव में स्थायी सूचना केन्द्र, प्रदर्शन केन्द्र और पुस्तकालय की स्थापना करना।

(ज) प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक शिक्षा का कार्य।

जब तक काम करने के ठीक तरीकों और उपयुक्त समय को तय करने के लिए गांवों में काफी काम न कर लिया जाये, तब तक तिथि कार्यक्रम, कार्य विधि और जनता की रुचि की बातों को ठीक से निश्चित नहीं किया जा सकता। हमारे दल में एक ग्राम-जीवन-विश्लेषक भी रक्खे गये हैं। अन्य कामों के साथ ही उनका यह भी कर्तव्य है कि जनता में रुचि की भावना को जगाने और जन-सहयोग प्राप्त करने वाले हमारे प्रयत्नों में वह हमारा पथ-प्रदर्शन करें।

(७) **ग्रामीण उप-केन्द्र :**—जब इतना काम कर लिया जायेगा तब नमूने के रूप में एक छोटे-से ग्रामीण उपकेन्द्र की स्थापना की जायगी, किन्तु यह केवल एक छोटा-सा फार्म और प्रदर्शन केन्द्र ही होगा।[१५]

(८) **मकान और गाँव की पुनर्योजना :**—कुछ लोगों को अपने घरों में सुधार करने या उन्हें फिर से बनाने के बारे में बहुत अधिक दिलचस्पी है। ईंट, सीमेन्ट, और टीन की चादरों की बहुत भारी कमी के कारण यह जरूरी हो गया है कि मकान बनाने के ऐसे नये तरीकों की खोज निकाला जाय जिनके लिए गांव वालों को बनाने की सामग्री मिल सकती है। मिट्टी के स्थायी, मजबूत घर बनाने की पद्धतियों का प्रदर्शन करके इस प्रश्न को बहुत हद तक हल किया जा सकता है। इस समय महेवा एक छोटा कस्बा है। तो भी वह व्यापार का केन्द्र बन रहा है। एक नये बाजार की जरूरत भी है। नई दूकानों को खोलने, गांव की गलियों को साफ करने, और इसे नमूने का गांव बनाने में कुछ लोग बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। गांव के ऐसे सुधार-कार्य के लिए रुपये-पैसे की सहायता दिये जाने का सुझाव तो नहीं दिया जा रहा

---

[१५] असल में इस तरह के केन्द्र की स्थापना पूरी तरह से कभी नहीं की गई। आगे विचार करने पर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इस तरह का नमूने का फार्म हमारा बहुत अधिक समय ले लेगा। इसके अलावा इस फार्म पर जो अच्छे काम करके दिखाये जायेंगे, उन्हें शंकालु गांव वाले उतना महत्व नहीं देंगे। वे यही कहेंगे कि "फार्म वालों को सरकारी सहायता मिलती है, इसी कारण वे इतना अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। उन कामों से हमें क्या मतलब है ?" इस कारण जो भी प्रदर्शन करके दिखाये गये, वे सब गांव वालों के खेतों पर ही किये गये।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है। किन्तु यह सुझाव जरूर है कि गांव के नेतृत्व को सुगठित करने, बंधे हुए गंदे नालों और गढ़ों के पानी को निकालने तथा गांव की गलियों को क्रमबद्ध करने आदि के कामों के लिये इस समय जो साधन-सुविधाएं प्राप्त हैं उनमें ऐसा सुधार कर दिया जाय, जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिल सके।

जो आदमी अपने घरों को फिर से बनाना चाहते हैं या उनकी मरम्मत करना चाहते हैं, उन्हें प्राविधिक सहायता दी जायेगी। पर इस समय कार्यक्रम में ऐसे काम के लिए ठीक समय का निश्चय करना जल्दबाजी होगी।

अनुच्छेद तीन

क्रियात्मक योजनाएं[१६]

यह दल ऐसे कार्यक्रमों और योजनाओं को संगठित करने और क्रियात्मक रूप से पूरा करने का प्रस्ताव करता है, जो सरकार के वर्तमान विभाग के कार्य के किसी भी क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते और जहां हम ऐसी विधियों को काम में लायेंगे जो अब तक विशेष प्रचलित नहीं है।

जिस तरह की इंजीनियरिंग योजनाओं के प्रस्ताव किये गये, उनकी सूची इस प्रकार है:—

(१) भूमि परिरक्षण योजना।
 (क) बांध और जल-मार्ग का विकास।
 (ख) भूमि और जल-रक्षण का निर्माण।

(२) सिंचाई के कुवों और नालियों का निर्माण।
 (क) **सिंचाई**—क्षेत्र के कुछ भागों में सिंचाई सम्बंधी कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिन्हें विकास कार्य के एक अंग के रूप में हल कर लेना चाहिए, जैसे :—(१) नहर के लिफ्ट (जल को ऊपर उठाने वाला यंत्र) (२) ट्यूब वेल (पानी की निकासी)।
 (ख) **नालियां**—क्षेत्र के अधिक भागों में पानी की निकासी के विकास की आवश्यकता है। अधिकतर जमीन की सतह पर की जल की निकासी एकदम अनुपयुक्त है। दूसरे भागों में जल में डूबी हुई जमीन की अन्दरूनी सतह से पानी की निकासी की आवश्यकता है।
 (ग) **जन-स्वास्थ्य कार्य**—जन-स्वास्थ्य की दो बड़ी कठिनाइयों के लिए खासतौर पर अधिक सहायता इनसे मिल सकती है :—(१)

---

[१६] इस विभाग द्वारा जिन खास कामों को करने का विचार किया गया था, उनमें यमुना के खार वाले क्षेत्र में कटाव वाली भूमि को फिर से खेती के लिए ठीक करना ही एक प्रमुख काम था। यह काम एक साल बाद छोड़ दिया गया और ऊपर वाला पूरा विभाग ही तोड़ दिया गया। भूमि को खेती योग्य बनाने वाला काम बाद में फिर से शुरू किया गया। किन्तु इसके लिए सरल पद्धतियों से काम लिया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दो इंच वाले ट्यूबवेल और हाथ के पम्प से, जिनके द्वारा गांवों में साफ पानी मिल सकता है, (२) पानी की निकासी या नालियों का काम यदि अधिक बड़े रकबे में किया जाय तो उससे पानी की निकासी की रूप-रेखा तैयार हो जायेगी।

(३) **सड़कें**[१७]—(सड़क निर्माण) मिट्टी के बहाव की रोक और पानी की निकासी के कामों में सुविधाएं पहुंचाने के लिए मिट्टी हटाने वाले कुछ यंत्रों का विकास करना पड़ेगा, जिनसे गांव की सड़कों को सुधारने में कुछ मदद मिले। कुछ ऐसी सड़कें तो बनानी पड़ेंगी, जिन के द्वारा उन स्थानों पर पहुँचा जाये, जहां मिट्टी के कटाव की रोक-थाम का काम चल रहा था। इसलिये सड़क निर्माण की दिशा में कुछ सहायता देना सम्भव होगा।

(४) मशीनों द्वारा ज़मीन कीजुताई। (४८.२)

[हमारी विशिष्ट योजना के ये मुख्य भौतिक अंग थे। इस योजना को सफल बनाने के लिए दो और चीजों की तुरन्त ही जरूरत थी : क्षेत्र के गांवों में काम करने के लिए प्रशिक्षित और योग्य कार्यकर्त्ताओं की भारी तादाद और खुद गांव वालों का सक्रिय सहयोग। हमने इन दोनों के लिए जो उपाय और नियम बतायें हैं, उन का विवरण इटावा की मूल योजना के चौथे भाग में है। तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में इन का विस्तार से वर्णन है। इस विशिष्ट योजना में हमने अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की भी चर्चा की है। इटावा योजना के उच्च स्तर के कार्यकर्त्ताओं के दल में हरिगोविन्द गुप्त प्रशिक्षण कार्य के प्रबन्ध के लिए और महेश वार्ष्णेय इंजीनियरिंग के लिए शामिल किये गये। हरिगोविन्द गुप्त को शिक्षा देने का भी अनुभव था और उनके पास कृषि एवं पशुपालन में उपाधियां भी थीं। शुरू के सालों में इटावा में उपविकास अधिकारी और हमारे ग्रामीण पत्र 'मन्दिर से' के संपादक के रूप में वे सेवा कार्य करते रहे। इसके बाद वे अफगानिस्तान में राष्ट्रसंघ की ओर से आवश्यक सेवा कार्य में लगे रहे। इंजीनियरिंग के नये उप विकास अधिकारी महेश वार्ष्णेय को पी० डब्लू० डी० के सहायक इंजीनियर के रूप में (Well-drilling) कुंए की खुदाई का अच्छा अनुभव था। उन्होंने कुशलतापूर्वक प्रयत्न करके ग्राम सेवा कार्य की भावना भी प्राप्त करली थी और खेती के औज़ारों की औद्योगिक कला में अच्छा अनुभव प्राप्त कर लिया था।

[इस समय तक हमें सभी आवश्यक उपादान मिल चुके थे। किन्तु अब भी हम काम आरम्भ करने योग्य नहीं हो सके थे। कुशलता-पूर्वक कार्य संचालन करने के लिये उचित संगठन के ढांचे को बनाने के लिए जिस जानकारी और अनुभव की जरूरत पड़ती है, उसका अभी तक हम में अभाव था। इसके लिए आवश्यक समय भी हमारे पास न था।

---

१७ शुरू शुरू में यह सोचा गया था कि भूमि-सुधार की तरह ही सड़क-निर्माण का काम इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ही किया जायेगा, क्योंकि उसके पास बड़े साधन हैं। यह विभाग तो जल्दी ही तोड़ दिया गया पर सड़क-निर्माण का कार्य जल्दी ही गांवों में खुद शुरू हो गया। इस बार यह ''काम अपनी मदद आप करो'' की बुनियाद पर चालू हुआ। ग्राम सहयोग कार्यक्रम से इसे बहुत प्रोत्साहन मिला।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[समय की कमी क्यों थी? यह १९४८ का सितम्बर महीना था। वैसे तो हमारे मन में तो बहुत बड़े कार्यक्रम की बात थी, पर हम सबने यह तय कर लिया था कि हमें कुछ ऐसे चुने हुए कामों पर ही पूरा ज़ोर देना चाहिए जिन्हें : (१) करने की अपने पास अच्छी जानकारी थी। (२) जिन कामों को जनता चाहती थी, वि हम करें और (३) जिनके करने से जल्दी ही काफी सफलता मिलती, जिससे जनत को हम लोगों पर और खुद अपने पर भी विश्वास उत्पन्न हो जाता।

[हमारी शुरू की छोटी सूची में कृषि ही ऐसा विषय था, जिस में ये सब बातें पाई जाती थीं। बुआई का काम अक्टूबर से शुरू होता है, इसलिए हमें सितम्बर से ही काम शुरू कर देना था। यदि ठीक समय पर हम काम शुरू न करते तो खेती के काम के लिए हमें फिर दूसरी फ़सल तक रुकना पड़ता।

[इसलिये हमने अपनी विशेष योजना के पांचवे अंश के रूप में संगठन के प्रारम्भिक कार्य-क्रम को तैयार कर लिया। इस कार्य-क्रम में हर व्यक्ति के खास काम को निश्चित कर दिया और एक दूसरे के आपसी सम्बन्धों की रूपरेखा तैयार कर ली ताकि एक दूसरे के काम में विघ्न न पड़े। इस संगठन के रूप का और इसे जिन भीतरी और बाहरी मसलों का सामना करना पड़ा, उनका वर्णन अगले दो अध्यायों में किया गया है।]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

२ संगठन

अगले दो अध्यायों में रचनात्मक संगठन और उसके परिणामों का वर्णन है। योजनाओं और विचारों को सफल बनाने के लिए संगठन की विस्तृत और सर्वसम्मत रूपरेखा होनी चाहिये। जैसे :—

कौन व्यक्ति क्या निश्चित काम करेगा, किस व्यक्ति या किस संगठन से उसे आवश्यक सामग्री मिल सकेगी ? उसे पाने के लिए उसे किसके जरिये कोशिश करनी होगी ? इटावा में हमारे लिए ये ही सबसे कठिन प्रश्न थे। इसका खास कारण यह था कि बहुत लम्बे समय तक हमारी योजना को एक अलग प्रशासकीय इकाई के रूप में रहना था। किन्तु वर्तमान विभागों, उनमें काम करने वाले अधिकारियों और उनके कार्य संचालन के अपने विभागीय ढंग पर ही हमें बहुत से कार्यों के लिए व्यावहारिक हद तक निर्भर रहने की आवश्यकता थी। हम उन पर इस तरह निर्भर भी रहना चाहते थे।

[इसलिये यह कहानी ,सन् १९४६ से शुरू होती है। जब इटावा की योजना का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय जो शासन प्रबन्ध था, इस अध्याय में पहले उसी का वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए उस प्रशासन में जो व्यक्ति थे उनका चित्रण किया गया है। इसके बाद उस नये संगठन का वर्णन किया गया है, जिसकी रचना हमारे विकास कार्य द्वारा हुई। जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे ही वैसे हमारे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नये संगठन में भी कठिनाइयां और कमजोरियां पैदा हुईं, जिनकी परख और चिकित्सा की जरूरत पड़ी। इसी तरह पुराने प्रशासन और उसके अनेक विभागों के साथ हमारे सम्बन्धों-सम्पर्कों के कारण अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए और उनके हल भी खोजने पड़े। इस अध्याय में उन सब कारणों, घटनाओं और उपायों पर विचार किया गया है। इस तरह के संगठन के पूरे-पूरे स्वरूप को ठीक से सामने रख देने के विचार से इस अध्याय का वर्णन, इटावा योजना और बाद वाले विकास कार्यों के भिन्न-भिन्न समय के प्रश्नों, रिपोर्टों, विश्लेषणों और सुझावों के साथ प्रस्तुत किया गया है।]

जिले और विभागीय प्रशासन की पुरानी प्रणाली

भारत को स्वतंत्रता मिलने के पहले की ब्रिटिश, नौकरशाही का वर्णन अलबर्ट मायर ने अमेरिकन मित्रों को लिखे गये एक पत्र में किया है।

तीस वर्ष तक ब्रिटिश सिविल सर्विस अफसर रहने के बाद सी० एल० कार्नेट अब अपने काम से अवकाश लेने वाले हैं। वे हमारे पथप्रदर्शक नियुक्त किये गये थे। अपनी गहरी जानकारी के कारण वे हमारे लिये बहुत सहायक सिद्ध हुए। उनके दृष्टिकोण के भीतर जो चीजें आ सकी उनका उन्हें अपार ज्ञान है। इनके पहले इनके पिता और पितामह कलेक्टर रह चुके हैं। इस तरह लगातार तीन पीढ़ियों से कार्नेट वंश उत्तर प्रदेश में इन उच्च पदों को करीब सौ वर्षों तक संभालता रहा है। भारत में जिलाधीश या कलेक्टर, अंग्रेजी शासन व्यवस्था का मुख्य आधार रहा है। इस अधिकारी के पास शासन संचालन, मालगुजारी की वसूली और न्याय व्यवस्था के सभी अधिकार रहते थे। इनके जिले का क्षेत्रफल करीब दो हजार वर्ग मील का है। इसके अन्तर्गत दो हजार गांव हैं, जिनकी आबादी करीब दस लाख है। जिलाधीश अपने जिले का स्वतंत्र क्षत्रप ही सा होता था। पुराने जमाने में न तो टेलीफोन ही थे, न मोटर कार ही। सड़कें इतनी खराब हैं कि इस समय भी उन पर मोटर से अधिकांश गांवों में पहुंचा ही नहीं जा सकता। ऐसी दशा में उन दिनों महत्त्वपूर्ण मामलों और संकटमय स्थितियों के बारे में जिलाधीश को खुद ही निर्णय करने पड़ते थे। इससे आत्मनिर्भरता, सभी स्थितियों का सामना करने की क्षमता, सूझ बूझ, हिम्मत, सरपरस्ती की भावना तथा व्यक्तित्व के असीम विकास और व्यक्तिगत सनक की भावना को बहुत प्रोत्साहन मिलता था। कार्नेट में भी ये सब बातें पूरी तरह पाई जाती थीं। सरकारी विभागों और दफ्तरों को कार्नेट की तरह के व्यक्ति निरंतर बाधा डालने वाली निरर्थक-सी चीज समझते हैं। ऐसे व्यक्ति मंत्रियों को भी लगभग अनावश्यक समझते हैं। कार्नेट ऐसे लोग कमिश्नर या बोर्ड आफ रेवन्यू वाले उच्च पदों तक तो नहीं पहुंच पाते। पर उन ऊंचे पद वाले सभी लोगों में भी ऊंचे दर्जे की सभ्यता और समझदारी के बावजूद भी कार्नेट वाली मनोवृत्ति अन्दर-ही-अन्दर पाई जाती है।

कार्नेट में कई बातें अजीब तरह से मिली जुली पाई जाती हैं: भारत के और जीवन के सम्बन्ध में बहुत अधिक समझदारी। किन्तु उस समझदारी की एक खास हद है, जिसके बाहर वे नहीं जा सकते। वे भारत से प्रेम करते हैं; मैं समझता हूँ कि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

शायद वे भारत के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जायें। किन्तु कार्नेट इस बात से बहुत दुःखी होते हैं कि भारतीय उन्हें अपना नहीं समझते, यद्यपि वे इस भावना का कारण भी अच्छी तरह समझते हैं। कार्नेट की सबसे बड़ी खामी यही है कि वे भारतीयों को चिर बालक और अपने को उनका पिता समझते हैं। कार्नेट ने भारत पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। इन पुस्तकों में लोक गाथाओं के संग्रह हैं, बाघ और चीते के शिकारों की घटनाएं हैं, और कविताएं हैं। उन्होंने सामूहिक खेती पर भी एक पुस्तिका लिखी है। इसमें रूसी ढंग पर खेती करने पर अधिक जोर दिया गया है। स्थानीय पत्रों में वे कविताएं भी छपाते रहते हैं।

ग्राम जीवन और हिन्दुस्तानी भाषा की छोटी बड़ी जानकारी के लिए वे ज्ञान के सागर ही हैं। वे खूब मुहावरेदार हिन्दुस्तानी बोलते हैं। वे कई तरह के जंगली जानवरों के पंजों से घायल हो चुके हैं। कई बार उन्हें गोली भी लगी है। जातियों और वर्गों की पद मर्यादाओं के सम्बन्ध में उन्हें बहुत अधिक ज्ञान और रुचि है। उन की महत्ता में कार्नेट को पक्का विश्वास है। भारत में रहने वाले एक अंग्रेज के लिए यह हास्यास्पद बात है। किन्तु इन बातों से अक्सर मेरी आखें खुल गईं। गवर्नमेंन्ट हाउस में विशेष समारोह में कार्नेट के बैठने का एक खास स्थान पर प्रबन्ध किया गया था। किन्तु असल में उन्हें कायदे से जिस स्थान पर बैठाया जाना चाहिए था, उससे यह स्थान कुछ नीचे की श्रेणी का था। कार्नेट ने फौरन ही इस बारे में बात की और अपना उचित स्थान प्राप्त कर लिया। एक महाराजा थे, वे कार्नेट के बड़े मित्र और संरक्षक थे। पहले वे केवल राजा.......थे। ये महाराजा भी इस दरबार में बुलाये गये थे। उन्हें आठवीं कुर्सी पर बैठना था। प्रदेश में पहले उनका यही स्थान था। किन्तु महाराजा हो जाने पर अब उन्हें पहली कुर्सी मिलना चाहिए थी। पर इस समारोह में उन्हें यह स्थान नहीं दिया गया था। इस बेइज्जती पर बूढ़े महाराजा के दिल को बड़ा धक्का लगा। कहा जाता है कि इस बेइज्जती के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। कार्नेट को जब पता चला तो वे भी बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने फौरन ही समझ लिया कि वृद्ध महाराजा को दिल का दौरा क्यों हुआ। कार्नेट ने गवर्नर के अंग रक्षक अधिकारी से तुरन्त ही इस गलती को दूर कराया और महाराजा के पास क्षमा याचना का पत्र भिजवाया। इसमें सन्देह नहीं है कि भारत का यह रूप समाप्त हो रहा है और कार्नेट ऐसे लोग अब ध्वंसावशेष के रूप में ही रह गये हैं।

किन्तु भारत का यह रूप एकदम समाप्त नहीं हो गया है। वह इस समय भी अनेक ढंग पर उभर कर सामने आ जाता है। मेरे पास एक प्रधान सहायक या सहयोगी हैं। वह बहुत तेज दिमाग के हैं, चलते पुर्जे और प्रगतिशील भारतीय हैं। अनेक अन्य कामों के साथ ही दफतर को खोजकर जमाने और उसमें काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने में मैं उन पर भरोसा करता हूँ। उन्होंने इतने अधिक क्लर्कों और चपरासियों को रख लिया, जितने की हमें जरुरत ही नहीं थी किन्तु वे उन सब को रखने के लिये ही बराबर जोर देते गये। अन्त में मुझे उन्हीं की जिद रखनी पड़ी। बाद में युद्धोत्तर विकास विभाग के सेक्रेट्री ने [जो मेरे लिए प्रबन्ध करते थे]पूछा कि क्या मुझे उतने कर्मचारियों की सचमुच जरुरत थी? मेरे प्रधान सहायक उछल कर सामने आ गये और उन्होंने भारी बहस की, बहुत से कारण बताये। अन्त में उन्होंने यह कहा कि अनेक विभागों ने, जिनके अध्यक्ष उतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जितना कि मैं (मायर) हूँ, उतने ही कर्मचारियों की संख्या मांगी है, तब फिर हमें उतने कर्मचारी क्यों न मिलें ?

कार्नेट के तौर तरीकों का एक और उदाहरण है —एक बार राज्यपाल बायली ने मुझे गवर्नमेन्ट हाउस में भोजन के लिए बुलाया। जहाँ मैं काम करता था वह स्थान राज्यपाल भवन के बिल्कुल पास ही था। इस कारण मैं पैदल जाने लगा। जब कार्नेट ने सुना तो भौंचक्का रह गया। उन्होंने कहा कि इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई पैदल चल कर राज्यपाल-भवन गया हो। उपयुक्त सवारी जुटाने के लिए उन्होंने जमीन-आसमान के कुलाबे मिलाये, पर असफल रहे। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जब भोजन के बाद राज्यपाल मुझे बिदा करने लगे तो मेरे पैदल लौटने पर उन्हें कुछ भी अचरज नहीं हुआ। किन्तु जब मैं आधा रास्ता तय कर चुका, तब अनेक वर्दीधारी अर्दली दौड़ कर आये और बोले—हुजूर की कार खड़ी राह देख रही है।' मैंने कहा कि मेरे पास कोई कार नहीं है। किन्तु मैंने गलत कहा था। असल में कार्नेट ने मेरे लिये एक कार भेज ही दी थी।

(४६.६)

× × ×

श्री जवाहर लाल नेहरू
१७ आर्क रोड,
नई देहली, भारत। १४ अप्रैल, १९४७

प्रिय नेहरु जी,

जब मैंने भारत छोड़ा, तब मेरा विचार था कि भारतीय स्थिति के सम्बन्ध में मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा उस पर मैं अपने विचार आपके सम्मुख रख दूँ, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में, क्योंकि उसी के साथ मेरा खास सम्पर्क रहा है। खास तौर पर उसी को देने का मुझे मौका मिला है। मैं समझता हूँ कि भारत के लिये यथार्थ लाभ की बात होगी कि आप इस बात को जाने लें कि एक सहानभूतिपूर्ण विदेशी भारत की स्थिति के बारे में क्या सोचता है और इन स्थितियों के सम्बन्ध में उसके विचार में क्या सुधार सम्भव हैं।

इस सम्बन्ध में मैं कोई नया निबन्ध या सिद्धान्त नहीं रख रहा हूँ। मैं तो कुछ ऐसी कमजोरियों को सामने रखना चाहता हूँ जो जड़ जमाये हुये हैं और जिनकी जनता को आदत-सी पड़ गई है और जिन्हें लोग अनिवार्य मानते हैं। उनको नई दृष्टि से सामने रखने के लिये किसी नये आदमी की जरूरत पड़ेगी। इस कारण मैं गुणों और दोषों का व्यापक वर्णन करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं तो केवल दोषों पर ही जोर दूंगा। यह कहने की जरूरत नहीं कि भारतीय स्थिति में बहुत से गुण भी हैं। किन्तु मेरे मन पर जो छाप पड़ी है उनको लिख देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि यदि मेरे विचार गलत भी होंगे, तो भी मेरी भावना के बारे में गलतफ़हमी न होगी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रशासन और प्रशासकीय अधिकारी

१—**विशेषता का अभाव और तबादले**—भारत में आम धारणा है कि जो मनुष्य शासन प्रबन्ध के लिये चुन लिया गया या प्रशिक्षित हो चुका है वह किसी भी स्थान पर प्रशासक का काम चला सकता है। किसी भी विभाग के कार्य के लिये खास प्रशिक्षण तथा अनुभव की जरूरत नहीं। एक विभाग से दूसरे विभाग में उसकी बदली की जा सकती है, इससे विभागीय काम को कोई हानि नहीं पहुँचती। यह शायद अंग्रेजी राज्य में चलने वाली परम्परा का अवशेष है। न्याय और व्यवस्था के साधारण युग में विदेशी सरकार के लिये इस तरह की नीति उपयुक्त समझ पड़ी हो। किन्तु इस समय वह बिलकुल अनुपयुक्त है। मैंने स्वयं सभी विभागों में ऐसे तबादलों को होते देखा है और उनके नीचे लिखे हानिकारक परिणाम भी मेरे सामने आये हैं—

(अ) अधिकारी स्वयं भी अनिश्चित दशा में रहते हैं। किसी पद पर रहने के समय का अधिकांश भाग यह जानने में बीत जाता है कि उसका असली काम आखिर है क्या। उन्हें उस स्थान का न तो ज्ञान ही रहता है न अनुभव ही जिसका वे सहारा ले सकें। फलतः एक लम्बा अरसा ऐसा होता है जिसमें बहुत सी ग़लतियां होती हैं और काम में कोई प्रगति नहीं होती।

(ब) इस स्थिति के कारण उस विभाग के टेक्निकल पदाधिकारी और कार्य संचालक अपने कामों में बाधा महसूस करते हैं और काम के प्रति उदासीन हो जाते हैं। उन्हें अपने विभागीय सचिव या उपसचिव पर विश्वास नहीं रह जाता; मैंने स्वयं देखा है कि विभाग में काम करने वाले यह समझने लगते हैं कि मिनिस्टर तक अपनी समस्या पहुँचाने में सचिव और उप सचिव सहायक नहीं बाधक बन जाते हैं।

(स) जब इस तरह के तबादले बार बार होते रहते हैं तब आमतौर पर बड़ी गड़बड़ मच जाती है, क्योंकि हर एक अधिकारी के अपने कुछ खास विचार होते हैं। अनेक ऐसे रद्दोबदल होते हैं जिन पर पहले से विचार ही नहीं किया जाता और जो अक्सर सुधार तो होते ही नहीं। आमतौर पर इनसे हानि ही होती है। क्योंकि विभाग में काम करने वाले लोगों को अपने को नये ढंग से बार बार काम करने के लिये तैयार करना पड़ता है।

ये बातें केवल सचिवालय तक ही सीमित नहीं हैं। जिलों में भी इसी तरह के रद्दोबदल होते रहते हैं। जिले के कलक्टरों के तबादले तो और भी हानिकारक होते हैं, क्योंकि स्वभाव और परम्परा से कलक्टर लोग बहुत अधिक व्यक्तिवादी स्वभाव के होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों के तबादले से बहुत से काम उलट-पलट जाते हैं।

अक्सर होने वाले इन तबादलों से सहायक कर्मचारियों में तो गड़बड़ी फैलती ही है, मैं समझता हूँ कि इस तरह की स्थिति में कोई नीति पूरीतौर से लागू नहीं की जा सकती।

सुझाव (अ) मेरा सुझाव है कि उच्च विभागों में, कमिश्नरों और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों के पदों पर किसी भी व्यक्ति को कम से कम पांच साल तक रक्खा जाय। बरख़ास्तगी या तबादले केवल अयोग्यता या बेईमानी की हालत में ही हों।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(ब) उप सचिवों के तबादले तो इससे भी कम होने चाहिये। इस तरह किसी विभाग में ऊँचे दर्जों पर असली स्थिरता और अनुभव का लाभ दिया जा सकेगा।

(स) सचिव भले ही कोई टैक्नीकल आदमी न हों किन्तु उसके सहायक को तो शासन व्यवस्था के प्रशिक्षण के साथ ही उस विभाग से सम्बन्ध रखने वाले ज्ञान या अनुभव रखने की जरूरत है।

२—ऊपर से नीचे तक पूरे संपर्क का अभाव—उत्तर प्रदेश में इस बात को लोग अनुभव करते हैं कि विभिन्न विभाग अपने को एक दम अलग-अलग रखते हैं। पर अलगाव की एक ऐसी स्थिति भी है जो मानी तो नहीं जाती किन्तु जिससे बहुत अधिक हानि होती है। ऊपर से नीचे तक अर्थात् क्षेत्र में काम करने वालों और उच्च अधिकारियों में कोई सम्बन्ध नहीं रहता। एक उच्च अधिकारी अपने से नीचे पद वाले की सलाह या विचार का स्वागत नहीं करता, बल्कि वह इसको हतोत्साहित करता और रोकता है। फलतः बड़े अधिकारी को छोटा कर्मचारी कभी कोई सलाह नहीं देता क्योंकि ऐसा करने से उसे नाराजी का सामना करना पड़ता है। इन बातों से दो तरह से हानि होती है :—इससे ऊपर वाले अधिकारियों को हानि पहुँचती है क्योंकि उन्हें नीचे वालों के साथ और अनुभवों से वंचित रहना पड़ता है। नीचे वाले को यह हानि होती है कि उनके काम करने की भावना दब जाती है और वे हतोत्साहित हो जाते हैं। इस वातावरण में काम की प्रगति ठप सी रहती है।

सुझाव :—आमतौर पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक विचार-विनिमय के लिये प्रोत्साहन दिया जाय। समय-समय पर कान्फ्रेंसें बुलाई जायँ जिनमें सभी लोग अपने विचारों और अनुभवों को खुलकर सामने रख सकें। उन्हें इसके लिये उचित अवसर और वातावरण दिया जाय।

३—लक्ष्य और निष्पक्ष जाँच —अपनी रिपोर्टों और सुझावों में मैंने यह कहा है कि जहाँ तक सम्भव हो लक्ष्य निश्चित किये जायँ और ऐसे उपाय निकाले जायँ जिससे कार्यों की निश्पक्ष जाँच पड़ताल हो सके—केवल सम्पूर्ण लक्ष्य की जाँच पड़ताल न करके कार्य के प्रत्येक अंग की तथा प्रत्येक क्षेत्र की जाँच हो। आजकल बहुत सी जाँच दिखावा मात्र रह जाती है। इस तरह के दिखावे केवल निरर्थक ही नहीं हैं, उनसे बहुत अधिक हानि भी होती है।

सुझाव :—यहाँ मैं इतना बता देना आवश्यक समझता हूँ कि जो विभाग द्वारा जाँच पड़ताल का काम करे उसकी निष्पक्षता में किसी को सन्देह नहीं होना चाहिये। उदाहरण के लिये, यदि उपज के सम्बन्ध में जाँच की जाय तो विभाग के द्वारा की गई जाँच के अलावा किसी दूसरी ऐसी संस्था से भी जाँच करा ली जाय जो बिल्कुल निष्पक्ष हो।

४—चलाई जाने वाली योजनाओं के लिये —आवश्यक धन तथा कार्यकर्त्ताओं की कमी पहले भारत में कार्य सम्बन्धी ज्ञान और संचालन की सारी बातें अंग्रेजों के ही हाथों में थीं। बाद में न्याय और व्यवस्था के शासन से भारत एक दम समाज सेवी शासन के रूप में बदल गया। इन कारणों से योजनाएँ तो स्वीकृत होती हैं और उनके अनुसार काम करने की कोशिशें की जाती हैं, किन्तु जिन कर्मचारियों के जरिये यह कराने की चेष्टा की जाती है वे पूरी तरह से अनुपयुक्त होते हैं। इस विषय में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्राय: तीन तरह की अनुपयुक्तता पाई जाती है :—कम संख्या, व्यक्तिगत चरित्र तथा गुणों के महत्त्व को महसूस करने में कमी, और निश्चित रूप से प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता।

मैं इस सम्बन्ध में अनेक उदाहरण उपस्थित कर सकता हूँ। किन्तु यहाँ केवल एक ही उदाहरण दूँगा। विकास आयुक्त का नया विभाग स्थापित किया गया है। कागज पर तो यह कितना ही भला क्यों न लगे किन्तु ६ करोड़ जन संख्या वाले प्रदेश की योजनाओं में आपसी मेल बैठाना और उनके हिसाब से कार्य संचालन करना बहुत ही कठिन काम है। बहुत अधिक विकसित पश्चिमी देशों में भी ऐसा काम प्राय: असम्भव होता। यदि यह काम बहुत अच्छी तरह नहीं किया गया तो लाभदायक साधन होने के बजाय इसमें और देर लग जायेगी और इससे गड़बड़ी पैदा हो जायेगी। फिर भी मेरी राय में तो योजना का संचालन ऐसे कार्यकर्त्ताओं से कराया जाने वाला था जो संख्या और योग्यता में एक दम अनुपयुक्त थे।

सुझाव :—जहाँ जहाँ योजना को चालू करने या न करने की छूट या गुंजाइश हो यानी जहाँ राजनीतिक या जनता की माँग इतनी अधिक न हो कि उसको टाला ही नहीं जा सके, वहाँ केवल वे ही योजनाएँ चालू की जायें जिनको चलाने के लिए उचित संख्या और योग्यता वाले कार्यकर्त्ता मिल सकें या तैयार किये जा सकें।

मुझे इस बात का भी पता है कि कभी कभी राजनीतिक दबाव इतना अधिक होता है कि जहाँ ऐसी स्थिति नहीं भी होती वहाँ भी मजबूरन योजनाओं को चालू कर ही देना पड़ता है और कार्यकर्त्ताओं की अनुपयुक्तता का भान होने पर भी काम शुरू करा देना होता है। मैं केवल इसी बात पर अधिक जोर देना चाहता हूँ कि मंत्री तथा सेक्रेटरी इस बात को अभी तक जितना महसूस करते हैं, इससे कहीं अधिक इसका ख्याल रक्खें। यदि मंत्री तथा सेक्रेटरी इस बात के प्रति अधिक सजग होते तो वे जिस तरह के कार्यकर्त्ताओं को खोज निकालते हैं या तैयार करते हैं, उनसे कहीं अधिक अच्छे कार्यकर्त्ता तैयार कर सकते। राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत जल्दी ही इसका पता चल जायेगा कि यह कहीं अधिक उत्तम होता कि सफलता के साथ कम ही योजनाएँ चलाई जायें बनिस्बत इसके कि बहुत अधिक योजनाएँ तो शुरू कर दी जायें, पर वे या तो असफल हो जायें या उनमें मामूली-सी ही सफलता देख पड़े।

जैसा कि मैं शुरू में कह चुका हूँ, कुछ समय से मेरे दिमाग में यह उथल-पुथल मच रही थी कि आप को पत्र लिखूं या न लिखूं। किन्तु अन्त में मैंने यही निश्चय किया कि यदि मैं न लिखूं तो भारत के साथ मेरे आध्यात्मिक सम्बन्ध को दृष्टि में रखते हुये मैं अपने कर्तव्य से च्युत हूँगा। मैं यह भी जानता हूँ कि आप इन सारी बातों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। किन्तु तो भी मैंने महसूस किया कि सारी वस्तु स्थिति को साफ साफ ठोस ढंग पर एक ही बार में उपस्थित कर देना लाभकर होगा।

मैं इतना और भी कह देना चाहता हूँ कि मेरी ये आलोचनाएँ व्यक्तिगत ढंग की नहीं हैं क्योंकि मेरे निजी सम्बन्ध मंत्रियों और सेक्रेटरियों के साथ ऐसे उत्तम रहे हैं जो मेरे जीवन के सबसे अधिक सुखद अनुभव हैं। उनके प्रति मेरे मन में बहुत आदर है और मैं उनके प्रयत्नों और उनकी लगन का सम्मान करता हूँ।

भवदीय

(४७.१) एलबर्ट मायर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नवीन संगठनों में संघर्ष

शुरू से ही इटावा योजना में व्यवस्था सम्बन्धी मसले थे। हमारे प्रारम्भ के असीम उत्साह के कारण बहुत दिनों तक ये मसले दबे रहे और नगण्य जान पड़े। किन्तु १९५१ तक आते-आते एक ऐसा संकट काल उपस्थित हो गया जिसने सारे विकास कार्य-क्रम को ही खतरे में डाल दिया। यह खतरा शासन व्यवस्था सम्बन्धी सिद्धान्तों को लेकर दो शासन व्यवस्थाओं के आपसी के विरोधों के कारण पैदा हुआ था एक थी पुरानी, दकियानूसी तानाशाही नीति; और दूसरी थी नवीन, विकास वादी जनतांत्रिक विचार धारा।

नवीन बनाम दकियानूसी शासन विधियां

भारत पर करीब दो सौ वर्षों तक उपनिवेशी या साम्राज्यवादी ढंग का शासन रहा था। इस में प्रशासन का एक छत्र राज्य था प्रशासक को ही टैक्स वसूली और कानून तथा नियंत्रण सम्बधी दोनों अधिकार रहते थे। वही अधिकार में और प्रतिष्ठा की परम्परा में सर्वोच्च होता था।

सभी ने प्रथम अग्रगामी योजना में यथार्थवादी, और निश्चयपूर्ण विकास पक्ष के प्रारम्भ का समर्थन किया था। किन्तु जब योजना को असली सफलता और मान्यता प्राप्त होने लगी, तब प्रशासक दल के प्रति उसकी अन्तरनिहित चुनौती असली रूप में सामने आई। इस समय भी प्रशासक ही सर्वेसर्वा रहता है, वह भी अक्सर निरंकुश ढंग पर ही। जो व्यक्ति विकास कार्य में लगे वे योग्य, व्यवहार-कुशल और दृढ़ निश्चय वाले साबित हुए। शुरू में जनतांत्रिक ढंग पर काम चालू किया गया। कार्यकर्ताओं की मीटिंगें करके विचारों का आदान-प्रदान किया गया और उसी के निर्णयों के अनुसार आगे कार्य की व्यवस्था की गई। किन्तु विकास विभाग में काम करने वालों ने देखा कि अब इस तरह के जनतांत्रिक ढंग को छोड़ कर पुराने ढंग की 'हुक्म देने' वाली परिपाटी फिर से लागू की जाने लगी है। इस में उन्होंने अपनी उपयोगिता और आत्म सम्मान के लिए खतरे की बात समझा। इससे दोनों व्यवस्थाओं में संघर्ष सा पैदा हो गया। जो प्रश्न यहां उठाया गया है वह उन सब से अधिक महत्वपूर्ण है, जो विकास कार्य संचालन के पहले वर्ष में सामने आये थे। हमारे काम का भविष्य इस समस्या के तात्कालिक हल पर ही निर्भर है।

इटावा की वर्तमान संकटकालीन स्थिति पर टिप्पणी:—रूप रेखा, समस्या, उसका निदान और विकास कार्यों पर उसका प्रभाव।

इटावा में कार्यकर्ताओं से सम्बन्ध रखने वाली कुछ भारी कठिनाइयां उठ खड़ी हुई हैं। और यद्यपि वहां पर कुछ विशेष कारणों से ये अधिक बढ़ गई हैं, पर इन से इस तरह के सभी विकास कार्यों के संगठन की कमजोरियां प्रकट हो जाती हैं। इस कमजोरी का कारण यही है कि हमने अभी यह न तो ठीक से समझा ही है न उसके बारे में कुछ निश्चित किया है कि नया शासन प्रबन्ध कैसा होगा, और नव राष्ट्र निर्माण के प्रयत्नों के लिए दूसरों से और आपस में कैसा सम्बन्ध होगा इटावा [या जहां कहीं भी उस तरह का काम चलाया जाये] उसको जीवित रखने एवं

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सफल बनाने के लिए जिस दर्जे की लगन, सतत प्रयत्न, उत्साह, और सहयोग की आवश्यकता है, उन्हें लाने के लिए उस प्रश्न को हल करना ही होगा। इन नई बातों पर पूरी तरह से विचार कर लेना चाहिए। उनके हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए इस कारण साथ ही हर दर्जे के काम की व्यापकता और जिम्मेदारी को साफ साफ व्यक्त कर देनी चाहिए।

अभी तक आधार भूत यह कमजोरी इतनी खुल कर सामने नहीं आई थी और न उससे वैसी बाधा पड़ी थी, क्योंकि व्यक्तिगत सम्बन्धों के प्रेम ने और घनिष्ठ आन्तरिक मेल की भावना, और शुरू-शुरू के बेहद उत्साह इतने जोरदार थे कि ये भीतरी छिपे हुए विरोध दबे पड़े रहे। इस बात को साफ तौर पर समझ लेना चाहिये कि यद्यपि इटावा योजना में खेती के उत्पादन की वृद्धि और अनेक प्रकार की भौतिक उन्नति के परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, पर यह केवल नई भावनाओं और दृष्टिकोणों के सूचक हैं। इनका आधार है रचनात्मक भावना को पूरा-पूरा प्रोत्साहन और कार्य की सुविधा। यदि यह भावना लगातार और पूरी तौर पर विकसित न होती रही तो काम में सफलता न मिलेगी और यदि सफलता मिली भी तो वह स्थायी न होगी। यह गलती भी नहीं करनी चाहिये कि योजना की सफलता का कारण किसी सिद्धान्त विशेष को मान लिया जाय, जैसे ग्राम सेवक या योजना को लक्ष्यबद्ध बनाना। ये बातें बहुत ही आवश्यक और महत्त्वपूर्ण हैं जिनसे योजना का काम एक कदम आगे बढ़ता है। किन्तु यदि मूल तत्व का ही अभाव हो तो इनमें से कोई भी बात महत्वपूर्ण मसले की मांगों को पूरा नहीं कर सकती। ये महत्त्वपूर्ण तत्व हैं, लगन, उत्साह, कार्य प्रारम्भ करने की शक्ति या अभिक्रम, पद-गौरव और आत्म सम्मान को प्रबल भावना, सभी श्रेणी के कार्य-कर्ताओं में इस भावना का उचित बोध। अगर यह तत्व नहीं रहेगा तो उसके सारे उपाय स्वयं शक्तिहीन हो जायेंगे। काम की गति रुक जायेगी और एक नई गतिहीनता और निराशा उत्पन्न हो जायेगी।

इटावा योजना में जिन कामों को कार्य रूप से चालू किया गया था वे करीब करीब सभी पहले कहीं न कहीं कागज पर सोची विचारी और नियोजित की जा चुकी थीं और उनके अनुसार कार्य संचालन भी पहले कहीं न कहीं हो चुका था। ग्राम विकास विभाग द्वारा कुछ काम चालू किये गये थे। ब्रायन ने गुड़गाँव में कुछ प्रयोग किये थे। चूंकि इन सब बातों को इटावा में क्रमबद्ध किया गया था और योजना बनाने और निर्णय करने में हर एक कार्यकर्त्ता ने भाग लिया था, इसलिये यह काम काफी आगे बढ़ सका और महत्वपूर्ण सफलतायें प्राप्त हो सकीं।

दूसरे शब्दों में यह कहा जायेगा कि हमारी सफलता का मुख्य कारण क्षेत्र में काम करने वालों की नई भावना ही है। इस योजना में भाग लेने वाले सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारियों ने सबसे नीचे स्तर के कार्यकर्त्ताओं के प्रति और उनकी पद मर्यादा के प्रति आदर का भाव रक्खा, नियमित रूप से होने वाली कार्यकर्त्ताओं की मीटिंग में हर एक व्यक्ति को अपने विचारों को सबके सामने रखने की और उनपर वाद-विवाद करने की स्वतंन्त्रता दी गई। जब एक बार सब मिलकर कोई निर्णय कर लेते थे या किसी कार्य के लक्ष्य को निश्चित कर लेते थे तो उस पर डट कर अमल किया जाता था। उनमें रद्दोबदल तभी की जाती थी जब वे अव्यवहारिक सिद्ध होते

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

थे और दूसरी मीटिंग में सब मिलकर उनके बदलने का निर्णय करते थे। इस पद्धति से समय नष्ट नहीं होता था। बल्कि इससे समय की बचत ही होती थी। वस्तुतः दीर्घकाल में किसी कार्य में सफलता पाने और उस सफलता को स्थाई बनाने का यही एक कारगर तरीका है। यह पूरा दृष्टिकोण एक दूसरे को समझने और आपस में मिलकर काम करने की रीति गाँव में और गाँव वालों के आपसी व्यवहार पर भी असर डालती थी।

यहाँ यह बात नहीं होने पाती थी कि कोई भी उच्च पदाधिकारी किसी काम के बारे में मनमाने ढंग पर निर्णय करे या उसमें तानाशाही ढंग पर रद्दोबदल कर दे। क्योंकि ऐसी बात से सच्चा और निष्ठावान् कार्यकर्त्ता उलझन में पड़ जाता है। इटावा योजना में किसी भी नीचे स्तर के अफसर या सदस्य के अधिकार की अवहेलना तानाशाही ढंग पर नहीं की जाती थी। क्योंकि ऐसा करने से निचले स्तर के कार्यकर्त्ता अपमान और लज्जा का अनुभव करते हैं।

अब यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि यह देखा जाय कि इटावा योजना द्वारा प्राप्त किये हुये मुख्य अनुभव का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग निश्चित रूप से प्रशासन के सिद्धान्त व्यवहार और कार्य पद्धति में सम्मिलित कर लिया जाय, ताकि वर्षों के प्रयोग और प्रयास के बाद किया हुआ अनुभव किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या दूसरे अफसर के व्यक्तिगत निर्णयों, तानाशाही कार्यों या मनमानी पसन्द के कारण मटियामेट न हो जाय। हर स्तर पर यह बात आवश्यक है। पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर तो यह बात बिल्कुल ही आवश्यक है, क्योंकि परम्परा से वह अपने को स्वतन्त्र क्षत्रप या अधीश्वर मानते चले आये हैं, और यह भावना आज भी उतनी ही जोरदार और अमिट है। यह केवल इटावा ही में अपना बुरा असर नहीं दिखा रही है। इटावा इस बात का पहला उदाहरण है, किन्तु यह उन दूसरे स्थानों पर भी हानिकारक सिद्ध होगी जहाँ काम व्यापक और महत्त्वपूर्ण हो जायेगा और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एवं प्रशासकीय अधिकारी उस काम में काफी दिलचस्पी लेने लगेंगे या हस्तक्षेप करने लगेंगे। इसलिये यह जरूरी है कि कार्य का ढांचा बना लिया जाय। हर काम के बारे में सभी बातें ठीक से निश्चित कर दी जायं ताकि हर आदमी को इस बात का पता रहे कि उसे कौन सा काम किस हद तक करना है और उसका कर्तव्य क्या है। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी काम से सम्बन्ध रखते हों और जिनका प्रशासकीय स्तर ऊंचा हो, उन्हें मनमाने ढंग पर निर्णय करने और काम को बदलने का विशेष अधिकार न हो क्योंकि अपने पद के अधिकार के कारण और उस अधिकार को काम में लाने के कारण वे गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। प्रशासकीय सम्बन्धों का एक लिखित विवरण या कागजी चार्ट ही नहीं बल्कि इसका पूरा ढांचा भी होना चाहिये। उसी के अनुसार सब कार्य करें और कार्य करायें। इन नियमों की भावना के अनुसार सारा काम हो, इस विषय में यदि जल्दी और दृढ़ता से कार्य न किया गया तो जिन महत्त्वपूर्ण मसलों के हल करने में हम लगे हुए हैं वह चौपट हो जायेगा।

इस प्रकार इस विषय में भी, इटावा को अग्रगामी योजना के रूप में सामने आने का बहुत ही जबरदस्त अवसर है। यह उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी है।

यहां प्रशासकीय स्थिति और उसके मसलों को सामने रक्खा गया है। अब

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उन मसलों के हल करने के लिये ऐसी योजना बनाना होगा जो सफल हो। यह सब उसी तरह होगा जैसा हमने अग्रगामी योजना को तैयार करते समय किया था। इटावा इस में फिर भी अगुआई करेगा।

एलबर्ट मायर

[५१.५]

अमेरिका में रहने वाले कुछ मित्रों को मायर ने पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने उत्साह एवं प्रसन्नता से लिखा था कि भारी परिश्रम, संकोच और कष्ट के बाद इन प्रशासकीय प्रश्नों के हल निकाले गये हैं और उनको इस कार्य से सम्बन्ध रखने वाले सभी लोगों ने मान लिया है।

लखनऊ
अगस्त ३, १९५२

क्या आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में धीमी गड़गड़ाहट की-सी आवाज सुनी ? शायद न भी सुनी हो, क्योंकि संसार में बहुत-सी चीज़ों की जोरदार आवाजें उठ रही हैं जिनसे दूसरी आवाजें दब जाती हैं। यह एक चट्टान के फटने की-सी गड़गड़ाहट हुई है।

एक बार मैंने लिखा था कि अपने जनतांत्रिक सम्बन्धों सहित हमारी अग्रगामी योजना एक छोटे फूल की तरह है जिसने भारत की अधिकारवादी प्रशासकीय सम्बन्धों रूपी चट्टान की दरार में अपनी जड़ें जमाई हैं। मैंने यह भी कहा था कि या तो चट्टान उसे नष्ट कर देगी या फूल की जड़ें चट्टान को ही तोड़ देंगी। मैं चट्टान के टूटने की उसी गड़गड़ाहट वाली ध्वनि के बारे में कह रहा था। इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है।

करीब दो साल से इटावा में दो तरह की प्रशासकीय प्रणालियों में संघर्ष चल रहा है। पहले तो इसका आरम्भ व्यक्तिगत कठिनाइयों और संघर्षों से हुआ किन्तु असल में इसका मूल कारण है दो प्रणालियों में मौलिक भेद का तनाव। मैंने न जाने कितने ही लोगों से इस बारे में सलाह ली; उनमें से प्रमुख हैं—आर्ट मोशेर, रुद्र दत्त सिंह, आर्थर स्विफ्ट, गार्डनर मर्फी और सामाजिक रोगों के निदान करने वाले अन्य अनेक विशेषज्ञ। अन्त में मैंने महसूस किया कि इस साल की गर्मियों में या तो मुझे कुछ करना है या मरना है।

मसले का असली तत्व यह है : दो सदियों से प्रशासकीय सेवा के अधिकारी और न्याय तथा व्यवस्था के अधिकारी भारत में सर्वेसर्वा रहे हैं। उनकी मान मर्यादा, कार्य संचालन का ज्ञान और परम्परा अद्वितीय रही है। कांग्रेस द्वारा चलाये गये स्वतंत्रता आन्दोलन के दिनों में उनकी बहुत अधिक आलोचना की गई और उनकी खिल्लियां उड़ाई गईं। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ और विभाजन के समय उत्पन्न होने वाली गड़बड़ियों और भीषण कृत्यों के समय व्यवस्था कायम रखने में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अपना महत्व फिर स्थापित कर लिया। फल यह हुआ कि जिन लोगों ने पहले इनके साथ भीषण संघर्ष किया था और जो इस समय मंत्री और विधायक हैं; उनके बीच इन लोगों ने बड़ी प्रतिष्ठा पा ली है। यह अपने मनमाने ढंग पर काम करते हैं और कर सकते हैं और प्राविधिक सेवा और

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विकास सेवा कर्मचारियों के प्रति ये बहुत ही हीन भावना का व्यवहार करते हैं। नीचे स्तर के कर्मचारियों को भी यह बहुत ही नीची नज़र से देखते हैं।

इटावा की मूल विशेषता यह रही है कि वह इन बातों के बिलकुल विरुद्ध है। इसने जनता के लिये नये प्रकार की सेवा विकसित की है। इसने नीचे स्तर के कार्यकर्त्ताओं और प्राविधिक कार्यकर्त्ताओं की आंतरिक शक्ति को उभार कर ऊपर ला दिया है।

यहां पर काम करने और उसके सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय करने तथा इन निर्णयों पर उत्साह के साथ चलने में इन लोगों का पूरा हाथ था। यह एक बहुत ही नयी बात थी। प्रारम्भिक दिनों में यह उत्साहवर्धक था क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति खुली हवा में एक साथ सांस ले रहा था।

इस दल में भारतीय प्रशासकीय सेवा के एक प्रशासक थे। इटावा में इस तरह के लौह पुरुष की जरूरत थी, हमें राजकीय सेवा के बाहर के लोगों के सहयोग प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी की जरूरत थी। पूर्ति व्यवस्था को ठीक से चलाने की जरूरत थी। योजना के अन्दरूनी भाग का बाहर वाले साधनों से मेल बैठाना था और इन सब के लिये उसे प्रशासन के साथ मेल बैठाने वाली शक्ति की आवश्यकता थी। जो सज्जन इस काम के लिये चुने गये वे बौद्धिक रूप से कल्पनाशील अवश्य थे किन्तु साथ ही लोहे की तरह कड़े और अपरिवर्तनशील भी थे। आपसी तौर पर हमने उन्हें बड़े वाद-विवाद के बाद जान-बूझकर चुना था। आज की स्थिति में मैं उन्हें बदलना भी नहीं चाहता क्योंकि उसी तरह के आदमी की हमें बहुत आवश्यकता है।

अन्त में मैंने यह निश्चय किया कि यदि हमें चट्टान की परत से अपने पौधे (अग्रगामी योजना) की रक्षा करनी है और उसे सबल बनाना है तो या तो यह अभी किया जा सकता है या फिर कभी नहीं किया जा सकेगा। एक महीना हुआ जब मैंने सब नये आदमियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के बाद बीस पृष्ठ का एक वक्तव्य तैयार किया जिसमें दार्शनिक पृष्ठ भूमि भी थी, संगठनात्मक बातें भी थीं और कार्य का विस्तारपूर्वक विवरण भी था। इसमें खास बात यह थी कि आपसी सम्बन्धों की नई रूप-रेखा बिलकुल साफ कर दी गयी थी। जब मैंनें उसे समाप्त किया तब मैं खुद ही कुछ डर सा गया। इसमें संदेह नहीं कि यह एक जनतांत्रिक वक्तव्य था। शायद यह आवश्यकता से अधिक जनतांत्रिक था, परन्तु उसका अनेक बार अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इसमें एक शब्द भी बदलने की जरूरत नहीं।

इसके बाद मैंने उच्च स्तर के तीन व्यक्तियों की एक महत्त्वपूर्ण गम्भीर बैठक में इसे पेश किया। इन तीनों में वे प्रशासक भी थे, जिनकी चर्चा अभी की गई है। अब वे नये पद पर चले गये थे। फल यह हुआ कि सबने उस वक्तव्य को स्वीकार कर लिया। इस पर बहुत अधिक वाद-विवाद हुये, पर जैसा मैं समझता था उस तरह का कोई विवाद नहीं उठा। इसका कारण यह था कि २० पृष्ठ वाली इस रिपोर्ट में सभी चीज़ों को साफ-साफ सामने रख दिया गया था, न कोई चीज छिपाई गई थी, न दबाई गई थी। कुछ आपत्तियाँ उठाई जरूर गई थीं। किन्तु वे उचित थीं। इस चर्चा से अधिक सुसंगठित कार्य विवरण सामने आ गया। नई चीजों को सामने रखते हुए इसमें कुछ रद्दोबदल की गई, और अब इसका आकार २५ पृष्ठ का हो गया। आपस के समझौते से जो दूसरी बात की गई वह यह थी कि इटावा क्षेत्र में काम करने वाले

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दल के सामने यह कार्य-विवरण रक्खा जाये। उसमें कुछ सुधार और किये गये और उसका आकार २९ पृष्ठ का हो गया। जो चीजें इसमें स्पष्ट कर दी गईं थीं उसके कारण एक बच्चे को भी इस बात में गलतफ़हमी नहीं हो सकती थी कि योजना में काम करने वालों में से किसके क्या कर्तव्य और क्या अधिकार हैं। मुझे इससे इतनी खुशी हुई कि मैं उसी दिन संध्या के समय बैठ कर उसके बारे में एक पत्र लिखने की सोचने लगा क्योंकि मैं समझता था कि अब सारी बातें ठीक हो गईं। किन्तु मेरे पुराने अनुभव ने और मेरी प्रकृति ने मुझे ऐसा करने से रोका। इधर कुछ वर्षों से मैं यह मानने लगा हूँ कि कोई भी चीज इतनी अच्छी या बुरी नहीं जितनी कि वह ऊपर से देख पड़ती है। संयोग से ऊपरी स्तर के पदाधिकारियों में भारी रद्दोबदल हो रहा था। मेरे पुराने साथी विकास आयुक्त[1] के स्थान पर दो नये अधिकारी नियुक्त होने जा रहे थे। इसलिये मैंने सारी चीज़ों को जल्दी-जल्दी पूरा कर दिया और इस बात की चेष्टा की कि वर्तमान विकास आयुक्त ही कार्य-भार सौंपने के पहले उसको लागू कर दें। किन्तु श्री के० बी० भाटिया बहुत ही सज्जन पुरुष थे इसलिये उन्होंने अन्तिम क्षणों में इतने महत्वपूर्ण काम को करना उचित नहीं समझा।

मेरे काम में तो विघ्न पड़ गया किन्तु मैं जानता था कि भाटिया साहब जो कह रहे थे वह ठीक ही था। मुझे इस समय कुछ बुरा भी लगा क्योंकि मुझे फिर से उस कार्य-विवरण को स्वीकृत कराना पड़ेगा। इसका कारण यह था कि यद्यपि इन दोनों नये आदमियों से मेरे मित्रता के सम्बन्ध थे, तो भी मैं जानता था कि वे पुराने इंडियन सिविल सर्विस के आदमी हैं—उनको इटावा में चार साल रह कर नई बातों का अनुभव नहीं हुआ था, उन्हें योजना की भीतरी बातों का कुछ भी पता नहीं था। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं सारी कठिनाइयों का सामना करूँगा और अमेरिका जाने के पहले उसे स्वीकृति कराके ही छोड़ूँगा। इसलिये मैंने लोगों की जानकारी के लिये उस पत्र को सबके पास भेज दिया और संध्या समय अपने ४ पुराने साथियों के साथ इन दो नये अधिकारियों को सम्मिलित करके हमने एक मीटिंग की और हमारे पुराने चार साथियों ने जो छोटे-मोटे परिवर्तन कराने चाहे, उनको भी इन दो नये अधिकारियों ने न माना। आश्चर्य की बात यह हुई कि इन्हीं दोनों नये अधिकारियों ने इस रिपोर्ट का बड़े उत्साह से समर्थन किया। उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा ही स्पष्ट विवरण बहुत आवश्यक था। इस प्रकार चट्टान तो फट गई है। विवरण सब लोगों को दे दिया गया है। अब देखना है कि उसके अनुसार कार्य कैसा होता है।

[५२ · ९]

---

[1]विकास आयुक्त के रूप में के० बी० भाटिया एक बहुत ही समझदार साथी और सहयोगी सिद्ध हुए थे। वे हर मसले को पूरी तरह हृदयंगम कर लेते थे। प्रशासकीय जनतंत्र के सिद्धान्तों की तह में वे इस तरह पैठ जाते थे कि यह देखकर आश्चर्य होता था कि इतना उच्च अधिकारी भी इतनी उदारता से काम ले सकता है। श्री भाटिया का यह जनतान्त्रिक व्यवहार मेरी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि मैं तो बाहर का व्यक्ति था और कभी-कभी आकर सलाह दे जाता था। श्री भाटिया का शान्त निर्णय, प्रशासकीय कार्य पद्धतियों का उनका अद्वितीय ज्ञान और कार्य को सम्भव बनाने की कला, उनकी सतत सहायता और सद्भावना आदि हमारे लिए कठिनाई के दिनों में बहुत ही बहुमूल्य सिद्ध हुए।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नया संगठन जीवन के लिए संघर्ष करता है।

[यह उस योजना का संक्षिप्त रूप है जो इटावा के लिए बनाई और स्वीकृत की गई थी। शुरू-शुरू में १९४८ में ही एक योजना और कार्यकर्ताओं के कर्तव्य सम्बन्धी चार्ट बनाये गये थे, किन्तु इस नई योजना में इन तीन वर्षों में होने वाले अनुभवों का और कठिनाइयों पर विचार कर लिया गया है। उस विवरण की विस्तृत बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हर छोटी बात का ध्यान न दिया जाय, कोई योजना पूरी नहीं हो सकती।]

जुलाई २९, १९५२

परिचायक संक्षिप्त विवरण

विकास कार्य के लिये विकास खण्डों और योजना संगठनों की सबसे उत्तम रूप-रेखा नीचे दी जाती है।[२] इटावा में मुख्य रूप से किन्तु बहुत साफ़-साफ़ तौर पर विस्तृत विवरण दिये बिना ही इसी ढंग पर कार्य पहले से ही चलाया जा रहा है। इस पद्धति को अब पूरी तौर पर लागू करने का विचार किया गया है; जिससे बाद में दूसरी योजनाओं में इस अनुभव को काम में लाया जाय।

हमारे अनुभव द्वारा इस बात का पता चला है कि यदि हम गांवों में असली और स्थायी नतीजों को प्राप्त करना चाहते हैं—केवल भौतिक बातों के नतीजे ही नहीं बल्कि अधिक सुखी गांवों के रूप में जहां स्वतः काम करने की प्रवृत्ति जागृत हो, सबल नेतृत्व और प्रगतिशील संस्थाएं पनपें—तब हममें से सभी छोटे बड़े को अपने मिशन में पूरा विश्वास होना चाहिये, कि हमारे लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं और पूरे किये जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सबको अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को निश्चित करने में हाथ बटाना चाहिये। जब एक बार हममें से हर एक को इस बात का भान हो जायगा कि लक्ष्यों को निश्चित करने और काम के विवरण के बारे में निर्णय करने में हमारा पूरा पूरा हाथ है, तब हम असली विश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगे और हम अपना लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। निर्णय में स्वयं सम्मिलित होने में हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है, और उस कार्य को पूरा करने का निश्चय अधिक दृढ़ हो जाता है, बजाय इसके कि ऊपर से ऐसा हुक्म मिला हो जिसके निर्णय में हमारा कोई हाथ न रहा हो। ऐसे कार्य की पूर्ति में भी हमें उत्साह नहीं होता।

हमारे सामने दो तरह के मसले हैं। एक है इस अन्दरूनी जनतांत्रिक भावना

---

[२]इस संक्षिप्त विवरण और साथ में संलग्न रूपरेखा में इटावा अग्रगामी विकास योजना के लिये कार्यकर्त्ताओं और संगठन का उस समय का वर्णन किया गया है जिस समय वह लगभग १०० गांवों में एक पृथक ग्रामीण विकास खण्ड के रूप में कार्य कर रहा था। जब एक दूसरा और तीसरा विकास खण्ड इसमें सम्मिलित किया गया, तब सहायक विकास अधिकारियों और ग्राम सेवकों की भी नियुक्ति की गई। किन्तु उच्च स्तर के विशेषज्ञ कार्यकर्त्ताओं के रूप में वे ही चार उप विकास अधिकारी सारे विस्तृत क्षेत्र की देखरेख करते रहे। सरलता के लिये नोट और चार्ट में योजना के क्लर्कों और हिसाब किताब रखने वाले कार्यकर्त्ताओं का विवरण नहीं दिया गया है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को विकसित करना। इसकी सफलता से कार्यकर्ताओं की शक्तियों का विकास हो सकेगा। दूसरा पहलू है इस बात का निश्चय होना कि इससे कमज़ोरी नहीं उत्पन्न होगी बल्कि मज़बूती ही आयेगी। और हर एक को जो काम करना है उसमें कोई गड़-बड़ी पैदा न होगी। इसलिये यह आवश्यक है कि इसे पूरा करने के लिये संगठन का प्रकार और आपसी सम्बन्धों की रूपरेखा की संक्षिप्त चर्चा कर ली जाय।

१—पहले स्तर पर ग्राम सेवक हैं जो ४ से ६ गांवों में काम करते हैं।

२—सामुदायिक योजना के स्तर के कार्यकर्ता—(Group level workers) जिनका कार्य क्षेत्र के १०० गांवों के पूरे ब्लाक में होगा, जो नीति निश्चित करेंगे, कार्य संचालन में और किन्हीं-किन्हीं मामलों में प्राविधिक सहायता देंगे।

३—ज़िला नियोजन अधिकारी—इनका कार्य होगा : (अ) पूर्ति के साधनों का निश्चय करना, (ब) प्रशासकीय मामलों का संचालन, (स) ज़िले के स्तर पर भिन्न-भिन्न कार्यों का मेल बैठाना और काम कराना, (द) ज़िले में हमारे काम के लिये सच्ची दिलचस्पी पैदा करना और लोगों में विचारों के आदान-प्रदान द्वारा जानकारी पैदा करना, (इ) सूबे की राजधानी लखनऊ से स्पष्ट और विस्तृत आदेश और आवश्यक सहायता प्राप्त करना।

नीति, नियोजन और कार्य संचालन के मुख्य अंग यह हैं : टीम की कार्यकारिणी परिषद—जिसमें सामुदायिक योजना के स्तर के सभी कार्यकर्ता, ज़िला नियोजन अधिकारी (और उसका सहायक) और ग्राम सेवकों के दो प्रतिनिधि होंगे। कौन्सिल की एक कार्यकारिणी समिति होगी।

कार्यकर्ताओं की मीटिंग—इसमें टीम की वर्किंग कौन्सिल के सभी सदस्य रहेंगे, इसके अलावा ग्राम सेवक और क्षेत्र में काम करने वाले अन्य कार्यकर्ता भी होंगे। इस बैठक को हमने हमेशा सक्रिय कार्य की आधारशिला माना है। हमें इस बात से सावधान रहना चाहिये कि इन सम्मिलित और संगठित उपायों के कारण हममें से हर एक व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी की भावना को या ज़िला नियोजन अधिकारी के बहु-मुखी उत्तरदायित्व को कमज़ोर न होने दें, प्रभाव वाली ज़िम्मेदारी को शिथिल न कर दें।

अग्रगामी योजना की दूसरी महत्वपूर्ण देन यह है कि उसके कारण विभिन्न विभागों और कार्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में अच्छा मेल बैठाकर अधिक सुचारु और प्रभावोत्पादक कार्य किया गया। बहुधंधी ग्राम सेवक की धारणा का यह मुख्य आधार है। क्षेत्रीय काम में परस्पर सम्बन्ध रखने वाली या मेलजोल से काम चलाने वाली पद्धति से बहुत कुछ आशायें की जाती हैं। इस पारस्परिक सम्बन्ध वाली कार्य प्रणाली के लाभों को पूरी तरह प्राप्त करने के लिये हमें संगठन और पद्धति देनी होगी। किन्तु साथ ही यह भी देखना होगा कि इससे व्यक्तिगत कार्य कुशलता और कार्य संचालक सम्बन्धी या विभागीय ज़िम्मेदारी के लाभों में कमी न आये।

इस नोट का विषय है वह भावना जिसमें वांछनीय तत्व एक ही साथ प्राप्त किये जायं और उसे पूरा करने के लिये संगठन स्थापित किये जायं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

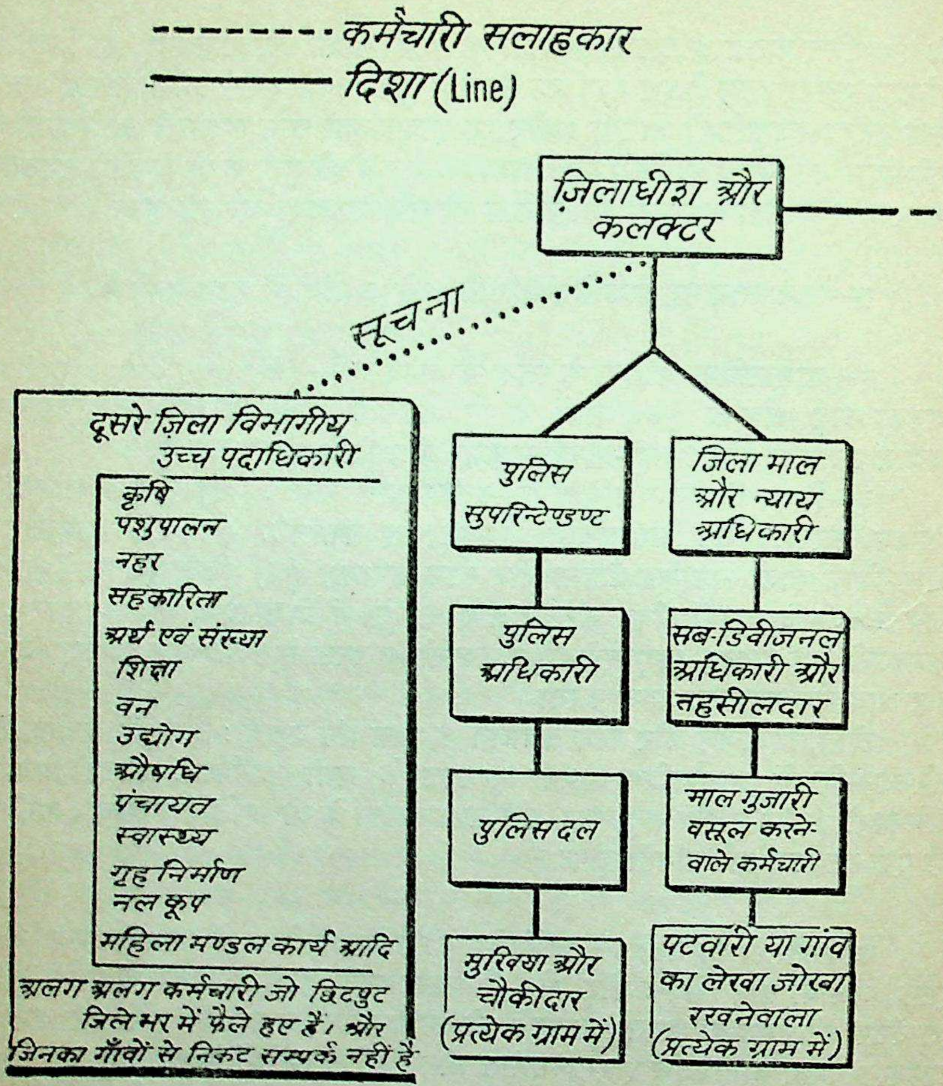

चार्ट १—नियमित उत्तर प्रदेश जिला संगठन

इटावा के अग्रगामी योजना-क्षेत्र में टीम वर्किंग कौन्सिल

ज़िला स्तर संगठन के कार्यकर्त्ता—ज़िला नियोजन अधिकारी और सहायक ज़िला नियोजन अधिकारी।

सामुदायिक योजना के स्तर के अधिकारी (हर योजना के क्षेत्र में इन सभी का रहना ज़रूरी नहीं है।[3])

---

[3]उत्तर प्रदेश की दूसरी अग्रगामी योजनाओं में उच्च स्तर के विशेषज्ञ सहायक विकास अधिकारी के ग्रेड में कोई नहीं रक्खा गया था और इटावा की तरह कोई उप विकास अधिकारी नहीं थे। उत्तर प्रदेश की अन्य अग्रगामी योजनाओं में उन्हीं विशेषज्ञ सहायक विकास अधिकारियों को कुछ क्षेत्रीय जिम्मेदारी दी गई थी और क्षेत्रीय विकास अधिकारियों की कोई अलग श्रेणी नहीं थी।

(शेष पृष्ठ ९५ पर)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

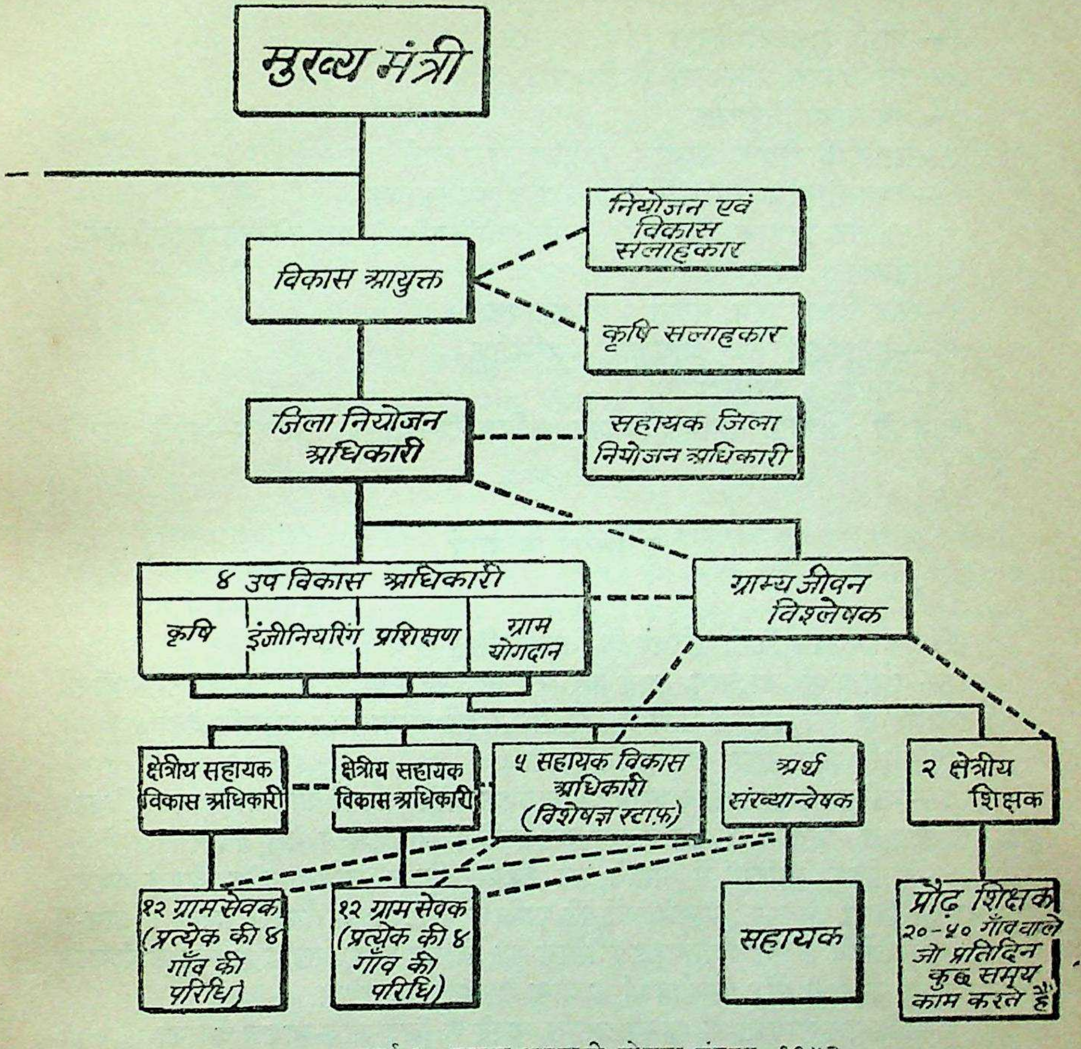

चार्ट २—इटावा अग्रगामी योजना संगठन, १९५२

१—उप विकास अधिकारी (कृषि)

(पृष्ठ ९४ के फुट नोट नं० ३ का शेषांश)

बाद में सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय प्रसार सेवा के नियोजकों ने इस बात को महसूस किया कि वे उप विकास अधिकारी के वेतन को बर्दाश्त नहीं कर सकते अथवा काफ़ी योग्य अधिकारियों को नहीं प्राप्त कर सकते। इस कारण इन्होंने इटावा को छोड़कर उत्तर प्रदेश की अन्य अग्रगामी योजनाओं में अधिकारियों की कम संख्या रखने की नीति अपनाई।

चूंकि ग्रामीण जीवन विश्लेषक का पद १९४९ के बाद खाली पड़ा रहा इसलिये १९५२ के इस नोट में इसका कोई वर्णन नहीं किया गया। इस पद का ऊपर वणन किया गया है।

इस सूची में विशेषज्ञों को जो नम्बर दिये गये हैं उससे पद की तुलनात्मक उच्चता प्रकट नहीं होती। उनका प्रयोग केवल बाद में साधारण संकेत के लिये किया गया है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

२—उप विकास अधिकारी (ग्राम सहयोग)
३—उप विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग)
४—उप विकास अधिकारी (प्रशिक्षण)
५—अर्थ संख्या निरीक्षक
६—सफ़ाई निरीक्षक, संख्या २ के नीचे काम करने वाला
७—भवन निर्माण ओवरसियर, संख्या ३ का सहायक
८—सहायक विकास अधिकारी (कृषि इंजीनियरिंग) या मिकेनिकल निरीक्षक, संख्या ३ का सहायक।
९—प्रौढ़ शिक्षा पुरुष, संख्या २ का सहायक[४]।
१०—सहायक विकास अधिकारी (प्रशिक्षण)
११—संख्या ५ का सहायक

साथ ही : क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारी---दो ग्राम सेवक---बारी बारी से दो[५]।

कौन्सिल के कार्य

टीम की कार्यकारिणी परिषद के निम्नलिखित कार्य हैं:—

१—योजना में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन सबको नीति संचालन और कार्य संचालन में पूरी तरह से भाग लेने में प्रोत्साहित करना और अनुमति देना।

२—नीति और लक्ष्यों का निर्णय करना।

३—व्यक्तिगत सदस्यों ने वार्षिक कार्यक्रम और लक्ष्यों का जो सुझाव दिया हो, उसे स्वीकृत करना और उन सबका व्यावहारिक कार्यक्रम से मेल बैठाना।

४—पाक्षिक मीटिंगों में प्रगति पर विचार किया जायेगा और अगले कदम का निश्चय किया जायेगा : ग्रामसेवकों की पाक्षिक मीटिंगों की तैयारी करना। ग्रामसेवकों की मीटिंग के कई दिन पहले कौंसिल की मीटिंग होगी ताकि अगला कार्यक्रम तैयार किया जा सके और ग्रामसेवकों के बीच में बांटा जा सके।

५—विकास आयुक्त के सामने प्रस्तुत करने के लिये आय-व्ययक बनाना।

६—सालाना और छमाही रिपोर्ट स्वीकृत करना।

७—छुट्टियों की स्वीकृति के बारे में जिला नियोजन अधिकारी को सलाह देना।

इस नोट में दिये गये कार्यों में से कुछ अवश्य ही कौन्सिल की कार्यकारिणी समिति द्वारा किये जायेंगे। इनके अतिरिक्त दूसरे कार्य कार्यकारिणी समिति द्वारा किये जायेंगे जैसा कि कौंसिल निश्चित करे। जिला नियोजन अधिकारी और योजना

---

[४]प्रौढ़ साक्षरता वाले दूसरे कर्मचारी जिनमें क्षेत्र शिक्षक और प्रौढ़ साक्षरता शिक्षक भी सम्मिलित हैं, उनके काम का वर्णन नीचे दिया गया है।

[५] बारी बारी से मतलब हर मीटिंग के क्रम से नहीं है किन्तु यहाँ इसका अर्थ है ६ महीने का मध्यान्तर। बोनस दिये जाने की पद्धति में रोटेशन सिर्फ़ उन्हीं पर लागू होगा जिन्होंने (अ) या (ब) श्रेणी प्राप्त कर ली है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्तर के कार्यकर्त्ता अधिकारियों की उपर्युक्त सूची की संख्या १ से ४ तक की कार्य-कारिणी समिति होगी। कार्यकारिणी समिति का कार्य निम्नलिखित होगा :—

यदि कोई आवश्यक काम आ पड़े तो कौंसिल की बैठकों के मध्यान्तर में काम करना; सारी कौंसिल के समय को बचाने के लिये कौंसिल द्वारा निर्धारित कुछ विषयों पर विचार करना; कौंसिल द्वारा विचार किये जाने वाले कार्यक्रम को पहले से तैयार करना; अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाहियों को करना; बोनस आदि दिये जाने का निर्णय करना।

शायद यह बताना तो आवश्यक होगा कि प्रत्येक सदस्य का अपने क्षेत्र में इतना उत्तरदायित्व होगा मानो कौंसिल है ही नहीं।

इटावा अग्रगामी योजना के क्षेत्र में जिला नियोजन अधिकारी के कार्य : कौंसिल के साथ और अन्य लोगों के साथ उनका सम्बन्ध।

सामान्य

ज़िला नियोजन अधिकारी को विकास कार्य के संचालन का पूरा-पूरा अधिकार होगा।[६] वह कौंसिल और कार्यकारिणी समिति की नीति को निर्धारित करता है और कार्य के सम्बन्ध में निर्णय देता है। जब तक कौंसिल अपने निर्णयों में रद्दोबदल नहीं करती, तब तक वह उन्हीं निर्णयों के अनुसार कार्य-संचालन करता है और आमतौर पर न तो उनमें कोई रद्दोबदल करता है, न उनकी कोई इच्छा करता है। किन्तु ज़िम्मेदारी को कमज़ोर न करने के लिये उसको यह अधिकार है कि वह कौंसिल या कार्यकारिणी समिति के निर्णयों को बदल सकता है, किन्तु ऐसा करने के लिये उसे कारण उपस्थित करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कौंसिल का कोई सदस्य चाहे तो विकास आयुक्त के सामने आपत्ति को पेश कर सकता है। यह सीधे किया जा सकता है; किन्तु विरोधों की यह प्रतिलिपि ज़िला नियोजन अधिकारी के पास भेजनी पड़ती है। इसके अर्थ यह हैं कि यदि कोई खास विरोध उत्पन्न हो तो उसके निर्णय के लिये विकास आयुक्त अंतिम अधिकारी माना जाता है।[७]

नीति निर्धारण और कार्यक्रमों में वह कौंसिल के एक सदस्य के रूप में ही भाग लेता है और केन्द्रीय मुख्यालय और नीचे काम करने वाले लोगों के बीच में वह एक मेल बैठाने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता है।

उसे कौंसिल की प्रत्येक बैठक में भाग लेना चाहिये। किन्तु यदि किसी

---

[६] १९५२ के बाद इटावा और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में ग्रामीण विकास खण्ड खुल गये। तब क्षेत्र विकास अधिकारी के रूप में एक नवीन श्रेणी के उपनियोजन अधिकारियों की नियुक्ति की गई, और इन पर अपने-अपने ब्लाक की जिम्मेदारी डाली गई। इसके बाद ज़िला नियोजन अधिकारी का क्षेत्र पूरे ज़िले में फैला दिया गया।

[७] यह उम्मीद की जाती है कि इस तरह के विरोध और उनकी सूचना ठीक से काम करने वाली योजना में कम ही होंगी। किन्तु इस तरह के अनेक उपाय इसलिये किये गये हैं कि इस तरह के विरोध सामने आ जायें और अन्दर ही अन्दर हानिकारक सिद्ध न हों।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दूसरी जगह आवश्यक कार्य के कारण वह कभी-कभी बठकों में भाग न ले सके तो ऐसी बैठक का कार्य-विवरण दूसरे ही रोज उसे मिल जाना चाहिये, ताकि घनिष्ट सम्बन्ध में कोई शिथिलता न आये।

प्रशासकीय कार्य-संचालन ही उसका मुख्य कर्त्तव्य है, इसमें पूर्ति के साधन की व्यवस्था भी सम्मिलित है।

ज़िला नियोजन अधिकारी की यह भी जिम्मेदारी है कि वह पूर्ति के साधनों के लिये काफी समय पहले आर्डर दे दे, और उचित समय पर ठीक मात्रा में उत्तम सामान उचित स्थान पर पहुँचा दिया जाय। शायद उसके कार्य में यही एक सबसे महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि जो कार्यकर्त्ता या जनता के लोग हम पर भरोसा करते हैं, उन्हें कभी निराश न होने देना चाहिये।

कार्य-संचालन के रूप में दौरों द्वारा, रात्रि विश्राम द्वारा और कौंसिल तथा ग्राम सेवकों की मीटिंग में सक्रिय भाग लेकर उसे प्रगति की पूरी जानकारी रखनी चाहिये। उसे सलाह अवश्य देना चाहिये, किन्तु उसे इस बात के लिये सतर्क रहना चाहिये कि नीचे वाले अधिकारियों की उपेक्षा न होने पाये और उनकी सलाह पर भी पूरा ध्यान दिया जाय। उसे ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि सभी लोग उससे मिल सकें। यदि वह उपेक्षा करता है तो उससे उस क्षेत्र में काम करने वाले दल की नैतिकता को और निरंतर चलने वाले काम को क्षति पहुँचेगी।

जिला नियोजन अधिकारी सम्पर्क स्थापित करने वाली बीच की कड़ी है, जो क्षेत्र में काम करने वाले सभी विभागों में सदा सहयोग स्थापित करता रहे और जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ बारी-बारी से सहायता करता रहे। यह अधिकारी चूंकि ज़िले में मुख्यालय में रहता है, इसलिये वह क्षेत्र के मामलों को ठीक से निपटा सकता है।[८]

साथ ही उसका यह काम भी है कि अग्रगामी योजना के काम में ज़िलाधीश की, अन्य विभागों[९] के अधिकारियों की, और ज़िले भर के प्रबुद्ध नागरिकों की दिलचस्पी बढ़ाये। यदि इस योजना को सार्वजनिक सहयोग न मिला और यह जनता के सम्पर्क से एकदम अलग रक्खी गई, तो उसे अपने काम में पूर्ण सफलता प्राप्त न होगी। यदि बढ़े हुए उत्पादन के रूप में और ग्राम जीवन की समृद्धि और ग्रामीण

---

८ १९५२ में उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में नियोजन कमेटियों की स्थापना की गई। इन कमेटियों में ज़िला नियोजन अधिकारी, ज़िला स्तर के सम्बन्धित दूसरे विभागों के अधिकारी, ज़िला बोर्ड के अध्यक्ष, और ज़िला के विधान सभा के प्रतिनिधि और ५ गैर-सरकारी प्रमुख व्यक्ति इस कमेटी में रक्खे गये थे।

९ जब पहले-पहल इटावा अग्रगामी योजना शुरू की गई थी, तो ज़िलाधीश और अन्य अधिकारियों को केवल सहयोग देने के लिये कहा गया था। बहुत समय बाद १९५४ में सामुदायिक विकास योजना प्रशासन ने यह तय किया कि प्रत्येक ज़िले का जिलाधीश अपनी खास जिम्मेदारी समझ कर अपने ज़िले के विकास कार्य को सब से अधिक उत्तमता से संचालित कर सकेगा। इसलिये यदि इस समय नियोजन संगठन का चार्ट तैयार किया जाय तो ज़िलाधीश ही विकास आयुक्त और ज़िला नियोजन अधिकारी के बीच की कड़ी का सर्वोच्च अधिकारी रहेगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नेतृत्व के रचनात्मक विकास के लिये उचित दृष्टिकोण और लगन की भावना जगाने में इटावा योजना सफल हुई है, तो हमारा यह भी काम है कि जिले में इस के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाई जाय।

बजट सम्बन्धी कार्य

ज़िलाधीश का कार्य होगा दल की कौंसिल की कार्यकारिणी समिति के परामर्श से बजट तैयार करना।

अनुशासन की व्यवस्था

महेवा क्षेत्र के ग्राम सेवकों में हाल ही में सुस्ती और अनुशासन-हीनता काफी हद तक देख पड़ी है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनुशासन की व्यवस्था का पूरा काम केवल ज़िला नियोजन अधिकारी के हाथों में ही है।

चूंकि ग्राम सेवकों को यह विश्वास हो गया है कि सहायक विकास अधिकारियों को और उप विकास अधिकारियों को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वे उनकी उपेक्षा करने लगे हैं। इसे दूर करने का उपाय यही है कि योजना में काम करने वाले दूसरे कार्यकर्त्ताओं की अनुशासन-हीनता की बातों पर कौंसिल की कार्य-कारिणी को संयुक्त रूप से निर्णय करने का अधिकार दिया जाय। ग्राम सेवकों से सम्बन्ध रखने वाले मामलों में क्षेत्रीय विकास अधिकारी भी निर्णय करने के काम में सम्मिलित किया जाय।

योजना स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और ग्राम सेवकों के कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व की शृंखला

योजना स्तर पर काम करने वाले अधिकारी—उपर्युक्त सूची के अनुसार कौंसिल के नम्बर १ से लेकर नम्बर ११ तक वाले सदस्य पूरी योजना से सम्बन्धित अपने विभागों के कामों के नियोजन और व्यावहारिक कार्य संचालन के लिए व्वक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं।[१०] जैसा कि पहले ही कहा गया है, वे नियोजन में भाग लेते हैं, और कौंसिल और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में काम करते हैं।

यह जरूरी है कि योजना स्तर के कार्यकर्त्ताओं को जहाँ तक सम्भव हो, पूर्ति साधनों से और काग़ज़ी (लिखापढ़ी लेखा-जोखा तैयार करने के) कामों से स्वतंत्र रक्खा जाय, ताकि वे अपने समय का अधिकांश भाग प्राविधिक और व्यावहारिक सहायता और गांवों से सम्बन्ध बनाये रखने के ऐसे काम में लगा सकें, जो असल में उनका मुख्य काम है। तो भी इस मामले में ये कार्यकर्त्ता सदा ही ज़िला नियोजन अधिकारी

---

[१०] उप विकास अधिकारी (कुछ सहायक विकास अधिकारियों की तरह ही) पूरी योजना के लिए प्राविधिक विशेषज्ञ हैं। क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारी ५० गावों में ग्राम सेवकों के कार्य का निरीक्षण करते हैं। ये क्षेत्रीय अधिकारी प्राविधिक विशेषज्ञ नहीं होते। तो भी सभी विशेष कार्यों का उन्हें कुछ-कुछ अनुभव तो रहता ही है। किन्तु उनका काम परामर्श देना नहीं है, बल्कि व्यावहारिक कार्य कराना है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

से सम्बन्ध स्थापित रक्खेंगे और योजना क्षेत्र में संग्रह और वितरण व्यवस्था के लिये जिम्मेदार होंगे। यदि ज़िला नियोजन अधिकारी स्वीकार करें, तो कुछ खास मामलों में अपने नियोजन क्षेत्र के बाहर भी ये कार्यकर्त्ता पूर्ति के कार्यों का संचालन कर सकेंगे।

क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारी

ये व्यावहारिक कार्य संचालन अधिकारी होंगे। अपने क्षेत्र के कार्य के लिए ये सीधे ज़िम्मेदार होंगे। ग्राम सेवक अधिकारियों के काम के परिमाण और उत्तमता के लिए और ठीक समय पर पूर्ति के साधनों के वितरण के लिए ये ही ज़िम्मेदार होंगे। उन्हें देखना होगा कि ग्राम सेवक अपने कार्य-क्रम को और उसमें अपनी निजी ज़िम्मेदारी को ठीक से समझते हैं, वे अपने-अपने गांवों में अपने हिस्से के नियोजन कार्य-भाग को ठीक से संचालित करते हैं। उन्हें देखना चाहिये कि ग्राम सेवक सोचने और काम करने की अपनी योग्यता को बराबर विकसित करते जाते हैं। और उन्हें इस कार्य में ग्राम सेवकों की सहायता करनी चाहिये।

प्रौढ़ साक्षरता, पानी की निकासी के कार्य, इमारतों की तैयारी आदि की तरह के सभी काम जो क्षेत्र में चालू हों, उन सबके प्रति भी उनकी ज़िम्मेदारी होती है। इन मामलों में प्राविधिक ज़िम्मेदारी सूची के अनुसार नम्बर ६, ९, ३, ८ या ७ के हाथों में होती है। किन्तु प्राविधिक कार्यकर्त्ता बहुत बड़े क्षेत्र के कामों को देखते हैं, इसलिये वे हर काम को प्रतिदिन या प्रायः बिल्कुल नहीं देख सकते। इस कारण ऐसे कामों के लिये क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारी को खुद ही या अपने क्षेत्र के ग्राम सेवकों के द्वारा उत्तरदायी होना चाहिये।

यह उम्मीद की जाती है कि क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारी यह देखते रहेंगे कि काम नियोजन के अनुसार ठीक-ठीक चल रहे हैं। यदि कोई काम उचित रूप से नहीं चल रहा है, तो उस काम से सम्बन्ध रखने वाले प्राविधिक विशेषज्ञ को उसकी सूचना देंगे; उदाहरण के लिए क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारी सफाई विभाग के इंस्पेक्टर को सफ़ाई सम्बन्धी काम की या पानी की निकासी की नालियों की सूचना देंगे तथा प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी कामों की सूचना प्रौढ़ शिक्षा विशेषज्ञ को देंगे।

ग्राम सेवकों की छुट्टी की अर्जियाँ भी क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारी के द्वारा भेजी जानी चाहिये।

क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारी का काम यह भी होगा कि वे इस बात का ठीक-ठीक प्रबन्ध करें कि जब-जब जरूरत हो, तब-तब उचित समय पर विशेषज्ञों की सहायता मिलती रहे। उदाहरण के लिए, पशुओं को टीके लगाने के लिए पशु चिकित्सक और उप विकास अधिकारी और कौंसिल के नम्बर १ से ११ तक के अन्य प्राविधिक कार्यकर्त्ता उस समय मिल सकें, जब उनकी प्राविधिक सहायता की आवश्यकता क्षेत्र में हो।

उत्तरदायित्व की शृंखला

क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारी ऊपर से लेकर ग्राम सेवक तक सम्बन्ध स्थापित करने वाली कड़ी है। इस व्यवस्था की यही मुख्य बात है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस पर थोड़ा भी विचार करने पर यह पता चल जायगा कि जिम्मेदारी की ऐसी शृंखला सदा वांछनीय है, और इसे कायम रखना भी जरूरी है; किन्तु यह मसला इतना सरल नहीं है क्योंकि पूरी तौर पर ठीक ढंग से इसे कायम रखने में बहुत समय लगेगा और कार्य की गति में भी कुछ बाधा पड़ेगी। नीचे लिखे हुए खास मामलों पर ध्यान दीजिए।

प्राविधिक कार्यकर्त्ता (सफाई निरीक्षक) ने एक गांव में पानी की निकासी के लिए नालियों को बनाने का काम शुरू कराया। इस काम में ग्राम सेवक भी खास तौर से सम्मिलित रहता है, क्योंकि गांव वाले खुद काम करते हैं। निरीक्षण करने के बाद सफाई निरीक्षक को यह पता चलता है कि उसे ग्राम सेवक को कुछ आदेश देना है। उत्तरदायित्व की सीधी शृंखला को कायम रखने के लिए सफाई निरीक्षक केवल निरीक्षण कर लेगा, उस स्थान से चला जायगा, और बाद में क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारी को अपने सुझाव देगा, और यह अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के कारण ग्राम सेवक तक उन निर्देशों को पहुँचायगा। इस तरह बहुत-सा समय व्यर्थ जायगा और जब तक निर्देश पहुँचे, तब तक शायद स्थानीय परिस्थिति ही बदल जाय।

दूसरा उदाहरण : उप विकास अधिकारी (कृषि) ग्राम सेवक के साथ एक गांव में प्रदर्शन का कार्य करा रहा है, और उस समय क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारी किसी दूसरे गांव में कार्य में व्यस्त है। ऐसी स्थिति में उस काम को उसी स्थान पर पूरा न करा लेना मूर्खता की बात होगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अक्सर प्राविधिक अधिकारियों को ग्राम सेवक के साथ सीधे काम करा लेना उचित होता है, न कि क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारी द्वारा, हालांकि ऐसा किया जाना कागज पर उत्तम न जान पड़ेगा। पर यह भी खतरा है कि ग्राम सेवक के काम पर अनेक अधिकारियों का कुछ न कुछ नियंत्रण रहने से वह उलझन में पड़ सकता है, क्योंकि भिन्न-भिन्न अधिकारी उसके समय पर नियंत्रण करते हुए उसे भिन्न-भिन्न तरीके के निर्देशन दे सकते हैं, जिनका मेल मिलाना उसके लिए असम्भव हो सकता है।

यही बात क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारियों और उप विकास अधिकारियों के बारे में भी लागू होती है। उप विकास अधिकारी अधिकांश में प्राविधिक अधिकारी होते हैं, जिन्हें अपने-अपने विषय का खास ज्ञान होता है। इसलिए अपने प्राविधिक ज्ञान के कारण और योजनाओं के बनाने में विशेष रूप से सम्बन्धित रहने के कारण उन्हें बहुत हद तक क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारी को निर्देशन देने पड़ेंगे। यह निर्देशन देने वाला सम्बन्ध दूसरे कारणों से भी महत्त्वपूर्ण है। भारत की वर्तमान प्रशासकीय परिस्थिति में केवल सलाह देने वाला सम्बन्ध काफी मजबूत नहीं रहता और उसमें काम को पूरा करा लेने वाली पद-मर्यादा भी नहीं होती।

अनेक पहलू वाले इस मसले का सुधार नीचे लिखी बातों से हो सकता है। साधारण रूप में उत्तरदायित्व की शृंखला ग्राम सेवक से लेकर क्षेत्रीय विकास अधिकारी तक है, जिसका सम्बन्ध उप विकास अधिकारी द्वारा जिला नियोजन अधिकारी से है। कार्य का यही ढांचा होना चाहिए और इसी को अधिक से अधिक अमल में लाया जाना चाहिये।

इस नीति से भिन्न नीति की आवश्यकता पड़ने पर भिन्नता के कारण पड़ने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वाली उलझनों को दूर करने के लिए इटावा में नीचे लिखे सम्मिलित उपायों का सहारा लिया गया।

दल की कार्यकारिणी कौंसिल की मींटिंग और ग्राम सेवकों की मीटिंग में ग्राम सेवक के साथ योजना स्तर के कार्यकर्त्ताओं के सहयोग से मिली-जुली योजनाएँ बनाई जायँ।

ग्राम सेवक के साथ जब कोई प्राविधिक विशेषज्ञ किसी कार्य के लिए सीधा सम्बन्ध स्थापित करे, तो उसके बाद जितनी जल्दी सम्भव हो सके क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारी को उसकी सूचना दे दी जाय।

उप विकास अधिकारी

उनके काम नीचे लिखे हैं :

अपने सहायकों और क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारियों के विचार विमर्श के बाद अपने विभाग का प्रारम्भिक कार्यक्रम बनाना। कौंसिल और स्टाफ मीटिंग की स्वीकृति के लिए अन्य उप विकास अधिकारियों के साथ बातचीत कर के समस्त कार्यक्रम में मेल बैठाना।

दैनिक कार्य और उसे लागू करने से उनका सम्बन्ध पहले सहायकों या क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारियों द्वारा बहुधा अप्रत्यक्ष है। यह मुख्यत: उप विकास अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे आपसी सद्भाव और सहयोग से काम करें।

सभी सहायक विकास अधिकारियों और ग्राम सेवकों की योग्यता और आत्म निर्भरता में सतत विकास हो, यह उप विकास अधिकारियों का एक आवश्यक कार्य है।

उनका मुख्य काम है क्षेत्र के दूसरे प्राविधिक कार्यकर्त्ताओं से सक्रिय सम्बन्ध बनाये रखना और अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना; उदाहरण के लिये, पशु अधिकारी, सिंचाई अधिकारी आदि। उनको भी अपनी ओर से आवश्यक सहायता देते रहना चाहिए।

इस विवरण पत्र में यह उचित नहीं है कि उप विकास अधिकारियों के बीच उनके विभागीय कार्यों का निश्चित विभाजन कर दिया जाय। यह भी है कि वे आपस में एक दूसरे से सम्बन्धित हैं; उदाहरण के लिए, उप विकास अधिकारी (ग्राम योगदान) मिट्टी के कटाव बहाव की रोकथाम के काम में उप विकास अधिकारी (कृषि) को सहायता देता है और उसके लिए जनता में संगठनात्मक विचारधारा बनाता है। उप विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग) और उप विकास अधिकारी (कृषि) दोनों ही प्रदर्शनों और कार्य संचालन आदि में एक दूसरे की सहायता करते हैं। दल कार्यकारिणी कौंसिल के गठन, ग्राम सेवक कर्मचारी की मीटिंग और निरन्तर चलने वाले व्यक्तिगत सम्बन्धों और विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा और विशेष रूप से साल भर का कार्यक्रम तैयार कर के कार्य व्यवहारों के विभाजन की अधिक से अधिक स्पष्ट रूप-रेखा निश्चित की जा सकती है और एक दूसरे से सम्बन्धित कार्य को सहयोग से चलाने की प्रवृत्ति जगाई जा सकती है। विभागों के अलग-थलग रक्खे जाने के मुकाबले में इस तरह की व्यवस्था की सफलता ही हमारी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अग्रगामी योजना की सब से बड़ी देन है। हमारे सामने स्थायी चुनौती है कि हम किस प्रकार इसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर लें।

यह कहा गया है कि उप विकास अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों का ठीक-ठीक विभाजन नहीं किया जा सकता। और यह दिखाने के लिए उदाहरण दिए गए हैं कि ऐसा क्यों होता है। आम तौर पर उनके काम का विभागीय वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। किन्तु हर एक विशेष योजना के लिए यह किया जा सकता है और निश्चित किया जाना चाहिए, कि प्रमुख निर्देशनात्मक जिम्मेदारी किसकी है, और किसको उसमें सहयोग देना है। उप विकास अधिकारियों के दूसरे कर्त्तव्य और कार्य हैं—आय-व्ययक की तैयारी में सहयोग देना और विशेष विभागों के लिए कार्यों का वर्गीकरण करना।

अर्थ संख्या निरीक्षक

यथार्थ और निष्पक्ष आंकड़ों को देना और प्रगति और परिणामों का मूल्यांकन करना ही इस कार्यकर्त्ता का काम है।

चूंकि अर्थ संख्या निरीक्षक के पास अधिक कार्यकर्त्ता नहीं हैं, इसलिए उसके काम का अधिकांश भाग ग्राम सेवक को ही पूरा करना पड़ता है। उसे ग्राम सेवकों को यह समझाना पड़ता है कि उन्हें क्या काम करना है। उसे उनके काम का निरीक्षण भी करना पड़ता है।

वर्ष भर के कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में ही उसके द्वारा किये जाने वाले सर्वेक्षण की भी तालिका तैयार की जानी चाहिए। इस तालिका को बाद में आवश्यक परिवर्तन के लिए दल की कार्यकारिणी कौंसिल में प्रस्तुत करना और स्वीकृत कराना चाहिए।

विशेषज्ञ कार्यकर्त्ता (पूर्व सूची के नम्बर ६ से ११ तक)

उनका कार्य मुख्य रूप से प्राविधिक या विशेष ढंग का है। उनकी सफलता अधिकांश में इस बात पर निर्भर होगी कि जनता कहां तक उनके कामों को स्वीकार करती है और क्षेत्रीय विकास अधिकारी और ग्राम सेवक किस हद तक उनके कार्य और विशेष योजना के महत्व और लाभ को समझते हैं। इस प्रकार उत्तरदायित्व की शृंखला में सीधे कार्य करने की उनकी भी समस्या है।

ग्राम सेवक

ग्राम सेवक का कार्य उनके विशेष हलके में ही केन्द्रित है। पूरी योजना के कार्य संचालन में और उसके अंतर्गत खुद उसके अपने स्थान के सम्बन्ध में उनको पूरी जानकारी और विश्वास होना चाहिए। अपनी ओर से वे प्रश्नों, आलोचनाओं और अपने अनुभवों द्वारा पूरी योजना के नियोजन और उसके अनुसार किये जाने वाले कार्य को अधिक उन्नत बना सकते हैं। इन कारणों से हमने ग्राम सेवकों की मीटिंग का पाक्षिक इंतजाम किया है और दल कार्यकारिणी कौंसिल की मीटिंग में ग्राम सेवकों के दो प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया है, ताकि ग्राम सेवकों के विचारों को उचित महत्व दिया जाय।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बहुधंधी कार्यकर्त्ता के रूप में और ग्रामीण जनता के मित्र के रूप में ग्राम सेवक की सेवायें ही उसके पद की सब से महत्वपूर्ण देन हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषयों के लिये वह प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। उसी प्रकार के महत्व के वे भी विषय हैं जिनमें वह सम्मिलित होता है और जिनके लिये वह प्रत्यक्ष रूप में जिम्मेदार है। उदाहरण के लिये : शिक्षण-कक्षाएं और सामुदायिक केन्द्र; पानी निकासी का कार्य [जो सीधे सफाई निरीक्षक के जिम्मे है]; और कृषि यंत्रों की सुरक्षा और मरम्मत आदि [जो कृषि अभियन्ता के अधिकार में है]। इस तरह के कामों से ग्राम सेवक को घनिष्ट सम्बन्ध रखना चाहिये, जो कठिनाई पड़े या जो गलतियां हों उनकी रिपोर्ट उसे प्राविधिक विशेषज्ञ से करते रहना चाहिये।[११]

ग्राम सेवकों की पाक्षिक स्टाफ मीटिंगें और सम्बन्धित मीटिंग

स्टाफ मीटिंग का उद्देश्य है —

१. पिछले वर्ष के कार्यक्रम का सिंहावलोकन और अगले वर्ष के कार्यक्रम की जाँच।

२. हर मीटिंग में आगे वाले पाक्षिक कार्य की योजना निश्चित करना और पिछले पक्ष में किये हुए कार्य की जांच।

विचारों, अनुभवों और कठिनाइयों पर स्पष्ट रूप से विचार करने की आज़ादी देना। सब के लाभ के लिए अनुभव की हुई सफलताओं के विस्तार को सामने रखना।

दूसरे कार्यकर्त्ताओं के ज्ञान को ताज़ा रखना और आवश्यकता के अनुसार अपने काम में उनकी विस्तृत सहायता लेना और निरीक्षण द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर आवश्यक सहायता देने का प्रबन्ध करना।[१२]

इस मीटिंग में कौन-कौन भाग लें

ग्राम सेवकों की स्टाफ मीटिंगों में ये लोग भाग लेंगे : (१) दल कार्यकारिणी कौंसिल के सब सदस्य; (२) सभी ग्राम सेवक; (३) कौंसिल के वैकल्पिक सदस्य, जसे ज़िले के अन्य विभागों के निरीक्षक; (४) प्रौढ़ शिक्षक; (५) क्षेत्र के पंचायत मंत्री; (६) क्षेत्र के सहकारी समितियों के निरीक्षक; (७) महिला मंगल योजना कार्यकर्त्ता।

यदि आदर्श रूप में ऊपर वाले सब लोग मीटिंग में भाग लें, तो वह बैठक बहुत बड़ी हो जायगी तथा नम्बर १ और २ के अलावा और सब लोग ऊब जायंगे। इसलिये अन्य दूसरे वर्ग के लोगों के स्थान पर उनके निरीक्षक मीटिंग में शामिल होंगे, और यह निरीक्षक अपने-अपने विभाग के कार्यकर्त्ताओं की मीटिंग अलग-अलग बुलायेंगे। इस आधार पर एक पक्ष में किसी को भी दो मीटिंग से अधिक में सम्मिलित होने की आवश्यकता न पड़ेगी।

---

[११] बहुधंधी ग्राम सेवकों के और अधिक विस्तृत कार्य के लिये पृष्ठ १७८ से १८० तक देखें।

[१२] स्टाफ मीटिंग के मसले पर पृष्ठ १०९–११० पर विचार किया गया है :

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बोनस

कार्य-सफलता के लिये आय-व्ययक में हमेशा एक बंधी हुई रकम बोनस के लिये मंजूर रहती है। इसका आधार दो तरह का है :—

१---भौतिक सफलताएं; जैसे प्रदर्शन, टीके, उपज की वृद्धि। इनमें पुनर्प्रशिक्षण शिविरों में ली गई परीक्षाओं के फल भी सम्मिलित हैं।

२---ज़िला नियोजन अधिकारी और कौंसिल के नम्बर १ से ५ तक के सदस्यों द्वारा, और जिस क्षेत्र में वह ग्राम सेवक काम करता हो, उसके क्षेत्रीय सहायक विकास अधिकारी द्वारा व्यक्तित्व का मूल्यांकन। ग्राम सेवक की भावना और उसके अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों की सफलता पर अधिक महत्व देना चाहिये।

हर वर्ष के प्रारम्भ में ग्राम सेवक को उन सब बातों को समझा देना चाहिये, जिन पर इनाम दिया जायेगा, ताकि वे इस बात को मान लें कि जो निर्णय हुआ है, उचित है। अथवा वे उसमें सुधार के लिये सुझाव पेश कर सकें। विकास आयुक्त की स्वीकृति से किसी भी नये वर्ष के लिये कार्यकारिणी समिति इनाम के आधार को बदल सकती है।

यदि ग्राम सेवक के क्षेत्र किन्हीं कारणों से विशेष रूप से असमान हों, जैसे सिंचाई वाले और बे-सिंचाई वाले, तो भौतिक सफलताओं के माप-दण्ड को इस तरह बदल देना चाहिये कि वह सभी में उचित रूप से लागू हो सकें।

बोनस की परिपाटी बिल्कुल निर्दोष नहीं है। यदि इसका संचालन ठीक से न हो तो इसके कारण आपस में ईर्षा द्वेष भी बढ़ सकता है और यह भावना पैदा हो सकती है कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया। किन्तु यदि माप-दण्ड और निर्णय निष्पक्ष हो, और सभी उन्हें समझें और स्वीकार करें और उन्हें निष्पक्षता तथा विचारपूर्वक लागू किया जाय, तो इसके द्वारा अधिक कल्पनाशीलता, उत्तम कार्य और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा।

योजना के कार्यकर्ताओं द्वारा दृश्य दर्शन, पुनर्शिक्षण शिविर

योजना के उद्देश्यों का यह भी एक भाग है कि हमारे कार्यकर्ता विचारों में, सचेतता में और व्यवस्थित कार्यशीलता में उन्नति करें। इसे पूरा करने के लिये एक महत्वपूर्ण उपाय है। उन्हें इस तरह के मौके देना कि वे यह देख और समझ सकें कि दूसरे क्या कर रहे हैं। पिछले वर्षों में समय समय पर ऐसा किया गया है, किन्तु ऐसा नियमित रूप से नहीं हो पाया। ग्राम सेवक और उससे ऊपर वालों के लिये हर वर्ष नियम-पूर्वक एक सप्ताह ऐसे कामों के लिये देना चाहिये और हर कार्यकर्ता को इस तरह का अवसर नियमित रूप से दिया जाना चाहिये। कौंसिल को इसका निर्णय करना चाहिये कि कब कौन-सी संस्थाएं और स्थान पर कार्यकर्ताओं को दृश्य दर्शन के लिये भेजा जाय।

ग्राम सेवक के लिये और शिविर की रूपरेखा के अनुसार सहायक विकास अधिकारी के लिये; पुनर्शिक्षण शिविरों का आयोजन निम्नलिखित कारणों से महत्व-पूर्ण हैं :

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१---अपनी योग्यता और कार्य-कुशलता को तरोताज़ा करना ।

२---कुछ बातों में नई कुशलता प्राप्त करना ।

उदाहरण के लिये चेचक के टीके लगाने का काम सभी ग्राम सेवकों को नहीं बताया गया होगा । जिन्हें इसका अभ्यास नहीं कराया गया, उन्हें पुनर्शिक्षण द्वारा यह व्यावहारिक ज्ञान देना ही चाहिये ।

३---ग्राम सेवा से सम्बन्धित पुस्तकों या साहित्य के पढ़ने का अवसर प्राप्त करना और उन पर कुछ विचार करना । ऐसे मसलों को व्यवस्थापूर्वक हल करने का प्रशिक्षण लेना जो वस्तुओं की पूर्ति आदि से सम्बन्धित हों ।

ऊपर वाले विषयों पर एक तरह की परीक्षा ली जायेगी । इस परीक्षा का फल बोनस के अन्य आधारों में से एक होगा ।

अगुआई को प्रोत्साहन : स्थानीय संस्थाओं से सम्बन्ध

जनता से हमारे सम्बन्धों और सार्वजनिक संस्थाओं में नये जीवन का कैसे संचार किया जाये? कार्यक्रमों को जनता किस हद तक समझती है और किस हद तक उसे अपनाती है ? अपने कार्यक्रमों को लोग किस हद तक शुरू करते हैं और उन्हें कितनी बुद्धिमानी और व्यवस्था से पूरा करते हैं—वस्तु-स्थिति के ये ही सबसे महत्व-पूर्ण पहलू हैं, जिन पर विचार करना आवश्यक है ।

हमारा पहला कदम था व्यक्तियों से नये कामों को स्वीकार करा लेना और उनकी उपयोगिता प्रमाणित करके उनमें अपने प्रति विश्वास तथा अपने आप में आत्म-विश्वास प्राप्त कराना । इस प्रकार वे हमारे सहायक बन गये । इसके बाद वे गांव के संगठित कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे; जैसे सड़कों को ठीक से बनाना, गलियों को चौड़ा करना, स्कूलों की स्थापना करना—और आर्थिक कामों में, विशेष रूप से सहकारी समितियों में सहयोग देना । स्थायी नेतृत्व का प्रारम्भ होने लगा । पंचायतों के काम में, सहकारिता के काम में और इनके बाहर भी सामूहिक नेतृत्व के रूप में इनका मूल रूप दीख पड़ने लगा है । हमारा काम है इस दिशा में लोगों को आगे बढ़ाना और उन्हें अधिक काम देकर प्रोत्साहित करना । इस सम्बन्ध में कोई विशेष काम अपना अलग महत्व नहीं रखता, इसकी और भी उपयोगिता है, क्योंकि दूसरी स्थानीय सफलताओं से भी इसका सम्बन्ध है । [५२.८]

[इटावा के अनोखे प्रशासकीय ढांचे की तैयारी ने उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों में प्रारम्भिक अग्रगामी योजना के संगठन को सशक्त बनाने में जल्दी ही मदद दी । अन्य उदाहरणों की तुलना में इटावा योजना का संगठन सबसे कम खर्चीला किन्तु सबसे अधिक कारगर सिद्ध होने के कारण नियोजन कमीशन द्वारा सामुदायिक विकास योजना के प्रशासन के नमूने के रूप में स्वीकार कर लिया गया । बाद की ये योजनाएँ जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत १९५२ में प्रारम्भ की गई, राष्ट्रीय प्रसार क्षेत्रों और सघन विकास क्षेत्रों के रूप में सारे देश में फैल गईं ।[१३]]

---

[१३] ग्राम विकास योजना के प्रसार में जो घटनायें घटीं उनके फल के लिये परिशिष्ट (Appendix) देखें ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[विकास योजना के तेजी से बढ़ने के कारण कुछ नये मसले सामने आये, जिनके समाधान से लिये बजट में और संगठन में नये परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ी। किन्तु हर नई योजना में आमतौर पर यह प्रयत्न किया गया कि संगठनात्मक बातों को उसी आधार पर रक्खा जाय जो इटावा के प्रयोग की मुख्य देन हैं : गांव के स्तर पर सभी विकास कार्यों का एकीकरण, जिला के स्तर पर पूर्ति के साधन और नियोजन का एकीकरण, और योजना संगठन में जनतांत्रिक ढंग पर विचारों का आदान-प्रदान और कार्य संचालन।]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

३ आन्तरिक जनतांत्रीकरण

इटावा योजना की संगठनात्मक शक्ति का मुख्य आधार था व्यावहारिक सिद्धान्त, जिसे आंतरिक जनतांत्रीकरण कह सकते हैं। अग्रगामी योजना की जनतांत्रिक व्यवस्था के कारण सभी स्तरों में रुचि और कार्य प्रारम्भ करने की शक्ति को प्रोत्साहन मिला। योजना के कार्यकर्त्ताओं में, गांव वालों में और साधारण रूप से प्रान्त के नागरिकों में यह धारणा व्याप्त हो गई—उनका नतीजा यह हुआ कि स्थायी अधिकारियों से भी नये ढंग के व्यवहार की मांग की गई।

समारम्भ के अनेक स्तर

जनतांत्रिक कार्य का पहला समारम्भ योजना के कार्यकर्त्ताओं से ही होता है। इस स्तर का जो विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है, वह एलबर्ट मायर द्वारा अग्रगामी योजना के अपने सहयोगी कार्यकर्त्ताओं को लिखे गये पत्र से लिया गया है। एलबर्ट मायर ने सलाहकार के रूप में समय-समय पर अनौपचारिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिये और पांच अग्रगामी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को दूसरी योजनाओं में होने वाले सफल और असफल प्रयोगों से परिचित रखने के उद्देश्य से समय-समय पर इस तरह के पत्र लिखे हैं :—

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

"सबसे उत्तम विचार जो हम अपना चुके हैं और सबसे उत्तम नई बात जिसे हम करने में सफल हो सके हैं वह है क्षेत्र में काम करने वाले सभी कार्यकर्त्ताओं में आपसी सम्बन्ध स्थापित करने की भावना। ग्राम सेवक से लेकर ऊपर तक हर एक यह महसूस करने लगा है कि उसको कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ कहने का अधिकार प्राप्त है और उनके उचित सुझावों और कठिनाइयों को ध्यान से सुना जाता है और उनकी क़द्र की जाती है। संयुक्त नियोजन, उसमें सहयोग देने की भावना तथा व्यक्ति की गरिमा ही हमारी विचारधारा और काम की सबसे बड़ी खोज हैं। यदि इस पर ठीक से विचार और अमल किया जाय, तो जनता की छिपी हुई शक्तियां और समारम्भ की भावना अपने आप सामने आने लगती हैं। और इन बातों का गांवों पर भी असर पड़ता है, और उससे जागरूकता और कार्य में सहयोग देने की भावना उत्पन्न होती है।

हम सब आन्तरिक जनतंत्र में विश्वास करते हैं, और हमने अपने अनुभवों और दूसरों के अनुभवों में इसका महत्व देखा है। लेकिन यह पद्धति अभी भी कुछ नई है, इसलिये हम इसे केवल एक सिद्धान्त मानने के लिये तैयार हैं। हम लोग हमेशा व्यवहार में वैसा ही कार्य नहीं करते जैसा सिद्धान्त रूप में उपदेश देते हैं और जैसा हम कर सकते हैं, [यदि हम अपने कार्यों पर हमेशा ध्यान दें और उनका निरीक्षण करते रहें।] हम नीचे कुछ बातें दे रहे हैं, जिनमें कुछ सुधार कर सकते हैं :—

१—ग्राम सेवक स्टाफ मीटिंग[१४]—यह सचमुच ही हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण-साधन है, किन्तु बहुत ही कम मौकों पर यह अपनी असली सम्भावनाओं को व्यावहारिक रूप में पूरा करता हुआ पाया जाता है। मैंने देखा है कि जिले के स्तर के और योजना के स्तर के कार्यकर्त्ता ९० प्रतिशत बातें खुद ही करते रहते हैं। इसमें आधा समय तो आदेश देने में ही बीत जाता है और शेष आधे भाग को वे आपस के बहस-मुबाहसे में खतम कर देते हैं। इसके अलावा मीटिंगें भी बहुत देर तक चलाई जाती हैं—कभी-कभी तो ये सात-सात घंटे तक चलती हैं। कोई भी व्यक्ति इतनी लम्बी मीटिंगों में सजग होकर भाग नहीं ले सकता। उचित नियोजन के द्वारा उनका समय बहुत कम किया जा सकता है, और कम से कम दो प्रोजेक्टों ने ऐसा किया भी है। अधिक से अधिक चार घंटे का समय मीटिंग के लिये देना चाहिये। इसके बीच में भी थोड़े समय के लिये अवकाश होना चाहिये। प्रायः बैठने का इन्तजाम भी ठीक नहीं रहता। अक्सर एक नीची मेज के चारों तरफ जिला स्तर के अधिकारी और योजना स्तर के कार्यकर्त्ता साथ-साथ बैठ जाते हैं। इसका फल यह होता है कि आधे से अधिक लोगों की पीठ ग्राम सेवकों की ओर पड़ती है। इसलिये सबसे आगे बैठा हुआ ग्राम सेवक भी कठिनाई से यह महसूस कर पाता है कि वह मीटिंग में भाग ले रहा है। बैठने की व्यवस्था जैसी बात का भी मीटिंग पर काफी असर पड़ता है।

यह सुझाव कि एक-एक ग्राम सेवक पारी-पारी से सभापति बनाया जाय, अक्सर केवल सिद्धान्त के रूप में ही रह जाता है। असल में जिला नियोजन अधिकारी ही आम तौर पर मीटिंग को चलाता है।

---

[१४] स्टाफ मीटिंग के औपचारिक ढांचे का विवरण अन्यत्र दिया गया है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कुछ सुझाव : ग्राम सेवकों की मीटिंग के प्रभाव को पूरी तौर पर विकसित करना चाहिये। उसे केवल निर्देशन देने और प्रगति की जांच करने का साधन मात्र न बनाया जाय, बल्कि इसे व्यक्तिगत विकास और विचारों के पारस्परिक आदान-प्रदान का जरिया भी बनाना चाहिये। योजना स्तर के कार्यकर्त्ताओं की मीटिंग कई रोज पहले की जाती है, उसमें कार्यक्रम को निश्चित कर लेना चाहिये और विचारों और कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूरा वाद-विवाद कर लेना चाहिये। ऐसी तैयारी से ग्राम सेवकों की मीटिंग में योजना स्तर के कार्यकर्त्ताओं का आपसी चर्चा का समय बच जायेगा और मीटिंग की भी लम्बाई कम हो जायेगी और रोचकता बढ़ जायेगी। हमारा यह सुझाव है कि तीन महीने, चार महीने या छः महीने की अदला-बदली से योजना स्तर के कार्यकर्त्ताओं की इन सभाओं में दो ग्राम सेवक सम्मिलित होते रहें और उन्हें निश्चित रूप से बढ़ावा दिया जाय कि वे अपने विचारों को और अनुभवों को सबके सामने रखें। इसके द्वारा ग्राम सेवक के सारे दल को अपनी पद-मर्यादा का अधिक महत्व मालूम होगा, हर ग्राम सेवक को विकसित होने का मौका मिलेगा और योजना के स्तर के कार्यकर्त्ताओं को उनके विचारों की निकटतम जानकारी से लाभ होगा।

ग्राम सेवकों की स्टाफ मीटिंग में अधिक बात तो प्रायः योजना स्तर के कार्यकर्त्ता ही करेंगे, किन्तु ग्राम सेवकों को भी अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रोत्साहन देना चाहिये। मीटिंग के अन्त के आधे घंटे में तो सबको खुलकर बहस-मुबाहसा करने की स्वतंत्रता देनी चाहिये। या तो उनसे कहा जाय कि वे विभिन्न विचारों को सामने रक्खें अथवा जिला नियोजन अधिकारी कुछ खास सवाल तैयार करें, जिससे उनके विचारों को उत्तेजना मिले और जिनका ग्राम सेवक उत्तर दें या जिन पर वे बहस करें। ऐसे समय अधिकांश बातें ग्राम सेवकों को ही करनी चाहिये। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि बहस-मुबाहसे में हर एक ग्राम सेवक भाग ले। ऐसा न हो कि केवल एक या दो ही सारी बातें करते रहें। मेरे हाल के दौरे में दो योजनाओं में इसके अनुसार कार्य करने की कोशिश की गई। सभी इस बात पर सहमत हुए कि इससे बहुत ही महत्वपूर्ण हल निकले। इस वातावरण और वाद-विवाद से एक महत्वपूर्ण बात तो यह होती है कि ग्राम सेवक में असली स्पष्टवादिता आ जाती है और वह निडर होकर अपनी सफलताओं और अपनी कठिनाइयों को सचाई के साथ कहता है। हम सब यह जानते हैं कि भूतकाल में यह परिपाटी-सी हो गई थी कि ग्राम सेवक बहानेबाजी करके यह दिखाता था कि हर बात ठीक हो रही है, जब कि वह अच्छी तरह यह जानता था कि बात असल में यह नहीं है और उसे यह उम्मीद रहती थी कि उच्च अफसरों के कभी-कभी होने वाले निरीक्षणों के समय वह अच्छा दिखावा पेश कर सकेगा।

२—गांव का दौरा—हम लोग उच्च अधिकारी जब ग्राम सेवक के साथ गांव का दौरा करते हैं तब आम तौर पर हमी लोग अधिकांश समय गांव वालों से बातें करते रहते हैं। आम तौर पर अधिक अच्छा यह होता कि ग्राम सेवक को बातें करने देते, क्योंकि इससे गांव वालों के सामने उसकी मर्यादा बढ़ती है, खुद उसके मन में विश्वास बढ़ता है और हमें यह देखने का मौका मिलता है कि वह कैसे व्यवहार करता है और गांव वालों के साथ उसके कैसे सम्बन्ध हैं।

३—संगठित टोली के रूप में काम करने, अपनी योग्यता और प्रतिभा को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

व्यक्त करने और कार्य का स्तर ऊंचा उठाने का सम्मिलित प्रयास—ऊपरी तौर पर देखने से ग्राम सेवक को योजना और कार्यक्रम में सम्मिलित होने, और अपनी बातों को जाहिर करने का बढ़ावा आदि देने से यह समझा जा सकता है कि इससे हमारे कार्यकर्त्ताओं की कार्य कुशलता और अनुशासन में फ़र्क पड़ जायेगा। किन्तु अनुभव से यह पता चलता है कि बात ऐसी नहीं है। आत्म-विश्वास की भावना को प्रोत्साहन देने से आम तौर पर कार्यकर्त्ताओं में अधिक आत्म-विश्वास, लगन और अधिक वांछनीय व्यवहार की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो स्वतंत्रता और कार्य में सहयोग देने के बढ़ावे को ठीक तरह न समझें और इसका अनुचित लाभ उठाना चाहें। ऐसे लोगों को अच्छी तरह इस पद्धति की विशेषता समझा देनी चाहिये और उनके साथ व्यवहार में सावधानी बरतनी चाहिये। योग्यतापूर्ण प्रशासन और कार्य को सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मानना चाहिये और इसके सम्बन्ध में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये। (५३.७)

सरकार सेवक के रूप में

जनतांत्रिक कार्यवाही को लागू करने और विकास कार्यकर्त्ताओं में आपसी मानवीय सम्बन्धों के नये दृष्टिकोण उपस्थित करने के कारण हर स्तर के व्यक्तियों में कार्य करने की प्रवृति में बहुत अधिक वृद्धि हुई।

हमारे कार्यकर्त्ताओं में गांवों में काम करने में कितनी अधिक रुचि बढ़ी, मानव सम्बन्ध किस तरह विकसित हुए और कितनी आश्चर्यजनक रीति से कार्यकर्त्ताओं का दृष्टिकोण व्यापक हुआ, इन सबका वर्णन करना कठिन है। जिन सुधारों से एक व्यक्ति का सीधा सम्बन्ध नहीं है, उनको देखना या उनके बारे में वर्णन सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। इससे यह बात जाहिर हो जाती है कि काम के विवरण का आनन्द लेने के लिये हमेशा उस कार्य में भाग लेना आवश्यक नहीं है। जो एक या दो वर्ष पहले केवल दैनिक बंधी हुई सरकारी ड्यूटी कर रहे थे, जिनको हजारों दूसरे लोग करते आ रहे थे और जिन्होंने इस तरह की प्रभावोत्पादन कार्यशक्ति की प्रेरणा की कल्पना भी न की थी, वे ही लोग स्वयं काम में तन्मय हो गये। उन्हें एक नया सुखद अनुभव होने लगा, रचनात्मक सेवा की सम्भवनाएं देख पड़ने लगीं, और वे अपने को जनता के साथ एकाकार करने और अपने जीवन का आदर्श चरितार्थ करने का गौरव अनुभव करने लगे। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण शिविर, जो ग्रामीण विकास के लिये आदमियों को प्रशिक्षित करने के लिये संगठित किये गये थे, अपने दोषों और कमजोरियों के बावजूद भी जनता के बहुत बड़े भाग में जागृति उत्पन्न करने में सफल हो सके।

उदाहरण के लिये, एक योजना में हुसैन नाम के एक सज्जन हैं। हम उन्हें मिर्ज़ा कहते हैं, जिसके मतलब शाहज़ादे के होते हैं। वे ऊँचें खानदान के हैं। मिर्ज़ा एक भावुक मुसलमान नवयुवक हैं। पहले वे उप-विद्यालय निरीक्षक थे। यह सरकारी पद उनकी शिक्षा और योग्यता के अनुकूल ही था। यह एक प्रतिष्ठित और स्थायी पद है। कुछ समय बाद वे जिला विद्यालय निरीक्षक हो जाते। उससे जनता के एक बड़े

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भाग से मान-सम्मान भी मिलता। किन्तु अपने उच्च अधिकारियों के साथ वे कुछ प्रभावशाली न बन पाते, न कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य ही कर पाते। अन्त में पेंशन लेकर अवकाश ग्रहण कर लेते।

मिर्जा अब एक बदले हुये आदमी हैं। वह कठिन से कठिन काम करने और जनता से निकट सम्पर्क स्थापित करने को बहुत उत्सुक हैं। वे साधन सम्पन्न हैं और योजना बनाने में बहुत कुशल। [उनमें से कुछ तो बहुत अच्छी हैं। उन योजनाओं की संख्या बहुत अधिक है और वे बहुत व्यवस्थित नहीं हैं, व्यावहारिक और लाभदायक बनाने के लिये उन योजनाओं में बहुत से सहानुभूतिपूर्ण सुधार करने की आवश्यकता है।] मिर्जा समझते हैं कि हमारे शिविर में छः महीने के प्रतिक्षण से उनके जीवन में एक मोड़ आ गया है। चाहे वे सरकारी और कामकाजी ढंग की कुछ खास महत्व की बात को तो नहीं सीख सके, फिर भी जनता के प्रति प्रेम और लगन [जो उसमें नये काम के कारण उत्पन्न हो गई है] के मुकाबले में पुरानी अफसरी वाली बातें उनके लिये कुछ महत्त्व की नहीं रह गई हैं। इसी तरह का उदाहरण फैजाबाद के जिला नियोजन अधिकारी का है। अब तक हमारे जिला नियोजन अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में से चुने जाते हैं। यह उस श्रेणी से कहीं उच्च है जिसमें मिर्जा हुसैन थे। क्योंकि परम्परा से चली आने वाली प्रतिष्ठा, शक्ति और हुकूमत इसमें कहीं अधिक है। इस श्रेणी के अधिकारी अधिक कल्पनाशील तो नहीं होते किन्तु उनमें प्रशासकीय योग्यता अधिक होती है। इसी कारण हमने इस वर्ग के लोगों को जिला नियोजन अधिकारी के पद के लिये चुना। कल्पनाशील न होने के कारण और विषय का अनुभव न रखने के कारण उनमें से कुछ बहुत अच्छे साबित नहीं हुए। किन्तु फैजाबाद वाले अधिकारी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने पद के मान को बढ़ा दिया है, जिन्होंने गांव वालों के साथ बहुत ही अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं और इस तरह एक नई भावना को जन्म दिया है। [५३.८]

एक दूसरे विभाग से एक आदमी हमें मिले थे। वह एक किताबी सांख्यिक के रूप में आये थे। वे अब हमारे काम का सर्वेक्षण बहुत यथार्थता से करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वे अब अपने विभाग को वापस नहीं जायेंगे और यदि उनको लौटना पड़ा तो वे इस्तीफा दे देंगे। और अपने ढंग पर गांव वालों के साथ काम करेंगे। भारत में इंजीनियर अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं और अपने स्टाफ से अलग रहते हैं। वे हाथ से काम नहीं करते। किन्तु हमारे ग्रामीण कारखाने के चार्ज में एक नौजवान इंजीनियर हैं जो स्वयं अपने हाथ से काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी योजना में आकर उन्होंने आत्मविश्वास का पाठ पढ़ा और जनता से सीधे सम्बन्ध का महत्त्व समझा। [५०.५]

मैं इस बात को बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि हमारे काम से सोई हुई शक्तियां जागृत और विकसित होती हैं। और उन्हें आत्म-प्रदर्शन का अवसर मिलता है। [५३.८]

इसलिये मैं सोचता हूं कि मुझे इस बात को महसूस करने का अधिकार है कि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हमने अपनी योजनाओं में सरकारी दृष्टिकोण और भावना में शांतिपूर्ण ढंग पर एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। इस क्रान्ति का सम्बन्ध ऊपर से नीचे तक के अफसरों के पारस्परिक सम्बन्धों से भी है और जनता के साथ होने वाले सम्पर्कों से भी। जनता के साथ सम्पर्क के रूप में सार्वजनिक सेवक के यथार्थ अर्थ को सरकारी कर्मचारियों ने सार्थक कर दिया है।

किन्तु सबसे दुविधापूर्ण और टेढ़ा मसला यह है कि हमने योजना के अन्दर कुछ ऐसी बातों को विकसित कर दिया है जो उसके अन्दर रहकर तो ठीक से सफल हो रही हैं, और उससे नई शक्तियां फूट कर विकसित हो रही हैं, किन्तु योजना ऐसे प्रशासकीय व्यवस्था से घिरी हुई है जहाँ यह पद्धति और उससे विकसित होने वाली शक्तियां अभी तक अनजानी बनी हुई हैं। हमारी पद्धति उस सरकारी पद्धति से एक दम भिन्न है। उनकी पद्धति की विशेषताएं हैं अविश्वास, नियंत्रण, देर और कई लोगों और स्तरों पर से होने वाले निर्णय। इसलिये सरकारी प्रशासन पद्धति में किसी विषय के मसले और उन्हें तत्काल हल करने की भावना को उतना महत्त्व नहीं दिया जाता। हम अब तक ऐसी पद्धति में जीवित रह सके हैं उसका कारण है, सबल प्रयत्न और चीजों की तह में पैठकर उन्हें रख देने का उच्च प्रयास। इस प्रयत्न और सावधानी से यह आशा नहीं की जा सकती कि जब हमारा कार्य बढ़ेगा तब भी जनतान्त्रीय भावना पर इतना ध्यान दिया जा सकेगा, और इसे सफल बनाने के लिये प्रयत्न किया जा सकेगा।

इसलिये अब सबसे बड़ा प्रयत्न यह होगा कि अधिक संख्या में महत्वपूर्ण लोगों को इस बात का विश्वास दिला दिया जाय कि सरकार के पुराने प्रशासकीय ढंग में विशेष रूप से उचित परिवर्तन करने की सबसे अधिक आवश्यकता है, ताकि इस तरह की योजनाएं फल-फूल सकें। यह सोचने मात्र के लिए बड़े साहस और आत्म-विश्वास की जरूरत है कि ऐसा किया जा सकता है। जब मैं शान्तिपूर्वक सोचता हूं तब मुझे लगता है कि हममें उतना साहस नहीं है। किन्तु हमें इतनी दृढ़ता और लगन के साथ इसके लिये प्रयत्न करना ही होगा और वह भी इस रूप में मानों उसके सफल होने के सम्बन्ध में हमें पूर्ण विश्वास है। असल बात तो यह है कि जब मैंने इस योजना को बनाया और उसके अनुसार कार्य संचालित किया उस समय उसके इस भयंकर पहलू का मुझे पता न था। किन्तु अब तो इसका सामना करना होगा और इसमें सफलता प्राप्त करनी ही होगी। [५०.५]

गांव के उत्साह को खास दिशा में प्रवाहित करना

[बढ़ी हुई सार्वजनिक मांग ही एक ऐसी शक्ति है जिससे सरकार का रूप बदला जा सकता है। अग्रगामी विकास योजनाओं में पहले पहल यह प्रयत्न किया गया कि गांव वाले सुधरे हुए बीज स्वीकार करें। जल्दी ही गांव वालों की मौन स्वीकृति जबर्दस्त मांग के रूप में बदल गई। यह मांग इतनी अधिक बढ़ी कि सरकारी पूर्ति के वर्तमान साधन काफी न रहे। १९५२ में आजमगढ़ के उस समय के जिला नियोजन अधिकारी भूपेन्द्र वीर सिंह ने बीजों के वितरण के सम्बन्ध में आवश्यक रद्दोबदल के बारे में प्रकाश डाला है।]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सुधरे हुए बीजों के वितरण की समस्यायें

वितरण की वर्तमान कार्यप्रणाली

आजमगढ़ अग्रगामी योजना के अंतर्गत ८९ गांवों वाले बड़े क्षेत्र को केवल घोसी के गोदाम से ही बीज दिये जाते हैं। बीज गोदाम एक सहायक कृषि निरीक्षक के अधीन है, जो बीजों का वितरण करता है और निर्धारण के अनुसार उनकी वसूली करता है।

ग्राम सेवक ने जनता से बीज की मांग इकट्ठी की है। जिन तारीखों पर बीज बांटे जाते हैं, ग्राम सेवक भी जनता के साथ बीज गोदाम पर जाते हैं। वे जनता को इस बात के लिये भी उत्साहित करते हैं कि सवाई के रूप में लिये हुए बीज को फसल के समय जल्दी से जल्दी गोदाम में वापिस कर दें।

बीज वितरण की वर्तमान विधियों में कठिनाइयां

१—खरीफ के लिये बीजों के वितरण में अब तक कोई भी कठिनाई नहीं पड़ी किन्तु काफी पानी न होने के कारण जल्दी पैदा होने वाले 'धान चाइना नं० १४' और देर से तैयार होने वाले धान की खेती कहीं-कहीं ठीक न हुई। किसान ठीक समय पर धान का बीज न लौटा सके, इसलिये कृषि विभाग ने उन पर जुर्माने किये। खेतिहरों ने उन जुर्मानों में कुछ कमी करानी चाही।

२—रबी के बीजों के वितरण में कुछ कठिनाइयां पड़ीं। हमने निश्चित तारीखों पर बीज देने की योजना बनाई थी। किन्तु मांग इतनी बढ़ गई कि हम उसको पूरा न कर सके। अकेले बीज गोदाम से प्रति दिन केवल ५० लोगों को बीज दिया जा सकता है, किन्तु हर दिन करीब २०० किसान बीज लेने आते थे। उनको बीज दिलाने में ग्राम सेवक बराबर लगे रहे, फिर भी किसानों को बहुत शिकायतें थीं।

३—गोदाम में गेहूं—"कानपुर १३" श्रेणी 'अ' का बीज बहुत कम था। किन्तु श्रेणी 'ब' और 'स' बीज काफी था। कृषि विभाग के अदेशों के अनुसार हर लेने वाले को तीनों श्रेणियों के बीज दिये जाते थे। किन्तु शर्त यह रक्खी गई थी कि जब वह किसान बीज वापस करे तो सवाई समेत सारा बीज केवल 'अ' श्रेणी के गेहूं के रूप में ही लौटाये। ऐसे आदेश इसलिये दिये गये थे कि 'अ' श्रेणी का बीज गोदाम में काफी आ जाय और श्रेणी 'ब' और 'स' का बीज खत्म हो जाय। किन्तु दुर्भाग्य से उस साल सूखा पड़ गया। कुछ खेतों में जिनमें 'अ' श्रेणी का बीज बोया गया था बिल्कुल उपज न हुई। कुछ खेतों में 'अ' श्रेणी का बीज ठीक से जमा नहीं। इस कारण किसानों ने उन खेतों को उलट कर उनमें स्थानीय बीज बो दिया। यह स्पष्ट ही है कि ऐसे किसान अपने समझौते के अनुसार 'अ' श्रेणी के बीज नहीं लौटा सकते। कृषि विभाग के नियमों के अनुसार ऐसे किसानों पर ५० प्रतिशत जुर्माना लाद दिया गया। इससे किसान बड़ी कठिनाई में पड़ गये। वे अपने ऋण को 'ब' और 'स' श्रेणी के बीजों के रूप में लौटाना चाहते थे, क्योंकि उसी तरह का गेहूं पैदा हुआ था। और 'अ' श्रेणी का गेहूं बिलकुल पैदा ही नहीं हुआ था। यह सब जानते हुए भी कृषि विभाग के आदेश के सामने हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इससे किसानों के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

४—धान का सुधरा हुए बीज नं० २२—गोदाम में इसकी बहुत कमी थी। इस कारण जिन किसानो के पास इस तरह का धान आवश्यकता से अधिक था, उनसे नं० २२ के किस्म का बीज बदल कर लेना चाहते थे। किसान भी तैयार थे कि यदि उन्हें १२½ प्रतिशत अधिक दिया जाय तो वे नं० २२ का बीज देकर कोई भी साधारण धान उसके बदले में ले लेंगे और उसे खाने के काम में ले आयेंगे।

मैंने जांच की, किन्तु घोसी के गोदाम में या जिले के किसी भी दूसरे गोदाम में उस समय 'ब' और 'स' श्रेणी का बीज नहीं था। लखनऊ में होने वाले ज़िला नियोजन अधिकारियों के सम्मेलन में मैंने इस सम्बन्ध में बातें कीं और कृषि संचालक महोदय से भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में मुझे रसद पूर्ति विभाग से आज्ञा लेनी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि वे पूर्ति विभाग से अनुमति लेने की चेष्टा खुद कर चुके थे, पर उसमें वे सफल नहीं हो सके थे। यदि मामूली किस्म का धान सितम्बर तक, जब धान की फसल पक कर तैयार हो जाती है, हमें मिल सकता तो हम धान के बीज की समस्या को हल कर लेते। रबी के बीजों के सम्बन्ध में भी इसी पद्धति का अनुसरण किया जा सकता था।

कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में सुझाव

यदि अग्रगामी योजना क्षेत्र में एक के बजाय पांच सहकारी बीज गोदाम हों तो एक ही स्थान से बीज लेने के लिए जो भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसमें कमी हो जायगी। किन्तु ऐसा करने में पूरा एक वर्ष लगेगा क्योंकि इस समय हमें मकान बनाने के सामान नहीं मिल रहे हैं। इस बीच बीज रखने के लिये मकान किराये पर लिये जा सकते हैं।

हमारा यह भी सुझाव है कि यदि कृषि विभाग अनुमति दे, तो खरीफ के बीज का वितरण ग्राम सेवकों द्वारा हो। वे ही बीज गोदामों की तरफ से आवश्यक विभागीय कागज-पत्रों पर हस्ताक्षर कर दें और आवश्यक जांच पड़ताल के बाद विभाग का सुपरवाइज़र उसे प्रमाणित कर दे। इससे एक ही स्थान पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होना कम हो जायगी। और किसानों को भी काफी सुविधाएं हो जायेंगी। इन सुविधाओं के कारण गांव वाले खुद अपने बीज गोदाम बना लेंगे।

हर एक ब्लाक के सहकारी सुपरवाइज़र की सहायता से ग्राम सेवक ही उधार दिये हुये बीजों की वापसी भी करा सकेंगे। यदि उस समय तक बीज गोदाम बन गये तो वह उनमें लौटाये हुए बीज रख देंगे या उस काम के लिये दूसरी उचित इमारतों का उपयोग कर लेंगे। जब खेतों में फसल तैयार खड़ी हो तब सहकारी सुपरवाइज़र की सहायता से ग्राम सेवक यह देख लेंगे कि किन खेतों में फ़सल शुद्ध और अच्छी है और उन खेतों की फ़सल से काफी संख्या में सुधरे हुए बीज प्राप्त कर लेने का प्रबन्ध करेंगे।

उपज की दशा और जितने रक्बे में खेती की गई है उसे देखते हुए बीज प्राप्त करने का अगला कार्य-क्रम तैयार कर लेना चाहिये और उसके अनुसार बदले के लिये साधारण अनाज हर विकास खण्ड के मुख्यालय में रख लेना चाहिये। हमारे क्षेत्र में किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं और वे केवल अपनी जरूरत भर का अनाज

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पैदा करते हैं। इसलिए वे सुधरा हुआ बीज तभी दे सकते हैं जब उसके बदले में उन्हें दूसरा अनाज मिल जाय।

हम यह भी चेष्टा करेंगे कि जिन किसानों के पास अधिक खेत हैं वे सुधरे हुए बीज ही बोयें। इस प्रकार उनकी उपज से दूसरे किसानों की आवश्यकता के लिये सुधरा हुआ बीज मिल सकेगा। [५२·५]

प्राविधिक कुशलता और प्रशासकीय शक्ति का मेल

[जिस तरह जनता की मांग के अनुसार सुधरे हुए बीज के वितरण के तरीकों में सुधार करने की जरूरत है उसी तरह निर्माण कार्य में भी सरकारी इंजीनियरों और जनता के बीच निकटतम सम्पर्क की जरूरत है।]

[हमने पहले से ही गांव की जन-शक्ति को सार्वजनिक निर्माण के कार्यों में लगाने के लिये प्रोत्साहन देना शुरू किया। यह काम इस प्रकार होना था कि जनता अपने पैरों पर खड़ी हो, पर उसे आवश्यक प्राविधिक सहायता मिलती रहे। शुरू में सुधरी हुई सड़कों, चौड़ी और पक्की गलियों और उचित पानी की निकासी के लिये जनता को केवल उत्साहित किया गया और इन कामों के लिये उन्हें संगठित किया गया।]

[जल्दी ही इस तरह के सार्वजनिक निर्माण कार्यों की आवश्यकता लोग महसूस करने लगे और उनमें बहुत अधिक उत्साह पैदा हो गया। सार्वजनिक निर्माण के कामों की तादाद बहुत ही अधिक बढ़ गई और उस समय मुख्य प्रश्न उपस्थित हुआ इंजीनियरिंग, पथ-प्रदर्शन और सहयोग की आवश्यकता का। सरकारी इंजीनियर विकास क्षेत्र वालों के अधीन ही थे। शुरू शुरू में उन्होंने गांव वालों की महसूस की हुई आवश्यकताओं की ओर ध्यान भी नहीं दिया।]

आमतौर पर इस समय भी इंजीनियर जनता के निकट सम्पर्क में नहीं आते। वे अपने को बहुत ही ऊँचा समझते हैं और दूसरों से अलग ही रहना उचित समझते हैं। उनकी मुख्य दिलचस्पी तो बड़ी बड़ी और पेचीदी योजनाओं को पूरा करने में रहती है। वे अब तक कोई ऐसा काम नहीं करते और न उनमें इस तरह की भावना ही है कि वे जनता के मित्र हैं। क्रान्ति का सबसे महत्वपूर्ण प्राविधिक पहलू है इंजीनियरों की प्राविधिक कुशलता को जनता की क्रियाशील शक्ति के साथ समन्वित कर देना। इन सरल योजनाओं के बढ़ते हुए महत्त्व को, और इस कार्यक्रम में इंजीनियरों के सक्रिय योगदान के महत्त्व को इंजीनियर वर्ग को समझा देना ही सबसे बड़ी बात होगी। हमारे काम से यह भी शिक्षा मिलती है कि योजना के काल में यह कार्य जितना ही जल्दी किया जा सके उतना ही अच्छा है। इंजीनियरों को यह विश्वास दिला देना चाहिये कि जनता के साथ सहयोग करना उनकी प्रतिष्ठा और शासन के खिलाफ नहीं है बल्कि जनता को सहयोग देने से उनकी शान बढ़ती ही है। [५१·६]

नीचे लिखे विवरण से इस बात का महत्व स्पष्ट हो जाता है:

पुल

राजपुरा के खेतों के बीच में तीन फुट चौड़ी एक नहर थी, जिससे गांव वालों के खेत दो हिस्सों में बंट गये थे। इसको पार करने में बैलगाड़ी को कई मील अधिक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

का चक्कर लगाना पड़ता था। गांव की जनता और उनके नेताओं ने अनेक वर्ष पहले ही यह अनुभव किया था कि यहां अधिक चौड़े पुल की आवश्यकता है। अन्त में उन्होंने ८०० रुपये इकट्ठे किये और ईंटे मंगवा लीं। उनको आवश्यकता थी हमारी सहायता की जिससे सिंचाई के इंजीनियर खर्च का तकमीना तैयार कर दें, पर गांव वालों से इसका कुछ मूल्य न लें और दूसरे आवश्यक सुधार कर दें। [५२.६]

कई महीनों तक कुछ भी न हो सका। अन्त में दिसम्बर के महीने में मायर ने निम्नलिखित पत्र लिखा :

दिसम्बर २४, १९५१

श्री० के० बी० भाटिया,
विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ, भारत

प्रिय कृष्णा

पिछली गर्मी के मौसम मे राजपुरा गांव की जनता, उपविकास अधिकारियों और ध्यानपाल सिंह ने बहुत प्रयत्न करके काफी रुपये एकत्र किये हैं ताकि नहर के ऊपर एक अधिक चौड़ा पुल बनाया जा सके। इस पुल के बन जाने से गांव वालों को बहुत सुभीता हो जायेगा, और उनका बहुत समय बच जायेगा। सहायक इंजीनियर ने उसके लिए तखमीना भी बना लिया था। ऐसा जान पड़ता था कि पुल का काम पूरा हो ही जायेगा। कुछ दिन हुये मैंने इस विषय में ध्यानपाल सिंह से पूछ ताछ की। उन्होने लिखा कि पुल बनने का काम शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि वह सारा मामला चीफ इंजीनियर के यहाँ दबा पड़ा है। मेरा ख्याल है कि दो कारणों से इस काम में जल्दी कराना जरूरी हो गया है :

गावं वालों ने रुपये इकट्ठे करने, सामान जुटाने आदि में बहुत अधिक प्रयत्न किया है। यदि काम में देर हुई तो उनमें बहुत निराशा फैल जायेगी। साथ ही सामूहिक कार्य करने की उनकी प्रवृत्ति को बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इस प्रवृत्ति को कायम रखने और बढ़ाने के लिये काम की सफलता बहुत आवश्यक है।

अगर पहली बार इस मामले में जल्दी कर दी गई और यह काम सफल हो गया तो एक अच्छी कार्य पद्धति बन जायेगी और दृष्टान्त कायम हो जायेंगे। इससे भविष्य में इस तरह के काम आसानी से अधिक संख्या में किये जा सकेंगे। अनेक स्थानों की जनता सम्मिलित होकर कार्य करने और सहायता देने के लिये प्रोत्साहित होगी और यातायात के साधनों में काफ़ी सुधार हो जायेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इससे सहमत होंगे और आप और रामसहाय जी से मिलकर इस काम को पूरा करा देंगे, ताकि बरसात शुरू होने के पहले पुल बन जाये।

भवदीय
एलबर्ट मायर
[५१.५]

इस काम को पूरा होने में काफी समय लगा, किन्तु निरन्तर लगे रहने के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कारण आखिर सब कठिनाइयां दूर हो गईं। गावं वालों के सहयोग से काम पूरा हो गया और अंत में वर्षा से लगभग एक महीने पहले पुल का उद्घाटन भी हो गया। इससे सभी सम्बन्धित लोगों को काफी सन्तोष और गर्व का अनुभव हुआ। इस कार्य के अनेक सुन्दर परिणाम हैं। इससे एक समस्या हल हुई और दूसरे गांव वालों के लिये यह एक अच्छा उदाहरण बन गया। निराशा की भावना के स्थान पर गांव वालों में और जिम्मेदार नेताओं में सफलता और आत्म-विश्वास की भावना जागृत हो गई। इससे इन्जीनियर भी जनता के निकट आ गये। फिर भी वे अभी इतने निकट नहीं आ सके हैं, जितना आवश्यक है।

[५२.६]

[१९५६ तक जनता की संगठित इच्छा से उसी तरह के दूसरे कई पुल नहरों पर बन गये।]

असम्बन्धित विभागों के साथ सहयोग :

व्यावहारिक बुद्धि वाली इंजीनियरिंग और उसके बन्धन

१९५३ में, अग्रगामी योजनाओं और दूसरे विभागों के बीच सहयोग के कुछ मसलों को हल करने के लिये सुझाव दिये गये। सरकार ने जल्दी ही उन मसलों को मान्यता दी, और जल्द ही स्थिति में सुधार करने के लिये कदम उठाये गये। यहां १९५३ की शिफारिसें दी जाती हैं :

कुछ विभागों से सहयोग की कमी की शिकायतें आती रहती हैं। उदाहरणार्थ, इंजीनियर भी भिन्न भिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं, जैसे भवन तथा सड़क, और सिंचाई--- कृषि अभियन्ता, तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण। साथ ही एक भावना यह भी है कि उनमें समन्वय होना चाहिये। अर्थात् किसी भी प्रकार वे हमारे नेतृत्व में आ जायँ। सचमुच हम उनका बहुत अधिक सहयोग चाहते हैं क्योंकि हम अनावश्यक मंहगी और हानिकारक गलतियां नहीं करना चाहते। अगर हमें सम्मिलित रूप से गाँव वालों की अधिक सहायता करना है तो ऐसी गलतियों से बचना है। इस तरह की गलतियों के कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं।

आरम्भ में यह भी कहना आवश्यक है कि कहीं कहीं इंजीनियरों ने अच्छी सलाह और सामयिक सहायता के रूप में बहुत ही उत्तम सहयोग दिया है, और इससे हमारे उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहायता मिली है। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें उनकी सहायता से दुर्लभ सामग्री हमें जल्दी ही मिल गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं विशेषकर झांसी और इलाहाबाद में। इन बातों को यहां इसलिये बताया गया है कि इनको जान लेने पर आपको प्रोत्साहन मिलेगा कि हमने अच्छा सहयोग प्राप्त किया है और ऊंचे स्तर के या बहुत भारी राजकीय रद्दोबदल के बिना भी मौजूदा प्रशासकीय व्यवस्था से ही अच्छे पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर सहायता मिल सकी है।

आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि प्राविधिक सलाह आमतौर पर कितने महत्व की होती है। यदि ऐसी सहायता न मिले तो क्या दशा होती है, इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्वावलम्बन से बनाई गई सड़कें और पानी की निकासी के कार्य---जहां कहीं

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भी सम्भव हो, हमें सड़कों और पुलों को ऊंची जमीन पर बनाना चाहिये। किन्तु अनेक स्थानों पर उन चीज़ों को हमें बहुत ही नीची जमीन पर बनाना पड़ता है और उसके लिये कभी कभी तो ५ फुट ऊंचे तक बांध बांधने पड़ते हैं। इससे गांव वालों के उत्साह की और हमारे संगठन की विशेषता प्रकट होती है। किन्तु ऐसे कामों में बहुत-सा अनावश्यक श्रम भी करना पड़ता है और उनके द्वारा पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट पड़ जाती है जो एक बुरी बात है और जिससे अन्त में उत्पादन में कमी आ जाती है, अथवा पुलिया आदि बनाने में बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है।

स्कूली लड़कों द्वारा ईंटों का बनाया जाना—बहुत सी योजनाओं में स्कूली लड़कों को ईंट बनाने के काम में प्रोत्साहन और सहायता दी जाती है, खास करके जहां नये स्कूल बनाने या पुराने स्कूल बढ़ाने की बात आती है। फैजाबाद में विज्ञान की शिक्षा के लिये नये स्थान की आवश्यकता थी। वहां ईंट बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया गया। यह तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये ईंटें उत्तम होंगी। किन्तु यदि शुरू में कोई इंजीनियर या अनुभवी उस बारे में आवश्यक बातें बता दे और फिर बाद में बीच-बीच में आकर यह देख ले कि काम कैसे चल रहा है, तो काम बहुत अच्छा हो सकता है।

ताल खुदाई—यह अक्सर माना जाता है कि जितनी ही गहरी खुदाई की जायेगी पानी उतना ही अधिक जमा हो सकेगा और अगली बरसात के पहले तक अधिक से अधिक समय तक सिंचाई के लिये पानी मिल सकेगा। यह बातें तभी तक ठीक हैं जब तक नीचे की मटियार पर्त न टूट जाय और पानी के लिए खुदाई इतनी अधिक गहरी न हो जाय कि वह नीचे की बलुही सतह तक न पहुंच जाय। यदि खुदाई बालू की सतह तक पहुंच गई, तो वही फल होगा जो किसी बर्तन की पेंदी में छेद करने से होता है। तालाब में बिल्कुल पानी नहीं रह जायेगा। और वह नीचे की सतह के सोतों में होकर बह जायेगा। मैं एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां सहायक विकास अधिकारी ने इस काम के लिये जनता में उत्साह भरने में आश्चर्यजनक काम किया था। वहां लगभग ८० व्यक्ति खुदाई में लगे हुये थे और मिट्टी ढो रहे थे। परन्तु दुर्भाग्यवश उन्होंने लगभग दो फुट अधिक खोद डाला था और वे बालू की सतह के नज़दीक पहुंच गये थे। इस कारण सारी मेहनत बेकार गई। हमें ऐसी परिस्थिति से बचने के लिये बहुत सतर्क रहना चाहिये।

असल में इस तरह का बचाव करना बहुत ही सरल है। पहले परीक्षण के लिये एक छोटा गहरा गड्ढा खोद कर देख लेना चाहिये कि बालू की सतह कहां पर है। यदि खुदाई बालू की सतह तक पहुंच गई है तो वह गड्ढा भर देना चाहिये। इससे कोई विशेष हानि नहीं होगी।

कुछ विचार या सुझाव

सभी इस बात से सहमत हैं कि दूसरे विभागों की, खास कर इंजीनियरिंग विभाग की, मदद लेना बहुत जरूरी है। यह आसानी से कह सकते हैं कि सबको विकास विभाग में मिला लिया जाय। किन्तु यदि यह किसी तरह सम्भव भी हो तो

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भी यह वांछनीय नहीं होगा। अति समन्वय से भी खास खतरे होते हैं अक्सर इससे भी नई तरह की देरी और उलझनें पैदा हो जाती हैं। अपने दौरों में मैंने उत्तम पारस्परिक सहयोग के बहुत से उदाहरण देखे हैं। और इससे मैं उत्साहपूर्वक विश्वास करने लगा हूं कि केवल कुछ विशेष ढंग की परिस्थितियों को छोड़कर प्रायः सभी सामान्य स्थिति में ज़िला स्तर पर ऐसे उत्तम आपसी सम्बन्ध कायम कर सकते हैं, और अपने काम के प्रति लोगों में दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं और अपने कामों में सफलता पा सकते हैं। यदि कार्यकर्त्ता इसे बहुत ही आवश्यक व्यक्तिगत उद्देश्य समझें और जी-जान से इसके लिये प्रयत्न करें और आरम्भ से ही निराशावादी दृष्टिकोण न रक्खें तो अधिकारियों का आपसी सहयोग मिलना निश्चय है। हमें इस बात को याद रखना चाहिये कि हमारा काम ही ऐसा है जिसमें दूसरों को समझा कर राजी करना हमारा सबसे आवश्यक गुण है। केवल गांव वालों के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति से इसी नीति से काम लेना चाहिये।

यहां दो खास सुझाव दिये जाते हैं, जो विशेष रूप से इंजीनियरों पर लागू होते हैं।

१—पहले पहल अनौपचारिक ढंग पर किन्तु अच्छी तरह ज़िले के इंजीनियरों से कुछ खास मसलों पर और अपनी योजना के उद्देश्यों और कठिनाइयों के बारे में सलाह मशविरा करना चाहिये। या तो उसी समय या दूसरी या तीसरी मुलाकात में उन्हें यह बता देना चाहिये कि उनकी मदद की हमें कितनी जरूरत है, और किस तरह की या किस हद तक हमें यह मदद चाहिये। यह मदद हमेशा या बार-बार जरूरी नहीं होगी। क्या यह सम्भव नहीं है कि वे इसे अपनी उपयोगिता बढ़ाने का अवसर समझें और थोड़ी सहायता पहुंचा कर व्यक्तिगत संतोष का अनुभव करें। हर परिस्थिति में यह नीति इतनी सफल न भी हो तो भी बहुत सी परिस्थितियों में सफलता अवश्य मिलेगी।

२—वे एक तरह और सहायता कर सकते हैं जिससे उन पर कोई विशेष भार नहीं पड़ेगा। मैंने कई उदाहरण दिये हैं जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि हम साधारण निर्माण कार्यों में भी कभी कभी गलती कर जाते हैं। वैसे तो वे काम बहुत कठिन नहीं हैं, किन्तु एक मामूली आदमी बिना प्राविधिक सहायता के इन बातों को नहीं समझ सकता। उनसे सामान्य इंजीनियर की उपयोगिता मालूम हो जाती है। यदि हम स्थानीय या जिला इंजीनियर को इस बात के लिये राजी कर सकें कि वह स्टाफ मीटिंग के दिन आकर ग्राम सेवकों और सहायक विकास अधिकारियों के सामने व्यावहारिक इंजीनियरिंग के सम्बन्ध में कुछ बातें बतायें और उसके सम्बन्ध में प्रश्न पूछने के अवसर दें और उत्तर देकर उनका समाधान करें, तो इससे हमें बहुत अधिक सहायता मिलेगी।

इसके अलावा यदि यह प्रबन्ध किया जा सके कि इंजीनियर के साथ एक या दो बार दौरा कर लिया जाय और उन्हें मौका दिखा दिया जाय और वे यह समझा दें कि सड़क बनाने के लिये कौन सा स्थान ठीक है या कौन सा स्थान किन कारणों से ठीक नहीं है, तो इस काम में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। मैं समझता हूं कि इंजीनियर के लिये भी यह एक रोचक और अनुभव की बात होगी। हमें इस तरह की बातों के लिये पूरी तरह से प्रयत्न करना चाहिये।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इंजीनियरों की सहायता और व्यावहारिक इंजीनियरिंग की भावना में बहुत अधिक गुण हैं किन्तु उसमें एक दोष भी है। इसमें तो सन्देह ही नहीं कि इस तरह की व्यावहारिक भावना से हममें से हर एक को लाभ ही होगा। किन्तु उसके साथ यह भी एक खतरा है कि यदि इस तरह की प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भी कर लें, तो सम्भव है कि कुछ लोगों को इस बात का भ्रम हो जाय कि हम इन बातों को बहुत अधिक जानते हैं। इस अभिमान के कारण अधकचरे रह कर शायद हम गलतियां कर बैठें। इसलिये इस विषय में इंजीनियर महोदय हमें यह साफ़ साफ़ समझा दें कि हम किस हद तक इस विषय में भरोसा कर सकते हैं और कहां तक नहीं। वह हमें साफ साफ बता दें कि किन बातों में हम अपने निजी निर्णय पर भरोसा कर सकते हैं और किन बातों में हमें बाहरी सहायता ले लेनी चाहिये।

यह सम्भव है कि यदि हम इंजीनियरों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर सकें तो हम क्षेत्र के कामों के लिये जो सलाह और सहायता चाहते हैं, वह सड़कों के बनाने और तालों के गहरे करने आदि के कार्यक्रम में भी यथा समय मिलती जाय।

जब हम एक बार इस तरह की विशेष सहायता प्राप्त करने लगेंगे तो सहायता देने वाले आदमी यह महसूस करने लगेंगे कि इस तरह की सहायता देने से उन्हें कितनी प्रसन्नता होती है। किन्तु इस विषय में बहुत आशावादी नहीं होना चाहिये। हर बात में हर व्यक्ति इस तरह की सहायता प्राप्त करने में सफल नहीं होगा। यदि इस तरह की सहायता न भी मिले या पहली बार न मिले तो उससे बहुत हतोत्साहित नहीं होना चाहिये। [५३.९]

राज्य में काम की जड़ जमाना

१९५० के जनवरी तक अग्रगामी योजना का काम काफ़ी आगे बढ़ गया था और इसलिये ऊपर के महत्वपूर्ण अधिकारियों को उसमें दिलचस्पी कराना आवश्यक हो गया था। अमेरिका में रहने वाले मित्रों को नीचे लिखे विवरण से यह पता चलता है कि इटावा का एक सरकारी दौरा मामूली दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साधारण निरीक्षण सम्बन्धी दौरों से कितना भिन्न था।

शुरू में हमने जान-बूझ कर अपने काम के बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं होने दी थी। हम स्वयं इस बात का निश्चय कर लेना चाहते थे कि क्या हम अपने काम में सफल हो रहे हैं। बाद में हम यह सोचते कि उसका प्रचार किया जाय। सार्वजनिक रूपसे बड़े बड़े वादे करने और सब्ज़बाग दिखाने के पहले हम इस प्रकार का काम करके दिखाना चाहते थे जिससे दूसरों को हमारी पद्धति में विश्वास हो जाये।

किन्तु १९५० की ग्रीष्म ऋतु में अखबारों में हमारे बारे में बहुत अधिक विज्ञापन होने लगा। मैं जितना सोच सकता था उससे कहीं अधिक लिखा जाने लगा। यह प्रचार समय के पहले ही होने लगा था। अच्छी बातें बहुत जल्दी बहुत अधिक फैलने लगती हैं। यह रोका नहीं जा सकता। किन्तु अब हम स्वयं सही बातों के प्रचार के लिये उत्सुक हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे सरकारी व्यक्ति, जिनका प्रभाव है, पर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जो हमारी योजना से सम्बन्धित नहीं हैं, आकर खुद यह देखें और समझें कि हम कितना काम कर सके हैं, ताकि वे यह प्रयत्न कर सकें कि हमारा काम दबाया या टाला न जा सके, या बजट के हेर-फेर के कारण हमारे काम को हानि न पहुंचे। मंत्रियों को तो सब बातें ठीक से दिखायी नहीं जा सकतीं। जब कोई मंत्री कहीं जाता है तो उसके चारों तरफ बड़ी भीड़ जमा हो जाती है, और इतनी सभाएं होने लगती हैं कि वे स्वयं किसी बात को पूरी तरह से देख समझ नहीं सकते। किन्तु हम उत्सुक थे कि प्रान्त के मुख्य सचिव श्री भगवान सहाय खुद आकर हमारे काम को देखें।

हम चाहते थे कि उस समय के कृषि सचिव श्री आदित्य नाथ झा भी आयें। अन्त में हम उन्हें लाये। श्री भगवान सहाय इतने अधिक प्रभावित हुये कि उन्होंने खुद ही फाइनेन्स कमिश्नर श्री गोपाल कृष्णन को भी बुला लिया। श्री आदित्य नाथ झा भी आये। उत्तर प्रदेश के उच्च स्तरीय सरकारी पदाधिकारियों में से ये तीनों ही सबसे अधिक महत्व के पदों पर हैं और उनका प्रभाव भी सबसे अधिक है। हमारे विभाग के सर्वोच्च अधिकारी विकास आयुक्त श्री भाटिया भी आये। ये लोग बहुत ही योग्य और सजग अधिकारी माने जाते हैं।

ये अधिकारी डाक बंगले में ठहरे। वहां से योजना के केन्द्र महेवा पहुंचने में करीब साढ़े चार घन्टे लगते हैं। भारत भर में जगह-जगह ऐसे डाक बंगले हैं, जिनमें वे सरकारी अधिकारी ठहरते हैं, जो नहरों के निरीक्षण के लिये या दूसरे सरकारी कामों से देहातों में दौरा करते हैं। भोजन और बातें करने के लिये मैं उनके साथ ठहरा। वैसे मैं अक्सर अपने एक कार्यकर्त्ता के साथ पास वाले मन्दिर के एक कमरे में रहता हूं।

दूसरे दिन सवेरे हम अपने दौरे पर निकले। ऐसे दौरों और निरीक्षण के लिये लम्बे-चौड़े कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं और सभी छोटी-बड़ी चीजों को दिखाने की व्यवस्था की जाती है। हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं ने भी उसी तरह का भारी भरकम कार्यक्रम तैयार किया था। किन्तु इस निरीक्षक दल को यह सब पसन्द न था। क्योंकि इसी तरह के कार्यक्रमों से इन लोगों का पाला पड़ा करता है। इसलिये उसकी तरफ से उन्हें अरुचि हो गयी है। इन कारणों से ये लोग निर्धारित कार्यक्रम के कम से कम भाग को सामने रखकर घूमने निकले ताकि मुख्य-मुख्य बातों को वे ठीक से देख सकें। इस सावधानी का अच्छा फल निकला। जैसे ही हम पहले गाँव के बीच से जाने लगे, वैसे ही हर उम्र और स्तर के लोग भारी संख्या में इकट्ठे हो गये और साथ साथ चलने लगे। यहां न तो बड़े छोटे का क्रम था न किसी तैयार की हुई चीज को दिखाने की बात थी। हर आदमी खुलकर एक दूसरे से बातें कर रहा था। गाँव वालों में आपस में इस बात में होड़ लगी थी कि वे उन सब बातों को दिखा दें जिन्हें उन्होंने पूरा कर डाला है। वे बताने लगे कि उनके कृषि प्रदर्शन किस तरह के हैं और आगन्तुकों ने पहले जो देखा है, उन बातों के मुकाबले में उनकी चीजें क्यों अधिक उत्तम हैं। आगन्तुकों पर इसका काफी प्रभाव पड़ा। दिन भर में हमने उन लोगों को सभी तरह के काम और विकास सम्बन्धी सफलताओं को दिखाया। उन पर इसका काफी प्रभाव पड़ा और वे नयी नयी चीज़ों को देखने के लिये बहुत उत्सुक हो उठे। किन्तु हर बार उनकी यही शर्त रहती थी कि 'प्रदर्शन के रूप में'

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कुछ न किया जाये। अब तक के निरीक्षण से उन्हें विश्वास हो गया था कि बिना तैयारी और प्रदर्शन के ही असली तथ्य का पता चलता है।

निरीक्षण समाप्त होने तक यह स्पष्ट हो गया कि हमारी योजना के सम्बन्ध में उनके मन में कैसे भाव उत्पन्न हो गये हैं। किन्तु इन तीनों सचिवों की आलोचनाओं और टीका-टिप्पणियों को सुनने के लिये उनके साथ मैं गया। उनकी नजरों से कोई भी बात छूटने नहीं पाई थी। छोटी से छोटी नई बात भी जो कार्यप्रणाली की निर्देशक थी, उनकी नजरों से छूटने नहीं पाई। उन्हें इस बात की बड़ी खुशी थी कि पहले से निश्चित किया हुआ कोई कार्यक्रम उनके सामने नहीं रखा गया था और जहां-जहां वे अपनी मर्जी से चाहते, वहीं-वहीं उन्हें जाने के लिये प्रोत्साहित किया गया था। श्री भगवान सहाय ने मुझसे कहा कि "जब आपने मेरा परिचय श्री बैजनाथ से कराया, तब उन्होंने निःसंकोच होकर मुझसे हाथ मिलाया। क्या कभी किसी ने यह बात सुनी भी है कि एक नवयुवक कार्यकर्त्ता बिना हिचकिचाहट के मुख्य सचिव से हाथ मिला सका हो? आपको शब्दों द्वारा यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी प्रणाली जनतांत्रिक ढंग पर चलाई जा रही है। आपने ग्राम सेवक शब्द को कैसे गढ़ा? यह शब्द अपने में पूर्ण है; इसी एक शब्द में उत्साह और कर्त्तव्य की सभी बातें शामिल हैं। उस ग्राम सेवक का क्या नाम है जिसने हम लोगों को सारी बातें इतनी अच्छी तरह से समझा दीं? मैंने इसके पहले सरकारी अधिकारियों के आने पर कभी इतने अधिक गांव वालों को इतना उत्साहपूर्ण और उत्सुक नहीं देखा था।"

गोपाल कृष्णन ने कहा, "आप यहां जो काम कर रहे हैं वह नया नहीं है। करीब १० साल पहले मैंने इसी तरह की योजना को लिखित रूप में पुराने ग्रामीण विकास विभाग में देखा था। केवल अन्तर इतना ही है कि भारत के किसी भी भाग में इस तरह उसको व्यावहारिक रूप में सफल बनते हुये मैं पहली बार देख रहा हूँ।" श्री आदित्य नाथ झा एक बहुत ही व्यावहारिक राज्य अधिकारी हैं। उनके सामने अधिक अन्न उपजाओ का कार्यक्रम विस्तृत रूप से है। उन्होंने योजना बनाई कि हम लोग उनके लिये २०० कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित कर दें। ऐसे ही काम हैं जिनके कारण मैंने कहा है कि यहां के विचारों का प्रसार आवश्यकता से अधिक तेजी से हो रहा है। यद्यपि हम पूरी तरह से तैयार तो नहीं हैं; किन्तु प्रशिक्षण के ऐसे काम श्री आदित्य नाथ झा के लिये और अन्य विभागों के लिये हमें करने ही होंगे। इसका कारण यह है कि इसके लिये हम सबसे अधिक साधन सम्पन्न हैं। एक वर्ष बाद प्रशिक्षण का अधिक अच्छा काम हम बड़ी संख्या के लिए कर सकेंगे।

इन कारणों से यह दौरा बहुत हितकर सिद्ध हुआ। हमें अब एक बहुत पुख्ता आधार मिल गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारियों के मन में हमारे कार्य के लिये बहुत दिलचस्पी उत्पन्न हो गई है। फल यह होगा कि हम न तो अपने काम से अलग किये जायेंगे और न हमारे सम्बन्ध में कोई गड़बड़ी होगी। मुख्य बात यह है कि ये वे उच्च अधिकारी हैं जिनका कोई भी सम्बन्ध योजना बनाने से नहीं था, इस कारण उनका प्रमाण महत्वपूर्ण और निष्पक्ष सिद्ध होगा। [५०.१]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ज़िलों में

राज्य के उच्च अधिकारियों के मन में दिलचस्पी पैदा करने के साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि इस काम के प्रति उन स्थानीय ज़िला अधिकारियों में और उन नागरिकों में दिलचस्पी पैदा की जाय, जो इस प्रोजेक्ट से सीधे सम्बन्धित नहीं हैं। इनमें खास महत्व के हैं सर्व-शक्तिमान ज़िलाधीश या कलक्टर महोदय। १९५२ में मायर ने अगग्रामी योजना के साथियों को एक पत्र लिखा था, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि इस कार्य की जड़ जमाई जाय; और उसके बारे में कुछ सुझाव दिये गये थे।

कुछ मामलों में दूसरों के उत्साह और सहयोग को प्राप्त करने की दिशा में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले ही ज़िला स्वास्थ्य अधिकारियों के बारे में लिखा गया है। ज़िला पशुधन अधिकारी और सहायक पशु चिकित्सक बहुत ही अच्छी तरह सहयोग दे रहे हैं और हमारे काम के प्रति संतोष प्रकट कर रहे हैं। अधिकांश मामले में ज़िला कृषि अधिकारी भी ऐसा ही कर रहे हैं। किन्तु आमतौर पर हम अपने काम के बारे में दूसरों को अधिक नहीं बता पाये हैं। अब हमें इस स्थिति में सुधार करना होगा।

ज़िलाधीश भी हमारे क्षेत्र में बहुत कम आते हैं और हमारे काम को ठीक से समझते भी नहीं।[२] अनेक बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में वह यह समझ लेते हैं कि नये विचारों को लेकर हम कुछ ऊट-पटांग काम कर रहे हैं। ज़िलाधीश के दौरे का केवल यही महत्व नहीं है कि वे हमारे कामों के बारे में अधिक अच्छी जानकारी रक्खेंगे, किन्तु उनके दौरे से हमारे कार्यकर्त्ताओं को और गाँव वालों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि उन्हें यह जानकर खुशी होगी कि उच्च अधिकारी भी उनमें दिलचस्पी ले रहे हैं। यदि वह सचमुच दिलचस्पी लेने लगे तो उसके व्यापक प्रभाव के कारण हमारे काम में अधिक लोग दिलचस्पी लेने लगेंगे। मेरा सुझाव है कि एक महीने में कम से कम एक दौरा तो ज़िला कलक्टर का हो ही जाना चाहिए।

प्रमुख नागरिकों और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के बारे में भी यही बात लागू होती है।

प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी हमारे बहुमुखी कार्य आज के भारत के लिए एक महत्त्व-पूर्ण देन हैं। किन्तु हमारे ज़िलों के विद्यालय निरीक्षकों में से बहुत ही कम ने इन कक्षाओं को देखा है।

मैं केवल इस बात पर ज़ोर दे रहा हूँ कि इसमें केवल हमारा ही हित नहीं है कि इस तरह के सभी लोग हमारे बारे में अधिक जानें और हमारे बारे में अच्छे विचार बना लें। किन्तु यह भी उतने ही महत्व की बात है कि यदि हमें स्वयं अपने कामों और पद्धतियों की विशेषता के बारे में और योजना की आंतरिक भावना से सम्बन्ध रखने वाले सुसंगठित कार्य में लगन और विश्वास है, तो हमें इन चीज़ों को दूसरे स्थानों पर फैलाने में भी दिलचस्पी लेना चाहिए। हमारी सीमाओं के बाहर के लोगों में तो ये विचार फैल रहे हैं, किन्तु उन लोगों में इन विचारों का प्रसार

---

[२] देखो पृष्ठ ९८, नोट नं० ९

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभी नहीं हो रहा है जिनका मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ। हमारे काम के असल में दो भाग हैं :—

जो लोग हमारे काम के बारे में कम जानते हैं या बिलकुल नहीं जानते हैं, उनमें दिलचस्पी पैदा करना।

जिनमें दिलचस्पी पैदा हो गई है, उनमें ज्ञान और उत्साह की वृद्धि करना।

ऊपर जिस तरह के लोगों का वर्णन किया गया है, उनको अपने काम से सम्बन्धित कर लेने के लिए किसी प्रकार के पूर्ण उपाय तो नहीं बताये जा सकते, किन्तु यहाँ कुछ सुझाव दिये जाते है :

१—अधिक सूचना---क्या जिलाधीश हमारे उत्पादन की अधिक बढ़ी हुई वृद्धि के बारे में यथार्थ जानकारी रखते हैं ? क्या आपने उन्हें बृद्धि के आंकड़ों को दिखाया है या खेतों में खड़ी हुई फसलों को तुलनात्मक रूप में उन्हें लाकर दिखाया है ? ऐसे कामों की खिल्ली उड़ाना तो आसान है और यह कहना भी सरल है कि दूसरे लोग भी इसी तरह का काम कर रहे हैं, केवल सिंचाई के साधनों के जुटाने की जरूरत पड़ती है। कोई भी आदमी इन बातों के महत्व को समझ नहीं सकता। किन्तु इस बात को हम सभी लोग जानते हैं कि यदि कल ही नलकूपों को लगाये जाने की व्यवस्था शुरू की जाय, तो भी कई वर्षों बाद ही असिंचित क्षेत्र का एक छोटा सा भाग उससे लाभ उठा सकेगा। तब तक क्या हम चुपचाप बैठे रहें और नलकूपों के बनने की राह देखते रहें अथवा वर्त्तमान स्थिति में जो अच्छे से अच्छे उपाय कर सकते हैं उसे करें ? नलकूपों के लग जाने के बाद भी जिस तरह के काम हम कर रहे हैं, उसके कारण उपज में बहुत अधिक बृद्धि की जा सकेगी। कृषि, पशुपालन, जन स्वास्थ्य, समाज शिक्षा, स्थानीय भावनाएं और नेतृत्व आदि से सम्बन्ध रखने वाले हमारे कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमको इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए। ज़िला नियोजन समिति की मीटिंगों में जिला नियोजन अधिकारियों को साहस के साथ हमारे इन कामों के बारे में बताना चाहिए। जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला पशुधन अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी या दूसरे लोग जो हमारे काम और उसके महत्व को समझते हैं, उनसे सहायता लेनी चाहिए।

२—जनता के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहिए और उन्हें अपने यहाँ बुलाना चाहिए। यहाँ आकर वे फसलों को एक दूसरे से मिलान करके देख सकेंगे, गांव वालों से खुद बात कर सकेंगे और हर बात का पता लगा सकेंगे। स्टाफ मीटिगों में और प्रौढ़ साक्षर शिक्षण केन्द्रों और वाद-विवाद अधिवेशनों में उन्हें सम्मिलित करना चाहिए।

३—उनको इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि हम केवल अपने कामों का प्रदर्शन करने का ही प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, किन्तु हमें उनके सहयोग की आवश्यकता है और यदि उनका सहयोग प्राप्त हो जाय तो हम अपने काम को और अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं। और जब वे हमारी मदद करते हैं तो हमें खुले तौर पर उनके सहयोग के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। और यह बात दूसरों से भी कहनी चाहिए।

इन तरीकों का प्रयोग करने में हम लखनऊ स्तर पर विभागों के अध्यक्षों और सचिवों के बीच काफी सफल हुए हैं।

४—जनता और गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं के बीच हमें खास तौर पर गांधीवादी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं के बारे में सोचना चाहिए। उनके उद्देश्य और पद्धतियां हमारे बीच बहुत प्रचलित हैं। श्री शालिग्राम पथिक, बाबा राघवदास और स्वामी सत्यानंद जैसे पुरुषों द्वारा कई बार सहायतापूर्ण दौरे हमारे केन्द्रीय प्रयत्नों के कारण हो सके हैं।

५---सलाह देने वालों की एक दूसरी भी श्रेणी है। इन अनुभवी व्यक्तियों द्वारा हमारी योजनाओं का दौरा किया जाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हम अपनी योजना में उनकी मदद और समालोचनाएं चाहते हैं। ऐसे मित्रों ने हमारी पहले ही बहुत अधिक सहायता की है। उदाहरणार्थ :

मैं पहले ही रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं के बारे में लिख चुका हूँ। हमारी योजना के क्षेत्रों में से हर एक को श्री शालिग्राम पथिक की ग्राम सम्बन्धी अद्वितीय जानकारी और सूझ-बूझ से बहुत लाभ हुआ है। इटावा योजना में श्री मन्नारायण और डा० आर्य नायकम जी ने लाभदायक सुझाव दिये हैं।

इलाहाबाद कृषि विद्यालय के आर्थर मोशेर, मेशन वाह, जी० शार्ट और अन्य अनेक व्यक्ति हमारे यहाँ बार बार आते रहे। कानपुर कृषि कालेज के वैज्ञानिकों से तथा शुगरकेन रिसर्च स्टेशन, कृषि संचालक और अतिरिक्त संचालक से भी हमने बहुत कुछ सीखा। हर योजना क्षेत्र के अधिकारी को इसकी कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ कहीं से भी इस तरह के सलाहकार मिलें, उन्हें अपने यहाँ लावें। जहाँ कहीं भी पास में कालेज, अनुसन्धान केन्द्र या दूसरी संस्थाएं हैं, उनसे भी लाभ उठायें। इस सम्बन्ध में दो सिद्धान्त याद रखना चाहिए :

(अ) इन लोगों के एक बार आने के बजाय उन्हें समय समय पर या बार बार लाने से अधिक लाभ होता है। अनुभवी निरीक्षक अपनी पहले दी गई सलाह के अनुसार किये जाने वाले कामों के परिणाम की जाँच और विश्लेषण ठीक से कर सकता है और इस बीच में हुई प्रगति अथवा गलतियों को देखकर अधिक अच्छी सलाह देने में वह सहायक हो सकता है।

(ब) ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि हमारे इस तरह के मित्रों की दिलचस्पी हमारे काम के प्रति कायम रहे। समय समय पर उनके पास रिपोर्ट और टिप्पणियां भेजते रहना चाहिए।

यदि एक बार इस सुझाव के महत्व के सम्बन्ध में हम एकमत हो जायें तो फिर हर योजना क्षेत्र के कार्यकर्त्ता नये नये और बेहतर तरीके सोचकर निकाल सकते हैं। इस प्रयत्न में जिला नियोजन अधिकारी की सबसे अधिक जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमारी योजना में काम करने वाले लोगों में से वही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके संबंध योजना के बाहर भी आसानी से रहते हैं। [५२.६]

जनता से सलाह लेना

रात्रि विश्राम

प्रशासकीय जनतंत्र के लिए जरूरी है कि ऊपर से नीचे तक सूचना संचार आसानी से होता रहे। गांव वालों और ग्राम सेवकों को जिला स्तरीय कार्यकर्त्ताओं के सीधे सम्पर्क में लाने के लिए गांव में रात्रि निवास ही एक सरल उपाय है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जब कोई आदमी रात्रि निवास के लिए किसी गाँव में ठहरता है तो वह रात्रि पाठशालाओं का निरीक्षण कर सकता है और गांव वालों से भी बातें कर सकता है। उसके बाद नियोजन कार्यकर्त्ताओं से खुलकर बातें की जा सकती हैं और सबेरे वहाँ से रवाना हुआ जा सकता है। मेरा ऐसा विचार है कि डाक बंगले में ठहरने के मुकाबले में गाँव में रात्रि निवास के द्वारा दुगना काम हो सकता है और उसके सम्बन्ध में दूनी जानकारी, घनिष्टता, सूझबूझ विकसित हो सकती है। बजाय केवल दिन की यात्रा के इस तरह मुझे इस पद्धति में बहुत अधिक विश्वास है। चिन्ता की बात है कि हमारे बहुत से जिला नियोजन अधिकारी गाँव में इस तरह के रात्रि निवास काफी पर्याप्त रूप से न कर सके।

मैं जानता हूँ कि कुछ लोग यह समझते हैं कि रात्रि निवास के लिए समय नहीं मिलता। किन्तु असल में इससे समय की बहुत अधिक बचत होती है। अक्सर यह भी कहा जाता है कि जनता पर भोजन का भार नहीं डालना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि पहले तो गाँव के लोग किसी कार्यकर्त्ता को भोजन खिला देने में हिचकते नहीं। दूसरे किसी एक जगह पर इस तरह के रात्रि निवास बहुत कम होते हैं। इसलिए जनता किसी अधिकारी के उनके बीच में आकर मित्रों की तरह बातचीत करने से जितनी प्रसन्न होती है, उसके मुकाबले में भोजन के भार को वह कुछ नहीं समझती। इन बातों के अलावा सबसे ठोस कारण यह है कि रात्रि निवास से लोगों का मनोरंजन भी हो जाता है। इससे प्रेम भाव बढ़ता है जो स्वयं ही महत्वपूर्ण है।

रात को ठहरने में एक खास लाभ यह होता है कि दिन वाले दौरे की तरह जल्दी जल्दी काम खतम करके भागने की चिन्ता नहीं रहती। इससे इस तरह का एक शान्ति का वातावरण फैल जाता है जिससे लोग खुलकर सभी तरह की चीजों पर बातें करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि उन्हें कुछ खास चीजों के बारे में ही उत्तर देना पड़े। इस तरह उनमें पूरे गाँव में घुल मिलकर रहने की भावना पैदा हो जाती है, ऐसा नहीं होता कि विकास की केवल किसी एक बात तक ही आदमी अपने को सीमित रक्खे। इससे यह समझने में आसानी होती है कि विकास कहाँ तक हो सका है और उसे अब कहाँ तक आगे बढ़ाया जाय। हमें आराम से यह नहीं सोचना चाहिए कि हम गाँव के बारे में सब कुछ जानते हैं। गाँव के सम्बन्ध का ज्ञान बार बार दोहराया जाना चाहिए। गाँव वालों के साथ आपसी सम्बन्ध को भी नया बनाये रखना चाहिए। [५३.७]

जनता की राय का अध्ययन

जनता की राय के महत्त्व में और स्वयं निरीक्षण की आवश्यकता में विश्वास के कारण इटावा में जनता की राय का अध्ययन करने की जरूरत हुई। असली अध्ययन बैजनाथ सिंह द्वारा १९५२ में किया गया। वे अप्रैल १९५३ में और फिर दुबारा फरवरी १९५५ में बदले हुए वातावरण में पहिली मीटिंगों के नतीजों के कारण जनता के अनुभवों को नोट करने के लिए लौटे।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

परिचायक विवरण

मैं तीन माह के अवकाश के बाद जुलाई १९५२ में अपने कार्य पर वापस लौटा। इसके तुरन्त बाद मैं एक छोटे प्रशिक्षण के लिए नीलोखेड़ी गया और १० दिन बाद वापस आया। मैंने अपने जनसम्पर्क के कार्य में कुछ कमी महसूस की।

संयोग से विदेशी और भारतीय पत्रों में पछले साल के अधिकाधिक अनुकूल प्रचार के खिलाफ यह एक मजबूत प्रतिक्रिया का समय था। कुछ राजनतिक दल और व्यक्तिगत लोग भी योजना में दिलचस्पी लेने लगे थे। दौरा करने वाले व्यक्ति या दल इटावा में यह देखने आते थे कि क्या आस्मान जमीन पर उतर आया है, जैसा कुछ समाचार पत्रों में शायद प्रचारित हुआ था। कुछ लोग चीज़ों को जिज्ञासा से देखने आये। दूसरे लोग प्रतिहिंसा की भावना से हमारे कार्य में गलतियां निकालने आये। हर प्रकार के दर्शक अपने अपने प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। जिन्हें पूरा ध्यान नहीं मिला, उन्होंने नाराजी महसूस की; जिन्हें यह मिला उन्होंने लोगों पर गुस्सा दिखाया, क्योंकि वे कार्यकर्त्ताओं और गांव वालों की सेवा और सम्पर्क में वाधक हो गये।[३]

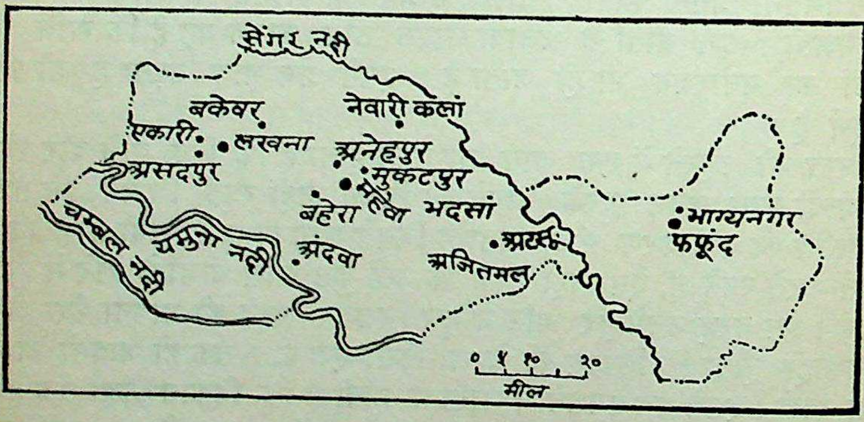

मानचित्र ३--लखना, महेवा और भाग्यनगर ब्लाक, जिला इटावा, मार्च ३१, १९५६

---

३. अत्यधिक दर्शकों के कारण जो समस्या उठ खड़ी हुई थी वह उससे बहुत ज्यादा खतरनाक और दुखदायी थी जितनी कि दिखाई पड़ती थी। इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि दर्शक गांव वालों और हमारे कार्यकर्त्ताओं का बहुत समय ले लेते थे। गाँव वालों को यह समझाने में, कि हम लोग वहां उनकी मदद के लिए हैं न कि अपना वेतन इकट्ठा करने के लिए, बहुत समय लगा था। तब अन्त में गांव वालों ने हमें अपना मित्र मान लिया था। सहसा दर्शकों के जत्थे, जिनमें कुछ बहुत ही खास लोग थे, आने लगे। गाँव वालों ने जल्दी ही इस बात को समझ लिया कि पहले से अब तक यही हमारा उद्देश्य था कि सरकार के और सभी प्रतिनिधियों की तरह ही हमारी असली दिलचस्पी उनमें नहीं थी बल्कि बाहरी तारीफ लूटने और अपनी तरक्की करने में ही थी। खोये हुए विश्वास को फिर से प्राप्त करने में काफी समय लगा, और इसमें सन्देह है कि उस विश्वास को हम पूरी तरह से पा भी सके हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

श्री डी० पी० सिंह के ज़िलाधीश बनाये जाने के बाद से अन्दर ही अन्दर कुछ गड़बड़ी शुरू हो गई थी, क्योंकि वह योजना के लिए अब उतना समय नहीं दे पाते थे जितना वे उस समय देते थे जब वे जिला नियोजन अधिकारी थे। कुछ दर्शकों ने अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना और उसके कार्य-कर्त्ताओं के विरुद्ध न केवल ज़हर ही उगलना शुरू किया, बल्कि वे गांव-गांव में घूमकर गांव वालों से योजना के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की अर्जियां लिखाते रहे।

इसी के साथ-साथ दो घटनाएं खास तौर से हानिकारक सिद्ध हुईं। कुछ पत्रों में यह प्रकाशित किया गया कि सरकार जनता पर विकास-कर लगाने जा रही है। कुछ ऐसे आदमियों ने जो इस तरह की बातों से अनुचित लाभ उठाना चाहते थे, इस बात का प्रचार करना शुरू किया कि यह कर केवल इसलिए लग रहा है कि योजना के कार्यकर्त्ताओं ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि इस क्षेत्र में गेहूं, मटर, चना, जौ और आलू की उपज बहुत ही अधिक बढ़ गई है।[४]

दूसरी घटना इस प्रकार थी : ओलों के गिरने के कारण जो नुक्सान हुआ था उससे बहुत से किसानों से यह वायदा किया गया था कि जिन लोगों ने शुद्ध बीज के प्रचार के लिए बीज लिया था उन्हें बीज की तादाद और उस पर पड़ने वाली सवाई लौटानी नहीं पड़ेगी। कुछ किसानों ने जितना देना था वह सब जमा कर दिया था। किन्तु गलत या अधूरे इंदराज के कारण उन्हें वापसी के लिए नोटिस दी गई थी या जायदाद जब्त करने की धमकी दी गई थी।[५] ऐसे लोग योजना की हर बात के खिलाफ हो गये।

दूसरे १०० गांवों के क्षेत्र में भाग्यनगर के अन्तर्गत अग्रगामी योजना का एक केन्द्र और खुल गया था। पहले क्षेत्र में ग्राम सेवक अब उतना अधिक ध्यान न दे सके जितना कि वे पहले देते थे। कुछ थोड़े से मामलों में सामग्री की पूर्ति और किसानों से जो वायदे किये गये थे, उनको पूरा करने में देर लग गई। इन बातों के कारण भी असंतोष रहा। इन स्थितियों के कारण जनमत के अध्ययन और स्पष्टीकरण के लिए यह लम्बा कार्यक्रम शुरू किया गया।

१९५२ में महेवा क्षेत्र में जनता की राय

हम यह महसूस कर रहे थे कि महेवा क्षेत्र में सहयोग के लिए जनता का उत्साह गिर रहा था। इस कारण क्षेत्र स्तर के कार्यकर्त्ताओं की मीटिंग में यह तय किया गया कि जनता के संदेहों और उनकी गलतफहमियों को दूर करने और अपने काम की त्रुटियों को जानकर सुधारने के उद्देश्यों से एक आम सभा की जाय। यह भी निश्चित किया गया कि अर्थ संख्या निरीक्षक श्री पी० एल० शर्मा जनता द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की जांच करें और इसके लिए वे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से और दलों से मिलें और भिन्न-भिन्न तरह के प्रश्न करके उनकी राय की टोह लें।

योजना के २२ गांवों में सार्वजनिक सभाएं की गईं। हर ग्राम सेवक के केन्द्र के

---

४ असल में इस कर को राज्य भर में लगाये जाने का विचार किया जा रहा था, न कि केवल विकास क्षेत्रों में।

५ इन कारणों से वर्षों तक बहुधा दिक्कतें रहीं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

एक गांव में एक मीटिंग की गई। बरेरा के ग्राम सेवक के बीमार हो जाने पर उस गांव में और कार्यक्रम को समझने की जरा-सी गलती के कारण अंधावा में मीटिंग नहीं की जा सकी। सभा में कम से कम ३० और अधिक से अधिक १०० व्यक्ति आये। आम तौर पर ५० से ७५ लोग तो आ ही जाते थे। बातचीत के सिलसिले में मुझे इस बात का पता चल गया कि जनता ने जो सवाल किये और जो बातें उठाईं उनसे स्पष्ट था कि उनकी कठिनाइयां सच्ची हैं और खास तौर पर हमीं लोग उसके जिम्मेदार हैं। कुछ दूसरी कठिनाइयां तो मनोवैज्ञानिक हैं और वे इसलिए उठ खड़ी हुई थीं कि हमारी कार्य विधि में कमी थी। कुछ ऐसी भी कठिनाइयां थीं जिनका कारण था सरकार से लोगों की नाराजी। दूसरी भ्रान्तियों का कारण यह था कि जनता यह नहीं जानती थी कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।

हम नीचे कुछ उन दोषों को दे रहे हैं जो कि हमारे काम में घुस आये हैं और उनके बारे में मेरे सुझाव भी हैं।

१—मुझे यह पता चला कि ग्राम सेवक बहुत कम लोगों तक पहुंच पाते हैं। ग्राम सेवक बहुधा कुछ मध्य या उच्च श्रेणी के काश्तकारों से ही सम्पर्क स्थापित करते हैं, उनकी मांगें इकट्ठा करते हैं, उनके पास यंत्र रखते हैं, और अपने कार्य को इसी श्रेणी में सीमित रखते हैं जो गांव की आबादी का मुश्किल से २० प्रतिशत होता है। वे सामूहिक सभाएं नहीं करते और न सामान्य रूप में लोगों को अपने कार्य ही समझाते हैं। कुछ पंचायत मीटिंगें समय-समय पर विकास कार्यक्रम को समझाने के लिए की जाती हैं, परन्तु पूरा गांव उनमें भाग नहीं लेता। सर्वेक्षण के बाद यह निश्चित किया गया है कि ग्राम सेवकों को अपने गांवों में सामान्य मीटिंगों के लिए तारीखें निश्चित कर देनी चाहिए जिनमें कि वे धार्मिक गीतों (कीर्तन, भजन) और लोक गीत आदि द्वारा अधिक संख्या में लोगों को इकट्ठा करें और अगले पखवारे के काम के लिये अपना कार्यक्रम लोगों को बतायें। लेकिन इसमें तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक कड़ाई से इनकी देख-रेख नहीं होगी और क्षेत्र-स्तर के कार्यकर्त्ताओं के समन्वित कार्यक्रम द्वारा इनका भली प्रकार पालन न हो।

२—भदसां, खितौरा और सराय इलाही के लोगों ने कहा कि उनकी कठिनाइयों को अब कोई नहीं सुनता और उन्हें बहुत से अधिकारियों के निकट जाना पड़ता है। यह इसलिए हुआ कि कार्य का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण कार्यकर्त्ताओं की संख्या में कमी आ गई। गांव वाले कहते हैं कि हमारे कार्यकर्त्ता उनकी बातों को शांतिपूर्वक सुनते भी नहीं। मैं महसूस करता हूं कि हम सबको लोगों की कठिनाइयों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें उन्हें अपने सम्बन्धित साथियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि गांव वालों के साथ सम्बन्धित अधिकारी के पास पहुंचना हमारा कर्त्तव्य है जिससे गांव वाला यह न महसूस करे कि उसे केवल टाला जाता है। प्रशासन के स्तर कम से कम होने चाहिए क्योंकि जनता इससे उसी तरह उलझन में पड़ जाती है जैसे पहले विभागों की अधिक संख्या से वह उलझन में पड़ा करती थी।

३—निवाड़ी, बहेरा, भदसां, एकारी, बीरपुर, अनेहपुर गांवों की जनता यह समझती थी कि हमारे कार्यकर्त्ताओं में भारी वेतन पाने वालों का दल है। उनको यह आशंका थी कि यह भारी खर्च उन पर विकास-कर लगाकर पूरा किया जायेगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

४—योजना के अधिकारियों को, जिनमें ग्राम सेवक भी शामिल है, बहुत सादगी से रहना चाहिए और सादे कपड़े पहनना चाहिए। जनता के साथ उनका व्यवहार बहुत ही सरल और विनीत होना चाहिए। गांव में ग्राम सेवा विभाग के कार्यकर्त्ताओं का हैट लगाना उपयुक्त नहीं होता। हमेशा दर्शकों के साथ मोटरों में बैठकर निकलने को जनता अच्छा नहीं समझती। मेरा ऐसा ख्याल है कि पिछले दिनों में जब हम बिना किसी दर्शक को लिए ही गांवों में मोटरों में बैठकर जाते थे, तब जनता उसे उतना बुरा नहीं समझती थी, क्योंकि हम उस समय उनकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करते थे और उन्हें सहायता देते थे। राज्य स्तर पर कुछ उपाय किया जाना चाहिए जिससे दर्शकों की समस्या हल हो सके। जब हम खुद भी अपने क्षेत्र का दौरा करें, तो जहाँ तक हो सके मोटरों में न जांय।

५—आनेपुर, बहेरी और कुछ दूसरे गांवों के लोग यह समझते थे कि भूमि कानून से सम्बन्ध रखने वाले मामलों में हम कुछ नहीं कर सकते और चूंकि हम लोगों को पंचायत या दूसरे संगठनों के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं है इसलिए गांव वाले हमारी कोई इज्जत नहीं करते हैं।

६—पुठियां के कुछ नेताओं ने कहा कि ग्राम सेवकों की भावना में कुछ फर्क आ गया है। वे लोग जैसे पहले निष्ठा से काम करते थे, अब नहीं करते। इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि पिछले बार ग्राम सेवकों का जो चुनाव हुआ, वह अच्छा नहीं था। आगे के चुनावों में हमें सावधानी से काम लेना होगा और विशेष उपायों द्वारा वर्त्तमान कार्यकर्त्ताओं के उत्साह को बढ़ाना चाहिये। हमें नियोजित दौरे करने चाहिए जिनमें हर ग्राम सेवक के साथ काफी समय देना होगा ताकि हम उसकी समस्याओं और व्यक्तिगत कठिनाइओं को समझ सकें और उसकी भावना को उत्साहित करने में मदद दे सकें। हर एक सहायक विकास अधिकारी को अपने पखवारे में कम से कम छः दिन में चार ग्राम सेवकों के क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। सामाजिक कार्य-क्रम का प्रबन्ध इस तरह करना चाहिए ताकि उनसे नैतिक उत्साह बढ़ाने में प्रोत्साहन मिले। उनका संगठन अनिवार्य रूप से होना चाहिए, पर ऐसा न मालूम हो कि यह कार्यक्रम लादा गया है।

७—जुलूस, प्रभात फेरी, सार्वजनिक सभा, खेल-कूद, स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ अन्य कार्य आदि कार्यक्रम के अभौतिक तत्वों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि समाज शिक्षा के ये काम ठीक से किये गये, तो इससे ग्राम सेवकों को गांव के विभिन्न व्यक्तियों से अलग-अलग मिलने के कार्यों में कमी पड़ जायेगी। व्यक्तियों से अलग-अलग मिलते रहना जरूरी है। किन्तु सबसे सामूहिक रूप में मिलने पर अधिक जोर होना चाहिए। दोनों तरह के व्यवहार की रीति को समय समय पर काम में लाना चाहिए।

८—बहेड़ा, आनेपुर, दाऊदपुर, सराय अनंतराम, वीरपुर, सराय इलाही, नेवाड़ी, व्यासपुर, सराय मिट्ठे, अंदावा, एकनौर आदि बहुत से गांवों के लोगों ने यह कहा कि हम लोग अपने वायदों को तोड़ते हैं और जितना कर सकते हैं उनसे कहीं अधिक ज्यादा वायदे कर लेते हैं। ऊपरी तौर पर तो यह शिकायत ठीक ही है। हम लोगों को इस बात का भान तो हो गया था कि जिन कामों को हम पूरा न कर सकें उनके लिए वायदे न करें और इस तरह का एक सिद्धान्त भी बना लिया गया था। किन्तु व्यावहारिक रूप में हमारे इस सिद्धान्त में बाधायें पड़ जाती हैं। इसका एक कारण तो है जनता

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

की सेवा करने का हमारा उत्साह, दूसरा है पूर्ति के साधनों के मिलने में बहुत ही आशापूर्ण अनुमान लगाना या नियम कानूनों का अपने पक्ष में मतलब निकालना। किन्तु ऐसा करने से जनता के विश्वास में फर्क पड़ जाता है। जब तक स्थिति बिल्कुल हमारे वश में न हो, तब तक हमें किसी तरह का वायदा करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें इसे अपना पवित्र कर्त्तव्य मान लेना चाहिए कि जो कुछ भी वायदा किया जाय, वह जैसे भी हो पूरा कर ही दिया जाय।

९—कभी-कभी अन्य विभागों के साथ समन्वय बैठालने के कारण इच्छा के विरुद्ध भी केवल कागजी संगठनों के रूप में काम करना पड़ता है। विकास क्षेत्र में इससे हमारी प्रतिष्ठा को बहुत आघात पहुंचा है क्योंकि कृषि विभाग ने जायदाद जब्ती की कार्यवाही के लिए केवल इसलिए हुक्म निकाल दिया कि उनकी संचिकाओं के अनुसार वैसा करना जरूरी था। वे अपनी भूलों को सुधार रहे हैं, लेकिन जनता का विश्वास जब एक बार चला जाता है तो बहुत दिनों के लिए चला जाता है। हममें बंधी बंधाई पद्धति से काम करने वालों की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। हमें इससे बचना चाहिए।

हमारे कार्यक्रम की कुछ खास मदों पर भी ध्यान देना जरूरी है:

विकास-कर—दुर्भाग्य से इस कर का नाम "विकास-कर" रक्खा गया, जिससे विकास क्षेत्र की जनता में भ्रम पैदा हो गया है। हमने २२ गांवों की सारी जनता को स्थिति के बारे में ठीक ठीक समझाया और यह महसूस किया कि इसके प्रचार की और आवश्यकता है। चर्चा के बाद लोगों को थोड़ा बहुत विश्वास हो गया था। यदि हमें इस कर के विस्तृत विवरण की सूचना दे दी जाय तो हम उनको अधिक शिक्षा दे सकते हैं।

सहकारी गोदामों में कीमतें—निवाड़ी और बहेड़ा के लोगों ने यह शिकायत की कि जो यंत्र सहकारी संगठनों द्वारा बेंचे गये हैं उनकी कीमतें बाजार भाव से ज्यादा हैं। उन्होंने इसके लिए दोषारोपण किये। जिला सहकारी फेडरेशन, सहकारी संगठनों और हमारे कार्यकर्त्ताओं को, जिन्हें सहकारी संगठनों के लिए कुछ करना है, बाजार के उतार चढ़ाव की पूरी जानकारी रखनी होगी। हमारे क्रय विक्रय कार्य की विधि में सुधार करना होगा, अन्यथा सहकारिता कभी भी सर्वप्रिय और ठोस आन्दोलन नहीं बन सकता।

बीज वितरण—२२ में से २१ गांवों में इस वर्ष बीज के वितरण के बारे में शिकायतें थीं। यह हमारी खराब कार्यप्रणाली के कारण न था बल्कि सामग्री की कमी के कारण था। हमने लोगों को यह महसूस करने की कभी शिक्षा नहीं दी कि यदि वे हमें अपनी आवश्यकताओं की जानकारी नहीं करायेंगे, तो हम बीज के लिए उनकी मांगों की पूर्ति पूरी तरह न कर सकेंगे। हमने यह कभी नहीं कहा कि हम उनकी पूरी मांगों की पूर्ति करेंगे; हालांकि उन्हें यही उम्मीद थी। बाजार में ऊंची कीमतों के कारण अधिक मांगें बढ़ गईं। काश्तकारों ने अपने बीजों को बेंचा या उसे इस्तेमाल किया, यह उम्मीद रखते हुए कि हम लोग तो उन्नतिशील बीज दिलाने के लिए हैं ही। मैंने लोगों से कहा कि उन्हें अपनी मांगें बहुत ही पहले बता देनी चाहिए, अधिक से अधिक मई के आखिरी सप्ताह तक, ताकि हम उनकी पूर्ति कर सकें। हमें अक्सर इस बात का प्रचार करना चाहिए ताकि लोग इस बात के महत्त्व को समझ लें और वे पहले ही अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में हमें जानकारी करा दिया करें। उन्हें इस बात की भी शिक्षा देनी है कि वे खुद अपने पैरों खड़े हो सकें।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रौढ़ शिक्षा—जिन गांवों में प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएं चल रही थीं उनमें भी लोग इसके महत्त्व को समझते नहीं। इसी तरह जन स्वास्थ्य या औषधि वितरण के काम को भी महत्त्वपूर्ण नहीं मानते। उनकी सबसे पहली मांग है सिंचाई के लिए पानी। समाज शिक्षा कार्यक्रम को हमें अपने पूरे विकास कार्यक्रम के साथ अधिक गहराई से सम्बन्धित करना होगा। इस रूप में पिछली कक्षाएं काफी प्रभावोत्पादक रही हैं।

औषधि वितरण—बहुत से गांवों की जनता इस काम के महत्त्व को ठीक से समझने लगी है। कुछ गांवों में लोगों को इस बात का भी पता नहीं है कि दवा की पेटी किसके पास है। मीटिंगों में यह बात समझा दी गई कि ग्राम सेवकों को जनता के सभी स्तर के लोगों को औषधि पेटिका के बारे में सारी बातें समझा देना चाहिए और औषधियों के पहुँचाने का प्रबन्ध ठीक से करते रहना चाहिए।

पशुओं के टीके—सभी लोग इस मद से बहुत प्रसन्न हैं, किन्तु खितौरा गांव में कुछ लोगों ने यह शिकायत की कि ग्राम सेवक उचित समय पर पशुओं के टीके न लगा सका। इसलिए उनके बहुत से पशु मर गये। क्षेत्र भर की जनता पर पशु टीका कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। किन्तु वे लोग यह नहीं समझते कि यह भी एक लाभप्रद सेवा ही है। हम लोगों को बहुत ही होशियारी से इस बात को उन्हें समझा देना चाहिए।

कृषि—हमारे कार्यक्रम में यह अंश सबसे महत्त्वपूर्ण है और सर्वप्रथम स्थान पर रक्खा गया है। इस क्षेत्र की जनता पर गेहूँ पंजाब नम्बर ५९१ का सबसे अच्छा असर पड़ा है। उन्हें इस पर पूरा विश्वास हो गया है। किन्तु कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिन स्थानों पर सिंचाई के लिए पानी काफी तादाद में नहीं मिलता वहाँ पंजाब नम्बर ५९१ की उपज स्थानीय गेहूँ के मुकाबले में कम होती है। मुझे उनकी इस बात में कुछ संदेह मालूम पड़ता है। किन्तु जो वह कह रहे हैं उसकी प्राविधिक जाँच की आवश्यकता है। मटर टी० १६३ का भी उन पर बहुत अधिक असर पड़ा है। किन्तु गेहूं के मुकाबले में इसकी खेती कम रक्बे में की जाती है।

ग्रामीण उद्योगों का अभाव—दूसरी महत्त्वपूर्ण स्थिति यह है कि यहाँ करीब २० प्रतिशत जनता भूमिहीन है। जनता का ३० प्रतिशत ग़रीब किसानों का है। उन्हें हमारे कार्यक्रम से लाभ तो पहुंचता है, किन्तु उनकी आय बहुत कम है और इसलिए हमारे कार्यक्रम से उनको उतना लाभ नहीं होता जितना हम चाहते हैं। कृषि हमारे कार्य का मुख्य अंश है, और इसी पर हम अपने साढ़े तीन लाख रुपयों में से करीब दो लाख रुपये खर्च कर देते हैं। हमें दूसरे दो लाख रुपये इस तरह के ग्राम उद्योगों के प्रसार के लिए खर्च कर देना चाहिए जिनसे कपड़ा, गृह निर्माण और शिक्षा को बढ़ावा मिले। ग्रामीण जीवन को सुसज्जित करने वाले उद्योगों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। नये क्षेत्र में चटाई और टाटपट्टी आदि वाले उद्योगों के प्रसार के लिए बहुत गुंजाइश है। ग्रामीण उद्योगों का प्रश्न राष्ट्र की आर्थिक नीति से सम्बन्धित है। कार्यकर्त्ताओं के रूप में इस पहलू के महत्त्व पर ज़ोर देना चाहिए और अप्रत्यक्ष रूप से इसे सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

अन्त में मुझे यही कहना है कि हमें इसके लिये डट कर संघर्ष करना चाहिए कि हममें नौकरशाही और किराये के काम करने वालों की भावना न छा जाये। हमें इसके लिए व्यक्तिगत रूप से और दलगत रूप से काम करना होगा। जन सम्पर्क

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिकारी ही अकेला जनता के दिलों को नहीं जीत सकता । हम सबको मिलकर एक भावना और एक नीति से अपने प्रभु की सेवा करनी चाहिए । इसके साथ यह भी होना चाहिए कि योजना का सर्वोच्च कार्य संचालक, जिसे पंचायतों से व्यवहार रखना पड़ता है, उसे कुछ प्रशासकीय अधिकार प्राप्त रहें ताकि वह कार्य के महत्त्व को लोगों के दिलों में जमा सके । दूसरे कार्यकर्ता इस सहायता पर निर्भर रह कर कार्य कर सकते हैं ।

बैंजनाथसिंह

उपसंहार १९५३

मैंने इस विवरण को सर्वेक्षण के बाद ही तैयार कर लिया था । इसको स्थानीय रूप से वितरित करना था, किन्तु प्रशिक्षण के लिए मेरे दिल्ली जाने के कारण मैं इसे जिला नियोजन अधिकारी को कुछ समय बाद दे सका ।

चार महीने के बाद मैंने इस रिपोर्ट को दुबारा पढ़ा और ग्राम सेवकों के साथ तथा श्री श्रीप्रकाश शर्मा के साथ, जो कि सर्वेक्षण में मेरे साथ रहे थे, इसकी जांच भी की । मुझे बतलाया गया कि जनता के बीच का असंतोष बहुत अंशों में दूर हो चुका है । जनता को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिला था, उनके विचारों को धैर्य के साथ सुना गया था, योजना की विचारधारा को जनता को समझा दिया गया था और शिकायतों से सम्बन्ध रखने वाली बातों पर आवश्यक सुधार किये जा चुके थे । फरवरी में किसान मेला लगा और उस अवसर पर क्षेत्र की जनता की राय के साथ अपने विवरण का मिलान किया और मुझे यह देखकर खुशी हुई कि जनता के विचारों की स्थिति उस समय से बहुत अच्छी हो गई है, जब यह विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया था । जनमत सर्वेक्षण में निराशा की भावना व्यक्त की गई थी । किन्तु सत्य के साधक होने के नाते हमें निराशापूर्ण स्थितियों से डरना नहीं चाहिए । न हमें आत्म-तुष्ट होकर चुपचाप बैठ ही जाना चाहिए, बल्कि पूरे कार्यक्रम के प्रति खोज की दृष्टि रखनी चाहिए ।

आज इटावा की स्थिति में आशाजनक सुधार हुआ है । अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं नीचे लिखे तथ्यों को सामने रखता हूं ।

सार्वजनिक सभाओं के लिए सुसंगठित योजना काम में लाई जा रही है । अपने कार्यक्रम को समझाने और सांस्कृतिक कार्यों को संगठित करने के लिए ग्राम सेवकों को हर पखवारे में पांच ग्राम सभा की बैठकें करने की योजना बनाई गई है । यह योजना अभी तक ठीक से कार्यान्वित नहीं की जा सकी । किन्तु काम आरम्भ कर दिया गया है । इस पर बार-बार जोर दिये जाने को ज़रूरत है । पहली रिपोर्ट में जिस स्थिति का हवाला दिया गया है, उसका प्रतिकार एक उप योजनाधिकारी की नियुक्ति के द्वारा कर दिया गया है । यही अधिकारी योजना स्तर पर उस योजना का एक मात्र कार्य संचालक अधिकारी होगा । जनता द्वारा किसी खास विषय के सम्बन्ध में प्रार्थना किये जाने पर इस अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि वह उसको खुद पूरा कर देने का वचन दे या उसे अस्वीकृत कर दे ।

राजनीतिक आलोचकों द्वारा ही इस बात का प्रचार शुरू किया गया था कि

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

योजना में ऐसे बहुत-से अधिकारी हैं जिन्हें भारी-भारी तन्ख्वाहें दी जाती हैं और उनके कारण योजना का काम बहुत अधिक खर्चीला हो गया है। जनता ने इस बात को नहीं समझा कि हामरे कार्यक्रम में अन्वेषण वाला भी पहलू है और सर्व प्रथम योजना होने के कारण इसके काम से देश को इस दिशा में महत्त्वपूर्ण सीख मिलेगी।

बहु संख्यक दर्शकों के आगमन का प्रश्न इस समय भी काफी उलझन पैदा कर रहा है। और शायद इस समय इससे बचा भी नहीं जा सकता। यह सम्भावना है कि आगे चलकर कुछ दूसरी योजनाओं में भी ऐसे लोग जाने लगेंगे और तब इटावा का यह प्रश्न कुछ हल्का पड़ जायगा। कुछ प्रशासकीय मामलों में योजना के कार्यकर्त्ताओं की विवशता का प्रश्न एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण और कठिन समस्या है। उनके हाथों में शक्ति देने के मतलब होंगे प्रसार सिद्धान्तों में शिथिलता लाना। किन्तु हमारे संगठन को देखते हुए उप योजना अधिकारी को पंचायतों और सहकारिता के सम्बन्ध में कुछ प्रशासकीय अधिकार देने ही होंगे।[६]

यह शिकायत कि ग्राम सेवकों में वही मिशनरी भावनाएं नहीं हैं जैसी पहले थीं, स्थिति के अधूरे अध्ययन के कारण है। जब कार्य बढ़ता है, तब वही तेजी नहीं दिखाई देती जो शुरूआत में होती है। प्रारम्भिक उत्साह कम हो जाता है और कुछ समय बाद रोजमर्रा की कार्य प्रणाली चालू हो जाती है। फिर भी ग्राम सेवकों के नये दल में मानवीय गुणों में कुछ कमी आ गई है।

कृषि विभाग द्वारा वसूल किये गये बकाया लगान आदि के मामलों में सुधार कर दिये गये हैं। और जनता की शिकायतों को बहुत अंशों में दूर कर दिया गया है। अब भी ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जिनके अर्थ के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है। ग्राम सेवकों को चाहिए कि वे ऐसे व्यक्तियों को सारी परिस्थिति समझा दें और इस संबंध में सावधानी रक्खी जय कि इस तरह के गलत इंदराज या गलत हिसाब फिर से न दोहराये जांय। जिन मसलों में अब तक न्याय नहीं किया जा सका है, वहाँ न्याय किया जाना चाहिए।

"विकास-कर" के कारण उठी हुई समस्या अब हल हो गई है। वह कर लगाया ही नहीं गया। अगस्त-सितम्बर के महीनों में जो आन्दोलन उठाया गया था, वह एक व्यर्थ का बवंडर था।

बीज वितरण के समय बीज की कमी के कारण उठने वाली समस्या उचित रीति से सुलझा दी गई है। योजना सलाहकार कमेटी के सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की सम्भावित मांग की वस्तु-सूची को तैयार करके दे दें। उनसे यह भी कह दिया गया है कि अगली रबी की बुवाई के लिए लोगों की दी हुई वस्तु-सूची में और दिये जाने वाले बीजों की तादाद में यदि कोई फर्क पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी केवल योजना के कार्यकर्त्ताओं पर ही नहीं होगी। जनता की सेवा सहायता के लिए हम भरसक सब कुछ करने की चेष्टा करेंगे। किन्तु जितने बीज की जरूरत होगी, उतना पूरी तौर पर देने के लिए वे बचन बद्ध नहीं होंगे। यदि जनता की ओर से काफी पहले से यह न बता दिया जायेगा कि कितने बीज की आवश्यकता

---

[६] पृष्ठ ९५ देखें—नोट–६

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है और यदि बीज की पूर्ति में कोई कमी पड़ी तो योजना के कार्यकर्त्ता उसके लिए दोषी न ठहराये जायेंगे।

प्रौढ़ शिक्षा, औषधियों के वितरण आदि के सम्बन्ध में जिन सुधारों के सुझाव दिये गये थे, उनके अनुसार कार्य कर दिया गया है। कुटीर उद्योग का प्रश्न जैसा पहले था उसी तरह अब भी बना हुआ है, क्योंकि इसका सम्बन्ध राष्ट्रीय आर्थिक नीति से है।

मैं समझता हूं कि जनमत संग्रह का यह ढंग काफी उत्तम है और जनता ने इसे पसन्द भी किया है। उनको हमारे कार्यों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने का पूरा अवसर दिया गया और हम अब उनकी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि जनता की स्थिति से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों को और हमारे काम में जो दोष या कमियां आ गई हों, उन्हें दूर कर देने की चेष्टा वाले इस ढंग के कार्यक्रम को यदि हर छमाही या सालाना कार्यक्रम के रूप में चलाया जाय तो इससे योजना को काफी लाभ होगा।

अनुलेख, १९५५

पहले पहल १९५२ में जनमत को शिक्षित करने का प्रयत्न शुरू किया गया। उपसंहार (१९५३) में यह कहा गया था कि मीटिंगों के बाद जब जनता को अपने विचारों को, कठिनाइयों और धारणाओं को प्रकट करने का अवसर दिया गया, तो जनमत सम्बन्धी स्थिति काफी सुधर गई।

डेढ़ साल के बाद फरवरी १९५५ में मैं इटावा की महेवा योजना में गया। इस लम्बे अर्से के बाद वहाँ जाने से मुझे जनता के भावों में होने वाले परिवर्तनों को देखने का अवसर मिला। यदि मैं प्रति दिन के काम में उनसे सम्बन्ध बनाये रखता तो मैं इस परिवर्तन को उतनी अच्छी तरह न समझ सकता।

मैं सोनबरसा, व्यासपुर, बकेवर, बहेड़ा, महेवा के गांवों के लोगों से मिला। यह देखकर मेरे ऊपर काफी प्रभाव पड़ा कि उन लोगों के विचारों और भावों में बहुत परिवर्तन हो गया है।

मेरे कार्यालय में और खासकर उसके बाद १९५२ के अन्त में जब मैं वहाँ था तो मैंने देखा था कि लोग रुखाई से पेश आते हैं, आलोचना करते हैं और कृतघ्नता दिखाते हैं। हमने उनकी सेवा करने का अधिक से अधिक प्रयत्न किया था, किन्तु वे समझ रहे थे कि यह सब काम हम लोग बाहर से आने वाले दर्शकों या ऊपर वाले अपने सरकारी अधिकारियों को खुश करने के लिए ही कर रहे हैं। अब उनके इस तरह के विचार बिलकुल बदल गये हैं, और वह भी दो कारणों से :

१—हमारे पहले के प्रयत्नों के फल अब घनीभूत हो गये हैं। वे ठोस रूप से और स्पष्ट रूप से लोगों के सामने प्रकट हो गये हैं।

२—दूसरे अनेक नये सामुदायिक विकास खण्डों के स्थापित हो जाने के कारण अब बाहर से आने वालों की संख्या घटकर केवल एक तिहाई रह गई है।

कार्य प्रारम्भ करने की प्रवृत्ति अब आगे बढ़कर गांव वालों में निहित हो गई है, इस कारण अब वे दोषारोपण करने के स्थान पर रचनात्मक कार्य में लग गये हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मैं जिन गांवों में गया उनके करीब सौ आदमियों से मैं मिला। और मैंने उनमें प्रसन्नता और कृतज्ञता की भावना को स्पष्ट रूप से देखा। कृतज्ञता की यह भावना इस कारण नहीं थी कि उनकी सहायता की गई थी, बल्कि इसका कारण था साथ में मिलकर काम करने की विशेषता।

इतनी अधिक संख्या में स्कूलों की इमारतों को बनते देखकर मैं आश्चर्य चकित रह गया। मैंने इस कार्यक्रम को कुछ गांवों में चालू किया था, किन्तु विधिपुरा, कुनेथा, खितौरा और बिजौली ऐसे गांवों को बिलकुल बेकार समझ कर छोड़ दिया था। अब उन गांवों में प्राइमरी पाठशालाओं की इमारतें हैं, जिनकी लागत ३००० से लेकर ४००० रुपये तक की है। मैंने ऐसे १३ स्कल छोड़े थे जो बन चुके थे या बन रहे थे, किन्तु इस समय उनकी संख्या २६ हो गई है।

मैंने यह भी देखा कि सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के मिले-जुले प्रयत्नों के कारण नेतृत्व की और जन-सेवा की भावना में भी काफी वृद्धि हो गई है।

अब इस बात को लोग समझने लगे हैं कि उनके रहन सहन के स्तर में काफी सुधार हो गया है—यह सब हुआ है अधिक भोजन, अधिक घर और घरों के बनाने के लिए प्रति वर्ष ६ या ७ ईंटों के भट्टों के चलने के रूप में।

[इन अनुभवों और निरीक्षणों के आधार पर ५ पृष्ठ का एक नियमपत्र तैयार किया गया, जिसमें यह बताया गया कि अब विचार सम्बन्धी इन मीटिंगों को किस तरह से चलाया जाना चाहिए और वह नियम-पत्र सामुदायिक योजनाओं में कार्यान्वित कराने के लिए वितरित करा दिया गया।]

जनमत सभाओं को कैसे चलाना चाहिए

इस तरह की जनमत सभाओं के शुरू करने के पहले इनके संचालन के विषय में क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्त्ताओं की बैठक में पूरी तरह से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। जो भी अधिकारी या स्थानीय नेता मीटिंगों से सम्बन्धित हों, उन्हें उनके उद्देश्य को समझ लेना चाहिए: मीटिंग का यह उद्देश्य नहीं है कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति, दल या कार्यक्रम के दोष दिखाये जांय; बल्कि ऐसी मीटिंग के उद्देश्य हैं जनता से विभिन्न बातों की कमजोरियों या अच्छाइयों को जान लेना ताकि उसी के अनुसार योजना के कार्यों में सुधार किया जा सके। जहाँ तक सम्भव हो ऐसी व्यक्तिगत बातों को सामने नहीं लाना चाहिए जिनके कारण किसी व्यक्ति के दिल पर चोट लगे या किसी संगठन को हानि पहुंचे। यदि ठीक से संचालित की गई तो जनमत बैठकों से काम के लिए बहुत ही सुखद वातावरण उत्पन्न करने में सहायता मिल सकती है।

किन्तु मीटिंगों को संचालित करना सरल काम नहीं है। केवल जागरूक और तह तक पैठकर देखने वाला व्यक्ति ही, जिसमें जनता की भावनाओं को नजदीक से समझने की शक्ति है और जो उनके साथ गहरी सहानुभूति रखता है, इस तरह के उपाय निकाल सकता है जिससे जनता की असली प्रतिक्रिया जानी जा सके। जनमत की जांच करने वाले अधिकारी को लम्बा प्रश्न-पत्र न निकालना चाहिए। और उसको

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सामने आने वाले तत्वों को इस तरह से विश्लेषण न करना चाहिए जिससे यह पता चले कि वह एक यंत्र की तरह कार्य कर रहा है और उसे लोगों से कुछ भी लगाव नहीं है। इसके विपरीत उसे बहुत ही नम्रतापूर्वक जनता से मिलना चाहिए और सच्चाई से उनके भावों को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। उसे यह देख लेना चाहिए कि कार्यक्रम का कौन-सा अंश जनता के लिए सबसे अधिक लाभदायक है और किस अंश के द्वारा जनता सबसे अधिक आकर्षित हो जाती है, ताकि उस खास पहलू पर आधारित लक्ष्यों को और भी अधिक सफल बनाने के लिए खास जोर डाला जा सके। उसको इस बात का भी पता लगा लेना चाहिए कि काम के कौन से पहलू ऐसे हैं जिनका जनता पर असर नहीं पड़ता, वे लाभदायक सिद्ध नहीं होते या सफल नहीं बनाये जा सकते और उसके क्या कारण हैं।

हर ग्राम सेवक के क्षेत्र के एक गांव में मीटिंग करनी चाहिए और दूसरे गांवों के सदस्यों को भी उसमें बुलाने चाहिए। किसी भी मीटिंग की सफलता इसी बात पर निर्भर होती है कि उसमें कितने अधिक और कितने भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग आकर भाग लेते हैं, और इसके लिए हर ग्राम सेवक को तैयारी करनी चाहिए। मीटिंग २ से ३ घंटे तक चल सकती है। मीटिंगों को चलाने के लिए सहायक विकास अधिकारियों को मीटिंगों के लिए संचालकों की एक सूची तैयार कर लेना चाहिए। अर्थ संख्यान्वेषक, जो कार्यक्रम से इतने अधिक सम्बन्धित नहीं रहते बाद में अनौपचारिक रूप से कुछ गांवों को और व्यक्तियों को चुन लें और सभा समाप्त होने पर उनकी प्रतिक्रियाओं का पता लगा लें।

मीटिंग में इस समस्या को इस प्रकार उपस्थित किया जा सकता है, "हम अपनी सारी योग्यता और सद्विचारों के अनुसार आपके साथ काम कर रहे हैं। किन्तु यह सम्भव है कि हमारे कुछ काम और पद्धतियां लाभदायक हों और उनसे अच्छे फल निकलें, साथ ही हमारे कुछ कार्य और पद्धतियां ठीक न हों। आप और हम दोनों मिलकर राष्ट्रीय कल्याण के कार्य को कर रहे हैं और इस प्रकार हम इस कार्य में सहयोगी हैं, इसलिए हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम के बारे में क्या समझते हैं, हम कहाँ तक पहुँचे हैं ? योजना के कार्य को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किन कामों को बन्द कर देना चाहिए ?"

जनता तुरन्त ही इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार न हो तो इन प्रश्नों को और भी स्पष्ट करके समझाना पड़ेगा या उदाहरण देने पड़ेंगे। जनता में से कुछ लोग तो शायद आमतौर पर यह उत्तर दें कि उनके हित का कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। कुछ दूसरे लोग यह भी कह सकते हैं कि जो हो रहा है, वह सब बहुत ही ठीक है। इसके मतलब यह हैं कि जनता ने अपने मन की बातें खलकर नहीं बताई हैं। ऐसी दशा में कार्यक्रम के कुछ खास पहलुओं पर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। जिन प्रश्नों को आमतौर पर हम मीटिंगों में पूछते थे, वे ये हैं—

(१) योजना ने आपके लिए क्या किया है ?

(२) आपके पशुओं के लिए टीकों, साधारण रोगों के इलाज, चारे वाली फसलों के लिए क्या किया गया है ?

(३) क्या कोई सफाई वाला कार्यक्रम चालू किया गया है ? लोग उसे कैसा पसन्द करते हैं ? इस सम्बन्ध में समस्याएं क्या हैं ?

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(४) क्या रात्रि पाठशालाएं चलाई गई हैं ? उनमें किन लोगों ने भाग लिया है ? कितने व्यक्ति पढ़ते हैं ? वे सबसे अधिक किस चीज को पढ़ना पसन्द करते हैं ?

(५) पंचायत से सम्बन्ध रखने वाले आपके क्या मसले हैं ? सहयोग समितियों के बारे में आपको क्या-क्या कठिनाइयां हैं ?

(६) आपके क्षेत्र में ग्राम सेवक का काम कैसा चल रहा है ? अधिकारियों की क्या भावनाएं हैं ? क्या उनकी आज की और पिछले दिनों की भावनाओं में कोई अन्तर है ? क्या आपकी कोई शिकायत या कठिनाई है ? क्या कोई वादे तोड़े गये हैं ?

(७) हमारे काम के बारे में क्या आम कठिनाइयां हैं ?

(८) हमारे क्षेत्र के काम को सुधारने के बारे में आप क्या सुझाव देते हैं ?

यदि कुछ दल या व्यक्ति वाद विवाद में भाग न लें, तो चतुरता से उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उत्साहित करना चाहिए, ताकि स्थिति की पूरी तस्वीर सामने आ सके।

यदि गांव के कुछ नेता अपने अनुभवों के आधार पर और अच्छी भावना से इन प्रश्नों के उत्तर दें, तो जनता को अधिक विश्वास हो सकेगा। किन्तु गांव का नेता गांव की जनता के हित के विचार से उत्तर दे। ऐसा न हो कि योजना में काम करने वालों का पक्ष लेकर वह उनके कामों का समर्थन करने लगे।

इन सभाओं में और बाद में किये गये व्यक्तिगत सर्वेक्षणों द्वारा जो भी जानकारी एकत्र की जाये, उस सबको क्रमबद्ध लिख लिया जाये और उसका विश्लेषण किया जाये और कार्य-टिप्पणियों को विषय-सूची या कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर लिया जाये। असली दृष्टिकोण और तथ्यों को ही जनता के सामने रक्खा जाये। जनता द्वारा जो-जो बातें उठाई गई हों, उन सभी का एक-एक कर उत्तर देने की जरूरत नहीं है। किन्तु जो भी खास-खास प्रश्न उठाये गये हों, उन्हें टाला न जाये। जो गलतियां ठीक जान पड़ें, उन्हें मान लिया जाये और यह वादा कर लिया जाये कि उन्हें दूर करने के लिए ईमानदारी के साथ प्रयत्न किए जायेंगे। और ऐसे प्रयत्न 'किये भी जाने चाहिए। इस बात पर जोर दिया जाये कि आगे हम ऐसी गलतियां न करें, इसके लिए जनता के उत्तरोत्तर बढ़ने वाले सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है।

यह भी हो सकता है कि जनता विभिन्न विभागों को एक दूसरे से अलग करके न समझ सके और अन्य विभागों की गलतियों के लिए ही हमारी योजना के कार्य-कर्त्ताओं को दोषी ठहराये। यह जरूरी है कि जनता की ऐसी भूलों को भी सहन करना चाहिए। दूसरे विभागों के कार्यों के बारे में जनता को जानकारी करा देना चाहिए। किन्तु ऐसा करते समय उन विभागों की असफलताओं या सफलताओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए।

ऐसी मीटिंगों को वाद-विवाद का जरिया नहीं बनाना चाहिए। किसी पर आक्षेप करने या अपने बचाव के लिए उत्तर देने वाली बातों से तो बहुत ही बचना चाहिए। हमें ऐसा वातावरण तैयार कर देना चाहिए जिसके कारण जनता अपनी भावनाओं और आशंकाओं को साफ-साफ प्रकट कर दे। यह न हो कि वे वही बातें कहें जिन्हें हम कहलाना चाहते हैं। सभा के अन्तिम भाग में जनता के सामने प्रश्न के दूसरे पहलू को रख देना चाहिए। किन्तु ऐसा करते समय, जहाँ तक सम्भव हो, उसकी बातों का विरोध नहीं करना चाहिए। जनता अपनी दृष्टि से ठीक ही समझती

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है, लेकिन घटनाओं के दूसरे पहलू भी होते हैं। ऐसी दशा में बहुत ही नम्रता से जनता के सामने असली दृष्टिकोण रख देना चाहिए, ताकि वह किसी चीज को समझने का अधिक स्वस्थ ढंग विकसित कर सके और उसे अधिक प्रसन्नता हो।

मीटिंग में जनता ने जो कुछ कहा हो उसके फलस्वरूप कुछ कार्य करना ही चाहिए। यदि काम स्पष्ट रूप से ऐसा हो जो हमारे अधिकार के बाहर हो, तो मीटिंग के समय ही जनता से कह देना चाहिए कि हम इस बात को उचित अधिकारियों के सामने रक्खेंगे। यदि मीटिंग के बाद कुछ न किया गया तो जनता में निराशा की भावना फैलेगी। [५४.१४]

पारस्परिकता और आन्तरिक पुरस्कार

सलाहकार के कर्तव्य

आगन्तुक सलाहकार यद्यपि बाहर से आता है तो भी वह अग्रगामी योजना के प्रशासकीय जनतंत्र के ढांचे का एक भाग होता है। श्री मायर उत्तर प्रदेश की सरकार के नियोजन और विकास के सलाहकार रहे हैं : बाहर से भीतर और ऊपर से नीचे तक के सम्पर्क स्थापित करने में उनकी जो देन रही है उसका उन्होंने यहाँ विवरण दिया है—

विकास कार्य में आशावादी कल्पना करने वालों, ज्वलंत विचार वाले व्यक्तियों और ठोस यर्थाथवादी कार्यक्रम तैयार करके उसे कार्यान्वित करने वालों के बीच बराबर संघर्ष रहा है। असल बात तो यह है कि ऊपरी स्तर और बीच के अधिकारी प्रायः काल्पनिक आत्म-वंचना के शिकार होते हैं। वास्तविक परिस्थिति को समझने वाले यथार्थवादी कार्यकर्त्ता क्षेत्रीय स्तर पर पाये जाते हैं। क्योंकि एक तो वे क्षेत्र में काम के निकट संपर्क में रहते हैं, दूसरे उनकी शिक्षा दीक्षा विशेष प्रकार की होती है। कारण कुछ तो यह है कि वे क्षेत्र में हैं और कुछ कारण है हमारे प्रशिक्षण और दृष्टिकोण की विशेषता। यह संभव है कि उच्च स्तर के अधिकारियों की लगातार मांग से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की उत्साहपूर्ण यथार्थवादिता और कल्पनाशील कुशलता नष्ट हो जाय। यही एक उलझन है जिसे सभी अच्छे कार्य करने वाले महसूस करते हैं और कहते भी हैं। असल में वे यह कहते हैं कि "अब हमारे प्रशिक्षण और अनुभव के बल पर हम यह सोचते हैं कि हमें इस बात का ज्ञान है कि योजनाओं को कैसे बनाना और कार्यान्वित करना चाहिये। हमारी योजनाओं के स्वीकृत किये जाने और उसके अनुसार कार्य चालू होने के बाद भी साल भर तक समय-समय पर हमें ऊपर से बहुत ही अनोखे नये विचार और कई तरह के नये कार्यों के लिये आदेश मिलते रहते हैं, और यह सब तब होता है जब साल भर का हमारा प्रारम्भिक कार्यक्रम स्वीकृत हो चुका होता है। प्रशिक्षण काल में विकसित दृष्टिकोण और क्षेत्र की वास्तविक परिस्थिति में मेल नहीं बैठता। तब हम इन आदेशों के अनुसार कैसे कार्य करें? ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिये?" नीचे के स्तर के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्त्ता होने के कारण उन्हें ऊपर तक पहुँचने में कठिनाई पड़ती है। ऐसी दशा में सलाहकार ही एक प्रकार से ऊपरी स्तर से क्षेत्र तक काम करने वालों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

का प्रतिनिधि होता है। वही खास तौर की ऊपरी मांगों की बेहद बढ़ती को रोकने का काम करता है और ऊंचे स्तर के अधिकारियों को भविष्य में यथार्थवादी रखने में सहायक होता है। वह हमेशा इन सब कामों में पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। पर उसकी बात का कम से कम कुछ असर तो पड़ता ही है। [५३.८]

स्वतंत्रता और अनुसरण

एक स्वतंत्र बाहरी व्यक्ति का सम्पर्क और समय समय पर आकर सलाह देने का असर कहीं ज्यादा स्थायी होता है, बनिस्बत इसके कि वह इस संगठन का एक स्थायी पुर्जा हो। यह एक आश्चर्य की बात है कि अपनी छोटी भेंटों के क्रम में एक बाहर वाला कितना अधिक कार्य और विचार कर सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि इसमें कुछ खास खामियां भी हैं, किन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि प्रतिष्ठा के लाभ, ताजगी, नवीन सम्पर्क आदि के लाभ बराबर न रहने की सारी कमियों में अधिक महत्त्वपूर्ण शर्त केवल यही है कि दूसरे कार्यों की अधिकता के कारण कार्य से नियमित संपर्क न छूट जाय। [५०.१]

[घनिष्टता से सम्बंधित बाहरी सलाहकार निश्चय ही अधिक अच्छी तरह नई बातों को सोच सकता है और स्थानों और साधनों से अधिक घनिष्ठ संबंध रख सकता है, बनिस्बत उस आदमी के जो कि किसी खास काम से जकड़ कर बंधा हो और काम में पूरी तरह व्यस्त रहता हो। और यदि वह दूसरे देश से आता हो जहां उसका स्वतंत्र कार्यालय हो तो वह सब तरह की महत्त्वपूर्ण बातों का संग्रह कर सकता है—किताबें, सूचनायें, व्यक्ति आदि को खोजकर पता लगा सकता है और उनकी जाँच की जा सकती है। वर्तमान सलाहकार (श्री मायर) के कार्य में दुनिया भर की सभी बातें सम्मिलित रहती हैं, जैसे : प्याज के वर्णसंकर बीजों को प्राप्त करना (जिसके लिए भागीरथ प्रयत्न की आवश्यकता है), "पोपेनोज मैनुअल आफ ट्रापिकल एण्ड सब-ट्रापिकल फ्रूट्स" नामक पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करना जो अनेक वर्षों से अप्राप्य है; खास तरह के शोध कार्यों के लिए विशेष धनराशि का प्रबन्ध करना, और खास तरह की योग्यता वाले लोग कब भारत आ रहे हैं इसका पता लगाना और उन्हें उत्तर प्रदेश में ले जाने का प्रबन्ध करना।

[लेकिन ये बातें केवल उसी व्यक्ति के ऊपर लागू हो सकती हैं जो समय समय पर आता रहे, आकर फिर से निरीक्षण करता रहे, स्थिति के बारे में फिर से ज्ञान प्राप्त करता रहे और स्थानीय सम्बन्धों को टूटने न दे। ऐसा व्यक्ति जो केवल एक आध बार आये और इधर उधर कुछ निरीक्षण कर ले और अपनी रिपोर्ट दे दे, उसके बाद उसका कोई पता न चले कि कहाँ गया, इस तरह का व्यक्ति बेकार सा ही है, चाहे उसकी रिपोर्ट और सलाह उचित और व्यावहारिक ही क्यों न हो—हालांकि आमतौर पर इस तरह की रिपोर्टें व्यावहारिक नहीं ही होतीं। विकास कार्य में ही यह जरूरी है कि यदि असली प्रभावोत्पादक कार्य वांछनीय हो तो सलाहकार द्वारा अनुसरण बहुत ही अनिवार्य रूपेण आवश्यक है।]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विदेशी कार्यकर्त्ताओं की योग्यताएं

[किसी देश में जनतांत्रिक ढंग पर काम करने के लिए किसी भी विदेशी कार्यकर्त्ता के लिए ये गुण अनिवार्य हैं : व्यक्तिगत लोच, सहयोग का अनुभव और किसी आन्तरिक स्वार्थ साधन का अभाव ।]

व्यक्तित्व

विदेशी प्राविधिक सलाहकारों को मैंने जितना ही अधिक देखा और समझा है, मेरा विश्वास उतना ही दृढ़ हो गया है कि सब तरह की स्थायी सफलता के लिए व्यक्तित्व की योग्यता भी उतनी ही आवश्यक योग्यता है जितनी कि प्राविधिक योग्यताएं । असल में कल्पना-शीलता के साथ ही अपने को हर परिस्थिति के अनुकूल बना लेने की प्रवृत्ति के बिना केवल प्राविधिक योग्यता लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती । [५१.३]

नवीन स्थितियों के प्रति लचीलापन, गहरी सहानुभूति और पक्षपात को छोड़कर नवीन बातों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति, अपने क्षेत्र में या क्षेत्र के बाहर कार्य संचालन की योग्यता आदि ही ऐसे गुण हैं जिनका समावेश व्यक्तित्व में आवश्यक रूप से होता है । यदि व्यक्तित्व में यह गुण मौजूद हैं तो किसी भी देश के इतिहास, दर्शन, धर्म, सामाजिक रीति रिवाज आदि के ज्ञान की जानकारी आवश्यक नहीं । इसका कारण यह है कि सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति जिस स्थान पर काम करेगा, उस स्थान के लोगों की आन्तरिक भावनाओं को वह अपने आप हृदयंगम कर लेगा और जैसे-जैसे वह काम करता जायेगा, वैसे ही वैसे आवश्यक बातों को समझ लेने की आवश्यकता को महसूस करता जायेगा और आवश्यक ज्ञान को प्राप्त करता जायेगा । यदि उचित व्यक्तित्व न हुआ, तो चाहे कितना ही अभिनवीकरण क्यों न किया जाय उससे कोई लाभ न होगा । ठीक ढंग का व्यक्ति चाहे भारत में रखा जाय या कांगो या मैक्सिको में वह सभी स्थानों में उतनी ही अच्छी तरह काम कर सकेगा । [५२.१]

मैं चाहूँगा कि चुनाव में मनोवैज्ञानिक जाँच का विकास हो और उसे प्रमुख स्थान दिया जाय । यदि एक आदमी और उसकी स्त्री उस जाँच के अनुसार उत्तीर्ण नहीं होते तो मैं उन्हें किसी भी कार्य पर बाहर नहीं भेजना चाहूँगा । मैं चाहूँगा कि चुनाव मण्डल में एक तो उस विशेष विषय का ज्ञान रखने वाला प्राविधिक हो, एक मनोवैज्ञानिक हो और उस खास देश के विषय में काफी अनुभव रखने वाले दो या तीन अन्य आदमी हों । एक ऐसा दल ही होना चाहिए जिसमें से किसी खास काम के लिए जाँच का बोर्ड बनाया जा सके । इस दल में बाहरी देशों का अनुभव रखने वाले लोगों को रखने का यह उद्देश्य नहीं होगा कि जो प्रार्थी आवें उनके देश विदेश सम्बन्धी अनुभवों की जाँच की जाय; क्योंकि यह इतनी आवश्यक बात नहीं है । जाँच तो केवल इस बात की करनी है कि वह प्रार्थी जिन नई स्थितियों में जायेगा उसके लिए उसका स्वभाव और दृष्टिकोण उपयुक्त हैं भी या नहीं, और जिन नये

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सामाजिक वातावरण में वह जायेगा उसके अनुकूल अपने को वह कहाँ तक ढाल सकेगा। [५१.३]

टोली की भावना से कार्य करने के लिए प्रशिक्षण

दूसरी आवश्यक बात है टोली की भावना से कार्य और टोली के सम्बन्ध में जानकारी। यदि लोगों में परस्पर विचारों का आदान प्रदान न हो सका, और यदि एक व्यक्ति और क्षेत्र से दूसरे व्यक्ति और क्षेत्र पर प्रभाव न पड़ सका तो काम में बाधाएं उपस्थित होंगी। मैं व्यक्तियों को भेजने के बजाय टोलियों को भेजना अधिक उत्तम समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भेजे जाने के पहले उनके अभिनवीकरण का काल एक साथ काम करने और योजना बनाने में ही लगाया जाय; बजाय इसके कि लोगों को यहाँ वहाँ से एकत्रित किया जाय और विदेशों में वे सब एक साथ एक जगह पर मिलाये जायें।

मन में कोई भेद न हो

अन्तिम विशेष बात यह कहनी है कि सलाहकारों के मन में कोई और उद्देश्य न हो। सच्ची लगन होने के कारण ही कोई काम लिया जाय, जिसमें सलाहकार की गहरी दिलचस्पी और लगाव हो, उसी में वह अपने को पूरी तरह से घुला मिला दे। इसके अलावा किसी दूसरे मतलब की बात होनी ही न चाहिए—जैसे धर्म प्रचार की भावना, अमेरिकन जीवन विधि के प्रचार की भावना या कम्यूनिस्ट विरोधी भावों का प्रचार। अपनी सेवाओं के प्रदर्शन का भी भाव नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी आन्तरिक स्वार्थ को लेकर काम करना चाहेंगे तो असली काम उतनी अच्छी तरह नहीं हो सकेगा क्योंकि आपकी धारणा जनता तक पहुँच ही जाती है, चाहे आप कितनी ही चतुरता से उसे छिपाने की कोशिश क्यों न करें, और जसी आपकी धारणा होगी, उसी हिसाब से आपका मूल्यांकन किया जायगा। [५२.१]

पुरस्कार

मायर ने स्वार्थमोर कालेज (Swarthmore College) में एक व्याख्यान दिया था जिसका शीर्षक था "जनता के साथ कार्य," जिसमें जनतांत्रिक वातावरण में काम करने से उत्पन्न होने वाले व्यक्तिगत संतोष का दिग्दर्शन कराया गया था। यह वह संतोष है जो विदेशी सलाहकार को भी उसी हद तक प्राप्त होता है जितना संगठन में काम करने वाले दूसरे हर व्यक्ति को।

यह तय करना कठिन है कि ऐसे अनुभव में किस बात को अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्तिगत मित्रता और प्रेम जो इस तरह के काम से उत्पन्न होते हैं या भारत के उन सह कार्यकर्त्ताओं पर अधिकारियों की भावनाएं, जिन्होंने ऐसे विचारों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और सुझावों का भी समर्थन किया जिनके बारे में पूरी तरह से सन्तुष्ट नहीं थे किन्तु जिनका समर्थन उन्होंने मेरे प्रति व्यक्तिगत विश्वास के कारण ही किया। यह भी महत्त्वपूर्ण बात है कि दूसरे विभागों ने हमें बहुत ही उदारतापूर्ण सहयोग दिया जिसके बिना हम अपने काम में उतने अधिक सफल न हो सकते जितना हम हो सके हैं। क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं की मीटिंग के पारस्परिक विचार विनियम को भी महत्त्व दिया जा सकता है। शुरू-शुरू में नीचे स्तर के कार्यकर्त्ता बहुत ही झेंपते थे और उन्हें यह मानने में कठिनाई होती थी कि उनको भी खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करने और समस्याओं को उपस्थित करने की स्वतंत्रता है। किन्तु हमने स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा दिया और अब बहुत दिनों से बहुत अच्छी तरह विचार विनिमय चलने लगा है, जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं और अन्त में एक सम्मिलित निर्णय कर लिया जाता है जैसा किसी भी दूसरे ढंग पर नहीं हो सकता था। हमारे क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं के मन में अपने प्रति विश्वास और अपने पद की मर्यादा की भावना जागृत हो गयी है। और साथ ही ऊपर के स्तर के अधिकारियों ने भी बहुत अधिक बातों की जानकारी प्राप्त कर ली है। इसका फल यह हुआ है कि अब हुक्म के अनुसार कार्य करने के स्थान पर कार्य में उत्साहपूर्ण सहयोग दिया जाने लगा है।

गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं की तरह के शुद्ध संत वृत्ति के सहयोगियों के साथ हमारे कार्यकर्त्ताओं के सम्बन्ध भी महत्त्वपूर्ण माने जा सकते हैं। गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं ने हमें बहुत ही मूल्यवान सलाह दी और कार्य के सम्बन्ध में बराबर आलोचनाएं भी कीं। कुछ उद्देश्यों और सिद्धान्तों में हमारे उनके मन एक नहीं हैं। किन्तु हम इस बात को मानते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत बातें सीख सकते हैं। अनेक क्षेत्रों में हम और वे दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। हमने उनके साथ ही साथ वर्षा, कीचड़ और धूप में काम किया। मैं और स्वामी सत्यानन्द जी एक बार आजमगढ़ के गांवों में जहाँ सड़कें नहीं हैं, हाथी पर चढ़कर साथ-साथ लगातार आठ घण्टे तक बरसते हुए पानी में घूमें हैं, आज भी हम लोग उस सह-यात्रा का जिक्र करते हैं।[७] हम लोगों ने एक दूसरे के कार्यकर्त्ताओं और विद्यार्थियों को दिल खोलकर बातें बताई हैं। अक्सर ऐसा भी हुआ है कि हम लोग अपनी समस्याओं के बारे में रात-रात भर जागकर बातें करते रहे और सबेरे काम में लग गये। भारत में लोग बहुत सबेरे जाग जाते हैं। क्षेत्र में काम करने वालों की हमारी टोली भी महत्त्वपूर्ण मानी जा सकती है। हम अपने उन स्त्री पुरुष कार्यकर्त्ताओं को बहुत महत्त्व देते हैं जो सारे काम का भार उठाते हैं और उसकी आपत्ति विपत्ति को सहते हैं, किन्तु जिनके बारे में बहुत अधिक चर्चा नहीं चलती क्योंकि ये ही भारत के नवीन युग की नवीन जनता हैं। ये ही वे लोग हैं जिन्होंने योजना बनाई, पसीना बहाकर मेहनत की। इन्हीं लोगों ने लगन और सेवा की नई भावना को विकसित किया। हमारी इन्हीं विकसित भावनाओं ने ही गांव वालों के दिलों और दिमागों को हमारे सामने खोलने में सहायता दी और इसी के बल पर हम उनके लिए कुछ कर सके। शुरू-शुरू में हमारा स्वागत नहीं हुआ क्योंकि गांव वाले प्रायः संदेहशील होते हैं। पर बाद में गांव वाले न तो अधिक दकियानूसी ही सिद्ध हुए, न हठी ही। अब वे लोग हमें उत्तम और

[७] स्वामी सत्यानन्द जी का सन् १९५४ में स्वर्गवास हो गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

योग्य मित्र समझते हैं जो केवल उन्हें व्याख्यान ही नहीं सुनाते किन्तु अपने तन मन से उनकी मदद करते हैं।

यह बात याद रखनी चाहिए कि सरकारी काम में शुरू-शुरू में पहले के कोई उदाहरण मौजूद नहीं थे। यह भी याद रखने की बात है कि शुरू-शुरू में हमारे पास कार्यकर्त्ताओं का ऐसा दल नहीं था जिनमें आवश्यक योग्यता, प्रशिक्षण दृष्टिकोण या अनुभव भी हो जिसकी हम जरूरत समझते थे। मैं सफलता के लिए डींग नहीं हांकता किन्तु जब इस बात का विचार करता हूं कि शुरू-शुरू में जिला विकास अधिकारी, उप विकास अधिकारी, और क्षेत्र में काम करने वाले ग्राम सेवक के चुनाव के समय जो शंका और हिचकिचाहट हुई थी तो यह मालूम होता है कि आज हम कितना आगे बढ़ आये हैं। इन आदमियों की खोज में और नियुक्ति के लिए भेंटों में हमें बार-बार इस बात का पता लगाना पड़ता था कि लोगों की दृष्टि कितनी व्यापक है और कार्य की यथार्थता का कितना विकास हो सकता है। हमारे सामने प्रश्न रहता था कि क्या इन लोगों में इस तरह का विकास हो सकता है कि लोग भविष्य की बातों को तो समझ सकें किन्तु आज की वर्त्तमान आवश्यकताओं को भुला न दें। क्या वे पूरे तन-मन से काम कर सकेंगे या बिखर तो न जायेंगे? क्या वे जनता के साथ उन्हीं के अंग बनकर काम कर सकेंगे? क्या वे उस निराशा का सामना कर सकेंगे जो आरम्भ में अवश्यम्भावी है? होरेस होम्स और मैंने इस तरह की बातों पर विचार करने में घण्टों बिताये थे।

यह वर्त्तमान युग की एक नई खोज सी थी। और कुछ लोगों को छोड़कर शेष सभी नवयुवक कार्यकर्त्ता बहुत ही सफल सिद्ध हुए। भविष्य के कार्यकर्त्ता दल के के ये ही आधार हैं। इस समय पिछली बातों पर विचार करने से यह मालूम हो जाता है कि वे प्रस्फुटित होने की राह देख रहे थे, वे गांव के द्वारा देश की सेवा करने के लिए उत्सुक थे। वे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई इनकी शक्ति के स्रोत का बांध खोल दे। हम लोग इतने अनिश्चित थे कि एक व्यक्ति जिसने बार-बार अपनी योग्यता प्रमाणित की है हमने उसे छः बार नियुक्ति की भेंट के लिए बुलाया था और उसके बारे में काफी जांच पड़ताल की थी। असली तत्व उसमें था और अब उसका विकास हो गया है।

एक खास बात यह हो गई कि हमारे शुरू के ग्राम सेवक वाले छोटे दल के प्रमुख व्यक्ति अमर सिंह का देहान्त हो गया। हमने केवल ४ व्यक्तियों को लेकर काम शुरू किया था और अब इटावा में ५० आदमी काम कर रहे हैं। वह एक लम्बा चौड़ा जवान था। एकाएक उसकी मृत्यु हो गई और चूंकि हमारा दल बहुत ही सुसंगठित, प्रेमभाव पूर्ण है, इसलिए हम सभी को बड़ा दुःख हुआ। उसके कुछ ही दिन बाद मैं अपने मुख्य केन्द्र महेवा में गया और उन गांवों का दौरा किया जहाँ अमरसिंह ने कार्य किया था। गांव वालों की बातचीत से उनमें फैली हुई सच्ची दुख की भावना से और अमर सिंह के कार्य तथा गांव वालों और उनके बच्चों के प्रति उनकी लगन की कहानियाँ सुनने पर मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि उन्होंने पूर्ण रूप से सेवा कार्य किया था।

संयोग से मेरा दौरा जिस दिन हुआ उसी दिन महीने का सामाजिक मिलन दिवस था। एक तरह से कैम्प फायर का आयोजन किया गया था, जिसमें कहानियों का और खासकर लोक गीत आदि का कार्यक्रम था।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दूसरे दिन सबेरे हम लोग एक चबूतरे पर बैठकर वहाँ की समस्याओं में से एक-एक पर विचार करने लगे। विचार विमर्श में सभी की राय ली जाती है। यह नहीं होता कि अधिक समय तक केवल एक ही आदमी अपनी बातें सुनाता रहे। उस समय सबके मन में अमर सिंह के देहान्त की बात चक्कर मार रही थी और वही सामने आई। प्रश्न यह था कि हम अपनी भावनाओं को किस तरह व्यक्त करें, उनकी यादगार में क्या किया जाये, और जो सेवाएं उन्होंने की थीं उसको किस रूप में मान्यता दी जाय। एक कार्यकर्त्ता ने सुझाव रक्खा कि एक निधि कायम की जाय जिसमें हर कार्यकर्त्ता कम से कम अपने दो दिन का वेतन जमा करे। इस बात को सभी ने मान लिया। विकास आयुक्त से लेकर नीचे स्तर तक के लोगों में से सभी ने अपना अपना भाग जमा कर दिया। नीचे स्तर के लोगों ने तो दो दिन के वेतन से भी अधिक रक़म दी। गांव वालों ने भी इस निधि में धन देने की आवश्यकता को महसूस किया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अब हम केवल कार्यकर्त्ताओं के दल के रूप में ही अपने को नहीं देखते बल्कि पूरे गांव के समाज का अपने को एक अंग समझते हैं।

इन पुराने कार्यकर्त्ताओं के बारे में सोचते हुए मैंने चार दिवसीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के बारे में विचार किया जिसे हम लोगों ने इसी ग्रीष्म (१९५१) में संगठित किया था और जिसमें उनमें से बहुतों ने भाग लिया था। साथ ही साथ विकास विभागों के उच्च अधिकारियों, जैसे संचालक जन स्वास्थ्य, संचालिका महिला मंगल, विकास आयुक्त और प्रसिद्ध रचनात्मक कार्यकर्त्ता गण और ग्राम सेवा से सम्बन्धित ईसाई प्रचारक आये थे। इस सम्मेलन में कुछ ऐसी बातें हुईं जो बहुत ही महत्त्व-पूर्ण हैं और मेरे विचार से नई भी। जैसे नये विचारों के प्रति उत्साह, कार्यक्रम की योजना और समन्वय की कठिनाइयां; सम्मेलन आरम्भ होने के बाद उसके उचित संचालन की कठिनाइयां आदि। इस सम्मेलन की खास बात थी विभिन्न तरह के लोगों का एकत्रित होना, जिनमें से अधिकांश लोग पहले किसी सम्मेलन में शामिल ही नहीं हुए थे। दूसरी बात थी ठीक से काम चालू होने का आरम्भिक उत्साह, सभा में भाग लेने और ढंग से उसके संचालन का आनन्द।

हमारी अपनी योजनाओं, भारत ग्राम सेवा (एक मिशनरी योजना) और इलाहाबाद कृषि संस्था से भाग लेने वाले दलों और व्यक्तिगत लोगों के बीच अपने अनुभवों का आदान प्रदान करना ही इसका मूल उद्देश्य था। इनके साथ ही हमारे कुछ गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्त्ता मित्र और विभागीय अध्यक्ष भी इस सम्मेलन में शामिल थे। कुछ खोज की बातें प्रस्तुत की गईं, कुछ खोजपूर्ण विचारों के फल निकले जिनसे बहुत प्रोत्साहन मिला। विचारों में एक ताज़गी आई और कुछ मामलों में हम सबके दृष्टिकोण बदले।

अधिकांश सम्मेलनों के कार्यकर्त्ता समान स्तर के या एक संकुचित दल के ही लोग होते हैं। इस सम्मेलन में सभी स्तर के लोगों ने भाग लिया था, जिनमें बहुत कम वेतन वाले, नीचे स्तर के लोग भी थे और विभागों के अध्यक्ष, प्रोफेसर और विभागीय सचिव भी शामिल हुए थे। यहां तो ऊंचे से ऊंचे स्तर के लोग नीचे से नीचे स्तर के लोगों से घुल मिलकर बातें कर रहे थे। जल्दी ही नीचे के स्तर के लोगों में आत्म-विश्वास की भावना फैल गई और वे अपने खास अनुभवों को अच्छे ढंग पर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्पष्ट रूप से सामने रखने लगे। ऊंचे स्तर के लोगों ने दिल खोलकर लोगों के सवालों के जवाब दिये। उनके उत्तरों पर बहुत ही योग्यतापूर्ण प्रश्न किए गए। पारस्परिक विचार आदान प्रदान वाली सभाओं में समाप्ति के पहले जल्दी ही लोगों को यह ध्यान न रह गया कि कौन बड़े लोग हैं और कौन छोटे। इलाहाबाद के कृषि विद्यालय नैनी में होने वाले पहले दो दिनों के सम्मेलन में और तुरन्त बाद लखनऊ में होने वाले दो दिनों में हमने इस बात का प्रबन्ध कर लिया था कि हम लोग सब एक ही साथ रहेंगे और एक ही साथ भोजन करेंगे। बंधे हुये कार्यक्रम के अतिरिक्त इस तरह के सामाजिक सम्पर्क से सबको एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने का अवसर दिया जिससे लोगों में बहुत अधिक उत्साह बढ़ा।

सम्मेलन के शब्द चित्र—नैनी के स्वयंसेवा (Self-help) इंस्टीट्यूट भोजनालय में हम लोग भोजन करते थे। हम आश्चर्य कर रहे थे कि हमारे वे भारतीय सहयोगी, जिन्हें अधिक व्यापक अनुभव नहीं है, इसे किस ढंग पर लेंगे। हमें इसमें तो अधिक संदेह नहीं था कि इस तरह के कामों के लिए वे आदी हो जायेंगे, लेकिन हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें इसमें कुछ अटपटा नहीं लगा। नई पद्धति के अनुसार उन्होंने फौरन ही अपने को ढाल लिया। काउन्टर के पास अपने अपने प्याले और टिकट की किताब लेकर एक कतार में खड़े हो गए, उन्होंने इस बात को समझ लिया और इसे पसन्द भी किया। पहले दिन की मीटिंग में एक महिला ग्राम कार्यकर्ता ने उठकर बहुत ही हकलाते हकलाते एक सवाल किया था। अन्तिम दिन जन स्वास्थ्य पर वाद विवाद में बिना किसी के प्रोत्साहन के ही यही महिला बहुत ही आत्म विश्वास के साथ और रोचक ढंग पर बोली। पुराने रचनात्मक कार्यकर्ता बाबा राघवदास ने हमें बताया कि वे हरी खाद के पक्ष में किस तरह हो गए और बाद में सेवापुरी में इस सम्बन्ध में जो अच्छे फल देखे थे, उसके बारे में भी उन्होंने विवरण दिया।

[५२.१]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

४ ग्राम सेवा की रीति नीति

[उद्देश्य से ही कार्य की रीति में जीवन आता है। इटावा में यही उद्देश्य रक्खा गया था कि भौतिक उपज में सुधार हो और जनता की योग्यता और कार्य संचालन की प्रवृत्ति में विकास हो—जनता को अच्छी भूमि और अच्छे औजार दिये जायं और इसके साथ साथ उन्हें भविष्य के लिए सजग कर दिया जाय। आमतौर पर अग्रगामी योजनाओं का उद्देश्य यही रक्खा गया था कि जनता को न केवल इसी के लिए सजग किया जाय कि वे सुधरे हुए तरीकों के अनुसार कार्य करें, बल्कि वे अधिक अच्छे जीवन की स्वयं चाह करें और उसे प्राप्त करें।

[योजना क्षेत्रों में आपस में बहुत स्वस्थ भावना पाई जाती है कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में वे एक दूसरे से बढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले एक या दो सालों में आमतौर पर यह सम्भावना रहती है कि जनता के विकास की और कम ध्यान देकर भौतिक सफलताओं को अधिक से अधिक परिमाण में प्राप्त करने का कार्यक्रम बनाया जाय। किन्तु वह ध्यान रखना चाहिए कि जनता की प्रवृत्तियों का विकास ही सफलता का मूल है।

[फिर भी यह ध्यान रहे कि फसलों, सड़कों, पानी की निकासी की नालियों, तैयार माल आदि के भौतिक लक्ष्य आर्थिक कारणों से और प्रेरणा देने के लिए बहुत ही महत्त्व के हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी देश ग्रामीण विकास या प्रसार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

का कार्य करने में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उपज की वृद्धि उस पर पड़ने वाले खर्च से अधिक न हो। दूसरी बात यह है कि जब तक उन्नति का कोई निश्चित मापदण्ड न हो, तब तक काम का लक्ष्य ठीक से निश्चित नहीं हो सकता और उससे सफलताजन्य संतोष का अनुभव नहीं हो सकता। फिर भी इन उद्देश्यों में सफलता प्राप्ति के लिए यदि बाहर से बहुत अधिक दबाव डाला गया और प्रलोभन दिया गया तो आगे चलकर सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है। असल में ग्राम विकास के दोनों उद्देश्यों में कोई असंगति या विरोध नहीं है। भौतिक वस्तुओं के अधिकाधिक उत्पादन के साथ साथ गाँव के संगठन सम्बन्धी साधनों का तथा लोगों के व्यक्तित्व का विकास भी हो सकता है। मानवीय गुणों के विकास से अल्पकालीन दृष्टि से भी भौतिक उत्पादन की गति अधिक तेज की जा सकती है।

[इस कारण इटावा के कार्य की रीति में ये मुख्य तत्व शामिल हैं :

ग्रामीण आर्थिक विकास उतनी ही तेजी से चलाया जाय जितनी तेजी से जनता का विकास उसे आत्मसात कर सके।

[साधारण अनुभूत आवश्यकताओं से शुरू करके और यह दिखाया जाय कि उनकी पूर्ति कैसे की जा सकती है। इसके बाद ऐसी आवश्कताओं की पूर्ति की ओर बढ़ा जाय जिन्हें उभाड़कर सामने लाया गया हो। इस रीति का एक उदाहरण यह है कि उन कामों से शुरुआत की जाय जिन्हें कोई व्यक्ति अपनी तुरन्त के आर्थिक लाभ के लिए करने की इच्छा रखता हो। बाद में उन सामूहिक कार्यों की ओर बढ़ा जाय जिनका पुरस्कार गहरा है किन्तु जिनका परिणाम बहुत दिनों बाद मिल सकेगा। ऐसा कार्यक्रम निश्चित किया जाय जिसके समय का हिसाब बहुत ही समझ बूझ कर रक्खा गया हो और जिसमें हर साल तेजी और वृद्धि हो।

[पूर्णता पर जोर—विषय विशेष पर अधिकाधिक ध्यान देना, कार्य को क्रमिक और व्यवस्थित रूप से पूरा करना, आत्म-निरीक्षण और आत्म-सुधार।

[गाँव वालों और सरकारी कार्यकर्त्ताओं के बीच आपसी विश्वास बढ़ाना और गाँव में और गाँव वालों में दृढ़ आत्म विश्वास और अभिक्रम जगाना।

[इटावा के अनुभव यह बताते हैं कि इस तरह के भौतिक और नैतिक तत्वों के एकीकरण से जो फल निकले वे जल्दी में कृत्रिम परिणाम वाले तरीकों से कहीं अधिक अच्छे थे, और इसके साथ ही उनसे मानवीय विकास में सतत उन्नति होती गई।

[यह बात जरूर है कि लिखित रूप में हर कार्य विधि, एक ही सी अच्छी दीख पड़ती है। किन्तु कार्यकर्त्ताओं की योग्यता और प्रशिक्षण से, उनके कार्यों की पूर्णता से सामने वाली कठिनाइयों को पहले ही से समझ लेने की उनकी शक्ति से, तथा अपने पिछले काम का स्वयं निरीक्षण करके असली स्थिति को समझ लेने से काम की सफलता में अन्तर पड़ जाता है। जो भी खामियाँ हों उनका ईमानदारी से मुकाबला करने और पहले से प्राप्त ज्ञान के आधार पर वर्तमान काम में उसका व्यावहारिक उपयोग करने से और इस बात को समझ लेने से कि कोई भी प्रयत्न शुरू करते समय चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, उस पर फिर से विचार करना और उसमें नया जीवन डालना बहुत महत्त्वपूर्ण है।]

वर्तमान अध्याय में खासतौर पर उन सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है जो

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अग्रगामी कार्यक्रम के भौतिक विषयों के चुनाव, योजना और प्रारम्भ करने में लागू होते हैं। पांचवें अध्याय में उन सामाजिक और नैतिक तत्वों पर विशेष बल दिया गया है कि जिनसे हर स्थिति में भौतिक सफलता का सम्बन्ध रहता है।

विकास कार्यक्रमों को चुनने की कसौटी

[इटावा में इस बात को तय करने के लिये तीन कसौटियों से काम लिया गया था कि विकास कार्यक्रम में किस किस अंश को शामिल किया जाय : महसूस की हुई आवश्यकता, विश्वास का विकास और कार्य संचालन का ज्ञान। किसी क्षेत्र में कार्य की प्रारम्भिक योजना बनाते समय इन कसौटियों को कड़ाई से काम में लाना महत्त्वपूर्ण है।]

महसूस की हुई आवश्यकता

पहली कसौटी है महसूस की हुई आवश्यकता। उदारहण के लिए अग्रगामी योजना क्षेत्रों में से एक में मलेरिया बहुत कम होता है। यद्यपि हम इसे भी बिलकुल निर्मूल कर देना चाहते हैं, किन्तु वहाँ की जनता इसे आवश्यक नहीं समझती। इसलिए वहाँ की जनता मलेरिया के दूर हो जाने को उतना महत्त्वपूर्ण नहीं मान सकेगी—लोग इसकी तरफ ध्यान ही न देंगे। दूसरे क्षेत्रों में मलेरिया इतना अधिक भीषण रूप लिए हुए है कि इसे दूर करने का प्रयत्न ही वहाँ के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए ग्रामीण जीवन विश्लेषक द्वारा या जहाँ विश्लेषक नहीं थे वहाँ अन्य लोगों द्वारा हर स्थानीय स्थिति का हमने पूर्ण विवरण प्राप्त करने की कोशिश की। हमें हमेशा यह पूछना पड़ता था, "इस स्थान पर कौन सी आवश्यकता है जो महसूस की जाती है ?"[1] [५४.१]

[इस बात पर जोर देना कि हर विकास कार्य तभी किया जाय जब कि जनता की महसूस की हुई आवश्यकता की उससे पूर्ति हो एक संकुचित या असंगत कसौटी नहीं है। क्योंकि सारे नये कार्यक्रमों का विकास उन प्रयत्नों से ही होता है जो वर्तमान समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शुरू किये जाते हैं। इटावा क्षेत्र में बहुत ही सफलता से चलाई जाने वाली ईंट उद्योग की स्थापना इस बात का उदाहरण है कि उस समय तुरन्त पूरी की जानेवाली आवश्कताएं थीं : अच्छी सड़कें, मकान, सफाई और सरकारी इमारतें जिनकी पूर्ति के लिए ईंटों का होना जरूरी था।[2]

कुछ ऐसी भी उचित एवं महसूस की जाने वाली आवश्यकताएं हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, चूंकि हम लोग भी सरकार के एक अंग हैं, इसलिए गांव वाले यह समझते हैं कि हम लोग वे सारी बातें कर सकते हैं, जिन्हें समूची सरकार कर सकती है। [५३.७]

---

[1]उदाहरण के लिए अध्याय ५ देखिए।

[2]अग्रगामी योजना क्षेत्रों में ग्रामीण ईंट उद्योग के विकास का पूरा इतिहास अध्याय ६ में दिया गया है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गांव वाले जानते हैं कि ग्राम सेवक उनका मित्र है, और वह सरकार में भी है ही। वे कल्पना करते हैं कि वह विवादों को रद्द करा सकता है और करों को वापस करा सकता है तथा और बहुत से काम कर सकता है, जबकि योजना वाले कर्मचारी उन कामों को वास्तव में कर नहीं सकते। योजना के सदस्य हम लोग सरकार के ऐसे नज़दीकी प्रतिनिधि हैं, जिन्हें गांव वाले हमेशा देखते हैं और जिनका वे विश्वास करते हैं। जिन हजारों मसलों का सामना गांव वालों को करना पड़ता है, उन्हें हम एक दम हल नहीं कर सकते। फिर भी गांव वाले हमें अपना मित्र भी समझते रहें और साथ ही हम अपनी और सच्चाई की रक्षा कर सकें; यह एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। [५४.१]

हम पूरी तरह से गांव वालों को यह नहीं समझा सकते कि असल में हमारी योग्यताएं और सीमाएं क्या हैं, तो भी यह एक अच्छा काम होगा कि जितना साफ साफ हम बता सकें बता दें कि वे हमसे क्या आशा कर सकते हैं। इससे बाद में होने वाली निराशाओं और गलतफहमियों की मात्रा में बहुत कमी हो जायेगी। [५३.७]

[दूसरी बात यह है कि हमारे ग्राम सेवक आवश्यकताओं के बढ़ने के कारण निश्चित कार्यक्रम के बाहर के कामों में और भविष्य के सपनों में बहुत आगे बढ़ गये। जब पहले पहल यह मसला बहुत कठिन होने लगा तब १९४९ के अगस्त महीने में हमारे ग्राम जीवन विश्लेषक ने एक तालिका निकाली जिसका शीर्षक था "इटावा की अग्रगामी योजना का संगठन क्या-क्या नहीं कर सकता।" बाद वाले वर्षों में विस्तृत सूचियाँ निकाली गईं ताकि संदेह के अवसरों पर गांव वाले और ग्राम सेवक दोनों ही यह देख सकें कि वर्तमान चालू वर्ष में हमारे कार्यों का क्या रूप और प्रकार है।[३] इनका संक्षिप्त उदाहरण नीचे दिया जाता है।

(१) अग्रगामी योजना संगठन गांव वालों के लिए घर नहीं बनायेगा।
(२) निजी तौर पर बनाये जाने वाले मकानों के लिए वह सीमेंट और ईंटें दिलाने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
(३) वह गांव वालों के लिए सड़कें नहीं बनायेगा।

---

[३] अग्रगामी योजना की कार्य शक्ति को बढ़ा चढ़ा कर बताना या अनेक दिशाओं में उन अधिकारों के प्रसार की बात करने की प्रवृत्ति केवल गांव वालों या ग्राम सेवकों तक ही सीमित नहीं है वरन् वह रुझान योजना के उच्च स्तर के अधिकारियों और योजना में आने वाले दर्शकों तक में पाई जाती है। उदाहरण के लिए : चूंकि इटावा के कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा और कुछ गांवों में स्कूल की इमारत के बनाने की बात शामिल थी, इसलिए आने वाले कुछ दर्शकों ने यह कल्पना कर ली कि इस योजना को यह अधिकार है कि वह प्राथमिक शिक्षा संबंधी महत्व-पूर्ण नीतियों को कार्यान्वित करे; वस्तुतः ऐसा करने का अधिकार केवल शिक्षा विभाग को ही है। चूंकि योजना द्वारा कृषि और समाज कल्याण वाले अन्तर्विभागीय कार्यक्रम भी चलाये जाते थे, इसलिए कुछ लोगों ने समझ लिया कि कर्मचारियों की नियुक्ति, उद्योग, समाज कल्याण, भूमि-कर आदि से सम्बन्ध रखने वाले सभी स्थानीय सरकारी कार्यों के लिए योजना वाले ही जिम्मेदार हैं। इटावा योजना के सम्बन्ध में जो आलोचनाएं छापी गई थीं उनका आधार आम-तौर पर योजना के अधिकारों और उसकी क्षमता से सम्बन्ध रखने वाली इस तरह की गलत फहमियां ही रही हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(४) वह भूमि संरक्षण द्वारा धरती को उपजाऊ बनाने के कार्य को अब और अधिक न करेगा।
(५) वह नहरी पानी की मात्रा को बढ़वाने का प्रबन्ध नहीं कर सकता।
(६) वह नलकूप नहीं लगवा सकता।
(७) वह खेत में खड़ी फसल या खलिहान में रक्खी उपज की रक्षा के लिए पुलिस का प्रबन्ध नहीं कर सकता।
(८) वह व्यक्तिगत ढंग पर किसी के माल या आदमियों के लाने ले जाने के लिए सवारी का प्रबन्ध नहीं कर सकेगा।
(९) गांवों के झगड़ों का वह फैसला नहीं कर सकेगा।
(१०) उसे अपने सूचना प्रसार वाले साधनों को किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत सभा के प्रचार के लिए अथवा शादी विवाह के अवसरों पर काम में नहीं लायगा।
(११) सरकार के किसी भी दूसरे विभाग के कार्य में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। [४९.३]

[बाद के वर्षों में गांव वालों को नम्बर १, २, ३. ४ और ६ के कामों को पूरा करने में मदद दी गई थी]

विश्वास का निर्माण

[ग्राम विकास कार्यक्रम में शामिल करने की दूसरी निर्णायक कसौटी है कि 'क्या इस कार्य से विश्वास के निर्माण में सहायता मिलेगी या नहीं।' शुरू-शुरू की स्थिति में तो हमें खास तौर पर अपने कार्यक्रम के उस पहलू को दिखाना चाहिए जो सफलता पूर्वक व्यवहार में लाया जा सके। गांव वालों को सैकड़ों बार बाहर वालों की ऐसी बातों का शिकार होना पड़ा है, जो व्यावहारिक रूप से सफल नहीं हो सकीं अथवा वे सफल होने के पहले ही छोड़ दी गई थीं। महसूस की हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और आननफानन अच्छा नतीजा दिखाने के लिए ऐसी दवाएं दी जानी चाहिए जिनसे फौरन दर्द दूर हो जाये, या रोग अच्छा हो जाये। हम उनका प्रयोग इसीलिए करते हैं कि उनसे समस्या का समाधान तुरन्त हो जाता है और उनके कारण विश्वास का निर्माण होता है। यही बात कृषि में भी लागू होती है। यदि आपके पास अधिक अच्छे बीज हैं, और आप यह जानते हैं कि आप अधिक अच्छी उपज दिखा सकते हैं तो ६ महीने के अन्दर आप गांव वालों को अच्छी उपज करके दिखा देंगे। यदि फसल अच्छी हो गई तो जल्दी ही सब लोग उसे देखेंगे और न केवल कृषि सम्बन्धी बातों पर बल्कि विकास कार्य के अन्य पहलुओं पर भी उसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। इसके साथ ही हर काम से गांव वालों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो जानी चाहिए ताकि वे यह निश्चय कर लें कि उसी तरह के काम को वे खुद ही आगे बढ़ा सकेंगे। [५४.१]

नीचे तीनों पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है :

(१) शुरू शुरू में ऐसे विषय चुने जायँ जिनसे जल्दी और प्रत्यक्ष फल दिखाये जा सकें और उनके द्वारा आत्म-विश्वास का विकास हो;

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(२) वस्तुओं की पूर्ति के साधनों का निश्चित रूप से प्रबंध करके विश्वास का विकास;

(३) विकास बाहर से सहायता और मान्यता दिलाकर आत्म-विश्वास का विकास; ऐसे कामों में कभी कभी खतरे का भी सामना करना पड़ता है।

१—तुरन्त फल—इटावा के जिन सौ गाँवों में हमने पहले पहल अपने कार्य-क्रम को चालू किया था, वहां इस समय भी मकानों की और भौतिक विकास के कामों की बहुत जरूरत है। पहले साल इस तरह का न तो कोई काम शुरू किया गया और न उसके लिए किसी तरह के सुझाव ही आये। पहले वर्ष तो क्षेत्रीय स्तर के सरकारी कार्यकर्त्ताओं और जनता के बीच में अविश्वास की भावना समाप्त करने के लिए आधार बनाने में ही सारी शक्ति लगा दी गई। यह वह समय था जब हम लोगों ने पूरी तरह से अपने को उन बातों में लगा दिया था जो गांव वालों की नजरों में बहुत जरूरी थीं तथा जिन बातों से आर्थिक और अन्य तरह के लाभ जल्दी ही हो सकते थे जो अधिक प्रत्यक्ष रूप में गांव वालों की समझ में आ सकते थे, जैसे गेहूँ की उपज में काफी उन्नति—गेहूँ की खेती ही वहां महत्वपूर्ण थी, औषधि सम्बन्धी सहायता—पशुओं को टीके लगाकर संक्रामक रोगों से बचाना; गाँव वालों से घुल मिल कर लगन के साथ काम करने की हमारे कार्यकर्त्ताओं की भावना आदि। इन भावनाओं ने और उपज की सफलताओं ने गांवों में आर्थिक सुधार शुरू कर दिए और उससे विश्वास की भावना उत्पन्न हो गई। इसके साथ ही उन्नतिशील विचारों को ग्रहण करने की भावना भी जड़ पकड़ गई, जिसके कारण हम लोग और गांव वाले गर्व से सर ऊपर उठा सके। इसके अलावा "ग्राम सम्पर्क कार्य" वाली हमारी पद्धति सुधारों को ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति में नई चेतना आई।

यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि इसी सफलता और जागृति से हमें भौतिक वातावरण को सुदृढ़ करने में सहायता मिली। प्राथमिकता और समय निर्धारण की नीति की भी यहां फिर से चर्चा करनी चाहिए। काम के इस पहलू को ठीक से शुरू करने के पहले पूरे एक साल तक प्रतीक्षा करते रहे।

आरम्भ में असफलता या निराशा से बचना चाहिए। इसका कारण यह नहीं है कि हम समझते हैं कि हम गलती कर ही नहीं सकते। किन्तु निर्माण, गृह निर्माण, भौतिक वातावरण में सुधार आदि कठिन और उलझन वाले काम तब तक न तो ठीक से सफल हो सकते हैं और न आगे बढ़ ही सकते हैं, जब तक अधिक सरल और तत्काल विकसित किए जाने वाले कार्यों से जागृति उत्पन्न न की जाय, या विश्वास उत्पन्न न किया जाय। आरम्भ में यदि असफलता हुई तो उसके कारण बहुत सी बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायँगी। [५१.६]

हमने किसी भी नई चीज़ के ऊपर परीक्षण नहीं किया क्योंकि जनता उस तरह के खतरों को उठा नहीं सकती थी। इसके विपरीत हमने केवल उन्हीं बातों को व्यावहारिक रूप दिया जो उसी तरह की स्थिति में अच्छी तरह से परीक्षित हो चुकी थीं। हमारा उद्देश्य यही था कि हम इन बातों का ज्ञान जनता को करा दें और जनता के दिमाग को इस तरह तैयार कर दें कि वह उन्हें अपनाने के लिए सोचने लगे।[४] [५२.१३]

---

[४] प्रदर्शन के तीन सोपानों वाले होरेश होम्स के व्याख्यान को देखिये—पृष्ठ १८०-१८३

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[२—**पूर्ति व्यवस्था**—विश्वास के विकास के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, इस बात का निश्चय करा देना कि विकास कार्य के लिए जब और जिस स्थान पर जिस चीज की आवश्यकता होगी तभी वह सामग्री पहुँच जायगी। योजना के सहयोगियों को लिखे गये निम्नलिखित पत्र से इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि यदि जनता को निराश नहीं करना है तो और पूर्ति कार्य को पूरा करने के लिए कितनी सावधानी और पूर्ण प्रयास की आवश्यकता है।]

पूर्ति व्यवस्था वाले प्रश्न के दो भाग हो जाते हैं: (अ) वह भाग जिस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं और हमें करना चाहिए; (ब) वह भाग जो हमारे नियंत्रण के बाहर है और जो रेल के डब्बों के मिलने पर या प्रान्तीय या राष्ट्रीय पूर्ति के परिमाण की स्वीकृति पर निर्भर है। (आगे बताया गया है कि यह भाग भी हमारे नियंत्रण के बिलकुल बाहर नहीं है)।

हमारे काम के लिए विश्वसनीय पूर्ति व्यवस्था से अधिक महत्व की कोई दूसरी बात नहीं है। उचित पूर्ति व्यवस्था का अर्थ हैं: आवश्यक मात्रा में, अच्छी किस्म की सामग्री का ठीक समय और ठीक मूल्य पर मिलना। हमारे सिद्धान्त का प्रमुख अंश यही है कि कभी जनता को धोखा देकर निराश न करो। यदि कोई ऐसी बात है, जिसे हम नहीं कर सकते, तो उसके करने की हमें हामी नहीं भरनी चाहिए। यदि हम जनता को यह बात समझा देंगे, तो वह नाराज न होगी। जब तक हमें पूर्ण विश्वास न हो तब तक किसी बात के बारे में वादा नहीं करना चाहिए। यदि किसी बात का वादा कर लिया तो उसे पूरा करना ही होगा, उसमें धोखा नहीं होना चाहिए। प्रसार कार्य में सामाजिक जीवन की तरह ही वादा करके उसे पूरा न करने से बढ़ कर दूसरा अक्षम्य पाप नहीं है।

(अ) **वह भाग जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है**—इससे मेरा मतलब उस अंश से है, जिसे पहले से विचार करके हम जिले से या प्रान्त से प्राप्त कर सकते हैं। यहां यह बहाना नहीं करना चाहिए कि वह वस्तु जिले में नहीं मिल सकती क्योंकि यदि वही चीज प्रान्त में मिल सकती है, तो पहले से सोच विचार कर हमें प्रान्त से ही उसके लिए आर्डर भेज कर मंगा लेना चाहिए था। यह कहना सबसे थोथी और भद्दी बात होगी कि "अमुक वस्तु जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से नहीं प्राप्त हो सकी" या "जिले के पशुपालन अधिकारी के यहां यह चीज उपलब्ध नहीं है।" जनता के सामने अपने पक्ष का समर्थन करने या पूर्ति न होने के कारणों को समझाने के लिए जिले के वे उच्च अधिकारी नहीं आयेंगे। हर हालत में जनता तो यही समझेगी कि हम लोगों ने ढिलाई की और मांगों को उन अफसरों के सामने उस समय रक्खा जब वे उसका प्रबन्ध नहीं कर सकते थे। जिला नियोजन अधिकारी भी यह कह सकेंगे कि चूंकि उनके विभाग के किसी एक अधिकारी ने उन्हें समय पर सूचना नहीं दी इसलिए वे कुछ न कर सके। इस तरह की असफलता तो ऊपर से नीचे तक के सभी कार्यकर्त्ताओं की असफलता है, और उसके लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा।

आमतौर पर पूर्ति की व्यवस्था निश्चित रूप से की जा सके इसके लिए हम लोग काफी सजग रहते हैं। लेकिन "काफी सजग" रहने भर से ही काम नहीं चलेगा। इस तरह की असफलताओं के करीब तीन-चार अवसर आये हैं, जो नहीं आने चाहिए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

थे। यहाँ कुछ सुझाव दिये जाते हैं जिन पर अमल करने से ऐसी असफलताएँ दूर की जा सकती हैं, या उनकी संख्या कम से कम की जा सकती है :

(१) सभी योजनाओं को काफी समय पहले से ही तैयार करना चाहिए। ऐसे कार्य-संचालन, कार्यक्रमों या समय क्रम को तैयार करना चाहिए जो अगले एक वर्ष के लिए या आगे आने वाले तीन-चार महीनों के लिए लागू हों।[५] पूरे वर्ष के लिए कार्यक्रम बनाना अधिक अच्छा होगा। समय समय पर यह जाँच भी करनी होगी कि उसमें किसी रद्दोबदल की जरूरत है या नहीं। काम के हर विभाग के लिए इस तरह के अलग अलग कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिए और उनमें से हर एक में पूर्ति का एक स्तम्भ हो जिसमें यह लिखा होगा कि किन किन चीजों को मंगाने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा दूसरी दो सावधानी की बातें और हैं।

सभी विभागों के लिए जिन चीजों की पूर्ति की जरूरत होगी, उन सबको एक अलग सूची में दर्ज किया जाये। ऐसा करने से जिला नियोजन अधिकारी आसानी से जल्दी ही आवश्यक सामग्री की जांच कर सकेगा और कोई चीज छूटने न पायेगी। (कसिया की विकास योजना के वार्षिक सम्मिलित पूर्ति की तालिका नम्बर १ से यह स्पष्ट हो जाता है कि सावधानी के लिए किस तरह के संक्षिप्त विवरण की आवश्यकता पड़ती है)।

किसी खास स्थान पर कौन चीज किस तिथि पर उपयोग के लिए दी जानी चाहिए, इस विवरण के अलावा एक दूसरा विवरण भी रहना चाहिए जिसमें उस खास तिथि से काफी पहले उस चीज के आ जाने की तिथि दर्ज रहे ताकि जिला नियोजन अधिकारी माल के मिलने वाले स्थान से काफी पहले ही माल के मंगाने का आर्डर दे दें। इसमें देर-सबेर की भी गुंजाइश रहेगी। उसे चीजों के मंगाने का केवल आर्डर देकर बैठ नहीं जाना चाहिए किन्तु समय के बहुत पहले से उसे आर्डर मिलने की स्वीकृति भी मिल जानी चाहिए, ताकि यह सवाल ही न पैदा हो कि पत्र या तार ठिकाने से नहीं पहुंचा। जब तक योजना क्षेत्र के माल-गोदाम में सामग्री न आ जाय तब तक लगातार पता लगाते रहना चाहिए।

कितने पहले कार्यक्रम बनाया जाय, यह परिस्थिति विशेष पर निर्भर होगा।

(२) आर्डर भेजने के बाद सबसे पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि जो आर्डर भेजा गया है वह उस आढ़त या कार्यालय को मिल गया जिसे वह आर्डर भेजा गया था। यह बात बहुत सरल मालूम होती है किन्तु इसके अभाव में बहुत से झगड़े खड़े हो चुके हैं। योजना वाले यह कहते थे कि आर्डर भेजा गया था। आढ़त या कार्यालय वाले कहते थे कि उन्हें आर्डर नहीं मिला।

(३) इस बात का पता लगा लेना चाहिये कि किस गोदाम से या केन्द्र से वह निर्धारित वस्तु मिलेगी यानी कीड़े मारने वाली दवा गैमेक्सीन अथवा कृषि के औजार किस शहर और कार्यालय से मिलेंगे। तब उनका अनुसरण करना चाहिये। बीजों के सम्बन्ध में यह पता लगाना चाहिये कि किस जिले से वे मिल सकेंगे तब सीधे उस जिले से पूछताछ कर लेनी चाहिये। यदि आवश्यकता हो तो माल मिलने के स्थान

---

[५] पृष्ठ १७० के नम्बर २ के नक्शे के रूप में इस तरह की समय-सारिणी का नमूना दिया गया है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तालिका—१

पूर्ति तालिका, १९५३-५४, कसिया योजना क्षेत्र के लिए, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	विषय	लक्ष्य मन	स्थानीय प्राप्य परिमाण (मन)	दियेजाने वाला परिमाण (मन)	प्राप्ति स्थान	प्राप्ति स्थान यह होगा	पूर्ति की पहली और अन्तिम तिथि
१	उन्नतिशील बीज गेहूं एन० पी० ५२	७,५००	शून्य	७,५००	जैसा कि जिला योजना चार्ट में अंकित है	उपसंचालक बेसिक बीज गोदाम	मई-१ मई-२० १९५३
२	उन्नतिशील बीज गेहूं सी० १३	५००	शून्य	५००	,,	,,	,,
३	उन्नतिशील बीज जौ २५१	१,२००	शून्य	१,२००	,,	,,	,,
४	उन्नतिशील चना ८७	१,०००	शून्य	१,०००	,,	,,	,,
५	उन्नतिशील मटर १६३	९००	शून्य	९००	,,	,,	,,
६	आलू बीज दार्जिलिंग	५००	शून्य	५००	,,	उपसंचालक [मुख्यालय]	सितम्बर १९५३ का अन्तिम सप्ताह और अक्टूबर १९५३ का प्रथम सप्ताह
७	धान एन० २२	२,०००	२,०००	शून्य	,,	शून्य	मार्च १९५३
८	पछियांव धान डी० १००	५००	शून्य	५००	,,	उपसंचालक बेसिक बीज गोदाम	मार्च १९५३
९	काला चना टी० १	२००	२००	शून्य	,,	,,	,,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पर अपना आदमी भेज देना चाहिये। स्थानीय वितरण और माल रखने के प्रबन्ध के बारे में भी उसी तरह निश्चय कर लेना चाहिये।

(४) समय के पहले ही माल मिलने के स्थान पर ही माल की उत्तमता की जांच कर लेनी चाहिये, क्योंकि बीजों के बारे में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है।

(५) यदि किसी कारण आपको आशंका हो जाय कि माल मिलना निश्चित नहीं है तो विकास आयुक्त के कार्यालय में मदद के लिए कोशिश करनी चाहिये। खास खास मौकों को छोड़कर ऐसा करना जरूरी नहीं होगा। किन्तु माल पाने में असफल होने से तो अच्छा यही है कि इस तरह की कोशिश कर ली जाय।

(६) माल मिलने की व्यवस्था के बारे में उपेक्षा या सुस्ती मत कीजिए। यहां कमी बेशी का सवाल नहीं है। यदि आपकी मांग का ९० प्रतिशत भाग समय से मिल जाता है और १० प्रतिशत भाग के आने में देर हो जाती है तो यह मत सोचिये कि ९० प्रतिशत सफलता मिलनी एक बहुत बड़ी चीज है और १० प्रतिशत की कमी नगण्य है। क्योंकि १० प्रतिशत की कमी काफी अहितकर हो सकती है। १०० प्रतिशत से कुछ भी कम होना ठीक नहीं मानना चाहिये क्योंकि यदि हम डटकर कोशिश करें तो पूरी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

(ब) वह भाग जिस पर हम खुद ही सीधे नियंत्रण नहीं रख सकते—इसका ऐसे मामलों से सम्बन्ध है, जैसे ईंटों के भट्ठों के लिए कोयले का चूरा, पक्के कुओं के लिये सीमेन्ट या सफाई वाले नलकूपों के लिए लोहा। यह चीजें बहुत दूर से आती हैं और इन पर कई तरह के सरकारी नियंत्रण हैं। हमारा काम चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, किन्तु यदि हम जनता की माँगों की तालिका ले लें और सामग्री समय पर न दिला सकें तो जनता हमें ही दोषी ठहरायेगी। जनता पक्के कुएँ बनाना चाहती है। उसके लिये उन्होंने कच्ची ईंटें तैयार कर लीं, किन्तु समय पर ईंटों को पकाने के लिये कोयले का चूरा न मिल सका और बरसात में कच्ची ईंटें नष्ट हो गईं। ऐसे मामलों में हमारे प्रति उनका विश्वास उठ जाता है।

इटावा में ईंट के भट्ठों का एक बड़ा कार्यक्रम बनाया गया और उसे कोयला मिलने की वर्त्तमान कठिनाइयों के बावजूद कोयले का चूरा उचित समय पर मिल गया। मैं थोड़ी देर के लिये ध्यान पाल सिंह से मिला और इस बात का मैंने निश्चय कर लिया कि समय के महीनों पहले परमिट मंगा लिये जायं, इसका उद्देश्य यह था कि परमिट ऐसे समय से मिले जिससे कोयले के वैंगन जुलाई से अक्टूबर तक यानी वर्षा के शुरू में माल लाद कर रवाना किए जा सकें, क्योंकि इसी अवसर पर इस तरह की माल ढुलाई सबसे कम होती है। एक विश्वसनीय कोयले का व्यापारी चुना गया और उससे यह गारन्टी ले ली गई कि वैंगनों की पूरी संख्या का कम से कम ९० प्रतिशत तो पहुंचा ही दिया जायेगा, साथ ही कोयला भी अच्छी किस्म का रहेगा। इस गारन्टी के साथ उससे २० रुपये प्रति वैंगन के हिसाब से जमानत इस शर्त पर जमा करा ली गई कि ९० प्रतिशत माल के पहुंचने पर ही यह लौटाई जायगी।

परमिट पाने के लिए जिलाधीश की सिफारिश जरूरी होती है। इसके बाद अन्य बातें भी की गईं जिनका वर्णन हमने पहले भाग में किया है, जिसमें तार आदि का देना या प्रान्तीय आयरन एन्ड स्टील कन्ट्रोलर के पास आदमी भेजना भी शामिल है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

३—बाहरी सहायता के महत्व और खतरे—यद्यपि आम तौर पर जनता की बहुत अधिक सहायता करने से उसमें आत्म विश्वास की भावना का संचार नहीं होता, तो भी सरकारी या अन्य लोगों द्वारा केवल पथ-प्रदर्शन करने के अलावा कुछ भौतिक सहायता पहुंचाना एक महत्वपूर्ण बात है।

इसके अनेक कारण हैं :—पहली बात तो यह है कि शुरू शुरू में गांव पूरी रकम नहीं दे सकता। दूसरी बात और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि उन्हें दूसरों के प्रोत्साहन और सम्मान की आवश्यकता है। दूसरों की सहायता से ही इस तरह का प्रोत्साहन मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की जा सकती है अथवा कठिनाई से मिलने वाले सामानों को कन्ट्रोल दर पर प्राप्त करने के लिए परमिट ही उन्हें दिला दिये जायं।

हमने बाहरी भौतिक सहायता की उपयोगिता पर जोर दिया है, किन्तु यह तभी सम्भव है जब वह केवल एक प्रतीक के रूप में हो और स्वावलंवन को प्रोत्साहन दे। कभी कभी वह बाहरी सहायता जिसके लिये वादा किया जा चुका है अन्त में मिल नहीं पाती या तो इसलिए कि वह समय पर न मिलकर देर में मिलती है या अधिकारियों के तबादले के कारण नीति ही बदल जाती है। कभी कभी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति यह वादा कर लेता है कि वह काम शुरू होते समय वहां उपस्थित होगा किन्तु समय पर वह आ नहीं पाता। ऐसी बातें प्रायः होती रहती हैं और कार्यक्रम के लिए घातक सिद्ध होती हैं। [५१.६]

कार्य की रीति का ज्ञान

विकास कार्यों को चुनने के लिए तीसरी कसौटी है "कार्य की रीति का ज्ञान"। गांवों के काम की रीति का ज्ञान सफल तभी हो सकता है जब उसे व्यावहारिक रूप में करके दिखा दिया जाय। इसी बात को उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि सलाहकार होरेस होम्स ने अपने "प्रदर्शन प्रणाली" वाले व्याख्यान में समझाया है, जो यहाँ दिया जाता है। यह व्याख्यान इटावा प्रशिक्षण शिविर में ग्राम सेवक प्रशिक्षार्थियों को दिया गया था।

"आप में से बहुत से लोगों ने यह सुना होगा कि किसान बहुत सुस्त और आलसी होता है; किसी नये विचार को स्वीकार करने के लिए वह जल्दी तैयार नहीं होता या किसी परिवर्तन को खुशी से नहीं अपनाता। मैं आपको दावे के साथ यह बताना चाहूंगा कि हर देश का किसान रूढ़िवादी या पुराने विचारों का होता है। इटावा जिले के, अमेरिका के, फ्रांस के, मैक्सिको के या संसार के किसी भी देश के किसानों पर यही बात लागू होती है। वह रूढ़िवादी केवल इसीलिए होता है कि वह अपने काम में चुस्त होता है। वह ऐसे आदमियों की सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं होता जो केवल यह सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि किसान रूढ़िवादी होते हैं। यदि किसान सबूत न चाहते, यदि वे प्रत्यक्ष फल को न देखना चाहते, यदि वे इस बात के लिए सावधान न रहते कि वे उन्हीं चीजों को अपनाएं जिन्हें वे अच्छी तरह नहीं जानते तो दुनिया में आज तक जितने अकाल पड़ चुके हैं, उनसे कहीं अधिक संख्या में अकाल पड़े होते। संसार भर में गांव वाले लोग करीब-

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करीब एक ही से हैं। वे ऐसी चीजों को बदलने के लिए तैयार रहते हैं जिनके बारे में वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे अधिक लाभ पहुंचायेंगी।

"कुछ भी हो, किसान बहुत ही व्यावहारिक होते हैं। वे केवल कोरे तर्कों को सुनना नहीं चाहते, वे चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न हों, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रकृति माता केवल बहस ही नहीं सुनती। और किसान प्रकृति का बालक होता है। वह प्रत्यक्ष फल देखना चाहता है; वह केवल ऐसे आदमियों से कुछ काम करा के देखना चाहता है, जो उसके काम को उससे कहीं अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं। क्या यह एक आश्चर्य की बात है कि एक किसान किसी चीज को ग्रहण करने में देरी लगाता है और ऐसे विचारों को स्वीकार करने से इन्कार कर देता है जिनको ऐसे लोग उसके सामने रखते हैं जो उस काम को खुद करके दिखा नहीं सकते। क्या यह एक बुद्धिमानी का काम होगा कि किसान किसी शिक्षक से खेत जोतने-बोने के नये तरीकों को सीखने के लिए तैयार हो, जबकि वह शिक्षक स्वयं जोत-बो नहीं सकता? क्या यह उचित है कि एक किसान से यह आशा की जाय कि वह अपने साल भर के काम और अपने कुटुम्ब के भरण पोषण के अनाज की उपज को खतरे में डालकर ऐसे आदमी की सलाह के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो जाय, जो अपनी पद्धति को व्यावहारिक रूप से करके दिखा न सके?

"इन्हीं विचारों के कारण ग्रामीण जनता के साथ काम करने के लिए व्यावहारिक प्रदर्शन इतने महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। किसान इस प्रकार की सहायता लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे सुधारों को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहते हैं। किन्तु वह यह देख लेना चाहते हैं कि क्या ये सुधार सचमुच सुधार हैं भी?

"आप जवानों को जो अग्रगामी योजना में आये हैं, अनेक बातें बहुत ही रोचक मालूम होंगी। मैं आप लोगों को यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप इस बात की मांग करें कि आपको भी काम करके दिखाया जाये। आप लोग प्रदर्शनों को देखें, उनके परिणाम की नाप जोख करें, उनका परीक्षण करें, और किसानों के अनुभवों को प्राप्त करने के लिए उनसे बातें करें, आप इस बात का पता लगायें कि कौन सी बात असल में कारगर होती है। आपको हर सुझाव का सबूत मांगना चाहिए और उसे तह तक समझना चाहिए।

"भारत परीक्षणात्मक फार्मों और प्रयोगशालाओं से प्राप्त ज्ञान का भंडार ही है। इस ज्ञान का अधिकांश किसानों को बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ऐसे ज्ञान में जिसकी किसानों को जरूरत है, प्रदर्शनों के अलावा और भी अनेक बातें सम्मिलित हैं। क्षेत्रीय कार्य के लिए किसानों की स्थितियों के अनुसार ही ऐसी वैज्ञानिक सूचनाएं बताने और समझाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक सूचनाओं में ही ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिनके पालन से किसानों के खेत और उनके पशु कहीं अधिक उत्पादक हो सकते हैं, उनके घर अधिक सुखद बन सकते हैं, उनके कुटुम्ब अधिक स्वस्थ हो सकते हैं और उनके गांव अधिक उत्तम बनाये जा सकते हैं। जो व्यक्ति किसानों की सहायता करना चाहता है, उसे उन पद्धतियों से जिन्हें किसान जानते हैं अधिक अच्छी पद्धतियों को जानना चाहिए और उनके अनुसार कार्य करके दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

"प्रसार कार्यकर्त्ता के रूप में आपका यह कर्त्तव्य है कि आप अपने मस्तिष्क को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्रशिक्षित करें, साथ ही आपके हाथ भी प्रशिक्षित और कुशल हों तथा काम करके दिखाने के लिए तैयार हों। सवाल केवल यही है कि आप में से जो भी यह सब कर सकेंगे, वे ही अपने देश को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने में अधिक सफल हो सकेंगे। ऐसा करते हुए आप को इस बात का महान संतोष प्राप्त होगा कि आपकी इस देन से वह आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी जिसके लिए हम सब इतने इच्छुक हैं।"
[५०.२]

ग्रामीण जीवन के लिए जिस व्यावहारिक ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता है वह कोई कठिन वस्तु नहीं। आम-तौर पर उसके लिए किसी पेंचीदे विदेशी आयात की आवश्यकता नहीं है। प्राविधिक सुधार में सरलता लाने के विषय पर श्री एल्बर्ट यामर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए लिखी गई एक पुस्तिका में लिखा है :

गाँवों के विकास कार्य के सम्बन्ध में प्राविधिक सुधार के विषय में नकारात्मक रूप में बहुत अधिक कहा गया है। इसमें सन्देह नहीं है कि उत्तम रीति का अपना महत्त्व-पूर्ण स्थान है। पर बिना उसके भी बहुत अधिक काम किया जा सकता है। तो भी यह बताना लाभदायक ही होगा कि अधिक उन्नत प्राविधिक विशेषज्ञ और प्राविधिक तरीके बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं।

सबसे पहले तो ऐसे इंजीनियरों को प्रशिक्षित करके तैयार करना होगा जो स्थिति के अनुसार खुद अपने हाथों से काम करें। उनकी योग्यता, उनके प्रशिक्षण, उनकी महत्त्वाकांक्षा और उनकी लगन को विकास कार्य में लगानी पड़ेगी। यदि केवल कुछ ही बातों में सीमित नहीं रहना है, और काम को प्रभावोत्पादक ढंग पर चलाना है, तो ऐसे व्यावहारिक इंजीनियरों की आवश्यकता अनिवार्य रूप से पड़ेगी। छोटे मोटे सुधार प्राविधिक विशेषज्ञों के अनुसार शायद काफ़ी न हों। परन्तु सुधरी हुई यही व्यावहारिक रीति है, जिससे यथार्थ कार्य को यथा सम्भव सफलता के दर्जे तक पहुँचाया जा सकता है।

प्राविधिक रीति से दूसरा स्थान है उन सुधारों का जो वर्तमान व्यवस्था के भीतर किये जा सकते हैं और जिनके कारण कार्य-सम्पादन में अधिक सफलता मिल सकती है। [यहां हम सुदूर भविष्य के सम्बन्ध में विचार नहीं कर रहे हैं, वरन् अगले कुछ वर्षों पर ही हमारी दृष्टि है]। इस प्रकार के सुधारों के लिए जरूरी है सचेतन प्रशिक्षित मस्तिष्क और कल्पनाएं, किन्तु इनका आधार सामान्य मसलों पर होना चाहिए।

यहाँ केवल एक ही उदाहरण दिया जाता है :—गृह निर्माण क्षेत्र में मिट्टी की दीवालों वाले निर्माण कार्य में बहुत सुधार की गुंजाइश है। किन्तु यदि इस तरह के सुधारों के लिए ऊंचे दर्जे के प्राविधिक ज्ञान की जरूरत पड़े जिसके बल पर मिट्टी के किस्मों की ठीक ठीक जाँच की जाये, और यह निर्णय किया जाये कि कौन चीज कितने अंश में मिलाई जाये, और यदि ऐसे पदार्थों के मिश्रण या उपयोग का निर्णय किया जा सके जो विदेशों से या दूसरे स्थानों से मंगाये जायें, तो स्थानीय दृष्टि से सुधारों की उपयोगिता बहुत कम हो जायेगी। यह बात याद रखनी चाहिए कि प्रश्न यह नहीं है कि अधिक उत्तम घर अधिक सस्ते ढंग पर बनाये जायें। आमतौर पर पश्चिमी देशों के अनेक क्षेत्रों में तो यही प्रश्न है भी। किन्तु भारत के देहाती

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

क्षेत्रों में तो तात्कालिक प्रश्न यही है कि देहातों में इस समय जो निम्न श्रेणी के घर हैं, उनके स्थान पर अधिक अच्छे किन्तु साधारण ढंग के घर कैसे बनाये जायें, जिनके बनाने में न तो अधिक खर्च ही पड़े और न उसके लिए किसी पेंचीदी प्राविधिक रीति के ज्ञान की ही जरूरत पड़े। [५१.६]

यथार्थवादी योजना के सिद्धान्त

विकास कार्यक्रमों से संबंध रखने वाले कार्यों का जब एक बार निश्चय हो जाये, तब उन कार्यों के उच्च स्तर, समय तथा वितरण के संबंध में निश्चय करना चाहिए साथ ही उनसे निकलने वाले परिणामों का अध्ययन भी करना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि विभिन्न तत्वों को एक विशिष्ट योजना में संगठित रूप से मिलाया जाय। उत्तर प्रदेश की अग्रगामी योजना के अनुभव के कारण यथार्थवादी योजना के विशेष सिद्धान्त का रूप निखर कर सामने आने लगा। श्री मायर ने अपने सहयोगियों को और इस विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को जो पत्र लिखा था, वह नीचे दिया जाता है। उसमें लक्ष्य निर्धारण, कार्य तालिका निर्माण, आत्म परीक्षण सम्बन्धी सिद्धान्तों पर विचार किया गया है।

ग्रामीण विकास के लिए तैयार की गई यथार्थवादी योजना के दो मुख्य शत्रु हैं :—

एक तो है मुख्यालय से आने वाले आज्ञा पत्र। मुख्यालय में बैठे हुए किसी उच्च अधिकारी के दिमाग में एकाएक कोई ज्वलंत विचार उत्पन्न होता है। जल्दी जल्दी योजनाएं तैयार हो जाती हैं। कागज पर ये योजनाएं बहुत उत्तम दीख पड़ती हैं और उन्हें बनाने वाले उनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। किन्तु योजना बनाने वालों के विचार के अनुसार ये योजनाएं उतनी सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं की जा सकतीं।

दूसरे शत्रु हैं क्षेत्र में काम करने वाले वे लोग जिनसे उन योजनाओं के संबंध में पहले से कुछ भी नहीं पूछा जाता; क़िन्तु जो इतना साहस नहीं कर सकते कि यह कह दें कि इन योजनाओं के अनुसार कार्य नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने में जो खतरा रहता है उसका सामना करने के लिए वे तैयार नहीं होते। फल यह होता है कि क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता इस तरह की ऊपर से थोपी गई योजनाओं का दिखावे के रूप में स्वागत करते हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के वादे करते हैं।

आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये ही हमारे दो शत्रु हैं और अनेक रूपों या प्रकारों में बराबर सामने आते हैं। उनका विष कुछ अंशों में घटा है। हर बार जब ये बुराइयाँ सामने आती हैं—तब हम अनेक कठोर, दृढ़ एवं सतत प्रयत्नों द्वारा उन्हें शक्तिहीन कर देते हैं। किन्तु हम उन्हें निर्मूल नहीं कर सकते। हम हर बार इस संबंध में उन्नति कर रहे हैं। तो भी इस बुराई के कीटाणु आज भी हमारे संगठनों में मौजूद हैं और समय समय पर जोर पकड़ जाते हैं। प्रश्न यह है कि सहानुभूति रहित कट्टर या हतोत्साहित हुए बिना यथार्थवादिता को कैसे लाया जाये। [५३.५]

[इसके कुछ बहुत स्पष्ट उदाहरण आगे दिये जा रहे हैं।]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सफलता के लिए लक्ष्य

मैने और मेरे भारतीय सहयोगी राम सहाय ने उन सरकारी अधिकारियों के साथ क्षेत्र में पिछले दो सप्ताह बिताए, जिनसे यह आशा की जाती है कि वे विकास कार्य कर रहे हैं। इस बार हर क्षेत्र में कार्यकर्त्ताओं का ऐसा दल कार्य कर रहा है, जो हम लोगों के द्वारा नहीं चुना गया है। उसमें बहुत अधिक रद्दोबदल करनी पड़ेगी। साधारण तौर पर वे लोग सद्भावना वाले प्रतिभाशाली नवयुवक हैं और वे अच्छा काम करना चाहते हैं। किन्तु वे इस बात को बिल्कुल नहीं समझते कि व्यवस्थित नियोजन क्या है, उसे कैसे कार्यान्वित किया जाये और उसमें क्या क्या बातें शामिल हैं। वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और गांववालों के सामने एक या दो जोरदार व्याख्यान देने के बाद कुछ थोड़ा सा काम एक जगह कर देते हैं, थोड़ा दूसरी जगह।

वे अपने सुझावों को हमें दिखाते हैं। इसके बाद हम असली स्थिति को और उस काम को जिसे वे कर चुके हैं और कर रहे हैं, देखते हैं। मान लीजिए कि हम कृषि प्रदर्शन कार्यक्रम को देखते हैं।

हम उस कृषि अधिकारी से पूछते हैं कि "एक ग्राम सेवक को कितने कृषि प्रदर्शन करने चाहिए?" कृषि अधिकारी ने खुद तो एक भी प्रदर्शन नहीं किया है। पर जवाब मिला—दो सौ।

"दो सौ? बुआई या धान रुपाई के मौसम में कितने दिन होते हैं?"

अधिकारी महोदय सही उत्तर देते हैं "दस दिन"।

"तो इसके मतलब यह हुए कि एक ग्राम सेवक प्रतिदिन बीस प्रदर्शन कर सकता है। क्या कोई आदमी बीस प्रदर्शन ठीक से कर भी सकता है?" हमने पूछा।

कृषि अधिकारी उत्तर देते हैं—"लेकिन ऊपर से यही तादाद निश्चित की गई है।"

"आप की बात ठीक हो सकती है। पर आप खुद ही हिसाब लगाकर देखिए। ग्राम सेवक को बीज देना पड़ता है। एक खेत से दूसरे खेत का फासला भी काफी रहता है; किसान प्रदर्शन के लिए प्रतीक्षा करता हुआ हमेशा बैठा नहीं रह सकता; हमेशा बैल भी तैयार नहीं रहते।" कृषि अधिकारी इन बातों पर गौर करते हैं और कहते हैं—"एक दिन में शायद दो या तीन प्रदर्शन पूरी तरह से किये जा सकते हैं।"

और संयोग से यही तादाद हमने अपने अनुभव से उचित पाई थी। खास तौर पर हमारे नये ग्राम सेवकों के संबंध में यही तादाद ठीक निकली थी। किन्तु हमारे इस अधिकारी ने खुद ही सोच समझ कर इस तादाद को निश्चित किया था, उसने हमारे कहने ही से उसे नहीं मान लिया था। इसलिए उसके मन में कोई बुरा भाव पैदा नहीं हुआ और न उसे सबके सामने मूर्ख बनना पड़ा। दूसरे लोग भी इन बातों को सुन रहे थे और अपनी राय दे रहे थे। सभी समझ सकते हैं कि कार्यक्रम स्थानीय तत्वों से विकसित होता है। सुनी सुनाई बात के आधार पर कार्यक्रम मंजूर नहीं करना चाहिए। लोग जब अपना कार्यक्रम बनाने में पूरा भाग लेते हैं तो उसे पूरा करने के लिए उनके मन में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। २०० प्रदर्शन कराने की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बात ऐसी ही हुई जैसी एक पुरानी कहानी में है कि एक राजा कपड़े उतार कर बाहर निकला। सभी लोग यह देख रहे थे, पर कोई बोला नहीं। पर एक लड़के ने कह दिया— "अरे राजा तो नंगा है।" और सभी लोग सोचने लगे कि इस बात को तो वे सब पहले से ही जानते थे।

इसके बाद हम पूर्ति के प्रश्न पर आते हैं। आपको समय से कितने पहले उस वस्तु की आवश्यकता है ? और अपने क्षेत्र में उस वस्तु को लाने के लिए आपके पास ढुलाई के क्या क्या साधन हैं ? उस वस्तु को वितरित करने के लिए दूसरे किन साधनों की जरूरत पड़ेगी ? उस ऋतु में दूसरे किन कामों को प्राथमिकता दी गई है ? सड़कों की मरम्मत ? मलेरिया निरोधक कार्य ? दूसरे शब्दों में यह कहा जायेगा कि आप एक योजना बनाते हैं, समय सारिणी तैयार करते हैं, प्राथमिकता दिये जाने वाले कार्यों का निश्चय करते हैं। पर यह सब करते हैं आवश्यकता के साथ उन साधनों का मेल बैठा कर, जो मानवशक्ति, सामग्री, आवागमन के साधन, गांवों में पाई जाने वाली मानवीय जागृति के रूप में पाये जाते हैं।

दूसरे शब्दों में नियोजन का कार्य कठिन है। बहुत व्यवस्थित और विस्तृत योजना बनाकर सावधानी से उसका संचालन करना होता है। अन्दाजिया बात बनाने का सवाल नहीं। नियोजन का मतलब इस तरह के कार्य से भी नहीं है कि किसी उच्च अधिकारी ने जिन लक्ष्यों को निर्धारित कर दिया, उन्हें आपने स्वीकार कर लिया; चाहे उनके संबंध में आपको कुछ भी पता न हो कि आप उन्हें पूरा भी कर सकेंगे या नहीं। इस कारण किसी एक लक्ष्य के लिए तैयार हो जाना चाहिए, उसे कार्यान्वित करना चाहिए, बाद में उसका अनुसरण करना चाहिए और दूसरे लक्ष्यों को सामने रखकर उसकी परख करनी चाहिए ताकि इसका निश्चय किया जा सके कि क्या उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यह भी देखना चाहिए कि उनमें से कौन लक्ष्य सफल बनाया जा सकता है और वह भी किस हद तक। जब योजना में कोई अंग शामिल कर लिया जाता है तो वह केवल शोभा वाला अंश नहीं रह जाता, वरन् दूसरे सभी कामों का वह आवश्यक अंग बन जाता है। योजना का हर अंग चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, काफी जटिल होता है, उसके हर पहलू में घटनाओं की श्रृंखला जुड़ी रहती है।

यह एक कठोर सिद्धान्त है। आप सोचेंगे कि चूंकि यह बहुत कठिन काम है इसलिए लोग इससे दूर ही रहना चाहेंगे। किन्तु इसका एक आकर्षक पहलू भी है।

अब आप इस विषय पर, उसके विस्तार और अंगों पर घण्टों विचार करेंगे और उसे विकसित करेंगे; अथवा खुद जनता को ही उसे विकसित करने में सहायता देंगे, तब आपको प्रकाश, प्रोत्साहन और स्फूर्ति के दर्शन होंगे। लोग उत्साह से भर जायेंगे। वे आगे की बातें जानना चाहेंगे। वे सबसे नीचे के स्तर के लोगों से, ग्राम सेवक से और गांव वालों से सलाह लेने के आदी हो जायेंगे। वे ऐसी प्रारम्भिक बातें जानना चाहेंगे जिनसे निर्माण कार्य चलाया जा सके।

यह कहा जा सकता है कि जो भी चर्चा में भाग लेगा, वह बिना बदले नहीं बचेगा। उसे नई राह अवश्य दीख पड़ेगी। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ लोग बाद में पीछे हट जायेंगे इसका धीरे धीरे असर होने देना चाहिए और बाद में इसे फिर नये सिरे से शरू करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी निकलेंगे जो इसे समझ तो लेंगे, किन्तु

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इसके अनुसार काम न कर सकेंगे। ऐसों को अन्त में निकाल फेंकना चाहिए। हर हालत में यह एक उत्साह वर्धक, संतोषदायक अनुभव है। यह उसी तरह है जैसे गर्मी के मौसम के बाद शीतल वर्षा और सुगंधित वायु के झोंके। [५१.१]

नमूने के लक्ष्य

अग्रगामी योजना में विकसित रीतियों द्वारा नियोजित वार्षिक कार्यक्रम में काम की सभी शाखाओं के लिए लक्ष्य शामिल रहते हैं। इसका हर एक लक्ष्य उन ग्राम सेवकों और गांव वालों द्वारा निश्चित किया जायेगा, जो स्वयं उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे।

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया ब्लाक के लिए १९५३-५४ के लिए तैयार की गई योजना को एक नमूने के रूप में लिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लक्ष्यों को किस तरह विस्तार पूर्वक निश्चित किया जाता है। इसमें ग्यारह मुख्य मदें हैं और चालीस गौण मदें। उन्हीं के अन्तर्गत सैकड़ों खास-खास लक्ष्य हैं जो एक दूसरे से सम्बन्धित हैं।

उदाहरण के लिए, कसिया के कृषि संबंधी लक्ष्य आठ अनुच्छेदों में दिये गये हैं। उनमें से सिंचाई और उर्वरकों से संबंध रखने वाले दो अनुच्छेद स्पष्टीकरण के लिए नीचे दिये जाते हैं। ठीक इन्हीं के कुछ अन्य अनुच्छेद दिये जाते हैं जिनमें मिट्टी का बचाव, कृषि का प्रसार, सुधरे हुए बीजों का उपयोग, व्यावसायिक उपजों की बृद्धि, उपज की रक्षा और खेती की सुधरी हुई रीतियों के लक्ष्यों को विस्तार से दिया गया है। कृषि संबंधी लक्ष्यों की इस सूची के साथ ही योजना का वह दूसरा और तीसरा परिच्छेद भी है जिसमें फलों की खेती (बागवानी) और पशुपालन का विवरण है।

१—कृषि

	लक्ष्य
१. सिंचाई	
(अ) सरकारी नलकूप	३०
(ब) पक्के कुएं	१००
(स) परित्युक्त कुएं	१००
(द) कुओं की बोरिंग (खुदाई)	५०
(क) रहट	१०
(ख) पम्प	५
(ग) तालों को गहरा करना	५०
(घ) बांध बांधना	शून्य
२. उर्वरक खाद	
(अ) कम्पोस्ट के गड्ढे	३०००
(ब) पशुमूत्र एकत्र करने के गड्ढे	६०००
(स) खांई के नमूने के पाखाने	१००

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(द) हरी खाद

	लक्ष्य
(१) सनई ...	... २७० एकड़ (३०० मन)
(२) काला चना नं०टी १	.. ९७५ एकड़ (२०० मन)
(३) ढ़ेंचा ...	... ४० एकड़ (३० मन)
(४) लोबिया ...	... ४० एकड़ (२० मन)

कसिया की उसी योजना में सम्मिलित जनस्वास्थ्य कार्य-क्रम को देखने से दूसरे तरह के लक्ष्य स्पष्ट हो जायेंगे।

४—जन स्वास्थ्य

	लक्ष्य
(१) गांव की सफाई	...२०५ गांव
(२) पीने के शुद्ध जल की पूर्ति	
(अ) नये कुओं का निर्माण	३०
(व) पुराने कुओं की मरम्मत	१००
(स) हाथ के पम्प	१०
(३) गांव की आबादी के अन्दर ईटों की गलियां	१ गली
(४) गाँव की आबादी के अन्दर ईटों की नालियाँ	५ मील
(५) टीके	२५०००
(६) पानी सोख गड्ढे	१२००
(७) मलेरिया निवारण कार्य...	सभी २०५ गांवों में
(८) औषधि पेटियां	६०
(९) दाइयों का प्रशिक्षण	१०
(१०) नेत्र चिकित्सा कार्य	...१ शिविर
(११) गांवों में सड़कों पर रोशनी का प्रबन्ध... ...	... ४ गांव

हरिजनों के बीव में समाज कल्याण के कार्यो और कुटीर उद्योगों के साधारण उद्देश्यों के विवरण (जो नीचे दिये जाते हैं) से योजना का अन्त होता है।

१०—हरिजन कल्याण

	लक्ष्य
(१) घरों में सुधार	५ घर
(२) पीने के पानी की पूर्ति	३० गांव
(३) शिक्षा	शून्य
(४) उद्योग	शून्य

११—कुटीर उद्योग

(१) बढ़ईगिरी और लोहारी के प्रशिक्षण के लिए कक्षाएँ	१
(२) दर्जीगिरी के प्रशिक्षण की कक्षाएँ	१
(३) चमड़े का काम	१ केन्द्र
(४) कताई बुनाई	२०० केन्द्र

जब लक्ष्यों की इस तरह की पूर्ण सूची एक बार तैयार कर ली जाये तो बाद में तारीखों और समयों के अनुसार इसी से विस्तृत समय सारिणी भी तैयार की जा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सकती है (जैसे, तालिका २)। इसके अलावा योजना को सफल बनाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी उन्हें इसी में से छांट लिया जाये और इस तरह वार्षिक पूर्ति चार्ट भी इसी से तैयार कर लिया जाये (जैसे, तालिका १)।

कार्यों और उत्तरदायित्वों का चार्ट बनाना

हर योजना क्षेत्र अपनी वार्षिक कार्य योजना को तैयार करता है। और महीने-महीने के और एक-एक दिन के चार्ट बनाता है, जिनमें हर कार्य की शाखा के लिए अलग-अलग कालम रहते हैं। यह काम बहुत अच्छा है। इन्हें सुधारते रहना चाहिए और अधिक सजीव बनाते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए मासिक प्रगति के चार्टों का हिन्दी में अनुवाद करा लेना चाहिए और केन्द्रीय गांव के मुख्यालयों में जहां मीटिंगें होती हैं लगा देना चाहिए ताकि सभी कार्यकर्त्ता देखें और उनका अध्ययन करें। हो सकता है कि खुद गांव वाले भी उनकी जांच करें। उसमें एक कालम और बढ़ा देना चाहिए ताकि उसमें लक्ष्यों की सफलता दिखाई जा सके, और उसमें प्रतिदिन की प्रगति दर्ज रहे जिससे सभी लोग यह जान सकें कि हम कहां तक पहुंचे, कहां योजना के हिसाब से चल रहे हैं, कहां उससे आगे बढ़ गये हैं और कहां हम पीछे पड़ रहे हैं।

इस बात का साफ साफ पता दे देना चाहिये कि अध्यक्ष कौन है, जिम्मेदारी किस पर है, ताकि दल की सम्मिलित कार्यवाली भावना से व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना में कमी न आये।

आमतौर पर यह देखा जाता है कि चार्टों में तैयारी के सोपानों, गांव वालों के सहयोग के सोपानों और कौन जिम्मेदार हैं, इस पर न तो पूरी तरह से जोर ही दिया जाता है और न खास तौर से बताया ही जाता है। जिम्मेदारी के इन विवरणों को जोड़ देने से यह प्रभाव पड़ेगा कि कार्य सम्बन्धी चार्ट जितने प्रभावशाली आज हैं उससे कहीं अधिक प्रभावशाली हो जायेंगे। [५३.४]

दकियानूसी लक्ष्य निर्धारण बनाम मौलिक लक्ष्य निर्धारण

योजना के कार्यक्रमों को तैयार करने में एक कमजोरी है दकियानूसी विचार-धारा, जिसके कारण यह निश्चित कर दिया जाता है कि "प्रत्येक ग्राम सेवक के जिम्मे तीन वार्षा टाइप के पाखाने रहेंगे" अथवा "हर ग्राम सेवक को विवरण के लिये दस मुर्गियां दी जायें" या "पौधों की तैयारी के लिये स्कूलों के हातों में दस पौधघर हों।"

इस तरह की कल्पनाशून्य योजना की कोई उपयोगिता नहीं समझी जाती। कुछ परिस्थितियों में जहाँ आवश्यकता अनुभव की जा रही हो और गाँव वाले कार्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हों, वहाँ तो इस तरह के समान और विस्तृत रूप से विभाजित मद उचित माने जा सकते हैं। उदाहरण के लिए : कृषि प्रदर्शन अथवा सिंचाई के कुओं सम्बन्धी मद। किन्तु जिन परिस्थितियों का जिक्र ऊपर किया गया है, योजना को बिल्कुल दूसरे ढंग पर तैयार करना ही अच्छा होगा। इसका कारण

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

यह है कि आमतौर पर प्रारम्भिक स्थिति में आवश्यकता का सभी को अनुभव नहीं होता। ऐसी दशा में सबसे महत्वपूर्ण है तैयारी, कार्य विशेष पर अधिकाधिक ध्यान और बाद में उन कार्यों की देखभाल।

ऐसे मामलों में सबसे अच्छा यह होगा कि प्रथम वर्ष के लक्ष्य में यह न रक्खा जाये कि "हर एक ग्राम सेवक को इतना काम पूरा करना है"। इसके स्थान पर जहाँ स्थिति सब से अधिक अनुकूल हो वहाँ कहीं एक या कहीं दो तीन गाँव चुन लिए जायें। वहाँ हम ठीक से तैयार की गई योजना को गाँव वालों के सहयोग, तैयारी, अनुसरण और देखभाल द्वारा अच्छी तरह चला सकते हैं।

यदि हम सफल हो गये या सफल हो रहे हों, तो दूसरे गाँव वाले उन कामों को देखेंगे। और तब हम दूसरे सोपान के रूप में जल्दी से उस तरह के कामों को बढ़ा सकते हैं और यह लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं कि "इतने-इतने काम प्रति ग्राम सेवक के हिसाब से पूरे किये जायें।" इस तरह के चुनिन्दा लक्ष्य निर्धारण से दकियानूसी पद्धति के मुकाबले में हम अपनी सफलता बढ़ा सकते हैं और असफलता या आंशिक असफलता कम कर सकते हैं। पहले वर्ष (कार्य करने की) हमारी गति में जो कमी होगी, उसे हम बाद के वर्षों में पूरा कर लेंगे।

कुछ मौलिक विचार

बलिया में एक गाँव था जो शुरू शुरू में हमारे कार्य के विरुद्ध था। हम में से किसी की भी साधारण प्रतिक्रिया यही होती कि इसे हम एक चुनौती मान लेते। वहीं अपने ग्राम सेवक को सक्रिय रखते, उसे उसी गाँव में दत्तचित्त होकर सघन रूप से रकाम करने में सहायता देते ताकि वह वहाँ के वातावरण में परिवर्तन ला सके, औ अच्छे फल की आशा करते। यह एक उत्तम पद्धति होती।

किन्तु बलिया ने एक दूसरे उपाय से काम लिया। वहां के कार्यकर्त्ताओं ने चुनौती को तो मान लिया, किन्तु उस गाँव के लोगों से कहा "अच्छी बात है, यदि आप हमें नहीं चाहते, तो हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं।" और वे उस गांव से हट भी गये। किन्तु उस गाँव को भुलाया नहीं। उस गाँव वाले भी दूसरे स्थानों पर होने वाले कामों के अच्छे नतीजों को देखते रहे। कुछ महीने बाद वे लोग अपने एक नेता के साथ योजना के किसान मेले में आये और उन्होंने फिर से बात शुरू की। वे लोग अब तक बहुत उत्सुक हो उठे थे। जिला नियोजन अधिकारी ने किसी बात पर जोर नहीं डाला। हाँ वे उन से सम्पर्क बनाये रहे। उन्होंने यह बात भी साफ साफ कह दी कि यदि स्थानीय कार्यकर्त्ता को गाँव वाले कुछ खास तरह की सहायता देने का वचन दें तो हमारा ग्राम सेवक उनके गांव में फिर से वापस जा सकता है। जब हमारा ग्राम सेवक पहले पहल उस गाँव से हटाया गया था, उसके करीब आठ महीने बाद उस गाँव में बहुत अच्छे आधार पर फिर से काम शुरू किया गया और तब से अब तक अच्छी तरह काम चल रहा है।

इस तरह की नीति हमेशा नहीं अपनाई जा सकती। एक नये विचार और विश्लेषण के उदाहरण के रूप में इसका वर्णन किया गया है। यह उस पद्धति से भिन्न है जिसे 'दकियानूसी योजना' या नकली योजना कहा गया है। [५३.७]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

योजना के प्रयत्नों की तालिका

सघनता : एकाग्रता और प्रसार—वैसे तो गाँवों की और गाँवों की सारी आवश्यकताओं की एकता और व्यापकता ही हमारा कार्य क्षेत्र है, फिर भी यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि हम उसके ढांचे को ठीक से समझ लें। पर किसी खास समय के लिये योजना बनाने और कार्यान्वित करने का सिद्धान्त है चुनाव और सघनता। किसी खास समय के भीतर ही या करीब-करीब सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करना योजना बनाने वालों की शक्ति के बाहर है। और इससे गाँव वाले भी उलझन में पड़ सकते हैं। साथ ही यह अनावश्यक भी है। क्षेत्र में काम के अनुभव से पता चलता है कि यह अधिक उत्तम है कि महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के एक छोटे अंश को चुनकर उन्हें सफल बना लेना चाहिये। ठोस सफलता से गांव में आत्म-विश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। और उससे दूसरी आवश्यकता भी जागृत होती है। और उनके सफल होने की सम्भावना बढ़ जाती है। इस रीति की तुलना हम प्रगतिशील शिक्षा से कर सकते हैं—उसमें पहले पहल एकाग्रचित्त होकर और कार्य करते हुए सीखना; आत्मविश्वास का विकास करके और अन्त में नई परिस्थिति या आवश्यकता होने पर फिर से उस कार्य को करने का साहस करना।

कार्य में सफलता लाने वाली इस पद्धति पर एकाग्रता और प्रसार की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। अभी एक दूसरे से सम्बन्धित कार्य के केन्द्र बिन्दु हैं—सुधरी हुई कृषि (जो ग्रामीण सांस्कृतिक जीवन का मुख्य स्रोत है और जिससे ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था का सबसे बड़ा भाग जुड़ा हुआ है); सार्वजनिक स्वास्थ्य; ग्रामीण क्षितिज का विकास कार्य में सहयोग देना और इसके द्वारा तथा सड़कों, स्कूल और अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए किये गये प्रयत्नों द्वारा सुधार हुआ। [४९.२]

वातावरण तैयार करके एकाग्रता में असफल होने का कारण है किसी खास समय में बहुत अधिक मदों को ले लेना। जो बहुत से मद एक साथ लिये जाते हैं, उन सब को साथ ही साथ पूरा कर सकने के लिए प्रर्याप्त समय नहीं रहता। उदाहरण के लिए : कुछ नये योजना क्षेत्र पहले से ही समाज केन्द्र, स्थाई पुस्तकालय आदि खोल रहे हैं। यदि किसी खास स्थान पर इन मदों के लिए जनता में प्रबल उत्सुकता हो तब तो ठीक है, नहीं तो सघन विकास कार्य से उत्पन्न होने वाली बातें तभी सबसे अधिक सफल हो सकती हैं, जब प्रौढ़ शिक्षा और सामुदायिक चर्चा के प्रयत्न के द्वारा जागृति फैल चुकी हो।

पाखानों और गांव की पक्की गलियों आदि सार्वजनिक स्वास्थ्य के काम के लिये हम काफी संगठन कर रहे हैं। उनका केवल निर्माण ही न किया जाय बल्कि वे अपनी कार्य प्रणाली के अनिवार्य अंग बन जायं। अनुभव से पता चलता है कि ये कार्य कुछ बाद में ही ठीक से किये जा सकेंगे, जब गांव में कुछ कार्य हो जाय और हमारे काम के प्रति जनता कुछ अभ्यस्त हो गई हो और उसके लिये आरम्भिक प्रयास पहले से किया जा चुका हो। [५३.४]

तो भी हर स्थिति को, हर नये क्षेत्र में गांवों के नये समूह को और कभी-कभी उस क्षेत्र के विभिन्न भागों का नये सिरे से निरीक्षण कर लिया जाये, ताकि यह निश्चय हो सके कि अग्रगामी योजना के कार्यों का किस प्रकार का तारतम्य और समय-क्रम रक्खा जाये। उदाहरण के लिए : एक योजना में सड़कों की आवश्यकता, स्थानीय बाढ़

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रोक वाली योजनाओं, और मकान बनाने के कार्य-क्रम को जनता सबसे अधिक आवश्यक मानती थी। अग्रगामी योजनाओं के साधारण कार्यक्रम के स्थान पर जन-हित के ये कार्य सबसे पहले प्रारम्भ किये गये। [५१. ६]

[अग्रगामी योजनाओं के अनुभव से पता चलता है कि अपने प्रयत्नों को अनेक कार्यों के विस्तृत क्षेत्र में फैला देने के बजाय, एक छोटे से निश्चित क्षेत्र में पूर्ण रूप से लगाना, उसकी आवश्यकता को समझना और उसकी देख-भाल कार्यकर्त्ताओं के लिए सबसे कठिन मालूम पड़ती है। जब कभी हम इस कठोर मार्ग से विचलित हुए, तभी गलतियां और असफलताएं सामने आईं। ग्रामीण सफलता के लिये एकाग्रचित हो एक ही कार्य में लगना बहुत महत्वपूर्ण है।]

योजना को समय-सारिणी के अनुसार तैयार करना

[वर्ष के कार्यों की निश्चित तालिका बना लेनी चाहिये। वह केवल जनता की तैयारी के सम्बन्ध में ही न हो, वरन् निश्चित कार्यों को एक दूसरे से संबंधित करे, साथ ही अगले वर्ष के लक्ष्यों को लेकर उन्हें निश्चित तिथियों, स्थानों और कार्यकर्त्ताओं के अनुसार विभाजित कर दे। ऐसा होने से योजना के कार्य को नियंत्रित करने में बहुत साहूलियत होती है। इस प्रकार बनी हुई समय-सारिणी वर्ष की योजना के कार्यों को ठीक से चलाने में सहायक होती है। पूर्ति की आवश्यकताओं का पहले से ही विचार कर लिया जाता है, रीतियों के हिसाब से कार्य पहले ही से इस प्रकार संतुलित कर लिये जाते हैं जिससे योजना के कार्यकर्त्ताओं पर एकाएक अधिक भार न पड़े। ग्राम सेवक भी इस समय-सारिणी को सामने रखकर प्रति सप्ताह अपने प्रयत्नों की योजना बना सकते हैं। उदाहरण के रूप में गाज़ीपुर अग्रगामी योजना (तालिका २) की एक वार्षिक समय-सारिणी का नमूना यहाँ दिया जाता है।]

"फल" और फल

कठोर लक्ष्य निर्धारण, एकाग्रतापूर्ण कार्य और समय-सारिणी निर्माण के साथ एक खास खतरा भी है: सफलताओं के लिये अत्यधिक उत्सुकता।

कार्य को यदि ढीला-ढाला नहीं रखना है तो सफल कार्य के लिये लक्ष्य निर्धारण अनिवार्य हो जाता है। परन्तु सफलता दिखाने के प्रयत्न से बचना चाहिये। उचित अध्ययन, समय निर्धारण, क्षेत्र की तैयारी, कार्य संचालन, तथा देख-भाल के बिना भी परिणाम दिखाया जा सकता है, पर यह थोड़े दिनों तक ही चल सकता है। [५१. ६]

क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के एक स्वतंत्र सम्मेलन में दो आदमियों ने मुझसे बातें कीं। उन्होंने कहा, "हम बहुत ही भ्रम में पड़ गये हैं। आप महसूस की हुई आवश्यकताओं की बात करते हैं, कहते हैं कि कार्य में ऊपरी दबाव न डाला जाय, और वातावरण को बदल दिया जाय। यह सब बहुत ही सरल पद्धतियां हैं। इसके बाद हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने का प्रयत्न करते हैं। पर लक्ष्य तो कठोर और सुनिश्चित होते हैं। आप दोनों का मेल कैसे बैठाते हैं?"

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तालिका २

गाजीपुर अग्रगामी योजना के लिये वार्षिक कार्यक्रम, जुलाई १, १९५१—जून ३०, १९५२

माह	तारीख	विषय	गवाँ	लक्ष्य	किसके द्वारा कार्य	टिप्पणी
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(११)	(१२)
जुलाई १९५१	१	पछवां धान किस्म नं० ९ और किस्म नं० १०० के विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों का पूर्व रूप	चुने हुये गाँव	२५ प्रदर्शन प्रत्येक ग्रामसेवक; कम से कम ५ हर गाँव में	ग्राम सेवक	जून में खेतों का चुनाव और बीज का वितरण पूरा कर लेना चाहिये
		अरहर किस्म नं० ६६ के विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों का पूर्व रूप, बीज का बोना		५ प्रदर्शन प्रत्येक ग्राम सेवक	,,	,,
		अरहर के लिये सांस्कृतिक प्रदर्शनों का पूर्व रूप, बीज का कतारों में बोना		,,	,,	,,
		काला चना किस्म नं०१ के प्रदर्शनों का पूर्व रूप		१ एकड़ प्रत्येक ग्राम सेवक	,,	,,
		वृक्षारोपण आन्दोलन आरम्भ			,,	
	१०	वर्षाकालीन फसल प्रतियोगिता के लिये किसानों को चुनना			,,	
	१५	आलू के बीजों की मांग इकट्ठा करना			,,	
		गुरजर हलों के लिये मांगपत्र इकट्ठा करना		१० हल प्रत्येक ग्राम सेवक	,,	
		वर्षाकालीन साग-सब्जी के बीजों के अंकुरित होने की जांच				
	२०	वृक्षारोपण आन्दोलन चालू रहता है				
	२५	आलू के बीजों के लिये इंतजाम शुरू करना			जिला सहकारी अधिकारी	

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मैंने कहा, "हमें गाँव वालों के लिये योजना के पाक्षिक पत्र 'मंदिर से' का उदाहरण लेना चाहिये।"[७] हम लोगों ने एक अगस्त को यह तय किया था कि इसकी ग्राहक संख्या १५०० तक बढ़ा दी जाय, और आप जानते हैं कि मैं इसके लिये बहुत उत्सुक हूँ। यदि आप इसमें सफल हों तो यह एक अच्छी बात भी होगी और बुरी भी। यदि आप अपने इस उद्देश्य में ज़ोर डालकर सफल हुए, हर ग्राम सेवक से और गांव वालों से कहना पड़ा कि 'आपको हमारी मदद करनी चाहिये, मायर साहब आ रहे हैं,' या यह कि 'मंत्री जी आ रहे हैं और हमें अपनी निर्धारित संख्या को पूरी कर ही देना है,' और इसके बाद बड़े जोर शोर से उसके लिये कोशिश करके उसे करा लिया, तो हमारी दृष्टि में इस तरह की सफलता बेकार होगी। यह तो पुरानी पद्धति होगी। किन्तु यदि हम अपने उस लक्ष्य को पूरा कर लें, केवल इस आधार पर कि जनता रोचक समाचारों को, मौसिमी सहायता और जनहित की महत्वपूर्ण सूचनाओं को पाते रहने के कारण पत्र को पसन्द करे; यदि हमारे द्वारा चलाई गई प्रौढ़ शिक्षा और जन चेतना के विकास के कारण पत्र की मांग बढ़े, तो हमारे दृष्टिकोण से वह सच्चा लक्ष्य होगा, वह हमारी प्रगति की असली माप होगी।" [५२.१३]

कार्य विवरण

[इटावा तथा अन्य अग्रगामी योजनाओं और बाद में सामुदायिक विकास योजनाओं से ली जाने वाली रिपोर्टों की प्रणाली बहुत अच्छी नहीं रही। जिन क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं को तथ्यों को एकत्र करने और फार्मों को भरने की जरूरत पड़ती है, उन्हें रिपोर्टों को तैयार करने में आवश्यकता से अधिक समय लगता है। और शायद उन रिपोर्टों में आशा से कम ही ज्ञानवर्धक सूचनाएं रहती हैं। रिपोर्टों की परिपाटी को सुधारने के लिये अब भी महत्वपूर्ण योग देना है। इसकी बहुत आवश्यकता भी है। रिपोर्टों के सम्बन्ध में अपने खास ढंग को समझाने, उन्हें अधिक उपयुक्त बनाने और उनमें सुधार सम्बन्धी सुझाव देने के लिए जो उनकी टिप्पणियाँ श्री मायर ने भेजी थीं उनमें से कुछ यहाँ दी जाती हैं।]

यदि हमारे अनुभव से कुछ खास नतीजे निकलते हैं, तो उन अनुभवों को सावधानी से लिख लेना बहुत अधिक महत्व रखता है। इससे हमारी अग्रगामी योजना अधिक व्यापक रूप में कार्यान्वित की जा सकेगी। [५३.४]

मैं इन चीजों को केवल व्यक्तिगत उत्सुकता के कारण ही नहीं चाहता, यद्यपि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे इनमें बहुत अधिक दिलचस्पी है—क्योंकि लिखित रूप से इन चीजों का रखना महत्वपूर्ण है। मेरा ऐसा विचार है कि योजना के प्रारम्भ के अनुभवों और कठिनाइयों को आमतौर पर भुला दिया जाता है, क्योंकि कुछ समय बाद हर योजना बिना बाधा के चलने लगती है। किन्तु किसी भी भविष्य की योजना के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन है यह अनुभव होना कि किस तरह कठिनाइयों से बचा जाय और कार्य में विलम्ब रोका जाय, जिससे व्यर्थ में समय और शक्ति नष्ट न हो। यद्यपि यह बात यहां पूरी तरह लागू नहीं होती, तो भी अपने नगर निर्माण के व्यापार के समय हम यह कहा करते थे कि किसी भी संगठन की

---

[७] "मंदिर से" के विवरण के लिये पृष्ठ २०४-२०८ देखें।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सच्ची कसौटी है वह योग्यता जिसके द्वारा किसी भी काम को अच्छी तरह से शुरू किया जाय और बिना अधिक गल्तियां किए हुये समाप्त किया जाय, क्योंकि किसी काम का आदि और अन्त ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, मध्य नहीं भी। इसमें सन्देह नहीं कि काम के मध्य वाले समय में भी हमारे काम में बहुत सी कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं। [४८.३]

रिपोर्ट की साधारण रीति यह है : (१) नियमित पाक्षिक रिपोर्टें; (२) ऐसी रिपोर्टें जिनमें उस तारीख तक पूरी होने वाली एक एक मद के पूरे फल दिखाए गए हों, जैसे कृषि-उत्पादन, टीके, कुओं की सफ़ाई, सड़कों की लम्बाई आदि; (३) सालाना रिपोर्टें; (४) विशेष मसलों या सफलताओं सम्बन्धी विशेष रिपोर्टें (इस तरह की रिपोर्टों के अनेक उदाहरण पहले ही दिए जा चुके हैं)। शुद्ध बीज की वसूली से सम्बन्ध रखने वाली अनेक दूसरी रिपोर्टें पेश की जा चुकी हैं।

कुछ टिप्पणियां

१---**पाक्षिक रिपोर्टें**---ये बहुत संक्षिप्त होती हैं। इनमें केवल तथ्य दिए जाते हैं। जब कभी कोई महत्वपूर्ण मसला उठता है या सफलता प्राप्त होती है, तब उसके लिए अलग खास रिपोर्ट बनाई जाती है। तो भी दो रूप में पाक्षिक रिपोर्ट ही अधिक परिचय देने वाली होती है :

(अ) किसी खास दिलचस्प घटना या मसले के खास महत्व का कुछ लम्बा विवरण दिया जाता है, यद्यपि उसकी विस्तृत रिपोर्ट बाद में भेजी जाती है। उदाहरण के लिए; योजना का किसान मेला, अथवा धान नगीना २२ की कोई मिली जुली पौध और यह सुझाव कि धान में लगने वाले कीड़ों को मारने के लिए गैमेक्सीन नामक दवा दी जायगी, क्योंकि ऐसी बातों से किसानों को जल्दी ही विश्वास हो जाता है। कुछ मामलों में पाक्षिक रिपोर्ट के साथ एक पृष्ठ अलग लगाकर भेजना उचित होता है। इससे कभी-कभी यह लाभ होता है कि इस तरह की बातों की जानकारी में सूचना विभाग या समाचार पत्र अधिक दिलचस्पी रखते हैं। केन्द्रीय मुख्यालयों को इससे उचित समय पर आवश्यक बातों को समझ लेने में भी आसानी होती है।

(ब) हर हालत में जब कभी खास रिपोर्ट भेजी जाए तो उसका ज़िक्र पाक्षिक रिपोर्ट में फौरन कर देना चाहिए। इसके साथ ही वह तिथि भी बता देना चाहिये जब उस तरह की खास रिपोर्ट भेजी जायगी। इससे सारी बातें सुसम्बंधित हो जाती हैं।

२---**पूरी सफलताओं की संयुक्त रिपोर्टें**---आमतौर पर यह रिपोर्टें इस ढंग से तैयार नहीं की जातीं कि उनसे अधिक से अधिक महत्व या प्रभाव प्रकट हो। यहां पर कई उदाहरण दिए जाते हैं :

एक रिपोर्ट में यह दिया गया कि ८०० कुओं में पानी साफ करने वाली दवा डाली गई। यह प्रभावोत्पादक और महत्वपूर्ण तो है, किन्तु यह न तो उतनी प्रभावोत्पादक ही है और न इससे खास सूचना ही मिलती है, जितनी कि इस प्रकार के विवरण से हो सकता है कि उस क्षेत्र में केवल उतने ही कुएं थे और नियम-पूर्वक सभी की सफाई की गई। इस महत्वपूर्ण बात का तब पता चला जब इस पर बाद में बहस हुई।

दूसरी रिपोर्ट में यह दिखाया गया था कि १,६०,००० घन फुट मिट्टी उस

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तारीख तक तालाबों से निकाली गई। किन्तु इससे यह साफ़ पता नहीं चलता कि एक गांव के एक तालाब से मिट्टी निकाली गई या पांच गांवों के पांच तालाबों से। [५२.६]

क्या हमारा काम इस तरह चल रहा है कि उससे पहले वाले काम की स्थिति का या बाद वाले काम का मुकाबला किया जा सके? क्या हम ऐसे लेख तैयार कर रहे हैं जिनमें ये बातें स्पष्ट हो जाएं? हम सभी जानते हैं कि हर तरह की योजनाओं के संचालक हमेशा कामयाबी का दावा करते हैं। किन्तु सफलताओं की रूप-रेखा और उनसे सम्बन्ध रखने वाले लक्ष्य ठीक से नहीं दिए जाते। फल यह होता है कि कोई भी किसी बात को निश्चयपूर्वक नहीं जान सकता। [४८.३]

३---**वार्षिक रिपोर्टें**---आमतौर पर इन रिपोर्टों में केवल तथ्य ही रहते हैं, तथ्यों के बारे में विस्तृत विवरण या काफी जानकारी नहीं दी जाती। असल में इस रिपोर्ट में यह उचित होगा कि तथ्यों से निकलने वाले कुछ नतीजे ही लिये जाएं, उन पर कुछ मसले उठाए जाएं और साल भर पूरे कामों और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में खास बातें बतलाई जाएं। यहां भी कार्यों का विवरण मात्र रहता है। उदाहरण के लिये एक मद में यह दिया गया है कि चेचक के ५४४० टीके लगाए गए। इसके क्या अर्थ होते हैं? क्या इससे यह समझा जाए कि ग्राम सेवक के कार्यक्षेत्र के एक-एक गांव को लेकर आठ गांवों में सभी को टीके लगाए गए अथवा ५१ गांवों में केवल थोड़े-थोड़े लोगों को टीके लगाये गए? क्या इन टीकों से पूरी तरह से चेचक की रोकथाम की गई या कुछ खास गांवों में चेचक की बीमारी फैली और केवल उन्हीं गावों में टीके लगाए गए? यदि रोग को दूर करने के लिए ऐसा किया गया हो तो उससे जनता की उन्नति के रूप में उतने महत्व की बात न होगी जितना रोग की रोकथाम के रूप में होती।

दूसरा उदाहरण: ताल खोदने के सम्बन्ध में यह देना चाहिए कि क्या यह सब काम गांव वालों ने बिना सरकारी सहायता के किया गया है, और यदि सहायता लेकर किया गया है तो कितनी सहायता ली गई?

ऊपर वाले मदों के बारे में सुझाव देने का यह मतलब नहीं है कि सभी मदों की खास तफसीलों पर ही जोर दिया जाय। मैंने रिपोर्टों को पढ़ा और उसके बाद जहां पर काम किए गए थे, वहाँ पर जाकर बातचीत के बाद बहुत से तथ्यों का पता लगाया और तब रिपोर्ट की बातें समझ में आईं। उन्हीं अनुभवों को सामने रखकर मैंने यह सुझाव दिया है कि रिपोर्ट संक्षिप्त होते हुए भी इस तरह तैयार की जाती है जिससे काफी बातों का पता चल सके और उनसे अधिक लाभ उठाया जा सके।

४---**विशेष रिपोर्टें**---यह बहुत ही उपयोगी और ज्ञान वर्धक होती हैं। इटावा, गोरखपुर और आजमगढ़ से आने वाली रिपोर्टें खास तौर पर लाभदायक थीं। ये दो तरह की हैं:

(अ) जिनमें किन्हीं खास सफलताओं का विस्तृत विवरण हो, उदाहरण के लिए, किसान मेला, पैदल यात्रा, गोरखपुर में गन्नों का विश्लेषण, इटावा के ईंट भट्ठों का कार्यक्रम। इन रिपोर्टों में शुरू से लेकर अब तक की बातें पूरी तौर पर बताई गई हैं।

(ब) वे रिपोर्टें जिनमें किसी ऐसे मसलों के विवरण हैं जो हल नहीं किए जा सके हैं, उदाहरण के लिए, बीजों की वसूली। ऐसी रिपोर्ट या घटना चक्रों (Case

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

histories) में से अधिकांश बहुत ही लाभदायक हैं । ऐसी रिपोर्ट केवल केन्द्र वालों के लिए या दूसरी योजनावालों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उस योजना वालों के लिए भी उपयोगी है जो इन्हें तैयार करते हैं । इसका कारण यह है कि यदि ईमानदारी से काम किया गया है तो रिपोर्ट का लेखक सारे अनुभवों को सावधानी से जांच कर देखेगा । वह सारी बातों का मूल्यांकन अधिक अच्छी तरह कर सकेगा और यह देख सकेगा कि कहां सुधार किए जा सकते हैं ।

जब ऐसी रिपोर्ट तैयार हो जाती है तब क्या उसे योजना में कार्य करने वालों और इस तरह के कामों में दिलचस्पी लेने वाले दूसरे लोगों में भी उसे वितरित करते हैं अथवा हम उन्हें केवल मुख्यालयों को ही भेज देते हैं ?

रिपोर्टों के सम्बन्ध में इस चर्चा को पूर्ण करने के लिए यह सावधानी जरूरी है कि हमें ऐसी रिपोर्टों की जरूरत है, जिनमें से तुरन्त सूचनाएं मिल सकें । किन्तु इसके साथ ही यह भी ध्यान रहे कि कार्य के लिए आवश्यक समय और शक्ति पर ऐसी रिपोर्टों की तैयारी का बोझ न पड़े । ऐसा न हो कि हम इन कागजी रिपोर्टों की तैयारी में ही फंसे रहें । [५२. ६]

निरीक्षण और आत्म-परीक्षण

[औपचारिक रिपोर्टों के अलावा अनौपचारिक आत्म-परीक्षण भी सफल नियोजन के लिए सबसे अधिक महत्व की बात है । साथी कार्यकर्त्ताओं को लिखे हुए निम्न पत्र में आत्म-परीक्षण की उन पद्धतियों का वर्णन है जो विभिन्न स्तर के कार्यकर्त्ताओं पर लागू होनी चाहियें ।]

समय-समय पर हमें अपने कामों को इस तरह देखना चाहिये मानों हम बाहर वालों के रूप में उसे देख रहे हैं । यह बात मुख्यालय से आने वाले दर्शकों, जिला नियोजन अधिकारी तथा डिप्टी प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव आफिसर पर खास तौर पर लागू होती है । बहुत अंशों में यह कार्यकर्त्ता दल के हर सदस्य पर लागू होता है । प्रायः हम अपने कामों में इतने अधिक लगे रहते हैं, और नये कामों और विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इतने उत्सुक होते हैं कि कभी-कभी हमें आत्म-परीक्षण और मूल्यांकन के लिए समय ही नहीं मिल पाता ।

किसी निरीक्षणात्मक दौरे के समय सबसे सरल बात यह होगी कि अपने साथ सहायक विकास अधिकारी या ग्राम सेवक को ले लिया जाय और यह देखा जाय कि क्या काम चल रहा है । यही साधारण रीति होनी चाहिए और है भी । क्योंकि हम न केवल गांव को देखते हैं, बल्कि हम यह भी देख सकते हैं कि हमारे सहयोगी कार्यकर्त्ताओं और गांव वालों के आपसी सम्बन्ध क्या हैं । किन्तु इस पद्धति की कुछ सीमाएं हैं । स्वाभाविक रूप से ग्राम सेवक उन आदमियों के पास जाता है जिसके साथ मिलकर वह सबसे अधिक काम करता है, उन प्रदर्शनों को दिखाता है जिनके सम्बन्ध में वह अच्छी तरह जानता है और उन मित्रों से सम्पर्क स्थापित करता है जिन्हें उसने अपना मित्र बना लिया है । किन्तु इसके अलावा दूसरे आदमियों के सम्बन्ध में क्या बात है, गांव में कितने आदमियों के पास तक वह पहुँच चुका है और कितने आदमी अछूते छूट गए हैं ?

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इन कारणों से कभी कभी हमें गांव में अकेले जाकर देखना चाहिए । स्वतन्त्र होकर अकेले घूमना चाहिए, जो भी अनायास मिल जाए उससे बातें करनी चाहिए, तथा इस बात का पता लगाना चाहिए कि क्या वे हमें ठीक से जानते भी हैं और क्या उन्हें इस बात का पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या वे अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें लाभ पहुँच रहा है? हमारे सम्बन्ध में उनके क्या विचार हैं? है तो यह एक बहुत ही सीधी सी बात, किन्तु यह एक काफी अच्छी पद्धति हो सकती है । इसके द्वारा कभी-कभी बहुत ही आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण बातों का पता चल जाता है ।

जो कोई भी मौके पर जाकर आत्म-परीक्षण वाली पद्धति को अपनाए, उसे मैं एक बात से सावधान कर देना चाहता हूँ, क्योंकि यदि सावधानी से इसका उपयोग न किया गया तो इससे लाभ के बजाय हानि अधिक हो सकती है । हमें अपने सहयोगियों, अपने सहायक विकास अधिकारियों और ग्राम सेवकों को समय के पहले ही यह साफ-साफ बतला देना चाहिये कि व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करना हमारी योजना और पद्धति का एक अंग है । गांव वाले या हमारे सहयोगी इसका यह मतलब हरगिज़ न लगाएं कि हम जासूसी तौर पर या एकाएक जाकर किसी बात का पता लगाना चाहते हैं या हम उनके यथाशक्ति परिश्रम पर सन्देह करते हैं । उनको यह बात साफ-साफ समझा देनी चाहिए कि इस तरह का आत्म-परीक्षण केवल इसलिए किया जा रहा है कि उससे उनके काम में सहायता मिलेगी, हमें खुद ही सारी बातों का पता लग जाएगा और हम जो कुछ देखेंगे उससे उनके काम में मदद पहुंचेगी । यदि इस भावना से यह काम न किया गया और यदि वे इस बात को अच्छी तरह न समझ सकें तो इस तरह का व्यक्तिगत निरीक्षण नहीं करना चाहिए ।

ग्राम सेवकों और क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्त्ताओं द्वारा आत्म-परीक्षण

इसे करने के अनेक तरीके हैं । उनमें से एक यह है कि गांव के अधिक से अधिक लोगों से सम्बन्ध स्थापित किया जाए । यह न हो कि केवल उन्हीं लोगों से मिला जाए जो हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं और हर विकास कार्य में आगे रहते हैं ।

दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका यह है कि प्रौढ़ शिक्षा समारोहों में हम अक्सर जाएँ । वह भी ऐसे समय जब रात्रि कक्षा में किसी विषय पर सामूहिक विकास चर्चा चल रही हो, और जब हम लोगों को बोलते हुए सुन सकें । लोगों से सम्पर्क स्थापित करने की दृष्टि से और उनके विचारों को जानने की दृष्टि से भी यह हमारी पद्धतियों में सबसे अच्छी पद्धति हो सकती है । इससे हमें अपनी चीजों को समझाने और उन्हें कार्यान्वित कराने का अवसर मिलेगा और आत्म-परीक्षण का मौका भी मिलेगा ।

आमतौर पर जिस तरह का हम काम कर रहे हैं, उसमें यह प्रवृत्ति होती है कि बड़ी-बड़ी सभाएं की जाएं और उसके बाद उसी दिशा में अपने काम को बढ़ाने के लिये हम गांव के व्यक्तियों और छोटे बड़े दलों से मिलें, प्रौढ़ शिक्षा समुदाय केन्द्र में होने वाली सभाओं, पंचायत मीटिंगों आदि में सम्मिलित हों ।

गांव में किसी ऐसी आम सभा में, जिसमें अधिक लोग भाग ले रहे हों, जाने से बहुत महत्व का काम हो जाता है । उससे जनता की राय का पता चल जाता है और यह बात मालूम हो जाती है कि जो काम हम कर रहे हैं, उससे जनता कितनी सन्तुष्ट

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

या असन्तुष्ट है। एक वर्ष काम कर लेने के बाद किसी भी योजना के लिए यह बहुत जरूरी बात होगी कि भिन्न-भिन्न गांवों में बहुत सी सभाएं की जाएं। उस समय तक हमारे सम्बन्ध में लोगों को इतना अनुभव हो जायेगा कि वे हमारे काम के सम्बन्ध ठीक राय कायम कर सकेंगे। उनकी राय हमारे पक्ष में भी हो सकती है और विपक्ष में भी। यह भी हो सकता है कि वे हमारे काम से उदासीन हो जाएँ। इस तरह की सभाओं से लोगों में यह भावना पैदा हो जायेगी कि जो कुछ भी वे सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, उससे सचमुच हम दिलचस्पी ले रहे हैं। हमें भी यह अवसर मिलेगा कि हम उनका महत्व समझ लें। [५३.७]

गांवों से सम्पर्क

प्रभावशाली काम के लिए विशेष सिद्धान्त और प्राविधिक रीति ही आवश्यक है, जिससे यथार्थ-वादी नियोजन के लिए जिन नये सरकारी कर्मचारियों को योजना को गांवों में ले जाना है, उन्हें ग्राम प्रवेश के सिद्धान्तों और प्राविधिक रीति और खासकर प्रदर्शन के सिद्धान्त व पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त करा देना आवश्यक है।

ग्राम कार्य के लिए प्रशिक्षण

अविकसित देशों में औपचारिक शिक्षा में व्यक्तिगत परीक्षणों के स्थान पर चीजों को रट लेने पर अधिक जोर दिया जाता है और इसका फल यह होता है कि बहुधा विद्यार्थी ग्रामों की ओर जाने के बजाए उससे दूर भागने लगते हैं। अग्रगामी योजनाओं के लिए कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने में सबसे बड़ा काम यह करना था कि उनमें व्यक्तिगत कार्य-संचालन और उपयोगिता की भावना को भर दिया जाए।

हमारे प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में यह विषय सम्मिलित थे—खेतों में जाकर कृषि कार्य करना, टीका लगाना, मलेरिया की रोकथाम, कुंओं की सफाई आदि, जन स्वास्थ्य सम्बन्धी साधारण विषयों का प्रशिक्षण, "ग्राम प्रवेश" और तत्सम्बन्धी जानकारी, सामूहिक वाद विवाद की पद्धतियां और उनकी महत्ता का ज्ञान, प्रारम्भ की हुई योजनाओं को चलाने का महत्व आदि। प्रशिक्षण की पद्धति यह थी कि व्याख्यान हो और साथ प्रदर्शन भी किए जाएं, क्षेत्र में कार्य करने का व्यावहारिक ज्ञान कराया जाए, प्रश्न और उत्तर के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए और आत्म-विश्वास की भावना जाग्रत करने के लिए स्वयं शिक्षार्थियों द्वारा चर्चा चलाई जाय। [५२.१३]

सबसे महत्वपूर्ण बातें जिन्हें शिक्षार्थी को जानने और समझने की जरूरत है, वे हैं सोचने और काम करने की नई रीति, किसी काम को पूरी तरह करने की आदत, विधिपूर्वक नियोजन और संगठन, ग्रामोन्मुखी भावना, प्रभावोत्पादक मानवीय सम्बन्धों का विकास, आत्म-विश्वास, कार्य क्षमता, मिलकर कार्य करने की योग्यता आदि। थोड़े में यह कह सकते हैं कि हमें सरकारी अधिकारियों की अब तक की विचारधारा को पूरी तरह से बदल ही देना है। उसे ऐसे प्रभावशाली कार्यकर्त्ता के रूप में बदलना

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है जिसमें गांव वालों का विश्वास प्राप्त करने और उसे स्थायी रखने की क्षमता आ जाए।

इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता कितनी ही अच्छी तरह प्रशिक्षित क्यों न किया गया हो, उसे बाद में पुनर्शिक्षण वाले प्रशिक्षण के लिये फिर लाया जाए। हम अपने अनुभव से यह समझते हैं कि पुनर्शिक्षण बहुत आवश्यक है। प्रतिवर्ष कम से कम दो सप्ताह की पुनर्शिक्षण की व्यवस्था हर कार्यकर्त्ता के लिये अनिवार्य है। इटावा के काम के आरम्भ में गांवों में काम करने वालों के प्रशिक्षण के लिए केवल दो सप्ताह का समय ही निर्धारित किया जा सकता था।

प्रशिक्षण की यह अवधि काफी नहीं थी, यह हम जानते थे, किन्तु इसमें केवल यही एक लाभकर बात थी कि इस दौरान में हम सब एक साथ क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे थे और इसलिए काम करते हुए भी हम एक तरह से बराबर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। यह घनिष्ठ सम्पर्क महीनों चलता रहा था। [५३.३]

अपने हाथों काम करने की पद्धति

१९४९ की अपनी व्यक्तिगत रिपोर्ट में होरेस होम्स ने प्रथम वर्ष में काम करते हुए प्रशिक्षित होते रहने की भावना को व्यक्त किया है। उन्होंने प्रदर्शन के उस व्यावहारिक रूप को स्पष्ट किया है, जो अग्रगामी योजना के कार्यकर्त्ताओं और गांव वालों के आपसी सम्बन्धों की एक विशेषता थी।

वृक्षारोपण आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका था। हमें अनेक सुझाव मिले थे कि हम गांवों में जाएं और वहाँ उन लोगों का पता लगाएं जो पेड़ लगाना चाहते हैं। हमें यह भी देखना था कि किन स्थानों पर वे पेड़ लगा सकते हैं, और इस बात का पता लगाना था कि वे किस तरह के पेड़ कितने और कब चाहते हैं, उन्हें यह बतला दें कि पेड़ लगाने के लिए गड्ढ़े कैसे तैयार किए जाएं। इन सुझावों के बाद हम रामपुरा गांव में गए। वहाँ हमने उस योजना को शुरू किया, और गांव वालों के साथ वृक्ष लगाने के लिये स्थान चुने गये।

बहुत से आदमी पेड़ लगाना चाहते थे। लोगों ने यह बताया कि वे कितने नींबू और पपीते के पेड़ चाहते हैं। तब हमारा दल उस गांव से चलने के लिए तैयार हुआ। मैंने उन्हें इस बात की याद दिलाई कि हमने खुद गड्ढे खोदकर गांव वालों को यह नहीं दिखाया है कि पेड़ों के लिए किस तरह के गड्ढे खोदें। पनाले के पानी के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे उस तरह के गड्ढे खोदने के लिए मैंने उनसे कहा, मैं स्वयं गड्ढे खोदकर दिखाने के लिये चलने लगा तो लोगों ने बताया कि बाहर पानी बरस रहा है, फिर भी मैं गड्ढे खोदने लगा। इसका फल यह हुआ कि सभी अधिकारी एक-एक करके अपने गड्ढों को खोदने में लग गए। देखते-देखते उनमें मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो गया और लोगों में अपने आप काम करने का दृष्टिकोण फैल गया।

इस समय यह काम पूरा तो नहीं हुआ, परन्तु आगे इन्हीं बातों को खास-खास गांवों में ग्राम सेवकों द्वारा चालू कराना है। जो लोग पेड़ लगाना चाहते हैं उनकी एक तालिका तैयार होनी चाहिए जिसमें यह लिखा हो कि हर व्यक्ति किस तरह के कितने पेड़ चाहता है, किस तिथि को और किस स्थान पर लगाना चाहता है। साथ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ही पेड़ लगाने के लिए गड्ढे भी तैयार करा लेना चाहिए। पेड़ लगाने की ऋतु भर हम अपने इस काम को चालू रखेंगे। [४९.३]

बहुधन्धी ग्राम सेवक

श्री मायर ने तारलोक सिंह को (जो उस समय राष्ट्रीय नियोजन कमीशन के उप सचिव थे[८]) यह स्मृति पत्र लिखा था जिसमें उत्तर प्रदेशीय अग्रगामी योजनाओं के लिए काम करने वाले ग्राम सेवकों के प्रमुख और अनेक पहलू वाले कार्यों का विवरण दिया था। सामुदायिक विकास खण्डों के लिए भी इस व्यवस्था को अपना लिया गया था।

इस नए ढंग के कार्यकर्त्ता की योजना इटावा की अग्रगामी योजना में आरम्भ की गई थी। बाद में और अग्रगामी योजनाओं में इसे अपना लिया गया था। जो इस तरह के बहुधन्धी कार्यकर्त्ता के प्रशिक्षण और उपयोग का विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह लाभदायक होगा कि इस तरह के कार्यकर्त्ता के विकास, उसके कामों और उसकी कठिनाइयों के सम्बन्ध में सारी बातें स्पष्ट कर दी जायं।

कल्पना का आरम्भ

इस समय सरकार के अनेक विभागों के अपने-अपने कार्यकर्त्ता हैं। बजट में सीमित धन राशि के कारण सबसे नीचे स्तर के कार्यकर्त्ता को बहुत से गांवों में जाकर काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसे लिखाई-पढ़ाई का भी बहुत सा काम करना पड़ता है। इसका फल यह होता है कि वह गांवों में बहुत कम जा पाता है, गांव वाले उसे अच्छी तरह जान भी नहीं पाते, वह भी गांव को ठीक से नहीं जान पाता और न ही उसे गांव वालों का और उनकी समस्याओं का ज्ञान ही हो पाता है। इस तरह के विभागीय कार्यकर्त्ता को आमतौर पर "ग्राम प्रवेश" की या स्थानीय लोगों को मित्र बनाने की शिक्षा ही नहीं दी जाती। इसके अलावा जिस तरह के काम करने के लिए वह गांव वालों से कहता है उसकी न तो उसमें योग्यता ही होती है और न उसकी रुचि ही। गांव के स्तर पर कृषि, पशुपालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायता और सलाह बहुत प्राविधिक रूप की नहीं होती। इस बात का पता चला है कि यदि एक कार्यकर्त्ता को ऊपरी स्तर के प्राविधिक अधिकारियों से विभिन्न विषयों की जानकारी और सहायता प्राप्त होती रहे तो वह कृषि सम्बन्धी प्रदर्शन, पशुओं और मनुष्यों को टीके लगाने का काम, फसलों के कीड़ों की और मलेरिया की रोक-थाम आदि से सम्बन्ध रखने वाले काम अच्छी तरह कर सकता है। इसके साथ ही वह गांव वालों द्वारा चलाए गए गलियों को चौड़ी करने, पानी की निकासी, कम्पोस्ट के गड्ढों आदि के मामूली निर्माण कार्यों का संगठन भी कर सकता है। उसे इस तरह के सरल कामों का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। इसके साथ ही उसे सामूहिक सभाओं, व्यक्तिगत चर्चाओं, ग्राम्य गीतों, सरल नाटकों आदि के संगठन से सम्बन्ध

---

[८]अब श्री तारलोक सिंह योजना आयोग के अतिरिक्त सचिव हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रखने वाले सामाजिक शिक्षा तथा "ग्राम प्रवेश" की पद्धतियों का भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। वह इस रीति का और उससे होने वाली मित्रता का उपयोग काम को शुरू करने वालों में कर सकता है। इसके द्वारा वह गांव के जीवन और उसकी आवश्यकताओं से सम्बन्ध रखने वाले अनेक पहलुओं से सम्बन्धित बहुत से काम करा सकता है। चूंकि वह बहुधन्धी कार्य करता है, यानी उसके द्वारा उसके क्षेत्र में अनेक विभागों से सम्बन्ध रखने वाले कार्य निपटाये जा सकते हैं, इस कारण वह केवल कुछ ही गांवों के कामों को ठीक से देख सकता है। इसका मतलब यह है कि उसे अपने हल्के के गांवों में अक्सर जाना पड़ेगा और वहां जाकर काम करना पड़ेगा तभी वह वहां अच्छी तरह परिचित हो सकता है, वहां वालों द्वारा आदर पा सकता है। जहाँ कहीं भी एक कार्यकर्त्ता केवल चार या छः गांवों में काम करता रहा है, वहाँ वह घनिष्ठ मित्र, विश्वासनीय सलाहकार, सहायक, प्रेरक और सहयोगी हो सकता है।

इस पद्धति की कठिनाइयाँ

यह पद्धति बहुत सफल हो सकती है और सफल हुई भी है किन्तु इसमें भी अति न की जानी चाहिए। नीचे कुछ कठिनाइयां दी जाती हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।

बहुत अधिक गांव एक साथ न दिए जाएं—ग्राम सेवक का सहयोग लेकर सावधानी से एक यथार्थवादी कार्यक्रम तैयार किया जाए जिससे यह देखा जा सके कि वह असल में कितना काम ईमानदारी से ठीक ढंग पर कर सकता है। समय-सारिणी ही कार्य का मुख्य आधार है। और उसे बनाते समय आशावादी रचना की उड़ान नहीं भरनी चाहिए। ग्राम सेवक को इतना समय तो दिया ही जाना चाहिये कि वह एक गांव से दूसरे गांव जा सके और पूर्ति व्यवस्था की जांच पड़ताल कर सके। किसानों को भी इतना समय देना चाहिए कि वे सभाओं में एकत्र हो सकें।

बहुधन्धी कार्य के विचार को बहुत अधिक न बढ़ाया जाय। ग्राम सेवक की योग्यता और उसके कार्य करने का समय दोनों ही सीमित होते हैं। किसी भी स्थिति विशेष में वह केवल कुछ खास ढंग के काम ही कर सकते हैं। यदि काम को ठीक ढंग से कराना है तो उसे गाँव की विचारधारा में अपने को घुला मिला देना होगा पर बहुधन्धीपन की भावना को बहुत अधिक विस्तृत नहीं करना चाहिए।

ग्राम सेवक को उच्च अधिकारियों की सहायता—ग्राम सेवक की सीमाओं के दूसरे भी पहलू हैं: (१) उसकी प्राविधिक कुशलता सीमित होती है; (२) उसका आत्म-विश्वास भी सीमित होता है; (३) दोनों ही स्थितियों में उसके सामने ऐसे मौके आ सकते हैं और आएंगे जिनमें वह स्वयं कुछ न कर सके।

प्राविधिक रूप से जो लोग उससे अधिक योग्य और अनुभवी हैं उन लोगों से उसे काफी सहायता मिलनी चाहिए। यह दो तरह से किया जा सकता है: (पहिला) क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी गाँवों में अक्सर जायें, (दूसरा) कार्यकर्त्ताओं की पाक्षिक मीटिंग हो जिनमें गाँव की समस्याएं सामने लाई जाएँ, उन पर विचार किया जाय और उनके हल खोजे जायें।

नियोजनकर्त्ता के रूप में ग्राम सेवक

योजना उस तरह की सरकारी रूप-रेखा या चार्ट नहीं है जिसे कोई एक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बुद्धिमान व्यक्ति तैयार कर ले और दूसरों को बाँट दे। ऐसा विचार विमर्श होना चाहिए जिसमें सभी सहयोग दें और तब कोई योजना और कार्यक्रम तैयार होना चाहिए। ग्राम सेवक को इसके बाद अपनी एक निजी योजना बनानी चाहिए जिसमें उसकी अपनी समय-सारिणी हो, कार्यों की तालिका हो, कितना काम किया जाए इसका विवरण हो और उन चीजों की तफसील हो जिनकी उसे ज़रूरत पड़ेगी। यदि योजना का हर सदस्य अपने काम के बारे में स्वयं विचार न करेगा, अपनी निजी योजना न बनाएगा और उसका मेल दूसरों की योजनाओं से न बैठायेगा, तो पूरी योजना बन नहीं सकती, न उसके अनुसार कार्य ही हो सकता है।

ग्राम सेवक और गाँव के लोग

हमारे कार्यकर्त्ताओं के दल में जिस तरह की भावना होगी, कार्य को सफल बनाने के लिए जिन पद्धतियों का अनुसरण किया जायगा, उनका प्रत्यक्ष प्रभाव इस बात से दीख पड़ेगा कि ग्राम सेवकों का सम्बन्ध गाँव वालों के साथ कैसा है। हमारी मित्रता की भावना, ग्राम सेवा के काम में हमारी असली दिलचस्पी, पारस्परिक आदर-भावना और व्यवहार से ही गाँव वाले हमारे रुख को पहचानते हैं और उसी के अनुसार हमें सहयोग देने के लिए तत्पर होते हैं। हम अपने प्रशिक्षण शिविरों में इसी बात को सिखाना चाहते हैं कि प्रशिक्षार्थियों को न हुक्म दिए जाएँ, न व्याख्यान सुनाए जाएँ बल्कि खुद काम करके लोगों को बताया जाए, गाँव वालों की उत्सुकता को जगाने और काम में सहयोग भावना को उभाड़ने के लिए इसी बात की जरूरत है। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा कहते समय यह मान लिया जाता है कि योजना के ढाँचे में कहीं भी कोई खामी नहीं है। जैसे पूर्ति व्यवस्था में संख्या, उत्तमता आदि में कोई कमी नहीं। निर्दिष्ट कार्य के लिए आवश्यक योग्यता, कुशलता और ज्ञान में भी कोई कमी नहीं। इस तरह की भावना दूर हो जानी चाहिए। हम तभी सफल होंगे जब पूर्ण ज्ञान और उचित सलाह के साथ ही ऐसी भावनाओं का समावेश हो जाएगा। इसमें सन्देह नहीं कि योग्यता, कुशलता और ज्ञान के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। किन्तु यदि हम अपने दृष्टिकोण में संशोधन नहीं कर सकते तो गाँव वाले हमें या हमारे काम को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हो सकते।
[५२.२]

योजना को सफल करके दिखाना

गाँव वालों को विश्वास दिलाने के लिये तीन चीजों की आवश्यकता होती है—कार्यों का व्यावहारिक परीक्षण, सुबूत और अन्त में सारे समुदाय का उस कार्य में सम्मिलित होना। इटावा में ग्राम सेवकों के परीक्षण के समय होम्स ने प्रदर्शन के इन तीनों सोपानों के महत्व पर प्रकाश डाला है।

प्रथम सोपान : स्थानीय रूप से नई पद्धति का परीक्षण

विकास कार्यकर्त्ता का सबसे पहला कार्य यह है कि उसे जिस क्षेत्र में कार्य करना हो वहाँ की रीतियों और समस्याओं की जानकारी हासिल कर ले। उसे उन सफल किसानों के अनुभवों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने उस क्षेत्र में और वहां की भूमि पर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सारा जीवन बिता दिया है। प्रयोगशालाओं और परीक्षण फार्मों में जिन मसलों को विशेषज्ञों ने हल किया है, उन्हें व्यावहारिक रूप में कार्यकर्त्ता को अपने क्षेत्र में लोगों के सामने उपस्थित करना चाहिए। पर इस मौके पर अच्छा परिणाम निकले तो उसे ही काफी नहीं समझना चाहिए।

विकास का पहला सोपान यही है कि रुचि लेने वाले किसानों के सहयोग से जो उपाय बतलाए गए हैं उनका परीक्षण कर दिया जाए। किन्तु सफलता की गारण्टी न दी जाए, क्योंकि दूसरी जगह जो पद्धति सफल हुई है उसका यहाँ केवल परीक्षण किया जा रहा है। क्या स्थानीय वातावरण में यहाँ के किसानों के यहाँ वह लाभदायक भी सिद्ध होगा? विकास कार्यकर्त्ता और किसान आपस में समझौता करके इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि उस परीक्षण के नतीजे क्या होंगे। प्रदर्शन ठीक से किए जाएं इसके लिए हर तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, और जो नतीजे निकलें उनकी निष्पक्ष माप-तौल करनी चाहिए। सवाल यह नहीं है कि विकास कार्यकर्त्ता किसी किसान को नये ढंग पर काम करने को राजी कर लें; या किसान इसी बात पर अड़ा रहे कि उसी की पद्धति सबसे अच्छी है। खास बात यह है कि किसान और विकास कायकर्त्ता दोनों ही अपने ज्ञान, कुशलता और प्रयत्नों को एक साथ मिलाकर ऐसे मसलों का हल खोजें, जो दोनों को कष्ट दे रहे हैं।

प्रदर्शन के परीक्षण वाले सोपान में दूसरे किसान उससे होने वाले नतीजों को देखते रहेंगे। यदि प्रदर्शन ठीक से किए गए और उनके अच्छे नतीजे निकले तो दूसरे किसान भी प्रदर्शन में दिलचस्पी लेने लगेंगे। [५०.३]

[कृषि प्रदर्शनों की सफलता अक्सर इस बात पर निर्भर रहती है कि सभी काम बिल्कुल ठीक ढंग पर किए जाएं। पहले प्रदर्शन इतने भद्दे ढंग पर किए गए थे कि वे सफल भी हुए और असफल भी। इटावा में यह खामी हमेशा हमारे दिमागों में घूमती रही।

[हाल में सुल्तानगंज के सामुदायिक विकास खण्ड से जो रिपोर्ट आई है उसमें बिल्कुल ठीक ढंग से कार्य करने के महत्व को साफ दिखाया गया है। "आमतौर पर किसान लोग इस बात को बहुत कम जानते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति बिना हानि पहुँचाए उपज बढ़ाने के लिए खादों और वैज्ञानिक उर्वरकों का उपयोग कैसे करना चाहिए। किसानों को यह पता नहीं था कि फास्फेट नं० २०५ बहुत ही धीरे-धीरे ज़मीन के अन्दर तक पहुँचता है। इसलिए कुछ थोड़े से किसानों ने खेतों में ऊपर ही ऊपर फास्फेट डाल दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि यह उर्वरक पौधों की जड़ों तक न पहुँच सका और लोग यह समझने लगे कि फास्फेट से कोई लाभ नहीं होता। इस कारण अब यह प्रदर्शन करके दिखलाया जाता है कि नए उर्वरक व्यावहारिक रूप में किस ढंग पर, किस समय और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिये। ऐसे उर्वरक खेत में गहराई तक देना चाहिए। गहराई में डालने पर ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुए और इसी पद्धति को चालू किया गया है। इसके साथ ही साथ हरी खाद और कम्पोस्ट की तैयारी के कार्यक्रम भी चलाए गए ताकि मिश्रित खादें डालने की रीति प्रचलित हो और भूमि को हानि पहुँचने से बचाया जा सके।"

[हमने डा० डब्लू० एच० वाइज़र की 'इन्डिया विलेज सर्विस' नामक संस्था से सम्पर्क स्थापित किया और उनसे हमें यह बात मालूम हुई कि नए उर्वरक के प्रयोग

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सोखों के निर्माण या इसी तरह की किसी खास बात को समझाने के लिए जो प्रदर्शन किए जाएं वे किस व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। इस पद्धति को सूत्र-पाठ (Key Point Lesson) कहते हैं। इस पद्धति में उन सब बातों की क्रमानुसार तालिका बना ली जाती है जिनका करना ज़रूरी होता है। यदि इस तरह की तालिका न हो तो काम के बीच की एक न एक कड़ी या बात आमतौर पर भूल ही जाती है।]

द्वितीय सोपान : दृश्य-दर्शन

प्रसार कार्यों में दूसरा सोपान तब शुरू होता है जब कुछ चुने हुए किसान परीक्षण सोपान को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। इस स्थिति पर ही खेतों की उपज के प्रदर्शन किए जाते हैं ताकि आसपास के गांव वाले किसान उस प्रदर्शन के देखने के लिए लाए जायं और उनको उन नतीजों के बारे में समझाया जाय। जो किसान किसी चीज को सफलतापूर्वक दिखा सकता है, उसका प्रभाव अपने पास-पड़ोस वालों पर अधिक हो जाता है क्योंकि वे यह महसूस करने लगते हैं कि किसान भी उस तरह का काम कर सकते हैं।

जो किसान किसी काम को उत्तमता से करके दिखला देते हैं, वे चाहते हैं कि उस काम के लिए उनकी वकत की जाए। एक बुद्धिमान विकास कार्यकर्ता को ऐसे अवसर पर सफल किसान प्रदर्शक को स्वयं अपनी कहानी सुनाने का मौका देना चाहिए। उसे इस बात का निश्चय रहता है कि उस किसान को सारी बातों की जानकारी है ही और वह उस जानकारी को स्पष्ट रूप में दूसरे किसानों के सामने उपस्थित कर सकेगा। [५०.३]

[अगर आदमी अपने से अच्छी खेती या अच्छे पशुओं को देखते हैं, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया यह नहीं होती कि "हम भी ऐसा कर सकते हैं।" वे यही कहने लगते हैं कि दूसरे के खेत अच्छे हैं इसलिए अच्छी खेती होती है, या उस किसान के पास अधिक धन या अधिक साधन हैं। ठीक से विश्वास दिलाने और बाद में उसी के अनुसार कार्य कराने के लिए यह जरूरी है कि लोगों को काफी मौका दिया जाए कि वे जब चाहें तब आकर नये प्रदर्शनों को देखें और आपस में चर्चा करें। यह सब होने के बाद वे मानने लगते हैं कि जिस आदमी ने ऐसी सफलता पाई है वह असल में उन्हीं की तरह एक मामूली किसान है, जो न तो उनसे अधिक धनी है, न उसका कोई खास प्रभाव है जिससे वह विशेष सहायता प्राप्त कर लेता है। पर दृश्य-दर्शन का यही मुख्य लाभ है।]

तृतीय सोपान : पूर्ण प्रचार और सामुदायिक कार्य

तीसरा सोपान तब आता है जब समुदाय उस काम को अपना लेता है या वे विचार सब लोगों में फैल जाते हैं। यह स्थिति तब आती है जब सभी लोग बताई हुई नई रीति पर विश्वास करने लगते हैं, उसे काम में लाने लगते हैं और इस स्थिति में सामुदायिक विकास कार्यों में सहयोग देने लगते हैं। "एक किस्म के समुदाय" की स्थापना ही इस स्थिति के उदाहरण हैं। सावधानी से किए हुए प्रदर्शनों के बाद करीब-

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करीब सभी किसान इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं कि उत्तम किस्म के गेहूँ या दूसरे अनाज भी उपजाए जाएं। फल यह होता है कि सामुदायिक केन्द्र की स्थापना हो जाती है, जहां से बिना मिलावट के अच्छे किस्म के बीज दूसरे क्षेत्रों को दिए जा सकें और अन्य सामुदायिक कार्य किए जा सकें। स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा कार्य, कमजोर सांड़ों की जगह अच्छे सांड़ों को रखना, पशुओं के टीके लगवाकर रोगी का बचाव करना, नलकूपों या बिजली आदि के लिए पूरे गांव का सहयोग लेना। ऐसे सामुदायिक सहयोग तभी सम्भव हैं जब कुछ गांव इनके लिए पहले से प्रयत्न करें और उनके प्रयत्नों में सफलता हो, ताकि बाद में दूसरे गांव भी वैसा ही करने के लिए तत्पर हो जाएं। [५०.३]

सामूहिक कार्यों की व्यक्तिगत घटनाओं का अध्ययन

सामुदायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेक मनुष्यों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऐसे कार्यों का प्रसार सबसे कठिन होता है। सुसंगठित कार्यों के दो उदाहरण दिए जाते हैं। उनसे उन ढंगों पर प्रकाश पड़ता है जिनमें स्वावलम्बन की भावना को जागृत करने के लिए अग्रगामी विकास योजना के व्यवहार-दर्शन और उसकी प्राविधिक रीति का उपयोग किया गया है।

इटावा में सड़क बनाने का काम

इटावा के भौतिक पुनर्निर्माण के प्रारम्भिक प्रयत्नों में सड़कों के बनाने की भी बात सम्मिलित थी। आस-पास के किसानों ने सड़क के हिस्सों पर बेजा कब्जा करके धीरे-धीरे मीलों लम्बी सड़कों को बन्द-सा कर दिया था। सभी इससे उत्पन्न असुविधा को जानते थे किन्तु उन्हें दूर करने का कोई साधन नहीं दीख पड़ता था। जिन किसानों ने ऐसा किया था, वे अपनी बात पर मजबूती से अड़े रहे और सड़क का जो भाग उनके कब्जे में था उन्हें अपने ही कब्जे में रखने के लिए लड़ाई तक करने पर अमादा थे। वहां जन-बल इतना सुसंगठित नहीं था कि उसकी मदद से कोई उपाए निकाला जा सके। हमने गांव की सड़क के मामले को सबसे पहिले चुना और उस पर पूरी शक्ति लगाने का निश्चय कर लिया। हमने इसे इस कारण चुना था कि इसकी आवश्यकता को सभी लोग महसूस कर रहे थे और यह हमारे लिये एक चुनौती थी।

बहुत सावधानी से हमने पहले गांव को चुना। इसमें स्थानीय नेता कुछ अधिक प्रभावशाली और खुलकर बात करने वाले थे। साथ ही यहाँ रास्तों वाली समस्या बहुत उग्र रूप धारण कर चुकी थी, किन्तु अनाधिकार रूप से कब्जा करने वाली कठिनाइयां उतनी भीषण नहीं थीं। यहाँ हमें एक बहुत योग्य स्थानीय कार्यकर्त्ता मिल गये थे जो इस मसले में खास दिलचस्पी ले रहे थे।

इस मसले के कई पहलू थे। इसका उद्देश्य था इस विश्वास को जन्म देना या प्रोत्साहित करना कि सड़कों का सुधार सम्भव है, अनुचित रूप से कब्जा करने वालों को अपने विचारों का बना कर वापस मिली हुई भूमि में सड़कें बनाने में गांव वालों के श्रमदान का सहारा लेना।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्थानीय कार्यकर्त्ता की सहायता से जन-सहयोग अधिकारी द्वारा बड़ी मेहनत से एक कार्यक्रम बनाया गया जिसमें सभी छोटी बड़ी बातों को निश्चित किया गया था। पहले एक-एक व्यक्ति की राय ली गई, फिर छोटी छोटी सभाएं की गईं और तब पूरा कार्यक्रम आरम्भ किया गया। असली कानूनी स्थिति का पता लगाने के लिए भूमि सम्बन्धी कागजात जांचे गए। जिन लोगों ने गैर-कानूनी रूप से कब्जे कर रखे थे, उनमें से उन लोगों को लिया गया जो आसानी से राजी हो सकते थे या जो सबसे कम विरोध कर सकते थे। और उनमें से अधिकांश को अपने पक्ष में कर लिया गया था।

ऐसे मामलों में हमेशा कुछ ऐसे व्यक्ति निकलते हैं जो यदि पक्ष में न हुए तो सारे काम में गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। यह गड़बड़ी केवल इसलिए नहीं होती कि कुछ स्थानों पर वे काम को आगे नहीं बढ़ने देते बल्कि इस कारण भी हो जाती है कि जो लोग पहले राजी हो जाते हैं, वे भी ऐसे लोगों से प्रोत्साहन पाकर अपने वादों को तोड़ देते हैं और विपक्ष में शामिल हो जाते हैं। इससे समझौता होने में कठिनाई पड़ती है। ऐसे लोगों से बहुत सावधानी से निपटना जरूरी हो जाता है। क्योंकि यदि उन पर अधिक दबाव डाला जाता है या ठीक ढंग से बात नहीं की जाती तो उनका विरोध और अधिक बढ़ जाता है। कभी-कभी यह भी होता है कि ऐसे मामलों के कारण ग्रामीण जीवन में बहुत संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक रास्ता तो यह है कि अनुचित कब्जा करने वालों में से जो लोग हमारे पक्ष में आ गए हों, उन्हीं को दूसरों के पास बात करने के लिए भेजा जाए।

इन सब उपायों द्वारा अन्त में काम बन गया। इसी बीच में यह योजना भी बना ली गई थी कि गांव वाले खुद उस काम में सहयोग दें। आदर्श रूप तो यह है कि गांव का हर एक आदमी खुद आकर सड़कों की मरम्मत या निर्माण आदि में सहयोग दे। किन्तु कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो खुद अपने हाथों से काम नहीं करते पर अपनी तरफ से मजदूरी देकर दूसरे आदमियों को भेज देते हैं। सबसे अधिक वांछनीय तो यही है कि गांव का हर एक आदमी खुद आकर काम करे, और कभी-कभी ऐसा होता भी है। इस तरह का शत-प्रतिशत सहयोग बहुत जरूरी नहीं है, पर यह अवश्य जरूरी है कि गांव के अधिकांश आदमी सहयोग दें। यदि योजना उत्तम हो तो आमतौर पर अधिकांश आदमी सहयोग देते भी हैं। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य की योजना बहुत पहले ही निश्चित कर लेनी चाहिए। ऐसे कार्य का अधिकांश व्यय श्रमदान के रूप में मिल जाता है, फिर भी कुछ सामानों की और आवश्यकता पड़ती है, जैसे पुलियों को बनाने में सीमेण्ट, ईंट, लोहा आदि।

जिस समय खेतों में कम से कम काम हो उस समय गांव वालों को श्रमदान के लिए कहा जाए, ताकि अधिक लोगों का सहयोग प्राप्त हो सके। विभिन्न दलों के लिए सड़कों के अलग-अलग हिस्से निश्चित कर दिए जाएँ। गानों और नारों के द्वारा लोगों में उत्साह भर दिया जाए और तब श्रमदान कराया जाए।

पहले तो ऐसा प्रयत्न बहुत ही कठिन मालूम होगा। क्योंकि इस तरह के काम के लिए पहले के उदाहरण मौजूद नहीं हैं, इसके अलावा लोगों को अनुभव भी नहीं होता। यदि दूर के स्थानों पर इस तरह का काम किया गया तो पहले तो उदाहरण से कोई लाभ नहीं होता। जहाँ कहीं काम चालू हो वहाँ दूसरे गांवों के लोगों को उसे दिखाने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के लिए लाना चाहिए। काम पूरा हो जाने पर भी दूसरे गांवों के लोगों को दिखलाना चाहिए। ऐसा करने से बाद में सफलता के अवसर बहुत बढ़ जाते हैं। उचित समय के भीतर ऐसे कामों को दूसरे स्थानों में फैलाने के लिए संगठित दृश्य-दर्शन की प्रणाली सबसे आवश्यक है।

असल बात तो यह है कि सड़क को फिर से खुलवाने के काम में बाद में बहुत तेजी हो गई; दूसरे वर्ष तो करीब तेइस मील लम्बी सड़कें पूरी कर ली गईं, और उसके बाद वाले वर्ष में चालीस मील लम्बी सड़कें बना ली गईं। यदि सभी मामलों में पहले वर्ष जैसी बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती तो हम इस काम में सफल न हो सकते। किन्तु धीरे-धीरे जैसे-जैसे इस कार्य में गांव वालों को सफलता मिलती गई वैसे-वैसे खुद हम लोगों को कम से कम योगदान करना पड़ा। कुछ दिन बाद तो लोग खुद ही अपने आप सारे काम करने लगे। कभी-कभी किसी खास कठिन स्थिति में हम लोगों को निर्णायक के रूप में सहायता देनी पड़ती थी। अक्सर हमारी सहायता की उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ी। [५१.६]

[बाद के वर्षों में अग्रगामी योजनाओं के क्षेत्रों में बहुत अधिक सड़कें गांव वालों द्वारा बनाई जाने लगीं। इसके और बाद सामुदायिक योजनाओं में इस तरह के सामूहिक कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किए गए। इसका कारण यह था कि श्री विनोबा भावे के भूदान और श्रमदान आन्दोलनों से जनता में एक नई चेतना पैदा हो गई थी। उत्तर प्रदेश के उप नियोजन मंत्री श्री फूल सिंह ने १९५१ में श्रमदान आन्दोलन चलाया था। यह आन्दोलन योजना के क्षेत्रों से आगे बढ़कर सारे राज्य में फैल गया। क्योंकि इसका आधार था जनता में उत्साह भरना और उसे सार्वजनिक रूप से सहयोग देने में अग्रसर करना।]

गोरखपुर में गृह-निर्माण

लोगों में स्वावलम्बन की भावना भरने का दूसरा उदाहरण गोरखपुर से मिलता है। गोरखपुर में सड़कें बनाने के काम स्थानीय बाढ़ नियन्त्रण के साथ तो चल ही रहे थे, उनके अलावा वहाँ एक अलग गृह-निर्माण योजना भी सफलतापूर्वक चलाई गई, क्योंकि यह वहाँ की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। दूसरे, हमें यह भी दिखलाना था कि एक आवश्यकता की पूर्ति से भविष्य की दूसरी आवश्यकताओं को किस तरह से पूरा किया जा सकता है।

गांवों में कुछ थोड़े से परिवारों को छोड़ कर बाकी सभी लोग मिट्टी के बने कच्चे घरों में रहते हैं। ये घर स्वास्थ्य और भौतिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही पुरातन दर्जे के होते हैं। भूमिहीन मजदूर, जिनमें अधिकांश हरिजन ही हैं, बहुत ही रद्दी झोंपड़ियों में रहते हैं। इस लेख को तैयार करते समय विस्तृत सामग्री श्री पी० एन० एम० त्रिपाठी से मिली। मैं यहाँ उनके वर्णन का एक अंश दे रहा हूँ जिसमें उन्होंने वर्तमान घरों का वर्णन किया है:

छप्पर बहुत ही नीचे हैं। उन पर खपरैल नहीं हैं। दरवाजा इतना संकरा है कि उससे निकलना कठिन हो जाता है। घर के अन्दर सीधा खड़ा होना कठिन है। एक झोंपड़ी ६ फुट लम्बी और ९ फुट चौड़ी होती है। और एक-एक झोंपड़ी में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कई कुटुम्ब रहते हैं। उसी झोंपड़ी में उन लोगों को अपना अनाज और जो कुछ भी थोड़ा सामान होता है रखना पड़ता है।

गृह योजना के जन्म और कार्यान्वय के सम्बन्ध में श्री त्रिपाठी ने यह लिखा है :

हमने गृह-निर्माण योजना के लिए भटहट को चुना। इसका कारण यह था कि वहाँ वाले बहुत ही उत्साह से उस कार्य को करना चाहते थे। यह गांव हमारे मुख्य कार्यालय के पास था, इसलिए निरीक्षण का काम उतना कठिन नहीं था। और दूसरे गांव वाले आसानी से स्थान-दर्शन के लिए आ सकते थे। हमने उनके दु:ख की उनसे चर्चा की ताकि वे खुद उन कष्टों का अनुभव कर सकें जिनके बीच वे अपनी जिन्दगी बिता रहे थे, और पूछ सकें कि उनको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। और इस प्रकार जो प्रस्ताव सामने आये वे उनके अपने हो गये।

पहले मैंने इस प्रस्ताव पर अनौपचारिक रूप से उनमें से तीन लोगों से बातें कीं। इसके बाद वे सात और आदमियों को ले आये। इस तरह दस आदमियों से उस सम्बन्ध में बातें हुईं। उसके बाद दो तीन बार बातें हुईं और दो बड़ी सभाएं की गईं जिनमें गांव के सभी लोग सम्मिलित हुए। इसमें भूमिहीन मजदूर भी थे और गांव के दूसरे लोग भी। आसपास की ज़मीन वहा के जमींदार की थी। जिस ज़मीन पर उनके झोंपड़े बने हुए थे वह भी इनकी निजी जमीन नहीं थी। दो बार की बातचीत के बाद ज़मीदार ने उन लोगों को ज़मीन दान कर दी। उन्होंने निर्माण कार्य में भी मदद देने का वादा किया और मदद दी भी।

शुरू से लेकर अन्त तक इस काम में ६ महीने लगे। जिन छोटी जाति वालों के लिए ये घर बनाए जा रहे थे उन लोगों ने बराबर तीस दिन तक दिन-दिन भर काम किया। दूसरे लोग भी इस काम में लगे रहे, किन्तु किसी ने आधे दिन काम किया और किसी ने चौथाई दिन। बढ़ई की मज़दूरी अनाज आदि के रूप में या बदले के श्रम के रूप में दी गई। जिन लोगों की सहायता के लिए यह काम शुरू किया गया था उनमें से तीन आदमी मुखिया के रूप में चुने गए और उन पर इस बात की ज़िम्मेदारी डाली गई कि वे इस काम को पूरा करा लें।

घरों के बनाने की तफसील देना यहां जरूरी है, क्योंकि उससे वर्तमान जन-प्राविधिक रीति पर प्रकाश पड़ता है और यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पश्चिमी देशों के ढंग की प्राविधिक सहायता इस स्तर पर लाभदायक नहीं हो सकती। मिट्टी की दीवारों को तैयार करने की रीति इस प्रकार है :

दीवार के लिए मिट्टी में पानी डालकर उसे सान लिया जाता है, किन्तु उसे अधिक पतला नहीं किया जाता। इसके बाद आठ घन्टे तक छोड़ देते हैं ताकि मिट्टी कुछ कड़ी हो जाए। उसके बाद दीवार पर इस गीली मिट्टी से पन्द्रह से अठारह इंच मोटी तह चढ़ा दी जाती है। दूसरी तह के पहले कुछ देर उसे सूखने के लिये छोड़ दिया जाता है।

दीवालों के बनने पर उन पर लिपाई की जाती है जिससे मौसम का असर कम पड़े। लिपाई का घोल इस तरह बनाया जाता है : पहले दिन कड़ी मिट्टी को तोड़कर उसका चूरा कर लिया जाता है, तब उसमें गाय का गोबर और पानी मिला दिया जाता है और उसमें थोड़ा-सा भूसा डाल दिया जाता है। यह घोल चौबीस घन्टे तक रक्खा जाता है, उसे बीच-बीच में आठ-आठ घन्टे के बाद अच्छी तरह से हिलाया डुलाया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जाता है और हर बार थोड़ा-थोड़ा पानी डाल दिया जाता है। उसके बाद कूंची से पुताई की जाती है। घर के अन्दर फर्श गोबर से लीप दिया जाता है। ऊपर बल्ली और बांसों से छवाई की जाती है और गांव के कुम्हार द्वारा बनाए गए खपड़ों से उसे छा दिया जाता है।

केवल एक ही चीज़ ऐसी है जो बाहर से मंगाकर लगाई जाती है, वह है द्वार और खिड़कियों की काठ की चौखटें और लकड़ी के किवाड़। ये चीज़ें यदि गांव में नहीं मिलतीं तो दूसरे गांवों से लाई जाती हैं। भटहट जंगल के पास है। दूसरे स्थानों के लिए बल्लियां, चौखटे और किवाड़े आदि किसी दूर के स्थानों से मंगाने पड़े थे।

यह प्राविधिक रीति बहुत ही भोंड़ी है और बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है, किन्तु है तो यहां की एक प्राविधिक रीति। इस तरह से एक बहुत ही आरामदेह घर तैयार किया जाता है। अधिकांश में इस काम के लिए उस स्थानीय श्रम का उपयोग हो जाता है जो बेकार रहता है। ऐसे मकानों में केवल स्थानीय चीजों का ही उपयोग किया जाता है। इसलिये इससे राष्ट्र के उत्पादन और ढुलाई के साधनों पर कोई भार नहीं पड़ता। किन्तु यदि पश्चिमी देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार घर बनाए जाएं तो राष्ट्रीय उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। और साथ ही घरों के बनाने में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, उनको तैयार करने के लिए बड़ी-बड़ी लागत के भारी-भारी कारखाने स्थापित करने होंगे और माल की ढुलाई के लिए भी अलग प्रबन्ध करना पड़ेगा। यह हो सकता है कि आगे चलकर भारत भी पश्चिमीय देशों की तरह घर बना सके, किन्तु अभी तो बहुत समय तक भारत में इसी तरह के घरों के बनाए जाने की ज़रूरत है जिनका ऊपर वर्णन किया गया है। इस स्तर पर केवल एक ही चीज़ की सबसे अधिक जरूरत है और वह है प्राविधिक सुधार।[६]

निर्माण कार्य का नतीजा—अब हर कुटुम्ब के पास अपना निजी घर है, जिसमें दो कमरे हैं और सामने एक बराम्दा। अब घर के अन्दर खड़े होने पर झुकना नहीं पड़ता। सामने बराम्दा आठ फुट चौड़ा और चौबीस फुट लम्बा है। इस समय तो घर में कोई आंगन नहीं है, किन्तु हर घर के पीछे बारह फुट चौड़ी और चौबीस फुट लम्बी जमीन छोड़ दी गई है। इस पर आंगन बन सकेगा और साग-सब्जी लगाई जा सकेगी। घरों में रहने वाले समय निकालकर अपने आप सब कुछ कर लेंगे। अब उनके पास अधिक कमरे हैं, अधिक स्थान है और आस-पास का वातावरण बहुत अच्छा है जिसे वे स्वयं भी बहुत उत्तम मानते हैं। कुटुम्ब के हर आदमी को अब सूर्य का प्रकाश मिल सकता है, जिसके लिए वे पहले तरसते थे। अब उनसे बात करने में आनन्द आता है।

एक घर बनाने में दो सौ पैंसठ श्रम-दिन लगाना पड़ा था। इनमें से घर में रहने वाले, उसकी पत्नी और कुटुम्बियों ने मिलकर कुल २२५ दिन लगाए। शेष

---

६ यह एक बहुत ही रोचक बात होगी कि गोरखपुर में भूमिहीन मजदूरों के लिये बनाए गए घरों का मुकाबला उन घरों से किया जाए जो अधिक उन्नत प्राविधिक के अनुसार ईंटों के बनेंगे और जिनका बनाया जाना इस कारण सम्भव हो सकेगा कि इटावा में सहयोग समिति के रूप में ईंटों के भट्ठों का कार्यक्रम चालू किया गया है। अध्याय ९ में शीर्षक 'सहकारी ईंट उद्योग' देखिए।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चालीस दिनों के लिए कुशल कारीगरों को लगाना पड़ा। अब हमको अनुभव हो गया है, इसलिए दूसरी बार छ: महीने के निर्माण कार्य में कमी की जायेगी।

प्रत्येक घर पर नकद ४०० रु० का खर्च पड़ा। नकद खर्च का अधिकांश भाग सरकार ने दिया।[१०] इसी नकदी से कारीगर, बल्लियों, चौखटों, किवाड़ों और ढुलाई आदि पर पड़ने वाला खर्च पूरा किया गया है। हमें इससे जो अनुभव हुए हैं उनके बल पर हम दूसरी बार बहुत कम खर्च पर काम चला सकेंगे।

हमने योजना बनाई है कि इसी तरह के घर हम अन्य तीन गांवों में रहने वाले भूमि-हीन मजदूरों को इसी वर्ष बनवा दें। [५१.६]

कुछ परिणाम

स्वावलम्बन के जिन दो उदाहरणों का वर्णन किया गया है वे विस्तार में, जिन लोगों का उससे सम्बन्ध था उनके वर्गों में और उनके उत्पादन के स्तर में बहुत अधिक भिन्न हैं, तो भी उनके अनेक महत्वपूर्ण या आधारभूत तत्व एक से ही हैं।

१. दोनों में ही पूरे के पूरे समुदाय सम्बन्धित थे। उनमें से कोई भी एक अकेली योजना के रूप में नहीं था। दोनों में से प्रत्येक ही आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम का एक अंग मात्र था। एक में तो सम्पूर्ण समुदाय ही सम्बन्धित रहा, और दूसरे में आर्थिक और सामाजिक विकास के सम्पूर्ण कार्य-क्रम के साथ गृह-निर्माण कार्य को जोड़ा गया। यहाँ खास ध्यान देने वाली बात यह है कि समग्र ग्राम सेवा की भावना के कारण काम में कोई देर नहीं हुई, बल्कि और तेजी आ गई और दूसरी हालतों में जो बात सम्भव नहीं हो सकती थी वह भी होकर रही।

२. ऐसे कामों की सफलता के लिए आवश्यक तत्व हैं—बाहरी सहायता, पथ प्रदर्शन और किसी रूप में खासतौर पर उसकी वकत का होना। अभी तक पूरी तरह से यह नहीं हो सका है कि ऐसे काम अपने आप शुरू कर दिए जाएं और खुद ही आगे बढ़ जाएँ। किन्तु इस बात के भी सबूत हैं कि ऐसे कामों में वृद्धि हो रही है, और इसका कारण है अच्छी सफलता के उदाहरण।

३. इन दोनों कार्यों में उस मानवीय शक्ति का उपयोग किया गया जो बेकार पड़ी थी क्योंकि उस समय खेती के योग्य समय नहीं था। और अविकसित देशों में इस तरह बेकार पड़ी हुई मानवीय शक्ति के भण्डार को उपयोग के लिए खोला नहीं गया है। यदि इस तरह की बेकार पड़ी हुई मानवीय शक्ति को काम में लगाया जाए तो सम्पत्ति का उत्पादन तो होगा ही, साथ ही व्यर्थ में नष्ट होने वाले समय का भी उचित ढंग से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। [५१.६]

---

[१०] उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छोटी जाति वालों को विशेष सहायता दी जाती है ताकि वे अपनी हीनावस्था में सुधार कर सकें।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

५ जन सहयोग

प्रारम्भ से ही इटावा योजना ने इस आवश्यकता को समझ लिया था कि उत्पादन वृद्धि में सफलता पाने और उसे कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि जनता और उसकी संस्कृति को इन कार्यों से सम्बन्धित कर दिया जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए "जन सहयोग" अथवा "समाज-शिक्षा" के कार्य-क्रम का विकास किया गया था।

[अविकसित देशों में गांवों के विकास कार्य को पहले जो क्षति पहुंची थी उसके दो कारण हैं: या तो इस कार्य का संचालन ऐसे व्यक्तियों के हाथ में रहा जो बहुत ही भावुक और रूढ़िवादी थे, इसलिए वे उस संस्कृति को ठीक उसी रूप में बनाए रखना चाहते थे जिस रूप में वह उन्हें मिली थी; या विकास कार्य ऐसे आदमियों के हाथ में आया जो बहुत दबाव डाल करके काम करना चाहते थे और जिन्होंने या तो स्थानीय संस्कृति की उपेक्षा की या नैतिक और धार्मिक आधार पर उसे बदलने में लग गये। बाद में मानव विज्ञान वेत्ताओं ने इस बात की चेतावनी दी कि स्थानीय रीति रिवाजों के विरुद्ध कोई विकास कार्य करना उचित नहीं। यह चेतावनी लाभदायक तो है, किन्तु है नकारात्मक ही।

[हमने इटावा में यह निश्चित किया कि स्थानीय संस्कृति को पूरी तरह से समझना चाहिए और उसे ठिकाने से उपयोग में लाना चाहिए; गांव वालों के आर्थिक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लाभ के लिये केवल मानसिक स्तर पर ही उन्हें सम्बन्धित न किया जाए बल्कि उन्हें भावना के क्षेत्र में भी योगदान देने के अवसर दिए जाएं। हमने इसीलिये स्थानीय परम्पराओं में नये जीवन का संचार किया, ग्राम संस्थाओं को नवजीवन देकर उन्हें विकास कार्य में लगाया और इस प्रकार एक अधिक शक्तिशाली दल का निर्माण किया, ताकि इस सम्मिलित शक्ति से काफी अधिक कार्य किया जा सके। यदि यह दल उतना सफल है जितना कि हम उसको समझते हैं, तो इस सम्मिलित शक्ति बल पर हम केवल अधिक शीघ्रता से आगे ही नहीं बढ़ सकेंगे बल्कि आगे बढ़ते समय विरोध बहुत ही कम हो जायगा।]

ग्राम सहयोग कार्यक्रम क्यों ?

ग्राम सहयोग कार्यक्रम के महत्व के सम्बन्ध में प्रशासकों और नीति निर्धारण करने वालों के मन में काफी सन्देह चला आ रहा है। श्री ए० एन० झा उस समय उत्तर प्रदेशीय सरकार के मुख्य सचिव और विकास आयुक्त थे। श्री मायर ने झा साहब को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने ग्राम सहयोग कार्यक्रम के उद्देश्यों का वर्णन किया था और अपना यह विश्वास प्रकट किया था कि यह कार्यक्रम अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

१ नवम्बर, १९५४

प्रिय आदित्य,

आपको याद होगा कि पिछले बसन्त में जब मैंने भारत छोड़ा था, तब उसके पहले हमने कई बार आपस में विचार विनिमय किया था। उस अवसर पर आपने यह प्रश्न उठाया था कि "सामाजिक शिक्षा" जिसे दूसरे शब्दों में ग्राम सहयोग कहा गया था, उसके प्रभाव के सम्बन्ध में किस प्रकार नाप जोख की जा सकती है। दूसरे शब्दों में क्या हम इस कार्यक्रम पर उतना रुपया खर्च करें जितना कर रहे हैं और जिस रुपये को दूसरे मद में भी लगाया जा सकता है। अनुभव से मैं यह महसूस करता हूं, और बाद में मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि यही कार्यक्रम हमारे दूसरे सभी कार्यों की सफलता का सार भूत है। मेरा विश्वास है कि इस काम को जोरों के साथ कायम रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि समाज शिक्षा कार्य के तीन स्तर हैं जिनके फल सामने रक्खे जा सकते हैं।

(१) **सजग करना**—हमारी अग्रगामी योजनाओं की सफलता का मुख्य कारण हमारे कार्यक्रम से समाज शिक्षा और जन-सम्पर्क का सम्बद्ध होना है, यही विशेष अन्तर है हमारे आज के कार्यक्रम में और १९३७-१९३९ वाले पुराने ग्राम विकास कार्य के अधिक अन्न उपजाओ वाले आन्दोलन में। उन्नतिशील कृषि के प्रदर्शन या सिंचाई सम्बन्धी सुधार अपने आप में काफी महत्वपूर्ण साधन हैं। किन्तु इनसे जनता की उत्पादन शक्ति में वृद्धि नहीं हो सकती। सारे संसार में, और भारत में तो खास तौर पर, इस तरह के अनगिनित उदाहरण मिलेंगे कि अच्छे काम आरम्भ करके छोड़ दिए गए या उनमें कमी आने लगी, क्योंकि जनता में जागृति नहीं लायी गई, जिससे वे नए विचारों का स्वागत करें और उन्हें खोजकर अपनाने में सजग रहें। केवल जनता की भावना और उत्सुकता के कारण ही कार्य की सफलता में अन्तर पड़ता है। मेरा तो यह दावा है कि जब हमने अग्रगामी योजना का कार्य प्रारम्भ किया था, उस समय

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उसके पहले जनता सुधार के कामों की जितनी उपेक्षा करती थी या जितनी अधिक मात्रा में उसे भुला देती थी, वह अब ऐसा नहीं करती।

यह असम्भव मालूम पड़ता है कि लम्बे समय तक कोई भी अकेला प्राविधिक कार्य, चाहे वह कृषि सम्बन्धी हो या जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी हो या पशुपालन सम्बन्धी, अपने आप उन्नति करता रहेगा और विकसित होता रहेगा। यदि किसी एक व्यक्ति का और पूरे गांव का सम्पूर्ण मानसिक विकास न किया गया तो किसी भी सुधार का अकेला काम अन्त में निष्फल होकर ही रहता है। और असल में तो किसी एक बार में सिखाई हुई अकेली कार्य पद्धति या एक बार स्थापित किया हुआ कोई काम अपने आप में कोई महत्व नहीं रखता। महत्व की खास बात है जनता में बराबर इस बात की चेतना जगाते रहना कि वह विकास कार्य के लिए तैयार रहे और जैसे-जैसे समय बीतता जाए वैसे ही वैसे अधिक उन्नति और विकास की मांग निरन्तर बढ़ती जाए। सिंचाई को ही ले लीजिए, सिंचाई अपने आप में ही बहुत लाभदायक है। क्योंकि यदि हम नवीन आर्थिक योजनाओं के साथ सिंचाई जोड़ दें तो उससे उसका महत्व बढ़ जाता है और उससे अधिक लाभ होने लगता है। उदाहरण के लिए यदि हम जनता में यह जागृति ला दें कि वह नालियां ठीक से रखने को सचेष्ट हो जाए और उस काम को पूरा करने के लिए सहयोग दे तो इससे सिंचाई की उपयोगिता में काफी वृद्धि होगी।

न केवल यही बात सच है बल्कि इसके अलावा यह भी सच है कि समाज शिक्षा के अन्तर्गत चलाए जाने वाले अनेक कार्यों से सम्मिलण रूप में गांव के वातावरण में एक नई सजीवता आ जाती है और कुछ नया आकर्षत उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण गांव में उत्पन्न होने वाले प्रखर बुद्धि के नवयुवक शहरों में भागने के बजाए वहीं अपने गांव में ही रम सकते हैं।

इस स्तर पर समाज शिक्षा से होने वाले लाभों की नाप-जोख के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्नों के बारे में मैं यही कहूँगा कि सीधी तौर पर तो इस तरह की माप-तौल सरल नहीं। हां यह जरूर है कि प्रत्यक्ष रूप में यह माप-तौल नहीं की जा सकती। किन्तु क्या यही बात अन्य सारी शिक्षा पर लागू नहीं होती? यह अनुभव और विश्वास पर छोड़ दिया जाए कि शिक्षा से लाभ होते हैं। क्या आप रुपया, आना के रूप में प्रारम्भिक शिक्षा के महत्व को ठीक उसी प्रकार बतला सकते हैं, जैसा गेहूँ की उपज की वृद्धि को?

(२) विचार संचार—कुछ स्थितियों में तो समाज शिक्षा के फल अधिक प्रत्यक्ष होते हैं और उन्हें मापा तोला जा सकता है। सुधरे हुए कार्यों, उर्वरकों, औजारों, बीजों की किस्मों आदि की जानकारी देने के सम्बन्ध में यह असम्भव है कि हम इतने अधिक कार्यकर्त्ताओं को विकास क्षेत्रों में भेज सकें कि वे गांव के एक-एक व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित कर लें। न तो इतना धन ही व्यय किया जा सकता है और न समय ही लगाया जा सकता है। किसी भी विकास क्षेत्र में केवल छपी हुई सूचनाओं के द्वारा ही जनता के अधिकांश भाग को यह बातें बताई जा सकती हैं। इसी कारण हमारे समाज शिक्षा कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया गया है। कोई भी नव-शिक्षित, जो अपनी साक्षरता को कायम रख सकता है, प्रत्यक्ष रूप में ग्रामीण जन संख्या के उस भाग को बढ़ाता है जो हमारी छपी हुई चीजों को पढ़कर हमारे विचारों को जान सकता है। आपके कृषि विभाग में ही ऐसा एक बड़ा उप विभाग है जिसके द्वारा

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सरल और प्रभावोत्पादक परचे छापकर बांटे जाते हैं। किन्तु यह हमारा काम है कि अपने ग्राम-सहयोग और समाजिक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा जनता को इतना तैयार कर दें कि वह उन परचों को पढ़े और समझ सके।

अब आप गांव की समस्याओं और गांव वालों के व्यक्तिगत मामलों के प्रबन्ध पर विचार कीजिए। प्रौढ़ कक्षाओं में गांव वालों ने यह मांग की थी कि उन्हें साधारण अंकगणित की शिक्षा अवश्य दी जाए। अब हम उनकी इस मांग को पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं। गांव वाले इसके लिए बहुत उत्सुक हैं कि अपने हिसाब किताब के लिये वे जोड़ बाकी जान लें। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि यदि गांव वाले मामूली हिसाब किताब की बातें भी नहीं जानते तो वे सहकारी समितियों के प्रबन्ध में ठिकाने से सहयोग नहीं दे सकते। यदि गांव वाले ठीक से सहयोग न दे सके तो सरकार को खुद ही सहकारी समितियों को चलाते रहना पड़ेगा। फल यह होगा कि सहकारी समितियां गांव वालों की अपनी चीज न बन सकेंगी और गांव वाले उस ओर से बराबर उदासीन बने रहेंगे।

इससे भी बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जनता में जो सजगता फैल रही है, जिस तरह वह निर्माण कार्य में दिलचस्पी ले रही है और उसकी समझने की शक्ति बढ़ रही है, गांव वालों में यह भावना तेज़ी पकड़ रही है कि हम अपने स्थानीय आर्थिक और राजनीतिक मामलों को खुद ही देखें, उन सब का मूल कारण है वे अल्पकालीन शिविर और समूह चर्चायें जिनको हम सहकारी समितियों और पंचायतों के प्रमुख सदस्यों के लिए वर्षों से करते आ रहे हैं। जिन स्थानों से इस तरह के समाज शिक्षा सम्बन्धी प्रयत्न किए गए हैं, और जिन स्थानों में ऐसे प्रयत्न नहीं किए गए हैं, उन दोनों स्थानों की प्रगति और जन-भावना में काफी अन्तर दीख पड़ता है।

(३) **कार्य को सरल और सुविधापूर्ण बनाना**—समाज शिक्षा कार्य का एक तीसरा भी पहलू है और वह बहुत ही प्रत्यक्ष है। मेरा अनुरोध है कि स्वयं क्षेत्र में जाकर उसकी जांच करें। और वह जांच भी इस तरह हो कि आप अपनी इच्छानुसार जहां चाहें जाकर विभिन्न स्थानों को देखें। क्योंकि मेरा विश्वास है कि ऐसा करने से आपको भी समाज-शिक्षा के सम्बन्ध में विश्वास हो जायेगा।

जहां कहीं भी समाज-शिक्षा कार्य को हमारा कोई उत्तम कार्यकर्त्ता कर रहा हो, वहां के कृषि, जनस्वास्थ्य या पशुपालन के किसी भी सम्बन्धित अधिकारी से या किसी भी उपनियोजन अधिकारी से यह पूछिए कि उसके अपने विभाग के कार्यों में हमारे "समाज शिक्षा" वाले कार्य से कितनी महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। मैंने इन लोगों से स्वयं इस प्रकार के प्रश्न किये हैं। और मुझे यह पता चला है कि ये सभी अधिकारी यह महसूस करते हैं कि सहायक विकास अधिकारी (समाज शिक्षा) के द्वारा जो समाज शिक्षा का काम चलाया जा रहा है, उससे अनेक कामों के लिए भी क्षेत्र तैयार हो जाता है, समाज शिक्षा के कार्य से उनके अपने विभागीय कामों में बहुमूल्य सहायता मिलती है। और उनके विभागीय कामों की सफलता के लिए समाज शिक्षा कार्य अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इन सहायक विकास अधिकारियों का स्थानीय लोगों से विशेष सम्बन्ध रहता है। इसलिए वे गांव वालों के विश्वासों और असली भावनाओं का पता लगा सकते हैं, और जनता एवं उसकी प्रतिक्रियाओं का ठीक-ठीक निरीक्षण करके प्राविधिक सहायक विकास अधिकारियों को जनता से

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सम्पर्क रखने वाले रुखों ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सलाह दे सकते हैं, और देते हैं, जिनका हल करना उन प्राविधिक अधिकारियों की शक्ति के बाहर की बात है।

इसमें सन्देह नहीं कि इस कार्य के प्रभाव और व्यापकता के सम्बन्ध में जो विवरण मैं दे रहा हूँ वह पूरा नहीं है। किन्तु आप तो इस विषय में पहले से भी बहुत अधिक जानकारी रखते हैं। इस सारे कार्य पर खर्च भी कितना पड़ रहा है? अन्य खर्चों के मुकाबले में भी, और इस कार्य को एकाकी रूप में देखते हुए भी, जो खर्च पड़ रहा है वह बहुत ही नगण्य है। विभिन्न क्षेत्रों में इससे जो लाभ हो रहे हैं उनको देखते हुए यह खर्च तो निश्चय ही बहुत थोड़ा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझेंगे और हमारे कार्य के इस पहलू के आधारभूत महत्व से सहमत होंगे।

शुभकामनाओं के साथ,

भवदीय
एलबर्ट मायर
[५४.८]

ग्राम्य योग-दान के तीन कार्य

यद्यपि जन सहयोग एक ऐसा कार्यक्रम है जो अन्य अनेक कार्यक्रमों से सम्बन्धित है, तो भी इसके बहुमुखी कार्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: (१) सुनना और देखना, (२) प्रोत्साहित करना, और (३) निरन्तर कार्य को चालू रखने के लिए प्रयत्न करना। योजना से सहयोगियों को भेजे गए स्मृतिपत्र में इन तीनों कार्यों का विवरण दिया गया है, जो यहां दिया जाता है।

(१) **सुनना और देखना**—जन सहयोग के सीधे कार्यों में यह जरूरत पड़ती है कि हम अपने स्वभाव को ग्रहणशील बना लें—सुनें और देखें, और इस बात का पता लगाएं कि गांव के लोग क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं। गांव वालों से सीखते रहें, और साथ ही इस बात का भी पता लगाते रहें कि वह हमारे या हमारे काम के बारे में क्या सोचते हैं। कभी कभी हम अपने विचारों को उनके सामने रखने की धुन में इतने डूबे रहते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि गांव वालों से भी हम खुद कुछ सीखते रहें। इटावा ने जनता की बात सुनने और उनकी समस्यायों को जानने और समझने में खास प्रगति की है।

यह कहा जा सकता है कि सुनने और सीखने वाले कार्य में जन-सम्पर्क अधिकारी को विशेष कुशलता प्राप्त कर लेनी चाहिए। किन्तु असल बात तो यह है कि हमारे सभी कार्यकर्त्ताओं को इस विषय में कुशल होना ही चाहिए। केवल यही बात नहीं है कि इसका उपयोग क्षेत्रीय स्थानों या मामलों में किया जाए, बल्कि यह तो गाँव की पूरी स्थिति पर लागू होती है, जिसका अध्ययन और निदान सामाजिक वैज्ञानिकों ने किया है। यहीं हमें ग्रामीण जीवन विश्लेषक के कुशल ज्ञान की आवश्यकता पड़ी और हमने उसका उपयोग भी किया।

(२) **नये नये कार्यों के लिये उत्साहित करके उन्हें आरम्भ कराना**—समाज शिक्षा के द्वारा कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनसे सारे वातावरण में स्फूर्ति फैल जाती है

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और गाँव सजग हो जाता है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्य, गोष्ठियाँ, नाटक मंडलियाँ और अभिनय, लोकगीत मंडलियाँ, पद-यात्रा, सामुदायिक केन्द्र और किसान मेले। इनमें से कुछ तो सार्वजनिक सम्पर्क पद्धति के रूप में भी संगठित किये जा सकते हैं।

एक एक व्यक्ति के साथ या छोटे छोटे दलों में चलने वाली चर्चायें भी महत्वपूर्ण होती हैं। इनके द्वारा सुना और सीखा जा सकता है और व्यक्तियों से निकट सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है तथा लोगों का आत्म-विश्वास बढ़ाया जा सकता है, जिसका फल यह होगा कि लोग निश्चित रूप से सहयोग देने के लिये बंध से जायेंगे। बड़ी बड़ी सभायें भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे बड़े समारोह से (जिनमें अधिक संख्या में लोग भाग लें) उत्साह बढ़ता और कायम रहता है, सृजनात्मक मनोरंजन होता है और भावनात्मक सन्तोष मिलता है। दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे की पूरक हैं। उनमें से किसी एक से पूरा लाभ नहीं होता।

(३) **निरन्तरता स्थायित्व : स्थानीय नेतृत्व का विकास**—यह सब अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, पर इनका महत्व इस बात में है कि इनके द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और गाँव में विकास कार्य के लिये अनुकूल वातावरण तैयार हो जाता है। उन सब के द्वारा नेतृत्व की आवश्यकता विकसित होती है। प्रत्येक गाँव में किसी न किसी तरह का नेतृत्व तो होता ही है। किन्तु हमारा काम यह है कि स्वस्थ स्थानीय नेतृत्व को खोज निकाला जाए और विकसित किया जाए। [५२.६]

सुनना और देखना

ग्राम-सहयोग कार्यक्रम का रचनात्मक पहलू यही है कि इस बात का पता लगाया जाय कि गाँव वाले क्या सोचते और क्या चाहते हैं। इस सम्बन्ध में एक उहाहरण दिया जाता है; (इटावा योजना के पहले वर्ष के कार्यक्रम से यह अंश लिया गया है) वहाँ ग्राम्य जीवन विश्लेषक द्वारा सुनने और देखने के कार्य को व्यावहारिक रूप दिया गया था। श्री रिचर्ड मोर्स ने इन्स्टीच्यूट आफ करेन्ट वर्ल्ड अफेयर्स को एक रिपोर्ट दी थी। उसी से यह उदाहरण लिया गया है।

""""आज सबेरे मैंने मुकटपुर गांव में ग्राम विश्लेषक श्री रुद्रदत्त सिंह द्वारा किया गया एक बहुत ही सफल कार्य देखा, जिसमें उन्होंने महसूस की हुई आवश्यकता को गांव वालों द्वारा ही व्यक्त कराया और उसे व्यावहारिक कार्य से जुड़वा दिया।

मैं और रुद्रदत्त सिंह मुकटपुर गाँव जा रहे थे। रास्ते में एक तालाब पड़ा जो सूख रहा था। एक काछी (साग सब्जी उगाने वाले) के चबूतरे के पास हम लोग रुक गए। रुद्र ने काछी से पूछा, "बरसात में इस तालाब में पानी कहाँ तक आ जाता है ?"

फौरन ही उत्तर मिला, "पानी इतना बढ़ जाता है कि इस गली तक आ जाता है और मेरे चबूतरे की इस सीढ़ी को डुबा देता है। (उसने मिट्टी की सीढ़ियों पर पड़े हुए काले काले निशान हमें दिखाये) और पानी सारी गली में बहने लगता है। इसके कुछ आगे के मकानों के चबूतरों के ऊपर तक पानी चढ़ आता है। खेतों पर जाने के लिए गाँव वालों को कमर तक पानी में घुस कर जाना पड़ता है। और

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सदा यह भय बना रहता है कि कहीं लड़की-लड़के पानी में डूब न जायें।" इतना कहते कहते वह अधिक उत्तेजित हो उठा, और मेरी ओर मुखातिब होकर कहने लगा, "बरसात के दिनों में तो यहाँ रहते समय मौत का सामना करना पड़ता है।"

हमें एक ऐसी जरूरत का पता चला, जिसे वहाँ के लोग महसूस कर रहे थे और रुद्रदत्त सिंह की मन्शा भी यही जानने की थी।

हम आगे बढ़कर चमारों और मेहतरों के मुहल्ले में गए। और फिर वही साधारण प्रश्न किया गया, "बरसात में पानी मकानों में कहाँ तक पहुँच जाता है?" और फिर एक-एक आदमी ने अपने कष्टों का वर्णन करना शुरू किया। इसी तरह हम गाँव में आगे बढ़ते गए और अहीरों, ठाकुरों और ब्राह्मणों के मुहल्लों में जा पहुँचे। हमारे पीछे पीछे चलने वालों की भीड़ बढ़ती जाती थी। हर मुहल्ले से दो-दो तीन-तीन आदमी हमारे साथ हो लेते थे। रास्ते में दूसरे दो ताल और पड़े और हमें हर एक ताल की बरसात वाली कथा सुनाई गई।

इसके बाद हमको यह बताया गया किया कि कुछ वर्ष पहले पानी की धारा में दो घर बह गए थे और उसके बाद ही गाँव वालों ने एक ताल को खोदकर गहरा कर दिया था। इस पर हमारे साथ चलने वाले गाँव के लोगों में बहस छिड़ गई। एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, "वह झूठ कह रहा है, बिल्कुल झूठ।" भीड़ से दूसरा आदमी बढ़ा और धक्का देकर जोर से कहने लगा, "यह सच नहीं है।" और इस तरह हमें इस बात का पता चला कि उस गाँव के कुछ लोगों ने एक तालाब को खोद कर गहरा कर दिया था और मिट्टी का बाँध-सा बना दिया था। इस कारण गाँव के दूसरे लोगों की दशा और भी अधिक खराब हो गई थी। चार या पाँच आदमियों के बीच बहस चलने लगी। उनमें से हर एक अपने ही घर की जरूरतों पर जोर दे रहा था। इस तरह केवल सुनते रहने से यह बात सामने आ गई कि इस गाँव में हर वर्ष वर्षा ऋतु में गाँव वालों के बीच लड़ाई झगड़े चलने लगते हैं।

गाँव वाले जोर-जोर से चिल्ला कर बातें कर रहे थे और रुद्रदत्त सिंह चुपचाप सुनते जा रहे थे। उन्होंने झगड़े वाली बातों के सम्बन्ध में अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा। वे उस बहस को चालू रखने की गरज से कुछ ऐसे मामूली प्रश्न जरूर करते जाते थे जिनसे असली बातों का पता लगने में सहायता मिले। इस तरह सबकी बातें सुनते हुए हम लोग गांव के जमींदार के घर जा पहुँचे। जमींदार एक वयोवृद्ध प्रभावशाली व्यक्ति थे और हाल ही में अदालती पंचायत के सरपंच चुने गए थे। उनके सामने गांव के हर दल के एक-एक आदमी ने अपने-अपने मोहल्ले की दृष्टि से बाढ़ की बातें बतलाईं। कुछ ही वर्ष पहले की बातों के पूछने पर हमें उस मूल कारण का पता चला, जिसने इस पूरे गांव को बाढ़ की परेशानी में डाल दिया था। यह पता चला कि करीब बीस वर्ष पहले एक पक्की सड़क बनाई गई थी और एक नहर भी बनी थी जिसके कारण पानी का नदी की ओर बहकर जाने वाला प्राकृतिक मार्ग बन्द हो गया था। फल यह होता था कि बरसात का पानी इसी तरफ रुक जाता था, खेतों में भर जाता था और गांव के अन्दर घुस आता था।

गांव में करीब सात सौ पचास लोगों की बस्ती थी। सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग और नहर विभाग के निर्माण कार्यों ने इस पूरे गांव के लोगों को विपत्ति में डाल रक्खा था। इस नई परिस्थिति में पानी की निकासी की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कोई व्यवस्था गांव वाले नहीं कर सके, क्योंकि एक तो उनके पास जो साधन थे वे सीमित थे। दूसरे वहाँ कोई ऐसा कुशल जानकार नहीं था जो उस काम को कर सके।

यह बहस चल ही रही थी कि इसी बीच समाज सेवा दल के तीन नवयुवक वहाँ आ गये। वे साफ कमीजें और पतलून पहिने हुए थे। उन्हें हमारी समस्याओं में काफी दिलचस्पी थी। वे उस नव भारत के प्रतिनिधि थे, जो भारतीय गांवों में जाने के लिए, गांवों के तौर तरीकों एवं दृष्टिकोण को जानने के लिए इच्छुक हैं और जहाँ आवश्यकता पड़े और सम्भव हो वहाँ सहायता करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो समुदाय के आपसी झगड़े और आवश्यकता की चर्चा चल रही थी, जिसे रुद्रदत्त सिंह संचालित कर रहे थे। बहस के बीच गर्मागर्मी के मौकों पर रुद्रदत्त बड़ी सावधानी से लोगों को संभाल रहे थे और हर व्यक्ति की बातों को शान्ति और निष्पक्षता से सुनते जाते थे। रुद्रदत्त के इस तौर-तरीके से तीनों नवयुवक बहुत कुछ सीख रहे थे।

यह झगड़ा काफी सरल था और इसी को लेकर आगे बढ़ना था। अनेक वर्ष पहले सड़क और नहर के कारण पानी की निकासी का रास्ता बन्द हो जाने से ही गांव के सभी मोहल्लों पर बाढ़ का संकट पड़ता था। यह एक ऐसी बात थी जिसमें सभी को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए था। इसी बात की ओर रुद्रदत्त ने ध्यान भी दिलाया था। इसी बीच उन्होंने सभी लोगों की बातें सुन ली थीं और इस प्रकार उन सब को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि जो भी हल निकले उसमें सब दिलचस्पी लें। इसके बाद रुद्रदत्त ने सरपंच और पंचों के सामने अपने सुझाव रक्खे।

रुद्रदत्त ने कहा—"पहली जरूरत तो यह है कि सारी जमीन की नाप की जाय ताकि यह पता चल जाये कि ढाल किस ओर है और किस स्थान से पानी की निकासी के लिए राह बनाई जाये। इस काम के लिए हमें एक सर्वेक्षण करने वाले को बुलाना होगा। इसके बाद खाई खोदी जायेंगी। जो मिट्टी इन खाइयों से निकलेगी, उसे गांव की गलियों पर फैला कर उनकी सतह ऊंची कर दी जायेगी। और यदि यह सारा काम पूरा हो गया तो इससे सारे गांव को लाभ पहुंचेगा।" ये बातें सबकी समझ में आ गई और वे सब राजी हो गये। तब रुद्रदत्त ने फिर कहा, "यदि आपकी पंचायत खाई खोदने का काम कराने के लिए तैयार हो, तो विकास खण्ड द्वारा जमीन की जाँच करा ली जायेगी। उसके बाद हर व्यक्ति अपने घर के सामने की गली पर मिट्टी डाल कर उसे ऊंची कर लेगा।"

खुदाई की बात का थोड़ा विरोध किया गया। कुछ लोग कहने लगे कि "क्या विकास खण्ड की मशीनें खुदाई के लिए नहीं लाई जा सकतीं?

रुद्रदत्त का उत्तर बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने कहा, "अपनी समस्याओं पर तो ध्यान दीजिये। हमारे देश में अन्न की बहुत अधिक कमी है। करोड़ों रुपये देकर अमेरिका और दूसरे देशों से सरकार को अन्न खरीदना पड़ा है। हमें मशीनों के खरीदने के लिए उसी रुपये की बड़ी जरूरत थी। सरकार ने निश्चय किया है कि सबसे पहले अधिक अन्न उपजाना चाहिए। आपने कुछ मशीनों को महेवा में देखा होगा। हमें उस तरह की मशीनों की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि उनसे बांध

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तैयार किये जायें ताकि अधिक अन्न उपजाने के लिए अधिक जमीन मिल सके। इस कारण इस समय तो हमारी सारी मशीनों का और पेट्रोल का उपयोग अधिक अन्न उपजाने वाले कामों में ही करना चाहिए। जब हम इतना अन्न उत्पन्न करने लगेंगे कि उससे सारे भारत की आवश्यकता पूरी हो जाये, तब हम अपने देश के सुधार और उन्नति वाले निर्माण कार्यों के लिए मशीनों और अन्य आवश्यक चीजों का उपयोग कर सकेंगे।" सारी बातें साफ-साफ शब्दों में कही गई थीं इस कारण सभी सुनने वालों को वे ठीक जान पड़ीं क्योंकि वे सब गम्भीरतापूर्वक अपने राष्ट्र की समस्याओं को सुन रहे थे और उन पर गौर कर रहे थे। भारतीय राष्ट्र को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उनको इन बीस-पच्चीस सुनने वालों के सामने यथार्थ रूप में स्पष्ट कर दिया गया था और कहा गया था कि जब तक देश की मुख्य समस्या हल न हो जाये, तब तक उन मशीनों को गांव के पानी की निकासी वाले मामूली काम में न लगाया जाये।

इन कारणों से उन लोगों ने यह स्वीकार कर लिया (पहले तो कुछ अनिश्चित रूप में ही) कि खुदाई और मिट्टी फेंकने का काम गांव के श्रम द्वारा ही कराया जाय। रुद्रदत्त ने वादा किया कि काम को शुरू करने के लिए वे पहले सर्वेक्षण करने वालों को बुलावेंगे।

मुझे जान पड़ा कि आज सबेरे का समय एक अच्छे काम में लगा। एक ठोस नागरिक समस्या सामने लाई गई और इस प्रयत्न में गांव के सभी प्रमुख लोगों ने खुद भाग लिया। साथ ही सबने मिलकर एक सार्वजनिक कार्य को पूरा करने की हामी भर ली। इसके अलावा शायद पहली बार ही उन्होंने यह महसूस किया कि पूरे भारत की समस्त समस्याएं भी उनकी ही समस्याएं हैं, क्योंकि उन समस्याओं से उनके निजी जीवन और कार्यों पर गहरा असर पड़ता है। गांव वाले शायद अपनी पानी की निकासी वाली योजना को हल कर लें और उस योजना को करते-करते उन्हें सरकार पर और अपने आप पर अधिक विश्वास हो जायेगा।[1]

[५२.१३]

प्रेरक कार्य

पौढ़ शिक्षा के लाभ

श्री एलबर्ट मायर ने १९५३-५४ में अपने भारतीय सहयोगियों को पत्र लिखे थे जिनमें योजना क्षेत्रों में किये जाने वाले प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी प्रयत्नों की चर्चा की गई थी; क्योंकि गांव वालों को विकास कार्यों में लगाने में प्रौढ़ शिक्षा का प्रमुख भाग रहा है।

हमारे काम का सबसे प्रमुख अंग प्रौढ़ शिक्षा ही है। और गांव का जीवन अधिक सुखमय और अधिक सार्थक बनाने के लिये हम जो भी अन्य कार्य करते हैं उन्हें इसी से सम्बन्धित कर दिया गया है—भजन मंडलियाँ, वाद-विवाद गोष्ठी,

---

[1] ग्राम योगदान कार्यक्रम के ग्रहणात्मक कार्य के दूसरे उदाहरणों के लिए श्री बैजनाथ सिंह द्वारा लिखी गई रिपोर्ट "महेवा में जनमत का अध्ययन" देखिये। पृष्ठ १२७–१४०

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नाटक, लोक नृत्य, पद-यात्रा, प्रभात फेरी आदि । यद्यपि इनमें कोई भी कार्य पूर्णता को नहीं पहुँचे हैं और हर कार्य में काफी सुधार किया जा सकता है, तो भी मैं सोचता हूँ कि इस कार्य के प्रति तीन तरह से संतोष का अनुभव किया जा सकता है । इस भावना के तीन प्रमुख कारण हैं । [५३.९]

प्रथम, पहले साक्षरता के नाम पर केवल शुष्क ढंग पर पढ़ाई ही की जाती थी । किन्तु हमने उस पुरानी विचार-धारा को बदल दिया और हमने उसे अधिक सशक्त और अधिक मूल्यवान वस्तु बना दिया है जिस पर सारे गांव का ध्यान एकत्र हो जाता है । हमारे इस विचार और व्यावहारिक कार्य का उपयोग दूसरे लोग भी करने लगे हैं ।

द्वितीय, हमने इन समारोहों में सार्वजनिक जागृति की भावना को प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी विशेष प्रगति से जोड़ दिया है और समय-समय पर होने वाले विकास कार्यों को उन विचारों और उत्सवों के साथ सम्बन्धित किया है जिनसे लोग सदा से परिचित थे । इस प्रकार हमने जनता के भावनात्मक स्रोत का और उसमें निहित शक्ति का उपयोग करने की चेष्टा की है ।

तृतीय, जो १५ रुपये मासिक पारितोषिक मानदेय के रूप में हम प्रौढ़ शिक्षक को देते हैं वह ऐसी धन राशि है जिसका सबसे अच्छा सदुपयोग होता है । यद्यपि यह धन बहुत ही कम है तो भी इससे प्रोत्साहन मिलता है और उससे ईमानदारी से कार्य करने वाले व्यक्ति को कर्त्तव्य के रूप में काम करने की प्रेरणा मिलती है, जैसी प्रेरणा किसानों की गरीबी देखते हुये मुफ्त में काम करने वालों को नहीं मिल सकती । इस प्रकार इसमें अवैतनिक रूप से कार्य करने वाले और वेतन लेकर काम करने वाले दोनों ही प्रकार के कार्यकर्त्ताओं के गुण सम्मिलित हो जाते हैं । पुरस्कार लेकर काम करने वाले लोग गांव के ही होते हैं और उसी गांव में काम करते हैं । इस कारण पूरा वेतन लेकर कार्य करने वाले बाहरी कार्यकर्त्ताओं के मुकाबले में इन लोगों को अधिक सुविधाएं रहती हैं और उनका प्रभाव भी अधिक रहता है । इससे समझदार मित्र बनते हैं । जिन विकास कार्यकर्त्ताओं और समाजशास्त्रियों से इन लोगों के कार्य का विवरण लिया गया उन्होंने इस खास पद्धति को ही हमारी सबसे बड़ी देन बतलाया । [५४.८]

यद्यपि इस क्षेत्र में हमारी प्रगति उत्तम दर्जे की मानी जाती है किन्तु कुछ खास बातें हैं जिनके विषय में सभी योजनाओं में इतने अच्छे स्तर पर हम नहीं पहुँच सके हैं । जिन मदों में खास सुधार की आवश्यकता है उन्हीं के विषय में मैं विचार कर रहा हूँ ।

(१) **सामूहिक चर्चा**—इसकी रूप-रेखा बनाना सबसे कठिन कार्य है । किन्तु यह सबसे महत्वपूर्ण भी है । सामूहिक चर्चा वाली बैठकों में कम से कम तीन बातें अवश्य होनी चाहिये और सप्ताह में एक मीटिंग हो जिसमें एक-एक बात ली जाये ।

मौसमी मसलों और मौसमी विकास कार्य पर चर्चा हो ताकि लोगों को ठीक समय पर या समय के पहले ही आगाह कर दिया जाए और इस प्रकार हमारे दूसरे प्रयत्नों को इस दिशा की ओर अग्रसर किया जा सके ।

स्थानीय सामाजिक मामलों पर चर्चा होनी चाहिये, जैसे सार्वजनिक निर्माण

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कार्य, पंचायत, सहयोग समिति—उनके असली इख्तियार और उनमें कैसे भाग लिया जाय।

दिलचस्पी वाले सभी तरह के मामले जैसे विकास कार्य, राष्ट्रीय पंच वर्षीय योजना, सामयिक विषय।

यह आशा नहीं की जा सकती कि हमारे प्रौढ़ शिक्षक इन गोष्ठियों को समुचित कुशलता-पूर्वक संचालित कर सकेंगे। इसके दो कारण हैं: एक तो उन्हें सभी विषयों का पूरा ज्ञान नहीं होता, दूसरे वे इस कार्य के लिये ठीक से प्रशिक्षित नहीं रहते। वाद-विवाद गोष्ठी में तो यह होना चाहिये कि उसका नेता ही व्याख्यान देता रहे, न यही कि सभी लोग जोर-जोर से चिल्ला कर अपनी-अपनी बातें सुनाते रहें या कोई अभिमानी गांव वाला अपनी ही बातें सुनाता रहे। गोष्ठी का नेता या तो शिक्षक हो, या गोष्ठी वाले आपस में सलाह करके अपना नेता चुन लें। वह नेता विषय को विचारार्थ सबके सामने रक्खे। गोष्ठी में सभी लोग बोलें और भाग लें। नेता पथ-प्रदर्शन जरूर करे, किन्तु इतना हावी न हो कि अधिक बातें वही कहता जाए। नेता को तो प्रोत्साहन देते रहना चाहिये। गोष्ठी सम्बन्धी यह पूर्ण विवरण ऐसा है जिसे कोई भी ग्रामीण अध्यापक पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं कर सकता किन्तु नीचे लिखी विधियों से हम इन अधिकांश बातों को व्यावहारिक रूप दे सकते हैं:

प्रौढ़ शिक्षकों के लिए चालू किए गए प्रारम्भिक प्रशिक्षण केन्द्रों में सामूहिक चर्चा का विषय सम्मिलित होता है और उन समारोहों में भी, जिनका संगठन शिक्षक में विश्वास की भावना का विकास करने के लिए और सामूहिक चर्चा तथा वाद विवाद की अगुवाई के सम्बन्ध में शिक्षकों को अभ्यास कराया जाता है, इसे सम्मिलित किया जाता है।

यदि सम्भव हो तो प्रशिक्षण काल कुछ बढ़ा दिया जाए ताकि इन गुणों का अधिक विकास हो सके। इस योग्यता में अधिक सुधार लाने के लिए हर दो महीने बाद पुनर्शिक्षण समारोह करना चाहिए।

अधिकांश योजनाओं में समस्याओं पर विचार विनिमय करने के लिये और भविष्य का कार्य बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षकों को दो हफ्ते बाद सहायक विकास अधिकारी से और क्षेत्रीय शिक्षकों से मिलना पड़ता है। नियमित रूप से चलने वाले इन समारोहों में करीब एक डेढ़ घन्टे का समय उन विकास कार्यों आदि पर विचार करने में लगाना चाहिए जो उस अवधि में कार्यान्वित किए जाएँगे। आवश्यक कामों को हम जिस रूप में कराना चाहते हैं उनकी रूप रेखा से शिक्षक को परिचित करा देना चाहिए। उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अधिक से अधिक प्रश्न करें। इसका कारण यह है कि यदि उनकी गांव वाली मीटिंगों को सजीव बनाना है तो उन्हें उस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने की जानकारी होनी ही चाहिए।

सहायक विकास अधिकारियों, क्षेत्रीय शिक्षकों और ग्राम सेवकों को तो इन कक्षाओं में और खासकर चर्चा वाली रातों में तो अवश्य आना चाहिए, ताकि वे यह देख सकें कि काम कैसा चल रहा है। उन्हें वाद-विवाद में भाग भी लेना चाहिए और यदि शिक्षक के सामने कोई कठिनाई आए तो उसे दूर करने में सहायता देनी चाहिए। किन्तु हमें इसके लिए सावधान रहना चाहिए कि हम अधिक उत्सुकता न दिखाएं, शिक्षक का स्थान न ले लें, और न ही शिक्षक को दबा दें। उद्देश्य यह है कि शिक्षक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में आत्म-विश्वास की भावना बढ़े और साथ ही जनता में भी उसके प्रति विश्वास की भावना जगे। ये शिक्षक खास तरह के होते हैं और यदि उन्हें प्रोत्साहन न दिया गया तो उनमें आत्म-विश्वास की भावना कभी उत्पन्न न होगी। यह भी सम्भव है कि शिक्षक ही वाद-विवाद पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लें, उन्हें चाहिए कि वे गांव वालों को बोलने के लिए उत्साहित करते रहें।

प्रबन्ध में भी अक्सर बहुत-सी खामियां पाई गई हैं। यहां उसके उदाहरण दिए जाते हैं :

(अ) पढ़ने लिखने के लिऐ ठीक रोशनी का न होना। लालटेनें काफ़ी संख्या में नहीं होतीं और वे ठीक स्थान पर रखी भी नहीं जातीं। बहुत से आदमी तो ठीक से देख भी नहीं सकते। कसिया में जो पेट्रोमैक्स हैं, वे बहुत ही अच्छे हैं।

(ब) शिक्षक शिक्षा चार्ट के सामने खड़ा हो जाता है, इस कारण बहुत से पढ़ने वाले उसे देख भी नहीं सकते। शिक्षक को इस तरह खड़ा होना चाहिए, जिससे सभी चार्ट देख सकें। उसके पास एक छड़ी भी होनी चाहिए, जिससे वह दूर से ही चार्ट की बातें बतलाता जाए।

(स) लोगों के बैठाने के प्रबन्ध में भी गड़बड़ी होती है। आगे बैठने वालों के कारण पीछे वाले सामने की चीजों को देख नहीं सकते।

ये बहुत ही मामूली खामियां हैं और ये आसानी से दूर की जा सकती हैं। शिक्षक को यह समझाना चाहिए कि ये सारी बातें उसके कार्य करने के ढंग का एक अंग हैं।

(द) कक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। एक कक्षा में तो पैंसठ पढ़ने वाले पाए गए थे। ऐसी अनेक कक्षाएं देखी गईं जिनमें से हर एक में पचास से अधिक पढ़ने वाले मौजूद थे। है तो यह बड़ी अच्छी बात, किन्तु संसार का कोई योग्य से योग्य शिक्षक भी तीस या पच्चीस शिक्षार्थियों से अधिक को ठीक से नहीं पढ़ा सकता। यदि पढ़ने वाले अधिक आएं तो उनके लिए दूसरी कक्षा चलानी चाहिए।

(२) **समुदायिक केन्द्र और पुस्तकालय**--शुरू में हम लोग कुछ हफ्तों तक प्रशिक्षण देकर प्रौढ़ शिक्षकों को कुछ गांवों में काम करने के लिए तैयार करते थे। उसके बाद हर आदमी करीब छः महीने तक एक कक्षा चलाता है। इस कक्षा के साथ ही साथ वह मनोरंजन और चर्चा आदि का भी प्रबन्ध करता रहता है जिनका समावेश सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम में कर दिया गया है। इसके बाद या तो दूसरे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो उस तरह के प्रशिक्षण के लिए उत्सुक होते हैं, अथवा शेष छः महीनों के लिए दूसरी कक्षा का प्रबन्ध किया जाता है।

किन्तु जब केवल पढ़ाई वाला कार्य समाप्त हो जाता है, तो यह असली समस्या सामने आती है कि किस प्रकार पाठ्य सामग्री वितरित की जाय, पढ़ने की आदत और इच्छा को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाय, अच्छी ढंग की सामुदायिक बैठकों का होना किस तरह जारी रखा जाय और किस तरह और दूसरे कार्य चलाए जाएँ, और ये हफ्ते में एक बार या उससे भी जल्दी होते रहें। कार्य का यही कठिन पहलू है और इसी की योजना को हमें सावधानी से बनाना चाहिए।

प्रौढ़ शिक्षा और सामुदायिक बैठकों आदि के लिये प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी प्राम्भिक प्रयत्न और कार्य अपने में महत्वपूर्ण जरूर हैं किन्तु लोगों को साक्षर बनाना

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और गांव वालों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की चेतना देना तो केवल असली उद्देश्य का प्रारम्भिक रूप मात्र है। यदि हम इन कार्यों को शुरू कर दें और उसके बाद तब छः महीने या एक साल के बाद उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में इसलिए चले जाएं कि हमारे साक्षरता कोष वाली रकम को दूसरे गांव में ही खर्च करना चाहिए और जाते समय उस गांव में इस तरह की व्यवस्था कर जाएं कि इस तरह के सामुदायिक कार्यों को बराबर प्रोत्साहन मिलता रहे तो हमने उस गांव के लोगों को धोखा दिया। गांव की असली सेवा तभी मानी जायगी जब हम वहां जाने के पहले स्थानीय लोगों और पंचायतों को इस बात के लिए तैयार कर दें कि वे :

(अ) प्रौढ़ शिक्षक के बिना ही सामाजिक कार्यक्रम जारी रक्खें; प्रौढ़ शिक्षक के न रहने पर किसी दूसरे योग्य और उत्साही व्यक्ति के द्वारा मीटिंगें आदि कराते रहें; और इन सब पर पड़ने वाले खर्च को बर्दाश्त करते रहें। यह हो सकता है कि हम कुछ थोड़ी-सी सहायता भी दें।

(ब) चल-पुस्तकालयों का प्रबन्ध करें, उस पर होने वाले खर्च को दें और यह देखें कि जो आदमी उस पुस्तकालय के प्रबन्ध के लिए रक्खा गया है वह लोगों को देने के लिए केवल किताबें ही तैयार नहीं रखता बल्कि गाँव वालों को उनके उपयोग के लिए प्रोत्साहित भी करता है। पहले तो हमें ऐसे पुस्तकालयों को उपयुक्त पुस्तकें देनी पड़ेंगी और उसके बाद नई किताबों का पता लगाते रहना पड़ेगा।

(स) ऐसे स्थान का प्रबन्ध करें जहाँ मीटिंग हो सके और जहाँ आ कर लोग पढ़ सकें और जहाँ से लोग किताबें ले जा सकें।

नीचे लिखे अनेक तरीकों से हम अपना सहयोग कायम रख सकते हैं। सहायक विकास अधिकारी और उसके सहायक समय-समय पर ऐसी मीटिंगों में या केन्द्रों में जाएँ और लोगों को प्रोत्साहन व सहायता दें।

हमारे ग्राम सेवक ऐसे कामों में जितनी दिलचस्पी लेते हैं और जितना सहयोग करते हैं उसकी मात्रा में हमारी योजनाओं में बहुत भिन्नता पाई जाती है। यह वांछनीय है कि सभी कार्यकर्त्ता ऐसे कामों में दिलचस्पी लें और अक्सर कक्षाओं में जायं। प्रौढ़ शिक्षा कक्षा एक ऐसा स्थान है जहाँ जाकर वे लोग जनता से अपील कर सकते हैं और हमारे दूसरे कार्यक्रमों में दिलचस्पी लेने और सहायता देने के लिए जनता को प्रेरित कर सकते हैं। जहाँ गाँव वाले हमारी योजना को चालू रखने के लिये राजी हो जाएं और उस दशा में काम करना शुरू कर दें, वहाँ भी उन्हें कुछ समय तक प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। एक अच्छा ग्राम सेवक इस तरह का प्रोत्साहन दे सकता है।

यहाँ कुछ खास उदाहरण दिए जाते हैं जो विभिन्न योजनाओं से लिए गए हैं और जिनमें यह दिखाया गया है कि प्रौढ़ शिक्षा के कार्य को अधिक रोचक और व्यापक किस तरह बनाया गया है।

कसिया योजना, देवरिया, से—इस योजना क्षेत्र में तो पहले प्रौढ़ कक्षायें खोली गईं; कुछ महीने बाद अन्तर्ग्राम टूर्नामेन्ट का आयोजन किया गया जिसमें करीब बीस गाँव शामिल किए गए। इनका टूर्नामेन्ट (खेल प्रतियोगिता) हुआ। जो दल हारता, वह प्रतियोगिता से हट जाता। इस प्रकार अन्तिम निर्णायक खेल हुआ। यह सब भिन्न भिन्न गाँवों में किया गया। पढ़ने, लिखने, नाटक आदि की भी प्रतियोगिता कराई

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गई। यह सब बहुत ही मजेदार बातें थीं। इनसे बहुत उत्साह फैला। सभी गाँवों में लोगों ने खूब दिलचस्पी ली। प्रौढ़ शिक्षार्थियों के अलावा भी बहुत से दूसरे लोगों ने इसमें भाग लिया।

इससे प्रौढ़ शिक्षा कार्य की महत्ता और व्यापकता बहुत बढ़ गई। इसके द्वारा गाँव वालों का मनोरंजन हुआ और उनमें उत्साह पैदा हो गया। गाँव सुखद जीवन के केन्द्र बन गए। इसका दूसरा अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि गाँव वालों में अपने गाँव के प्रति एक नवीन जागरूकता और पूरे गाँव की एकता का भाव उत्पन्न हो गया और इससे गाँव में चलने वाले आपसी बैर विरोधों में कमी लाने वाली एक महत्वपूर्ण बात हुई।

एक दूसरी दृष्टि भी है। हमें एक गाँव से दूसरे गाँव की प्रतिस्पर्धा और मुकाबला करने की भावना को अधिक न बढ़ने देना चाहिए। अभी हमारे गाँवों में खेलों की और खिलाड़ीपन की भावना काफी जोर नहीं पकड़ सकी है। अभी उनमें यह चेतना जागृत नहीं हुई है कि किसी हार को हँसते-हँसते खुशी से बर्दाश्त कर लें और उनके मन में जलन न पैदा हो। हमें ऐसे कामों को बहुत ही सावधानी के साथ करना होगा ताकि उनके कारण आपसी विरोध न बढ़ने पाए। यदि यह सावधानी बरती गई तो हम आपसी जलन और डाह से होने वाली हानियों को बचाते हुए ऐसे कामों में सफल हो सकेंगे।

गोरखपुर से—सन् १९५१ से यहाँ वर्ष में दो बार दो केन्द्रों में नव-साक्षरता दिवस के समारोह किए जाते हैं। करीब चार साल पहले प्रौढ़ शिक्षा का कार्य शुरू किया गया था। अब तक नवशिक्षितों की संख्या ३,००० तक पहुँच चुकी है और खेलों, नाटकों आदि का आयोजन किया जाता है। इससे नवशिक्षित प्रौढ़ों के उत्साह की वृद्धि होती है क्योंकि समारोहों के अधिकांश कार्यों में उन्हीं का प्रमुख हाथ रहता है। और साक्षरता को कायम रखने वाली बात की महत्ता को नाटकीय ढंग पर सबके सामने उपस्थित किया जाता है।

गाज़ीपुर से—हमारे अधिकांश योजना क्षेत्रों में शारीरिक सुधार और खेलों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। अधिक स्थानों में तो लोग इसमें बहुत कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते, किन्तु मनोरंजन के रूप में इसका अपना महत्व है। कुछ स्थानों पर अखाड़ों और कुश्ती आदि को फिर से शुरू किया गया है।

इस विषय में गाज़ीपुर में कुछ विशेषता पाई जाती है। एक गाँव में एक आदमी लाठी चलाने में बहुत ही कुशल है। उसका एक मुख्य चेला है जो बहुत ही बलवान है और जिसका शारीरिक गठन भी बहुत ही अच्छा है। इन दोनों ने अपने गाँव में बहुत से लोगों को लाठी चलाना सिखा दिया है। आसपास के दूसरे सात-आठ गाँवों में भी लाठी चलाने की कला फैल गई है। मैंने इसका इसलिए जिक्र किया कि शारीरिक व्यायाम के लाभ के अलावा परम्परागत रूप से चले आने वाले इस खेल के जरिए आत्माभिव्यक्ति की एक नई महत्वपूर्ण भावना का प्रसार हो जाता है। इटावा की दो नाटक मंडलियों के जरिए भी इसी तरह का कार्य हो रहा है।

[५२.९]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विकास कार्य को नाटकीय रूप देना

अग्रगामी योजनाओं ने एकांकी नाटकों के लिए प्रोत्साहन दिया है। नाटक काफी अच्छे होते हैं और खुद गाँव वाले ही उनमें भाग लेते हैं। उनके द्वारा ग्रामीण जीवन में दो तरह से नवजीवन का संचार होता है; एक तो प्रौढ़ कक्षाओं में दिलचस्पी बढ़ती है, दूसरे ग्राम जीवन में नया उत्साह आ जाता है।

जहाँ नाटकों का काम एकदम से भुला नहीं दिया गया, वहाँ परम्परागत नाटकीय कार्यक्रमों का सम्बन्ध स्थानीय उत्सवों से जुड़ा हुआ है और ये कार्यक्रम धार्मिक होते हैं और जनता पर उनका काफी प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण नाटक आसानी से इन उत्सवों से पृथक नहीं किए जा सकते। शहर वाले दर्शकों के लिए तैयार किए गए नवीन नाटकों को छोड़कर बाकी सभी नाटकों का कथानक रामायण और महाभारत से लिया जाता है, क्योंकि रामायण और महाभारत अधिकांश भारतीय जनता के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं। रावण और हनुमान ऐसे पात्रों से और नाटक के कथानकों से सभी लोग परिचित रहते हैं।

हमारे कार्यकर्त्ता इन पुरानी कथाओं में नये भाव भर देने में बहुत ही कुशल हैं। उदाहरण के लिए वे यह प्रदर्शित करते हैं कि गन्दगी और रोग ही दानव हैं या नाटक के नायक को किसी दूसरे तरीके से सम्बन्धित कर देते हैं। वे इन पुरानी बातों का ही उपयोग करते हैं जिनसे सभी लोग परिचित रहते हैं और जो दर्शकों को सुखद मालूम पड़ती हैं, किन्तु इन्हीं चीजों को वे नए भावों व अर्थों में मोड़ देते हैं। आजकल कभी-कभी सामाजिक नाटक भी दिखलाए जाने लगे हैं, जिनको गाँव वाले ही तैयार करते हैं। बहुधा प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाओं के लोग ही इसमें अग्रसर होते हैं। ऐसे नाटक आम तौर पर साधारण ही होते हैं, किन्तु होते हैं बहुत ही अधिक मनोरंजक। इन नाटकों में भी साहूकार आदि ऐसे पात्र लाये जाते हैं जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं। ये पात्र ऐसे रूप में मंच पर उपस्थित किए जाते हैं कि उनको देखते ही दर्शक अपने आप हँसने लगते हैं। अन्त में ऐसे पात्रों की पराजय होती है। यथार्थ जीवन में ऐसा नहीं होता, किन्तु इन नाटकों के द्वारा जनता के अन्दर दबी हुई भावना बाहर निकल पड़ती है। ऐसे नाटकों में विकास कार्य सम्बन्धी विचार भी जनता के सामने रक्खे जाते हैं, जैसे महाजन के चंगुल से छुटकारा पाने के लिये कर्ज देने वाली सहकारी समितियाँ और उनसे होने वाले लाभों का प्रदर्शन। इस प्रकार मनोरंजन के साथ ही शिक्षा और विकास कार्यों का मेल मिला दिया जाता है। [५४.१]

हमारे कार्यक्रम के फल-स्वरूप इटावा के प्रथम क्षेत्र में अनेक नाटक मंडलियों की स्थापना हुई थी। ये मंडलियाँ बिना सरकारी सहायता के ही अपना सारा खर्च स्वयं चला लेती थीं। मंडलियों के सदस्यों ने अपना बहुत-सा रुपया लगाकर पर्दा, पोशाकें आदि तैयार कराया था। नाटक का प्रदर्शन सुन्दर ढंग से किया जाता था। ये नाटक अपने गांव में भी खेले गए और दूसरे गांव में भी। इन नाटक मंडलियों से कई लाभ होते हैं। गांव वाले मंडलियों का प्रबन्ध खुद ही करते हैं। इनके द्वारा आत्माभिव्यक्ति को बल मिलता है। और इनके द्वारा मनोरंजन के साथ ही साथ शिक्षा का भी प्रसार होता है।

[५३.९]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मन्दिर से समाचार

इटावा में प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत पहले ही हिन्दी में एक पाक्षिक पत्रिका निकाली गई जिसका नाम था "मन्दिर से"। पत्रिका का यह नाम बहुत ही सार्थक था, क्योंकि शुरू-शुरू में महेवा गांव के एक मन्दिर के आंगन में दो कमरे मिले थे, जिनमें योजना के दफ़तरों का काम होता था और कार्यकर्त्ता उन्हीं में रहते भी थे।

"मन्दिर से" नामक पत्रिका के द्वारा गांव वालों को भी समाचार उपलब्ध होते थे और योजना में काम करने वाले दल को भी। इसके द्वारा स्थानीय गांव वालों को अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर मिलता था, साथ ही नव-शिक्षितों को भी प्रोत्साहन मिलता था कि वे इस पत्रिका को पढ़कर पढ़ने का अपना अभ्यास बढ़ाएं। पत्रिका किस रूप में निकलती थी उसका एक चित्र यहां दिया जाता है।

उत्तर-प्रदेशीय पंचायत राज विभाग द्वारा ग्राम-पचायतों के लिये स्वीकृत। Registered. No. A.56

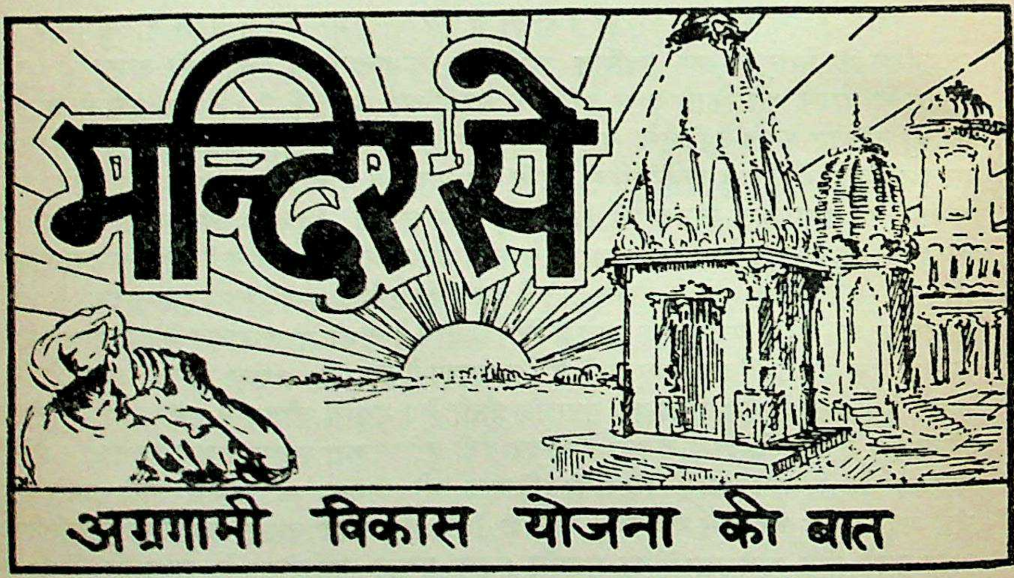

नव-जीवन की ज्योति जगाता, सुख-विकास फैलाता।
धरम-करम का लिये संदेशा, 'मन्दिर से' मैं आता॥

प्रति अंक दो आना सम्पादक—हरिगोविन्द गुप्त वार्षिक मूल्य २)

वर्ष दो] २० अप्रैल सन् १९५१ ईसवी [अंक १५

देशी और विदेशी समाचार

श्री नेहरू की काश्मीर यात्रा—अपनी दो दिन की यात्रा में प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने अपने एक व्याख्यान में बतलाया कि जब तक काश्मीर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भारतीय सेना को वहां रखने की आवश्यकता समझता है तब तक वह सेना वहाँ रहेगी। संसार की कोई भी शक्ति हमारी सेना को वहां रहने से रोक नहीं सकती। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू काश्मीर सदा एक ही रहेंगे।

भारत को चीन से अन्न मिला—कुछ सप्ताह पूर्व चीनी सरकार ने दस लाख टन अन्न भारत को देने का वचन दिया है। यह घोषणा की गई है कि इस सम्बन्ध में बात-चीत करने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मण्डल पेकिंग जायेगा।

चोरी गया हार पेट में से बरामद किया गया—कलकत्ते की पुलिस ने एक चोर के पेट से चुराए हुए हार को बरामद किया। जब इस बात का शक हुआ कि चोर ने हार को निगल लिया है तो ऐक्सरे द्वारा उसका परीक्षण किया गया। परीक्षण में यह पता चला कि वह हार चोर के पेट में है।

केदारनाथ का पवित्र मन्दिर—केदारनाथ के मन्दिर का फाटक इस वर्ष ३० अप्रैल को ८ बजे सबेरे खोला जायगा।

एक रुपए में डेढ़ मील लम्बी सड़क—सुल्तानपुर की एक ग्राम पंचायत ने डेढ़ मील लम्बी सड़क केवल एक रुपए की लागत से बनाई। एक युवक दल ने इस काम को दो रोज में पूरा कर दिया।

गांव की खबरें

विकास क्षेत्र का दौरा—प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापति श्री आचार्य जुगुल किशोर और मन्त्री श्री मुजफ़्फ़र हुसेन ने ९ अप्रैल १९५१ को विकास क्षेत्र का दौरा किया। वे अनेक गांवों में गए, किसानों से उन्होंने बातें की और अगग्रामी विकास योजना की प्रगति को देखा। ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण स्कूल, लखना, में प्रशिक्षित होने वाले पंचायत मन्त्रियों को आशीर्वाद देते हुए आचार्य जी ने कहा कि उन्हें गांव वालों से बहुत-सी चीज़ें सीखनी हैं।

पशुधन

पशुओं के रोग

लेखक—श्री उधम सिंह

हमारे कृषि प्रधान देश में हमारे पशु ही एक प्रकार से सबसे उत्तम सम्पत्ति माने जाते हैं। जुताई, बुवाई, मडाई आदि खेती के सभी काम पशुओं की सहायता से ही किए जाते हैं। कृषि के लिए खाद बहुत महत्वपूर्ण है, और वह भी पशुओं से मिलती है। दूध, मक्खन, घी आदि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं, और वे पशुओं से ही प्राप्त होते हैं। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए और उनसे अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए हमें उनकी देखरेख भली प्रकार से करनी चाहिए। पशुओं की नस्ल में सुधार करना

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और उनके चारे, भूसे आदि का प्रयोग करना जरूरी है । किन्तु यह भी आवश्यक है कि हम इन्हें छत की बीमारियों से बचाएं ।

खुरपका और मुंहपका रोग बहुत ही घातक होते हैं । सुर्रा भी एक भयंकर छूत वाली बीमारी है । सुर्रा को छोड़कर दूसरे छूतदार रोग इतनी तेजी से फैलते हैं कि उनसे बचाने के लिए न तो काफी समय ही मिलता है और न प्रभावशाली उपचार ही हो सकता है ।

सरकार ने पशुओं को टीका लगाने की व्यवस्था की है । इसके लिए कोई फीस भी नहीं ली जाती । इसलिए आपको चाहिए कि अपने पास के किसी पशु-चिकित्सक, पंचायत मंत्री या ग्राम सेवक से मिलकर इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लें ।

छूतदार बीमारी वाले पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए । रोगी पशुओं की पेशाब को और ऐसे चारे भूसे को, जिनमें रोगी पशुओं ने मुंह डाला हो, जला देना चाहिए या किसी तरह नष्ट कर देना चाहिए ताकि स्वस्थ पशुओं में बीमारी न फैलने पाए ।

बीमारी से मरे हुए पशु की लाश को या तो जला देना चाहिए या दो गज गहरे गड्ढे में गाड़ देना चाहिए । जिन स्थानों में रोगी पशु चरते हों, वहां स्वस्थ पशुओं को नहीं जाने देना चाहिए । गांव के गन्दे तालाबों या नालियों का पानी पशुओं को न पीने देना चाहिए क्योंकि इन्हीं में आमतौर पर रोग के कीटाणु पाए जाते हैं । (आल-इन्डिया रेडियो के सौजन्य से) ।

पाठकों की लेखनी से उन्हीं की बोली में

प्रकृति के मेहतर (सफाई करने वाले)

लेखक—उदय चरण शुक्ल

हरी (भारी आवाज़ से)—बिहारी चाचा राम राम ।

बिहारी—राम राम, हरी लाल ! तुम्हारे गले को क्या हुआ ?

हरी—मेरी मकई के खेतों में कौवे व दूसरी चिड़ियां इतनी अधिक संख्या में आ जाती हैं कि उन्हें भगाने के लिए मुझे लगातार चिल्लाते रहना पड़ता है । इसलिए मेरा गला बैठ गया है, गले में खराश आ गया है । इतने चिल्लाने पर भी वे मेरी मकई को उजाड़ दे रहे हैं । ईश्वर ने इन पक्षियों को केवल इसलिए बनाया है कि वे किसान को हानि पहुँचाएं ।

बिहारी—अभी तुम बच्चे हो । तुम्हारी बात ठीक नहीं है । यद्यपि इन पक्षियों से हानि होती है, किन्तु उनसे हम लोगों को लाभ भी पहुँचता है । कौवे और गिद्ध हमेशा हमारे गांव की सफाई करते रहते हैं । जब हम किसी मरे हुए जानवर की लाश को गांव के बाहर फेंक आते हैं, तब कौवे और गिद्ध वहां आकर उस लाश को खा जाते हैं और इस तरह उस जगह को साफ़ कर देते हैं । यदि वे ऐसा न करें तो बहुत से रोग फैल जाएं । असल बात तो यह है कि ये पक्षी ही प्रकृति के मेहतर हैं (सफाई करने वाले हैं) ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हरी—आप सच कहते हैं। आज मैं यह समझ सका कि वे पक्षी भी हमें लाभ पहँचाते हैं। हमें भी उन्हें अधिक से अधिक आराम पहुँचाना चाहिए। राम राम, चाचा, राम राम।

सम्पादक की मेज

पाठकों के प्रश्न

प्रश्न—आप के पत्र 'मंदिर से' को पढ़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। किसानों के लिए यह पत्र बहुत ही उपयोगी है, इसमें तो किसी को सन्देह हो ही नहीं सकता। स्कूल और कालेज में पढ़ने वाले हम लोग नए औजारों के बारे में किसानों को सूचना देते हैं। और इस तरह की सूचना उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है। 'मन्दिर से' के कुछ लेख हम उन लोगों को पढ़कर सुनाते भी हैं। कृपा कर वी०पी० से अपने पत्र की नीचे लिखे पते पर एक प्रति भेजिए। हम डाक से आए पत्र को दाम का भुगतान करके छुड़ा लेंगे। कृपया सूची भी भेजिए, जिसमें किसानों को लाभ पहुँचाने वाली पुस्तकों के नाम हों।

श्री श्याम प्रकाश
भरथना, इटावा।

उत्तर—श्री श्याम प्रकाश जी,

आपका पत्र पाकर हमें हर्ष हुआ। सहकारी समिति महेवा से हमारा पत्र प्रकाशित होता है। मूल्य के पेशगी के रूप में आ जाने के बाद ही हम पत्र भेजते हैं। कृपया दो रुपये मनीआर्डर से भेज दें और हम आपको पत्र भेजना शुरू कर देंगे।

इस पखवारे के बीच

कृषि

१—अब गन्ने की बुवाई जल्दी ही समाप्त कर देनी चाहिए। यदि बुवाई में देर हुई तो हानि हो सकती है। देर की बुवाई से फसल में कीड़े लगने का भय है। यदि पौधों की जड़ जमीन के ऊपरी भाग में रह गई तो उस समय अधिक सिंचाई करनी पड़ेगी, जब पानी की कमी पड़ जाती है। एक कतार का फासला दूसरी कतार से एक गज होना चाहिए। एक एकड़ के लिए डेढ़ मन सुपरफासफेट डालने की जरूरत है। इससे उपज में वृद्धि होती है।

२—जाड़े की फसलों की कटाई जल्दी से जल्दी समाप्त कर देनी चाहिए। महेवा से सुधरा हुआ कटाई का यंत्र ढाई रुपये प्रति एकड़ के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हिसाब से किराये पर लिया जा सकता है। कटाई का काम "डेवलपमेन्ट हंसिये" से अधिक आसान होता है।

माताओं और बहनों के लिये

आलू की कचरी

लेखिका—अन्नपूर्णा सेठ

इस साल आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है और तरकारी के लिए आलू का बहुत उपयोग होता है। एक दिन मेरे एक मित्र ने मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट पदार्थ तैयार किया। हममें से कुछ तो यह कल्पना भी न कर सके कि वह पदार्थ आलू का ही बनाया गया था। मैं यहाँ उसके बनाने की विधि बताती हूं:

पांच सेर आलू लीजिये। उन्हें उबाल कर छील डालिये। फिर उन्हें महीन पीस डालिये। उसमें तीन तोला नमक, एक तोला मिर्च और दो तोला जीरा मिला दीजिये। फिर पीपल या बरगद के पत्तों पर उस पीठी को ऐसे ढंग से फैलाइये कि करीब दो अंगुल मोटी परत पड़े। तब उन्हें धूप में सुखा लीजिये। सूखने पर कचरी पत्ते से अलग निकल जायगी। उसे एक बर्तन में भर कर रख लीजिये। जब चाहे तब कचरियों को घी या तेल में तल कर काम में लायें।

गांव के बड़े बूढ़ों के लिए अध्ययन शिविर

[ग्राम पंचायतों के नये चुने हुए सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिये शिविरों का कार्यक्रम चालू किया गया है। विकास कार्यक्रम में गांव वालों को दिलचस्पी दिलाने और उनसे सहयोग प्राप्त करने के लिये यह एक नया तरीका अख्तियार किया गया है। और अब यह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। इटावा के प्रारम्भिक उप विकास अधिकारी (जन सहयोग), श्री बैजनाथ सिंह, ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह चलाये जाने वाले चौथे शिविर का वर्णन किया है, जो १९४९ के अगस्त मास के अन्त में किया गया था। प्रत्येक शिविर का मुख्य काम तो प्रशिक्षण देना है। किन्तु इस तरह के शिविर से योजना में काम करने वालों को यह लाभ होता है कि इस अवसर पर उन्हें बहुत ही अनुकूल और शान्त वातावरण में स्थानीय नेताओं से मिलने और उनके विचारों को जानने का मौका मिल जाता है। इसका विवरण नीचे दिया जाता है।]

उद्देश्य

प्रशिक्षण केन्द्र का साधारण उद्देश्य है कि पंचायत सदस्यों में इतना उत्साह भर दिया जाये कि वे गांवों को नया रूप देने में भरसक प्रयत्न करने लगें और सजग होकर खुशी से विकास योजना के कार्यों में सहयोग देने लगें।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विशेष ध्येय

१—जनता को पंचायत राज नियम की विभिन्न धाराओं और उप-धाराओं के सम्बन्ध में बताना।

२—पंचायत राज नियम में प्रस्तावित पुर्ननिर्माण कार्य के प्रत्येक मद की पूरी जानकारी देना।

३—ग्राम पंचायत के सदस्यों के मानसिक क्षितिज का इस तरह विस्तार करना कि वे अपने पड़ोसियों को अधिक उत्तम जीवन के लिए प्रभावित कर सकें।

४—धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चले आने वाले विश्वासों और परम्पराओं व नए विचारों का समावेश करना।

५—नियंत्रित और सामूहिक जीवन के लिए अनुभव प्राप्त कराना।

६—जातिगत और मतमतान्तरों वाली दलबन्दी को कम करना।

७—अन्य स्थानों में प्रचलित अधिक सुधरी हुई स्थितियों का ज्ञान कराना।

८—कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी बातों को अधिक अच्छे ढंग पर अपनाने के लिए तैयार करना।

९—एकांकी नाटकों, सिनेमा, रेडियो और ग्रामोफोन पर रेकार्ड आदि के द्वारा उनको समाज शिक्षा के महत्व और आवश्यकता की बातों के प्रति विश्वास दिलाना।

१०—हम लोगों के कामों से और हम लोगों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना।

जो कार्यक्रम यहां दिया गया है उसे इन सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही तैयार किया गया है। और ध्यान पूर्वक उसका अध्ययन करने से यह साफ जाहिर हो जायगा कि कार्यक्रम के हर मद से ऊपर लिखे उद्देश्यों की पूर्ति होती है।

सदस्यों का चुनाव

जिन गांवों में हमने गेहूँ के अधिक उपज वाले कार्यक्रमों को सघन रूप से चालू करने का विचार किया था, वहां से तेंतीस पंचायत सदस्य चुने गए थे। न केवल कृषि कार्यक्रम के लिए ही बल्कि अन्य सभी कार्यों के लिए यह खास उद्देश्य रक्खा गया था कि गांव के अधिक से अधिक सहयोगी इसमें योगदान करने के लिए लिये जाएं। पंचायत के सभापति, उपसभापति और अन्य उत्साही सदस्य जो गांवों में अगुआ हों वे भी सहयोग देने के लिये सम्मिलित कर लिये जाएँ।[२]

---

[२]आमतौर पर हमने हर ग्राम पंचायत से अनेक सदस्यों को लेने की कोशिश की। यदि हम केवल एक या दो आदमियों को हर गांव से बुलाते तो वे हमारे नए विचारों या दष्टिकोणों को

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

शिविर का प्रबन्ध

शिविर आरम्भ होने के पहले ही हमने भोजन, विश्राम, व्यक्तिगत अध्ययन, खेलकूद, मनोरंजन, व्याख्यान, वाद-विवाद आदि की योजना बना ली थी। जो लोग व्याख्यान देने के लिए बुलाए गए थे, उन्हें अपने-अपने विषय के सम्बन्ध में सूचना दे दी गई थी और यह भी बता दिया गया था कि जिनके सामने उन्हें व्याख्यान देना है उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और पंचायत राज ऐक्ट को विशेष रूप से सामने रखते हुए उन्हें विषय का प्रतिपादन किस तरह करना है। जिस पत्र में उनसे यह प्रार्थना की गई थी कि वे आकर सदस्यों से चर्चा करें, उसी पत्र में यह भी लिख दिया गया था कि उन्हें किन धाराओं और उपधाराओं के विषय में बातें करनी हैं। अधिकांश व्याख्याताओं ने बहुत ही सुन्दर ढंग पर व्याख्यान दिये और सदस्यों से बहुत ही दिल खोलकर स्पष्ट रूप से बातें कीं। गांव वालों की बुद्धि और भाषण शक्ति को देखकर भी आश्चर्य हुआ। कई ऐसे भी व्याख्याता थे जिन्हें आपसी चर्चा की पद्धति पर काम करने में कुछ कठिनाई मालूम हुई; किन्तु उन लोगों ने भी इस पद्धति के महत्व को समझा।

कार्यक्रम और कार्य विवरण

ठीक साढ़े पांच बजे प्रातः प्रार्थना से कार्य आरम्भ होता था। इटावा निवासी श्री जगत नारायण जी वैदिक ऋचाओं का पाठ करते थे और धार्मिक रीतियों को पूरा करते थे। वे धार्मिक और सांस्कृतिक पद्धति के माने हुए विद्वान हैं। कार्यक्रम में दिए विषयों का वे प्रतिपादन करते थे। आध्यात्मिक महत्व के सम्बन्ध में उन्होंने एक नई आस्था जागृत कर दी और सदस्यों में नैतिक पृष्ठ-भूमि तैयार कर दी। उन्होंने सदस्यों में यह विश्वास उत्पन्न कर दिया कि महेवा योजना के विकास कार्यकर्त्ता अनीश्वरवादी और धर्म विरोधी नहीं हैं बल्कि उन लोगों को देश की सांस्कृतिक परम्पराओं में पूरी आस्था है। कीर्तन, भजन और फिल्मों के कार्यक्रम से उनकी भावना को बल मिलता गया ताकि सोई हुई शक्तियां सजग होकर कार्यक्रम में उभर जाएं।

श्याम-पट्ट पर लिखित सुनिश्चित कार्यक्रम के अनुसार सदस्य कार्य करते थे। रात को साढ़े दस से सबेरे साढ़े चार बजे तक शिविर का पहरा देने के लिए, भोजनालय की देख भाल के लिए, सफ़ाई के लिए और कक्षाओं

तो स्वीकार कर लेते, किन्तु जब वे अकेले ही अपने-अपने गांवों में वापस जाते तो उन्हें गांव वालों की उपेक्षा या अविश्वास का सामना करना पड़ता। किन्तु जब हम एक गांव के कई सदस्यों को एक साथ बुलाकर किसी विचार को उनके सामने रखते हैं तो गांव वापस जाने पर वे उन विचारों को गांव वालों के सामने रखने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। इस प्रकार किसी भी नए विचार या पद्धति के जीवित रहने या फैलने के अवसर अधिक बढ़ जाते हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के काम को देखने के लिए अलग-अलग दल बना दिए गए थे। उन्होंने अपने कर्त्तव्य को बड़े अच्छे ढंग से पूरा किया और कार्य को पूरा करने में अपनी जिम्मेदारी को निभाया।

सबेरे के नाश्ते का तथा दोपहर और रात के भोजन का प्रबन्ध बहुत ही सन्तोषजनक रहा। भोजन बनाने के लिए उन लोगों की अनुमति से एक आदमी रख दिया गया था। वे उसे भोजन बनाने और परोसने में मदद देते थे। कुछ सदस्यों ने एक साथ बैठकर भोजन करने में आपत्ति उठाई, किन्तु वह आपत्ति जल्दी ही दूर हो गई क्योंकि जो जहाँ बैठकर खाना चाहते थे, उसी तरह बैठने की छूट दे दी गई। इसके अलावा बहुत से ऊंची जाति वाले सदस्य हरिजनों के साथ बैठकर भोजन करने लगे। उचित पौष्टिक भोजन की महत्ता को दिखाने के लिए भोजन सामग्री निश्चित की गई थी। जिस तरह की तरकारियाँ और फल हम उनके गांवों में पैदा कराना चाहते थे, वही सब चीजें उन लोगों को दी गई।

पहले हमें इस बात की आशंका थी कि अधिक आयु वाले सदस्य शारीरिक श्रम करना पसन्द न करेंगे, किन्तु हमें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि इस तरह के श्रम के लिए भी उनमें काफी उत्साह था। उन लोगों ने पाखानों और पेशाबघरों के लिए खाइयाँ खोदीं और थूकने के लिए स्थान बनाए। उन्होंने आसपास के स्थानों को झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया और बराबर सफाई को कायम रखा। उन्होंने शिविर में पहरे का इतना अच्छा प्रबन्ध किया कि कोई चीज खोने नहीं पाई। असल में पंचायत के ये ही सदस्य स्वतंत्र गणतंत्र के आदर्श नागरिक और प्रशासक होंगे।

भ्रमण

आगरा और मथुरा के लिए दृश्य-दर्शन सम्बन्धी यात्रा का प्रबन्ध किया गया था। इससे सदस्यों में बड़ा उत्साह था। हमारे दृष्टिकोण से ये स्थान वही हैं जहाँ उद्योग, दुग्धशाला, कृषि, फल उत्पादन, पशुपालन के काम बहुत अच्छी तरह हुए हैं। इसके अतिरिक्त आगरा मुग़ल बादशाहों की ऐतिहासिक राजधानी रहा है और मथुरा तो समय के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नेता भगवान श्री कृष्ण चन्द्र का जन्म स्थान है। जिन लोगों ने शिविर की प्रगति को नज़दीक से देखा था, उन सबने अच्छी तरह अनुभव कर लिया था कि सबसे अच्छी सफलता तभी मिल सकती है जब विकास कार्यक्रमों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ दिया जाए। आगरा के कृषि दुग्धशाला, सहकारी कृषि फार्म दयालबाग़, माडेल इन्डस्ट्रीज़ तथा ताजमहल और उसके बागीचों को उन लोगों ने देखा। वे मथुरा के वेटरिनरी कालेज भी गए। शिविर में व्याख्यानों और चर्चाओं के समय जिन बातों पर हमने उनके साथ विचार-विनिमय किया था उन सबको उन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से होते हुए देखा। हर उचित अवसर पर श्री उमाशंकर ने श्री शालिगराम पथिक द्वारा लिखित गीत "मैंने कल देखा एक सपन" को गाकर सुनाया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इससे गांव वालों को इस बात का भान होता रहा कि प्रयत्न करने पर हमारी दशा भी सुधर सकती है।

परिणाम

शिविर बहुत सफल रहा। प्रारम्भ से अन्त तक सदस्य बहुत प्रसन्न रहे, मथुरा की यात्रा पर जाते समय वे "विकास विभाग की जै" के नारे लगा रहे थे। बाद में तो वे अपनी शक्ति भर हमारे बहुत से कार्यों में योग देते रहे। शिविर के तीन महीने बाद इस संक्षिप्त विवरण को तैयार करते समय मैं महसूस करने लगा कि हमारे जन-सहयोग वाले सारे कार्यक्रमों में ग्राम नेता शिविर का कार्यक्रम सबसे अच्छा था।

दैनिक कार्यक्रम

प्रातःकाल	४:३०	उठना
	५:३० से ६ बजे तक	प्रार्थना
	६ बजे से ६:३० तक	झंडा अभिवादन
	६:३० से ७ बजे तक	जलपान
	७ बजे से ७:३० तक	व्यावहारिक कार्य
	७:३० से ८ बजे तक	कक्षा के लिए तैयारी
	८ बजे से ९:३० तक	पहली चर्चा
	९:३० से १०:३० तक	दूसरी चर्चा
मध्यान्ह	१०:३० से २:३० तक	भोजन और विश्राम
	२:३० से ३:३० तक	स्वाध्याय
	३:३० से ५ बजे तक	तीसरा वाद विवाद
	५ से ६ बजे तक	जलपान, खेलकूद और मनोरंजन
सायंकाल	६ बजे से ८ बजे तक	भोजन
	८ बजे से ८:१५ तक	प्रार्थना
	८:१५ से १० बजे तक	मनोरंजन
	१० बजे रात्रि	शयन

मनोरंजन सम्बन्धी कार्यक्रम

प्रातःकाल	४:३० बजे से ५:३० तक	भजन के रेकार्ड
	७ बजे से ७ : ३० बजे तक	रेडियो
मध्यान्ह	१२ बजे से २ बजे तक	रेडियो
सायंकाल	५ बजे से ७:३० तक	रेडियो
	८ बजे से १० बजे रात्रि तक	सिनेमा, रामायण, कीर्तन और नाटक।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भोजन की तालिका

दिनांक	प्रातः जलपान	दोपहर का भोजन	संध्या का जलपान	रात्रि का भोजन
२९-८-४९	उबले हुए चने	रोटी, चावल, दाल, लौकी और नींबू		रोटी, चावल, अरुई, और कद्दू
३०-८-४९	उबले हुए चने और नींबू	रोटी, चावल, दाल और आलू	फल	रोटी, चावल, केला और अरहर की दाल
३१-८-४९	लप्सी	रोटी, चावल दाल और साग	केला	रोटी, चावल, आलू और दाल
१-९-४९	भुने हुए चने और गुड़	रोटी, चावल, उर्द की दाल और कद्दू	नींबू का शरबत	रोटी, चावल, अरहर की दाल और अरुई
२-९-४९	लप्सी	रोटी, चावल, अरहर की दाल, आलू और ककड़ी	शरबत	रोटी, चावल, मिली हुई दाल और कद्दू

[४९. ४]

सामूहिक कार्य

विकास कार्यक्रम में गांव वालों के योगदान को बढ़ाने और उसके उद्देश्यों के सम्बन्ध में गांव वालों को जानकारी देने के लिए जिन अनेक विशेष उपायों का सहारा लिया गया था, उनमें से दो खासतौर के और बड़े पैमाने पर चालू किए गए कार्य नमूने के रूप में यहाँ दिए जाते हैं। ये हैं, प्रभात फेरी और किसान मेला। जिन लोगों ने उन्हें संचालित किया था उनके द्वारा उनके अलग-अलग विवरण दिए गए हैं। गांव वालों की भावनात्मक सहयोग वृत्ति को जागृत करने में जो कठिनाइयां पड़ती हैं और उस वृत्ति के जागृत होने पर जो सन्तोष प्राप्त होता है, उसकी बहुत ही मनोरंजक झांकी इन उदाहरणों से मिलती है। इन्हें यहाँ विस्तार-पूर्वक दिया जाता है, क्योंकि विस्तार-पूर्वक दिए गए विवरण ही ऐसे कामों को सफल या असफल बनाते हैं। उनसे इस बात का भी पता चलता है कि परम्परागत प्रभावोत्पादन कार्यों द्वारा इस प्रकार सहयोग की वृत्ति उत्पन्न की जा सकती है—यह व्यापक विषय है और इसके ऊपर आगे के अध्याय में विस्तारपूर्वक लिखा गया है।

ऐसे कार्य देश भर में काफी अधिक संख्या में अपनाए गए हैं। यहाँ केवल इस कारण जोर दिया गया है कि वे बहुत लाभदायक हैं। किन्तु दो कारणों से उनकी आमतौर पर उपेक्षा की जाती है। प्रथम, सीधे तौर पर ऐसे कामों का सम्बन्ध रोजी कमाने वाले कार्यों से नहीं रहता और न इनके सम्बन्ध में कोई तुलनात्मक लक्ष्य ही निश्चित किया जा सकता है। और दूसरे, बहुत से योजना अधिकारी गांवों की बातों से सीधा सरोकार नहीं रखते और इस कारण इस तरह के काम का न तो उन्हें ज्ञान ही होता है, न वे उनमें रुचि ही लेते हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विकास के लिए तीर्थयात्रा

नीचे एक विवरण दिया जाता है, जो गोरखपुर के उस समय के जिला नियोजन अधिकारी श्री एम० पी० पान्डेय द्वारा लिखित "भटहट गोरखपुर की अग्रगामी विकास योजना में संगठित पद यात्रा पर एक टिप्पणी" से लिया गया है।

नियोजन विभाग के तत्वावधान में हाल ही में गाज़ीपुर में समाज शिक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया था। धार्मिक तीर्थ यात्राएं ग्रामीण जीवन में परम्परागत रूढ़ि के रूप में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। इसलिए अन्य साधनों की तरह ही यात्राओं से भी लाभ उठाने की बात सोची गई। विचार यह था कि विकास संगठन कार्यकर्त्ताओं का एक यात्रा-दल संगठित किया जाए और गांव की यात्रा कराई जाए, सभाएं की जाएं, नारे लगवाए जाएं, गांव वालों से विकास कार्यों में भाग लेने को कहा जाए, और यात्री दल के सदस्य स्वयं श्रमदान करके गांव वालों को सहयोग देने की बातें समझा दें। सेमिनार से लौटने के बाद यह तय किया गया कि भटहट गोरखपुर की अग्रगामी विकास योजना में फेरी लगाई जाए। इन दिनों विनोबा भावे की पद-यात्रा के समाचारों से समाचार-पत्र भरे रहते थे। श्री विनोबा भावे के साथ यात्रा करने का मुझे एक अवसर मिला था। मेरे ऊपर इस तरह की यात्रा के प्रचारात्मक महत्व का बहुत प्रभाव पड़ा था। किसी खास प्रभावशाली प्रचार सम्बन्धी संगठन के बिना ही भावे जी की पद-यात्रा के उद्देश्य, यात्रा के मार्ग के दोनों ओर अपने आप प्रसारित हो जाते थे।

यात्रा प्रारम्भ करने के १५ दिन पूर्व ही हमारी यात्रा की तिथियाँ निश्चय कर दी गईं। ग्राम सेवकों ओर पंचायत मंत्रियों को यह सूचना दे दी गई कि एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार उनके गांवों की यात्रा की जायगी। ये लोग आने वाले दल के सम्बन्ध में स्वयं ही काफी प्रचार करने लगे। लोग पहले से ही यात्री दल के आने की प्रतीक्षा करने लगे। आशा की एक बयार-सी बहने लगी। जिस गांव में हम जाते थे उनके आगे वाले गाँव के ग्राम सेवक और पंचायत मंत्री को एक रोज पहले ही आगे के गांवों में भेज दिया जाता था, ताकि वे अपने गांव में जाकर सभा के लिए संगठन करें और कार्य के लिए वातावरण तैयार करें। नीचे लिखे व्यक्ति यात्री दल में सम्मिलित किए गए थे :

उप विकास अधिकारी	२
सहायक विकास अधिकारी (प्रशिक्षण)	१
सहायक पशु चिकित्सक (पशुपालन विभाग)	१
स्टाकमैन	२
कम्पाउन्डर	१
प्रौढ़ शिक्षक प्रशिक्षण	१
ग्राम सेवक	२०
पंचायत निरीक्षक	१

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पंचायत मंत्री	५
जिला सगठनकर्त्ता (प्रांतीय रक्षक दल)	१
क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता (प्रांतीय रक्षक दल)	५
अर्दली व चपरासी	५
जिला सूचना अधिकारी	१
योग	४६

सामान ले जाने के लिए इस प्रकार प्रबन्ध किया गया था: (१) कुदालियाँ, फरुए, सुधरे हुए कृषि औजार और बिस्तरों को ढोने के लिए एक रबर टायर वाली बैलगाड़ी; (२) बिस्तरों के लिए ताँगा; (३) ग्रामोफोन आदि के लिए सूचना गाड़ी।

ऊपर लिखे हुए लवाजमे के साथ ये सब लोग १५ अप्रैल की शाम को गुलरिहा नामक गांव के पास इकट्ठे हुए। एक सभा की गई जिसमें यह तय किया गया कि नीचे लिखे कार्य किए जाएं: आसपास के स्थानों की सफ़ाई; कुंओं की सफ़ाई और उनमें लाल दवा डालना; कुओं के आस पास तुलसी और केले के पेड़ लगाना; कम्पोस्ट गड्ढों का खोदना; मनुष्यों और पशुओं की साधारण चोट आदि की मरहम पट्टी; चेचक के टीके लगाना और गाँव के गली कूचों की सफ़ाई।

करीब सात बजे सायंकाल गांव वालों की भी एक सभा की गई जिसमें कार्यों के सम्बन्ध में विचार किया गया। और उन उपायों को सोचा गया जिनके द्वारा गांव वाले अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। इस सभा में केवल चर्चा ही नहीं हुई बल्कि इसने एक सामाजिक समारोह का रूप ले लिया, जिसमें संगीत और ग्रामीण नृत्यों का कार्य भी चलाया गया। यह मीटिंग आधी रात तक चलती रही और यह असली सामाजिक समारोह बन गया, जिसमें गांव के सभी गुणी लोगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

सोलह अप्रैल के साढ़े छः बजे सबेरे आशा व उत्साह से भरे हुए हम लोग चार-चार पाँच-पाँच की टोलियों में गुलरिहा गांव के अन्दर गए। विचार यह था कि वे लोग ऊपर लिखे कार्यों में कुछ को गांव वालों के साथ करके दिखायेंगे। किन्तु गांव में पहुँचने पर हमें यह पता चला कि अधिकांश गांव वाले मौजूद नहीं हैं। अपनी यात्रा का पहला दिन हम खास तौर से इसलिए सफल बनाना चाहते थे कि हमारी अपनी नैतिक भावना सुदृढ़ हो जाए। जो लोग टोली बाँध कर गांव में इधर उधर गए थे, वे असफल होकर लौटे और हम सबको मजबूर होकर एक कुएं पर और कुएं के आसपास के चार-पाँच घरों पर ही पूरी शक्ति लगा देनी पड़ी। इन घरों में रहने वाले पुरुषों से हम लोगों ने कहा कि वे हमारे साथ कार्य में सम्मलित हों। किन्तु हम इस बात के लिए रुके नहीं कि जब वे लोग आयें तभी कार्य शुरू हो। हम लोग कुएं को साफ़ करने और जगत को ऊंची करने में लग गए। कुछ ने टोकरियां उठा लीं और पास के खेत से मिट्टी लाकर कुएं की जगत को ऊंची करने लगे। लगभग १५ मिनट में ही

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कुएं ने एक नया रूप पकड़ना शुरू किया । ये बातें गांव वाले बड़े ध्यान से देख रहे थे । धीरे-धीरे वे लोग भी आकर हमारे कार्यक्रम में हाथ बंटाने लगे । यह देखकर हमें बड़ी खुशी हुई कि जिस काम को हमने शुरू किया था उसको उन लोगों ने अपना लिया और उसे उन्होंने अपने हाथों से पूरा करके छोड़ा । लोग केले और तुलसी के पौधे भी लाए और उन्हें हमारी देख-रेख में वहाँ लगा दिया । गांव के दूसरे हिस्से में हमेंअधिक सफलता मिली । हमारे कम्पोस्ट गड्ढे की खुदाई का काम किसानों ने शारीरिक परिश्रम से पूरा किया । हमने गड्ढे की लम्बाई-चौड़ाई के लिए निशान लगा दिए और जब हम गड्ढे को खोदने लगे तब कृषक खुद ही आगे बढ़ आए और हमारे हाथों से उन्होंने कुदाल ले ली और हमें विश्वास दिलाया कि वे उसी दिन शाम तक उसे पूरा करके छोड़ेंगे । यह बहुत ही उत्साह-वर्धक बात थी और इससे हमें यह विश्वास हो गया कि हमारी यात्रा सफल ही होगी । गुलरिया में करीब १३ कम्पोस्ट गड्ढे खोदे गए ।

जैसा हमने सोचा था उस तरह पर किसानों ने हमें पहले दिन सहयोग नहीं दिया, इससे हम चिन्तित हुए । अन्त में हमने यह निश्चय किया कि जब ८ बजे रात किसान मीटिंग में आकर सम्मिलित हों तब उन्हें अगले दिन की सूचना देनी चाहिए । काम के पहले से निश्चित करने और उसकी सूचना पहले से ही गांव वालों को दे देने पर भी उनका सहयोग प्राप्त करने में काफ़ी सफलता नहीं मिली । शायद इसका कारण यह था कि उन लोगों में यह विश्वास हो गया था कि हम लोग अपने काम में बहुत तत्पर नहीं हैं और हम लोगों का यात्री दल केवल मन बहलाव के लिए है । किन्तु जब हमने यह दिखा दिया कि हम अपने कार्यक्रम को पूरा करने के लिए पूरी तौर से मुस्तैद हैं और जब हम अपने हाथों से काम करने में जुट गए और काम करते-करते पसीने और धूल-मिट्टी से लथपथ हो गए, तभी वे लोग हमें सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित हुए ।

गुलरिया में इस बात का पता चला कि जो इस दल में सम्मिलित हुए उनमें अधिकांश बाइसिकलों पर आए थे । जब यात्रा दल के सदस्य साइकिल पर चलते हैं तब पद-यात्रा का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है । इसलिए लोगों की सब साइकिलें ले ली गईं और उन्हें गुलरिया में एक कमरे में बन्द कर दिया गया और यात्रा करने वालों को यह समझा दिया गया कि वे सबके साथ मिलकर अनुशासित दल के रूप में पैदल ही चलें ।

गुलरिया के कार्यक्रम में हमारे मन में एक बात उठी कि चलते-चलते दीवालों पर गेरू से विकास के नारे लिखते जाना चाहिए । हमने फौरन ही एक मिट्टी का बर्तन और गेरू खरीद लिया । इसके, बाद तो गेरू से दीवालों पर नारों का लिखना निश्चित कार्यक्रम बन गया ।

दूसरे गांव में हमें यह ध्यान हुआ कि गांव वालों को जागृत करने के लिए ५ बजे सबेरे प्रभात-फेरी का कार्यक्रम चलाना जरूरी है । आगे चलकर प्रभात-फेरी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई । हमने एक झण्डा ले लिया और दल वालों को दोहरी कतार में खड़ा किया । हम गांव के एक छोर से घुसते

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

थे और पूरे गांव के गली कूचों में होते हुए दूसरे छोर पर निकलते थे। फेरी लगाते समय हम लोग गीत गाते जाते थे, नारे लगाते थे और कागज या कपड़े पर लिखे हुए नारे दिखाते थे। यात्रा के बीच गीतों, नवजीवन की बातें भरे हुए नारों, राष्ट्रीय झण्डे और संगठित रूप से फेरी लगाने वाले दल का बहुत ही प्रभावोत्पादक मनोवैज्ञानिक प्रभाव गांव वालों के ऊपर पड़ता था। धीरे-धीरे स्कूल के विद्यार्थी भी हमारे दल में सम्मिलित हो जाते थे। अक्सर गांव के नेता और उत्साही गांव वाले खुशी-खुशी हमारे सबेरे के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमारे दल की संख्या और शोभा बढ़ा देते थे। स्त्री, पुरुष और बच्चे इस तरह नारे लगाते थे मानों वे हमारे दल के ही सदस्य हों। इसके बाद से तो प्रभात-फेरी भी हमारे कार्यक्रम का एक निश्चित अंग बन गई।

शाम की सभाओं में हम गांव वालों को प्रोत्साहित करते थे कि वे हमसे प्रश्न पूछें, और इस प्रकार यह मीटिंग १ बजे तक चलती थी। गांव वाले बड़ी समझदारी से प्रश्न करते थे। आमतौर पर वे लोग कृषि की नई पद्धतियों में आने वाली कठिनाइयों के बारे में प्रश्न करते थे।

इन गांवों में हमें इस बात का भी पता चला कि हमारे आराम के लिए गांव वाले खुद ही बहुत-सी चारपाइयों का इन्तजाम कर देते थे। सभा के लिए वे स्वयं दरियों का इन्तजाम कर देते थे। वे हमें अपना मेहमान मानते थे और हमें भोजन करने के लिए आग्रह करते थे। पेमाली गांव में तो हमारे दल वालों को लोगों ने फूल मालाएं पहनाईं। मद्रास के ग्राम कल्याण आयुक्त श्री जी० वेंकटाचालापथि हमारी अग्रगामी योजना के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए आए थे और वे भी हमारे साथ इस गांव में गए थे। उन्होंने देखा कि स्कूलों के अध्यापक, विद्यार्थी और गांव के नेता लोग हमारे दल के आने और उनके स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक होकर खड़े हैं। इस हार्दिक स्वागत का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। यात्री दल गाना गाता हुआ पंचायतघर पहुँचा। पंचायतघर के सामने झण्डे का एक स्तम्भ था। सब लोग जाकर उसके चारों ओर खड़े हो गए। राष्ट्रीय गान के साथ सरपंच ने झण्डा फहराया।

हमने अपने कार्यक्रम में इन बातों को भी सम्मिलित कर लिया: बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए उनमें गेमेक्सीन मिलाना, फालतू सांड़ों को बधिया करना और दीवालों पर नारे लिखना।

हमारे दल के एक सदस्य श्री वी०पी० सिंह पेट की गड़बड़ी के कारण कुछ कमजोरी महसूस करने लगे। इस कारण एक घोड़ी पर बिठलाकर हम उन्हें दल के आगे लेकर चले। इससे यात्री दल में एक भव्यता आ गई। फल यह हुआ कि जब वे पूरी तरह से नीरोग हो गए, तब भी हम उन्हें उसी तरह घोड़ी पर बैठा कर आगे-आगे चलाते रहे।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हमारे कार्यक्रम की अन्तिम रूप-रेखा

३ या ४ बजे शाम	एक गांव से प्रस्थान
६ बजे शाम	अगले गांव में विश्राम
८ बजे शाम	सभा; गीत और लोकप्रिय नृत्य; प्रश्नोत्तर (वाद-विवाद)
दूसरे दिन :	
५ बजे प्रातः	प्रातः यात्रा के लिए उठना
६ बजे प्रातः	जलपान
७ बजे से ११ बजे तक	गांव वालों के साथ शारीरिक श्रम
२ बजे मध्यान्ह	दूसरे शिविर की यात्रा के लिए एक घंटा पूर्व तांगा, बैलगाड़ी, सूचनावाहक गाड़ी आदि को तैयार करना, और उन्हें रवाना कराना।

हम लोगों ने दस गाँवों में अपना शिविर डाला और वहाँ पर हमने जो कार्य किए, उनका नीचे विवरण दिया जा रहा है :

कुओं की मरम्मत की	७
कुओं की सफाई की	८९
गड्ढे खोदे	६९
नालियाँ साफ़ की	१२
खाद के गड्ढें खोदे	१०६
खराब नस्ल के सांड़ों को बधिया किया	३४
चेचक के टीके लगवाए	११६
हैजा के टीके लगवाए	१,३८९
गेहूँ को दवाओं से सुरक्षित रक्खा	२२ मन १२ सेर
चने को दवाओं से सुरक्षित रक्खा	८ मन १२ सेर
जौ को दवाओं से सुरक्षित रक्खा	४ मन १२ सेर
पशुओं की बीमारियों का इलाज किया	९८
मटर को कीड़ों से बचाने के लिए दवा मिलाई	४ मन
सभाएं कीं	१०

हर यात्रा में एक डाक्टर रखना जरूरी है। किन्तु हमें अपने इस दल में कोई डाक्टर न मिल सका। जब कोई क्षेत्र सघन विकास कार्य के लिए चुना जाय, तब काम शुरू करने के पहले विकास कार्यों की जानकारी जनता को देने के लिए इस तरह की यात्रा का प्रबन्ध करना जरूरी है।

[५२.४]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

किसान मेला

लेखक—बैजनाथ सिंह

ग्रामीण जीवन में धार्मिक मेलों की परम्परा बहुत पुरानी है। उसी परम्परा को विकास कार्यों के लिए और जनता में विकास के विचारों के प्रसार के लिए हमने महेवा में इस तरह के मेले शुरू किए, किन्तु उनमें मनोरंजन सम्बन्धी बातों में काफी सुधार कर दिया।[३]

मेला करने के कारण

१. यह महसूस किया गया कि जिस काम को हम साल भर व्यावहारिक रूप में चलाना चाहते हैं, उसे सालाना मेले के द्वारा नाटकीय रूप देने से मनोवैज्ञानिक बल और उत्साह मिलता है। यह बल और उत्साह केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त नहीं होता जो इस मेले में सम्मिलित होते हैं, बल्कि इसकी चर्चा होती है और इस तरह दूसरे लोगों में वह बात अपने आप फैल जाती है।

२. नाटक, सिनेमा, खेलकूद और अन्य आकर्षक मनोरंजन वाले कार्यों द्वारा लोग अपने आप खिंच कर चले आते हैं और इस तरह हमारा काम उनके सामने आ जाता है।

३. यह महसूस किया गया कि जब लोग हमारा काम देखते हैं, तो उनके सामने विकास कार्य की अनेक बातें प्रदर्शन के रूप में आ जाती हैं। इस तरह देखने वाले एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं और वे उन कामों में सक्रिय रुचि लेने लगते हैं।

४. मेलों में हम इनाम और उपाधि-पत्र देते हैं। उनको प्राप्त करने वाले गर्व और महत्ता का अनुभव करने लगते हैं। फल यह होता है कि बहुसंख्यक दर्शकों में से कुछ लोग जो अब तक सक्रिय भाग नहीं लेते थे, वे भी उस तरह के काम करने के लिए प्रोत्साहित होने लगते हैं।

५. यदि इस तरह के मेलों का प्रति वर्ष लगातार प्रबन्ध किया जाय, तो वे अन्य परम्परागत उत्सवों और समारोहों का रूप धारण कर लेते हैं।

ऊपर लिखे हुए उद्देश्यों को सामने रखते हुए १९५१ के मार्च ९ से लेकर १५ तक इटावा की अग्रगामी योजना के तत्वावधान में महेवा में पहला किसान मेला शुरू किया गया।

जो योजना बनाई गई थी, उसकी संक्षिप्त रूप-रेखा नीचे दी जाती

---

[३]इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीच्यूट, नैनी, में ठीक इसी तरह के किसान मेले का प्रबन्ध हर साल किया जाता है। इन्स्टीच्यूट के प्रिन्सिपल डा० आर्थर मोशेर बीच-बीच में हम लोगों से आकर मिलते थे और उन्होंने लाभदायक सुझाव के रूप में हमारे कार्यक्रम में इसे करने की सलाह दी थी।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है : (१) एक छोटी उपयुक्त प्रदर्शनी, जिसमें गांवों के विकास कार्य की विभिन्न गति-विधि को प्रदर्शित किया जाए, और इस क्षेत्र में किए गए विशेष कार्यों पर जोर दिया जाए; (२) एक विशेष सप्ताह का समारोह, जिसमें हर कार्य विभाग के लिए एक-एक दिन खासतौर से दिया जाए, और उसी के अनुसार उसका नामकरण किया जाए; (३) सघन रूप में प्रचार; और (४) मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

विकास सप्ताह

सप्ताह की रूप रेखा---सात दिन निम्नांकित तौर पर मनाए गए।

१. कृषि दिवस।
२. पशु-पालन व गोशाला दिवस।
३. कुटीर उद्योग-धन्धों सम्बन्धी और इन्जीनियरिंग दिवस।
४. सार्वजनिक स्वास्थ्य और शारीरिक विकास दिवस, बाल दिवस।
५. सहयोग दिवस।
६. सामाजिक शिक्षा दिवस।
७. पंचायत राज एवं समाप्ति दिवस।

दैनिक कार्यक्रम :

प्रातः ८:३० बजे से ११ बजे तक	विशेषज्ञों की कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें इस क्षेत्र या जिले के मुख्य मसलों पर विचार विनिमय करना।
११ बजे से १:३० बजे अपरांह तक	भोजन और विश्राम।
८:३० बजे से ३ बजे शाम तक	लोक गीत, कीर्तन, फाग, रामायण, आल्हा, टेसू, ठोला, गम्मट।
३ बजे से ५ बजे शाम तक	खुली हुई सभा और वर्तमान विषयों पर गांव वालों के व्याख्यान।
८:३० बजे से ११ बजे रात तक	फिल्म, एकांकी नाटक आदि : रामराज्य फिल्म, दो दिन; कवि सम्मेलन, एक दिन; नाटक प्रतियोगिता, चार दिन।

प्रदर्शनी ८ बजे प्रातः से १२ बजे दोपहर तक, २ बजे से ६ बजे शाम तक खुली रहेगी।

विशेष कार्यक्रम—कृषि समारोह और एकांकी नाटक, जो खासतौर पर इसी उद्देश्य के लिये चुने गए हों।

योजना और कार्यान्वय

खर्च—१५० रुपया शरीर निर्माण बजट से; ग्राम्य सहयोग मद की

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बचत से; अन्य सहयोगी विभागों से; यदि प्राप्त हो सके तो अनुपूरक सहायता स्वीकृति आदि से।

कार्यकर्त्ता—एक सप्ताह के लिए सभी ग्राम सेवक पारी-पारी से चार-चार की संख्या में मेले की तैयारी के लिए और मेला शुरू होने पर हर विभाग की बातों को समझाने के लिए आवें। मेला शुरू होने के तीन दिन पहले से तीन दिन बाद तक के लिए वे इस काम में लगें। कार्य की आवश्यकता के अनुसार अपने विभागीय सहायकों के साथ सहायक विकास अधिकारी भी रहें। एक पखवारे के लिए चित्र आदि बनाने के लिए दो आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी। सभापति पद के लिए मुख्य कार्य-संचालक के रूप में जिला नियोजन अधिकारी हों।

आवश्यक वस्तुएं—पोस्टर, चार्ट, प्रदर्शन की अन्य चीजें जो निम्न-लिखित स्थानों से प्राप्त की जाएं : (१) भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से; (२) उत्तर प्रदेशीय सरकार से; (३) कृषि इंजीनियर से।

कार्य की सीमाएं—मेले की तैयारी के लिए केवल वे ही कार्यकर्त्ता लगाए जाएं जो दैनिक विकास कार्य में लगे हों और जो सहायता के लिए अन्य विभागों से मिल सकें। इस कारण मेला ऐसे मौके पर किया जाए जब कि अन्य विभागों में कम से कम काम किया जा रहा हो।

मेले पर कम से कम खर्च किया जाए। किन्तु यदि सभी विभाग मेले में सहायक हों और अपने-अपने विभागों में दिए जाने वाले इनामों को मेले के अवसर पर ही देने का निश्चय कर लें, तो मेले के लिए काफी धन और साधन जुट सकते हैं। मेले पर असल में करीब ६०० रुपये व्यय पड़ा।

मेले के लिए कम से कम सामान काम में लाना चाहिए। इस मेले में हमने अपने सभी आल्पैड थ्रेशर (मड़ाई की मशीनों) को एक कतार में रख दिया। इससे प्रदर्शन की वस्तुओं को रखने के लिए ईंटें और तख्ते लगाने की जरूरत नहीं पड़ी।

मेले के परिणाम पर विचार

लाभ

(१) जनता पर इस मेले का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। सार्वजनिक सभाओं के लिए तो दो-तीन सौ आदमियों को इकट्ठा करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। किन्तु मेले में कई हजार आदमियों ने भाग लिया और प्रदर्शनी को देखा।

(२) रात्रि वाले मनोरंजन कार्यक्रम बहुत अधिक आकर्षक सिद्ध हुए। योजना क्षेत्र के बहुत लोग इसमें सम्मलित हुए।

(३) आमतौर पर सभी का यह ख्याल है कि पहले पांच दिन तो मेला बहुत ही सफल रहा। एक हफ्ते का समय कुछ अधिक जान पड़ा।

(४) शुरू में "मेला करने के कारण" में जिन बातों को खास तौर पर शामिल किया गया था, उन सब में अधिकांश में सफलता प्राप्त हुई।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(५) मेला देखने के बाद लोगों ने उसके सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये, और जिन्हें मैंने स्वयं सुना, उनसे मेले के सम्बन्ध में जनता की राय का पता चलता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—"आज मुझे इसका पता चला कि विकास कार्यकर्त्ता यथार्थ में क्या काम कर रहें हैं।" "वे इतने बड़े पपीते, आलू और इतना साफ गुड़ दिखा रहे है।" "प्रदर्शनी बहुत अच्छी है।" "आप लोग यथार्थ में अच्छा काम कर रहे हैं।"

त्रुटियां

यह हमारा पहला प्रयत्न था। मैं नीचे उन त्रुटियों का वर्णन कर रहा हूँ जो मेले में पाई गईं, ताकि हमारे अन्य सहयोगी ऐसे मेलों की व्यवस्था करते समय उनसे बच सकें।

(१) कार्यक्रम पर अधिकारियों ने पूरा जोर नहीं लगाया था। इस काम को व्यक्तिगत रूप से परीक्षणात्मक ढंग पर किया गया। मेले के संगठन के लिये सहायक विकास अधिकारी पूरा समय नहीं दे सके।

(२) रुपए की कमी के कारण प्रदर्शन को उतना रोचक न बनाया जा सका जितना कि होन चाहिये था।

३. रोशनी का प्रबन्ध इतना अच्छा नहीं था। यदि बिजली या गैसों का प्रबन्ध हो सकता, तो प्रकाश की व्यवस्था अधिक अच्छी हो जाती परन्तु रुपए की कमी के कारण ऐसा नहीं किया जा सका।

४. ग्रामीण खेलों का उत्तम प्रबन्ध न किया जा सका। इसके कई कारण थे जिसमें प्रचार की कमी भी शामिल है। दूर के गाँवों के लोग इन खेलों में शामिल होने के लिए न आ सके।

५. मेले में ऐसे ग्रामीण गीतों की भरमार रही जो भिन्न-भिन्न ॠतुओं में गाए जाते हैं। किन्तु उस समय बसन्त ॠतु थी इस कारण लोगों की रुचि फाग आदि में अधिक थी।

६. मेले की योजना बनाने और उसकी तैयारी करने के लिए समय कम मिला इससे क्षेत्र में मेले के सम्बन्ध में जो प्रचार किया गया वह पर्याप्त नहीं था।

७. प्रदर्शन की चीजों को सजाने और उनके बारे में लोगों को समझाने में काफी त्रुटियां रहीं।

८. विशेषज्ञों की मीटिंगों का समय सबेरे रखा गया था, किन्तु ऐसी मीटिंगें सफलता-पूर्वक न हो सकीं।

मेले से क्या सीख मिली

१. हमने आशा की थी कि मेला एक बहुत ही जबरदस्त सावन है। किन्तु उससे अधिक से अधिक लाभ तभी हो सकता है जब हमारे सभी विभागीय कार्यकर्त्ता उसमें पूता-पूरा सहयोग दें।

२. **खर्च**—मेले पर बहुत अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं। किन्तु एक सन्तोषजनक मेले पर १००० रुपए तो खर्च होना ही चाहिये।

३. **प्रदर्शन की वस्तुएं**—जो वस्तुएं प्रदर्शित की जाएं, वे अच्छी हों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और उनकी तैयारी के लिये काफी समय लगाना चाहिये। उन वस्तुओं के बारे में समझाने के लिये लोगों को, खासकर ग्राम सेवकों को, ठीक से तैयार करना चाहिये। जो व्यापारिक फर्म गाँव वालों के हाथ अपनी चीजें बेचते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाय कि वे अपनी-अपनी चीजों को मेले में प्रदर्शित करें।

४. **तैयारी के लिये काफी समय**—मेले की तैयारी, निमंत्रण, प्रदर्शन की चीजों की तैयारी और सामान की व्यवस्था तथा प्रचार आदि के लिए कम से कम तीन महीने का समय होना चाहिये।

५. **प्रचार**—अनेक उपायों द्वारा अधिक अच्छे संगठित रूप में मेले का प्रचार काफी समय पहले विस्तृत क्षेत्र में किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक हैं: कम से कम ५००० नोटिस (पर्चे); "मंदिर से" नामक पाक्षिक पत्रिका के लगातार चार अकों में विज्ञापन; गाँव में दीवालों पर लगाने वाले पोस्टर; ग्राम सेवकों और प्रौढ़ शिक्षकों द्वारा मौखिक प्रचार और पर्चों तथा पोस्टरों का वितरण।

६. **पुनरावृत्ति द्वारा सुधार**—हर साल मेले का प्रबन्ध करने से हमें नई-नई बातों की जानकारी होगी और उन्हीं के अनुसार हम सुधार कर सकेंगे। साथ ही मेले के बार-बार करने से खास सुधार होंगे। उदाहरण के लिये खेल वाले जो दल या जो नाटक कम्पनियाँ पहले मेले में नहीं आईं, वे मेले के बार-बार किए जाने पर आने के लिए अधिक उत्सुक होंगी।

[५१.२]

[सुधार का एक रूप यह भी हुआ कि बाद वाले मेलों को करने व उन्हें चलाने में गांव वाले खुद ही अधिक जिम्मेदारी लेने लगे। इटावा में इक्कीस आदमियों की एक कमेटी बनाकर मेले का काम उनके हाथ में दे दिया गया। बलिया में हर केन्द्र के गांव वालों ने अपने-अपने कामों को दिखाने के लिए अपने पंडाल सजाये।]

परंपरा का विकास

जिन प्रोत्साहन देने वाले कामों का विवरण दिया गया है उनमें से हर एक अपने यहाँ के किसी स्थानीय या राष्ट्रीय, साहित्यक या धार्मिक महत्वपूर्ण तथ्य से प्रोत्साहन प्राप्त करता है। ग्राम्य-योगदान कार्यक्रम के द्वारा यह प्रयत्न किया गया था कि अग्रगामी योजना को परंपरा के किसी सबल आधार पर संगठित किया जाए और उसे सांस्कृतिक तत्वों से भावनात्मक सहयोग देकर आगे बढ़ाया जाए। इस प्रयत्न के प्रारम्भ में ग्राम्य जीवन विश्लेषक से भी काफी सहायता मिली थी। ये उदाहरण श्री अलवर्ट मायर ने और इटावा क्षेत्र के ग्राम सहयोग कार्यक्रम के संचालक श्री बैजनाथ सिंह ने प्रस्तुत किए हैं।

[हम लोग हमेशा इस बात के लिए सजग रहे हैं कि हम गांव वालों के साथ और वहाँ की परंपराओं के अनुरूप ही काम करें, न तो उनकी उपेक्षा करें और न उनके खिलाफ ही जाएं। हमारा यही दृष्टिकोण रहा है कि हम तब तक सफल नहीं

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हो सकते जब तक हम गांव वालों को भावनात्मक रूप से अपने काम में सम्मिलित न कर लें; जब तक हम उनकी आन्तरिक शक्ति को अपने काम का आधार न बना लें। ऐसा करने से हमारी प्रगति केवल अधिक स्थायी ही न होगी वरन् उसकी गति अधिक तेज और अधिक सुव्यवस्थित होगी। इसमें कोई विरोध नहीं होगा। बल्कि उनसे एक दूसरे को शक्ति ही मिलेगी। परम्परा का इस प्रकार विकास होगा कि इसमें नए तत्व सम्मिलित हो जायंगे।

इससे अन्तर्निहित शक्ति स्रोत खुल जाएंगे और उनसे हमारे नवीन प्रयत्नों को नया बल और प्रगति मिलेगी। इसमें सभी चीजें समावेशित हैं--धार्मिक स्थानों पर कान्फ्रेंसें करना, जन्म तिथियों पर कार्यों का आयोजन करना, सुप्रसिद्ध आदर्श पुरुषों और प्राचीन कथाओं को वर्तमान समय के कार्यों से सम्बन्धित करना, ऐसे संगठनों और मनोरंजनों का आयोजन करना जिनमें जनता की रुचि रही है।]

परंपरा सहायक हुई

[मेरा मतलब क्या है, यह गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्त्ता श्री शालिगराम पथिक की योजना से स्पष्ट हो जायेगा।

[पथिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कार्य करते थे। यहाँ वर्षा काफी होती है, किन्तु पानी को रोक रखने के साधनों के न होने से वर्षा का बहुत-सा पानी बेकार चला जाता है। वर्षा के पानी को सिंचाई के लिए रोक रखने के लिए किसान उसे तालाबों में भर लेते हैं। यदि ये ताल अधिक गहरे कर दिये जायँ, तो सूखी ऋतु में सिंचाई के लिए और अधिक पानी जमा किया जा सके।

[बाबा राघवदास ने इस स्थिति को समझा और उन्होंने तालाबों को गहरा करने का आन्दोलन चलाया। इसमें श्री पथिक ने सहायता दी। गांव की पृष्ठ-भूमि में प्राचीन परम्परा की जानकारी के आधार पर उन्होंने एक पोस्टर तैयार किया जिसमें यह दिखाया गया था कि श्री कृष्ण जी एक पर्वत को उठाये हुए हैं। श्री कृष्ण जी द्वारा गोबर्धन पर्वत के उठाने की कथा से सब गांव वाले परिचित हैं। पोस्टर के नीचे वाले आधे भाग में यह दिखाया गया था कि किसान मिट्टी निकाल कर एक तालाब को गहरा कर रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान समस्या को बड़ी ही खूबसूरती से प्राचीन कथानक से जोड़ दिया गया था जिसके कारण गांव वाले आसानी से उचित नतीजे पर पहुँच जाते थे।]

हरी खाद का नैतिक पक्ष

१९४९ के सितम्बर महीने में इकरी गांव इटावा योजना द्वारा शामिल किय गये नये क्षेत्र में आ गया था। इस गांव में इस बात की कुछ चर्चा तो पहुँच गई थी कि सनई हरी खाद के लिए बहुत उपयोगी है; किन्तु इस क्षेत्र में इसके पहले इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं किया गया था। बात फैल चुकी थी, तो भी गांव वाले उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। ग्राम सेवक को भी इस बात का पता चला कि हरी खाद के कार्यक्रम में जैसी दिलचस्पी अन्य गांवों के लोग ले रहे थे, वैसी इस गांव के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

लोग नहीं ले रहे थे। इसलिए ग्राम सेवक ने जन सहयोग अधिकारी से अपनी कठिनाई बताई और उनसे अनुरोध किया कि वे गांव में चल कर उसे सहायता दें, ताकि गांव वाले हरी खाद के कार्यक्रम में भाग लें।

जन सहयोग अधिकारी ऐसे पेचीदा मसलों को हल करने में समय देते थे। क्योंकि एक तो उससे उन्हें गांव वालों से बहुत-सी बातें सीखने को मिलती थीं, दूसरे इस तरह की परिस्थितियां उनकी जन सम्पर्क की रीति-नीति के लिये चुनौती थीं।

वे उस गांव में गये और ग्राम सेवक को लेकर पंचायत के प्रधान श्री कन्हैया लाल के घर गये। प्रधान एक प्रतिष्ठित घराने के व्यक्ति थे। उनके शास्त्र ज्ञान और धार्मिक जीवन के कारण उनका उस गांव में बड़ा मान था। वे अभी नौजवान ही थे। वे बहुत उत्साही और ईमानदारी से काम करने वाले थे पर अपने कुटुम्ब में उनका उतना प्रभाव नहीं था। असल में उनके अधिक आयु वाले चाचा श्री राम-सनेही ही कुटुम्ब के मुखिया और गांव के नेता थे। गांव वाले उन्हीं की बात आदर से सुनते थे और उसी के अनुसार कार्य करते थे। इस कारण योजना के दोनों कार्यकर्त्ता राम सनेही जी के पास गये। प्रधान जी वहीं थे। गांव के चार-पांच प्रमुख आदमी भी वहाँ आ गये और बातचीत में शामिल हो गये।

मौसम पर बात होने लगी। श्री राम सनेही ने कहा कि इस वर्ष वर्षा के देवता इन्द्र महाराज प्रसन्न हैं। इसके बाद ग्राम सेवक को बातें करने का मौका मिला। ग्राम सेवक ने कहा कि गांव वालों को अपने खेतों में सनई बोना चाहिए और फिर उसे जोत कर मिट्टी में मिला देना चाहिए, ताकि गेहूँ की फसल के लिए हरी खाद का लाभ पहुँचे। वह अपनी नौजवानी के जोश में यह समझाने लगे कि यदि यह जाँचा हुआ तरीका काम में लाया जायेगा तो गांव वालों को आर्थिक लाभ होगा। जिस समय ग्राम सेवक यह सब कह रहे थे, उस समय जन सहयोग अधिकारी यह देख रहे थे कि गांव वालों पर उनकी बातों का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने देखा कि गांव वाले ग्राम सेवक की बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।

जब ग्राम सेवक हरी खाद से होने वाले आर्थिक लाभों पर अपनी सारी तर्क-शक्ति खर्च चुका, तब राम सनेही जी बोले, "बेटा तुम जो कह रहे हो, वह सब ठीक ही है। पर हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि अधिक आर्थिक उत्पादन के लिये अधिक उत्सुक या लालची नहीं होना चाहिए। संत कबीर ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि 'हमें इतना ही दो जिससे हमारे कुटुम्ब का पालन पोषण हो जाये, हम भूखों न मरें और हमारे द्वार पर आये संत-अभ्यागत भूखे न लौटें'।" इस बात ने ग्राम सेवक को पस्त कर दिया।

जन सहयोग अधिकारी को पता चल गया था कि श्री सनेही बहुत ही कट्टर ब्राह्मण हैं, और किसी नई बात को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि उस पर उन्हें पूरा विश्वास न हो जाए। इसलिये जन सहयोग अधिकारी ने कहा कि इस समय गांव के अधिकांश लोग न तो अपने कुटुम्ब का ही ठीक से भरण-पोषण कर सकते हैं, न खुद ही अपना पेट भर सकते हैं और न साधु-अभ्यागतों का ही सत्कार कर सकते हैं। इस कारण इस समय तो इस बात की और भी अधिक आवश्यकता है कि उपज बढ़ाई जाये, और हरी खाद का देना एक ऐसा जांचा हुआ तरीका है जिसके द्वारा उपज बढ़ाई जा सकती है। ऐसा करने में कोई हानि भी नहीं है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। तब श्री राम सनेही जी ने कहा, "यदि हम अपनी भूमि से अधिक उपजा लें तो कोई हानि नहीं है। किन्तु कुछ मन अधिक अनाज उपजाने के लिए हम कोई पाप करने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरा विश्वास है कि मनुष्य का धर्म ही संसार की सारी सम्पत्ति से अधिक मूल्यवान है।"

नम्रता से जनसहयोग अधिकारी ने पूछा, "सनई को जोत कर खेत में हरी खाद के लिए मिला देने से धर्म में कहाँ व्याघात पड़ता है?"

श्री रामसनेही जी ने कहा, "अहिंसा ही सब से बड़ा धर्म है। हरी सनई को पकने के पहले ही जड़ों और पत्तियों सहित जोत कर खेत में मिला देना निर्दयता है। इस काम से तो हिंसा होती है।"

जन सहयोग अधिकारी ने कहा कि आत्मा तो अमर है। और यदि यह मान भी लिया जाये कि पौधों के भी जीव और आत्मा होती है, तो भी यहाँ पाप की कोई बात नहीं उठती। उसने गीता का प्रमाण दिया। पर सनेही और गांव वालों पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। जनसहयोग अधिकारी को यह विश्वास हो गया कि वे श्री रामसनेही जी से बहस में नहीं जीत सकते, क्योंकि श्री रामसनेही को शास्त्रों का काफी ज्ञान है।

जनसहयोग अधिकारी को अपनी बातों और तर्क शक्ति पर विश्वास था, इसी से प्रोत्साहित होकर उन्होंने प्रयत्न करना नहीं छोड़ा और बहुत ही नम्र भाव से कहा, "किसान का काम पवित्र माना जाता है। पर जिस आदमी पर कुटुम्ब के पालने का भार हो, उसे अनेक ऐसे भी काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो धार्मिक दृष्टि से विशेष पवित्र नहीं होते। जब वह खेत जोतता है, तब असंख्य कीड़े-मकोड़े मरते हैं। हरी घास और पौधे उखड़कर नष्ट हो जाते हैं। पशुओं को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। पर किसान बहुत से पुण्य के काम भी करता है। वह अपने कुटुम्ब वालों का भरण-पोषण करता है, पशुओं को पालता-खिलाता है। वह धार्मिक संस्थाओं की सहायता करता है। वह मंदिर, पुजारी, पंडित, अध्यापक, अभ्यागत, भिक्षुक आदि की सेवा करता है। वह कीड़ों-मकोड़ों को मारकर जहाँ पाप करता है, वहीं दान और आतिथ्य सत्कार से अच्छे कार्य भी करता है। उसके पुण्य कार्य उसके पापों को समाप्त कर देते हैं। किन्तु आज तो किसान इन सब पुण्य के कामों को पूरी तरह कर भी नहीं सकता। इसका कारण यह है कि भूमि की उपज कम हो गई है और उसे आर्थिक कठिनाइयों और अन्न की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यदि अधिक उपज हो, तो अधिक सेवा और पुण्य के काम किये जा सकते हैं। नीति ग्रन्थों में लिखा है "धनाद्धर्मम् ततः सुखम्" समृद्धि में ही पुण्य और पवित्र जीवन सम्भव हो सकता है और तभी सुख-शान्ति मिल सकती है।"

इस तर्क से गांव वालों पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि यह उन्हीं के विचारों के अनुकूल था। यह उनके परंपरागत सांस्कृतिक जीवन क्रम के ऊपर आधारित था। श्री सनेही ने दो मन सनई लेना स्वीकार किया। उनकी देखा-देखी अन्य गांव वाले भी राजी हो गये। जो लोग सांस्कृतिक रूप से यह मानते हैं कि "मनुष्य केवल रोटी पर ही जीवित नहीं रहता," उनके आगे केवल आर्थिक लाभ दिखाने से कोई फल नहीं निकलता।

[५२.१४]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पुराने विचार वाले (रूढ़िवादी) उत्सव में आये

जब १९४८ में हमने महेवा में काम शुरू किया, तब हमारा दफ्तर मन्दिर के एस किनारे वाले कमरे में था। मन्दिर में एक संस्कृत पाठशाला थी जिसमें ४०-५० ब्राह्मण विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के माध्यम से धार्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस पाठशाला के अध्यापक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। ऊपर से तो वे हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे किन्तु अन्दर ही अन्दर हमारे प्रति उनसे विरोध की भावना थी। उनके विद्यार्थी बहुत ही विरोधी थे और हमारी आलोचना करते थे। हमारे साथ सहयोग करने से उन्होंने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि वे हमारे कामों के सम्बन्ध में गलत प्रचार करने लगे और हमारे अधिकांश कामों की आलोचना भी करने लगे। हमारे और उनके बीच मतभेद काफी बढ़ता गया। इसका कारण यह था कि हमने कुछ हरिजनों को चपरासी की जगह पर रख लिया था और उनका छुआ हुआ पानी भी पीते थे। हमें कालिजों और यूनिवर्सिटियों में शिक्षा मिली थी और हम अपने जीवन की इन साधारण बातों में कुछ उदार हो गये थे। किन्तु हमारी ये बातें इन संस्कृत के विद्यार्थियों को अच्छी न लगती थीं।[४]

उच्च मध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों से हमें अधिक सहयोग प्राप्त हो सका। प्रौढ़ शिक्षा तथा नाटक, खेल-कूद, मनोरंजन आदि के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लड़के हमारे साथ मिलकर काम करते थे। एक साल से अधिक बीत गया, संस्कृत विद्यार्थियों और हमारे दल के कार्यकर्त्ताओं के बीच का अन्तर धीरे-धीरे कम जरूर हुआ, किन्तु विरोध की भावना काफी बनी रही।

नवम्बर के महीने में प्रबोधिनी एकादशी का पर्व पड़ा और हमने इस अवसर को विरोध की भावना को कम करने के लिए उपयोगी समझा। इस समय तक अन्य उत्सवों के साथ हमने सुधार और उन्नति के विचारों को इस तरह सम्बन्धित कर दिया था कि वे उत्सव हमारे विकास कार्य के सहायक अंग बन गए थे। किन्तु यह उत्सव अभी तक अछूता रह गया था।

हम लोग पाठशाला के मुख्य अध्यापक के पास गए और उन्हें सुझाव दिया गया कि उनके विद्यार्थी इस पर्व को इस तरह मनाएं कि उसके द्वारा धार्मिक-सांस्कृतिक आदर्शों का रूप निखर आये। हमारे कार्यकर्त्ताओं में से हर एक को विशेष समारोहों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संगठित करने का कुछ अनुभव था। इस पर्व को मनाने के विस्तृत कार्यक्रम की योजना तैयार करने में हमने मुख्य अध्यापक को सहायता

---

[४]सभी ग्रामीण विकास योजनाओं में एक लगनी बात पर, जिसका प्रभाव गांव वालों पर पड़ता है, विचार करना जरूरी है। आसपास के शहरों से या देश के बाहर से आने वाले कार्यकर्त्ता आमतौर पर अपने दैनिक जीवन में गांव वालों से अधिक स्वतन्त्र और सुधारवादी होते हैं। विकास कार्यकर्त्ताओं को सजग होकर अपने दैनिक व्यवहारों में काफी नियंत्रण रखना होगा। उन्हें अधिक सुधारवादिता न दिखानी चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि काफी सावधानी न बरती गई तो गांव वाले उसे त्याज्य मानेंगें, उसके साथ अपनत्व से घुल-मिलकर काम न कर सकेंगे। महेवा क्षेत्र में ब्राह्मणों का काफी प्रभाव रहा है। इस कारण महेवा में काम करने वाले हमारे कार्यकर्त्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

दी। सबेरे प्रभात फेरियों से उत्सव का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया; पर्व को मनाने की घोषणा की गई; नारे लगाए गए, जिनमें यह बताया गया कि भारत में वैदिक धर्म का विकास किस प्रकार हुआ है और इस पर्व से किन-किन धार्मिक और सामाजिक सुधारकों का सम्बन्ध है। दोपहर को हवन का कार्यक्रम रखा गया। तीसरे पहर सभा की व्यवस्था की गई, जिसमें बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति बुलाए गए।

पाठशाला के जिन विद्यार्थियों को इसके पहले आत्म-प्रकाशन और बुद्धि-प्रदर्शन के अवसर नहीं मिले थे, उन्होंने इस अवसर पर बहुत ही बढ़िया काम किया। उन्होंने पंडाल को इतनी अच्छी तरह सजाया कि वैसी सजावट हम लोग भी इसके पहिले किसी अवसर पर न कर सके थे; निमंत्रण-पत्रों को छपवाया; अच्छी-अच्छी दरियां लाकर बिछाईं; सजावट के और भी साधन जुटाए; इस खास अवसर के लिए ही व्याख्यान और उपयुक्त गाने तैयार किये। ग्राम्य योगदान अधिकारी अपने सहयोगियों को लेकर इन विद्यार्थियों के साथ भी मिलकर काम करते रहे। आश्चर्य की बात यह हुई कि उन्हीं विद्यार्थियों ने उस समारोह के लिए उसी जनसंपर्क अधिकारी को सभापति चुना, जिसके छुआछत न मानने से वे बहुत असंतुष्ट थे। फल यह हुआ कि अन्त में हमें उन लोगों का विश्वास प्राप्त हो गया।

हमें विद्यार्थियों के उत्साह और कार्य तत्परता को देखकर आश्चर्य हुआ। इन लोगों को इस बात का पता चल गया कि विकास संगठन में कार्य करने वाले लोग अन्य लोगों के धार्मिक विश्वासों और जीवन-पद्धति का काफी आदर करते हैं। इस छोटे से समारोह के द्वारा बड़ी-बड़ी चीजें अपने आप विकसित हुईं। इन्हीं विद्यार्थियों ने तरकारियाँ उगाईं, बंदरों से उनकी रक्षा की और वालीबाल दल संगठित किया। उन लोगों में से कुछ ने विकास कार्यक्रम को उस क्षेत्र में सर्वप्रिय बनाने में सहायता भी दी और हम लोगों के बीच का भेद भाव दूर हो गया। [५५.११]

कार्य का स्थायित्व

यदि विकास कार्यक्रम का प्रथम प्रयास सफल भी हो, तो भी उस अवसर के बीत जाने पर क्या सम्भावना है? जिन सुधरे हुए तरीकों को गांव वाले शुरू कर देते हैं, क्या वे उन्हें खुद ही जारी भी रखेंगे? अपने से काम को चालू रखने की भावना का निर्माण कैसे किया जाय? योजना क्षेत्र के कार्यकर्ता गांव वालों के जीवन में किस तरह ऐसी भावना भर दें कि वे खुद ही किसी काम को चालू करें और उसे बराबर चलाते रहें।

किसी काम को चालू रखने की निरन्तरता वाली भावना को जागृत करना कठिन है, किन्तु उससे भी अधिक कठिन है प्रारम्भिक लक्ष्यों की पूर्ति में सफलता प्राप्त कराना। योजना के परिणामों के स्थायी निर्माण वाले कठिन कार्यों के प्रति योजना के कार्यकर्त्ताओं की बराबर दिलचस्पी कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें बार-बार इसकी महत्ता का भान कराया जाय।

इस अध्याय में काम को स्थाई रखने के मुख्य प्रश्नों पर विचार किया गया है--कार्य को चालू रखने के लिए योजना बनाना; गांव वाले ज़िम्मेदारी को खुद अपने ऊपर ले लें इसके लिए प्रबन्ध करना, और स्थानीय नेतृत्व को विकसित

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करना । श्री एलबर्ट मायर ने अग्रगामी योजनाओं तथा सामुदायिक विकास योजनाओं में काम करने वालों को जो पत्र लिखे थे उन्हीं में से नीचे वाले लेख के अंश लिये गये हैं ।

स्थाई रूप से काम को चालू रखने के लिए योजना

भारत की स्वतंत्रता के पहले किए हुए विकास कार्य के सम्बन्ध में कुछ वर्ष पहले जांच पड़ताल की गई । उससे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई । कुछ ऐसी योजनाओं के क्षेत्रों में जाने का मौका मिला, जिनकी उनके कार्य-काल में बहुत प्रशंसा की गई थी । किन्तु वहाँ जाने पर न तो उस कार्य का कोई अंश देखने को मिला और न भौतिक रूप में या गाव वालों की विचारधारा में योजना का कोई प्रभाव ही दीख पड़ा । इसका अधिकांश कारण यह था कि जिस समय वे योजनाएं काम कर रही थीं उस समय गांव वालों से सहयोग प्राप्त करने की ठीक से चेष्टा नहीं की गई थी, बल्कि केवल सरकारी हुक्मों की तामील की गई थी । इस बात की बिल्कुल चेष्टा नहीं की गई थी कि गांवों में इस तरह के काम के लिए स्थानीय नेतृत्व को विकसित किया जाए ताकि गांव वाले खुद ही उस तरह के काम को चालू रख सकें । बात यह भी थी कि काम के चालू रखने पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया था और न बाद में अनुसरण सम्बन्धी कुछ किया ही गया था ।

इस समय भी भारत के गांवों में इस तरह की जागरूकता काफी अंश में नहीं पाई जाती है, जिसके द्वारा काम को चालू रखने की आवश्यकता महसूस की जा सके । यह आम भावना-सी है कि जब हम कभी एक बार किसी नई चीज को खरीद लेते हैं या नया मकान बनवा लेते हैं तो हम इतने से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं । किन्तु यह ठीक नहीं है; इस तरह की भावना के कारण बना हुआ काम बिगड़ जाता है । उदाहरण के लिए, यदि किसी मोटरकार की बराबर सफाई न की जाय या किसी कृषि औजार के कील-कांटे ठीक न रखे जाएँ तो वे बिगड़ जायंगे । कुओं के आस-पास लगाए गए केलों के पौधों की रक्षा न की जाए तो पशु उन्हें नष्ट कर देंगे । श्रमदान से बनाई हुई कच्ची सड़कों की यदि मरम्मत न की जाए तो सारी मेहनत बेकार जाएगी । उसका नाम-निशान तक मिट जायगा और आस-पास के किसान उसे अपने खेतों में मिला लेंगे ।

बार-बार होने वाले ऐसे निराशाजनक कार्यों से ही गांव वालों में ऐसे कार्यों के प्रति उपेक्षा पैदा हो जाती है । इसलिये हमारी योजनाओं और कार्य-संचालन विभाग में एक मुख्य विभाग होना चाहिए जिसमें किए हुए काम को कायम रखने वाले तथ्य पर जोर दिया जाए । बहुत-से नवीन कार्यों को चालू कर देना आसान बात है । और अक्सर हम बहुत से कामों को चालू भी कर देते हैं । किसी काम की योजना बनाते समय यह याद रखना जरूरी है कि इस काम के पूरे होने पर उसे कायम रखने के लिए जिन बातों की जरूरत है वह भी उस योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है । इसके मतलब यह हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तब उसे बाद में कायम रखना भी उतना ही जरूरी है, और कभी-कभी तो काम के पूरा होते ही इसकी जरूरत पड़ती है कि उसे कायम रखने वाले काम शुरू कर दिये जाएं । इससे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जिन नए कामों को हम शुरू करने की योजना बनाते हैं, उनकी संख्या और विस्तार में असर पड़ेगा। यदि इस बात को ठीक से समझ लें तो हम नए कामों को बहुत अधिक संख्या में शुरू न करें। मैं इस बात पर इसलिए बहुत जोर दे रहा हूँ कि कुछ नई सामुदायिक विकास योजनाएँ बहुत अधिक संख्या में नए कामों को शुरू करने का विचार कर रही हैं। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक काम को चालू करने के साथ ही उसे कायम रखने की जिम्मेदारी भी सम्मिलित है। ऐसा करने पर उन्हें धोखा न खाना पड़ेगा।

कायम रखने का यह मतलब है कि पूरे किए हुए काम की ही समय-समय पर उचित देख-भाल होती रहे, उसकी मरम्मत होती रहे ताकि ऐसी हालत में बनी रहे कि उसका उपयोग किया जा सके। अनुसरण कार्य से यह मतलब है कि जो कार्य शुरू में चालू किए गए हों वे बराबर अच्छी हालत में बने रहें और गाँव वाले उनके उपयोग और आवश्यकता को बराबर महसूस करते रहें।

उदाहरण

कच्ची सड़कें—कच्ची सड़कें इसलिए बनाई जाती हैं, कि गाँव वाले उनकी जरूरत महसूस करते हैं। किन्तु जब तक वे उन सड़कों की मरम्मत करके उन सड़कों को कायम रखने के ढंग को नहीं समझ लेते और उसके लिए गाँवों में कोई अपना संगठन नहीं बना लेते तब तक कुछ ही वर्षों में सड़कें बेकार हो जाती हैं।

गाँव की सड़कों को कायम रखने के लिए दो बातों की जरूरत पड़ती है। उसे पूरा करने के लिए प्राविधिक साधन और गांव में एक संगठन का होना जो उस काम को बराबर करता रहे। इस सम्बन्ध में यह जान लेना जरूरी है कि अमेरिका के देहाती क्षेत्रों में सड़कों की जो स्थिति पहले रही है उससे भारत के गाँवों की सड़कों की स्थिति बहुत भिन्न नहीं। जब मैं बालक था उस समय अमेरिका की बहुत सी सड़कें कच्ची थीं, और मोटरें बहुत कम थीं। वहाँ की गाड़ियों में घोड़े जोते जाते थे; भारत की तरह बैल नहीं। सड़कों को कायम रखने के लिए जो संगठन बनाए गए थे उनकी रूपरेखा यह थी कि जिस किसान के पास गाड़ी घोड़े होते थे, उसे निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पारी-पारी से सड़क के एक खास हिस्से की मरम्मत करनी पड़ती थी, ताकि वह कच्ची सड़क बरसात के समय भी आने-जाने लायक बनी रहे।

सड़क की मरम्मत का काम बहुत सरल था। एक भारी किन्तु खोखली लकड़ी का कुंदा या लोहे का एक तिनोका यन्त्र, एक या अधिक घोड़ों द्वारा सड़क पर खींचा जाता था। जैसी जरूरत होती थी उसी हिसाब से उस पर वजन घटाया बढ़ाया जा सकता था। आमतौर पर जरूरत के हिसाब से लड़के उस पर चढ़ा दिये जाते थे। इसके खींचने से सड़क बराबर हो जाती थी, गड्ढे या सूराख पटकर बराबर हो जाते थे। और सड़क का बीच का भाग जरा ऊँचा हो जाता था और दोनों किनारों की तरफ जरा ढाल रहती थी जिससे सड़क का पानी बगल की नालियों में बह जाता था।

यह सारा काम पेंचीदा या कठिन नहीं है। मुख्य बात यह है कि गाँव वालों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

को खुद यह महसूस करना चाहिए कि बिना बाहरी मदद के वे खुद अपने आप यह काम पूरा कर सकते हैं। शुरू में प्रदर्शन की जरूरत पड़ेगी; उसके बाद कुछ दिनों तक निगरानी करनी पड़ेगी। इसके बाद उन्हें यह समझ लेना होगा कि इस काम के लिए जिस जानकारी की जरूरत है उसे वे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद वे आपस में इस तरह का संगठन बना लें कि काम की ठीक रूपरेखा बना ली जाए, या काम का बंटवारा कर दिया जाए कि किस समय किसको कितना काम करना होगा ताकि जो काम निश्चित किया जाए उसे लोग जिम्मेदारी से पूरा कर लें।

खाना रखने की अलमारी और रोशनदान—एक योजना में घर की मिट्टी की दीवार में खाना रखने के लिए एक अलमारी बना दी गई और लोहे के पतले तारों की जाली अलमारी के ऊपर लगा दी गई ताकि मक्खियां और कीड़े अन्दर न आ सकें। यह बहुत ही हितकर बात थी किन्तु सरल भी। अब तो बहुत से मकानों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। किन्तु इसके लिए अनुसरण या बाद की देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो लोग पहले उसकी उपयोगिता को मान लेते हैं वे उसे उपयोग में लाना बन्द न कर दें। कुछ समय बाद प्रायः गांव वाले इस बात को भुला देते हैं कि भोजन को कीड़ों-मकोड़ों से बचाना बहुत जरूरी है और अक्सर वे इसे उलझन भरा काम समझकर छोड़ देते हैं। दीवालों में रोशनदानों को बनाने में भी ये ही बातें लागू होती हैं। अनेक वर्ष पहले ब्रायन ने पंजाब में रोशनदानों पर जोर दिया था। उनके प्रभाव से ये जल्दी ही बना लिए गए। रोशनदानों के हो जाने के कुछ दिन बाद ही वे हटा दिए गए, क्योंकि गांव वालों को उनकी उपयोगिता के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। जाड़ों में इन रोशनदानों से ठंडी हवा भी आती थी। और दीमकों ने इन्हें नष्ट भी कर दिया था। यहां भी काम को कायम रखने वाली बात लागू होती है। खाने वाली अलमारी के ऊपर लगे हुए तारों की जाली निकल जाती है और इस प्रकार अलमारी बेकार हो जाती है। जिस योजना का मैं वर्णन कर रहा हूँ वहां का ग्राम सेवक स्वयं अपने रहने के स्थान पर उन चीज़ों को काम में ला रहा था। उसके घर में दो अलमारियां थीं जिन पर तार की जालियाँ लगी हुई थीं। कुछ समय बाद ये जालियाँ लकड़ी के चौखटे से निकल गईं। किन्तु इस बात को न उसने देखा और न योजना के किसी दूसरे आदमी ने। ऐसा नहीं होना चाहिए।

वृक्षारोपण और पौधघर—हर साल हमें वृक्षारोपण समारोह के अवसर पर इस बात की रिपोर्ट देनी पड़ती है कि हमने इतने पेड़ लगाए। पर इससे कुछ लाभ नहीं होता। मुख्य बात है लगाए गए पेड़ों का सुरक्षित रूप में बचा रहना। दूसरे वर्ष कितने पेड़ बच रहे? तीसरे वर्ष कितने पेड़ बच रहे? कितने पेड़ लगाए गए, इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण यह बात है कि कितने पेड़ जीवित बचे। यदि जो पेड़ बचे उनकी संख्या अधिक है तभी वृक्षारोपण कार्य सफल माना जायगा। यदि बचे हुए वृक्षों की संख्या कम है और अधिक संख्या में पेड़ नष्ट हो गए, तो गांव वालों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हम लोग और गांव वाले पेड़ों की रक्षा करने, उनको पानी देने और पशुओं से उन्हें बचाने के लिए क्या-कैसा काम करते हैं, यही एक बड़ा प्रश्न है। और हमें इसी को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनेक नई योजनाओं में कुओं के आस-पास लगे हुए फलों के पौधों को पशुओं ने नष्ट कर डाला है। इससे यह जाहिर होता है कि जो काम किया जा चुका है उसे कायम रखने में दिलचस्पी नहीं ली गई। यह भी कहा जा सकता है कि जिन गांव वालों पर शुरू में अपनी बातों से असर डाला गया उनके अन्दर भी किए हुए काम को कायम रखने की भावना पैदा नहीं की जा सकी। इसलिए आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि जब तक कुछ आदमियों में या दलों में किए हुए काम को कायम रखने के लिए पक्की भावना उत्पन्न न कर दी जाए, तब तक उस काम को शुरू करने से लाभ नहीं होता, बल्कि हानि ही होती है।

झांसी योजना में लोगों को कटीले तार अधिक मात्रा में मिल गये, और जिन लोगों ने उन्हें लिया उनने स्वयं ही उसके दाम चुका दिये। इन तारों से फलों और पौधघरों की बहुत अधिक रक्षा हुई और खेती की चकबंदी में बहुत अधिक सहायता मिली।

कृष्णबन—मैनपुरी की सुल्तानगंज योजना के छः-सात गांवों में किए हुए काम को कायम रखने वाली सच्ची भावना का प्रचार किया गया। इसमें बड़ी सफलता मिली।

यदि आप मैनपुरी जाएं तो वहां के हर गांव में गांव की ऊसर भूमि पर बबूल के पेड़ लगे हुए देखेंगे। यह आज भी हरे-भरे और जीवित हैं।

आप पूछ सकते हैं कि इसमें खास बात क्या है? पहली बात तो आप यह देखेंगें कि इस भमि पर सिंचाई नहीं की जाती, किन्तु बीच-बीच में इस तरह के गढ्ढे खोद दिए गए हैं कि उनमें बरसात का पानी भर कर जमा रहता है। आप को उसके आस-पास कटीले तार की बाढ़ नहीं दीख पड़ेगी। क्योंकि गांव वाले उसका प्रबन्ध नहीं कर सकते थे। तो भी बबूल के पेड़ जीवित बच सके, इसका कारण यह है कि गांव वालों ने ऐसा संगठन कर लिया था जिससे पशुओं से उन पेड़ों की बराबर रक्षा होती रहे।

यह सब कैसे सम्भव हुआ? इसका कारण यह था कि किए हुए काम को कायम रखने की भावना से एक धार्मिक भावना का मेल कर दिया गया है। हर गांव में उसे कृष्ण-बन का नाम दे दिया गया था और गांव वालों की भावनात्मक दृष्टि को भगवान कृष्ण को समर्पित बन के साथ जोड़ दिया गया था।

इसके पहले भी अन्य अनेक गांवों में इसी तरह के उपाय किए गये थे। किन्तु वहाँ का काम सफल न रहा। गांव वालों को इससे बड़ा दुःख हुआ क्योंकि वे समझते थे कि भगवान कृष्ण के नाम पर किया गया काम बिगड़ गया। जिन गांवों में इस तरह के बन की रक्षा न हो सकी, वहाँ वालों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे इस काम को अगले वर्ष काफी सावधानी से करेंगे।

जिन गांवों में काम सफल हुआ था और जिनमें असफल हुआ था उन दोनों में ही भावनात्मक विकास या दृढ़ता की भावना जागी: इससे परंपरागत रूढ़ियों का मेल विकास कार्य से हो गया और वे रूढ़ियाँ भी सामाजिक शक्ति का स्रोत बन गईं।

[५२.७]

सुधरे हुए औजार—ग्रामीण जीवन और उसकी आर्थिक स्थिति के लिए यह मुख्य देन होगी। सुधरे हुए खेती के औजारों को गांव वाले पहले से ही काफी उपयोग

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में लाने लगे हैं। अब वे अन्य औज़ारों, पम्पों आदि को भी इस्तेमाल करने लगेंगे। किन्तु हर स्थान पर ऐसे साधन रहने चाहिए जिनके द्वारा वे यंत्र चालू हालत में रक्खे जा सकें और उनकी मामूली मरम्मत की जा सके; ताकि गांव वाले कम खर्च में और जल्दी से जल्दी अपने औज़ारों की देखभाल कर सकें और उन्हें चालू हालत में रख सकें। किन्तु यदि गांव वालों को अपने औज़ार की देखभाल और मरम्मत के लिए शहरों और कस्बों की दौड़ लगानी पड़ी तो खर्च बढ़ जायगा, समय अधिक लगेगा, ढुलाई आदि में दिक्कत पड़ेगी और औजारों के प्रयोग में कठिनाई खड़ी हो जाएगी। यदि हम गांवों में औज़ारों की देख-रेख और मरम्मत का प्रबन्ध न कर सके तो इस तरह के औज़ारों को इस्तेमाल करने के लिए गांव वालों को राज़ी कर लेने पर भी हम इस कार्यक्रम को टिकाऊ नहीं बना सकेंगे।

सुधरे हुए औज़ारों को गांव वालों द्वारा चालू रखने के लिए हमें उसी गांव के लोहार, बढ़ई या उस आदमी को तैयार करना होगा जो अभी तक पुराने ढंग से हलों की मरम्मत करता है। हमें इन लोगों से सम्पर्क स्थापित करना होगा और उन्हें नए औज़ारों की मरम्मत, सफाई आदि की बातें सिखानी होंगी। इसके साथ ही बीच के किसी गांव में एक मामूली कारखाना और दूकान खुलवानी होगी, जिससे गांव वाले बढ़इयों और लोहारों आदि को नए औजारों के पुर्जे मिल सकें। जिन औज़ारों की मरम्मत वे न कर सकें, उसे उस कारखाने में जाकर करा लें। यदि ये बातें की गईं तो गांव वालों को एक नया बल मिलेगा। हम इसी ढंग पर अब काम शुरू भी कर रहे हैं। हमने महेवा में एक कारखाना भी खुलवा दिया है जिसमें कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। हम इस कारखाने को सरकार के हाथों में नहीं रखना चाहते। जब इसमें सफलता मिलने लगेगी, तब हम इसे उसी स्थान के किसी व्यक्ति या सहकारी संघ को दे देंगे।

धान नगीना २२ और धान के कीड़े---पूर्वीय उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में इस धान की पैदावार धान की अन्य किस्मों के मुकाबले में अधिक होती है। किन्तु कुछ क्षेत्रों में धान की फसल के शुरू में इस किस्म के धान के पौधों में गंधी नामक कीड़े लग जाते हैं। इसलिये वहाँ वाले इसको छोड़कर दूसरे किस्म के धान के बीज बोने लगे हैं। ऐसी दशा में जरूरत इस बात की है कि इस काम को स्थायी बनाने के लिए पौधों को कीड़ों से बचाने के लिये किसानों को शिक्षा दी जाए ताकि उन्हें हानि न पहुंचे। प्रदर्शन के लिए कुछ खेतों में इसी धान को बोया जाए और उसे कीड़ों से बचाने के लिए उपयुक्त साधन जुटा लिए जाएं। एक योजना में प्रदर्शन वाली खेती और पौधों से कीड़ों को बचाने के साधनों का मेल ठीक से नहीं बैठाया जा सका था, क्योंकि दोनों काम अलग-अलग नियोजित किए गए थे। जितने खेतों में यह धान बोया गया था पर कीड़े-मार-दवा आदि का प्रबन्ध उससे आधे के लिए ही किया गया था। फल यह हुआ कि कुछ खेतों में कीड़े लग गए और फसल नष्ट होने लगी। संयोग से गलती का पता चल गया और जल्दी ही कीड़े मारने वाली दवा का प्रबन्ध कर दिया गया।

कुछ व्यापक सुझाव

कार्यक्रम की तैयारी---हर योजना अपना साल भर का कार्यक्रम तैयार कर लेती है और उसे मुख्यालय को भेजती है। कार्यक्रम में हर मद के लिए एक अलग पृष्ठ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रहता है। हर पृष्ठ पर ११ उप मद रहते हैं, जिनमें प्रस्तावित कार्य का विवरण दिया जाता है। उदाहरण के लिए यह नमूना दिया जाता है, "विशेष सावधानी।" यह उत्तम मद है। इसमें एक बारहवां मद भी जोड़ देना चाहिए; जिसका नाम होगा "कार्य को चालू रखना और अनुसरण कार्य।" इस मद को यों ही खानापूरी के लिए न भरा जाना चाहिए, किन्तु जो आवश्यक उपाय समझे जाएं उन पर उतनी ही सावधानी से विचार किया जाय जितना कि प्रारम्भिक प्रदर्शन पर किया जाता है। यदि ऐसा किया गया तो व्यावहारिक कार्य का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन जायगा।

अवशेष कार्य की जांच---योजना क्षेत्रों और लखनऊ के मुख्यालय दोनों में ही यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि कार्यक्रम के जो मद शुरू किए जाते हैं उन पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है, किन्तु पूरे किए हुए कामों को कायम रखने और अधूरे कार्यों के पूरा करने पर बहुत कम जोर दिया जाता है। अधिक महत्वपूर्ण बात है किसी शुरू किए हुए काम का कायम रहना और उसका लगातार उपयोग करना। ग्राम सेवक की और क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं की बैठकों में समय-समय पर सब बात को ठीक से समझा देना चाहिए। मैं चाहूंगा कि वृक्षारोपण समारोह के छः महीने और उसके बाद एक वर्ष पश्चात अधिकारी किसी गांव में जाएं और देखें कि कितने पेड़ लगाए गए थे, उनमें से कितने अब बचे हुए हैं और जो जीवित बच गए हैं उनकी स्थिति क्या है? वे यह भी जाकर देखें कि अच्छे किस्म के मुर्गों के बच्चे कितनी संख्या में दिए गए थे, और उनमें से कितने जीवित बचे हैं और कितने बीमारी से मर गए हैं या बिल्ली-कुत्तों द्वारा मार डाले गये हैं। कार्य के प्रारम्भ में जो बड़े-बड़े आंकड़े दिए जाते हैं, उनके मुकाबले में अवशेष-चीजों के आंकड़े अधिक महत्व के हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि काम आरम्भ करने के सम्बन्ध में बड़े-बड़े आंकड़े वाले कामों के लिए जो इनाम दिए जाते हैं, उनके स्थान पर नष्ट होने से बचे हुए काम के आंकड़ों पर इनाम देना अधिक उत्तम होगा।

यदि शुरू किए हुए कामों को कायम रखने और अधूरे कामों को पूरा करने के आंकड़े तुलनात्मक रूप में अधिक हैं तो हमें अपने काम को अच्छा मानना चाहिए। अन्यथा हमें दूसरी बार अधिक उत्तम योजना बनानी चाहिए। [५३.७]

गांव वालों द्वारा काम को अपने जिम्मे ले लेना

क्या गांव वालों में इस बात के लिए आवश्यक योग्यता आ गई है कि वे अपनी आवश्यकताओं को उचित रूप से निश्चित कर सकें? गांव वाले जिन कामों को कर सकते हैं उसे वे अपने आप पूरा कर लें। शेष आवश्यकताओं के लिए उचित ढंग पर जोर देकर उच्च अधिकारियों के सामने अपनी मांगों को रक्खें। कल्याण राज्य में जनता जिन सेवाओं को बराबर प्राप्त करने की अधिकारिणी है और हमारी विकास योजनाएं जनता को दे रही हैं, उनको बन्द करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मुख्य प्रश्न तो यह है कि जनता इस बात के लिए तैयार कर दी जाए कि उसमें इन कार्यों को आरम्भ कराने और चलाते रहने की भावना अपने आप जागृत हो जाए। [५४.७]

हमारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है कि गांव वाले उन कामों को अपने हाथों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में ले लें जिनको शुरू कराने में हम उनकी मदद कर सकें; उन कामों के बारे में समझ लें और उन्हें मन में बैठा लें; उनको चालू रखें, बढ़ाएं, उनमें सुधार करें और इस तरह अपने अन्दर नेतृत्व की भावना विकसित कर लें कि वे इन कामों की देखभाल कर सकें। जिन दूसरे कामों को वे करना उचित समझें उनका वे खुद ही संचालन भी कर सकें। इस दृष्टि से हमें यह देखना होगा कि हमने गांव वालों के अन्दर कितना आत्मिक विकास किया है। भौतिक कार्य वाले हमारे लक्ष्य परिणाम अवश्य ही अपने में महत्वपूर्ण हैं किन्तु उनका महत्व इस दृष्टि से और भी अधिक होगा कि उनसे हमें यह पता चलेगा कि हम गांव वालों की आन्तरिक भावना को कितना अधिक जागृत कर सके हैं। और यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण देन होगी।

हमारी प्रारम्भिक विस्तृत योजनाओं, हमारी पाक्षिक रिपोर्टों, सर्वतोन्मुखी प्रगति के विवरणों आदि में यही मांग की जाती है कि भौतिक लक्ष्यों का विवरण दिया जाय : कम्पोस्ट के इतने गड्ढे खोदे गए, इतने प्रदर्शन किए गए, इतने मील लम्बी सड़क बनाई गई, इतनी नई सहकारी समितियां स्थापित की गईं, सुधरे हुए बीजों से इतनी अधिक उपज हुई आदि। ये सब बातें महत्वपूर्ण और प्रभावोत्पादक हैं। किन्तु ये सब भौतिक हैं, आंकड़ों से सम्बन्धित हैं। किन्तु जो बात इतनी ही अधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि इन सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण है, वह है कि यह उन्नति किस दर्जे की हुई है, उसके नैतिक और आत्मिक परिणाम क्या हैं ? गांव के आन्तरिक जीवन के बारे में, कार्य संचालन के लिए, स्थानीय नेतृत्व के विकास और आत्म-विश्वास के बारे में हमारे ये भौतिक परिणाम क्या बताते हैं ? इसके लिए योजना बनाना और उसे लिख लेना बहुत कठिन है; किन्तु इसे कर सकना असम्भव नहीं। इटावा, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया की पहले से खुली हुई योजनाओं में ऐसा किया जाना चाहिए। कुछ योजना क्षेत्रों में ऐसा किया भी जा रहा है। अब नई योजनाओं में हमें इसके बारे में विचार करना होगा, और इसी के अनुसार योजना भी बनानी होगी।

एक उदाहरण से यह बात साफ हो जायेगी। अगर एक गांव तीन मील लम्बी सड़क बनाता है तो यह काम अच्छा माना जायगा। प्रारम्भ में हमारा घनिष्ठ सहयोग, देख-रेख और कार्य को प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहन देना आवश्यक होगा। किन्तु यदि हमारा उद्देश्य यह रहा है कि आगे भी गांव वाले सड़क बनाएं और सड़क बनाने की बात स्वयं ही सोचें, और प्रारम्भ करें, वे खुद ही सड़क बनाने के लिए जरूरी जमीन के लिये उठने वाले झगड़ों को आपस में तय कर लें, यदि वे अपने स्थानीय नेताओं की सहायता से एक संगठन बना लें और सड़क बनाना शुरू कर दें, हमारी सहायता के बिना ही उसके लिए रुपया जमा कर लें, तो निश्चय ही तीन मील लम्बी बनाई गई पहली सड़क का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके मतलब यह नहीं कि हम कभी तो पूरी सहायता दें और कभी बिल्कुल सहायता न दें। इसका मतलब यही है कि हमें ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते रहना चाहिए और गांव वालों की अन्दरूनी शक्ति को धीरे-धीरे विकसित करते रहना चाहिए। गांव वाले खुद अपनी शक्ति को बढ़ा लें और अन्त में सारे काम को अपने हाथ में ले लें, इसके लिए जो समय लगेगा और विकास की जो प्रगति होगी, वह भिन्न-भिन्न

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्थानों में भिन्न-भिन्न होगी। किन्तु हमें सावधानी से इसकी योजना बनानी पड़ेगी ताकि हम इस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें और हमें ऐसे उपाय निकालने होंगे जिनके द्वारा हम इस आन्तरिक विकास की नाप कर सकें।

योजना क्षेत्रों के सरकारी कार्यकर्त्ता धीरे-धीरे हट जाएं और स्थानीय लोग उस काम की जिम्मेदारी ले लें, यही हमारा लक्ष्य है। यह सब जिस तरह किया जायगा उसका आभास नीचे लिखे 'कुएं में दवा डालने वाले' उदाहरण से मिल सकेगा।

पहले लोगों को यह विश्वास दिलाया जाय कि दवा डाल कर कुएं की सफाई कर देने से लाभ होता है। गांव के स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है। इसके बाद हमें अपने ग्राम सेवक व स्थानीय प्रौढ़ शिक्षक के द्वारा इस काम को शुरू कराने की जरूरत पड़ेगी और हमें गांव के लोगों में यह दिलचस्पी पैदा करनी होगी कि वे कुओं में दवा डालते समय उसे देखें और हमारी मदद करें। उसके बाद हमें यह देखना होगा कि आया ग्राम पंचायत इस काम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और समय-समय पर कुएं में दवा डालने के लिए किसी आदमी की नियुक्ति करती है या नहीं। दवा देने के लिए और कुएं में दवा डालने की देख-रेख करने के लिए हम जिम्मेदारी लेंगे। अन्त में हम यह देखेंगे कि क्या वे यह जिम्मेदारी भी ले लेते हैं कि किस स्थान पर जाकर दाम देकर दवा लाएं और उसे इस्तेमाल करें। हम तभी उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ेंगे जब हमें पूरी तरह यह निश्चय हो जायगा कि वे इस काम को ठीक से कर लेते हैं।

इसके साथ ही यह प्रश्न उठता है कि क्या वे कुएं में दवा डाल कर उसकी सफाई नियमित रूप से और ठीक से बिला हमारे कहे ही या हमारी देख-रेख के ही करेंगे? क्या वे पौधों की रक्षा के लिए या मलेरिया की रोकथाम के लिए दवा के छिड़काव के लिए दाम देंगे? क्या वे उस काम को जारी रखेंगे और उसके लिए दाम भी देंगे? उदाहरण के लिए ग्राम पुस्तकालय के सम्बन्ध में क्या वे दाम देकर किताबें मंगाएंगे और किसी अवैतनिक या अर्द्ध-वैतनिक कार्यकर्त्ता की सहायता से उसे चलाते रहेंगे?

इसमें सन्देह नहीं कि इस तरह की योजना के लिए बहुत ही सतर्क निरीक्षण और उचित समय की आवश्यकता है। आमतौर पर हम शुरू में इसे पूरा नहीं कर सकते। हमें यह देखना होगा कि हमारे प्रदर्शनों और विकास कार्यों का वे कैसा स्वागत करते हैं, इसके बाद ठीक समय और उचित कार्यों को चुन लेना होगा। सभी योजनाओं में हमें निरन्तर इसके लिए सजग रहना होगा कि कौन-सा समय उपयुक्त है जब गांव वाले हमारे काम को अपने हाथों में ले लेंगे। इस बात का ध्यान रखना होगा कि निर्धन क्षेत्रों में यदि यह कसौटी रक्खी जाय कि गांव वाले इतनी रकम इकट्ठा कर लें तभी उनके हाथों में वह काम दिया जाए, तो उनके लिए इस शर्त को पूरा करना कठिन होगा। [५३.९]

गांव के द्वारा काम के अपने हाथों में लेने के उदाहरण

बलिया की अग्रगामी योजना ने कुओं की सफाई वाले काम को बहुत ही अच्छे ढंग से कर के दिखलाया है। जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को इस काम में दिलचस्पी थी। उन्होंने दवा देने का भी जिम्मा ले लिया था। उनकी सहायता से योजना क्षेत्र

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के सभी कुएं दवा डाल कर साफ किए गए। वह सफाई केवल एक ही बार नहीं की गई बल्कि अप्रैल से अक्टूबर तक समय-समय पर कई बार की गई। दवा डालने का काम केवल ग्राम सेवकों ने ही नहीं किया बल्कि प्रौढ़ शिक्षकों और खुद पंचायत के नेताओं ने भी किया। समम-समय पर इस काम के दुहराने पर इसलिए जोर डाला जाता है कि ऐसे कामों को कायम रखने पर आमतौर पर गांवों में कम ही ध्यान दिया जाता है। एक बहुत ही महत्व की बात यह है कि काम को कायम रखने वाली बात ठीक से समझ ली जाए और उसे अमल में लाया जाए।

मलेरिया की रोक-थाम के लिए मच्छर-मार दवा का छिड़का जाना अपने आप ही सर्व-प्रिय हो गया है। गांव वालों में चाहे यह विश्वास हो या न हो कि इसके द्वारा मलेरिया की रोकथाम हो जाती है, पर दवा के छिड़कने से मच्छरों का कष्ट दूर हो जाता है। इसलिए गोरखपुर और कई अन्य स्थानों की योजनाओं ने दूसरे वर्ष नए गांवों में जाकर दवा का छिड़काव शुरू किया। जिन गांवों में ऐसे छिड़काव का प्रदर्शन किया जा चुका था, वहाँ वालों के सम्बन्ध में यह विश्वास हो गया था कि वे खुद ही छिड़काव कराएंगे और उसके लिए दाम देंगे। बहुत-से गांव वालों ने ऐसा किया भी।

इटावा में पौध-घरों के सम्बन्ध में कहीं सफलता मिली, कहीं नहीं मिली। महेवा के पौध-घर को सहकारी समिति ने अपने हाथों में ले लिया और वह उसे ठीक से चला भी रही है। अन्य स्थानों पर उतनी सफलता नहीं मिली। आजमगढ़ में माध्यमिक स्कूल के लोगों ने एक पौध-घर को अपने प्रबन्ध में ले लिया। इससे क्षेत्र वालों को लाभ तो होता ही है, प्रबन्ध करने वालों को भी कुछ आमदनी हो जाती है।

सुधरे हुए कृषि औजार कुछ मँहगे पड़ते हैं। हर किसान उन्हें अपने लिए अलग-अलग नहीं खरीद सकता। इसलिये शुरू में योजना वाले अपनी ओर से इन यंत्रों को किराए पर देने लगे। जब उनकी मांग बहुत बढ़ गई तब सहकारी समितियों ने इस काम को अपने हाथ में ले लिया। वे इन औजारों को खरीद लेती हैं और उन्हें अपनी ओर से किराए पर उठाती हैं।

प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने वाले कुछ गांव वालों ने अपनी ओर से चन्दा करके अपनी आवश्यकता की चीजों को मंगाया और अपना पुस्तकालय कायम किया। इटावा के और आजमगढ़ के अनेक गांवों में ऐसा ही किया गया। अन्य बहुत से गांवों में प्रौढ़ शिक्षकों के पूरे या आंशिक व्यय को पंचायतें दे देती हैं। [५२.६]

गांव वालों ने कितना काम अपने हाथ में ले लिया, इसकी प्रगति कैसे आंकी जावे

इसकी सबसे उत्तम पद्धति तो यह होगी कि प्रगति की रिपोर्ट में आंकड़ों वाला हिसाब भी दिया जाये और गुण-प्रभाव वाला हिसाब भी। किन्तु आंकड़े जरूर दिये जायें ताकि उस पर रिपोर्ट देने वाले की व्यक्तिगत भावना का अनुचित असर न पड़े। इसका उद्देश्य यह अंकित करना है कि भौतिक प्रगति मानवीय गुणों के विकास का किस प्रकार एक अनिवार्य अंग बन गई है। उदाहरण :

सहकारी समितियां और संघ—आजकल लोग प्रायः अपनी रिपोर्टों में यही दिखाते

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हैं कि कितनी नई संस्थाएं कायम की गई। हमें यह भी दिखाना चाहिए कि सभाओं में कितने लोग उपस्थित हुए, और सदस्यों की पूरी संख्या का कितना भाग उपस्थित हुआ। इस तरह आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस दिशा में जो प्रगति हो, वह दी जाए और यह देखा जाय कि सदस्यों के अनुपात में उपस्थित होने वालों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई या नहीं।

साधन---उदाहरण के लिए खेती के और दवा छिड़कने आदि के कौन-कौन औज़ार कितनी संख्या में खरीदे गए; और किन के द्वारा खरीदे गए। साथ ही यह भी देना चाहिए कि कितने दिन और भूमि की कितनी एकड़ में उनका उपयोग किया गया? (फसल की कुल भूमि के अनुपात में यह कितना ठहरता है) इन सेवाओं को कितने लोगों ने स्वीकार किया?

पंचायतें—सभाओं के नियमानुसार होने की संख्या; मीटिंगों में उपस्थित होने वालों की संख्या और अनुपात—उपस्थिति बढ़ रही है या घट रही है? जनता कितनी संख्या में उपस्थित हुई? किन-किन कार्यों को पूरी ज़िम्मेदारी या आंशिक ज़िम्मेदारी के साथ जनता ने किया?

शुद्ध बीज—अभी आमतौर पर यह दिखाया जाता है कि कितने मन बीज बांटा गया। इसके साथ ही यह भी जोड़ देना चाहिए कि यह बीज जितनी भूमि में बोया गया, वह कुल खेती वाली भूमि का कौन-सा अंश है। यह भी दिखाना चाहिए कि मामूली किस्म के बीजों के मुकाबले में इस बीज से प्रति एकड़ कितनी अधिक उपज हुई।

दवा डालकर कुओं को साफ करना---केवल यह नहीं दिखाना चाहिए कि कितने कुओं में दवा डाली गयी और कितने गांवों में उसका उपयोग किया गया; बल्कि यह भी दिखाना चाहिए कि कितनी पंचायतों ने इस काम को पूरी तौर से अपने हाथों में ले लिया?

मलेरिया की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव—यह पूछना आवश्यक है कि कितने गांव वाले पैसे देते हैं? कितने गांव वाले पूरा पैसा देते हैं?

कम्पोस्ट के गड्ढे—अब तक तो केवल यही दिखाया जाता है कि कितने गड्ढे खोदे गए। पर यह भी दिखाना चाहिए कि कितने गड्ढे खाली किए गए और उनके अन्दर की चीजों को खाद के रूप में प्रयोग किया गया?

प्रौढ़ शिक्षा; सामाजिक शिक्षा—हमें यह भी पता करना चाहिए कि कितने गांव किताबों के लिए पैसा देते हैं या अपनी ओर से कौन—सा दूसरा सामान लेते हैं? प्रौढ़ शिक्षा की कक्षा चलाने वाले अध्यापकों को कितनी पंचायतें तनख्वाह देती हैं। [५३.४]

गांव के नेतृत्व का विकास

हमारा सबसे बड़ा काम यह है कि गांव के नेतृत्व का विकास हो और सामूहिक सहयोग की भावना बढ़े। यही एक बात है जिससे यह निश्चित हो सकेगा कि किस हद तक देश स्वयं अपना नव-निर्माण कर सकेगा। किन्तु प्रगति और अवसर के सम्बन्ध को बहुत सावधानी से देखना होगा। यदि हम अधिक उत्साह से ज़ोर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

डाल कर ऐसे काम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिनमें स्थानीय नेतृत्व की ज़रूरत पड़ती है, तो गांव में आपसी तनातनी उत्पन्न हो जायगी और आगे चलकर उसके कारण प्रगति रुक जायगी। हमें अपनी तत्कालिक सफलता की इच्छा के मुकाबले में गांव के कल्याण की भावना को अधिक महत्व देना होगा। जल्दी सफलता प्राप्त करने के जोश में या तो हम जल्दी में गलत लोगों को नेता चुन लेंगे या बार-बार केवल एक आदमी को पकड़ते रहेंगे (जिसके द्वारा सफलता मिलने की सम्भावना हो)। इन सब का फल यह होगा कि स्वस्थ नेतृत्व की भावना को विकसित करने में या तो देर लगेगी या रुकावट पड़ेगी। सावधान रहने और अधिक उत्सुकता न दिखाने पर हम आगे चल कर काफी सफल हो सकेंगे, और यही सफलता टिकाऊ होगी।

यह बात तो स्पष्ट ही है कि हम इसी कारण नेतृत्व को विकसित करना चाहते हैं, ताकि गाँवों में विचारने, कार्य करने और प्रगति करने में जो भी उन्नति हो वह उस स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप हो और उसमें आत्म-निर्भरता की भावना निहित हो। हम बाहर वाले लोग चाहे कितने ही सहानुभूतिपूर्ण हों और कितनी ही अच्छी तरह सब विषयों की जानकारी रखते हों, परन्तु यदि हम धीरे-धीरे क्रमागत रूप से अपने निजी कार्य-भाग को कम कर सकें तभी अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में सफल माने जाएंगे। [५४.४]

ज़मींदारों के फौलादी पंजे को और दूसरे तरफ के हुकमाना ढंग को दूर करने से जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति न तो उपयुक्त और ज़िम्मेदार पंच-मित्र ही कर सकी है, न ही ऐसे व्यक्ति या दल ही इस खाली स्थान को भर सके हैं जो अधिक ज़िम्मेदारी और अधिक प्रजातांत्रिक ढंग पर जनता के हित में काम करते हों। इसके अनेक उदाहरण हैं: गांव के अनेक दल गाँव के कल्याण के स्थान पर वहां की ताकत को अपने हाथों में समेटने के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं; सहकारी समितियों के सदस्य और संचालक या तो अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं लेते या यदि दिलचस्पी दिखाते हैं तो केवल स्वार्थ साधन के लिए ही; ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो गलियों को चौड़ी करने के काम में बाधा डालते हैं, या जो काम के खत्म होने या उत्साह के ठंडे पड़ने पर फिर अपनी गली की भूमि पर कब्जा जमा लेते हैं। इस तरह की बातें अस्वाभाविक नहीं हैं। इसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों या दलों के उदाहरण भी हैं जो अपनी नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह से समझते और निभाते हैं। [५३.७]

दलबंदियाँ और उनके साथ काम करने के उपाय

भारतीय गांवों में दल बन्दी काफी सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में तो गांव के दल काफ़ी बदनाम हैं और लोग उनसे डरते भी हैं। अक्सर ये दल एक दूसरे का इतना घोर विरोध करते हैं कि समुदाय या समाज को लाभ पहुँचाने वाले बहुत से महत्वपूर्ण कामों में विघ्न पड़ जाता है। दलबन्दी है, इस बात से न तो इन्कार ही किया जा सकता है और न उसकी उपेक्षा। यथार्थवादी रूप में उसे मान लेना पड़ेगा; किन्तु उनकी स्पर्द्धा शक्ति को किसी उपयोगी काम में लगाना होगा। नीचे दो उदाहरण दिए जाते हैं जिनमें श्री बैज नाथ सिंह ने यह सुझाव दिया है कि प्रतियोगिता वाली शक्ति से कैसे लाभ उठाया जाय।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(१) असतपुर गांव के लोग दो दलों में बँटे थे : एक दल में थे ब्राह्मण ज़मींदार, दूसरे में थे छोटी जाति वाले किसान। दोनों दलों के बीच काफ़ी मुकदमेबाजी चली। उनमें ईर्ष्या-द्वेष और अविश्वास की भावना पूरी तरह से फैली थी। जब जन सहयोग अधिकारी उस गांव में गए और आस-पास के स्थानों की सफ़ाई के बारे में समझाया, तो दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ बातें करने लगे।

योजना में काम करने वाले लोग अपनी टोली बनाकर उस गांव में गए थे। इस टोली में थे उस गांव के ग्राम सेवक, पास के गांवों के दो अन्य ग्राम सेवक, उप विकास अधिकारी (जन सहयोग) और सहायक विकास अधिकारी। इस टोली ने दोनों दलों से गांव की सफाई के काम में भाग लेने का अनुरोध किया। गांव की गलियां बहुत ही सकरी थीं। किसानों ने सोचा कि सरकारी अधिकारी लोग (जैसा कि आमतौर पर होता आया है) जमींदार दल के पक्ष में होंगे। किन्तु ये कार्यकर्त्ता लोग दोनों दल वालों से मिले और दोनों जगह अपने हाथ से काम करने लगे। गांव भर की सभी गलियां साफ कर दी गईं। जो दल एक दूसरे से लड़ते-झगड़ते थे, वे एक दूसरे के काफी निकट आ गए और कुछ-कुछ एक दूसरे का विश्वास भी करने लगे।

उन्होंने अपने गांव के एक मुखिया श्री हुकुम सिंह को प्रौढ़ शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में भी भेजा। प्रशिक्षण के बाद वे बहुत अच्छी तरह पढ़ाने लगे। उन्होंने एक पुस्तकालय भी स्थापित कर लिया और प्राइमरी स्कूल की इमारत बनाने के काम में सम्मिलित हो गए। सफाई वाले प्रथम अभियान के ८ महीने बाद इसी गांव में एक मील लम्बी सड़क भी बनाई गई। अब उनका आपस का ईर्ष्या-द्वेष भी कम हो रहा है। व्यासपुर, लुधियानी और एकनौर गांव के लोग भी आपसी दलबन्दी के लिए बदनाम थे। अब वे एक साथ मिलकर अग्रगामी योजना के कामों में सहयोग देते हैं और अच्छे काम में सफलता प्राप्ति के लिए एक दूसरे से होड़ लगाते हैं। इस सफलता का कारण है, सामुदायिक हित के काम, जनता से घनिष्ठ सम्पर्क और उनके आपसी झगड़ों से हमारे कार्यकर्त्ताओं का दूर रहना और उनके हित के कामों में सहानुभूति से सहयोग देना।

(२) लुधियानी गांव के चौधरी श्री शिव प्रताप सिंह ने हमारे दो ग्राम सेवकों को अपने मकान में रहने के लिए जगह दी और शुरू में सभी प्रकार की सहायता दी। अधिकारियो से वे बड़े सौजन्य से मिलते हैं। और अधिकांश गांव वालों का ख्याल है कि वे बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। मंगल सिंह एक साहसी नौजवान हैं, और राजनैतिक क्षेत्र से उनका काफ़ी सम्पर्क है। उन्हें कई बार सजाएं मिल चुकी हैं। चौधरी शिव प्रताप सिंह तो पुराने दबंग जमीदार हैं। उन्होंने मंगल सिंह की सर्वप्रियता का विरोध किया। उन्होंने मंगल सिंह के खिलाफ कम्युनिस्ट होने का हौआ खड़ा कर दिया। मंगल सिंह समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और उनमें नेता होने और कार्य करने का माद्दा है। किन्तु वे उग्र स्वभाव के व्यक्ति हैं और स्पष्टवादी हैं। अधिकारी उन्हें पसन्द नहीं करते, क्योंकि न तो वे दब्बू हैं और न चापलूस ही। कुछ समय तक तो हम भी इसी धोखे में पड़े रहे कि चूंकि उनका झुकाव कम्युनिस्ट विचाराधारा की ओर है, इसलिए वे हमारा विरोध करते हैं। उनके गांव में हमारा काम कुछ अधिक सफल न हो सका। दलबन्दी के कारण ग्राम सेवक घबरा गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मंगल सिंह जेल में थे। जन सहयोग अधिकारी उनके घर गये और उनके वृद्ध पिता से उनकी समस्याओं और मंगल सिंह का हाल चाल पूछा। जब मंगल सिंह जेल के बाहर आये, तब उन्होंने इस सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के बारे में सुना। और वे उस अधिकारी के पास मिलने के लिए आये। दोनों ने मिलकर गांव के विकास के बारे में विचार किया। उन्होंने योजना बनाई और श्री शिवप्रताप सिंह को भी साथ में लिया। मंगल सिंह की अगुआई में लुधियानी के नौजवानों ने गांव भर की सभी गलियों को चौड़ा किया। उनके दल से दो शिक्षक प्रौढ़ शिक्षा का काम करने के लिए आगे आए। और गांव का काम हर दिशा में प्रगति करने लगा। [५०.६]

व्यक्तिगत नेतृत्व को हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं

हम अब तक इस बारे में काफी नहीं जानते थे कि स्थानीय नेताओं को कैसे चुनें और उनका निर्माण कैसे करें। हम यह भी निर्णय नहीं कर सकते थे कि नेता के लिए कौन खास गुण होने चाहिए और स्थानीय नेतृत्व को कैसे प्रोत्साहन दें और उसमें नया जीवन डालें। दूसरी ओर हम इसके लिए भी उत्सुक हैं कि नेता मनमाने तानाशाही ढंग पर काम न करें। वे गांव वालों की बातों को समझें और उसी हिसाब से काम करें। किन्तु हम किसी पूर्ण या अंतिम निर्णय के लिए रुक नहीं सकते।

अब तक हमें बहुत अनुभव हो चुका है। किन्तु उससे हमें जो सीख मिली है उन सब पर उतना नहीं चल सकते जितना हमें चलना चाहिए। हम उन बातों को नीचे दे रहे हैं और चाहते हैं कि हम हमेशा उनका ध्यान रक्खें।

(१) **असली नेता**—शुरू शुरू में, चूंकि हम अधिक अन्न उपजाओ वाली जनता की अनुभूत आवश्कता में दिलचस्पी लेने लगे थे; इसलिए हम धनी और अधिक उत्साही लोगों के पास गए; क्योंकि हम सोचते थे कि वे कृषि प्रदर्शिनों के लिए कुछ कर सकते हैं और उससे जो खतरा हो उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरे लोग जब उस प्रदर्शन को सफल होते देखेंगे, तब वे हम पर और हमारे काम पर विश्वास करने लगेंगे। किन्तु जिन लोगों ने ऐसे प्रदर्शन किए उन पर जनता का विश्वास नहीं था, क्योंकि वे जनता के नेता नहीं थे। पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आने वाली कुछ शक्ति तो उनमें अभी शेष है, इस कारण वे श्रमदान का आयोजन करके कुछ काम तो करा ही सकते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग जमीदार थे। किन्तु यह अगुआई उस तरह की नहीं है, जिस पर जनता का विश्वास हो और जिनके द्वारा जनता आत्म-विकास को सम्भव समझे।

सिद्धान्त नं०१---हम सजग होकर ऐसे व्यक्ति की खोज करें, जिस पर जनता का विश्वास हो, और उनके नेतृत्व का विकास करें। अपने शुरू के सहायकों को न तो छोड़ें और न उन्हें नीचे गिरायें, न उनके विरुद्ध कुछ करें ही। किन्तु हम ऐसे कुछ मध्य श्रेणी के व्यक्तियों को खोज निकालें जिनका आदर जनता करती हो। ऐसे आदमियों को न लें जिनसे जनता डरती हो।

(२) **धनियों के साथ सांठ-गांठ**—कभी-कभी हम लोग धनी लोगों के घरों और दावतों की तरफ़ चक्कर काटते रहते हैं। उसके कारण हैं : कुछ तो आलस्य, कुछ यह है कि जब भोजन के लिए निमंत्रण दिया जाता है तब उसे अस्वीकार करने की अभद्रता भी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हम नहीं करना चाहते । इसके अतिरिक्त पहले हम लोग इसी वर्ग के साथ मिलकर काम करते थे और अब वही आदत पड़ गई है । इस नीति का अपना महत्व होते हुए भी इसके कारण हम गांव वालों की सहानुभूति खो देते हैं; क्योंकि वे यह समझने लगते हैं कि सामुदायिक विकास की आड़ में हम लोग धनी लोगों के साथ लगने वाली पुरानी परिपाटी को नया रूप दे रहे हैं ।

सिद्धान्त नं० २---स्वागत सत्कार या तो बिल्कुल ही स्वीकार न किया जाए और यदि स्वीकार करना ही पड़े तो कम से कम लम्बी चौड़ी दावतों को बिल्कुल ही स्वीकार न किया जाए ।

(३) **काम को करा लेना**— प्रतिस्पर्धा की भावना, और खासतौर पर जनता में श्रमदान कराने के उत्साह में लोग दूसरे योजना-क्षेत्रों से अधिक काम कराने के लिए उत्सुक रहते हैं । यदि कोई काम जल्दी कराना हो तो उसे पुराने ढर्रे पर शक्ति और भय दिखला कर ही अधिक अच्छी तरह से कराया जा सकता है । इस समय तो यही ढर्रा काम कराने के लिए सबसे आसान और सबसे जल्दी का है । और इसके द्वारा गांव का भौतिक विकास भी हो सकता है, किन्तु इससे आन्तरिक या प्रजातान्त्रिक विकास सम्भव नहीं है । इसके द्वारा गांव के अन्दर असली शक्ति का विकास नहीं किया जा सकता । हमें अन्य पद्धतियों का विकास करना होगा । एक नई पद्धति तो हमारे हाथ में आ ही गई है; अभी उसका प्रारम्भ ही समझिए : हमारे प्रौढ़ शिक्षकों में से कुछ ने यह दिखा दिया है कि उनमें अगुवाई करने और काम लेने का माद्दा है । उनकी यह वृत्ति आरम्भिक अवस्था में भले ही हो किन्तु उसका विकास तो किया ही जा सकता है । वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आने वाले धनी नेता भी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि यदि वे धनी होते तो १५६ रुपये महीने पर हमारे यहां आकर काम न करते । उत्साही तथा नवयुवकों का दल उनके पास पढ़ने के लिए आता है, और यही दल ग्राम विकास कार्य के लिए अगुवा बनाया जा सकता है । गांव के नेताओं और प्रौढ़ शिक्षकों के लिए हम अल्प कालीन शिविरों का आयोजन करते हैं । ऐसे अवसरों पर भी काम करने वाले लोगों का चुनाव किया जा सकता है। हमें यह अवसर मिलता है कि हम उन्हें पास से देखें, समझें, उनका विकास करें और उनमें से उपयुक्त व्यक्तियों को चुन लें ।

सिद्धान्त नं० ३—हमें चाहिए कि हम दबाव डालकर काम कराने वाले नेताओं के द्वारा कम से कम काम करायें और प्रौढ़ शिक्षा दल तथा शिविरों आदि में प्रशिक्षित नवयुवकों द्वारा अधिक से अधिक काम करायें ।

(४) **थोड़े से सहायकों पर निर्भर करना**—चाहे उचित ढंग के नेता हों या नहीं, किन्तु हम जिन पर भरोसा करते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है । इससे यह जाहिर हो जाता है कि हम केवल उन्हीं इने-गिने लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हीं के द्वारा काम कराते हैं । इने-गिने आदमियों पर इतना अधिक ध्यान देने या इतना अधिक उन पर भरोसा करने के कारण गांव में हमारे उन मित्रों की स्थिति को हानि पहुँचती है । सब लोग उनसे ईर्ष्या और घृणा करने लगते हैं ।

सिद्धान्त नं० ४—हमें चाहिए कि हम केवल एक या दो नेताओं से ही काम न लें और न यह दिखलाएँ कि हम केवल उन्हीं को सबसे अधिक मानते हैं । हमें कुछ इस तरह चलना पड़ेगा कि उपयोगी मित्रों की संख्या बढ़ सके । ऐसा करने पर ही यह

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

भावना दूर की जा सकेगी कि हम कुछ इने-गिने खास व्यक्तियों से ही अधिक लगाव रखते हैं। इससे यह भी मौका मिलेगा कि आगे चलकर अपने आप नये-नये लोग पुराने लोगों के काम समझते जायँ और यह क्रम बराबर जारी रहे।

(५) **सभाएँ**—कुछ थोड़े से लोग (खास कर किसी एक ही दल वाले) बहुत अधिक हावी हो जाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हमें बहुत-सी सभाएँ करते रहना चाहिए, जिनमें अधिक से अधिक लोग भाग लें। किन्तु हमें इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि उन सभाओं में सभी स्तर के लोग आएं, और यदि सभी स्तर के लोग न आएं तो उन्हें आने के लिए कहना चाहिए। ऐसी मीटिंगों में सभी को अपने-अपने विचारों को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अक्सर होता यह है कि कुछ थोड़े से लोग ही बातें करते रहते हैं; इस कारण हमें इस बात का पता नहीं लगता कि दूसरे लोगों के असली विचार क्या हैं। हमें खास तौर पर ऐसे लोगों को देखते रहना चाहिए जो बिलकुल बोलते ही नहीं हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि वे लोग भी अपने विचार प्रकट कर। हमें इस बात के लिये भी सावधान रहना होगा कि जो लोग सभा में अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उन्हें बाद में गांव वाले सवाल पूछ कर तंग न करने पाएं। शुरू में यह हो सकता है कि ऐसे लोगों की बातें हम अपने सामने खानगी तौर पर सुन लें और बाद में जब उनमें इतना साहस आ जाए कि सबके सामने अपने विचारों को प्रकट कर सकें और दूसरों की आलोचना या प्रश्नों को सह सकें, तब सभाओं में बोलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम यह नहीं देखते कि कौन लोग नहीं बोल रहे हैं; हम केवल इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि जिन बातों को हम सुनना चाहते हैं, उन्हीं को हमारे मित्र कह रहे हैं।

सिद्धान्त नं० ५—बार-बार बहुत-सी सभाएं करनी चाहिए। ग्राम सेवक या अन्य लोगों के द्वारा इस बात का पता लगाते रहना चाहिए कि मीटिंगों में सब तरह के लोग आते हैं या नहीं। इस बात से भी सतर्क रहना चाहिये कि वाद-विवाद में केवल कुछ थोड़े से लोग ही हावी न हों।

(६) **कार्य का प्रसार**—ग्राम सेवक गांव में कितना काम करते हैं? कितने लोगों को जानते हैं? कितने लोगों से उनकी मित्रता है और किनके साथ वे काम करते हैं? जिनके साथ शुरू में ग्राम सेवक ने मित्रता के सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं क्या वे अधिकांश में किसी खास दल के ही हैं? यदि आप इन बातों की तह तक पहुँच सकें तो आपको पता लगेगा कि ग्राम सेवक बहुत ही थोड़े लोगों को ठीक से जानते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। इस स्थिति का उपाय यही है कि आप कार्यकर्त्ताओं की मीटिंग में इस प्रश्न को उठाएँ, ग्राम सेवक से सीधे इन बातों को पूछें और इस स्थिति का पता लगायें; साथ ही स्वयं गांव में जाकर अधिक से अधिक लोगों से परिचय प्राप्त करें।

सिद्धान्त नं० ६—यह देखें कि ग्राम सेवक के पास कितना समय है, उसी के अन्दर वे अधिक से अधिक लोगों से परिचय प्रात्त कर लें; वे पूरे साल भर एक ही तरह के लोगों से मिल कर काम न करें; जितने लोगों के साथ वे मिल कर काम करते हैं उनमें सभी जातियों, दलों और आर्थिक स्थिति के लोग शामिल हों। हमें इसके लिये एक उदाहरण सामने रखना होगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अनुभव के बल पर ही हम इन सिद्धान्तों को ठीक से जान-समझ सके हैं। यदि हम उन सिद्धान्तों के अनुसार सावधानी से कार्य करने की चेष्टा करेंगे, तब यह शिकायत दूर हो जायेगी कि हम लोगों का मेल-जोल अधिकतर धनी वर्ग से ही है और हमारा काम अधिक असलियत के साथ जनता में फैल जायगा। वर्तमान स्थिति के मुकाबले में पूरा गांव ही सच्चे अर्थ में सक्रिय हो जायगा। इससे योग्य विश्वासनीय नेतृत्व के विकास के लिए वातावरण काफी सुधर जायगा और ऐसे नेता उभर कर सामने आ जायँगे जिनको जनता का प्रेम और सम्मान प्राप्त होगा। [५४.४]

संगठनात्मक कार्य
पंचायतें और सहकारी समितियां

जहां कहीं भी संगठनात्मक नेतृत्व मिलता है (जैसे अच्छी सहकारी समितियां या पंचायतें) तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसके साथ मिलकर काम करते हैं और उसकी प्रतिष्ठा और महत्व को बढ़ाने के लिए हर तरह से प्रयत्न करते हैं। जहां कहीं इस तरह का संगठन मौजूद नहीं है, वहाँ हमें उसके निर्माण करने में सहायता देनी चाहिए और इसके लिए सावधानी से योजना बनानी चाहिए कि उस पर हम काम का कितना बोझ डालें और किस समय उसे उस काम की जिम्मेदारी दें; उचित समय के बहुत पहले उस संस्था पर अधिक काम का भार नहीं लादना चाहिए। [५२.२]

[आमतौर पर इस समय जो पंचायतें और सहकारी समितियां हैं वे कमजोर हैं। गांव में उनका जन्म स्वाभाविक ढंग पर नहीं हो सका है; बल्कि ऊपर वाले अफसरों के विचारों और हुक्मों के बल पर उनका निर्माण हुआ है। यह सोचा गया था कि गांव के शासन प्रबन्ध के लिए पंचायत का निर्माण किया जाय और गांव के आर्थिक सुधार के लिए सहकारी समितियों का संगठन किया जाय। अँग्रेजी अमलदारी में स्थानीय शासन के लिए शक्तिशाली जमींदार थे जो सब पर छाए रहते थे, और महाजन थे जो कर्ज देते थे और आवश्यक चीजों की खरीद और बिक्री करते थे। इन दोनों का ही उन्मूलन कर दिया गया। इन दोनों के हटने से जो स्थान खाली हुए उनको भरने के लिए ही पंचायतों और सहकारी समितियों की रचना की गई। अंग्रेजों के भारत में आने के पहले भारत के गांवों में पुरानी पंचायतें थीं। सैद्धांतिक रूप से उन्हीं को फिर से जीवित करने के लिए इस समय कानून द्वारा पंचायतों का निर्माण किया गया। किन्तु इनमें इस समय भी पहले-सी जीवन्त शक्ति नहीं आने पायी है, गांव में उनकी जड़ें मजबूत नहीं हुई हैं। वैसे सैद्धान्तिक रूप से सहकारी समितियों का निर्माण उचित ही है, और सहकारी समितियों ने भारत के प्रमुख विचारकों एवं योजना बनाने वालों पर एक पीढ़ी से भी अधिक से काफी प्रभाव डाल रक्खा है। किन्तु कानून के द्वारा स्थापित पंचायतों की तरह ही सहकारी समितियां भी सरकार के विभाग का एक अंग हो गई हैं, और जनता में आमतौर पर उनकी जड़ें जमने नहीं पाई हैं।

[विकास लक्ष्यों की तात्कालिक और जल्दी से जल्दी पूर्ति करने के उद्देश्य से हमारा रवैया था कि हम इन कमजोर और मूलरहित संगठनों की चिन्ता न करें।]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हमारे योजना क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं में इस बात की उत्सुकता रही है कि कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया कार्य करके दिखा दें। और इसलिए उनके सामने सरल और तात्कालिक उपाय यही था कि वे किसी एक ऐसे नेता के द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लें जो उस तरह के काम करने के लिए तैयार हो। इसलिए पंचायतों से सहायता लेने के झमेले में न पड़ना ही उचित समझा गया। ऐसे भी अवसर आए जब कि कार्य के लिए जो नेता चुना गया वह पंचायत का मुखिया भी था। किन्तु योजना के कामों को पूरा करने में उसने पंचायत के प्रधान के रूप में कुछ नहीं किया वरन् गांव के सम्मानित अगुवा होने के नाते उसने अपने व्यक्तिगत रूप में इस काम को पूरा किया।

यह हो सकता है कि जल्दी से जल्दी काम कराने का यह ढंग कुछ समय के लिए ठीक रहा हो। किन्तु गांव के प्रमुख संगठन के विकास के लिए और गांव के सामूहिक जीवन को विकसित करने के लिए यह ढंग ठीक नहीं है और आगे चलकर दीर्घ-कालीन रूप में इस ढंग पर काम करा लेना सर्वोत्तम पद्धति भी नहीं है।

सुझाव---यदि यह महसूस न किया जाता हो कि पंचायतों की स्थिति सभी स्थानों में एक-सी नहीं है और इस तरह योजना के लक्ष्यों की तात्कालिक सफलता के लिए पंचायतों द्वारा कार्य कराना बहुत ही कठिन है; तो उप विकास अधिकारी (जन सहयोग) और योजना के अन्य अधिकारी गांव के कुछ लोगों को चुन लें और उनकी सहायता से पंचायतों के द्वारा ही लक्ष्यों की पूर्ति कराई जाय। यह न किया जाय कि गांव के किसी एक या कई नेताओं को चुन कर उनसे व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य की पूर्ति का काम कराया जाय। यदि संस्था के माध्यम से काम हुआ तो अपनी पद्धतियों और परिणामों दोनों को ही ग्राम नेता तुलनात्मक रूप में देख और समझ सकेंगे। [५५.७]

[जहां की पंचायतों और सहकारी समितियों ने प्रभावोत्पादक स्थानीय नेतृत्व को विकसित करना शुरू कर दिया है, वहां हमें उनको इस कार्य के लिए अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। सभाओं में हमें जनता को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन बैठकों को आकर्षक और महत्वपूर्ण बनाने के लिए और यह दिखाने के लिए कि हम उनमें विश्वास करते हैं, हमें खुद भी ऐसी सभाओं में शामिल होना चाहिए। हमें यह सब काम केवल उन्हीं अवसरों पर नहीं करना चाहिए जब हमें किसी खास योजना को उनके द्वारा आगे बढ़वाना हो, बल्कि हमेशा उनको ऐसे कामों के लिए स्थायी रूप से सहयोग देते रहना चाहिए और उनकी शक्ति विकसित करने में हमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। इस स्थिति में हमें सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेतृत्व के स्थायी विकास के लिए यह जरूरी है कि नेता कोई न कोई काम बराबर कराता रहे। मान लीजिए कि किसी गांव में स्थानीय लोगों के अपने प्रोत्साहन, धन संग्रह और परिश्रम से एक स्कूल खोल दिया गया; किन्तु उसके बाद बहुत दिन तक कोई भी सामूहिक कार्य न किया जाय, तो ऐसी दशा में जिस प्रारम्भिक नेतृत्व के बल पर स्कूल खोला गया था वह अपने आप खतम हो जायगा, और आगे किसी दूसरे काम के लिए उसे फिर से जीवित करना कठिन होगा। दूसरी ओर यदि एक के बाद एक काम बराबर चालू रक्खे जायं और उनमें सफलता प्राप्त

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करते जायं तो उससे उनकी कार्य-संचालन शक्ति को बल मिलता रहेगा और वह नेतृत्व स्थायी हो जायगा ।

पंचायतों और सहकारी समितियों द्वारा काम कराने की आवश्यकता को ऊपर वाले वर्णन में बार-बार दुहराया गया है, किन्तु इन संगठनों में जीवन संचार करने वाला प्रश्न अभी तक हल नहीं हो सका है । 'प्लैनिंग रिसर्च एण्ड ऐक्शन इन्स्टीच्यूट' की स्थापना इसी विशेष उद्देश्य से की गई थी कि गांव के संगठनात्मक नेतृत्व को विकसित करने वाले ऐसे प्रयत्न जारी रहें ।

अग्रगामी और सामुदायिक विकास योजनाओं ने गांवों में अधिक सफल प्रकार के संगठनात्मक नेतृत्व के विकास के साथ ही साथ अनेक प्रकार की क्षेत्रीय कौंसिलों और सार्वजनिक संस्थाओं के सम्बन्ध में प्रयोग किए हैं ।

जनता के प्रतिनिधियों की क्षेत्रीय कौंसिल

हमारे काम से सम्बन्ध रखने वाले अधिकांश उच्च कोटि के निर्देशों में यह सुझाव रहता है कि तहसील या जिले के आधार पर सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं की क्षेत्रीय नियोजन कमेटियां बनाई जायं । नागरिकों के इसी प्रकार के संगठनात्मक सहयोग को ही हम अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं । किन्तु पूरे क्षेत्र के लिए प्रभावोत्पादक संगठन खड़ा करने के पहले हमें अन्तरिम इकाइयों को संगठित करके उनका परीक्षण कर लेना चाहिए, ताकि हम देख सकें कि वे कैसे और कितनी जल्दी कार्य-संचालन के लिए सबल हो सकती हैं ।

(१) पहला कदम यह होगा कि सहकारी संघ के क्षेत्र के करीब पन्द्रह गांवों की एक कौंसिल बना दी जाय । हम ऐसी दो कौंसिलों को तुरन्त ही बना देंगे ताकि हम देख सकें कि ये कितनी अच्छी तरह काम करती हैं, और कौन-कौन से रोचक और लाभदायक कार्य शुरू करती हैं, कौन से अन्तर-ग्रामीण समारोह उनके द्वारा आयोजित होते हैं ? इन कौंसिलों में सहकारी समितियों और पंचायतों के प्रतिनिधियों तथा अन्य नागरिकों को, जिन्हें ऐसे कामों में दिलचस्पी होगी, सदस्य के रूप में रक्खा जायगा ।

(२) छः महीने तक इन दो कौंसिलों के कार्यों को देख कर अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद सारे क्षेत्र के लिए उसी तरह की दूसरी कौंसिलें भी बना देंगे । यह काम अगले महीने में पूरा हो सकेगा । उदाहरण के लिए, महेवा के पुराने क्षेत्र में ऐसी सात कौंसिलें बनेंगी । एक मुख्य प्रश्न यह होगा कि उनके लिए कौन-सा काम दिया जाय ताकि वे रोचक और लाभदायक सिद्ध हों; केवल कागज़-पत्रों में ही उनका अस्तित्व न रहे ।

(३) जब हम नं० १ और नं० २ वाली स्थितियों में काफी प्रगति कर लेगें, तब हम सौ गांव वाले पूरे क्षेत्र की योजना-कमेटी बनाएंगे, जिसमें इन कौंसिलों के प्रतिनिधि शामिल किए जायंगे । इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि कभी ऐसा भी समय आयगा, जब कि यह बड़ी कमेटी उन स्थानीय कौंसिलों का पूरा काम संभाल सकेगी और इस प्रकार उन छोटी इकाइयों को निरर्थक कर देगी ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्वयंसेवा संस्थाएं

बहुत-सी योजनाओं में किसी न किसी रूप में विकास-सेना, ग्राम सेवा दल, माध्यमिक स्कूल आदि का संगठन किया जाता है। सामाजिक रूप से यह संगठन आमतौर पर सफल होते हैं। ऐसा सभी का विचार है। जो लड़के इसलिए ईंटें बनाते हैं कि उनका स्कूल बढ़ सके या सुधर सके, वे नैतिक रूप से महत्वपूर्ण काम करते हैं।

मैं समझता हूं कि हमें अपने कामों में नैतिकता की इस भावना को खास तौर पर सम्मिलित करना चाहिए; और कुछ बातों में ऐसा किया भी गया है। ऐसे मामलों में व्यक्ति या सदस्य काम तो करते ही हैं उसके साथ ही वे सजग होकर काम में अपने को लीन कर देते हैं। दोनों मामलों में भौतिक परिणाम तो एक से ही होते हैं, किन्तु काम की नैतिक पृष्ठभूमि बिल्कुल दूसरी ही होती है।

इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण मुझे बलिया में देखने को मिला। बलिया में एक ग्राम सेवक दल की स्थापना की गई। शुरू में बहुत ही सावधानी से चुनकर एक गांव का एक आदमी लिया गया। हर सदस्य को उसके कर्त्तव्यों और अन्य सदस्यों के साथ उचित व्यवहार की बातें समझा दी गईं। हर नए सदस्य को एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। हस्ताक्षर करने के पहले उसे प्रतिज्ञा-पत्र की बातें समझा दी जाती हैं। अन्य बातों के अलावा इस बात की भी प्रतिज्ञा की जाती है कि प्रति सप्ताह इतने घन्टे सेवा-कार्य करेंगे। हर महीने सब एक जगह एकत्र होते हैं, कुछ सेवा-कार्य और आपसी चर्चा होती है, हर सदस्य अपना भोजन आदि स्वयं लाता है।

इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीच्यूट, नैनी, में गैर-सरकारी तौर पर एक परीक्षणात्मक ग्रामीण विकास योजना चालू की जा रही है। इस इन्स्टीच्यूट में गांव-साथी रखे गए हैं। उनका कार्य वही है जिसे हमारे यहां ग्राम सेवक करते हैं। गांव-साथियों ने अपनी इच्छा से ही एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया है, जो बहुत ही प्रभावोत्पादक है। हम लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं और जनता की सेवा करना तो हमारा कर्त्तव्य ही है, इस कारण हमारे लिए इस प्रकार के किसी प्रतिज्ञा-पत्र की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो भी इस तरह प्रतिज्ञा-पत्र होने पर हम सबको अपने उद्देश्यों और रुखों पर विचार करने की रुझान हो ही जाती है और इससे-सेवा कार्य में अपने को समर्पित कर देने की हमारी भावना फिर से ताजी हो जाती है।

हमारा अपना व्यवहार, दूसरे के प्रति रुख, एक दूसरे से आपसी सम्बन्ध, व्यक्तिगत काम के सम्बन्ध में ईमानदारी, सामुदायिक काम के प्रति सचाई हमारे काम में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस हद तक इन बातों में हमें सफलता प्राप्त होती है, उसी हद तक हम अपने समूचे काम में सफल होते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा बल है। हमारे अच्छे बुरे व्यवहार को ही गांव वाले प्रतिबिम्बित करते हैं। [५३·७]

गांव का स्वरूप सुन्दर करना

जैसे-जैसे उत्पादन सम्बन्धी सफलता बढ़ती जाती है, परम्परा विकसित होती है और स्थानीय लोगों का अभिक्रम बढ़ता है, वैसे ही वैसे अग्रगामी योजना का स्तर

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ऊँचा उठता जाता है, और उस स्तर पर पहुँचकर गांव वालों को यह पता चलता है कि भविष्य के सम्बन्ध में उसकी अपनी दृष्टि बहुत व्यापक हो गई है। एक पत्र नीचे दिया जाता है जिसे श्री मायर ने अपने सहयोगियों को लिखा था। इस पत्र में यह सुझाव दिया गया है कि इटावा में सार्वजनिक कामों के लिए जो अलग-अलग प्रयत्न किए जाते हैं, उन सब को एक में मिलाकर सम्पूर्ण सुधरे हुए गांव की भावना का रूप देना चाहिए। ख़ास नोट करने की चीज है, तारीख: १९५२। इटावा में चार वर्ष की संचित सफलता और अनुभव के बाद ही गाँव वालों के अपने स्तर को ऊँचा उठाने की सम्भावना का विकास हो सका।

[जब मैं पिछली बार इटावा गया, उस समय मेरे मन में एकाएक एक बात उठी कि वहाँ का काम जहाँ तक पहुँचा है उसे देखते हुए एक नई धारणा चालू करना उचित होगा। इस पूरी योजना को कार्यान्वित करने के लिए वहाँ भी शायद अभी और समय की आवश्यकता पड़े। दूसरे स्थानों के लिये तो निश्चय ही और अधिक समय की जरूरत पड़ेगी।

[अब तक हमने आर्थिक और उपज सम्बन्धी उन्नति पर ही काफ़ी जोर दिया है। और हमें इसे जारी रखना ही पड़ेगा। किन्तु अब ऐसा समय आ गया है जब गाँव में ऐसा भौतिक सुधार करना चाहिए जो स्पष्ट रूप से देखा जा सके और जिस पर लोगों का ध्यान आर्कषित हो। ऐसे सुधार से गांव वालों की आदतें सुधर जायंगी, उनका दृष्टिकोण विकसित हो जायगा। इसका फल यह होगा कि वे ऐसे गांव में रहने के आदी हो जायंगे जो अधिक साफ और अधिक सुखद हो। ऐसा होने पर गांव वालों का दृष्टिकोण अपने आप ऊँचा हो जायगा और उनकी व्यक्तिगत आदतों में सुधार हो जायगा। पानी की निकासी का प्रबन्ध अस्वास्थ्यकर है। उससे बैल गाड़ियों के आने जाने में भी बड़ा कष्ट होता है। साथ ही वह गांव को कुरूप और गंदा बना देता है। अस्तु उसे अवांछनीय माना जाना चाहिए।

[मैं एक दूसरे पहलू के महत्व पर भी जोर देना चाहता हूँ: इस तरह के सार्वजनिक प्रयत्न लगातार होते रहें तो उससे प्रारम्भिक ग्राम नेतृत्व के विकास में तेजी आ जाती है। यदि गांव के लोग उन आवश्यकताओं को अधिकाधिक समझने लगें तो विकसित होने वाला नेतृत्व कार्य-संचालन में अपनी शक्ति को उचित उपयोग में ला सकेगा; और बराबर गलतियाँ करते रहने से काम करने के लिए अभ्यस्त होता जायगा। हमने खेती की उपज को बढ़ा दिया है और इससे गाँव वालों की आमदनी बढ़ गई है; इस कारण वे कई दूसरे काम कर सकते हैं। कई कच्चे मकानों के स्थान पर ईंट के मकान बनाये गये हैं। हमारे सामने पहले से ही (१९५२) चौदह गाँवों का लक्ष्य है। ये गांव रुपया जमा कर रहे हैं जिससे वे नालियों और गलियों को पक्की करा देना चाहते हैं और इस प्रकार वे पानी की निकासी में सुधार करना चाहते हैं।

[किन्तु अब मैं इस नए पहलू पर जोर देना चाहता हूँ: सम्पूर्ण गाँव का सुधार, जनता की आदतों और गौरव की भावना में सुधार।

[यदि पानी की निकासी के साथ ही लोगों के घरों में हम सफाई की बातों को भी लागू करा सकें, तब तो पूर्ण विचारधारा में ही अन्तर आ जायगा। यदि हम जनता को इस बात का विश्वास दिला सकें कि उसे इन बातों को करना ही चाहिए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तो उससे इस सार्वजनिक भावना का विकास हो जायगा। और उसके बाद पंचायत सफाई सम्बन्धी उपनियम बना कर सभी गाँव वालों से इन कामों को करा लेगी। इसके अलावा काम को जारी रखने से एक और खास बात होगी कि गाँव वालों का जो समय खेती के कामों से बचने पर बेकार चला जाता है उसका सदुपयोग किया जा सकेगा।

[दूसरे भी काम हैं जिनसे अधिक उत्तम गाँव और उन्नति भावना के काम में तेजी आ सकेगी। मैं नीचे उनमें से कुछ उदाहरण दे रहा हूँ।

[खाद के गड्ढों या कम्पोस्ट के गड्ढों के सम्बन्ध में आन्दोलन चलाने पर हम सब सहमत हो गए थे और हमने उस काम को चलाया भी है। हम इस बात पर भी सहमत हो गये थे कि जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो वहाँ भूमि प्राप्त करने पर ध्यान दें और एक पखवारे में कम से कम दो और औसत दर्जे पर तीन गड्ढे खोदें। यदि हम इन गाँवों में से हर गाँव में इस काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लें तो इससे गाँव अधिक साफ हो जायगा। यदि जन सहयोग के द्वारा पूरा जोर डाल सकें तो हम उन लोगों में यह आदत डाल सकेंगे कि वे गंदी चीजों को बटोर कर डाल दें। उनमें यह भी आदत पड़ सकती है कि यदि गन्दी चीजे बटोर कर इन गड्ढों में न डाली जायँ तो वे एतराज करें।

[यह भी सम्भव है कि प्रौढ़ शिक्षक और ग्राम सेवक इस काम को आगे बढ़ाएँगें। सफाई के इन्सपेक्टर भी जब गांव में आएँ तो इसमें मदद दे सकते हैं। गांव की महिला कार्यकर्त्ताएँ भी इस काम में सहायता दे सकती हैं। प्रौढ़ शिक्षक यदि चाहे तो एक और तरह से यह काम हो सकता है। जहां वह कक्षाएं लेता है वह स्थान बहुत ही छोटा पड़ता है। पढ़ने वालों को बैठने या लिखने पढ़ने में और शिक्षक को उनके बीच में आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शिक्षक के प्रोत्साहन से पढ़ने वाले आस-पास की ऊबड़-खाबड़ ज़मीन को समतल बना सकते हैं, या दूसरी ज़मीन को चुन कर उसे बैठने योग्य बना सकते हैं। आस-पास के लोग पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। यह भी हो सकता है कि बाद में पंचायत जमीन को ले ले और उस पर ईंटें बिछवाए। इस प्रकार हम गांव की मीटिंगों के लिए साफ़ सुखद मकान प्राप्त कर सकते हैं। अन्त में सामुदायिक केन्द्र की इमारत के निर्माण की बात भी हो सकती है।

[हमें शुरू के दिनों में पाखाना या धुआंहीन चूल्हे बनवाने के बारे में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। किन्तु अब ये चीजें गांव वालों में सर्व-प्रिय होने लगी हैं।

[इन बातों में से कौन-सी बातें कब-किस गांव में चालू हो सकेंगी इसमें बहुत भिन्नता होगी। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इनमें से एक-दो बातें हर गांव में उन स्थानों में चलाई जा सकती हैं, जिनमें प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएं चल रही हैं। इन सब बातों के होने का मतलब है एक अधिक अच्छा गांव। और इन कार्यों के द्वारा गांव के नेतृत्व को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अधिक अच्छे अवसर प्राप्त होते रहेंगे।

[दूसरा सुधार है गलियों की रोशनी। बहुत से गांवों ने इन लैम्पों के लिए आर्डर दिए हैं। इनकी मांग बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार हम सुधरे हुए गांवों की संख्या बढ़ा सकते हैं। वे ऐसे गांव होंगे जिनको देखने से ही पता चल जायगा कि उनमें

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

काफी सुधार हुआ है और इस सुधार का प्रभाव खुद गांव वालों पर भी पड़ा है। ये गांव दूसरे गांवों के लिए नमूने का काम देंगे।

[यहां जो सुझाव दिए गए हैं उनमें से बहुत ही थोड़ी बातें ऐसी होंगी जो कार्य-क्रम में पहले से मौजूद न हों। यहां जो सुधार दिए गए हैं उनकी पूर्ति हम उन्हीं पर ध्यान केन्द्रित करके कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रौढ़ शिक्षक के कार्यों में कुछ नवीनता लाने से भी इन कामों में सफलता प्राप्त हो सकती है। और इनसे हमारे काम में एक नई प्रवृत्ति जुड़ सकती है : हमारे कुछ मुख्य गांवों का सम्पूर्ण वातावरण अधिक उत्तम हो सकता है। साथ ही जो काम पहले से ही किए जा रहे हैं उनके लिए भी अधिक सुलझे ढंग पर प्रयत्न किया जा सकेगा।] [५२.१०]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

६ परिणाम और उसके प्रभाव

[यहां तक इस पुस्तक में योजना की बुनियाद, उसके लिए प्रारम्भिक अध्ययन, प्रशासकीय संगठन, प्रजातांत्रिक और सहयोगी योजना का दर्शन और इटावा की विशेष योजना सम्बन्धी बातों का वर्णन किया गया है। पिछले पृष्ठों में महसूस की गई आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति, बहुधन्धी ग्राम सेवक द्वारा किसी कार्य विशेष पर एकाग्र ध्यान देने का सिद्धान्त और व्यवहार, यथार्थवादी लक्ष्यों और उनके समय निर्धारण सम्बन्धी पद्धतियों और आन्तरिक विकास तथा स्वयं-संचालन को प्रोत्साहन देने के उपाय आदि का वर्णन किया गया है। थोड़े में यह कहा जायगा कि अब तक अग्रगामी योजना के अन्तर्निहित विचार और रूप पर ही जोर दिया गया है; "क्यों" और "कैसे" पर ही ध्यान दिया गया है।

["क्यों" के सम्बन्ध में कहना बाकी है। जो सिद्धान्त और पद्धतियां काम में लाई गईं, उनसे क्या लक्ष्य सिद्ध हुए ? अग्रगामी योजना के लिए सफलता या लक्ष्य प्राप्ति पर ज़ोर देना महत्वपूर्ण बात है। किन्तु दूसरी तरफ यह भी महत्वपूर्ण है कि जब तक बाहरी लक्ष्यों की पूर्ति में गांव वालों की आन्तरिक विकास की सफलता न हो, तब तक वे लक्ष्य सन्तोषजनक नहीं माने जा सकते। इसके अलावा, आर्थिक विकास के प्रदर्शन से ही आंतरिक विकास की सफलता मान ली जाती है और यह माना जाता है कि अधिक उपज और अधिक उत्तम वातावरण उस सफलता के प्रत्यक्ष उदा-

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हरण हैं। यह दूसरी बात उन कम उन्नत देशों में अधिक लागू होती है, जहां अधिकांश जनता गरीब होती है। जहां अधिकांश जनता की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, वहां के लिए आंतरिक विकास की बात आसानी से नहीं उठाई जा सकती।

[इसलिए इस अध्याय में भौतिक प्रगति और परिणामों पर विचार किया गया है।[१] १९५६ तक यह बात स्पष्ट हो गई थी कि हमारे काम के कई पहलुओं ने लोगों पर काफ़ी असर डाला। यह असर केवल इसी बात से सम्बन्धित नहीं था कि जनता में उन्नत विचार फैल गए और गांव के लोगों ने खुद ही बहुत से कामों को अपने हाथ में ले लिया। बल्कि इस माने में भी इस प्रभाव का महत्व माना जा सकता है कि जनता जीवन के सुधरे हुए तरीकों को अपने आप अपनाने लगी। १९५६ तक यह बात भी खास तौर पर ज़ाहिर हो गई थी कि इस तरह के परिणामों को पूरी तरह से स्थाई करने के लिए कम से कम छः-सात साल तक लगातार बराबर काम होते रहने की जरूरत है।[२]

[इसके साथ ही सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए जितना रुपया खर्च किया, कृषि की उपज की वृद्धि उसके मुकाबले में काफी अधिक हुई। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका कारण यह है कि जब इस तरह की आर्थिक प्रगति होती है तभी विकास का कार्य महत्वपूर्ण ढंग पर राष्ट्रीय पैमाने पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

[जिन परिणामों के बारे में यहां विचार किया गया है, वे इस कारण पूर्ण नहीं माने जा सकते क्योंकि जिस काम से वे परिणाम निकले वह आज भी बराबर चालू है और बढ़ता ही जा रहा है। वे इस अर्थ में भी अपूर्ण हैं कि बहुत-सी बातें पूरी नहीं हो सकीं और कुछ में त्रुटियां रह गईं। भौतिक ढंग की इन त्रुटियों का ज्ञान शुरू से ही हो गया था किन्तु खर्च और साधनों के विचार से उन त्रुटियों को जान-बूझ कर रहने दिया गया था। जब कार्य सम्बन्धी अन्य त्रुटियां सामने आईं तो यह कोशिश की गई कि दूसरे कामों में ढिलाई न लाते हुए जहां तक हो सके उन त्रुटियों को दूर कर दिया जाय। अन्त में यह देखा गया कि अग्रगामी योजना की सुधरी हुई पद्धतियों में खामियां आ गई हैं और उन खामियों को दूर करने के लिए ही प्लानिंग रिसर्च एण्ड ऐक्शन इन्स्टीच्यूट (विकास अन्वेषणालय) की स्थापना की गई और इटावा क्षेत्र में ही उसे मुख्य रूप से परीक्षण करने के लिए कहा गया। अब तो नए विचारों और सम्भावित कार्यों का बराबर पता लगाया जा रहा है। इसके बाद वाले परिच्छेद में इसका वर्णन दिया गया है।

---

[१] चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिणामों के सम्बन्ध में पूरी जांच की जानी बाकी है, इस कारण यहां पूरे आंकड़े नहीं दिए जा सके।

[२] खास तौर पर १९५६ में इटावा जाने पर और रामकृष्ण और आनन्द माधव शुक्ला से बातें करने पर अग्रगामी योजना के कार्य के धीमे किन्तु पूरी तरह से पक्के होने को सजगता का भान हुआ। श्री रामकृष्ण एक बहुत ही प्रतिभाशाली, लगन वाले और कृषि कार्य सम्बन्धी सभी तरह की जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं। १९५२ से (जब से सामुदायिक योजना प्रारम्भ की गई) वे सहायक विकास आयुक्त (कृषि) रहे हैं। तभी से वे जांच पड़ताल व परीक्षण वाले कार्य में घनिष्ट रूप से हमारे साथ सम्बन्धित रहे हैं। वे विकास विभाग की ओर से क्षेत्रीय कार्य के निरीक्षक रहे हैं और कृषि विभाग से भी सम्पर्क स्थापित रखते रहे हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[पिछले अध्याय में और आगे आने वाले अध्याय में जो कुछ लिखा गया है उसका अधिकांश भाग तत्कालीन रिपोर्टों, वक्तव्यों तथा लेखों आदि के उदाहरण हैं। किन्तु इस अध्याय में जो नई सामग्री दी गई है उसे बहुत अंशों में अन्तरिम प्रगति रिपोर्टों से लिया गया है। अधिकांश आंकड़े इटावा जिले के अग्रगामी विकास योजना क्षेत्र के महेवा ब्लाक से लिए गए हैं, क्योंकि यहीं हमारा काम सब से पहले शुरू किया गया था। अन्य अग्रगामी योजनाएं बाद में चालू की गई थीं। और चूंकि उनमें बहुत थोड़े समय तक काम हो सका था, इसलिये उनके आंकड़े उतने महत्व के नहीं माने गए और यहां अधिकांश में उन्हें नहीं दिया गया।]

कार्य की प्रगति का विवरण

कृषि

योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई। कई महत्वपूर्ण कारणों से इटावा योजना में खेती की उपज को बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किए गए उन पर सबसे पहले ध्यान दिया गया। भारत के गांवों की आर्थिक नींव खेती पर ही आधारित है। भारत की सारी जनसंख्या इसमें दिलचस्पी रखती है और लगभग ८० प्रतिशत जनता केवल खेती से अपनी जीविका प्राप्त करती है। जिस समय इटावा में योजना का कार्य शुरू किया गया, उस समय ऐसे कई सुधरे हुए खेती के तरीकों का पता था जिनके जरिए बहुत थोड़े खर्चे में खेती की पैदावार जल्दी से जल्दी बढ़ाई जा सकती थी। यदि उन तरीकों को ठिकाने से किसानों के सामने रक्खा जाता और उनकी सफलता में विश्वास दिला दिया जाता तो जल्दी ही सफलता प्राप्त हो सकती थी। यदि उस समय कृषि में सफलता न प्राप्त होती तो योजना के कार्य और कार्यकर्त्ताओं पर से जनता का विश्वास उठ जाता। इसके अलावा, यदि अधिक उपज के कारण किसानों की माली हालत अच्छी हो जाती तो अन्य कामों के लिए रास्ता साफ़ हो जाता। सुधरे हुए घर और सफ़ाई पर लोगों को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से काफ़ी खर्च करना पड़ता है। उस समय गांव वालों की माली हालत अच्छी नहीं थी। इस कारण ग्राम विकास से सम्बन्ध रखने वाले "आदर्श-गांव" वाली विचारधारा को, जो १९४६ में प्रस्तावित हुई थी, छोड़ दिया गया था और उसके स्थान पर १९४८ में गांवों की सर्वतोन्मुखी विकास वाली विचारधारा इटावा की अग्रगामी योजना में स्वीकृत कर ली गई थी।

इस प्रकार खेती में उन्नति का काम ही विकास कार्य का प्रमुख अंग हो गया—प्रति एकड़ उपज में वृद्धि, भूमि की घटने वाली उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना, जनता के दृष्टिकोण को उन्नत करना, ग्रामीण जीवन की प्रगति को तेज करना, और ऐसी संभावनाओं को सामने लाना जिनके द्वारा आगे के सुधार स्व-संचालित हो सकें।

क्षेत्र की जनता का आर्थिक स्तर ऊंचा करने के लिए कृषि की क्या देन हो सकती है इसका विवरण इस अध्याय के अन्तिम भाग में दिया गया है।

कृषि पर ही प्रयत्न केन्द्रित किया गया। इसका अर्थ यह है कि कृषि के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई थी। जब कृषि कार्यों से फ़ुर्सत मिले तभी अन्य कार्य किए जाएं। खेती का काम तो मौसमी काम है। इटावा के सिंचाई वाले क्षेत्र में साल में दो

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

फसलें होती हैं। इस प्रकार वर्ष में चार बार किसान और उसके मजदूर बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं--रबी की बुवाई और कटाई में और खरीफ की बुवाई और कटाई के समय। इसलिए योजना वालों को भी किसान के काम के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करके चलना पड़ा। कृषि के अतिरिक्त जो भी कार्यक्रम रक्खे गए उनका समय ऐसा रक्खा गया, जब कि खेती का काम न होता हो---आधे नवम्बर से मार्च के बीच तक और फिर मई से जून के प्रारम्भ तक। इस प्रकार इटावा के विकास कार्य के कार्यक्रम पर कृषि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा।

कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम काफी व्यापक और विस्तृत था, क्योंकि इसमें जो कार्य सम्मिलित थे, वे इस प्रकार हैं: अधिक अच्छे बीज, हरी खाद और उर्वरक, सुधरे हुए तरीके, अधिक अच्छे औजार, चारे की फसलें, फल और तरकारियों का उत्पादन, मिट्टी के कटाव की रोकथाम और ऊसर आदि भूमि का कृषि योग्य बनाना। काम बहुत अधिक थे। और उनको इसलिए एक दूसरे से सम्बन्धित करना था कि भूमि पर बहुत अधिक भार न पड़े। यह सब होते हुए भी कार्य-विशेष पर एकाग्र ध्यान और प्राथमिकता देने पर बहुत बल दिया गया। योजना वालों को अपने समूचे भावी कार्यक्रम का ज्ञान था, किन्तु वे फौरन ही उसके अनुसार काम करके उसे पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते थे। किसानों के सामने भी तुरन्त ही अपनी सारी बातों को खोल कर नहीं रख सकते थे, क्योंकि यह जरूरी था कि पहले उन कामों के प्रसार के लिए किसानों की स्वीकृति ले ली जाय और उन्हें इसके लिए प्रेरित किया जाय कि क्या वे योजना के अनुसार काम करेंगे? क्या वे खुद ही उत्साह के साथ काम करना चाहेंगे? अन्य बातों के अलावा कृषि की अधिक से अधिक उपज में तुरन्त सफलता प्राप्त कर सकना भी असम्भव होता; क्योंकि उस समय सुधरे हुए बीजों की जितनी जरूरत थी उतनी मात्रा में वे दिए नहीं जा सकते थे। इन सब कारणों से कृषि सम्बन्धी योजना का काम धीरे-धीरे बढ़ाया जा सका।

समय की तालिका
१९४८ में शरत् कालीन बुवाई

अक्तूबर १९४८ के प्रथम सोपान में सुधरे हुए बीज की किस्म को परीक्षण और प्रदर्शन के लिए दिया गया। इटावा में रबी की फसल ही महत्वपूर्ण है। इस फसल में गेहूं का पहला स्थान है। आमतौर पर अग्रगामी योजना के प्रारम्भिक ६४ गांवों में एक हजार एकड़ में सुधरे हुए गेहूं के बीज बोए गए। रबी की दूसरी महत्वपूर्ण फसल आलू है। इसका क्षेत्रफल वैसे तो कम होता है, किन्तु यदि ठीक से प्रवन्ध किया जाय और अधिक से अधिक सावधानी बरती जाय तो इससे लाभ बहुत होता है। इसलिए इन्हीं दोनों मुख्य फसलों के सुधरे हुए बीज दिए गए—गेहूं (पंजाब ५९१) और आलू (पटना फुलवा)। नए किस्म के जौ और सरसों के बीज भी थोड़ी मात्रा में किसानों को दिये गए। हमने भी गेहूं और आलू पर ही सब से अधिक जोर दिया, क्योंकि इनकी सुधरी हुई किस्मों पर हमें सब से अधिक भरोसा था। पहले साल ऐसा करना हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि प्रदर्शन करने के लिए तैयार लोगों को खोजने

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

में कठिनाई पड़ी। जिन गांवों में काम हो रहा था, उनमें हमारे कार्यकर्ता खुद ही बीज पहुंचाने गए।

हम कौन थे और हम वहां क्यों आये थे? शुरू में गांव वाले हम लोगों को उसी नजर से देखते थे जिस नजर से वे 'कर' वसूल करने वालों को या सेना के लिए सिपाही भर्ती करने वालों को देखते हैं। वे यह समझते थे कि सरकारी कर्मचारियों के बड़े दल का गांवों में आना अच्छी बात नहीं है। योजना के ग्राम जीवन विश्लेषक कार्य-क्षेत्र में हम लोगों से बहुत पहले ही पहुंच गए थे ताकि वे हमारे विचारों को गांव वालों के सामने रख कर उन्हें समझा सकें। उनके प्रयत्न से सरकारी बीज गोदाम खोल दिए गए ताकि किसान आकर सुधरे हुए बीजों को देखें और यदि चाहें तो लेने के पहले उन्हें छन्ने से छान भी लें। किन्तु कल्याणकारी राज्य की भावना से गांव वाले उस समय तक परिचित नहीं थे। बहुत पुराने जमाने से उनमें उपेक्षा और सन्देह की भावना फैली हुई थी। हमें अपने कार्य-व्यवहार और सफलता द्वारा ऐसा भ्रम बराबर दूर करना पड़ेगा।

१९४९ की रबी की फसल (मार्च-अप्रैल)

सुधरे हुए गेहूं और आलू के प्रदर्शन काफी विश्वासोत्पादक थे। अक्तूबर में बुवाई के समय हमने किसानों को विभिन्न स्थानों में ले जाने और सुधरे हुए बीजों की बुवाई दिखाने का प्रबन्ध किया था। अब मार्च में हमने फिर उसी तरह का प्रबन्ध किया ताकि किसान खुद जाकर फसल देख लें। प्रदर्शन वाले जिन आधे खेतों में सुधरा हुआ बीज बोया गया था उनकी उपज मामूली बीज वाले खेतों की उपज से काफी अधिक थी। जौ और सरसों की सुधरी हुई किस्मों को परीक्षण के लिए थोड़े से रक्बे में बोया गया था, किन्तु इनकी उपज बहुत अच्छी साबित नहीं हुई।

यह योजना बनाई गई थी कि इस फसल से सुधरे हुए गेहूं के बीजों का संग्रह किया जाय ताकि वह अगले अक्तूबर में विकास क्षेत्र में बुवाई के काम आ सके। हम लोग किसानों को शुद्ध बीज के लिए कुछ अधिक मूल्य देने के लिए तैयार हो गए पर यह समस्या अधिकांश में हल न हो सकी। हमें बहुत ही कम तादाद में शुद्ध बीज मिल सका। किसानों के खेत छोटे-छोटे और इधर-उधर बिखरे होने के कारण हमें कई वर्ष तक शुद्ध बीजों के प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करते रहना पड़ा।

१९४९ की गर्मी की जायद फ़सल

जाड़े की फसल में किसानों ने हमारी सफलता को देखा था, इसलिए अब हमारी बातों को मानने के लिए वे अधिक तैयार थे। गर्मी के पहले मौसम में हमने तीन तरह के प्रयत्न किए: गर्मी की फसलों के लिए सुधरे किस्मों का बीज प्रचलित किया; गेहूं के जो खेत उस समय परती पड़े हुए थे, उनमें हरी खाद लगाने का प्रचार किया, और गर्मी के मौसम वाली नई साग-सब्जी की खेती कराई। बरसात के मौसम में सुधरे हुए किस्म के खरीफ के बीज बांटे—मकई की दो किस्में, टाइप ४१ और जौनपुरी,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तथा सुधरा हुआ बाजरा। किन्तु उनकी फसल गांव वाले बीज की फसल से बहुत बढ़िया साबित न हो सकी।

हरी खाद के लिए सनई का प्रचलन गेहूं आदि के प्रचलन के मुकाबले में काफी कठिन साबित हुआ; क्योंकि सनई न तो अनाज की फसल है न चारे की। उसे तो बो दिया जाता है और पूरी बढ़ने के पहले ही जुताई करके खेत में मिला दिया जाता है, ताकि इसके बाद बोई जाने वाली फसल को खाद मिल सके और उसकी उपज में वृद्धि हो सके। इसलिये सनई से होने वाला लाभ उतना प्रत्यक्ष नहीं जितना गेहूं से। इसके अलावा सनई बोने और फिर उसे जोतकर मिला देने में ज्यादा मेहनत पड़ती है। सनई के पौधों को पूरी तरह बढ़ने के पहले जोतकर नष्ट कर देने वाली बात को कुछ गांव वाले धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं समझते।[३]

किन्तु हरी खाद के प्रचलन पर खास जोर देना जरूरी था, क्योंकि इसमें गेहूँ की उपज में वृद्धि होती थी और भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में सहायता मिलती थी। १९४९ तक हम लोग जिन सौ गांवों के क्षेत्र में काम कर रहे थे, उनमें करीब ४,५०० एकड़ भूमि गेहूँ की बुवाई के लिए चौमासे में परती छोड़ दी गई थी। इसमें से १४६ एकड़ में पहले साल हरी खाद का प्रदर्शन शुरू किया गया। यह भी आधा खेत तुलनात्मक प्रदर्शन के लिये इस्तेमाल किया गया था। रासायनिक उर्वरकों का प्रदर्शन भी किया गया।

लोगों के आहार में पौष्टिक तत्व का अधिक प्रयोग करने की दृष्टि से साग-भाजी उगाने की ओर ध्यान दिया गया था, आर्थिक लाभ की दृष्टि से नहीं। नई किस्म की साग-भाजी का प्रयोग किया गया। पर पहले-पहल फल और तरकारी के पौधों को आगरा से, जो लगभग ७० मील दूर है, मंगाना पड़ा। आते-आते पौधों की हालत खराब हो गई। वहां से पौध के आते ही गांव वाले अपनी-अपनी पौध ले जायंगे, इसका भी विश्वास नहीं था। इससे पौध के और बिगड़ जाने का भय था। इस अनुभव से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय परिस्थिति में उस क्षेत्र विशेष में ही पौध-गृह बनाना चाहिये, ताकि समय से लोगों को ठीक हालत में पौध मिल सके।

१९४९ की शीतकालीन बुवाई

१९४९ के अक्तूबर मास के लिए यह योजना बनाई गई थी कि शुद्ध पंजाब ५९१ के सुधरे हुए बीज काफी अधिक क्षेत्र में बोये जायं। ३,१०० एकड़ में यह बीज बोने का विचार था। किन्तु पिछले जाड़े की फसल से जितना बीज योजना के गोदाम में इकट्ठा किया गया था, वह इतने क्षेत्र के लिए काफी नहीं था। इस बात का पता चलने पर कृषि विभाग से यह मांग की गई कि वह इटावा के लिए दूसरे जिलों से बीज मंगा कर दे। कृषि विभाग ने हमारी बात मान ली। इससे हमें बहुत सहायता मिली। जिन जिलों से उस बीज को मिलना था, वहाँ जाकर जांच करना जरूरी था,

---

[३] स्थानीय विश्वासों के आधार पर इस समस्या का समाधान किया जाना हमारे ग्राम सहयोग कार्यक्रम के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन थी, जिसका वर्णन पृष्ठ २२४ से २२६ तक किया गया है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

क्योंकि उनकी शुद्धता के बारे में कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता था। जून में वर्षा शुरू होने के पहले ही इटावा के गोदामों में बीज लाना जरूरी था, ताकि बाद में समय पर इसके मिलने में दिक्कत न पड़े।

विकास कार्य की इस स्थिति में यह जरूरी था कि किसानों के बीज को खेत के पास तक पहुंचाना जारी रक्खा जाए, क्योंकि उस समय तक किसानों में यह भावना पैदा नहीं हो सकी थी कि दूर के गोदामों से स्वयं जाकर वे बीज ले आएं। इसलिए किसानों में बीज के लेने का रुझाव बढ़ाने के लिए शुरू-शुरू में उनके पास तक बीज ले जाना जरूरी था। बाद में तो बहुत से स्थानीय बीज गोदाम खोल दिए गए। आसानी से किसानों के पास शुद्ध बीज पहुंचने लगा। शुरू की इन कठिनाइयों के बावजूद १९४९ के शीतकाल में जितने रक्बे में गेहूं बोया गया था, उसके दो-तिहाई भाग में सुधरा हुआ बीज ही काम में लाया गया था।

१९४९-५० के शीतकाल में बरसीम की बुवाई कराई गई। बरसीम से बहुत अच्छा चारा प्राप्त होता है और उससे भूमि को भी लाभ होता है।

सुधरे हुए आलू का बीज ३६ एकड़ में बोया गया, जो इस क्षेत्र में आलू के कुल रक्बे का ८ प्रतिशत था।

१९५० की बसन्त वाली फसल

१९५० के मार्च में जो फसल कटाई का परीक्षण हुआ वह बहुत ही अच्छा था (तालिका नं० ३)। गेहूं की उपज में ३१ से ५९ प्रतिशत तक वृद्धि हुई जब कि आलू की फसल में ५३ से ६५ प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

तालिका नं० ३ से यह पता चलता है कि सुधरे हुए बीज के बोने और खाद की व्यवस्था करने से तुलनात्मक रूप में काफी अधिक उपज की सम्भावना है। किन्तु साथ ही इस उपज के प्रामाणिक होने का भी दावा किया जा सकता है।

इस साल किसानों से काफी अधिक मात्रा में बीज खरीदे गए और बीज गोदामों में उन बीजों में कीड़े-मार दवा मिलाई गई। अब तक यह माना जाता था कि गोदामों में जो बीज रक्खे जाते हैं, उनमें से करीब ३ प्रतिशत से अधिक खराब हो जाते हैं। कीड़ों से बीज की रक्षा करने के इस तरीके को कुछ चतुर किसानों ने तो अपना लिया, किन्तु और किसानों में इसे अपनाने की भावना बहुत धीरे-धीरे फैल सकी।

जैसे-जैसे सुधरे हुए बीज बोने का रक्बा बढ़ता गया, वैसे ही वैसे शुद्ध बीजों को इकट्ठा करने और उन्हें छांटने का काम कठिन होता गया। इन बीजों को इकट्ठा करने का काम कुछ ही हफ्तों में पूरा करना पड़ता है। इस कारण हमें अपने सभी ग्राम सेवकों और सहायक विकास अधिकारियों को केवल इसी काम पर लगा देना पड़ता है। इसलिये बसन्त कालीन फसल के दो महीने बाद तक कोई दूसरा काम नहीं हो पाता है। इससे ग्रामीण विकास योजना के लिए एक शिक्षा मिलती है: यदि सफल सुधरे हुए तरीकों के प्रसार के लिए पहले से समय न निश्चित किया गया तो विकास की दूसरी बातों से सम्बन्ध रखने वाला कार्यक्रम बिल्कुल गड़बड़ हो जायगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तालिका नं० ३

प्रदर्शन के खेतों की बढ़ी हुई उपज का औसत, शीतकाल १९४९-५०

किस्म	नमूने वाले अर्द्ध-खेतों की संख्या	उपज की औसत (मन फी एकड़)	वृद्धि का प्रतिशत
गेहूं			
स्थानीय	११८	१०.१	...
पंजाब ५९१ बिना उर्वरक के	१२१	१३.३	३१
पंजाब ५९१ हरी खाद के साथ	७	१६.०	५९
आलू			
स्थानीय	११७	१५४.०	...
पटना फुलवा	१५१	२३६.०	५३
पटना लाल	९	२५४.०	६५

१९५० की गर्मी का मौसम

मार्च में यह देखा जा चुका था कि हरी खाद के देने से गेहूँ की उपज में वृद्धि हुई थी। इसलिए हरी खाद का काम भी बढ़ रहा था। प्रदर्शन वाले खेतों में पहले वर्ष हरी खाद जितने में बोई गई थी, उसके मुकाबले में इस वर्ष पांच गुने अधिक रक्बे में वह बोई गई। इस वर्ष ७०० एकड़ भूमि में हरी खाद लगाई गई।

योजना के जोर देने पर इस वर्ष सहकारी संघ द्वारा महेवा में पहली बार पौधघर स्थापित किया गया। स्थानीय किसानों को वहीं से पौध दी जा सकें, इसलिए साग-भाजी की खेती बहुत बढ़ गई। कुछ दिन बाद अन्य सहकारी समितियों और कुछ व्यक्तियों ने दूसरे स्थानों पर पौधघर कायम किए।

१९५० की गर्मी के मौसम में ऐसे किस्म के बाजरे और अन्य अनाजों की किस्मों का प्रदर्शन किया गया जिनके बारे में हमें सुझाव दिए गए थे। किन्तु पिछले वर्ष की तरह ही उनकी फसल, उसी किस्म के स्थानीय बीजों की फसल के मुकाबले में अधिक अच्छी नहीं हो सकी। यह बात जाहिर होने लगी कि हमारे वैज्ञानिक वैसी किस्म के बीज नहीं दे सके, जो इटावा की स्थिति में गर्मी के फसलों के लिए उपयुक्त होते। इसके लिये हमने १९५१ में फिर परीक्षण किये, किन्तु फल कुछ अधिक अच्छा नहीं निकला। इस कारण इस तरह की फसल के लिये प्रयत्न करना तब तक के लिये छोड़ दिया गया, जब तक उसके लिए शोध के द्वारा अधिक अच्छी किस्म के बीजों का निश्चय न कर लिया जाय। कुछ नई योजना दूसरे स्थानों पर चालू की गई। वहां की गर्मी की ऋतु की महत्वपूर्ण फसल धान थी। और उसके लिए कुछ ऐसे अच्छे किस्म के बीज दिए गए जिनसे फसल बहुत ही अच्छी हो सकी। किन्तु इटावा के लिए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

वे भी उपयुक्त सिद्ध न हुए। इसके कारण इटावा में हमें जाड़े की फसल पर ही जोर देना पड़ा।

१९५० की शरत् कालीन बुवाई

सुधरे हुए किस्म के गेहूँ के बीज का कार्यक्रम और भी आगे बढ़ गया था, इसलिए अब इटावा योजना को जरूरत पड़ी कि किसानों में और प्रचार किया जाय। यह योजना बनाई गई कि कुल जितने रक्बे में गेहूँ बोया जाता है उसके ९२.८ प्रतिशत भाग में सुधरा हुआ बीज ही बोया जाय। किसानों के खेत छोटे-छोटे और बिखरे हुए हैं। इस कारण यह आशंका थी कि पास वाले दूसरे खेत में जो स्थानीय किस्म का बीज बोया जाता है या पास वाले खलिहान में जो दूसरे किस्म का बीज माड़ा जाता है, उससे शुद्ध बीज में मिलावट न हो जाये। जब तक बगल के खेत वाले किसान को भी सुधरे हुए बीज ही बोने के लिए राजी न कर लिया जाय, तब तक मिलावट होगी, और बीज की शुद्धता में गड़बड़ी पड़ जायगी। गांव वालों को समझाने में काफी कठिनाई पड़ती है। फिर भी १९४८ के बाद गांव वाले हमारी योजना के अनुसार कार्य करने के लिए काफी संख्या में राज़ी हो गए।

इटावा योजना के क्षेत्र में जाड़े वाली फ़सल में मटर की खेती भी काफी महत्व रखती है। यह दूसरे अनाजों के साथ भी बोई जाती है और इसकी बुवाई से नाइट्रोजन मिलती है और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। इसमें प्रोटीन की अधिकता होती है, इसे अन्य चीज़ों के साथ मिला कर खाने से गांव वालों को लाभ होता है, क्योंकि आमतौर पर उनके आहार में प्रोटीन की कमी होती है। १९५० के शरत् काल में परीक्षण के आधार पर थोड़े रक्बे में मटर की सुधरी हुई किस्म, मटर नं० १६३, की बुवाई कराई गई।

सुधरे हुए आलू के बीज का रक्बा पिछले साल से दूना हो गया। उसके चौथाई हिस्से में सुधरे हुए बीज ही बोए गए।

१९५१ की ग्रीष्म ऋतु

इसके बाद जो मुख्य प्रगति हुई, वह थी गर्मी की जुताई और हरी खाद का अधिक रक्बे में उपयोग। परती पड़े हुए गेहूँ के खेतों के एक-तिहाई भाग में ये विधियां इस्तेमाल की गईं।

१९५१ की शरत् कालीन बुवाई

इस वर्ष करीब-करीब सभी खेतों में, जिनमें गेहूँ बोया गया, सुधरा हुआ बीज ही काम में लाया गया।

मटर नं० १६३ का बीज करीब २४० एकड़ में प्रदर्शनात्मक ढंग पर बोया गया।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१९५२ और उसके बाद

१९५२ तक हमारे कृषि कार्यक्रम के अधिकांश मुख्य-मुख्य तत्व या तो पूरे हो गए या पूरे होने की स्थिति में पहुँच गए। इस वर्ष से लेकर आगे के सभी उन्नति के कार्य संक्षिप्त रूप में दिए जाते हैं।

गेहूँ के सम्बन्ध में तो सुधरे हुए बीजों का ही पूरी तरह से उपयोग किया जाने लगा। इस तरह के बीजों की फसल के साथ मुकाबला करने के लिए किसी दूसरे तरह के बीज की फसल बिल्कुल ही नहीं रह गई। हमारे यहाँ से ८,१२० से लेकर १६,२४० मन तक सुधरे हुए बीज दूसरे जिलों में बुवाई के लिए भेजे जाने लगे।

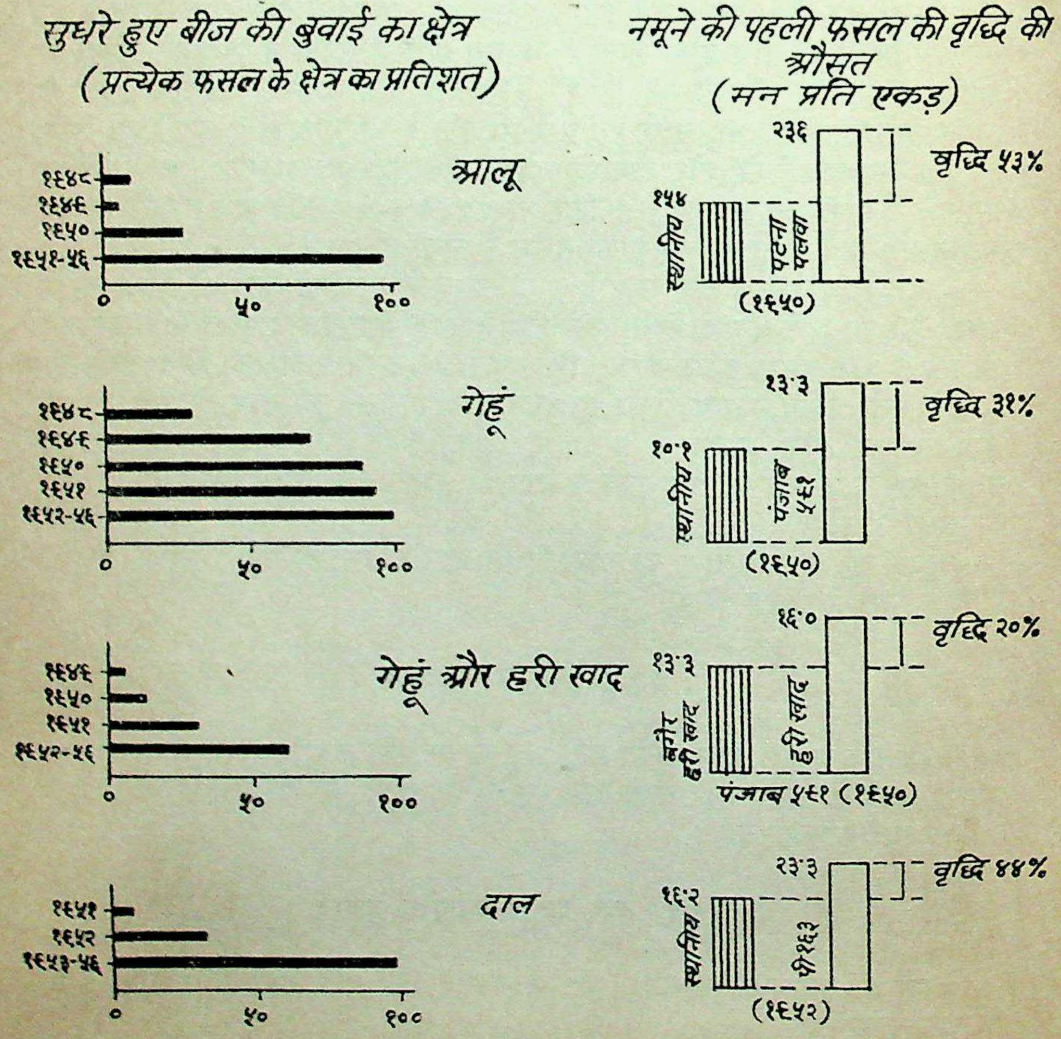

चार्ट नं० ३. शीतकालीन फसल में सुधार, इटावा की अग्रगामी योजना के महेवा ब्लाक में, १९४८-१९५६

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गेहूँ की फसल के लिए हरी खाद का उपयोग सभी करने लगे। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा है, वहाँ खेतों के करीब ६० प्रतिशत भाग में हरी खाद देने की परिपाटी चल पड़ी।

मटर की फ़सल के भी सुधरे हुए बीज ही काम में लाये जाने लगे। १९५२ में मटर नं० १६३ स्थानीय किस्म के मटर की फसल से ४४ प्रतिशत अधिक हुई। स्थानीय मटर की बीजों से प्रति एकड़ १६.२ मन उपज हुई जब कि सुधरे हुए मटर के बीजों से प्रति एकड़ २३.३ मन उपज हुई। यह प्रदर्शनात्मक अर्द्ध-खेतों वाला हिसाब है। गांव वाले दो बातों से प्रसन्न हुए; नए बीजों से अधिक उपज हुई और जो मटर पैदा हुई वह बहुत अच्छी थी और उसके ऊँचे दाम मिले। १९५२-५३ में मटर नं० १६३ महेवा में इतना अधिक उत्पन्न किया गया कि उससे इस क्षेत्र और दूसरे अन्य क्षेत्रों के लिए १३,५०० मन मटर बीज के लिए दिया जा सका। १९५३ में सारे महेवा विकास क्षेत्र में यही बीज बोया गया।

आलू की प्रति एकड़ उपज किसी भी दूसरी चीज़ की प्रति एकड़ उपज से कहीं अधिक होती है। आलू जितने रक्बे में पहले बोया जाता था उसके मुकाबले में सुधरे हुए बीज का रक्बा काफी बढ़ गया। किन्तु आलू की निकासी के लिए इटावा में कुछ विशेष सुविधाएँ नहीं हैं, इसलिए वहाँ आलू की खेती का रक्बा बहुत अधिक बढ़ न सका। आलू की बड़े पैमाने की बिक्री के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है। और उनका प्रबन्ध केवल उन स्थानों में है जो आलू के व्यापार के लिए पहले ही से केन्द्र माने जा चुके हैं।

साग-सब्जी की खेती और पौधघरों की स्थापना की मांग बराबर बढ़ती गई। पहले गावों में साग-सब्जी कभी-कभी ही खाई जाती थी, किन्तु अब वह गांव वालों के दैनिक जीवन का मुख्य भोजन हो गई है। जो गांव कस्बों के पास पड़ते हैं वहाँ तो बहुत बड़े रक्बे में साग-सब्जी बोई जाने लगी। आलू की तरह ही बिक्री के लिए तैयार की जाने वाली साग-सब्जी से, अन्य चीजों की फसल के मुकाबले में प्रति एकड़ काफी अधिक लाभ होता है।

तीसरे वर्ष चीजों के कीड़ों से नष्ट-भ्रष्ट होने की रोकथाम से लाभ का अंश बढ़ जाता है। इस भावना को फैलाने की कोशिश की गई और उसमें काफी सफलता मिली। गोदामों और खेतों में कीड़े-मार दवा के उपयोग से हानि को कम से कम करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। उसी तरह बीजों की बुवाई के तरीकों में सुधार करने से जितना बीज पहले लगता था उससे करीब आधी मात्रा में ही लगने लगा।

भविष्य

१९५४ तक योजना के कृषि सुधार कार्य में आमतौर पर सभी व्यावहारिक और उपलब्ध ज्ञान का समावेश कर लिया गया था। शायद एक अपवाद था गेहूं का बीज। पंजाब नं० ७१० और ७२० की परीक्षा की गई और पंजाब नं० ५९१ के मुकाबले में उनसे प्रति एकड़ अधिक उपज पाई गई। पंजाब नं० ७२० से अधिक अच्छी उपज होती थी और उसमें कीड़ों के लगने का डर कम था। इसलिए पंजाब नं० ५९१ के स्थान पर उसी का उपयोग बढ़ाया गया। दूसरा अपवाद था सुधरे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हुए औजारों और तरीकों का पूरी तरह से काम में न लाना। कृषि कार्यों के सम्बन्ध में शोध कार्य चल रहा था, इसलिए १९५४ में प्राविधिक सुधार आगे नहीं बढ़ाए गए।

ऊपर वाली टिप्पणी से यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे काम में शिथिलता आ गई थी। सुधरे हुए तरीकों को सूची में स्वीकार करने का मतलब यह नहीं होता कि पूरी तरह से उनको अमल में लाया जाता था। अक्सर ऐसा होता है कि किसानों को अच्छे तरीके का ज्ञान तो हो जाता है, किन्तु उन्हें पूरी तरह से अमल में लाने में वे इसलिए राजी नहीं होते कि इनमें उन्हें कुछ कठिनाई पड़ती है। उदाहरण के लिए इटावा में सुधरे हुए बीजों का कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो गया, किन्तु सुधरे हुए बीजों की शुद्धता को कायम रखने में अधिक सफलता नहीं मिली। हमने योजना बनाई, किसानों से बातचीत की, किन्तु बीज की शुद्धता वाला सवाल आज भी पूरी तरह से हल नहीं हो सका है।

जाने हुए सुधरे तरीकों को पूरी तरह से काम में लाने के लिए यह ज़रूरी हो गया है कि गांव में अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया जाए और गांव वालों में सजगता, स्वयं स्वावलम्बन आदि की भावना भरी जाए। इसलिए अब ग्राम योगदान और सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं।

अधिक अच्छी कृषि की भावना को निर्माण करने और उसे कायम रखने के लिए यह जरूरी हो गया है कि इटावा में कृषि के अलावा दूसरे कार्यक्रमों पर भी ज़ोर दिया जाय। जन सहयोग ऐसा ही कार्यक्रम है। बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो शुरू में अग्रगामी योजना के साधनों द्वारा पूरे नहीं किए जा सकते थे। उनमें ये कार्य सम्मिलित हैं: (१) उचित शर्तों पर ऋण की व्यवस्था, ताकि जो अधिक सुधरे हुए तरीके स्वीकृत हो चुके हैं उन्हें व्यवहार में आसानी से लाया जा सके (खास तौर पर छोटे किसानों द्वारा); (२) सहकारी क्रय-विक्रय, ताकि किसान को अधिक लाभ हो और महाजन से उसे मुक्ति मिले; (३) अधिक क्षेत्रफल में सुधरे हुए ढंग की सिंचाई; (४) बिखरे हुए खेतों की चकबन्दी।

योजना के दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों, जिनका कृषि सुधार से घनिष्ट सम्बन्ध है, पशुपालन, कृषि इंजीनियरिंग और भूमि संरक्षण का वर्णन आगे किया जा रहा है।

कृषि के औजार

प्रारम्भिक स्थिति

१९४८ में जब इटावा के योजना क्षेत्र में सघन विकास कार्य प्रारम्भ किया गया, तब वहाँ सुधरे हुए कृषि औजारों का उपयोग बहुत कम किया जाता था। मुख्य औजार, जिन्हें सभी किसान काम में लाते थे, ये थे: देशी हल जिससे गहरी जुताई नहीं हो सकती; खुरपी; हंसिया; और फावड़ा। ये सब चीजें बहुत पुराने जमाने से काम में आ रही थीं और उनके उपयोग के समय मनुष्यों या पशुओं को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता था। कुट्टी (चारा) काटने की अकेली मशीन थी, जो गड़ासे की जगह पर इस्तेमाल होने लगी थी। इस मशीन के उपयोग से एक बात तो साफ जाहिर हो गई थी कि गांव वालों को जब यह पता चल जाता है कि उनकी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी चीज की जरूरत है तो वे उसे करने या अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ बड़े किसान लोहे के हलों को भी काम में ला रहे थे।

कृषि विभाग की इटावा वाली गोदाम में उस समय बहुत से सुधरे हुए हल बेकार पड़े थे। वहाँ कुछ मड़ाई की मशीनें भी पड़ी हुई थीं जो अनाज की मड़ाई के लिये बैलों के खुरों के मुकाबले में अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती थीं। इन सब औजारों में गोदामों में पड़े रहने के कारण जंग लग गई थी और बहुत से औजारों के छोटे-छोटे पुर्जे निकल गए थे; इसलिए ये सब काम में नहीं आ सकते थे। इन सब बातों से यह तो पता चलता ही था कि सरकार विकास का कार्य चलाना चाहती थी, यद्यपि वह कार्य न तो ठीक से चलाया ही गया और न उसका कोई स्थायी प्रभाव ही पड़ा।

किसानों के औजारों में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए पहले समय के इन प्रयत्नों में उसे सफलता क्यों नहीं मिली? पहले के विकास कार्यक्रम की योजना बनाने वालों को उतनी ही आशा और विश्वास रहा होगा जितना कि इस समय हम लोगों को है। इसलिए हमने यह महसूस किया कि हमें उनकी उन चार भूलों से कुछ सीखना चाहिए, जिन्हें हम नीचे देते हैं :

१. केवल कृषि के लिए ही प्रयत्न किए गए थे, गांव वालों में दिलचस्पी और सजगता पैदा करने के लिए कुछ नहीं किया गया था।

२. जो लोग प्रदर्शन करने के लिए भेजे गए थे, उन्हें उन औजारों के सम्बन्ध में न तो काफी प्रशिक्षण और जानकारी ही दी गई थी और न उन लोगों को इन नए औजारों पर विश्वास ही था।

३. ये विकास कार्यकर्त्ता एक तो संख्या में कम थे दूसरे उन्हें थोड़े से मुख्यालय वाले गांवों में रख दिया गया था; वे गांवों में तो पहुँच ही नहीं सके थे। इसलिए वे किसानों पर कोई प्रभाव न डाल सके।

४. मरम्मत की सुविधाएँ और औजारों को चालू रखने का कोई प्रबन्ध न था। गांव के लोहार, जो पुराने औजारों को बनाते थे, इन नए औजारों की मरम्मत या सफ़ाई तक न कर सकते थे क्योंकि नए औजारों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं कराई गयी थी।

इटावा की योजना में शुरू से ही ऐसा आयोजन किया गया था कि पहली तीन गल्तियों का निराकरण हो जाए। चौथी गलती को दूर करने के लिए महेवा में एक छोटा-सा कारखाना खोल दिया गया था, जिसमें सुधरे हुए औजारों की मरम्मत, सफाई आदि हो सकती थी।

उद्देश्य और सिद्धान्त

इटावा में चलाये जाने वाले औजारों सम्बन्धी कार्यक्रम में इस बात पर ध्यान दिया गया कि भूमि की जुताई और तैयारी में सुधार लाया जाए; ताकि : पहला, सुधरे हुए बीज में उपज बढ़ाने की जो शक्ति है उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके; और दूसरा, इन बीजों के कारण बढ़ी हुई उपज से भूमि की जो उपजाऊ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

शक्ति अधिक मात्रा में नष्ट होगी उसकी पूर्ति की जाए। उदाहरण के लिए अधिक सुधरे हुए गेहूं के बीजों को बोने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि सनई की हरी खाद खेत में जोत कर मिट्टी के नीचे दबा दी जाए ताकि उसमें उर्वरा शक्ति फिर से आ जाए। सनई को मिट्टी में दबाने के लिए ऐसे हल की जरूरत पड़ेगी, जिसका फाल भारी और मुड़े हुए लोहे का हो। हरी खाद के देने की जब जरूरत नहीं पड़ती थी, उस समय ऐसे हल की भी जरूरत नहीं थी।

भूमि की गहरी जुताई और अधिक तैयारी वाले इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते समय भी हमने दृढ़ता से दो आधारभूत सिद्धान्तों पर अमल किया :

(१) केवल ऐसे ही नये औजारों का उपयोग किया जाए जिन्हें आगे चलकर गांव वाले खुद ही खरीद सकें और काम में ला सकें। इस सिद्धान्त के कारण भारी मशीनों पर जोर नहीं दिया गया। योजना में छोटे ट्रैक्टर जरूर मंगाये गये और उनसे काम लिया गया। वहाँ के कुछ बड़े किसान पहले भी कड़ी मिट्टी को तोड़ने के लिए या गर्मी के मौसम में जब बैल मड़ाई के काम में लगे रहते हैं, जुताई करने के लिए ट्रैक्टर काम में लाते थे। कभी-कभी ये स्थानीय ट्रैक्टर दूसरे किसानों को किराए पर दिये जाते थे, या सिंचाई के पम्पों अथवा आटे की चक्कियों को चलाने के लिए काम में लाए जाते थे।

(२) बिल्कुल नये औजारों को विकसित करने के प्रयत्न के बजाय ऐसे औजारों को खोज निकालना और उनका उपयोग करना हमारा उद्देश्य था, जो पहले से पाए जाते हैं या जिनका परीक्षण हो चुका है। हमने योजना की दूसरी आवश्यकताओं के बारे में भी इसी सिद्धान्त पर अमल किया—जो चीज जानी समझी है और जिसका परीक्षण हो चुका है, उसी को अपनाना और उसे अपने कार्य के अनुकूल बनाना। योजना में औजारों की बहुत खपत हो सकती थी इसलिये औजारों को बनाने वाले इटावा में आकर कृषि अधिकारियों और कृषि इंजीनियरों से मिलते रहते थे। अन्त में औजार बनाने वालों ने अपने औजारों में ऐसे सुधार कर दिए कि वे गांव वालों के उपयोग में लाए जा सकें। उनका दाम भी कम हो गया।

सुधरे हुए औजारों का वितरण

जो सुधरे हुए औजार दिए गए उनमें से तीन औजारों के बारे में खासतौर पर बता देना जरूरी है : मड़ाई वाला यंत्र, मिट्टी को पलटने वाला हल और बुवाई की मशीन तथा मिट्टी भुरभुरी करने वाला यंत्र कल्टीवेटर। इसके अतिरिक्त जो नए औजार काम में लाए जाने लगे, वे थे, सुधरे हुए बड़े हंसिये, हेंगा, कुदाल और फावड़ा आदि।

मड़ाई की मशीन (औलपेड थ्रेशर)

१९४९ के मार्च में गेहूँ की फसल के समय इटावा में किसानों के सामने मड़ाई की मशीन का प्रदर्शन किया गया। यह बहुत ही आकर्षक सिद्ध हुआ क्योंकि गेहूं की जितनी लॉक की बैल ६ से १० दिन मड़ाई कर सकते थे, उसी की इन मशीनों से दो या चार दिन के भीतर ही हो सकती थी। थ्रेशर से मड़ाई का काम अधिक जल्दी होने के कारण बसन्त ऋतु में होने वाली वर्षा के कारण होने वाली हानि से बचाव

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हो सकेगा। इसके अतिरिक्त जब मड़ाई का काम बैलों से नहीं किया जायगा तब उन्हें अप्रैल से जून तक गर्मी की जुताई के काम में लगाया जा सकेगा; और इससे अगली फसल को बहुत लाभ पहुंचेगा।

पहले मड़ाई की मशीन ओल्पेड थ्रेशर (Olpad Thresher) के दाम १८० रुपए थे। यह कीमत इतनी अधिक थी कि उसे अधिकांश किसान दे नहीं सकते थे, क्योंकि बहुतों की वार्षिक आय १५०० रुपए तक भी नहीं पहुंचती थी। इसलिए इस मशीन को किराए पर देने की योजना बनाई गई। १९५० में मड़ाई के मौसम के पहले योजना ने ८ ओल्पेड थ्रेशर मंगाए। इसके अलावा स्थानीय सहकारी संघों ने ६ मशीनें मंगाई। ये सारी मशीनें एक रुपए प्रति दिन के हिसाब से मड़ाई के मौसम भर किराए पर उठाई गईं। इस योजना से किसानों को भी लाभ हुआ और सहकारी संघों को भी आमदमी होने लगी।

१९५१ में फसल के मौके पर योजना की ८ मशीनों और सहकारी संघ की १० मशीनों से ७०० रुपए किराये के रूप में मिले और करीब ३५० एकड़ भूमि की फसल की मड़ाई की गई। १९५२ में वे १८ मशीनें पहले से दूने समय तक काम में लाई गईं और उनसे पहले साल के मुकाबले में दूने किराए की आमदनी हुई। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से १६ किसानों ने इन मशीनों को खरीदा और उनका भी उपयोग बराबर किया गया। मशीनों की संख्या में और उन से होने वाले काम और किराए में साल-ब-साल वृद्धि होती गई। १९५६ में महेवा ब्लाक के गांवों में करीब २०० मशीनों से काम लिया गया और गेहूँ की कुल फसल का १० से १५ प्रतिशत भाग इन मशीनों के द्वारा ही माड़ा गया।

जैसे-जैसे इन मशीनों की मांग बढ़ती गई और उनका उत्पादन बढ़ता गया, वैसे ही वसे गांवों में इनकी कमी महसूस होने लगी। योजना क्षेत्रों से इन मशीनों की मांग इतनी अधिक बढ़ी कि कभी-कभी मड़ाई के मौसम में मशीन बनाने वाले पूरी संख्या में पूर्ति न कर सके। मशीनों के मिलने में जब कठिनाई पड़ने लगी तब महेवा गांव के लोहारों ने मशीनों के बनाने का काम शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों में लोहार उसी मशीन को बनाकर १४५ रुपए में देने लगे, जब कि शहर वाले उसे १६५ रुपए में बेचते थे।

मोल्डबोर्ड हल

हरी खाद के कार्यक्रम के लिए लोहे का बना हुआ मोल्डबोर्ड (मिट्टी पलटने वाला) हल जरूरी हो गया। १९४९ के खरीफ में यह हल लाया गया और इसका प्रदर्शन किसानों को कराया गया। इसकी छोटी, बड़ी, हल्की और भारी, कई किस्में सामने आई ताकि हर किसान अपने बैलों के बल के हिसाब से उन्हें छांट ले। हर हल की कीमत १० से १५ रुपए रक्खी गई थी, ताकि बहुत से किसान उसे ले सकें। पहले साल बहुत कम किसानों ने इस हल को लिया पर जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे ही वैसे इसकी मांग बढ़ती गई। १९५०-५१ में ८८८, १९५१-५२ में ११२८ और १९५५-५६ में २०६१ हल किसानों के पास थे (इलाहाबाद एग्रिकल्चरल इन्स्टीच्यूट के श्री मेसन वाग ने इस संख्या का पता लगाया था)।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१९४९ में हलों और दूसरे औजारों का जो प्रदर्शन किया गया था उसके सम्बन्ध में लोगों के जो विचार थे उनका पता श्री होरेस होम्स की लिखी हुई इस टिप्पणी से चलता है :

जब मैं लौटा तब मुझे पता चला कि हरी खाद का कार्यक्रम जितना तय किया गया था उससे बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। मैंने अपना बहुत-सा समय इन पद्धतियों को प्रदर्शन करके किसानों को दिखाने में लगाया था और ग्राम सेवकों को (अधिकारियों को भी) इसकी शिक्षा दीक्षा दी कि ठीक से किए गए असली प्रदर्शन के क्या मतलब होते हैं।

महेवा में हमने पांच दांत वाले पटेरा (हैरो) को, मिट्टी तोड़ने वाले हलों को और बागीचे वाले हलों को उनके कल पुर्जों को बैठाल कर ठीक किया था। शिक्षार्थियों ने जल्दी ही उस काम को सीख लिया और दूसरे रोज कई हलों आदि के पुर्जों व कील-काटों को जमा कर उन्हें ठीक कर दिया। दो रोज तक चार ग्राम सेवक काम करते रहे और दूसरे लोग भी काम करने को आए। हमने हर शिक्षार्थी को एक-एक हल दे दिया और हर एक को यह सिखा दिया कि उसे कैसे तैयार किया जाता है, उससे कैसे जुताई की जाती है और जरूरत के माफ़िक उसमें कैसे रद्दोबदल कर दी जाती है।

हम लोग अपने हल लेकर उन किसानों के खेतों पर प्रदर्शन करने के लिए गए जो इस काम में दिलचस्पी लेने लगे थे। किसान को अपने खेत पर अपने बैलों को तैयार रखने को कह दिया गया था। आम शिकायत यही थी कि हल बहुत भारी है। हमने पटेरा (हैरो) को ठीक किया—कुछ पटेरों (हैरो) में से दो दांते निकाल दिए और किसानों के साथ रहे। हर आदमी ने थोड़ी-थोड़ी जुताई की, और अधिकांश लोग उस जुताई से प्रसन्न हुए। कहीं-कहीं इन कामों को दिखाने के लिए हमें दो-दो तीन-तीन रोज जाना पड़ा ताकि किसानों को सन्तोष हो सके। [४९.२]

सीड ड्रिल (बीज बोने की मशीन)

१९५२ तक इटावा के योजना क्षेत्र के किसानों में अधिक सुधरे हुए औजारों को काम में लाने की भावना काफी फैल गई थी। पुराने समय से बीज बोने का जो तरीका चला आ रहा था, उस तरीके में बुवाई के लिए बहुत अधिक बीज की जरूरत पड़ती थी और बहुत-सा बेकार जाता था। लोग यह मान लेते थे कि बोए हुए बीज के कुछ अंश को पक्षी और कीड़े खा जायंगे और कुछ बीज जम न सकेगा। इसकी पूर्ति के लिए कुछ अधिक बीज खेतों में डाल दिया जाता है। जहां बीज अधिक पड़ जाता था, वहां पौधों की बहुतायत हो जाती है। इससे फसल उतनी अच्छी नहीं हो सकती।

१९५० में दो मेकार्मिक सीड ड्रिल मशीनों का प्रचलन शुरू किया गया। इनके द्वारा बीज अधिक गहराई में पहुँचा दिया जाता था, इससे चिड़ियों के चुगने का खतरा दूर हो जाता था। बीज भी एक दूसरे से उचित फासले पर गिरता था, इससे बुवाई के लिए कम बीज की जरूरत पड़ती थी।

पुराने तरीके से बोने के लिए प्रति एकड़ १ मन से १½ मन तक बीज लग जाता था, जब कि मशीन से बुवाई करने पर केवल आधे मन में काम चल जाता था।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस प्रकार कुल उपज के ५ प्रतिशत अनाज की बचत होती थी। बुवाई का समय बीस रोज माने जाने पर मशीन की बुवाई से करीब ३० मन अनाज की बचत होती थी जिसकी कीमत १९५२ में ४८० रुपए होती थी।

पहले कुछ सहकारी समितियों को कुछ मेकॉमिक मशीनें ६०० रुपए प्रति मशीन के हिसाब से दी गईं। इन्हें किसानों को बारी-बारी से किराए पर दिया गया। १९५२ तक इस तरह की १७ मशीनें महेवा क्षेत्र में काम में लाई जाने लगीं। ये मशीनें महंगी पड़ती थीं और उनके कल-पुर्जों को ठीक रखना कठिन था। इस कारण उसी तरह की सस्ती मशीनों को चालू करने का प्रयत्न किया गया। अन्त में हल्के किस्म की एक मशीन निकाली गई जो १४० रुपए में बिक सकती थी। स्थानीय अनुभवों के अनुसार उनमें काफी सुधार किए गए। १९५६ में चार नये किस्म की मशीनों का परीक्षण किया गया। इनसे एक ही मौसम में उनके दाम से दूना लाभ देती थी। एक दूसरी मशीन भी चालू की गई जिससे जुताई और बुवाई दोनों का ही काम किया जा सकता था और यह सस्ती भी पड़ती थी।

पूर्ति और काम का जारी रखना

इटावा के क्षेत्र में जितनी मशीनों की जरूरत है उतनी तादाद में अभी तक बिक्री नहीं की जा सकी। अभी वह समय दूर है जब हर किसान के पास अपनी जरूरत के सभी सुधरे हुए औजार हों। जितनी मशीनों की जरूरत है यदि ये सब ले ली जायं तो उससे कृषि उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही अधिक लोगों को औद्योगिक काम में लगाया जा सकेगा। पश्चिमी देशों में औजार बनाने वालों ने सुधरे हुए औज़ारों को सर्वप्रिय बनाने में बड़ा काम किया है। भारत में इस प्रकार का कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया।

सुधरे हुए औजारों की बिक्री के लिए योजना क्षेत्र में काफी गुंजाइश है। ग्राम सेवक और सहायक विकास अधिकारी बिक्री के कार्यक्रम में काफी तेजी ला सकते हैं क्योंकि वे सब जगह आते-जाते रहते हैं। यदि बिक्री वाला इन्जीनियर उनको सहायता दे तो बिक्री काफ़ी हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रख कर योजना में ऐसे तीन उत्पादकों को इस काम के लिए राजी किया गया जिनसे औजार लिए जाते थे। उनमें से एक अपने प्रतिनिधि को भेजने के लिए राजी हो गया।

योजना क्षेत्र में काम करते हुए उस प्रतिनिधि को यह दूसरा वर्ष चल रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि उत्पादक को इससे लाभ होगा कि नहीं। इस तरह की बिक्री के प्रयत्न से योजना को एक आकस्मिक लाभ अवश्य हुआ। जो बिक्री वाला इन्जीनियर किसानों के बीच में जाकर काम करता था, उसे यह पता चला कि ग्राम सेवक सुधरे हुए औजारों के बारे में न तो काफी जानकारी रखते हैं और न तो उन्हें चला कर दिखा सकते हैं। इससे प्रकट हो गया कि उन्हें ठीक से प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा था। अब उसमें सुधार कर दिया गया है और सभी सामुदायिक विकास योजनाओं में विशेष रूप से कृषि यंत्रों के बारे में प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया है। समय-समय पर होने वाली ऐसी जांचों से बहुत लाभ होता है। इस तरह का प्रशिक्षण

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

न होने से कृषि औजार कार्यक्रम को हानि पहुंचती है और योजना के दूसरे काम भी बिगड़ जाते हैं।

जब तक योजना क्षेत्र में सुधरे हुए औजारों की काफ़ी अधिक संख्या नहीं पहुँच जायगी तब तक महेवा अपने औजारों वाले कारखाने को चालू रक्खेगा। अन्त में कारखाने की जगह पर एक दूकान हो जायगी जिसमें ओजारों के पुर्जे रहेंगे और जहां मरम्मत की जा सकेगी। इस समय महेवा के कारखाने में मरम्मत की जाती है, सुधरे हुए हंसियों का उत्पादन किया जाता है और गांव के लोहारों को काम सिखाया जाता है ताकि वे आगे चलकर सुधरे हुए यंत्रों की मरम्मत आदि कर सकें। अपने काम की देखभाल के लिए अग्रगामी विकास योजना के लोगों ने और कारीगरों की खोज की है। वह अभी प्रशिक्षण और पुर्जों आदि की मरम्मत के अलावा औजारों के उत्पादन के काम को बढ़ाने के लोभ से बचे हैं।

पशुपालन

इटावा की आर्थिक व्यवस्था में पशुओं का मुख्य स्थान है। उनमें भी हल चलाने, गाड़ी खींचने आदि के लिए बैल और दूध घी के लिए गाय का मुख्य स्थान है। अन्य योजनाओं के क्षेत्रों में मुर्गी और भेड़ों का भी काफी महत्व है; किन्तु इटावा में उनका ऐसा महत्व नहीं।

इटावा का पशुपालन कार्यक्रम गाय बल से सम्बन्ध रखता है। नीचे चार उद्देश्य दिए जाते हैं जिनको पूरा करने के लिए समय निश्चित कर दिया गया है।

रोकथाम और रोग उन्मूलन वाली औषधियां—रोगों के फैलने से भारत में बहुत अधिक पशु मर जाते हैं। यदि बैल मर जाय या रोगी हो जाय तो भारतीय किसान को बहुत हानि होती है; क्योंकि उसके साधन बहुत ही सीमित होते हैं। पर अब तो ऐसे उपचार निकल आए हैं जिनके द्वारा पशुओं में फैलने वाले रोग बिल्कुल दूर किये जा सकते हैं।

पशुओं की अच्छी खिलाई—यह बहुत कठिन प्रश्न है। भारत में गायों को बहुत पवित्र माना जाता है, इस कारण वे मारी नहीं जा सकतीं। इससे बेकार पशुओं का बोझ बहुत बढ़ गया है। पशुओं की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि मनुष्यों के भोजन की समस्या और कठिन हो रही है। खाने की चीजों में कमी होने के कारण पशु कमजोर होते जा रहे हैं। इसका हल तभी हो सकता है जब गाँव वालों के विचारों में काफी परिवर्तन हो। जानवरों के चारे की समस्या हल करने में अभी केवल थोड़े से सुधार हो सकते हैं, पूरा हल असंभव है।

नस्ल सुधार—पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रयत्न भी लोगों के परम्परागत विचारों के कारण कठिन हो गया है। लोग सभी नस्ल के पशुओं को आदर की दृष्टि से देखते हैं। तो भी इस विषय में कुछ प्रगति तो की ही जा सकती है। इसके लिए यह आन्दोलन चलाना पड़ेगा कि पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए गायों को अच्छे साड़ों से मिलाया जाय और कमजोर सांड़ों को बधिया कर दिया जाय।

पशुओं के रखने के लिए सामूहिक स्थान—इस समय यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि गांव के सभी लोग मिल कर एक ही स्थान पर अपने पशुओं को बांधें।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

ऐसा होने पर सफाई और खिलाई की व्यवस्था हो सकेगी, खाद के लिए पशुओं का मूत्र और गोबर सहूलियत के साथ इकट्ठा किया जा सकेगा और कम्पोस्ट के लिए अच्छी तैयारी हो सकेगी। पशुओं के एक जगह रखने के कार्यक्रम के साथ ही इनकी खिलाई का कार्यक्रम भी जुड़ा हुआ है, यद्यपि उसे कुछ दिन बाद उठाने की जरूरत पड़ेगी।

इन चारों उद्देश्यों की प्रगति पर अधिक विस्तार से विवेचन किया जायगा।

रोकथाम के लिए टीके

पशुओं को मुंहपका और पोंका की बीमारी बहुत होती है। योजना के प्रारम्भ के तीन मुख्य कार्यों में से एक था इन दोनों रोगों को रोकने के लिए टीका लगाना। ग्राम सेवकों को टीका लगाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। दूसरे सरकारी विभागों से सहयोग प्राप्त करने के काम में पशुपालन विभाग द्वारा ही टीका लगाने में सहायता लेना मुख्य था। सरकारी पशुपालन विभाग इस प्रकार के यंत्र भी दे सकता था और ऊँचे दर्जे का पथ-प्रदर्शन कर सकता था; किन्तु उसके पास इतने अधिक आदमी नहीं थे जो गांवों में जाकर टीके लगा सकते। हमारे ग्राम सेवकों की बहुत बड़ी संख्या गांवों में ही काम करती थी और उनके द्वारा इस तरह की सेवाएँ आसानी से की जा सकती थीं।

१९४९ में इटावा क्षेत्र में मुंहपके की बीमारी फैली। हमने तो पहले से ही इसके लिए योजना तैयार कर रक्खी थी और हमें महसूस की हुई आवश्यकता के आधार पर काम करने का एक अच्छा मौका मिल गया। महेवा में रोग पहुँचने के पहले हमने ४,२२७ पशुओं को टीके लगवाए। इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जिन पशुओं को टीके लगाए गये थे, वे इस रोग से बिल्कुल बच गये। किन्तु जिन पशुओं को टीके नहीं लगे थे, उनमें अधिकांश इस रोग से पीड़ित हो गये।

इस प्रदर्शन का बहुत अच्छा फल दूसरे वर्ष मिला। १९५० में हमारे ग्राम सेवकों ने पशु चिकित्सा विभाग के साथ मिल कर मुंहपका के लिए १८,५५९ टीके लगाये और पोंका के लिए २३,११६ टीके लगाये। तब से इस क्षेत्र में बहुत कम पशुओं को यह रोग हुए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि गाँव वालों के विचार ही बदल गये। लोग खुशी से टीके लगवाने के लिए अपने पशुओं को लाने लगे। वे रोकथाम के इस तरीके को स्वीकार करने लगे, आपत्ति के भय से नहीं, नई विधि के विश्वास से।

खिलाई

कृषि प्रधान देश भारत की अभावों से लदी हुई आर्थिक स्थिति में जानवरों के लिए चारा न तो काफी परिणाम में है, न पौष्टिकता में ही। इटावा के योजना क्षेत्र के गाँवों में आमतौर से चारे के उत्पादन के लिए खासतौर पर कोई भूमि नहीं है। चरागाह दूर पड़ते हैं। इसलिए पशु खाने के लिए मारे-मारे फिरते हैं। इन्हें पूरी खुराक कभी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

नहीं मिलने पाती। चारे को भी वे नीचे तक कुतर डालते हैं। इससे मिट्टी के बहाव की समस्या खड़ी हो जाती है।

१९४९ में योजना ने चारे के लिए छोटे पैमाने पर बरसीम की खेती शुरू की और धीरे-धीरे उसका रक्बा बढ़ता गया। खेती की उपज में जैसे-जैसे वृद्धि होती गई, वैसे ही वैसे यह प्रयत्न किया गया कि जिस भूमि पर अनाज बोया जाता है, उसके रक्बे में कुछ कमी कर के पशुओं के लिए चारा उगाने वाली जमीन का रक्बा बढ़ा दिया जाय।

सेंगर नदी के तट की बहुत-सी भूमि को खेती के योग्य बना लिया गया है। अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि लोग उस भूमि पर चारा बोएं और पशुओं के लिए चरागाह बनाएँ। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रयत्न का क्या फल होगा।

यदि हम चारे वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त भी कर लें तो भी पशुओं की खुराक में पौष्टिक तत्व की कमी का सवाल रह जाता है। इसको पूरी तरह हल कर देना तो हमारी शक्ति के बाहर है। हम इसमें केवल थोड़ा-सा सुधार कर सकते हैं।

नस्ल सुधार

जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उन्हें पता है कि पशुओं की नस्ल में सुधार करना कठिन काम है और उसमें बहुत दिन लगेंगे। भारत में दो विशेष कठिनाइयाँ हैं।

पहला, अच्छी नस्ल के अधिकांश पशु पंजाब से ही आते थे। अब वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है। अच्छे पशुओं का मिलना कठिन हो गया है। भारत के दूसरे क्षेत्रों में धीरे-धीरे अच्छे नस्ल के पशुओं को पालने का प्रयत्न किया जा रहा है।

दूसरा, बहुत से निकम्मे साँड़ गाँवों में घूमते रहते हैं, क्योंकि गाँव वाले धार्मिक विचार से उन्हें स्वतन्त्र छोड़ देते हैं। इन साँड़ों से दो तरह की हानियाँ होती हैं: (अ) वे खेतों को रौंद डालते हैं और बहुमूल्य फसल को चर लेते हैं, और (ब) वे अपनी ही तरह के कमजोर बच्चे को पैदा करते हैं। इन साँड़ों को नष्ट कर देने का कोई सवाल नहीं उठ सकता, किन्तु हमारे ग्राम सेवकों को उन्हें बधिया करने का प्रशिक्षण दे दिया गया है। पहले तो गाँव वाले इस तरह के साँड़ों को बधिया किये जाने के भी खिलाफ थे। किन्तु प्रचार के द्वारा गाँव वालों के विचार बदल गये हैं और इटावा योजना क्षेत्र में इस तरह के सभी साँड़ों को बधिया करने की बात पर वे राजी हो गये हैं। ब्राह्मण भी इसके लिये राजी हो गये हैं।

गाँव के लोग यह तो मानने लगे हैं कि ऐसे साँड़ों को बधिया करना पाप नहीं है। किन्तु अब वे चाहते हैं कि जब तक गायों के लिए अच्छे सांड़ों का प्रबन्ध न हो जाय तब तक सभी निकम्मे साँड़ों को बधिया न किया जाय।

कुछ अच्छी नस्ल के सांड़ योजना द्वारा मंगाये गये हैं; किन्तु पूरे क्षेत्र के लिए उतने सांड़ काफी नहीं थे। इस कारण १९५० के फरवरी मास में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना की गई। पहले यह शंका थी कि गांव वाले इसका विरोध

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

करेंगे। इसलिए केन्द्र के शुरू होने के पहले गांव के कुछ प्रमुख लोगों को मथुरा की यात्रा कराई गई और वहाँ का पशु चिकित्सा कालेज दिखाया गया, जहाँ इस तरह का केन्द्र चलता है। उन लोगों को कृत्रिम गर्भाधान की बात पर विश्वास हो गया, और लौटकर उन्होंने दूसरे लोगों को विश्वास दिलाने में सहायता की।

गांव वाले फिर भी धीरे-धीरे ही इसके लिए राजी हुए। जब उन लोगों ने देख लिया कि कृत्रिम गर्भाधान से होने वाले बछड़े दूसरी तरह से उत्पन्न बछड़ों से काफी तगड़े होते हैं; तब तो बहुत लोग अपनी गायों को केन्द्र में लाने लगे। इस केन्द्र के आसपास के क्षेत्र के सभी निकम्मे सांड़ बधिया कर दिये गये। दूसरे क्षेत्रों में जब इस तरह का प्रबन्ध हो जायगा, तब वहाँ के भी निकम्मे सांड़ बधिया कर दिए जायंगे।

संयुक्त पशुशालाएँ

इससे अनेक लाभ हैं। जब तक पशु गांवों में छुट्टा घूमते रहेंगे, तब तक वहाँ सफाई रखना कठिन है। दूसरे, यदि पशुशाले का फर्श पक्की ईंटों का बना हो तो पशुओं के गोबर और मूत्र को खाद के लिए इकट्ठा करने में परेशानी नहीं होगी, नहीं तो वह बेकार चला जाता है। ऐसे स्थान के पास ही कम्पोस्ट का काम आसानी से किया जा सकता है। तीसरे, जब पशु एक साथ रक्खे जायंगे तो उनकी खिलाई-पिलाई का कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा सकेगा और इस प्रकार उनके छुट्टा घूमने से खेतों में जो हानि होती है, वह दूर हो जायगी।

इटावा योजना में इस तरह का प्रबन्ध केवल १९५५ में किया जा सका। लखनऊ जिले के चार गांवों में परीक्षणात्मक रूप में इसी तरह के कार्यक्रमों को दो साल से चलाया जा रहा है। समाज शिक्षा और प्रचार के प्रयत्नों से इस परीक्षण के सफल होने की आशा की जाती है।

सैकड़ों वर्षों से भारत का किसान अपने पशुओं को अपने ही पास रखने का आदी हो गया है, क्योंकि वह उनकी देखभाल के लिए किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए पशुओं को इकट्ठा रखने के कार्यक्रम का विरोध स्वाभाविक है। इस भावना को दूर करने के लिए इटावा योजना ने उन पशुओं को रखने के लिए पहले जो स्थान चुने, वे पशुओं के मालिकों के घरों के पास ही थे। एक मोहल्ले के पशु उसी मोहल्ले में ही रक्खे जाते थे। किन्तु अभी तक यह नहीं कहा जा सकता कि इस महत्व-पूर्ण कार्य में कितनी सफलता मिलेगी।

भूमि संरक्षण
समय-सारिणी
१९४९-५०

इटावा योजना की दक्षिणी सीमा पर यमुना नदी है। उसके किनारों पर भारी कटाव होता है। प्रारंभिक योजना में इस भूमि संरक्षण का मद शामिल किया गया था। उस क्षेत्र में भूमि संरक्षण एक महसूस की हुई आवश्यकता थी। इसमें सफलता प्राप्त होने से हमारे काम का महत्व सब के सामने आ जाता है। साथ ही सैकड़ों वर्ग

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मील अन्य भूमि पर भी उसी उपाय का प्रयोग हो सकता है। एक वर्ष के अनुभव से यह पता चला कि इसमें बहुत समय लगेगा और उत्पादन के रूप में इससे लाभ कम ही होगा। जिन भारी मशीनों से मिट्टी हटाने का काम लेना जरूरी होगा, उन सब को मंगाना गांव वालों के बस की बात न होगी। यदि हमारी योजना के अनुसार वह काम किया जाता, तो उसकी गिनती भारी सरकारी कामों में अवश्य होती, किन्तु उनसे गांव वालों की स्वावलंबन की भावना को कोई प्रोत्साहन न मिलता। इन सब कारणों से उस योजना को छोड़ ही दिया गया।

१९५२

कई वर्ष तक यमुना के किनारों वाले भूमि संरक्षण के काम को न उठाया गया। योजना क्षेत्र के उत्तर में सेंगर नदी पड़ती है। वहाँ भी मिट्टी का कटाव बहुत होता था, पर यमुना के किनारों के बराबर नहीं। जांच करने पर पता चला कि बहुत कम खर्च पर इस भूमि को भावी कटाव से बचाया जा सकता है, और उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इस काम को गांव वाले आपस के सहयोग से ही कर सकते थे, और इस प्रकार बचाई हुई भूमि सदैव उन्हीं के नियंत्रण में रह सकती थी। अनुभव से हमारा निदान ठीक निकला और भूमि-विशेषज्ञ डाक्टर जे० के० बसू ने हमारी स्वावलंबन वाली भावना को प्रोत्साहित किया। वे उस समय पूना और शोलापुर में बम्बई सरकार द्वारा चलाये गये भूमि संरक्षण कार्यक्रम के प्रधान थे।

इटावा योजना के तीन कार्यकर्त्ता ६ महीने के लिये इस काम को सीखने के लिए बम्बई भेजे गये। वहाँ से लौट कर उन्होंने उस क्षेत्र के कुछ भाग का सर्वेक्षण किया, जहाँ कम खर्च पड़ने की संभावना थी, और काम शुरू किया गया। तख्मीने से पता चला कि एक या दो वर्षों में ही वहाँ किये हुए काम का खर्च खुद ही पूरा हो जायगा।

१९५३

जनवरी मास में भाग्यनगर ब्लाक में काम शुरू किया गया। सामाजिक शिक्षा और ग्राम योगदान के कार्यक्रम द्वारा आरंभिक तैयारी हुई। नदी तट के कटाव वाले गांवों के बहुत से लोग भूमि संरक्षण की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। पहले कई बार कुछ लोगों ने अपने ढंग पर बांध आदि बांध कर खुद ही यह काम शुरू किया था। किन्तु उनके काम में न तो उचित पथ-प्रदर्शन किया गया था, न ठीक योजना ही बनाई गई थी। इससे बरसात में उनके बांध बह कर नष्ट हो गये थे। इससे उन्हें बहुत निराशा हुई थी। उस दिशा में अब और प्रयत्न करने के लिए वे किसी तरह तयार नहीं किये जा सके। यहाँ एक उदाहरण और मिला, कि खुद ही शुरू किये जाने वाले स्वावलंबन के छोटे-छोटे कामों के लिए भी प्राविधिक पथ-प्रदर्शन की कितनी अधिक जरूरत है। विकास कार्य भी जितना संभाला जा सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो असफल होने पर उससे बहुत निराशा होती है और उसका प्रभाव बहुत घातक होता है।

अंत में अजलपुर के सात गाँव वाले इसके लिए तयार हुए कि दस एकड़ भूमि के क्षेत्र में नया काम शुरू करें। उनके काम के समाप्त होते ही बरसात शुरू हो गई। इस बार उनके बाँध वर्षा के पानी से नष्ट नहीं हुए। साथ ही यह देखकर उन्हें संतोष भी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हुआ कि वहाँ की मिट्टी कट-कट कर नदी की ओर नहीं बह सकी, क्योंकि मिट्टी बह कर उनके द्वारा बाँधे गये बाँध के किनारों पर जमा हो गई, जिससे बाँध और भी मजबूत हो गया। यह बाँध विकास योजना के कार्यकर्त्ताओं के पथ-प्रदर्शन में बाँधा गया था।

अब परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें विश्वास दिलाने की जरूरत ही नहीं रह गई है। भूमि के पुनरुद्धार के लिए सभी लोग सहायता माँगने लगे हैं। अब सवाल यह था कि सभी किसानों को कैसे सहायता पहुँचाई जाय और प्राविधिक पथ-प्रदर्शन के बिना काम शुरू करने से लोगों को कैसे रोका जाय।

उसी वर्ष कुछ समय बाद शेरपुर-सरैया गाँव के पास १४० एकड़ भूमि के पुनरुद्धार का काम शुरू किया गया। यह कार्य भी सफल रहा। और इसके दृश्य दर्शन के लिए लोग बाहर से लाये गये। दूसरी बार के काम में पद्मनारायण नामक एक धनी किसान ने भी सहयोग दिया। वे पहले इस काम के सब से जबर्दस्त विरोधी थे, क्योंकि उन्हें कुछ वर्ष पहले बाँध बाँधने में असफलता का सामना करना पड़ा था। उन्होंने पहले दस एकड़ के हमारे भूमि संरक्षण कार्य को देखा, और उसकी खास बातों को समझने की कोशिश की और तब तो वे हमारे कार्यक्रम के सबसे बड़े सहायक बन गये।

१९५४

इस वर्ष के शुरू में दूसरे क्षेत्र की ३७० एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया गया। अब बहुत से लोग योजना के कार्यकर्त्ताओं से प्राविधिक सहायता की माँग करने लगे। वर्ष के अन्त तक ५०० एकड़ भूमि में संरक्षण का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया।

१९५५

बढ़े हुए काम को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित आदमियों की जरूरत पड़ी। उन्हें पूरा करने के लिए हमने १४ ग्राम सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए तीन महीने का शिविर चलाया। प्रशिक्षण प्राप्त कर ये ग्राम सेवक अपने-अपने गाँवों में लौट गये और नदी के १५ मील तक के किनारे के क्षेत्र की २,५०० एकड़ भूमि का पुनरुद्धार हो गया।

१९५५ में विकास अन्वेषणालय, उत्तर प्रदेश, ने इटावा में पुनरुद्धार का काम अपने हाथों में ले लिया और दूसरे दो जिलों में इस काम को शुरू करने की योजना तयार की गई। श्री एच० सी० सेठ ने इटावा में पुनरुद्धार के कार्य का नेतृत्व किया। उनकी बदली बाद में विकास अन्वेषणालय में कर दी गई और वे ही भूमि संरक्षण कार्य के प्रमुख बनाये गये। बड़े पैमाने पर होने वाले इस कार्य में सहायता देने के लिए कुछ साहित्य छपा कर तैयार कराया गया।

परिणाम का विवेचन

भू-रक्षा से तुरन्त जो लाभ हुआ उसके मुकाबले में इस पर पड़ने वाला खर्च बहुत ही कम था। मिट्टी हटाने और गड्ढों को भरने आदि का सारा काम किसान

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

खुद ही करते थे। योजना के सरकारी कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए दिये गये आंशिक अनुदान, गाँव वालों द्वारा स्वयं अपने से दी गई सामग्री और श्रम आदि सब का हिसाब लगाने पर प्रति एकड़ भूमि पर कुल केवल २२ रुपया ही हुआ। पर अगले वर्ष ही उस पर होने वाली उपज का मूल्य उससे कहीं अधिक हुआ। फिर बाद में जो उपज होती गई, वह तो बहुत ही अधिक थी। इस २२ रुपए प्रति एकड़ खर्च में से सरकार को केवल ८ रुपया प्रति एकड़ ही देना पड़ा।

पुनरुद्धार के कार्य से भूमि तो मिली ही, इसके अलावा गाँव वालों के उत्साह में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। योजना क्षेत्र में शायद कोई भी दूसरा कार्यक्रम ऐसा रहा हो जिसके द्वारा गाँव वालों में इतना अधिक आत्म-विश्वास उत्पन्न हुआ हो, क्योंकि अपने इस काम से उन्होंने यह देख लिया कि उन्हें प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों का शिकार बने रहने की जरूरत नहीं है।

यह कार्यक्रम भविष्य में भी सफल बना रहे, इसके लिए कई बातों को हल करने की जरूरत है : (अ) क्या हम गांव वालों के मन में यह बात बैठा सकते हैं कि वे अपने पशुओं को पुनरुद्धार से प्राप्त जमीन पर चरने से रोकें, ताकि उस जमीन पर उगने वाले पेड़-पौधे नष्ट न हों ? (ब) भूमि संरक्षण के कार्य को स्थायी बनाने के लिए क्या गांव वाले अन्न और चारा उपजाने की दीर्घकालीन कृषि योजना को स्वीकार करेंगे ?

आमतौर पर योजनाओं में यह होता है कि एक तरह की समस्याओं के हल करने में जो सफलता प्राप्त होती है, उससे दूसरी ऐसी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, जिन्हें हल करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पुनरुद्धार वाली समस्या के सम्बंध में भी यही बात लागू होती है। एक काम में जो सफलता मिल जाती है उससे यह न समझना चाहिए कि अब वह काम पूरी तरह हल कर ही लिया गया।

सार्वजनिक निर्माण कार्य, वातावरण की सफाई और जन-स्वास्थ्य
प्राथमिकता में दूसरा स्थान

जन-स्वास्थ्य, वातावरण की सफाई और दूसरे सार्वजनिक कार्य इस तरह के सामाजिक विकास कार्य हैं जिनकी आवश्यकता गांव वाले महसूस करते हैं। इन कामों के लिए सार्वजनिक सहयोग या आपसी रजामंदी की जरूरत पड़ती है। कृषि के सुधरे हुए औजारों, खाद, या बीज आदि के लिए तो हर किसान व्यक्तिगत रूप के निर्णय कर सकता है; किन्तु सार्वजनिक सफाई आदि के लिए सामूहिक निर्माण की जरूरत पड़ती है। इन कामों के लिए प्रारम्भिक रूप में सामाजिक शिक्षा या गाँव के योगदान की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक तो इनमें सार्वजनिक सहयोग अपेक्षित है, साथ ही इनकी आवश्यकता तात्कालिक रूप में महसूस नहीं की जा सकती। रुपए की कमी के कारण हर काम के लिए अलग-अलग अधिकारी नहीं रक्खे जा सकते, इस कारण ये तीनों कार्यक्रम पहले इटावा के जन सम्पर्क अधिकारी के जिम्मे कर दिए गए। कुछ दिन बाद जब काम अधिक बढ़ गया तो एक सहायक विकास अधिकारी सफाई के लिए और दूसरा सड़कों और इमारतों के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया। ये दोनों अधिकारी जन सहयोग कार्यक्रम के साथ मिल कर काम करते रहे। सड़कों के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

बनाने और गलियों को चौड़ी करने वाले जो उदाहरण ऊपर दिए हैं, उनमें यह दिखाया गया है कि इन सार्वजनिक प्रयत्नों में जन सम्पर्क का कितना महत्वपूर्ण हाथ रहा है।

इटावा में कार्य को प्राथमिकता देने के निर्णय के फल-स्वरूप तीसरे वर्ष तक इन कामों में उतनी अधिक भौतिक उन्नति नहीं दिखाई जा सकी जितनी अन्य कामों में बाहर से आने वाले दर्शकों को दिखाई पड़ती थी। इसलिए उन्हें आरम्भ में कुछ निराशा हुई। शुरू-शुरू की स्थिति में बहुत अधिक सफलता दिखलाई भी नहीं जा सकती थी। उस समय उच्चकाल प्रचारक अधिकारियों को बहुत अधिक दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों में आपस में इस बात को प्रतिस्पर्धा होती है कि वे दूसरों के मुकाबले में अधिक लम्बी सड़कें बना कर या भौतिक काम कर के दिखा सकें। इस कारण ऊपर वाले अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का समर्थन करना चाहिए। असल बात यह है कि शुरू-शुरू में अधिक भौतिक सफलता दिखाने के फेर में पड़ कर गांव वालों में आत्मनिर्भरता उत्पन्न करने वाली बात ठीक से नहीं लाई जा सकती। इटावा में हमने इस तरह की पद्धतियाँ अपनाईं जिनसे गांव वालों में आत्म-विकास की भावना उत्पन्न हो, ताकि आगे चलकर वे विकास कार्य को तेजी से बढ़ा सकें। जो आदमी तत्काल सफलता दिखाने के लिए उत्सुक रहता है, वह ऊपर वाले सिद्धान्त को आसानी से नहीं मानता। इसके अलावा भारत में सरकारी अधिकारी बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल दिए जाते हैं। फल यह होता है कि जो अधिकारी आन्तरिक विकास का कार्य शुरू करता है, वह उसकी सफलता का श्रेय प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर नहीं रह जाता। इसलिए उसमें भी इस तरह का काम करने के लिए स्थायी उत्साह नहीं होता।

घरों व सड़कों के बनाने और सफाई के कार्यक्रम पहले वर्ष के अन्त में ही निश्चित रूप से प्रारम्भ कर दिए गए थे, किन्तु उनका असर विशेष रूप से बहुत दिनों के बाद सामने आया। अन्त में जब सफलता के परिणाम सामने आए तो उससे यह भी दीख पड़ा कि गांव वालों की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई है। श्रम, भूमि और चीजों की कीमत के रूप में गांव वालों ने अपने यहाँ किए गए सार्वजनिक कामों का बहुत अधिक भाग खुद ही संभाल लिया है। कुछ कामों में सरकार ने पूरे खर्च का एक-तिहाई भाग सहायता के रूप में दिया था। उस समय तक गांवों में ईंटों के बनाने का काम इतना अधिक बढ़ गया था कि घरों के बनाने, सड़कों (गलियों) को पक्का करने और सफाई के कामों के लिए जो ईंटें लगीं वे बहुत कम दाम पर वहीं से मिल गईं। उस समय तक लोगों में यह भावना जागृत हो गई थी कि वे काम करके दिखाने के लिए उत्सुक हो गए थे और हम लोगों को काम में सहायता देने के लिए खुद ही दबाव डालने लगे थे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी।

बहुत से लोग जो इटावा योजना में पहले दृश्य-दर्शन के लिए आए थे, बाद में फिर वहाँ आए। तब उन्हें यह मानना पड़ा कि इटावा में भौतिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में ही बहुत उन्नति हुई है। गांव वाले भी यही मानते हैं।

रूपान्तर

इटावा योजना के किसी गांव में आज कोई दर्शक जाकर ऐसी क्या चीज देखेगा जिसे उसने १९४८ में न देखा हो?

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

योजना के पहले यदि कोई दर्शक गर्मी के दिनों में किसी गांव में आया होगा तो उसे रास्ते पर जगह-जगह पहियों के खांचे और गड्ढे पड़े हुए मिले होंगे। ये खांचे इतने गहरे रहे होंगे कि उनसे निकलने के प्रयास में फिसल कर गिरने का डर रहा होगा। कहीं-कहीं दोनों तरफ के खेत सड़क तक पहुँच गए होंगे और सड़क नाम मात्र को ही रह गई होगी। यदि दर्शक बरसात के मौसम में आये होंगे तो गांव तक किसी सवारी में आ ही न सके होंगे; और उन्हें बहुत दूर तक पानी में चल कर आना पड़ा होगा।

गांव के बीचो-बीच गलियों में उन्हें कच्चे मकान व चबूतरे आगे बढ़े हुए मिले होंगे और उनके कारण रास्ता बन्द-सा हो गया होगा; और केवल पैदल चलने का मार्ग ही शेष मिला होगा। गर्मी के दिनों में ये पतली गलियाँ धूल से भरी हुई मिली होंगी ओर बीच-बीच में गड्ढे रहे होंगे जिनमें घरों के नाबदानों से या पास के कुओं से पानी आकर भरता रहा होगा। बरसात में तो गलियों में इतना अधिक पानी भरा रहा होगा कि तालाब ही नजर आ रहे होंगे, क्योंकि पानी के निकासी के लिए उस समय कोई प्रबन्ध न था।

किन्तु आज की क्या दशा है?

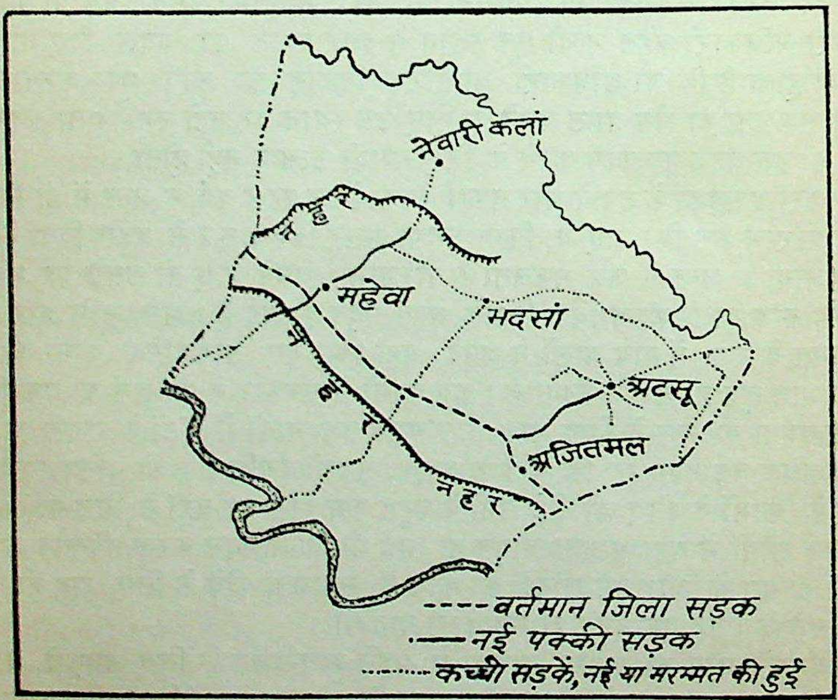

मानचित्र ४. महेवा क्षेत्र : श्रमदान द्वारा सड़कों का निर्माण, १९४८-१९५६

सड़कें और गलियाँ

अब तो ऐसी सड़कें बन गई हैं, जिनके कारण गांव का सम्बंध बाहरी दुनिया से स्थापित हो गया है। पहले इसकी शुरुआत छोटे पैमाने पर की गई थी, जिसका

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विवरण ऊपर दिया जा चुका है। हमारा मुख्य लक्ष्य बिल्कुल पूरा हो गया है। योजना क्षेत्र का एक भी ऐसा गांव नहीं रह गया है जो सड़क द्वारा मुख्य-सड़क से न जोड़ दिया गया हो। गांव को बड़ी सड़क से मिलाने वाली ये सड़कें अधिकांश में पक्की नहीं हैं, किन्तु जगह-जगह पर पक्की पुलियां बना दी गई हैं, जिससे बरसात का अधिकांश पानी सड़कों पर फैलने के बजाए नीचे बह जाता है। इस कारण यदि इन सड़कों की ठीक से देखभाल होती रही, तो वे भविष्य में बराबर काम देती रहेंगी। इन कच्ची सड़कों के बनाने के अलावा आठ गांवों के लोगों ने अपने-अपने गांव की सड़कों को पक्का कर दिया है। आमतौर पर सरकार सड़कों पर पड़ने वाले खर्च का दो-तिहाई भाग सहायता के रूप में देती है। किन्तु इटावा योजना में सड़कों के लिए सरकार को आधे से अधिक खर्च कभी नहीं देना पड़ा।

गांव के अन्दर की गलियां चौड़ी कर दी गई हैं। आगे बढ़े हुए बरामदे या चबूतरे हटा दिए गए हैं। अधिकांश गांवों में गलियों पर ईंटें बिछा दी गई है और उनके अगल-बगल या नीचे पानी के बहाव के लिए नालियां बना दी गई हैं। यह सब गांव वालों ने खुद अपने खर्च पर किया है। पहले पानी की निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं था; किन्तु अब हर गांव में उसका बहुत अच्छा प्रबन्ध कर लिया गया है।

वातावरण की सफ़ाई

गांव पानी की निकासी के कारण गलियों में आने-जाने में बहुत सुविधा हो गई है। साथ ही गांव की सफाई में भी काफी सुधार हुआ है। सफाई के मामले में अधिक उन्नति करने के विचार से हरिजनों के घरों में नहाने और बर्तन मांजने की जगहें पक्की कर दी गई हैं और पानी की निकासी के लिए पक्की नालियां बना दी गई हैं, जिनका सम्बन्ध पानी की निकासी वाली नालियों से कर दिया गया है। हरिजनों में इस विशेष उन्नति का कारण यह है कि सरकार इस तरह के काम के लिए उन्हें विशेष अनुदान देती है। जिसके कारण कुल खर्च का दो-तिहाई भाग नकद रूप में सरकार से मिल जाता है, शेष एक-तिहाई भाग को हरिजन अपने श्रम द्वारा पूरा कर लेते हैं। गांव के जिन लोगों को इस तरह का विशेष अनुदान नहीं मिलता, उन लोगों ने भी सफाई के सम्बन्ध में काफी उन्नति की है; यद्यपि उनकी चाल कुछ धीमी रही है।

गलियों को पक्की बनाने और पानी की निकासी का प्रबन्ध करने की मांग बराबर बढ़ती गई। अब तो सभी जगह से वह मांग होने लगी है। ये मांगे इतनी अधिक बढ़ गई कि निरीक्षण करने और प्राविधिक सहायता देने के लिए योजना के पास काफी आदमी न रह गए। ऐसी दशा में गांव वालों से पहले से कड़ी शर्तें की जाने लगीं। योजना कार्यकर्त्ताओं ने गांव वालों को बताया कि यदि सार्वजनिक निर्माण और सफाई की गई। पर यदि उनके घर के आंगन पहले ही की तरह गन्दे और कीचड़ से भरे रहे, तो उससे कोई विशेष लाभ न होगा क्योंकि उनके आंगनों में मक्खियों और मच्छरों की भरमार रहेगी। इसलिए उन्हीं गांवों में पानी की निकासी का सार्वजनिक रूप से प्रबन्ध किया जा सकेगा जो अपने घरों की अन्दरूनी सफाई करेंगे। बहुत से गांव वालों ने इन शर्तों को मान लिया, और अब वे अपने घरों की अन्दरूनी सफ़ाई खुद कर रहे हैं। इस प्रकार इन गांवों के लोग सफाई के मसले को पूरी तौर पर ले रहे हैं। अब करीब

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तीन मील लम्बी खुली नालियां और करीब दो मील लम्बी जमीन के अन्दर-अन्दर नालियां बनाई जा चुकी हैं।

इटावा योजना में खुले हुए कुओं की जगह पर हैण्डपम्प (पानी का कल) का प्रचलन किया गया। कुछ गांवों में पानी बहुत नीचे मिलता था और पम्प वाले कुओं पर अधिक खर्च पड़ता था। इसलिए वहां ये कुएं नहीं बनाए गए। किन्तु योजना क्षेत्र के अधिकांश गांव में ऐसे कुएं चालू कर दिए गए हैं। अभी गांवों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाना सम्भव नहीं है, पम्प वाले कुओं का प्रचलन किया गया है। पानी पीने के २०० से अधिक नलकूप तैयार किए गए और इससे भी अधिक पुराने कुओं की मरम्मत की गई है।

वातावरण की सफाई के सम्बन्ध में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से काफी उन्नति की गई है और की जा रही है।

गांव में पाखानों का चलन अब भी नहीं हो रहा है। गांव वाले आमतौर पर सुबह-शाम शौचादि के लिए चले जाते हैं। गांधी जी ने और अन्य सामाजिक कार्य-कर्त्ताओं ने कई तरह के सादे पाखानों को गांव में चलाना चाहा। पाखानों से सफाई में मदद मिलती है, गांव वालों को सुविधा होती है और बरबाद होने वाले मैले से खाद का काम लिया जा सकता है। इस दिशा में कोशिश भी की जा रही है, किन्तु विशेष सफलता नहीं मिली है। १९५६ के बाद से कुछ थोड़ी सफलता दिखलाई पड़ने लगी है, किन्तु अभी बहुत आशा नहीं की जा सकती।

जन स्वास्थ्य

रोगों के तात्कालिक उपचार की मांग तो काफी है। योजना ने चलते-फिरते आंख के दवाखानों का प्रबन्ध किया और शुरू से ही बहुत अधिक मरीज इलाज के लिए आने लगे। इसी तरह योजना के दूसरे साल से करीब ५०-६० दवा पेटियां बराबर उपयोग में लाई जा रही हैं, किन्तु अभी वह दिन दूर है जब लोग रोगों की रोकथाम के लिए स्वयं कुछ करने के लिए राजी हो सकेंगे।

योजना के प्रारम्भिक दिनों में यह समझा गया था कि मलेरिया और हैजे की रोकथाम के प्रबन्ध की आवश्यकता है, क्योंकि गांव वाले ऐसी रोकथाम की जरूरत महसूस करते होंगे। किन्तु इटावा क्षेत्र में मलेरिया और हैजे का प्रकोप कम होता है। इसलिए वहां के गांव वालों को उन रोगों की रोकथाम की आवश्यकता बहुत नहीं महसूस हुई। इसलिए योजना वालों ने भी उस काम को आगे नहीं बढ़ाया।

इटावा योजना में दूसरे वर्ष से चेचक का टीका लगाना शुरू किया। गांव वालों ने इसका स्वागत किया। यह लक्ष्य रक्खा गया था कि योजना के तीसरे वर्ष तक सभी को टीके लगा दिए जायंगे। इस काम के लिए ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया। जन-स्वास्थ्य विभाग में इतने आदमी नहीं थे कि वे टीके का पूरा काम संभाल सकते। ग्राम सेवक इस कमी को पूरा करने के लिए तैयार किए गए। इस प्रकार जन-स्वास्थ्य विभाग के साथ योजना वालों के सम्बन्ध बढ़ गए। उसी तरह पशुओं को टीका लगाने के काम में पशुपालन विभाग से भी योजना के सम्बन्ध बढ़ गए। जन-स्वास्थ्य विभाग के पास इतने कम आदमी थे कि यदि कहीं किसी खास क्षेत्र में किसी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

समय चेचक का प्रकोप बढ़ जाता, तो दूसरे क्षेत्र में काम करने वालों को अपने क्षेत्र का काम बन्द कर के इस खास क्षेत्र में लाना पड़ता था । पहले तो जन-स्वास्थ्य विभाग को इस बात में सन्देह था कि ग्राम सेवक टीके का काम ठीक से कर भी सकेंगे । किन्तु उनका काम देखने के बाद जन-स्वास्थ्य विभाग वाले उनकी सहायता से ही बड़े पैमाने पर इस काम को चलाने लगे । चेचक की रोक-थाम के लिए ग्राम सेवक हर वर्ष नियमित रूप से टीके लगाने लगे । गांव वाले पहले पशुओं को लगाये गए टीकों के लाभ को देख चुके थे; इस कारण वे चेचक के टीके खुशी से लगवाने लगे ।

इमारतें

१९४८ के मुकाबले में कोई दर्शक सड़कों, गलियों, कुओं और पानी के निकासी की नालियों में बहुत अधिक सुधार तो देखेगा ही, साथ ही उसे अन्य भौतिक बातों में भी बड़ा परिवर्तन दीख पड़ेगा ।

आज उसे योजना के बहुत से गाँवों में पहले के मुकाबले में बहुत अधिक पक्के घर दीख पड़ेंगे । बहुत से कच्चे मकानों में भी एक दो दीवालें ईंट की दीख पड़ेंगी; जिन्हें मकान मालिकों ने समय और सुविधा के अनुसार तयार किया है । अनेक मकानों में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार वाली बातें भी दीख पड़ेंगी ।

निर्धूम चूल्हे के लिए भी पहले बहुत कोशिश करनी पड़ी थी । किन्तु अब बहुत से मकानों में इन सुधरे हुए चूल्हों का उपयोग होने लगा है । पुराने ढंग के चूल्हों से बहुत धुँआ घर में भर जाता है; जिसके कारण स्त्रियों को कष्ट होता है और उनकी आंखों को हानि पहुंचती है । देश भर में कई तरह के निर्धूम चूल्हे तैयार किए गए थे । किन्तु उनमें ईंधन अधिक लगता था, इस कारण उनका प्रचलन न किया जा सका । महेवा ब्लाक में इसकी बनावट में कुछ ऐसे सुधार किये गए जिनके कारण निर्धूम चूल्हों में अधिक ईंधन की जरूरत न पड़े । इस तरह के १६६ निर्धूम चूल्हे महेवा ब्लाक के ४५ गावों में १९५५ में चालू किये गए । दो साल बाद भी उनमें से ८५ चूल्हे बराबर काम आ रहे थे । चूल्हों का उपयोग करने वाली गृहणियों की राय जान कर उन चूल्हों में कुछ आवश्यक सुधार करने का प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि उनका प्रचार बढ़ाया जा सके ।

दर्शक को गांवों में पहले कही-कहीं पर ही स्कूलों की इमारतें दीख पड़ी होंगी; किन्तु इस समय उसे स्कूलों की अनेक पक्की इमारतें दीख पड़ेंगी । १९४८ में महेवा ब्लाक में १०० गावों में करीब २० स्कूल थे जो मिट्टी के कच्चे मकानों में चलाए जा रहे थे । आज करीब २८ नये स्कूल और मिलेंगे जिनकी इमारतें पक्की हैं, और गांव वालों ने आपसी सहयोग से बनाया है । बहुत से स्थानों में बच्चों के खेलने के लिये गांव वालों के निजी चन्दे और श्रम से अच्छे मैदान बना दिए गए हैं । गांव वालों में नवीन जागृति उत्पन्न हुई है और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी सुधर गई है । इसके फलस्वरूप उनमें माध्यमिक शिक्षा का प्रसार अधिक बढ़ा है । योजना के क्षेत्र में इस समय दो नये हाई स्कूल चल रहे हैं, एक में ११०० विद्यार्थी पढ़ते है और दूसरे में ८०० ।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जिस समय इटावा योजना प्रारम्भ हुई थी, उस समय सौ वर्ग मील वाले पूरे क्षेत्र के लिए केवल एक ही बीज-गोदाम था। कृषि की प्रगति के लिए जिन सामानों और औज़ारों आदि की आवश्यकता होती है, उन सब की पूर्ति का केन्द्र बीज-गोदाम ही होता है। १९५२ तक इस तरह के ७ सहकारी गोदामों की स्थापना का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। इस प्रकार महेवा ब्लाक में हर १५ वर्ग मील के लिए एक गोदाम स्थापित हो गया। किन्तु अब तो इन गोदामों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि किसी भी गांव से उसकी दूरी अधिक से अधिक दो-तीन मील ही है।

पहले योजना क्षेत्र में पंचायतघर या सामुदायिक केन्द्रों का नाम तक न था। किन्तु १९५६ तक बहुत से गांवों में पंचायतघर बनाए गए। इनमें से ८५ केन्द्रों में तो १००-१०० पुस्तकों के भ्रमणशील पुस्तकालय भी चालू कर दिए गए हैं।

भविष्य के लिए पुनर्निर्माण

ऊपर जिन मदों का वर्णन किया गया है उन सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही उससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि गांवों के निर्माण तथा सफाई में बहुत बड़ा परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप में हो गया है। योजना क्षेत्र के आज के गांव अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के सम्बंध में बहुत अधिक सुधार कर सके हैं।

किन्तु योजना क्षेत्र के गांवों में आज भी बिल्कुल नये निर्माण के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य को बड़े पैमाने पर और सघन रूप से चलाने की बहुत आवश्यकता है; पर इसे अग्रगामी योजना का एक अंग मान कर नहीं चलाया जा सकता था। यह आशा है कि भविष्य के लिए सारे गांवों के पुनर्निर्माण का काम १९५६ या ५७ में विकास अंवेषणालय द्वारा द्वितीय प्राथमिकता के रूप में चालू किया जा सकेगा।

ग्राम-उद्योग

भारत के लिए उद्योगों की व्यवस्था बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी के द्वारा अधिक लोगों को काम में लगाया जा सकेगा, ताकि कृषि पर पड़ने वाले बोझ को हल्का किया जा सके। शहरों में जो बड़े-बड़े कल-कारखाने खोले जाते हैं उन पर बहुत अधिक पूंजी लगानी पड़ती है। इन कारखानों के लिए गांवों से श्रमिकों को लाने से अनेक सामाजिक प्रश्न और कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं। शहरी जीवन मंहगा होता है। इसलिए मध्यम श्रेणी के और छोटे उद्योगों को चालू करने पर जोर देना चाहिए, जिनमें अधिक से अधिक श्रम की और कम से कम पूंजी की आवश्यकता हो। इटावा की अग्रगामी योजना में स्थानीय लघु-उद्योगों को प्रोत्साहन देना प्रारम्भ किया गया है।

इटावा में ग्राम उद्योगों के लिए जो प्रयत्न किए गए उनमें अधिक सफलता तो नहीं मिली, किन्तु सहकारी समिति के द्वारा चलाए गए ईंटों के भट्टों का कार्य बहुत सफल रहा। कृषि सम्बंधी औजारों के बनाने वाले उद्योग में भी सफलता मिली।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कृषि-औज़ार-उद्योग

ऊपर इसका वर्णन किया जा चुका है कि इटावा योजना में सुधरे हुए कृषि औज़ारों का उपयोग सर्वप्रिय हो गया। सुधरे हुए औज़ारों की मांग बहुत अधिक बढ़ गई। औज़ारों को चालू रखने ओर उनकी मरम्मत के लिए कारखाना खोला गया। यदि ऐसा न किया जाता तो जिन औजारों का उपयोग होना शुरू हुआ था उनकी मरम्मत न होने से वे बेकार हो जाते। मरम्मत करने और औज़ारों के अतिरिक्त पुर्जों के वितरण के लिए कारखाना खोला गया। इस कारखाने में गांव वाले लोहारों को प्रशिक्षित किया गया ताकि वे सुधरे हुए औज़ारो की ठीक से मरम्मत कर सकें और उन्हें चालू रख सकें।

सुधरे हुए औज़ारों की मांग इतनी अधिक बढ़ गई कि बाहर के कारखाने वाले इसे पूरा न कर सके। कई बार जब अधिकाश किसानों को उचित समय पर औज़ार न मिल सके तो योजना क्षेत्र के दो गांवों में कुछ स्थानीय लुहारों ने छोटे कारखाने खोल लिये। १९५४ तक वे लोग ओल्पेड थ्रेशर (मड़ाई की मशीन) बनाने लगे जिन्हें वे बाहर के कारखाने वालों के मुकाबले में बहुत ही कम दामों में देते थे। १९५५ में महेवा की सहकारी यूनियन ने इन लोहारों और कुछ दूसरे लोहारों के साथ मिलकर अधिक अच्छा कारखाना खोल दिया, उस साल ६० ओल्पेड थ्रेशर और बहुत से पाटे तैयार किए गए।

अब यह बात सोची जा रही है कि इस छोटे उद्योग को कैसे स्थायी रूप दिया जाय। ग्रामीण विकास कार्य के प्रसार के कारण यह तो निश्चित है कि सुधरे हुए औजारों की मांग बराबर बढ़ती ही जायगी। सवाल यह है कि शहर वाले उत्पादकों से इस मांग को पूरा कराया जाय, या गांवों में इन औज़ारों को बनाने का जो काम शुरू किया गया है उसे और अधिक बढ़ाया जाय, ताकि गांव के और अधिक लोगों को काम दिलाया जा सके।

सहकारी ईंट के भट्ठे

विकास कार्यों से ही इटावा योजना में ईंट के भट्ठों का कार्य विकेन्द्रित रूप में चालू किया गया। गाँव वालों में ईंटों के उपयोग की भावना दबी हुई पड़ी थी। वह खुल कर सामने आ गई। ईंटों की बहुत अधिक मांग बढ़ गई। ईंटों के भट्ठों में अनेकों गांव वालों को काम पर लगाया गया। इससे ईंटों के उत्पादन का व्यय बहुत कम हो गया। स्थानीय लोग ही काम पर लगाए जाते थे, और उस से होने वाला लाभ भी उसी क्षेत्र में रह जाता था। इस प्रकार परम्परा से चले आने वाले ईंट-उद्योग को नई दिशा में बढ़ने का अवसर मिला।

धीरे-धीरे ईंट उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया। क्षेत्र में इसका बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ। इससे दूसरे ग्रामीण उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला। श्री ध्यान पाल सिंह उस समय इटावा ज़िले के ज़िला नियोजन अधिकारी थे और बाद में वे उत्तर प्रदेश में सामुदायिक योजना के उप विकास आयुक्त हुए। इस उद्योग को अधिकांश में उन्होंने विकसित किया था। इस सम्बंध में श्री ध्यान पाल सिंह द्वारा लिखित विवरण नीचे दिया जाता है:

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पहले-पहल १९४८ में ईंट का पहला भट्ठा खोला गया था। तब से उत्तर प्रदेश में सहकारी ईंट-भट्ठा उद्योग बहुत अधिक और ठोस रूप में बढ़ा। १९५३ में ५२० सहकारी भट्ठे काम कर रहे थे। जिनमें ४२,००० आदमियों को काम दिया गया था और इससे लगभग एक लाख आदमियों को अप्रत्यक्ष रूप से काम मिलता था। प्रति वर्ष एक अरब ईंट तैयार होती थीं; जिनका मूल्य लगभग २ करोड़ रुपए था। इस व्यापार में करीब १ करोड़ रुपए के पूंजी लगी थी। प्रत्येक भट्ठे से साल भर में ५००० से १०००० तक का फायदा होता है। यह आशा की जाती है कि १९५४-५५ तक भट्ठों की संख्या १००० तक हो जायगी।

इतिहास और वृद्धि

१९४८-४९ में इटावा योजना के अन्तर्गत पहला सहयोगी ईंट भट्ठा खोला गया। जरूरत से मजबूर होकर यह भट्ठा खोला गया था। इसके लिए कोई खास योजना नहीं बनाई गई थी। उन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट के भट्ठे का चलना एक अनहोनी बात थी। महेवा के चारो तरफ १८ मील तक तो कोई भट्ठा न था। यदि बाहर से इटावा में ईंटें ढोकर लाई जातीं तो ईटों की कीमत के बराबर ढुलाई लग जाती, फिर इटावा में एक-दो इमारतें तो बनानी नहीं थीं। हमारे सारे निर्माण कार्यक्रम के लिए ईंटों की जरूरत थी। घरों, बीज-गोदामों, पुलियों, स्कूलों, अस्पतालों, कुओं आदि के बनाने तथा गाँव की गलियों और सड़कों के लिए सस्ती ईंटों की जरूरत थी। इसका स्पष्ट उपाय यही था कि महेवा में ईंट-भट्टा शुरू किया जाय। महेवा में उन्हीं दिनों सहकारी संघ की स्थापना की गई और वादा किया गया कि भट्ठे के लिए कोयले के चूरे का प्रबन्ध हम कर देंगे और इस शर्त पर ईंट भट्ठे के लिए रुपए लगाने के लिए लोगों को राजी किया गया। स्थानीय लोगों को काम भी मिलने लगा।

हमारा मुख्य उद्देश्य था ढुलाई की मद में कमी करना। रेल-स्टेशनों के पास भट्ठे खोलने से कोयले की ढुलाई में किफायत हो सकती थी। अनेक स्थानों में भट्ठे खोलने से ईंट खरीदने वालों को कम भाड़े पर ईंटें मिलने लगेंगी।

इस काम के लिए योजना के कार्यकर्त्ता और गैर-सरकारी अधिकारी दोनों ही नये थे। भट्ठे के लिए पहले जो स्थान निश्चित किया गया था, उसे बदलना पड़ा। रुपए की भी कमी पड़ गई। मजदूरों ने बीच में ही बन्द कर दिया। पानी और बालू उचित तादाद में और समय पर न मिल सकी। लोहे के मिलने में भी कठिनाई पड़ी, और जब भट्ठा बनकर चालू होने के लिए तैयार हुआ तो कोयला न मिला। भगीरथ प्रयत्न करने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से कोयला उधार लिया गया। बरसात शुरू होने के थोड़े ही दिन पहले कोयला मिल सका। ६ लाख ईंटें पाथी गई थीं, उनमें से साढ़े चार या पाँच लाख ईटें ही पकाई जा सकीं। शेष वर्षा के कारण नष्ट हो गई। इसलिए सहकारी संघ को एक हजार रुपए की हानि उठानी पड़ी।

१९४९-५० में भारी वर्षा से इटावा को बहुत हानि उठानी पड़ी। सितम्बर में कई दिन तक लगातार मूसलाधार पानी बरसा। गाँवों में सैकड़ों कच्चे मकान गिर गये। क्षेत्र भर में अनेक लोग संकट-ग्रस्त हो गये। सहायता का काम बड़े पैमाने पर शुरू करना पड़ा। मैंने सोचा कि यदि गिरे हुये मकानों को फिर से बनाने के लिए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सहकारी ईंट-भट्ठों द्वारा सस्ती ईंटें दी जा सकें, तो यह विपत्ति भी वरदान ही सिद्ध होगी। यह सहायता का कार्य स्थायी होगा। इस पर पड़ने वाला खर्च उसी की आमदनी से पूरा होता जायगा और ऐसा काम बढ़ता जायगा। इस विचार से मैंने महेवा के लिए कोयले के २०० वैगन माँगे। मैं समझता था कि मंजूरी १०० वैगन की हो सकेगी और आयंगे केवल ५० वैगन ही, किन्तु उतने से भी तीन ईंट-भट्ठे चालू किये जा सकेंगे। भाग्य से २०० वैगनों की ही मंजूरी हो गई और १२० वैगन माल जल्दी ही आ भी गया। हमने अवसर से लाभ उठाया। ६ ईंट-भट्ठे चालू कर दिये। प्रत्येक भट्ठे को ५,००० रुपए से लेकर ८,००० रुपए तक का लाभ हुआ। बस, इस सफलता ने इस उद्योग के विकास का रास्ता साफ कर दिया। १९५०-५१ में महेवा में १६ ईंट-भट्ठे चालू थे। १९५१-५२ में इनकी संख्या ३२ हो गई और १९५३ में ४३। १९५१-५२ दूसरी योजनाओं के क्षेत्रों में भी एक-एक, दो-दो भट्ठे चालू किये गये। उसके बाद तो उनकी भी संख्या बढ़ गई।

सफलता के कारण

इटावा में जहाँ १९४८-४९ में केवल एक ही सहकारी भट्ठा था, वहाँ १९५३-५४ में ५२० भट्ठे हो गये। इस असाधारण सफलता के कारण स्पष्ट हैं। यह काम आसानी से जल्दी सीखा जा सकता है। इसके लिए बहुत ही मामूली और सस्ते सामानों की जरूरत पड़ती है। इसमें पूंजी के रूप में रुपए उतने अधिक नहीं लगाने पड़ते, पर इसमें बहुत से मजदूरों को काम में लगाने की जरूरत पड़ती है। एक ईंट के भट्ठे के लिए ८० मजदूरों की जरूरत पड़ती है; और केवल १५,००० से २०,००० रुपए तक ही लगाने पड़ते हैं। यानी फी मजदूर के हिसाब से करीब २०० रुपए की लागत लगानी पड़ती है। करीब बीस छोटे सांचे लगते हैं। एक साँचा ५ रुपए से १० रुपए में तैयार होता है। एक जोड़ी चिमनी बनवानी पड़ती है, जिसमें १,००० रुपया लगता है। और भी कुछ छोटे-मोटे औजार लगते हैं। जिन पर कुछ ही सौ रुपए लगाने पड़ते हैं। फसल की कटाई के मौसमों को छोड़कर, भट्टे के काम अधिकतर ऐसे समय पर होते हैं, जब खेती के कामों के लिए अधिक मजदूरी की जरूरत नहीं पड़ती।

इस उद्योग से गांव वालों को उस समय का काम मिलता है, जब खेती के कामों से फुर्सत रहती है। इसलिए यह उद्योग खेती का सहायक उद्योग बन जाता है। ईंट के भट्ठे के लिए मिट्टी, बालू, ईंधन की लकड़ी और पानी की जरूरत पड़ती है, जो उसी स्थान से बहुत सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। केवल पत्थर का कोयला बाहर से मंगवाना पड़ता है। भट्ठे के लिए कोयले के चूरे की जरूरत पड़ती है, जो आसानी से खदानों या रेलों से मिल जाता है। कोयले का चूरा भी बन्द या खुले वैगनों में बरसात के दिनों में भी आ सकता है। इसलिए रेलों के द्वारा कोयले के चूरे के लाने में भी दिक्कत नहीं पड़ती, क्योंकि बरसात के दिनों में गल्ले या गल्ले की ढुलाई का मौसम नहीं रहता।

ईंटों की बिक्री का सम्बन्ध भी खेती के मौसम से जुड़ा रहता है। शरद कालीन बुवाई के बाद दिसम्बर-जनवरी के महीनों में ईंटों की अधिक बिक्री होती है। फरवरी-

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मार्च के महीनों में किसान अनाज के काटने-माड़ने में लगे रहते हैं और बैल भी गाड़ी के लिए खाली नहीं रहते। इस कारण इन महीनों में ईंट की बिक्री धीमी पड़ जाती है। फिर अप्रैल से लेकर बरसात के शुरू होने तक बिक्री में तेजी आती है, क्योंकि किसानों के पास अनाज की बिक्री का रुपया आ जाता है, दूसरे उसे खेती के कामों से कुछ फुर्सत भी मिल जाती है।

यह उद्योग एक सालाना काम है। हर साल बरसात खत्म होने पर ईंटों की पथाई और पकाई का काम नये सिरे से शुरू करना पड़ता है। इसलिए यदि उधार पड़ी रकम किसी साल पूरी तरह से वसूल न हो पाई और पूंजी की कमी पड़ गई, तो एक साल के लिए यह काम रोका जा सकता है, तो भी इससे कोई विशेष हानि की आशंका नहीं रहती। हर मद का एक नमूने का खर्च तय किया जा सकता है और उसी के अनुसार उस काम की मजदूरी निश्चित की जा सकती है। इसलिए निरीक्षण पर पड़ने वाले खर्च में बहुत कमी की जा सकती है, दूसरे ऊपरी खर्च भी बहुत कम होते हैं।

ईंटों के पकाने और तयार करने में कोई हानि की संभावना नहीं रहती। अच्छी किस्म की ईंटों का दर निश्चित कर लिया जाता है। हां, भारी-भरकम और वजनी होने के कारण ईंटों की ढुलाई काफी पड़ती है। और इसलिए पांच मील दूर के भट्ठे वाला दूसरे भट्ठे वाले से बिक्री में मुकाबला नहीं कर सकता। हां, यदि दो भट्ठे एक ही स्थान पर हों तो बात ही दूसरी है। बाहरी भट्ठे वालों से होड़ का भय नहीं रहता। इस उद्योग का विकेन्द्रीकरण भी आसानी से किया जा सकता है। इसमें बहुत अधिक पूंजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए एक गांव से हटा कर दूसरे गांव में आसानी से भट्ठा स्थापित किया जा सकता है। ईंटों की तो अनेक तरह के कामों के लिए मुख्य रूप से जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका बाजार बहुत विस्तृत होता है। और इसमें बहुत से पुरुष, स्त्रियां और बालक काम पर लगाये जा सकते हैं, क्योंकि इसे आसानी से और जल्दी सीखा जा सकता है। काम करने वाले भी चाहे बराबर लगातार काम करते रहें, अथवा वे चाहें तो बीच-बीच में दूसरे काम करने के कुछ दिन बाद फिर इस काम में लग सकते हैं।

सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए ईंटों की जरूरत मुख्य सामग्री के रूप में पड़ती है; चाहे मकान, स्कूल, कारखाने के लिए हो, चाहे सफाई से संबंध रखने वाले कामों के लिए हो। सहकारी ईंट-भट्ठों का उद्योग शुरू होने के पहले, बीज गोदाम कच्ची ईंटों के बनाये जाते थे, जिनकी दीवालें चूहे आदि खोद डालते थे। कच्ची ईंटों की जगह पक्की ईंटों का लगाना असंभव-सा था। और जो सरकारी सहायता इसके लिए ही दी जाती थी, उसका उपयोग नहीं किया जाता था। चूंकि जो सहकारी समिति ईंट-भट्ठे को चलाती है, वही बीज गोदामों का भी प्रबन्ध करती है। इसलिए एक तो ढुलाई में किफायत होती है, दूसरे समिति अपने लाभ के एक अंश को लगातार ही इमारत खड़ी कर लेती है। ईंट-भट्ठे को चलाने वाला सहकारी संघ अक्सर पहले साल नहीं, तो दूसरे साल तो अवश्य ही, अपने बीज गोदामों के लिए पक्के मकान तैयार कर लेता है।

इस प्रकार स्कूलों, सामुदायिक केन्द्रों आदि की इमारतों को पक्की ईंटों से बनाना बहुत सरल और सस्ता हो गया है। इटावा क्षेत्र में केवल एक साल के अन्दर ही १०८ स्कूलों की पक्की इमारतें बन गईं। अनेक स्कूलों के अध्यापकों, विद्यार्थियों और

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अभिभावकों ने अपने खाली समय में खुद ही कच्ची ईंटों को तैयार किया। इस प्रकार ऊपरी खर्च की भी काफी बचत हो गई। सरकार से जो सहायता मिली, उस से कोयले का खर्च पूरा हो गया। इस तरह स्कूल को ईंटें मुफ्त में ही मिल गईं। लोगों का बेकार जाने वाला समय भी सार्थक काम में लगा, लड़कों ने एक लाभदायक काम भी सीख लिया, और उन्हें श्रम के महत्व की भावना का भी बोध हुआ।

सहकारी समितियां और ईंट के भट्ठे

सहकारी समितियों के लिए ईंट के भट्ठे से एक आदर्श काम मिल जाता है, क्योंकि उस से लोगों की एक आवश्यक मांग की पूर्ति ईंटों के द्वारा होती है। कोई भी एक अकेला किसान, उतनी पूंजी लगा कर उस काम को चला नहीं सकता, इसलिए ऐसा काम सहकारी समिति के कार्य की सीमा के भीतर ही आ जाता है। इस उद्योग से सहकारी समितियों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को लाभदायक कार्य मिल जाता है। प्रत्येक भट्ठे से स्थानीय स्थिति और उत्पादन के अनुसार प्रति वर्ष ५,००० रुपए से लेकर १०,००० रुपए तक का लाभ होता है। और इस लाभ को लगा कर स्कूल, बीज गोदाम, अस्पताल आदि अन्य सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण हो सकता है।

ईंट-भट्ठे का काम मुख्य रूप से सहकारी और विकेन्द्रीय रूप में चलाया जा सकता है। सरकार का काम केवल इतना ही है कि वह कोयले का चूरा दिये जाने का पूरा प्रबन्ध कर दे, क्योंकि कोयला कंट्रोल से मिलने वाली चीज़ है। नियोजन और विकास विभागों के द्वारा यह प्रबन्ध होना चाहिए कि खदानों से कोयले का चूरा ठीक समय पर विभिन्न जिलों में आता रहे। जहां सहकारी समितियां नहीं हैं या जहां ईंटों की अधिक मांग है, वहां के माध्यमिक स्कूल खुद अपनी ओर से ईंट-भट्ठे को चलाने लगे हैं। इससे स्कूल को आमदनी हो जाती है। साथ ही कुछ विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए काम भी मिल जाता है।

प्राविधिक पहलू

एक भट्ठे में एक बार में ३ से ६ लाख तक ईंटें पकाई जा सकती हैं। नवम्बर से लेकर मई तक के पूरे दौर में करीब २० लाख ईंटें तयार हो सकती हैं। ईंटों की पथाई के निमित्त एक भट्ठे के लिए करीब ३ से ५ एकड़ वर्ग भूमि की ज़रूरत होती है। आमतौर पर करीब पांच फुट की गहराई तक अच्छी मिट्टी मिल ती जाती है, और इस क्षेत्रफल से करीब तीन साल तक मिट्टी मिल सकती है। मिट्टी अच्छी किस्म की होना जरूरी है, और इसलिए भट्ठे की जगह को ठीक से जांच-समझ कर ही चुनना चाहिए। काम चालू करते समय पहले-पहल करीब ४००-५०० मन ईंधन की लकड़ी की ज़रूरत भी होती है।

एक लाख ईंटों की पकाई के लिए १४ टन से लेकर २० टन तक कोयले की ज़रूरत होती है। शुरू में जब ज़मीन में नमी अधिक रहती है और दिन छोटे होते हैं, तब एक लाख ईंटों के लिए २० टन कोयला लगता है। दूसरे दौर में जब ज़मीन में नमी नाम मात्र को ही रह जाती है, तब एक लाख ईंटों के लिए १६ टन; और तीसरे

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

घान में केवल १४ टन कोयले की ज़रूरत होती है ।

कोयले पर ६ रुपए से लेकर ७ रुपए प्रति हजार के हिसाब से खर्च आता है । जितने अधिक घान पकाये जायेंगे, लागत उतनी ही कम होती जायगी ।

भट्ठा बीस फुट चौड़ा और ८ फुट गहरा होता है । एक घान के लिए करीब साढ़े ६ लाख ईंटों को पका कर ८०० से लेकर १,००० रुपए तक खर्च बैठता है, और ईंटों के दाम १६ से २० रुपया प्रति हजार तक मिलते हैं ।

बरसात में ईंटों का पूरा एक घान भट्ठे में ही दबा पड़ा रहता है । इससे बरसाती पानी से भट्ठे को हानि नहीं पहुंचने पाती । साथ ही ये ईंटें अक्टूबर-नवम्बर में बिक्री के लिए तयार रहती हैं, क्योंकि नये घान की ईंटें दिसम्बर तक ही तयार हो पाती हैं ।

ईंट भट्ठे की अर्थ-व्यवस्था

भट्ठा तभी फायदे पर चलता है, जब उस से कम से कम दस लाख ईंटें तयार हों । इससे जितनी ही अधिक संख्या में ईंटें तयार होंगी, लाभ उतना ही बढ़ता जायगा, क्योंकि ऊपरी खर्च उतना ही कम होता जायगा । आजमगढ़ और इटावा के कई भट्ठों से ३० से ४० लाख तक ईंटें तयार की जाती हैं और इस प्रकार प्रति भट्ठे के हिसाब से २०,००० से २५,००० रुपए तक का लाभ प्राप्त होता है ।

सब से खतरे की बात है, खेती की उपज के दामों में गिरावट । क्योंकि किसानों की आमदनी के कम होने से ईंटों की मांग में कमी आ जाती है, इस से एक बात यह होती है कि मजदूरी की दर कम हो जाती है । मजदूर सस्ते में मिलने लगते हैं और ईंटों की तयारी में जो लागत लगती है उसका दो-तिहाई भाग मजदूरी का होता है । इससे ईंटों पर पड़ने वाली लागत में कमी हो जाती है । दूसरे, ईंटों का काम कुछ दिन के लिए बन्द भी किया जा सकता है अथवा माल तयारी के खर्च का लेखा-जोखा सस्ती मजदूरी के हिसाब से ठीक किया जा सकता है । बची हुई ईंटों को रोक रखने में भी कोई हानि नहीं होती ।

इटावा ने यह दिखा दिया है कि यह उद्योग बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है । और सहकारी ईंट-भट्ठे का उद्योग उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य जिलों के विकास संगठन की मुख्य आधारशिला का रूप ले सकता है ।

ध्यान पाल सिंह

[५४.०]

अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन

इटावा में ईंट-भट्ठे और औजारों के कारखाने इस कारण सफल हुए और बढ़े कि उनकी चीजों की मांग को नवीन रूप में प्रोत्साहन मिला । किन्तु उसी क्षेत्र के चमड़े, कताई-बिनाई आदि के उद्योग धीरे-धीरे कमजोर होते गए, क्योंकि उनकी खपत कम होती गई । बाहर से आने वाली उसी तरह की चीजों को गांव वाले अधिक तादाद में खरीदने लगे ।

इटावा में सघन विकास कार्य के प्रारम्भ होने के पहले, ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने का यही तरीका था कि कारीगरों को घरेलू उद्योगों के लिए सरकारी आर्थिक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सहायता दी जाती थी। किन्तु इससे कारीगरों को कुछ राहत भले ही मिल जाती हो, पर ऐसी चीजें तयार नहीं हो पाती थीं, जो सस्तेपन और अच्छे होने के नाते बाजार में बाहरी चीजों के मुकाबले में टिक सकें। इटावा योजना ने भी इसी पुरानी परिपाटी के अनुसार कुछ काम किया था। किन्तु हमें पता चला कि इसके लिए तो पूरी प्राविधिक जांच पड़ताल और उत्तम आर्थिक संगठन की जरूरत है। मामूली सहायता के बल पर कुछ उद्योगों को किसी तरह केवल जीवित ही रक्खा जा सकेगा। इन प्राचीन उद्योगों में नवजीवन लाने के लिए बहुत ही अधिक सुसंगठित प्रयत्न करना पड़ेगा। और इटावा योजना उस तरह का प्रयत्न कर नहीं सकती। यदि करना चाहे भी, तो उसके खेती में उत्पादन वृद्धि वाले मुख्य उद्देश्य का काम पूरा न हो सकेगा। माननीय मुख्य मंत्री पंत जी को लिखे गए पत्रों में (जो आगे वाले परिच्छेद में दिए गए हैं) इस बात पर जोर दिया गया कि ग्रामोंद्योगों की पूरी जांच-पड़ताल और नवीनीकरण के लिये अलग योजना की स्थापना की जाये, और १९५५ में इस तरह की योजनाएं चालू भी की गई हैं।

सहकारी समितियां

इटावा में ग्राम विकास की योजना बनाते समय यह सोचा गया था कि योजना को बहु-धंधी ग्राम सहकारी समितियों से बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। राज्य का एक सहकारी विभाग ही था और हजारों सहकारी विकास संघ और प्रारम्भिक ग्राम सहकारी समितियां मौजूद थीं। ग्राम सहकारी समितियों को बहुत ही उदार शर्तों पर बहुत अधिक सरकारी रकम कर्ज के रूप में दी जाती थी, इस कारण भविष्य में उनके द्वारा बहुत अधिक काम किया जा सकता था।

किन्तु आमतौर पर इन सहकारी समितियों से कुछ अधिक लाभदायक कार्य नहीं हो सका। खास कर प्रारम्भिक सहकारी समितियां तो बहुत असफल रहीं। प्रारम्भिक सहकारी समिति केवल एक ही गांव में काम करती है। और इस तरह की १० या १५ ग्राम सहकारी समितियों के मेल से एक कोआपरेटिव यूनियन बनाई जाती है। प्रारम्भिक सहकारी समितियों ने तो विशेष कार्य नहीं किया, किन्तु यूनियनों के स्तर पर कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य हो रहे थे।

ग्राम सहकारी समितियां

१९४८ में ६४ गावों में इटावा योजना ने अपना काम शुरू किया था, उनमें से ३५ में प्रारम्भिक सहकारी समितियां मौजूद थीं। किन्तु उनमें से केवल १८ में ही कुछ काम हो रहा था। इसके बाद इटावा योजना के क्षेत्र के हर गांव में एक-एक प्रारम्भिक सहकारी समिति कायम की गई। यह पता चला कि समितियों के उप-नियमों में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वे बहु-धंधी समिति के रूप में काम करेंगी। किन्तु उनका केवल यही काम था कि अपने सदस्यों को ऋण दिला दें। कर्ज दिलाने में भी वे कुछ लाभदायक थीं, किन्तु उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(१) वे अपने सदस्यों को बहुत छोटी रकम ही कर्ज के रूप में दे सकती थीं। कर्ज लेने वाले की माली हैसियत के अनुसार ही कर्ज की रकम तय की जाती थी, जिस से कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता था। इस समय भी नियम है कि किसी व्यक्ति को ४०० रुपए से अधिक धन न दिया जाय।

(२) इन समितियों में बचत बहुत कम होती थी। समिति ने कोई ठोस आर्थिक विकास का काम भी नहीं शुरू किया था।

(३) जिस सरकारी रकम से समिति कर्ज का काम चलाती थी, वह आसानी से मिलती नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक दूर पड़ते थे और उनसे कर्ज की रकम बड़ी-बड़ी अड़चनों के बाद ही मिलती थी। जो रकम मिलती भी थी, उसे थोड़े समय के भीतर ही अदा कर देना पड़ता था।

(४) कर्ज के अलावा समिति द्वारा खेती की उपज की चीजों की बिक्री तथा बाहरी चीजों को गांव वालों के हांथ बेंचने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

(५) समिति केवल एक ही गांव में काम करती थी, उसका काम बहुत छोटा था, इससे अधिक योग्य संचालक नहीं रक्खे जा सकते थे।

(६) गांव वाले इस काम में अधिक दिलचस्पी नहीं लेते थे। हिसाब-किताब भी ठीक से नहीं रक्खा जाता था। असल में गांव वालों को सहयोग से काम करने की उपयोगिता का ही भान नहीं हो पाया था।

असल में यह कोई सहकारी आन्दोलन नहीं था। यह तो केवल कागजी संगठन था, जिसे सरकार कायम किए हुए थी। इसका सम्बन्ध ऊपर वाले सरकारी अफसरों के आदेशों मात्र से था। जनता से इसका वैसा कोई घनिष्ठ व्यावहारिक नाता नहीं हो पाया था।

जब हमें इसकी असलियत का पता चला, तो हमने उस पर विचार किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सहकारी समितियों को ठीक से चलाने के लिये अभी योजना के पास न तो उपयुक्त साधन ही हैं, और न कर्मचारी ही। दूसरे, कृषि पर कर्ज़ देना योजना के कार्य-क्षेत्र के बाहर की बात है। हमें विश्वास था कि यदि हम सहकारी समिति के अन्य कार्यों को संगठित कर सके, तो उनसे अधिक सहयोग मिलने लगेगा और उनमें सदस्यों की दिलचस्पी पैदा हो जायगी। शुरू में ही हम ने ग्राम सहकारी समितियों को कृषि की सामग्री के वितरण का उप केन्द्र बनाने का प्रयत्न किया। किन्तु जल्दी ही हमें यह पता चल गया कि अधिकांश गांवों में इस तरह का काम बहुत कम मात्रा में ही होगा और इसलिए उसका अच्छा प्रबन्ध न हो सकेगा।

कोआपरेटिव यूनियन (सहकारी संघ)

दस से पंद्रह गांवों में काम करने वाले सहकारी विकास संघ के द्वारा अधिक अच्छा काम होने की संभावनाएं दीख पड़ीं। ये संघ बड़े होंगे, और उनकी संख्या भी कम होगी। इसलिए यह सोचा गया कि पहले इन्हीं को चालू किया जाय और उनके कार्य क्षेत्र में नये-नये मद जोड़ दिये जायं। ग्राम सहकारी समितियों का काम बाद के लिए छोड़ दिया जाय।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अग्रगामी योजना के कार्यों से सम्बंधित कुछ नये मद सहकारी संघों के कामों में जोड़ दिये गए। वे नये मद ये थे—

(१) सुधरे हुए बीजों का वितरण और बीज गोदामों का निर्माण;

(२) ईंट-भट्ठों का काम और सस्ती दर पर ईंटों की बिक्री;

(३) जिन सुधरे हुए कृषि औज़ारों को प्रदर्शनों द्वारा सर्वप्रिय बना दिया गया है, पर जिन्हें एक किसान अकेला नहीं खरीद सकता, उन्हें किराये पर देना और किराया वसूल करना। जनता इस ज़रूरत को तेज़ी से महसूस करने लगी थी और इसलिए उसकी तात्कालिक मांग की पूर्ति होने लगी। सहकारी संघ का काम अनेक क्षेत्रों में बढ़ गया और इसका व्यवसाय बहुत बढ़ गया। इटावा की योजना में तो इससे सहकारी संघों की बुनियाद बहुत मज़बूत हो गई; वे स्थायी हो गए और इससे ग्रामीण ऋण व्यवस्था को फैलाने में बहुत सहायता मिली। नये-नये योग्य स्थानीय व्यक्ति इन कामों में दिलचस्पी लेने लगे।

अधूरा काम

प्रथम चरण में इटावा में इतना ही काम हो सका। सहकारी संघों में नव-जीवन लाने का आधा काम अभी बाकी है। कुछ योग्य स्थानीय व्यक्ति सहकारी प्रबन्ध को संभालने के लिए आगे आये हैं। किन्तु सारी जनता इस ओर आकृष्ट नहीं की जा सकी है, अधिकांश लोग सहकारी काम को अपना नहीं समझ रहे हैं। सहकारी संघों को तो हम महत्वपूर्ण बना सके हैं, किन्तु छोटी-छोटी ग्रामीण सहकारी समिति-यों को अभी तक सबल नहीं बनाया जा सका है। १९५४ में स्थापित 'प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन इंस्टीच्यूट' अब इस अधूरे काम को नये सिरे से चालू करने वाला है।

महिलाओं की उन्नति के कार्य

अग्रगामी योजना क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति के लिए काम करने की बहुत ज़रूरत है। किन्तु यह काम सबसे कठिन है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले में अधिक पिछड़ी हुई हैं, इस कारण उनकी उन्नति के लिए प्रयत्न करना सब से अधिक आवश्यक है। स्त्रियां आमतौर पर सभाओं में आती ही नहीं। स्थानीय रूढ़ियों के कारण महिलाएं योजना के पुरुष कार्यकर्ताओं से मिल-जुल भी नहीं सकतीं। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफ़ाई और पौष्टिक भोजन वाले कार्यों में महिलाओं का सहयोग और प्रोत्साहन सब से अधिक आवश्यक है, और यदि महिलाओं से सीधा सम्पर्क स्थापित किया जा सकें, तो पुरुषों में भी होने वाले बहुत-से कामों में अधिक सफलता प्राप्त हो सकेगी। बालकों के प्रशिक्षण के काम तो महिलाओं के द्वारा ही सफल बनाये जा सकते हैं।

इटावा योजना द्वारा ग्रामीण महिलाओं के बीच बहुत ही कम काम किया जा सका है। प्रान्तीय महिला कल्याण विभाग के कार्यकर्त्ताओं द्वारा पांच केन्द्रों में महिलाओं से सम्पर्क स्थापित करने का कुछ काम तो किया गया; पर वह बहुत ही कम था। इस दिशा में हमारी असफलता के कुछ खास कारण थे।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश में महिलाओं सम्बंधी सामाजिक स्थिति कुछ ऐसी है कि नीति निर्धारित करने वाले मंत्री-गण और अन्य व्यक्ति आमतौर पर महिलाओं से सम्बंध रखने वाले कार्यक्रमों को निश्चित करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ये लोग महिला कल्याण कार्य के बहुत पक्ष में हैं भी नहीं। गांव वालों के भी कुछ ऐसे ही विचार हैं। उनका विरोध कुछ अधिक उग्र होता है। योजना के पुरुष कार्यकर्त्ता भी अपनी पत्नियों एवं माताओं की शंकाओं के कारण महिला कार्यकर्त्ताओं के साथ मिल कर कार्य करने में और ग्रामीण महिलाओं के बीच जाने में डरते हैं।

ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर की महिला कार्यकर्त्ताओं का मिलना बहुत ही कठिन है। योजना में बिना महिला कार्यकर्त्ताओं के ही काम चलाया जा रहा है।

कुछ-कुछ इसी तरह के कारणों से नियोजन विभाग के निरीक्षक स्तर के अधिकारियों ने महिलाओं से सम्बंध रखने वाले कार्यक्रम को न निश्चित ही किया और न उसका लक्ष्य ही निर्धारित किया। जो भी काम महिलाओं में हुआ, वह अनिश्चित और असम्बद्ध रहा। आगे भी कोई विशेष आशा नहीं दीख पड़ती है।

नई प्रगति के कुछ उदाहरण यहां दिये जाते हैं, किन्तु उनसे प्रगति की निश्चित दिशा का बोध नहीं होता।

(१) वार्षिक किसान मेलों में बहुसंख्यक महिलाएं आती हैं। अनेक स्थानों में, और खास कर बलिया में, महिलाओं ने संगठित रूप से सभाएं कीं और महिलाओं के हितों से सम्बंध रखने वाले प्रस्ताव पास किए।

(२) अनेक योजना क्षेत्रों में दस से पन्द्रह वर्ष की कन्याएं प्रौढ़ पाठशालाओं में आ कर पढ़ती थीं, और पुरुषों की ओर से उनके आने में कोई एतराज़ नहीं किया गया।

(३) कई योजना क्षेत्रों में स्थानीय शिक्षित महिलाओं ने स्त्रियों और बालिकाओं के लिए संगठित प्रौढ़ कक्षाओं में आ कर पढ़ाना शुरू किया। किन्तु वे अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में जा कर पढ़ाने के लिए राज़ी नहीं हुईं।

इन उदाहरणों से जाहिर होता है कि भारत के गांवों का वातावरण बदल रहा है और उसके बदलने में अग्रगामी योजना का भी भाग है। किन्तु उत्तर प्रदेश में महिलाओं में सुसंगठित रूप से काम चालू करने की सुनिश्चित व्यवस्था अभी हुई नहीं; उसे करना ज़रूरी है।

आर्थिक हानि-लाभ का विवरण

अग्रगामी योजना की अनेक भौतिक तथा नैतिक सफलताओं का वर्णन ऊपर किया गया है। उन सफलताओं में से कुछ को रुपए-पैसे या उनके ऊपर पड़ने वाले खर्च के हिसाब से भी जांचा जा सकता है। नीचे एक पत्र दिया जाता है जिसे श्री मायर ने १९५३ में मुख्य मंत्री पंत जी को लिखा था। इटावा योजना पर पड़ने वाले पूरे खर्च के विवरण के रूप में उसे नहीं पेश किया जा रहा है; पर उससे इस बात का पता जरूर चलता है कि सरकार ने योजना पर जो भी खर्च किया है, उसके मुकाबले में जनता को बहुत अधिक आर्थिक लाभ हुआ है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विषय—अग्रगामी तथा विकास योजनाओं द्वारा होने वाला सीधा आर्थिक लाभ : इटावा में सफलता।

प्रिय मुख्य मंत्री पंत जी,

मैं अभी इटावा से लौटा हूँ। भारत से जाने के पहले मेरा अंतिम दौरा था। मैं वहां की कुछ समस्याओं का फिर से विश्लेषण करना चाहता हूँ।

वहाँ पर मैंने अंतिम कुछ वर्षों में होने वाली उपज की वृद्धि के आकड़ों को जांचा। उपज में काफी वृद्धि हुई है, जिसे आप भी जानना चाहेंगे। मैं दो ब्लाकों के क्षेत्रों को तीन फसलों की उपज के बढ़े हुए मूल्यों का विवरण यहाँ दे रहा हूं।

(१) **१९५१–५२ में**—करीब-करीब पूरे क्षेत्र में अब शुद्ध गेहूँ पंजाब नं० ५९१ ही बोया जाता है; और सभी किसान हरी खाद देने लगे हैं। स्थानीय किस्मों के मुकाबले में केवल गेहूँ और आलू की बढ़ी हुई पैदावार के दाम (बाजार भाव के अनुसार) नीचे दिये जाते हैं :

गेहूँ—१०,६०,९०० रुपए
आलू— २,७२,८८० रुपए
कुल—१३,३३,७८० रुपए

(२) **१९५२-५३ में**—अभी-अभी जाड़े की फसल की कटाई समाप्त हुई है। उपज पिछले वर्ष से भी अधिक हुई है। किन्तु वर्षा इस साल बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए उपज में होने वाली वृद्धि वर्षा के कारण भी हो सकती है। अब स्थानीय किस्म के बीज बोये ही नहीं जाते, जिनसे मुकाबला किया जा सके। इन कारणों से मैं उपज की वृद्धि उतनी ही माने लेता हूँ जितनी वह पिछले साल थी।

हाँ, इस वर्ष सुधरे हुए बीज मटर नं० १६३ का उपयोग काफी किया गया और उससे बहुत लाभ हुआ। १९५१-५२ में प्रदर्शन के रूप में यह बीज बोया गया था। फल बहुत संतोषजनक मिला। प्रदर्शन वाले खेतों की उपज से १६,००० रुपए का लाभ हुआ। जौ और चने की फसल में भी कुछ वृद्धि हुई थी, पर उसे मैंने लेखे में नहीं दिखाया है।

उस वर्ष मटर नं० १६३ के बीज की तादाद में काफी वृद्धि हुई और १९५२ में २,००० एकड़ भूमि पर यही सुधरा हुआ बीज बोया गया। इससे फी एकड़ १० मन अधिक उपज हुई (कुल वृद्धि २०,००० मन हुई) और चूंकि मटर के दाने बहुत बढ़िया निकले, इस कारण जहाँ पिछले वर्ष स्थानीय मटर का सवा-तीन सेर का भाव था, वहाँ सवा-दो सेर के भाव पर यह बिका। दोनों बातों का फल :

१७ रुपया मन के हिसाब से २००० एकड़ भूमि पर १० मन फी एकड़ बढ़ी हुई उपज	३,४०,००० रुपए
बाजार भाव का अन्तर—२० मन फी एकड़ के हिसाब से २००० एकड़ का ५ रुपया	२,००,००० रुपए
फी मन मटर का बढ़ा हुआ दाम	५,४०,००० रुपए

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

इस प्रकार १९५२--५३ में गेहूँ, आलू और मटर से निम्नलिखित बढ़ी हुई आय हुई :

गेहूँ, आलू (उपरोक्तानुसार)	१३,३३,७८० रुपए
मटर (२,००० एकड़)........	५,४०,००० रुपए
कुल	१८,७३,७८० रुपए

(३) **शुद्ध बीज का प्रचार**—शुरू में कृषि विभाग की सहायता से हमने सुधरे हुए बीजों का प्रचार किया। उसका इतना अच्छा फल हुआ कि बाद में हमें गेहूं और मटर का इतना अधिक शुद्ध बीज मिलने लगा कि हम इटावा के पूरे जिले को और कुछ दूसरे जिलों को भी शुद्ध बीज देने लगे।

(४) **१९५३-५४ की भविष्यवाणी**—मैं यहाँ केवल गेहूँ, जौ और आलू की फसल के बारे में ही विवरण दे रहा हूँ।

इस साल (१९५२-५३) हमने दो नये किस्म के गेहूँ के बीज पंजाब नं० ७१० और ७२० का प्रदर्शनात्मक उपयोग शुरू किया है। उम्मीद है कि उपज में पंजाब नं० ५९१ से भी अधिक वृद्धि होगी। इससे यह भी पता चलता है कि हम अपने काम में निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होने की चेष्टा कर रहे हैं और हमारी प्रगति रुकी नहीं है।

हमने जब काम शुरू किया था तब स्थानीय बीज बोया जाता था। जो आगे की उपज का लेखा दिया जा रहा है, वह उसी स्थानीय बीज की उपज के मुकाबले में सुधरे हुए बीजों के कारण होने वाली वृद्धि का विवरण है।

इस समय हमारे क्षेत्र के २३६ गांवों की ११,००० एकड़ से कुछ अधिक भूमि में मटर बोया जाता है। उस सब के लिए हमारे पास मटर के सुधरे हुए बीज का भंडार है।

यदि यह माना जाय कि १० मन फी एकड़ के बजाय केवल ८ मन फी एकड़ अधिक उपज होगी, तो :

८ मन (फी एकड़ बढ़ी हुई उपज) ×
१०,००० एकड़ × १७ रुपए मन..... १३,६०,००० रुपए

बाजार भाव का अन्तर—२० मन ×
१०,००० एकड़ × ५ रुपए मन....... १०,००,००० रुपए

मटर की उपज से ११५३–५४ में लाभ में वृद्धि का आशा ... २३,६०,००० रुपए

यह मान लिया जाय कि गेहूँ और आलू से प्रति वर्ष जो अधिक लाभ होगा वह १३,३४,००० रुपए होगा (और इतना ही बराबर होता रहेगा), तो भी सब मिलाकर १९५३-५४ में करीब ३५ लाख रुपए का अधिक लाभ होगा। (यह हिसाब वर्तमान बाजार दर से लगाया गया है और यह माना गया है कि इस वर्ष सूखा नहीं पड़ेगा)।

(५) **खाद्यान्न की उपज में वृद्धि (टन की तौल में)**—नीचे कुछ नतीजे निकाले गये हैं। उनके लिए उपज में जो वृद्धि हुई है, उसे रुपयों के मूल्य में दिखाया गया

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है। किन्तु वृद्धि का अधिक महत्व तो अनाज की तौल को देख कर समझा जा सकता है।

१९५२-५३ में गेहूँ की उपज में २,००० टन और मटर की उपज में ६०० टन की अधिक वृद्धि हुई। यह आशा की जाती है कि १९५३-५४ में गेहूँ की उपज में २,००० टन की और मटर की उपज में ३,००० टन की वृद्धि होगी।

(६) **कुछ नतीजे**—मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि सरकार ने जो धन खर्च किया, जो लागत लगाई, उसका क्या मुआवजा मिला। यह पहले भी कहा गया है और अब तो स्पष्ट हो ही रहा है कि सरकार ने ग्रामीण सघन विकास पर जो भी खर्च किया है, उसका प्रतिफल प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के रूप में बराबर मिलता जा रहा है। इस प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से गांव वालों में जो सुधार हो रहे हैं और जिनके कारण नये निर्माण की जो बुनियाद पक्की हो रही है, उसे भी शामिल कर लेना चाहिए। सरकार हर साल जितना खर्च कर रही है, उसके मुकाबले में हर साल किसानों को कई गुना अधिक प्रतिफल मिल रहा है। १९५२-५३ में यह परिणाम करीब ६ गुने था। १९५३-५४ में यह आशा की जाती है कि यह उससे १२ गुने तक अधिक होगा।[४]

मेरा विश्वास है कि सरकारी खर्च की कसौटी यही होना चाहिए कि उस खर्च के अनुपात में कितना प्रभाव पड़ा। किस काम के खर्च पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इस नीति का निर्णय इस बात से होना चाहिए कि उससे जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। यह न हो कि सरकारी खर्च की रकम कम से कम कर दी जाय, चाहे उससे जनता को कुछ भी लाभ न पहुंचे। यह उचित नहीं है कि सरकारी रकम कम से कम खर्च की जाय, जबकि उससे थोड़ा अधिक खर्च करने से जनता को बहुत अधिक लाभ पहुंचने की संभावना हो।

भवदीय

एलबर्ट मायर

[५३.६]

सरकार द्वारा ग्रामीण विकास पर किये जाने वाले खर्च के अनुपात में आर्थिक लाभ बहुत अधिक होता है। फिर भी हमारा यह विचार नहीं है कि इस समय जो खर्च किया जा रहा है उसे जारी रख कर अग्रगामी योजनाएं अनन्त काल तक बराबर चलाई ही जाती रहें।

यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा एक अन्तिम उद्देश्य यह भी है कि स्थानीय नेतृत्व का विकास करके सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता को धीरे

---

४ एकाएक अनाज के दाम गिर गए, इसलिये परिणाम १२५३-५४ में खर्च के हिसाब से १२ गुने के बजाय केवल ९ या १० ही रह गया। बाजार भाव के कारण पैदावार में कुछ अन्तर आ सकता है। पर अनेक वर्षों तक सरकारी लागत के हिसाब से यह ६ गुने से लेकर १२ गुने तक रहेगा ही। मुख्य फसलों के अनुसार यह परिणाम है। इसके साथ ही योजना के कारण सघन खेती की प्रथा के चल पड़ने से सामान्य उपज में सुधार हो रहा है। खाद का अधिक उत्तम प्रबन्ध किया जा रहा है, और खेती के तरीकों में सुधार हो रहे हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

धीरे कम करते जाना है। यह सहायता बिल्कुल बन्द नहीं करनी चाहिए, किन्तु उसकी मात्रा या सघनता को कम अवश्य करना है।

यह माना जाता है कि उस तरह की सहायता जो योजना द्वारा दी जाती है, और यह कार्य जिसका एक अंग है, कुछ वर्ष बाद बन्द कर दी जायगी। यह गलत धारणा है। अपनी जनता की इस तरह की सेवा तो सभी उन्नत राज्य करते ही हैं। जिन देशों में विदेशी शासन रहा है और जहाँ पुलिस के बल पर जनता को दबा कर रखने और केवल मालगुजारी वसूल करने की प्रथा रही है, उन नव स्वतंत्र देशों के लिए इस तरह की जन-सेवा जरूर एक नई बात है। शुरू-शुरू में काम ठीक से चालू करने और पिछड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए इस प्रकार की सेवा अधिक सघन होगी। परन्तु इसे किसी न किसी रूप में जारी अवश्य रक्खा जायगा। योजना वाले क्षेत्रों में उत्पादन शक्ति में और उत्पादन परिमाण में अब तक इतनी वृद्धि हुई है कि इस तरह की सेवा को चलाने के लिए वृद्धि में से ही अधिक कर दिये जाने की क्षमता जनता में आ गई है; तो भी जनता पर पड़ने वाले करों में अभी तक कोई इजाफा नहीं किया गया है। [५१.६]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

७ शोध और कार्य

[इटावा योजना की रूपरेखा खासतौर पर इस तरह की बनाई गई थी, जिससे इस बात का पता चलाया जा सके कि उपलब्ध विचारों और साधनों का सघन उपयोग करने पर ग्रामीण विकास किस हद तक किया जा सकता है। ये साधन और विचार उपलब्ध तो थे, पर जनता द्वारा उनका उपयोग नहीं होता था। हमारा उद्देश्य यह भी था कि विकास के ऐसे तरीके निकाले जायं, जिन पर आगे भी अमल किया जाय। इसका मतलब यह था कि विकास के नमूने ऐसे हों जिन्हें एक अविकसित देश अपनी वर्तमान आर्थिक, (कार्यकताओं संबंधी, तथा साधनों वाली) स्थिति में ही बड़े पैमाने पर लागू कर सके। यदि इटावा के नमूने देखने में सुन्दर होते हुए भी इतने खर्चीले या मंहगे पड़ें कि उनका उपयोग बड़े मैमाने पर न किया जा सके, तो अग्रगामी योजना के असली उद्देश्य की सिद्धि न हो सकेगी।

[इटावा की विचारधारा में जान-बूझ कर निश्चित रूप से ये सब प्रतिबन्ध रक्खे गए थे। इसलिए इनमें कुछ खामियों का होना जरूरी था। उनमें कुछ का जिक्र पिछले अध्याय में किया ही गया है। बात यह भी है कि क्षेत्रीय योजना में परीक्षण करना खतरनाक होता ही है: एक तो जनता आर्थिक हानि को सहन नहीं कर सकती; दूसरे, योजना के कार्य में असफल होने पर जनता में जो अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है, उसे योजना भी बरदाश्त नहीं कर सकती। वैसे तो प्लानिंग रिसर्च

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

एण्ड एक्शन इंस्टीच्यूट (विकास अन्वेषणालय) की स्थापना का विचार १९४६ में ही उठा था, किन्तु उस समय उसे कार्यान्वित नहीं किया गया। बहुत दिन बाद १९५३ में यह समझा गया कि उसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्री श्री पंत जी के सामने प्रस्ताव रक्खा जाना उपयुक्त होगा। अनेक अन्य कारणों से उस समय वैसा करना ठीक समझा गया। ठीक से समझे हुए विचारों और व्यवहारों वाली हमारी पूंजी समाप्त हो रही थी। नये विचारों की खोज निकालना या विकसित करना जरूरी हो उठा था।

[भविष्य के लिए यह भी जरूरी था कि कोई ऐसी नियमित पद्धति निकाली जाय जिसके द्वारा शोध कर निकाले हुए नये तरीके कार्य करने वालों तक पहुँचाए जा सकें। अक्सर ऐसा होता है कि शोध करने वालों को कुछ ऐसी नई बातों का पता रहता है, जिनके बारे में विकास कार्य को व्यावहारिक रूप में चलने वाले या तो जानते ही नहीं अथवा उन बातों की वे उपेक्षा करते रहते हैं। यह भी हो सकता है कि शोध करने वाले लोग व्यावहारिक दृष्टिकोण को या उसकी आवश्यकता को न समझ सके हों। । मोटे तौर पर यही स्थिति थी जब इटावा में यह कार्य प्रारम्भ किया गया।

[ग्रामीण विकास कार्य के संबंध में खास इटावा योजना के बाद, जो सबसे महत्व-पूर्ण अग्रगामी योजना सामने लाई गई, वह है 'प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन इंस्टीच्यूट' की स्थापना का निश्चय। अभी इस इंस्टीच्यूट को काम करते हुए दो वर्ष भी नहीं हो पाये थे कि इसके कार्य के विस्तार की माँग बढ़ गई। और इसके लिए शुरू में जितने कार्यकर्त्ता रक्खे गये थे और जो साधन प्रस्तुत किये गये थे, उनसे बढ़ा हुआ काम हो नहीं पाता था। १९५६ में सामुदायिक विकास प्रशासन ने भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अन्य बड़े राज्यों के लिए उसी तरह के कार्य तथा शोध के संयुक्त संस्थान की स्थापना की सिफ़ारिश की।[1]]

शोध के लिए संगठन

[१९५३ के मार्च और अप्रैल के महीनों में मुख्य मंत्री श्री पंत जी को कई पत्र भेजे गये थे, जिनमें इंस्टिच्यूट के संगठन, कार्य तथा सम्बन्धों की रूप-रेखा प्रस्तुत की गई थी। एक वर्ष तक उस पर विचार चलता रहा। राकफेलर फाउन्डेशन पर इस तरह के कार्यशोध की संभावना का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने उसकी स्थापना के लिए धनराशि ही दे दी। उत्तर प्रदेशीय सरकार के चीफ सेक्रेटरी श्री ए० एन० झा ने १० मई १९५४ को इंस्टिच्यूट की स्थापना के लिए सरकारी आदेश निकाला। उस आदेश के परिशिष्ट में इंस्टिच्यूट के उद्देश्य, कार्य-क्षेत्र और पद्धति का विवरण दिया गया था। वह यहाँ दिया जाता है :]

---

[1] इंस्टिच्यूट की अपनी निजी समस्याओं से इस बात का पता चल जाता है कि इस तरह के शोध की सुविधाओं के प्रसार की योजनाओं को बहुत समझ-बूझ कर बनाया जाना चाहिए शुरू शुरू में संगठन में कार्य के और योग्य, कर्मठ तथा अनुभवी कार्यकर्त्ताओं को जुटाने में जो कठिनाइयां पड़ती हैं, उसको देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि पहले दौर में इस तरह के इंस्टिच्यूट केवल तीन या चार से अधिक न खोले जायें।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

सेवा में

श्री डायरेक्टर,
रूरल रिसर्च-कम-एक्शन इंस्टिच्यूट,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

मई १०, १९५४

महानुभाव

मुझे यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि तीन वर्ष के लिए रूरल रिसर्च-कम-एक्शन इंस्टिच्यूट की स्थापना तुरन्त की जाय। उसका मुख्यालय लखनऊ में रहेगा। उसका कार्य होगा—

(१) निरीक्षण, अग्रगामी परीक्षण, क्षेत्रीय कार्य के मूल्यांकन द्वारा तथा क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के सफलता असफलता सम्बन्धी अनुभवों के कारणों की जाँच कर के नये विचारों, विधियों और पद्धतियों का अन्वेषण।

(२) व्यावहारिक रूप में उन्हें कार्यान्वित करके राज्य के नियोजित विकास में सहायता पहुँचाना तथा उसकी गति में तीव्रता लाना।

यह इंस्टिच्यूट एक स्वतंत्र संस्था होगी और सीधे मुख्य मंत्री के आधीन रह कर कार्य करेगी। यह इंस्टिच्यूट व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक दोनों रूपों में एक ओर तो क्षेत्रीय नियोजन एवं विकास संगठनों से घनिष्ट सम्बन्ध रक्खेगी और दूसरी ओर वह सचिवालय का अंग भी होगी।

इस इंस्टिच्यूट में वे ही विशेषज्ञ कार्य करेंगे, जिन्हें खास तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त होगा और जो विशेष कुशल एवं अनुभवी होंगे। सरकार के अन्य जो भी विभाग इससे सम्बन्धित होंगे, उन सब के घनिष्ट सहयोग से यह इंस्टिच्यूट नीचे लिखे कार्य करेगा—

(१) क्षेत्र में काम करने वाले विकास विभागों के कामों और नीतियों का तथा जनता से उनके आपस के विभागीय सम्बन्धों का निरीक्षण, विश्लेषण एवं मूल्यांकन इस दृष्टि से करना कि क्या उनके द्वारा अधिक-से-अधिक सफलता मिल रही है? और यह भी निर्णय करना कि उनके इन कार्यों, सम्बन्धों तथा नीतियों में क्या सुधार किये जा सकते हैं और उनको स्थितियों के अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है।

(२) नये विचारों और पद्धतियों का चुने हुए स्थानों पर नियंत्रित वातावरण में परीक्षण करना और यदि वे सफल सिद्ध हों तो उन्हें विस्तृत क्षेत्र में लागू करना।

(३) भारत के अन्य भागों में या संसार के किसी देश में यदि कोई विचार या पद्धति उपयुक्त सिद्ध हुई हो, तो उसका अध्ययन और परीक्षण करना तथा उसे इस राज्य के अनुकूल बनाना।

(४) चालू योजनाओं अथवा व्यक्तिगत कार्यों के फलों का तुलनात्मक मूल्यांकन कर के उनके परिमाण को समझना और उनके सबल तथा निर्बल पक्षों का स्पष्टीकरण करना और यह देखना कि उन पद्धतियों में कैसे विविधता लाई जा सकती है और उनमें सुधार कैसे किये जा सकते हैं।

(५) विशेष ढंग के कार्यकर्त्ताओं के लिए सेमिनारों, अल्पकालीन सम्मेलनों

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

और प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।

(६) प्रकाशित रिपोर्टों, पुस्तिकाओं आदि के द्वारा निरीक्षण, परीक्षण, तथा मूल्यांकन के फलों को जनता के सामने लाना।

(७) जो विषय इंस्टिच्यूट के कार्य-क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हों, उनके ग्रंथों का संग्रह एक पुस्तकालय में करना, ताकि विकास के क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यकर्त्ता उन ग्रंथों से लाभ उठा सकें।

वैसे तो नियोजन तथा विकास का पूरा क्षेत्र ही इंस्टिच्यूट के कार्य के अन्तर्गत आ जाता है। तो भी शुरू-शुरू में इंस्टिच्यूट अपना ध्यान केवल उन्हीं कामों और कार्यक्रमों पर केन्द्रित करेगा, जिनके सघन प्रयत्न के लिए राज्य तथा जनता के द्वारा अधिक मांग की जायगी; जैसे ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण सफाई, समाज शिक्षा आदि।

भवदीय

ए० एन० झा

[५४.६]

परिशिष्ट

[पहले-पहल इंस्टिच्यूट को उन्हीं मामलों को हाथ में लेकर काम शुरू करना चाहिए, जो सामूहिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हों। जहाँ तक सम्भव हो वर्तमान योजना क्षेत्रों में वर्तमान संगठनों की सहायता से ही अग्रगामी परीक्षण किये जायं। क्षेत्रों में कार्य करने वालों के साथ मिल कर ही क्षेत्रीय कार्य का मूल्यांकन किया जाय। इस प्रकार जो भी बातें सामने आयंगी, वे अपने आप कार्य-क्षेत्र में फैल जायंगी। यह माना जाता है कि इस तरह कार्यकर्त्ताओं के साथ घनिष्टता से मिल कर काम करते हुए भी इंस्टिच्यूट अपने कार्य-शोध वाले पहलू और कार्यक्रम को निष्पक्ष ढंग पर कायम रक्खेगा; साथ ही खास कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही सारा कार्य संचालित होगा। इस प्रकार सारे सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रम में रचनात्मक भावना पैदा करने, उसकी गति में तीव्रता लाने और उनके आपसी मेल बैठाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर सकेगा।

[यह इंस्टिच्यूट मुख्य मंत्री के संगठन का ही एक अंग होगा। इसका मुख्य काम होगा यह पता लगाना कि सरकार के विकास विभाग के विभिन्न अंग किस तरह काम कर रहे हैं, उनकी पद्धतियों में किस तरह सुधार किये जा सकते हैं और उनकी प्रगति में तीव्रता कैसे लाई जा सकती है। निरीक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन के अलावा सरकारी विभागों के अध्यक्षों एवं क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं को सहायता पहुँचाने की दृष्टि से इंस्टिच्यूट कुछ चुने हुए क्षेत्रों में अग्रगामी परीक्षण भी करेगा। विभागीय अधिकारी नये विचारों और पद्धतियों को जानने के लिए परीक्षण करना चाहते हैं। पर उनके पास न तो पर्याप्त साधन और समय ही है, न वे इस तरह का जोखिम उठा ही सकते हैं। इंस्टिच्यूट के सामने ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, इसलिए अपनी खोज द्वारा इंस्टिच्यूट सभी विकास विभागों की सहायता कर सकता है।

[इंस्टिच्यूट के कार्य से अधिक से अधिक लाभ तभी हो सकेगा, जब क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं द्वारा अनुभव की जाने वाली आवश्यकता के आधार पर शोध का क्रम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चलाया जाय और क्षेत्रीय लोगों को उसके नतीजों का पता हो, यानी जब उनमें आपसी सहयोग घनिष्ट हो। इसके साथ ही इंस्टिच्यूट के कार्यकर्त्ता अन्य क्षेत्रीय विभागों से पूरी तरह स्वतंत्र रहें; उनके अंग बन कर काम न करें।

[यदि इंस्टिच्यूट का काम महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ तो यह विभाग काफी बढ़ेगा। वैसे तो इसे एक छोटे किन्तु सुसंगठित, शक्तिशाली निर्देशक विभाग के रूप में ही काम करना होगा। पर जैसे-जैसे जरूरत पड़ती जायगी, वैसे ही वैसे उन सब आवश्यक कामों की ओर तुरन्त ध्यान दिया जायगा। किन्तु उसके अध्ययन तथा शोध कार्य में बाधा नहीं पड़ना चाहिए। जो व्यक्ति उसे संचालित करने के लिए चुना जायगा, उसकी योग्यता पर ही इस विभाग की सफलता बहुत कुछ निर्भर होगी।

[यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि इंस्टिच्यूट और क्षेत्र में काम करने वाले दूसरे सभी लोग एक बड़े विभाग के ही अंग हैं, और उन्हें आपस में घनिष्ट सहयोग कायम रखना चाहिए। यह तो निश्चित है कि इस तरह के इंस्टिच्यूट की आवश्यकता है। किन्तु यह संस्था तभी सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी, जब यह इंस्टिच्यूट और क्षेत्र में काम करने वाले एक दूसरे से स्वतंत्र रहें। पर साथ ही वे एक दूसरे से घनिष्ट सम्बंध बनाये रक्खें, एक दूसरे का सम्मान करते रहें और एक दूसरे के दृष्टिकोण और निर्णयों को अपनाने के लिए सहर्ष तैयार रहें।]

आवश्यक कार्यकर्त्ता और उनके कार्य

मुख्य मंत्री को भेजे गये अनेक पत्रों में श्री मायर ने इंस्टिच्यूट में काम करने वालों और उनकी योजनाओं के उदाहरण दिये हैं।

(१) **युवक दल विशेषज्ञ**—अमेरिका के फोर-एच० क्लब के कार्य या उसी तरह के डेन्मार्क के जनता हाई स्कूल के नमूने के युवक दलों के कार्य के लिए।

(२) **महिला मंगल कार्यकर्त्ता**—एक 'पारिवारिक अर्थ-शास्त्री' जो क्षेत्रीय संगठन कार्य में कुशल हो। यह निश्चित बात है कि महिलाओं पर ही कार्य की स्थिरता और प्रगति निर्भर है। इस दिशा में विशेष सफलता नहीं मिली है। इसका कारण है इस तरह के संगठन की ढिलाई। महिलाओं और पुरुषों के बीच अलग-अलग काम होने के बजाय कुटुम्ब में सम्मिलित रूप में काम होना आवश्यक है। बालिकाओं (युवतियों) के दलों का भी संगठन होना चाहिए। कुटुम्ब सब से सबल इकाई है। पर स्त्रियों और पुरुषों में अलग-अलग प्रसार कार्य किया जाता है, जो एक पहेली है।

(३) **कोआपरेटिव विशेषज्ञ**—यह माना जाता है कि यदि सहकारी समितियों को सबल रूप देना है, तो जनता में सहयोग की भावना भरना होगा और उसके लिए स्थानीय नेतृत्व तैयार करना होगा। इनमें से एक भी काम नहीं हो सका है। इस विषय में जांच-पड़ताल करने, संगठन और कार्य संचालन के लिए डेन्मार्क, कनाडा या इजराइल से सफल कोआपरेटिव नेता लाना होगा।

औद्योगिक कोआपरेटिव एक खास उदाहरण है। यदि उसके लिए प्राविधिक सलाह दी जा सके, तो बाद में सुदृढ़ संगठन का आयोजन किया जा सकता है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(४) **ग्रामीण जीवन विश्लेषक**—इस क्षेत्र का प्रतिभाशाली कार्यकर्त्ता ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है, जैसे स्थायी आधार पर स्थानीय नेतृत्व के विकास में गति लाना और स्थानीय कार्य को ग्रामीण जीवन की विचारधारा और आत्म-निर्भरता के ताने-बाने में गूंथना।

पंचायतों द्वारा स्थानीय नेतृत्व को अंकुरित किया जा सकता है और कार्य को अधिक सफल बनाया जा सकता है। अभी तक पंचायतों में वैसा जीवन नहीं है, वे धीरे-धीरे विकसित हो रही हैं। स्थानीय बातों की जांच-पड़ताल के बाद काफी प्रगति लाई जा सकती है। स्थानीय अगुआई के विकास के लिए वहां के सदस्यों की योग्यता और उनके पथ-प्रदर्शन की आवश्यकता है, चाहे पंचायत हो या कोआपरेटिव हो या अन्य संस्था।

सामूहिक श्रमदान की भावना एक बहुत ही ऊंची भावना है। उससे सुव्यवस्थित रूप से सफलता प्राप्त होती है; किन्तु बहुमुखी प्रयत्नों का वह एक ही पहलू है। ग्राम जीवन विश्लेषक को उस भावना के समय तथा सीमाओं का अन्वेषण सहानुभूति के साथ करना चाहिए, ताकि उस भावना के अनुसार बार-बार काम कराने से अधिक से अधिक लाभ हो सके और साथ ही उस भावना में वृद्धि हो।

विश्लेषक ही महिला मंगल, युवकदल, कोआपरेटिव आदि विभागों में काम करने वालों को सलाह भी देता रहेगा, ताकि उनके विभागों में अधिक अच्छी तरह काम हो सके।[२]

(५) **सार्वजनिक स्वास्थ्य और वातावरण की सफाई सम्बंधी कार्यकर्त्ता**—इस विषय में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। गांव वाले इस सम्बन्ध में काफी विचार अपना चुके हैं। यदि स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों की जानकारी कराई जाती रहे और सरल उपायों से काम लिया जाय, तो इस दिशा में बहुत तेज़ी से प्रगति की जा सकती है।

यदि इस विभाग का कार्यकर्त्ता, महिला मंगल योजना के कार्यकर्त्ता और जीवन विश्लेषक के साथ मिल कर कार्य करे, तो गांवों में स्वच्छ पाखानों का कार्यक्रम काफी सफल हो सकता है। वैसे अभी तक गांव वाले सुधरे हुए पाखानों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, न वे इसकी जरूरत ही महसूस कर सके हैं। कम्पोस्ट के गड्ढों के लिए भी इसी तरह का मिला-जुला प्रयत्न सफल हो सकता है। इस दिशा में कुछ काम तो हुआ है, पर उतना नहीं जितना होना चाहिए। इस काम की सफलता के लिए महिलाओं और बालकों को भी कार्यक्रम में सम्मिलित करना होगा, क्योंकि अधिकांश वे ही इस तरह का काम करते हैं; पर कार्यकर्त्ताओं ने सम्मिलित रूप से इस ओर अधिक प्रयत्न नहीं किया है। यह काम वैसे मामूली और छोटा माना जाता है, पर उसे पूरी तरह से और स्थायी ढंग पर सफल बनाने के लिए प्रयत्न करना जरूरी है।

ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य और वातावरण की सफाई के कार्य को फिर से सरल आर्थिक आधार पर निश्चित करना है और उसे पूरा करना है। इसका एक

---

[२]इटावा में इस तरह का काम शुरू किया गया था। पर १९४९ के बाद कोई योग्य ग्राम जीवन विश्लेषक न मिल सका।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

प्राविधिक रूप तो होगा ही, पर यह विधि सरल एवं कम खर्चीली होनी चाहिए। इसे सफल बनाना एक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य है।

(६) **सांख्यिक**—इंस्टिच्यूट में एक ग्रामीण सांख्यिक अर्थशास्त्री की भी आवश्यकता है, जो विश्लेषक के साथ मिल कर काम करेगा। साथ ही वह योजना के हर अंग के निरीक्षकों को प्रशिक्षित करेगा, उनका निरीक्षण करेगा और उनके कार्यों और उसकी प्रगति की जांच भी करता रहेगा।

खोज के लिए अन्य समस्याएँ

[कृषि, ग्रामीण उद्योग तथा सहकारिता की समस्याओं की जांच-पड़ताल के अलावा अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिनके हल की आवश्यकता है। इनमें से अनेक समस्याओं का सम्बन्ध सामुदायिक विकास योजनाओं से विशेष रूप से है।]

(१) **कार्य शक्ति का निर्णय**—कार्य के परिणाम के निर्णय का प्रश्न विशेष महत्व का है। यह तय करना जरूरी है कि कौन कार्यकर्त्ता कितना काम कर सकता है? उदाहरण के लिए, क्या ग्राम सेवक के पास जितना काम का भार है, उसे वह ठीक से संभाल सकता है; उसका "बहु-धंधी" कार्यक्रम बहुत अधिक तो नहीं है; अथवा क्या वह उस से भी अधिक काम कर सकता है; जो क्षेत्र ग्राम सेवक को दिया गया है, क्या वह बहुत बड़ा है; या वह उससे भी और बड़े क्षेत्र में ठीक से काम कर सकेगा?

(२) **आर्थिक इकाई**—सरकार कितना खर्च करे जिससे गांव वाले को अधिक-से-अधिक लाभ हो सके? सरकार प्रति इकाई इतना कम खर्च तो नहीं कर रही है कि उससे उचित लाभ होने की संभावना न हो? यह एक अहम सवाल है कि उपज में वृद्धि करने और जनता की खुशहाली बढ़ाने के लिए अधिक-से-अधिक कितना खर्च किया जाय।

जैसे-जैसे काम अधिकाधिक बढ़ता जायगा, जनता में नई बातों की जानकारी आती जायगी और वह अधिक काम करने के लिए तैयार होती जायगी, वैसे-ही-वैसे इन प्रश्नों के उत्तर भी बदलते जायंगे। इस विषय में अभी अनेक मन-गढ़ंत धारणाएं हैं। जरूरत है निष्पक्ष निरीक्षण और सलाह की।

(३) **जिला नियोजन समिति**—जांच का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जिला नियोजन समिति। यह कितने अच्छे या बुरे ढंग पर काम कर रही है? और कैसे इसमें सुधार किया जाय, कैसे इसमें नया जीवन डाला जाये?

(४) **कार्य को चालू हालत में कायम रखना और सुधार या मरम्मत करना**—खासकर कृषि इंजीनियरिंग से सम्बन्धित कार्य। गांवों में काम को चालू हालत में कैसे कायम रक्खा जाय, इसकी बड़ी जरूरत है; ताकि स्थानीय लोग उस काम में प्रशिक्षित हो जायं और गांव वालों को उन्नतिशील यंत्रों की सभी सुविधाएँ प्राप्त होती रहें। इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना है।

खास तौर पर यह जरूरी है कि सार्वजनिक सहयोग से गांवों में जो सड़कें बनाई गई हैं या जो बांध बांधे गए हैं, उन्हें काम लायक बनाये रखने के लिए समय-समय पर उनकी मरम्मत की जाय। यदि यह न किया गया, तो कुछ समय बाद

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

खराब हो जायंगी, और जनता में निराशा की भावना फैल जायंगी। यदि ठीक से मरम्मत न की गई तो सुधरे हुए औजार, पम्प आदि निकम्मे हो जायंगे, उनका स्तेमाल कोई न कर सकेगा। गांव वालों को मरम्मत की जरूरत महसूस करानी चाहिए। स्थानीय लुहार, बढ़ई इन कामों के लिए प्रशिक्षित होने चाहिए; उन्हें इन कामों में रुचि दिलाना होगा।

(५) **दूसरी बातें**—ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में कुछ दूसरी भी बातें हैं जिनके सम्बन्ध में नये विचार और जांच उतने ही आवश्यक हैं। ऐसी सचित्र, मौखिक तथा संगीत-वाद्य वाली वस्तुओं की आवश्यकता है जो ग्रामीण जनता के उपयुक्त हों। अभी तक जो सामग्री है वह उतनी उपयुक्त नहीं है।

यदि यह प्रयत्न सफल हो सका, तो अन्य बातों को भी देखा जांचा जा सकेगा। किन्तु शुरू-शुरू में तो बहुत भारी काम नहीं लादना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर बाहर से सलाहकार बुलाए जा सकते हैं, जो स्थायी कार्यकर्त्ता न होंगे।

इंस्टिच्यूट का कार्य-विवरण

[इंस्टिच्यूट की योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि वह धीरे-धीरे अपना काम बढ़ाये और कर्मचारियों को तैयार करे। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई थी कि वह यथार्थ रूप में काम करते हुए खुद अपना मार्ग बनाये, ठीक-ठीक कार्य-पद्धतियों को निश्चित करे, और अपनी त्रुटियों को खुद ही दूर कर ले। जब १९५४ के मई महीने में इंस्टिच्यूट का काम चालू हुआ, तब उसके उच्च पदाधिकारियों में दो ही अधिकारी थे, यानी संचालक और नियोजन सलाहकार।

[शुरू-शुरू में ये पांच विभाग चालू किए गए थे—(१) युवक विभाग (युवक दल), (२) सहकारी कार्य, (३) ग्रामीण उद्योग, (४) सांख्यिक विभाग, और (५) प्रकाशन विभाग। दूसरे वर्ष के मध्य में दो और विभाग चालू किए गए, पर उनमें उतने कार्यकर्त्ता नहीं थे जितने की व्यवस्था की गई थी: (६) ग्रामीण जीवन विश्लेषक और (७) भूमि संरक्षण विभाग। बचे हुए विभाग, (८) वातावरण की सफाई ओर सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा, की स्थापना १९५५ के अन्तिम भाग में की गई। उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति न होने के कारण प्रत्येक विभाग का मूल्यांकन वाला कार्य जारी नहीं किया जा सका।

[इंस्टिच्यूट के सभी काम पूरी तरह से चालू न किए जा सके। इसके दो कारण थे। सावधानी से विकसित करने की योजना और उपयुक्त अधिकारियों के मिलने में अत्यधिक कठिनाइयां। इंस्टिच्यूट की नीति है कि केवल उन्हीं विभागों का विकास किया जाय जिनके लिए प्रथम श्रेणी में योग्य कार्यकर्त्ता मिल जायं। जगह भरने के लिए ऐरे-गैरे लोगों को न रक्खा जाय। इंस्टिच्यूट तो क्रम से बढ़ रहा है, किन्तु योग्य कार्यकर्त्ताओं के अभाव के कारण सभी विभागों का काम पूरी तरह से चालू किया जा सकेगा, इसमें सन्देह ही है।

इंस्टिच्यूट के विभिन्न विभागों ने जो-जो काम सफलतापूर्वक किये हैं, उनमें काफी अन्तर है। इसके कारण हैं, विकास के लिए सावधानी बरतना, अनुभवी, प्रशिक्षित, कर्मठ अधिकारियों की नियुक्ति और विभिन्न योजनाओं के कार्यों के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अध्ययन के नियमों में भिन्नता। क्षेत्रों में काम करने वाले विभागों में से कुछ ने तो अधिक सहयोग इंस्टिच्यूट के अध्ययन में दिया और उसके निर्णयों को स्वीकार किया, और कुछ विभागों ने बहुत ही कम। इंस्टिच्यूट के अनेक अग्रगामी अध्ययन बहुत सफल रहे और उनके नतीजे बहुत तेजी से फैले। किन्तु इन बातों में भी सदा सावधानी रखनी पड़ेगी।

[कुछ विभाग बहुत आगे वाली बातों के लक्ष्य को सामने रख कर चल रहे हैं। दूसरे विभाग जल्दी-जल्दी अपने काम में सफलता दिखा रहे हैं। उदाहरण के लिए, युवक दल के सम्बंध में परीक्षण करने और उसे सुव्यवस्थित रूप में लाने के लिए बहुत पहले ही काम चालू कर दिया गया, और उनमें अपने आप तेजी आ गई। इस विभाग का मार्ग-दर्शक और उत्प्रेरक कार्य करीब-करीब समाप्त हो गया है, और उस काम के कुछ अंशों को दूसरों के जिम्मे कर दिया जायगा। युवक दल के विषय में विभाग ने एक पुस्तिका निकाली है, जिसकी बहुत अधिक मांग है। यही हाल इस सम्बंध के प्रकाशित अन्य साहित्य का भी है। अब इस विभाग को जिन कामों को जारी रखना है, वे हैं, प्रशिक्षण, परामर्श, प्रकाशन, स्थानीय जांच और मूल्यांकन।
[५५·१५]

[युवक दल की तरह ही इंस्टिच्यूट का भूमि संरक्षण का कार्यक्रम भी बहुत सफल हो रहा है। इसे भाग्यनगर ब्लाक में छोटे पैमाने पर १९५३ में शुरू किया गया था। अब तक वह अन्य तीन जिलों में फैल गया है। जो काम इस सम्बंध में किया गया है, उससे कृषि कार्य में आर्थिक दृष्टि से काफी लाभ होगा। इससे जनता को अपने भाग्य का नियंत्रण करने और प्रकृति पर काबू पाने में काफी मदद मिलेगी।

[इंस्टिच्यूट के पूरे काम का निश्चित मूल्यांकन तो इस समय ठीक से नहीं किया जा सकता। हां, इतना जरूर कहा जा सकता है कि इसकी स्थापना से अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है और उसके काम से काफी लाभ पहुंच रहा है; इंस्टिच्यूट अपने सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक क्षेत्रों में काफी प्रगति प्रदर्शित कर रहा है; उसका आभास नीचे लिखे उदाहरणों से मिल सकता है। ये उदाहरण ग्रामीण उद्योग तथा कोआपरेटिव संगठन के उन क्षेत्रों से दिये जाते हैं, जिन्हें इंस्टिच्यूट ने दीर्घकालीन योजनाओं के रूप में शुरू किया है।]

नमूने की अनुसंधान योजनाएं

ग्रामीण उद्योग

[इटावा योजना के शुरू-शुरू के वर्षों में ग्रामीण उद्योग के विकास में बार-बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। इस कारण उनको दूर करने के उपायों को खोज निकालने का मसला बहुत महत्वपूर्ण हो उठा। इटावा में सहकारी ईंट-भट्ठा उद्योग बहुत सफल रहा। और इसी से यह विचार ज़ोर पकड़ गया कि यदि ठीक से विश्लेषण किया जाय तो अन्य उद्योगों को सफलतापूर्वक चलाने के उपाय निकल सकते हैं। १९५१ से शुरू कर के श्री एलबर्ट मायर ने अनेक बार ग्रामीण उद्योगों के लिए अग्रगामी योजनाओं के सुझाव सामने रक्खे थे। अन्त में १९५४ में पूरी योजना

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्वीकृत हो गई और उसके सम्बंध में कार्य-संचालन की व्यवस्था करने के लिए उसे इंस्टिच्यूट के हवाले किया गया। यह प्रस्ताव नीचे दिया जाता है :]

समस्या

सभी मानते हैं कि गांवों में छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योगों का पक्के आधार पर स्थापित करना बहुत जरूरी है। बहुत अधिक लोगों के पास खेत नहीं हैं। भूमि-हीन मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है। कृषि पद्धतियों में सुधार और उत्पादन में वृद्धि के होने से खेतों पर काम करने वाले और भी बहुत से लोग बेकार हो जायंगे। पूंजी के अभाव के कारण ऐसे बेकार लोग बड़े उद्योगों में भी न खपाये जा सकेंगे। सामाजिक कारणों से यह भी आवश्यक है कि गांव वाले अधिक संख्या में शहरों में जाकर वहाँ की जनसंख्या को न बढ़ाएं। इस समस्या पर बहुत ही तत्परता से ध्यान दिया जा रहा है। उसे हल करने के लिए रुपए भी बहुत अधिक खर्च किये जा रहे हैं। फिर भी कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकल रहा है। यह महसूस किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस मसले पर गहराई से अध्ययन शुरू किया जाय। उससे जो नतीजे निकलें, उन्हीं के अनुसार उद्योग विभाग तथा स्थानीय सहकारी समितियों आदि से पूंजी लगवाई जाय और इसके लिए प्रयत्न कराये जायं।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण उद्योग के दो पहलू हैं, और उन दोनों के हल खोजने की जरूरत है। एक को वर्तमान पक्ष कह सकते हैं और दूसरे को भावी।

(१) **वर्तमान पक्ष**—यह वह पक्ष है जिसकी व्यवस्था उद्योग विभाग करता है। प्रदेश भर में ऐसे अनेक कुटीर उद्योग फैले हुए हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। उद्योग विभाग को इन्हीं को सहायता देनी चाहिए। जनतांत्रिक सरकार किसी भी वर्तमान उद्योग को सहायता देने से इंकार नहीं कर सकती।

इसलिए यही किया जा रहा है। उद्योग विभाग के सामने सभी तरह के कुटीर उद्योगों को अपनाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। उद्योग विभाग उन्हें सुरक्षित रखता है, उनमें सुधार करता है। भरसक उनकी आय को बढ़ाता और उन्हें सफल बनाता है। किन्तु कुछ आंतरिक कारणों से वह अधिक कर नहीं पाता।

उद्योग विभाग का मुख्य काम है पुराने कुटीर उद्योग में काम करने वालों की संख्या को कम होने से रोकना। इसलिए जहां भी जो कुटीर उद्योग जीवित बचा हो, वहाँ उन्हें सहायता पहुंचाना और उनमें काम करने वालों को वह काम छोड़ कर खेती पर लदने से बचाना; और यदि संभव हो तो ऐसे कामों में लगने वालों की संख्या बढ़ाना। अग्रगामी योजना का मुख्य काम है सघनतर कार्य करना।

(२) **अग्रगामी पहलू**—शुरू में किसी एक क्षेत्र में किसी एक या अनेक उद्योगों के सम्बंध में कच्चे माल से लेकर उसके उत्पादन की बिक्री के बारे में जांच-पड़ताल करके विकसित करना। उद्योग ऐसा हो जिसमें खेतों से हटा कर अधिक से अधिक गांव वाले काम में लगाए जा सकें। इसकी सफलता से पहलू के अन्य कार्यों में भी लाभ होगा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अग्रगामी कार्य के लिए उद्योग का चुनाव

उद्योग ऐसा होना चाहिए जो बिना सहायता के ही अन्य उद्योगों के मुकाबले में सफल हो सके। यह मान लेना चाहिए कि पहले दो या तीन साल तक उसमें लगी पूंजी नष्ट होगी। किन्तु उद्देश्य यही रहे कि तुलनात्मक रूप में उससे एक पुख्ता आर्थिक ढांचा खड़ा हो जाए जैसा स्विटजरलैण्ड, जापान और कुछ अंशों में फ्रांस में होता है।

अग्रगामी ग्रामीण उद्योग के महत्वपूर्ण अंग होने चाहिए

(अ) तुलनात्मक रूप में प्रति इकाई कम पूंजी लगने पर भी अधिक मजदूर लगाए जा सकें और उसके लिए आवश्यक सामग्री आसानी से तत्काल मिल सके।

(ब) उसके लिए कम क्षेत्र आवश्यक हो, उसके उत्पादन की वस्तुओं की संख्या परिमित हो, ताकि प्रबन्ध करने वालों और विशेषज्ञों (प्राविधिकों) की संख्या कम रहे। यदि प्राविधिक ऊंचे दर्जे के रखने हों, तो कम संख्या में होने के कारण उनको काम के अनुसार अच्छी तनख्वाह दी जा सके।

(स) यदि कुशल मज़दूरों को रखना ज़रूरी हो, तो काम ऐसा हो कि कुशल मज़दूर आसानी से प्रशिक्षित किये जा सकें और यह काम प्रचलित परिपाटी या रीति-रिवाज के ख़िलाफ़ न पड़े। यदि कोई काम ऐसा हो जिसके लिए वहाँ की आम जनता में हिचक हो, तो निकट में ऐसे क्षेत्र हों, जहां की जनता में इस तरह का अंधविश्वास न हो।

(ड) उसमें लगने वाला कच्चा माल या तो आस पास में ही मिल जाय, या यदि दूर से लाना पड़े, तो जो ढुलाई पड़े वह कुल लागत के मुकाबले में बहुत ही कम हो।

(इ) कुटीर उद्योग के रूप में उसके प्रसार की सुविधा हो अथवा उसका विकास किसी खास स्थान पर केन्द्रित हो सके।

योजना का ढांचा

योजना की रूपरेखा और मुख्य तत्व निम्नलिखित होंगें :—

(अ) उस क्षेत्र में और उत्पादकों के हाथों में खास तरह का माल निश्चित रूप से आता रहे, ताकि उत्पादन अबाध गति से चलता जाय।

(ब) बाजार की मांग और भाव के परिवर्तन के बारे में शोध बराबर चलती रहे, ताकि बाजार की मांग की स्थिति का ठीक पता बना रहे; उत्पादन के कार्य में बराबर सुधार किये जायँ ताकि उद्योग में चलने वाले संघर्ष का सामना किया जा सके, उस उद्योग से निकलने वाले अन्य सामानों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाय।

(स) ऐसी डिजाइन जो प्रतियोगिता में खरी उतर सके।

(ड) तैयार माल का आंकना और निर्धारित करना।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

(इ) यथार्थवादी लेखा-जोखा रखना।
(फ) विक्रय (बाजार में खपत)।
(ग) प्रशिक्षण तथा अनुसरण कार्य।

योजना के दो भाग होंगे :—

(१) **अध्ययन एवं जाँच**—प्रमाणिक सुझाव लेने के पहले काफी अध्ययन करना होगा; जैसा इटावा की अग्रगामी योजना को पेश करने के पहले चार महीने का अध्ययन कार्य किया गया था। किसी उद्योग के अध्ययन में तो अधिक समय और अधिक खर्च की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके कामों के विशेषज्ञ जुटाने पड़ेंगे और उनसे कार्य कराना होगा। चूंकि उद्योग विभाग को ऐसे कामों के अनुभव हैं, और उसके पास साधन और विशेषज्ञ हैं, इसलिए उसकी पूरी सहायता और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो भी इस विषय की जांच-पड़ताल उस विभाग के द्वारा न कराई जायगी। इस काम के लिए तो किसी बहुत ही योग्य अधिकारी की नियुक्ति विशेष रूप से करनी होगी। छः माह के पूर्ण अध्ययन के बाद ही वह निश्चित सुझाव देगा।

उसे इस देश में और विदेशों में घूम-घूम कर घरेलू उद्योग का अध्ययन करना होगा। उसे अधिकार होगा कि इस विषय के विशेषज्ञों की भी आवश्यकतानुसार नियुक्ति कर ले।

(२) **कार्यारंभ**—दूसरे सोपान में उद्योग की स्थापना की जायगी। जिस विशेष अधिकारी ने इस सम्बन्ध में अध्ययन किया है, वही इसका संचालन दो वर्ष तक करता रहे; उसके अनुभव और उत्तरदायित्व को कायम रखने पर ही सफलता प्राप्त हो सकेगी।

यदि उद्योग सफल हुआ तो उसके प्रतिदिन के छोटे-बड़े मदों पर होने वाले खर्च को सरकारी जांच से मुक्त कर दिया जायगा, क्योंकि ऐसी कड़ी सरकारी जांच होते रहने से उद्योग का प्रबन्ध ठीक से न चल सकेगा। हां, पूरी योजना के खर्च की जांच-पड़ताल आवश्यक है। किन्तु माहवारी जांच काम में रुकावट पैदा कर देती है।

विशेष टिप्पणी—एक योजना और एक उद्योग पर सारा ध्यान केन्द्रित करने के सुझाव के यह मतलब नहीं है कि आर्थिक विकास के लिए केवल एक ही उद्योग पर निर्भर किया जाय, क्योंकि वैसा करने से बड़ा खतरा रहता है। इस ओर केवल इसी-लिए ध्यान दिलाया जा रहा है कि पहली अग्रगामी योजना में ठीक से जांच-पड़ताल हो सके और जो कठिनाइयां सामने आयें उनके उपाय निकल आयें, ताकि अन्य उद्योगों के लिए उसी नमूने और ढांचे पर काम हो सके। एक ही उद्योग की जांच-पड़ताल से यह भी सम्भव है कि अन्य उद्योगों के लिए भी रास्ते साफ़ हो जायं।

[इंस्टिच्यूट ने अग्रगामी योजना के लिये चमड़े के उद्योग को चुना। अध्ययन से पता चला कि आर्थिक लाभ की दृष्टि से चमड़े का काम छोटी-छोटी इकाइयों में बांट कर चलाया जा सकता है। यदि ये इकाइयां सफल हुईं, तो बिना बहुत अधिक पूंजी लगाये भी उसी तरह की बहुत अधिक इकाइयाँ चालू की जा सकती हैं। चमड़े के उद्योग से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की मांग भारत और विदेशों में इतनी अधिक है कि वह पूरी नहीं हो रही है। मामूली खर्च पर ही ऐसे प्राविधिक सुधार किये जा सकते हैं, जिनके कारण गांवों में तैयार किया हुआ चमड़ा भी शहरों वाले बड़े कारखानों में तैयार

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चमड़े के मुकाबले बाजारों में भी खप सके। सुधरे हुए ढंग के अनुसार चमड़े का काम करने वाले मजदूरों को भी आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है।

[कारखाना खड़ा करने, सामान मंगाने और उत्पादन और बिक्री का प्रबन्ध करने में समय लगेगा। इस कारण दो वर्ष के पहले आर्थिक फल का तखमीना देना सम्भव नहीं है। हाल में चीनी मिट्टी के सामान, पपेन और चीनी मिट्टी के ग्रामीण उद्योगों के विषय में भी अध्ययन शुरू किया गया है। उन तीनों के बारे में भी वही बात है।]

सहकारिता

[छठे अध्ययन में यह कहा गया था कि इटावा के क्षेत्र में सहकारी समितियों ने कम ही प्रगति की। उसी सिलसिले में यह कहा गया था यदि सहकारी समिति निश्चित रूप से लाभदायक एवं जनता की निजी भावना के अनुकूल बनाना है, तो उसके सम्बन्ध में अधिक गहराई से अध्ययन और जांच की आवश्यकता है। इसलिए शुरू से ही इस विषय को इंस्टीच्यूट ने इसके गहन अध्ययन का लक्ष्य बना लिया।

[सहकारी समिति के वर्तमान कार्य से सम्बंध रखने वाले प्रधान दोषों की विशेष जांच की वृद्धि से चार पृथक-पृथक, किन्तु परस्पर सम्बन्धित, योजनाएँ चालू की गईं।

[(१) **कोआपरेटिव बैंकिंग और बिक्री वाला परस्पर सम्बंधित कार्यक्रम**—इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण सहकारी समितियां तथा बड़ी कोआपरेटिव यूनियनों, दोनों के बहुमुखी उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य रक्खा गया।

[कोआपरेटिव यूनियनों द्वारा ऐसे स्थानीय बैंक की पद्धति का परीक्षण करना है, जिसके जरिये सहकारी समिति के सदस्य कर्ज प्राप्त कर सकें। अभी हर कर्ज के लिए जिला के मुख्यालय से मंजूरी लेनी पड़ती है, जिसमें बहुत समय लगता है और बड़ी कठिनाइयाँ पड़ती हैं। इन्हीं को दूर करना इस विशेष योजना का उद्देश्य है।

[छोटे-छोटे किसानों को सहकारी सेवाएँ मिल सकें, इसके लिए सहकारी खरीद-बिक्री का परीक्षण करना है। अभी किसान को बीज गोदामों से बीज मिलता है और उसे फसल के बाद एक-सवाया वापस करना पड़ता है। पर अपनी उपज की बिक्री के लिए छोटे किसान को गांव के दूकानदार और महाजन का आश्रय लेना पड़ता है। उसके इतनी पूंजी नहीं होती कि फसल के बाद वह अपनी उपज को तुरंत न बेंच कर कुछ दिन रोके रहे ताकि वह अधिक दाम पा सके। उपज को बेंचने और कर्ज देने के कामों द्वारा कोआपरेटिव छोटे किसानों के लिए बैंकिंग के काम की पूरी सेवा कर सकेगी। कोआपरेटिव किसानों को व्यक्तिगत कर्ज भी दे सकेगी, क्यों कि किसानों को अक्सर कर्ज लेना ही पड़ता है।

[(२) **निरीक्षित ऋण**—अभी किसानों को लगान के हिसाब से ही थोड़ा-सा कर्ज दिया जाता है। उससे उनका काम भी नहीं चलता। जमानत की भी कठिनाई पड़ती है।

[रिजर्व बैंक ने अब निरीक्षित ऋण को शुरू करने की योजना बनाई है। इसका हिसाब फसल पर तयार होने वाली उपज से किया जाता है। ऐसे ऋण की अदायगी का हिसाब किसान के खेत के रक्बे से नहीं, फसल की हालत से किया जाता है। खेती के कामों का, और फसल के क्रम आदि का निरीक्षण किया जाता है ताकि किसान की आय इतनी हो सके कि उससे ऋण वसूल हो सके।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

[रिजर्व बैंक इस तरह के ऋण को सफल बनाने के लिए प्रयोग करने में योग देने को उत्सुक था। इसलिए इंस्टिच्यूट ने इस योजना को बैंक के सहयोग से चालू किया।

[सहकारी समिति के बहीखातों के अध्ययन से बहुत-सी बातों का पता चला है। क्षेत्र में काम करने वाली योजना के द्वारा यह सब संभव नहीं था। जिन बातों का पता चला है, उनसे इंस्टीच्यूट की स्थापना की आवश्यकता सिद्ध होती है।

[(३) **औद्योगिक सहयोग**—इंस्टीच्यूट ने ग्रामीण उद्योग के लिए जो कार्य किया, उसके साथ ही मजदूरों की सहकरी समिति बनाने के विषय में भी परीक्षण किये गये। ग्रामीण उद्योग की अग्रगामी योजना के द्वारा ही उत्पादक सहकारी समिति की स्थापना हो सकेगी और यदि संभव हुआ तो उस उद्योग का प्रबंध और स्वामित्व अपने हाथों में ले लेगी। इसी में सहकारी सदस्यों की शिक्षा का कार्य भी सम्मिलित है। प्रशिक्षित होकर ये सदस्य आगे के अपने प्रमुख कार्य-भार को ठिकाने से संभाल सकेंगे।

[(४) **सहकारी सदस्यों की शिक्षा**—सहकारी समिति के सदस्यों को पहले अपने संगठन के कार्यों को देख कर शिक्षित होने का अवसर दिया जाता है; पहले नियन्त्रित वादविवाद द्वारा और उसके बाद कुछ चुने हुए मसलों पर स्थानीय रूपसे कार्य करा कर। पहले-पहले ऐसे छः गांवों में से (जिन में सहकारी समितियाँ बन्द-सी थीं) हरएक में दस-दस गांव वालों का एक दल सामूहिक चर्चा के लिए संगठित किया गया।

[इन चर्चा वाले दलों में अच्छी तरह छपी हुई सामग्री द्वारा यह बताया गया कि सहकारिता में क्या करना चाहिए, कैसे मीटिंगों में शामिल होना चाहिए और प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत रूप से क्या कानूनी जिम्मेदारी है।

[इसके साथ ही युवक दलों द्वारा यह शोध चल रही है कि सहकारिता के प्रशिक्षण और पद्धति में गांव के नौजवानों की कितनी दिलचस्पी है।

[इंस्टीच्यूट की अनेक योजनाओं की तरह ही सहकारी सदस्यों की शिक्षा का कार्यक्रम भी इंस्टीच्यूट और क्षेत्र में कार्य करने वाले विभागों की मिली-जुली कमेटी द्वारा ही चलाया जा रहा है। इस योजना पर जो अन्तरिम रिपोर्ट सहकारिता के विशेषज्ञ श्री एन्ड्रू एफ० ब्रेड और उनके सहयोगियों ने तयार की है, उसे इंस्टीच्यूट के वर्तमान कार्य के नमूने के रूप में नीचे दिया जाता है।

[इंस्टीच्यूट और सहकारिता विभाग के आपसी सम्बंध जैसे घनिष्ठ और सहानुभूतिपूर्ण हैं, उससे यह आशा होती है कि जो योजनाएं चल रही हैं उनसे जो नतीजे निकलेंगे उनके द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में होने वाले सरकारी काम पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा।]

सहकारी सदस्यों की शिक्षा पर चलने वाली योजना पर संक्षिप्त रिपोर्ट

२७ नवम्बर, १९५५

उद्देश्य

सहकारिता आन्दोलन के संचालक यह समझने लगे हैं कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सदस्यों को शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का तो यहां तक

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कहना है कि यदि सदस्यों की शिक्षा का ठीक प्रबंध न किया गया तो सहकारिता आन्दोलन ही खटाई में पड़ जायगा । यह माना जाता है कि सहकारिता के कार्यों में जो कमजोरियाँ सामने आती हैं उनका कारण यही है कि सदस्य सहकारिता की बातों को समझते नहीं और न वे जिम्मेदारी ही महसूस करते हैं । इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए इंस्टीच्यूट ने सदस्यों की शिक्षा का कार्यक्रम चालू किया है । इस योजना के चार अंग होंगे—

(१) शिक्षा देने की अनेक पद्धतियों का व्यावहारिक रूप से जांचना; सदस्यों की योग्यता का पता करना कि वे किस हद तक अपने यहां सहकारी समिति को चलाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं । शिक्षा के लिए पुस्तिकाएं, पोस्टर, फिल्म स्ट्रिप, फ्लैश कार्ड, फ्लैनलग्राफ तैयार करना, ताकि सहकारिता विभाग, कोआपरेटिव यूनियन आदि जो सदस्यों की शिक्षा के लिए प्रयत्न करें, इस तरह की चीज़ों को अधिक संख्या में तैयार कर सकें और उपयोग में ला सकें ।

(२) यह जांचना कि कोआपरेटिव सुपरवाइजर और ग्राम सेवक किस हद तक उस तरह की शिक्षा को चला सकने की योग्यता रखते हैं, जैसी नं० १ अनुच्छेद में बताई गई है ।

(३) कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने वाले केन्द्रों तथा कोआपरेटिव इंस्टिच्यूटों, ग्राम सेवकों आदि के प्रशिक्षण शिविरों के प्रशिक्षण-कार्यक्रम के रूप में शिक्षा की नई रीति को प्रचारित करना ।

(४) सहकारिता विभाग द्वारा चलाये जाने वाले सहकारी-सदस्य-शिक्षण कार्यक्रमों का तब तक निरीक्षण करना तथा उसके विषय में परामर्श देना, जब तक राज्य के सहकारी आन्दोलन में सदस्य-शिक्षण का क्रम स्थायी न हो जाय ।

इस योजना का प्रथम सोपान तो करीब-करीब समाप्त कर लिया गया है और दूसरे सोपान का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । आज तक जो काम हुआ है, उसकी मुख्य बातें ये हैं :

प्रथम सोपान

प्रारम्भिक कार्य—१९५५ के मार्च में सहकारी सदस्यों की शिक्षा की योजना भाग्यनगर कोआपरेटिव यूनियन के सामने विचारार्थ पेश की गई थी । यूनियन ने उसे स्वीकार कर लिया और ६ गांवों में उस कार्यक्रम को चलाने का निर्णय किया । उसने गांवों के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम भी दिये जिनके द्वारा उस कार्यक्रम के सम्बंध में जनता से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता था । कार्यक्रम की आधारभूत बातों के अध्ययन के लिए अप्रैल के शुरू में गांवों के मुखियों और ग्राम सेवकों का एक सेमिनार किया गया । इसी बीच समितियों की वर्त्तमान स्थिति का, सदस्यों की भावनाओं का और इस आन्दोलन के विषय में उनके ज्ञान का पता लगाने के लिए उस क्षेत्र का प्रारंभिक सर्वेक्षण भी किया गया ।

कार्य—इंस्टीच्यूट ने दस पाठ तैयार किये थे । उन्हीं को आधार मान कर कार्यक्रम चलाया गया । छः गांवों में से हरएक में दस-दस दिन में जो अध्ययन गोष्ठी होती थी, उसी के लिए पाठों में अध्ययन की सामग्री प्रस्तुत की गई थी । मीटिंग में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

समूह चर्चा का ढंग अपनाया गया। मीटिंग में पाठ्य सामग्री के अलावा सदस्यों को अपनी समिति के मामलों पर वाद-विवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था जिससे पुस्तक पढ़ाई के बजाय चालू हालत और स्थायी बातों पर विचार करने का मौका दिया जाता था। अनुभव के अनुसार पाठों में उचित परिवर्तन कर दिये गये और वे अधिक उपयोगी बन गये। दृश्य श्रव्य साधन सामग्री भी तैयार की गई और उसकी परीक्षा सदस्यों पर की गई। दो फ्लैनल-ग्राफों की काफी परीक्षा की गई और अब वे छपने के लिए दिये जा रहे हैं; वे हैं, "सहकारी बैल" और "सहकारी पहिया"। फ्लैश कार्ड का एक सेट भी तैयार किया गया है। पर अभी उसकी और अधिक परीक्षा की जायगी। सहकारिता पर ऐसी छः सचित्र पुस्तिकाएं भी तैयार की गई हैं, जो नव-शिक्षितों के लिए उपयुक्त हैं। उनमें से दो छप रही हैं।

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है कोआपरेटिव रैली (सहकारिता समारोह)। इसमें अनेक अध्ययन-दलों के सदस्य एक साथ मिलते-जुलते हैं और अपने अनुभवों का आपस में आदान-प्रदान करते हैं। अगस्त मास के अन्त में शिक्षण की समाप्ति के बाद एक ऐसा समारोह किया गया था। पांच महीनों तक चलने वाले अपने-अपने गांवों के कार्यक्रम पर सदस्यों ने संतोष प्रकट किया और आगे के कार्य के लिए उपयोगी सुझाव भी दिये। सहकारिता के ज्ञान की जांच के लिए प्रतियोगिता की गई और सर्वोत्तम सदस्यों को इनाम दिये गये।

प्रथम सोपान का मूल्यांकन---कार्यक्रम के प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन तो आगे चल कर ठीक से किया जायगा। किन्तु इसके काफी सबूत हैं कि सहकारी सदस्य इस तरह की शिक्षा का स्वागत करते हैं, और उनमें से बहुतों में अगुआई का माद्दा है, जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। कार्यक्रम की सफलता का परिचय इन बातों से मिलता है :

(१) **ज्ञान में वृद्धि**—सहकारिता के विषय में सदस्यों को बहुत अधिक बातों का ज्ञान हो गया। पिछले समारोह में सहकारी समितियों के उप संचालक श्री सत्य प्रकाश ने जो परीक्षा ली थी उससे इस बात की पुष्टि होती है।

(२) **गल्तियों का सुधार**—समितियों के खाते पूरे नहीं थे। अब उसमें बहुत सुधार हो गया है।

(३) **समितियों तथा यूनियनों के कामों में सदस्यों का अधिक उत्तम सहयोग**—शिक्षा-कार्यक्रम के शुरू होने के पहले भाग्यनगर कोआपरेटिव यूनियन के डाइरेक्टर यूनियन के कामों के प्रति उदासीन रहते थे। अब वे अधिक योग देने लगे हैं। हाल में यूनियन की सालाना आम सभा हुई थी, जिसमें सदस्यों ने पहले से काफी अधिक भाग लिया। इस वर्ष जो डायरेक्टर चुने गये वे भी योग्यता के विचार से ही।

(४) **सदस्यों की संख्या में वृद्धि**—जुआ, धरमपुर और खगीरपुर की समितियों के सदस्यों की संख्या बढ़ गई है।

(५) **सामूहिक रूप से काम करने के महत्व को समझना हृदयंगम करना**---सहकारी समिति के सदस्यों ने सामूहिक कार्य को अधिक अच्छी तरह समझा और श्रमदान द्वारा एक रास्ता तैयार कर के अपने गांव को बड़ी सड़क से जोड़ दिया। इसके लिए किसी सरकारी कर्मचारी ने सुझाव तक नहीं दिया था। कोटीपुर सुसायटी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अपने गांव में बच्चों के लिए पार्क बना रही है। सरकार खेल आदि के सामान इस शर्त पर देती है कि गांव वाले कुल मूल्य का आधा खुद लगायें। गांव वालों को ५०० रुपए लगाने थे। पहले कोई गांव इसके लिए तैयार न हुआ। पर कोटीपुर वालों ने बिना किसी के दबाव के ही इसका प्रबन्ध कर लिया।

(६) **सभी तरह के विकास कार्यों में रुचि की वृद्धि**--करीब-करीब हर समिति में यह हुआ है।

(७) **सामाजिक सम्बंधों में सुधार**--शिक्षा की मीटिंगों में सभी जाति के लोग एक साथ बैठते हैं। अनेक बातों में व्यक्तिगत स्तर के भेद-भाव दूर हो गये हैं। अन्तिम समारोह में ऊंची और नीची जातियों के लोगों ने एक साथ बैठ कर भोजन किया, जो बहुत बड़े सुधार का सूचक है।

(८) **सदस्यों द्वारा शिक्षा कार्यक्रम के महत्व को समझना**—सदस्यों ने अधिक संख्या में शिक्षा कार्यक्रमों और समारोह में भाग लिया। इससे प्रकट होता है कि उस ओर उनकी रुचि बढ़ी है। धरमपुर में तो सदस्य अपने बालकों को मीटिंगों में ले गये, ताकि वे सहकारिता की बातें सीखें।

(९) **व्यापक प्रभाव**—सहकारी समितियों के अधिकांश सदस्य पंचायतों के भी सदस्य हैं, इसलिए समिति की मीटिंगों का असर पंचायतों की मीटिंगों पर पड़ता है और पंचायतों की भी मीटिंगें अधिक अच्छी होने लगी हैं।

(१०) **जो सदस्य नहीं हैं उनकी रुचि में भी वृद्धि**—जो सदस्य नहीं हैं वे भी इन मीटिंगों में नियमित रूप से आते थे। उन लोगों ने यह भी इच्छा प्रकट की कि वे सालाना मीटिंगों में सदस्य की हैसियत से ही भाग लेंगे।

(११) खास कार्यक्रम के बारे में कुछ आम नतीजे ये हैं :

(अ) अशिक्षित अधिक रुचि दिखाते हैं।

(ब) पढ़े लिखे लोग बातों को अधिक अच्छी तरह से समझाते हैं और उन्हें याद रखते हैं।

(स) आम तौर पर सभी सहकारी समितियों में ऐसे सदस्य हैं जो आगे चल कर उपयुक्त एवं ईमानदार नेता बन सकते हैं।

(ड) क्षेत्र में काम करने वाले सभी कार्यकर्त्ता शिक्षा के कार्यक्रम को चलाने की योग्यता नहीं रखते। केवल वे ही लोग ठीक शिक्षा दे सकते हैं, सहकारिता के विषय का और ग्रामीण जीवन का अच्छा ज्ञान हो और जो शिक्षा के काम में रुचि रखते हों। जांच के समय भावी शिक्षकों को सहकारिता के सिद्धान्तों पर चलने वाली चर्चा में भाग लेने के लिए कहा जाय और उनकी योग्यता तथा ज्ञान की जांच के बाद ही वे चुने जायं।

(इ) सामूहिक चर्चा ही एक उत्तम उपाय है जिसके द्वारा सहकारी समितियों के सस्दयों को जानकारी दी जा सकती है, खास कर जब सदस्य निरक्षर हों।

दूसरा सोपान

दूसरे सोपान में यह जांच की जायगी कि शिक्षा का कार्यक्रम गांवों में चलाने के लिए वर्त्तमान समय में क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों में क्या-

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कैसी योग्यता है। दिबियापुर में जुलाई मास में सहकारिता से सम्बंध रखने वाले क्षेत्रीय कर्मचारियों का एक सेमिनार किया गया था, जिसमें जूनियर एसोशिएट (कोआपरेटिव) ने (जो इस योजना के चार्ज में हैं) कुछ प्रारंभिक जांच की थी। सेमिनार में भाग लेने वालों के सामने वाद-विवाद की पद्धति रक्खी गई और वह सफल भी रही। इसके अलावा जूनियर एसोशिएट बिलारी के प्रशिक्षण इंस्टिच्यूट भी गये थे और वहाँ के अधिकारियों और प्रशिक्षण पाने वालों के सामने अपनी शिक्षण प्रविधियों को रक्खा और उन पर उनसे विचार विमर्श किया।

लिखने के समय तक, इटावा जिले के भाग्यनगर में कोआपरेटिव सुपरवाइजरों के लिए दस दिन का सेमिनार चलाया जा रहा है। यहाँ उन्हें समितियों के सदस्यों को शिक्षा देने वाले आधारभूत रीतियों को सिखाया जा रहा है। दो फतेहपुर जिले से आये हैं, तीन इटावा से, एक लखनऊ से। इनके अलावा इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टिच्यूट से चार विकास कार्यकर्त्ता और एक सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) भी आये हैं। सेमिनार के अन्त में हर सुपरवाइजर अपने-अपने क्षेत्र की कम-से-कम दो समितियों में शिक्षण कार्यक्रम चलायगा। सुपरवाइजरों के इस काम को जूनियर एसोशिएट (कोआपरेटिव) जा कर देखेगा और उन्हें सलाह देगा, उनका मार्ग-प्रदर्शन करेगा।

सुपरवाइजरों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों के इस तरह के निरीक्षण तथा जांच के अलावा, सेमिनार में भाग लेने वालों को करीब चार महीने बाद फिर अल्पकालीन सेमिनार में इकट्ठा किया जायगा। यहाँ आ कर वे अपने अनुभवों की तालिका तयार करेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे। [५.१२]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

८ विकास कार्य के विस्तार की कुछ समस्यायें

[अनेक नये स्वतंत्र और अर्द्ध विकसित देशों में नये अवसरों के प्रसार के लिए अधिक से अधिक दबाव पड़ रहा है। भारत की भी वही दशा है। राष्ट्र की नवीन चेतना की यह मांग है कि अधिक अच्छी पद्धतियां सामने आयें जिनसे ऐसे परिणाम प्राप्त हो सके जिसकी पहले कभी कल्पना भी न की गई हो। किसी को इस बात में तो एतराज नहीं हो सकता कि अवसरों के अनुसार कार्य किया ही जाना चाहिये, क्योंकि जनता अपनी उत्सुकता या बेचैनी या निराशा की झुंझलाहट में आदर्श प्रगति के लिए प्रतीक्षा नहीं करेगी।

[इन सब बातों के होते हुए भी ग्रामीण विकास में बहुत तेज रफ्तार लाने से निराशा की भावना उत्पन्न हो सकती है. जिससे जिन उद्देश्यों और फलों की आशा की जाती है वे ही निर्मूल हो जायं। विकास को तेज रफ्तार से चलाने की भारी अभिलाषा के असफल होने पर नये सिद्धांतों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जायगा। इसलिए इन असफलताओं से प्राप्त होने वाले अनुभवों के द्वारा ऐसे उपाय काम में लाये गये जिनके सफल होने की आशा थी और राजनीतिक कारणों से इसी तरह के साधारण और कम रफ्तार वाले कार्यक्रमों पर ही जोर दिया गया।

[प्राप्त अनुभवों के आधार पर विकास के ऐसे कार्यक्रमों को काम में लाने का निश्चय किया गया जो साधारण रीति में सभी जगह उपयोग में लाये जा सकें। अंत में

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

१९४९ और १९५२ के बीच में उत्तर प्रदेश में चार नयी अग्रगामी विकास योजनाओं की शुरुआत की गई। इनका स्पष्ट उद्देश्य यह था कि इनके द्वारा ऐसी पद्धतियां निकाली जायं जो जल्दी से जल्दी और बड़े पैमाने पर अन्यत्र लागू की जायं। यही उद्देश्य पहले अधिक लम्बी और अधिक सघन योजना द्वारा पूरा करने की चेष्टा की गई थी। शुरू की विकास योजनाओं में अनेक कमजोरियां दीख पड़ीं थी, किन्तु उनके द्वारा बढ़ती हुई शक्ति का भी आभास मिला था।

[१९५१ में अग्रगामी योजना द्वारा जो संगठनात्मक ढांचा विकसित हुआ था, वही कुछ अंशों में उत्तर प्रदेश के ५१ जिलों में आंशिक रूप में लागू किया गया। इसके बाद २ अक्टूबर १९५२ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारतवर्ष भर में १६७ सामुदायिक विकास खण्ड खोले गये। उस तिथि से तीन वर्ष के भीतर केवल उत्तर प्रदेश में ही १३२ नये ग्राम विकास क्षेत्र खोले गये और सम्पूर्ण भारत में लगभग १०००। द्वितीय पंचवर्षीय विकास योजना के अन्तर्गत राष्ट्र के ५०,००० गांवों को राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों के अन्तर्गत लाने की योजना बनाई गई। कुछ ग्राम तो सघन विकास क्षेत्र या सामुदायिक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत रक्खे गये और कुछ गांव अल्प-सघन ग्राम विकास योजनाओं के अन्तर्गत लाये गये। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार बहुत ही बड़े पैमाने पर कार्यक्रम की योजना चलाई गई। विकास की इतनी तेज गति के कारण अनेक नये प्रश्न सामने आ रहे हैं।

[१—**नियोजित तीव्रता**—सार्वजनिक महत्व का पहला प्रश्न है: जिसका विकास कर रहे हैं उसकी अन्तर्निहत शक्ति और तत्व को कायम रखते हुए हम यथार्थ रूप में ग्रामीण विकास को कितनी जल्दी बढ़ा सकते हैं? शुरू के मिकैनिकों (कारीगरों) की तरह ही नये मिकैनिकों (कारीगरों) की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से बढ़ाना सरल है। किन्तु उनकी आन्तरिक कार्य-शक्ति और योग्यता को इतनी आसानी से न तो बढ़ाया ही जा सकता है और न तो उत्पन्न ही किया जा सकता है। और दुर्भाग्य से काम की तेजी के समय आसानी से यह ध्यान नहीं रक्खा जा सकता कि जितनी आश्चर्यजनक तेजी से कारीगरों की संख्या बढ़ा रहे हैं, उसी तेजी से उनकी अन्दरूनी योग्यता और कार्य-शक्ति भी बढ़ा सकते हैं या नहीं? यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या हम सर्वत्र विकास की एक-सी अधिक से अधिक गति निश्चित कर सकते हैं? अथवा हमें समझ-बूझ कर योजना बनानी होगी; पहले पूर्ति के साधनों को पूर्ण और निर्दोष बना कर उनकी प्राप्ति को सुनिश्चित कर लें, पहले अपने संगठनात्मक आधार को पक्का कर लें—और तब तेजी से आगे बढ़ें? यदि हम अपने आगे बढ़ने वाले कार्यक्रम को निश्चित रूप से नियोजित कर लें, तब हम उसके तत्वों को, अन्तर्भावना को विभिन्न समय के कार्यक्रमों के अनुसार व्यावहारिक रूप में कैसे सामने लायें? यह कैसे निश्चित करें कि भिन्न-भिन्न प्रकार की इतनी योजनाओं में किस-किस समय पर कौन कौन-सी बात को व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है।

[२—**कार्यकर्त्ता**—हर हालत में इस बात पर सभी सहमत हैं कि विकास योजनाएँ इस तरह से बनें कि वे तेजी से बढ़ाई जा सकें। इस सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न है उपयुक्त कार्यकर्त्ताओं की प्राप्ति और तैयारी का। राष्ट्रीय जीवन के एक दम नये, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले और स्थायी कार्य के लिये सभी स्तरों के लिए उपयुक्त कार्यकर्त्ताओं को खोज निकालना और उनको तैयार करना बहुत ही महत्व का प्रश्न है। शुरू में ग्रामीण

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

विकास के लिए प्रशिक्षण देकर आवश्यकतावश शीघ्रता से ही कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। किन्तु अब बहुत सोच-विचार के बाद प्रभावपूर्ण, स्थायी, शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र या तो एक दम नये स्थापित किये जायं अथवा इस नये उद्देश्य को सामने रख कर उनका पुनर्संगठन कर दिया जाय।

[३—**अन्वेषण**—क्षेत्र में जाकर ठीक समय पर कार्य को संचालित करने के अलावा एक व्यापक व्यावहारिक योजना के लिए यह आवश्यक है कि बहुत तेजी से इस विषय में अन्वेषण होता रहे। उसके साथ ही यह निश्चित हो कि जो अन्वेषण हों वे गाँव में व्यावहारिक रूप से लागू किये जा सकें। व्यावहारिक रूप में प्रयोग करने वाले स्रोत कभी सूखने न पायें। उत्तर प्रदेश के विकास अन्वेषणालय का ऊपर वर्णन किया जा चुका है। उसी तरह के अनेक अन्य अन्वेषणालय खोलने चाहिए जो विभिन्न स्थानों के उपयुक्त अच्छे कार्यक्रमों को खोज कर निकाल सकें।

[४—**उद्योग**—चौथा प्रश्न है उद्योग सम्बन्धी समस्याओं का। ग्रामीण विकास में इस तरह के उद्योग सम्मिलित किये जायं जिनसे गांव वाले खेतीबारी के कामों के अतिरिक्त ग्रामीण उद्योग में लग सकें। इस सम्बन्ध में पिछले अध्यायों में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, किन्तु अधिक विस्तार से इस सम्बन्ध में विचार करना इस पुस्तक के बाहर की बात है।

[ये प्रश्न भारत में पिछले तीन वर्षों से विशेष रूप से सामने आये। जहाँ कहीं भी ग्राम विकास तेजी से लागू किया जायगा, वहां भी ये प्रश्न सामने आयेंगे। ग्रामीण विकास के पूरे इतिहास की पृष्ठभूमि में इन प्रश्नों के उत्तर की खोज अपना एक खास स्थान रक्खेगी और उसका उतना ही महत्व होगा जितना इस पुस्तक में वर्णित आधारभूत अग्रगामी योजना का है।]

विकास की इन समस्याओं से मायर का सम्बन्ध मुख्य रूप से एक निरीक्षक के रूप में और एक मित्रतापूर्ण किन्तु स्पष्टभाषी आंतरिक समालोचक के रूप में रहा है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप में अपने विचारों को व्यक्त किया। इसका कारण यह नहीं है कि स्थिति की आवश्यक महत्ता की भावना से उनका मतभेद रहा है, किन्तु यह है कि उनको विश्वास है कि प्रगति की चाल का थोड़े नियोजित अन्तर से अन्तिम सफलता के गुण और परिणाम में बहुत बड़ा अन्तर पड़ सकता है।

मायर ने हाल ही में जो गोपनीय पत्र, रिपोर्ट और समृति-पत्र राज्य और केन्द्रीय सरकार के नियोजन अधिकारियों को लिखे थे, उन्हीं के आधार पर इस अध्याय की सामग्री प्रस्तुत की गई है। इन पत्रों की प्रतिलिपियां आलोचना और विचार के लिए देश भर में काफी संख्या में बांटी गईं। इस बात से भारतीय उच्च अफसरों की आत्म-निरीक्षण की भावना और सम्बन्धों की मधुरता पर बहुत प्रकाश पड़ता है। ये यहां पर इसलिए नहीं सम्मिलित किये गये हैं कि इनसे यह साबित हो कि कौन दिशा ठीक है और कौन गलत। इस अध्याय में कुछ रीति नीतियां और विचार रक्खे गये हैं जिन पर उन देशों को अवश्य ही विचार करना पड़ता है जो इस तरह के महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

तीव्र प्रगति के लिये नियोजन
पक्ष में

१९५५ में कोई भी इस बात को बिना देखे समझे नहीं रह सकता कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कितनी उन्नति की है; काम करने के लिए जनता में कितनी उत्सुकता है; और अब तक जो कुछ हुआ है उससे कहीं अधिक बड़े पैमाने पर कार्य संचालन किया जा रहा है। निश्चय ही यह बात सामाजिक दिशा में सत्य है, हर गांव में सड़कों के बनाने, नालियों को पक्का करने, स्कूलों को खोलने में काफी प्रयत्न किये गये हैं। व्यक्तिगत उन्नति या नए कार्यों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि लोग अच्छे बीज और उर्वरकों के उपयोग से आगे बढ़कर अधिक साहस के कार्य करने के लिये तैयार हो गये हैं। ये सब चीजें पुरानी योजनाओं में पक्के तौर पर सम्मिलित हो गई हैं। अनुभव से प्राप्त विश्वासों के आधार पर ऊसर को उपजाऊ बनाने वाले कठिन कामों को लोग खुद ही बहुत बड़े पैमाने पर चालू कर रहे हैं। सामाजिक दिशा में यह देखा जाता है कि मिट्टी के कटाव के लिए संयुक्त रूप में खास तौर से दो योजनाओं पर बहुत अधिक कार्य किया जा रहा है। गांव की सार्वजनिक भूमि को लाभदायक कामों में लाने और उसकी रक्षा करने, उस पर फल और ईंधन देने वाले पेड़ों को लगाने की प्रवृत्ति जनता में सम्मिलित रूप से बढ़ रही है।

जनता में श्रमदान करने की भावना घर कर गई है। अनेक स्थानों पर यह साफ देखा जा सकता है कि लोग श्रमदान के लिए अपने-आप ठीक ढंग पर संगठित हो जाते हैं। इसके लिए वे सरकारी विभागों द्वारा भेजे गये अफसरों की प्रतीक्षा नहीं करते। सभी जगह ऐसा होता हो सो बात तो नहीं है। किन्तु बहुत-सी जगहों में ऐसा होने लगा है। यह निश्चय ही एक खास महत्व की बात है। पहले के मुकाबले में हर गांव के लोग और बहुधा हर कुटुम्ब के लोग श्रमदान में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने लगे हैं।

विभिन्न स्तरों की सलाहकार समितियाँ अपने कामों में रुचि और योग्यता दिखाने लगी हैं, किन्तु यह सुधार कुछ ही अंश में पाया जाता है। ब्लाक स्तर और योजना स्तर पर यह प्रगति अधिक देखने में आती है, किन्तु जिला नियोजन समिति स्तर पर इस दिशा में उतनी प्रगति नहीं दीख पड़ती। युवक मंगल दलों की संख्या सुसंगठित रूप से बढ़ रही है। इसके बहुत ही उत्तम उदाहरण सामने आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से इस तरह के दल छिटपुट रूप में सामने आने लगे। विकास अन्वेषणालय के अग्रगामी कार्य और संचित अनुभव के कारण अब इस क्षेत्र में काफी ठोस कार्य होने लगा है।

सरकारी दिशा में दो बातें पक्ष में हैं। विकास कर्मचारियों की तरक्की की नीति अपनाये जाने से कार्यकर्त्ताओं के उत्साह में सक्रिय सुधार हुआ है। ग्राम सेवक सहायक विकास अधिकारी हो सकता है, और सहायक विकास अधिकारी क्षेत्र विकास अधिकारी हो सकते हैं। इस कठिन और नये राष्ट्र निर्माण कार्य में योग्यता के पुरस्कार की आशा बहुत आकर्षक प्रेरणा है। किन्तु दूसरी तरफ यह बात भी है कि तरक्की की उत्साहवर्धक प्रेरणा का महत्व इस विचार से कम हो जाता है कि तरक्की निष्पक्ष परीक्षण के आधार पर नहीं दी जाती। यदि कार्यकर्त्ताओं की उन्नति निश्चित रूप से

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

निष्पक्ष परीक्षाओं पर निर्भर कर दी जाय, तो उनके उत्साह के स्तर में उन्नति हो सकती है।

दूसरी खास बात है प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों की वृद्धि का निश्चिय और शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के वेतन-क्रम को बढ़ा देना । नये वेतन के कारण प्रथम श्रेणी के व्यक्ति इस ओर आकर्षित होंगे । इसलिए जिन अच्छे पदाधिकारियों को तरक्की दी जा सकेगी उनको असली उत्साह मिलेगा । साथ ही इसके कारण बहुत से ऐसे अयोग्य अधिकारी हटाये जा सकेंगे जिनको बहुत पहले ही हटा दिया जाना चाहिए था । विकास कार्य तभी सफल हो सकता है जब वह अपनी ओर प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों को आकर्षित कर सके । इनमें से भी सब से अधिक योग्य व्यक्ति प्रशिक्षण के काम में लगाये जायं, क्योंकि क्षेत्र में काम करने वाले सभी आदमियों का चरित्र अधिकतर शिक्षा देने वालों की योग्यता और उत्साह उत्पन्न करने के गुण पर निर्भर रहेगा ।

कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में अभी तक चर्चा के योग्य कार्य नहीं हो सका है, तो भी कुछ खास महत्व की बातें हैं । पहले सैकड़ों भट्टे ईंटों के बनाने के लिये गांवों में चालू किये गये थे । यह काम आवश्यक था । इसके द्वारा गांव वालों को काम मिलने लगा । साथ ही बहुत कम दामों पर ईंटें भी मिलने लगी । यह काम चालू रक्खा गया और बहुत अधिक बढ़ाया भी गया । ढोरों के चमड़े निकालने, हड्डियों के पीसने, फलों-सागों के मुरब्बे, अचार आदि बनाने, चीनी मिट्टी के सामान तैयार करने आदि की दिशा में सामुदायिक विकास योजना द्वारा दृढ़तापूर्ण ठोस प्रयत्न किये जा रहे हैं । ये सब काम आगे चल कर फल देंगे । नई-नई मांगों को पूरा करने के लिए कुछ योजना क्षेत्रों में खेती के सुधरे हुए औजारों को गांवों में ही तैयार करने की प्रवृत्ति अपने-आप शुरू हो गई है । ऐसे काम विशेष आशाजनक हैं । इस तरह के उद्योग सामुदायिक विकास योजनाओं के कुछ क्षेत्रों ने चालू किये हैं । इन क्षेत्रों के कार्यकर्त्ताओं में कृषि विभाग के अधिकारी और इंजीनियर भी हैं जो औजारों के प्रयोग और प्रदर्शन में पटु हैं । खेद का विषय है कि हमारे सभी अधिकारी उतने पटु नहीं हैं । ऐसे कामों का प्रारम्भ जो देखा जा सके, बहुत छोटे रूप में है । किन्तु आगे चल कर इन कामों में बहुत अधिक संख्या में लोगों को लगाया जा सकेगा । [५५.७]

विपक्ष में

सब बातों को देखते हुए राष्ट्रीय प्रसार योजनाएं सुव्यवस्थित योजना, पूर्णता और अनुसरण-कार्य में अपर्याप्त हैं । यह बात भय उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रसार सेवा ही भविष्य का आदर्श नमूना है । [५५.७]

मैं समझता हूं कि योजना एवं कार्य संचालन की व्यवस्थित पूर्णता में और कार्य को सफल बनाने में तथा उसके सम्बन्ध में सूचना देने में नैतिक ईमानदारी ही राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजनाओं के मूल तत्व हैं । और इन बातों में ही ये योजनाएं उन पुरानी बातों से बिल्कुल भिन्न हैं, जिनके अनुसार पहले क्षेत्रों में काम किया गया था । शुरू की अग्रगामी योजनाओं में और बहुत अधिक अंशों में शुरू की सामुदायिक विकास योजनाओं में कार्य के प्रारम्भ एवं संचालन करने की प्रेरणा शक्ति के इन 'नये' आदर्श स्तरों का ही विशेष रूप से समावेश किया गया था । किन्तु राष्ट्रीय प्रसार सेवा के

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आरम्भ होने और प्रशिक्षित एवं लगन वाले कार्यकर्त्ताओं के मिलने या पूर्ति संस्थाओं की ठीक स्थापना की परवाह न कर के एक निश्चित तारीख पर ही बहुत अधिक संख्या में योजनाओं का काम चालू करने की कठोर आज्ञाओं के कारण बहुत भारी खामियाँ शुरू हो गईं। जो और जैसे भी कार्यकर्त्ता मिले उन्हीं को लेकर योजनाओं के काम शुरू कर दिये गये। अधिकांश में जो कार्यकर्त्ता काम में लगाये गये उनके व्यक्तित्व ठीक नहीं थे और वे कार्य को ठीक से समझते भी न थे। उन्नति करने के बजाय, हम अवनति करते हुए बहुत पीछे हटते गये। कार्य करने वालों की संख्या कम है। उनके व्यक्तित्व ठीक नहीं है। उन्हें ठीक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हैं। क्षेत्रों में काम करने वाले ग्राम-साथी से लेकर ऊंचे दर्जे के अधिकारियों तक में ये सब दोष अनिवार्य थे और स्पष्ट रूप से देखे भी जा सकते हैं।[1] [५५.२]

सामग्री पूर्ति की व्यवस्था पीछे पड़ गई है और दिन-पर-दिन अधिकाधिक पीछे पड़ती जा रही है। ऐसे बहुत ही अधिक मामले हैं जिनमें जनता ने योजनाओं के अनुसार अपने हिस्से का श्रमदान पूरा कर दिया है। किन्तु जैसे वादे किये गये थे उनके मुताबिक समय पर, यानी बरसात शुरू होने तक, न तो पुलियां ही बन सकीं और न सड़कें ही पक्की की जा सकीं। इन त्रुटियों से इन कामों से सम्बंध रखने वाले लोगों के दोष तो उतने प्रकट नहीं होते, जितने कि इस बात के सबूत मिलते हैं कि हम अपने कामों के कार्यक्रम का सामंजस्य पूर्ति के परिणाम, गुण तथा समय की निश्चित पाबन्दी के साथ नहीं बैठा रहे हैं, हम मजबूरन जनता को काम करने में कमजोर बना रहे हैं, उसे हतोत्साहित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए गांवों की सभी गलियों को पक्का करने के भारी काम को केवल इस कारण रोक रहे हैं कि हम गांव वालों को विशेषज्ञ सहायता नहीं दे सकते। जनता के भारी उत्साह, श्रम और धन दान के बावजूद उसे केवल इस कारण बहुत अधिक हतोत्साहित होना पड़ेगा कि जो काम पूरे किये जायंगे वे उतने अच्छे ढंग पर न हो सकेंगे। ऐसे काम भी हैं जिनमें जनता बड़ी खुशी से अपने-आप हमारे साथ आगे बढ़ने को तैयार है। किन्तु हम ठीक से उन कामों को करा नहीं पाते इससे अनिश्चित वातावरण पैदा हो जाता है; जैसे सुधरे हुए बीजों की किस्मों के क्षेत्रों का विस्तार। इस दिशा में हम जितनी तेजी से चल रहे हैं, उससे कहीं अधिक तेजी से चल सकते हैं। हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि खरीद के लिए काफी धन नहीं दिया गया है। यदि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की दृष्टि से पूरे साल भर को व्यर्थ नहीं जाने देना है, तो तुरन्त उच्च स्तरीय निर्णय की आवश्यकता है। [५५.२ : ५५.७]

---

[1] जो योजनाएं बनाई गई थीं और जो कार्यक्रम निश्चित किये गये थे, उनमें ही जो त्रुटियां हुईं, जो बाधायें पड़ीं, उन्हीं का यहाँ जिक्र किया गया है। यहाँ इस पूरे प्रश्न पर विवाद नहीं उठाया गया है कि मूल रूप में सबसे उत्तम यह होता कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा का कार्य नीति के रूप में सारे देश में बहुत जल्दी असघन (ऊपरी झीने) ढंग पर कार्य चलाया जाता; अथवा सामुदायिक विकास योजनाओं में जैसा किया गया है, उस तरह अधिक सघन और प्रभावोत्पादक ढंग पर कार्य किया जाता जिसके करने में देश भर में विकास कार्य शुरू करने में काफी अधिक समय लगता। राजनीतिक पृष्ठभूमि के विचार से दूसरी तरह का ढंग (सघन कार्य) शायद असंभव ही होता।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

मेरे विचार में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रमों की नई योजनाओं में ऐसे बहुत से कार्यक्रम रक्खे गये हैं जो इस प्रारम्भिक दशा में हमारे कार्यकर्त्ताओं की शक्ति से बाहर हो जाते हैं, साथ ही गांव वालों के अपनाने की शक्ति के भी बाहर हो जाते हैं। वे आन्तरिक नेतृत्व के विकास को उतनी हद तक पूरा नहीं कर सकते। ऐसा केवल हमारे योजना बनाने वाले अधिकारियों की अनुभवहीनता के कारण ही नहीं बल्कि हमारे विचार करने के ढंग के कारण भी होता है। हम ऐसा समझते हैं, कि प्रारम्भिक अग्रगामी योजना के मुकाबले में हमें अधिक तेजी से बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हमारी जानकारी अधिक है और जनता पहले से अधिक तयार और उत्सुक है। जनता ने उन्नति कर ली है और यह इटावा या गोरखपुर के मुकाबले में इन बातों को अधिक ग्रहण कर सकती है; किन्तु शुरू-शुरू में और पहले वर्ष वह इतना अधिक ग्रहण नहीं कर सकती जितना हमने मान लिया था। [५३.४]

सब का मिला-जुला फल, जो अब सामने दिखाई पड़ रहा है, जो आगे चलकर और अधिक साफ तौर पर देखा जा सकेगा, यह है कि प्रयत्न और व्यय के हिसाब से आगे जितने काम की आशा की जाती है उससे कम ही पूरा हो सकेगा। यह बात निराशाजनक होगी, किन्तु उतनी भयावह न होगी। असली और पूरी न की जाने वाली असफलता इस प्रकार होगी: जो भी उद्देश्य निश्चित किये गये हैं, वे कागज़ पर तो मनगढ़ंत के आधार पर पूरे होंगे। बीच-बीच में क्षेत्र में निश्चित किये गये निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार लोग जायंगे और उनको सफलता के झूठे नमूने दिखा दिये जायंगे। दूसरे शब्दों में यह कहा जायगा कि हम जहां से चले थे वहीं लौट कर आ जायंगे और बहुत ही बड़े पैमाने पर। पर इससे बाढ़ में और व्यापक निराशा होगी।

निष्पक्ष दौरों और निष्पक्ष लोगों से बातचीतें कर के इन विचारों की जांच की जा सकती है, यदि निर्भय और स्वतंत्र रूप से उन से बात की जा सके। यह विचार असल में उन जागरूक कार्यकर्त्ताओं से बात कर के जांचे जा सकेंगे जो यह जानते हों कि अच्छा कार्य क्या है।

यंत्रवत प्राप्त किये गये नतीजों पर ही ऊपर वाले अधिकारियों की प्रशंसा या दोषारोपण निर्भर होते हैं। इस समय आर्थिक व्यय की कसौटी ज्यादातर लागू की जाती है। आपने कितना उसे और अधिक जल्दी क्यों नहीं खर्च कर डाला? क्या आप उसे इस निश्चित तिथि तक खर्च कर देंगे? इसका फल होता है गलत मूल्यांकन। यह गलत धारणा बना ली गई है कि जो रूपया खर्च किया गया है उसी के हिसाब से अच्छे कामों में सफलता मिली है। परन्तु यह अधिक सम्भव है कि काफी कम रूपए खर्च करके भी अधिक उत्तम काम किया जा सकता है। अधिक रुपए[२] से अनिश्चित भावना और बेढंगी कार्य प्रणाली उत्पन्न हो जाती है और यह ठोस योजना और ठोस विकास के एकदम खिलाफ पड़ती है।

बहुत तेजी से चलाये जाने वाले कार्यक्रमों के कारण इस समय ऊँचे स्तरों पर

---

२ देखिये पृष्ठ २९०-२९३ (आय व्ययक का विवरण)। इटावा अग्रगामी योजना का वार्षिक व्यय असघन प्रसार सेवा खण्ड के औसत वार्षिक बजट से १० से १५ प्रतिशत तक कम पड़ा और सघन किन्तु अल्पकालीय सामुदायिक योजना के सालाना बजट से ५५ प्रतिशत कम पड़ा।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आत्मवंचना और क्षेत्र में काम करने वालों के बीच उदासीनता फिर से फैल रही है। हमने इसी को दूर करने के लिए काम शुरू किया था और मैं भारत को इसी खतरे से बचाने में मदद करना चाहूँगा।

काम जल्दी किया जाय, इस बात की जरूरत मैं बहुत गहराई से समझ रहा हूं। और मैं कल्पना लोक में बैठ कर वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ता। फिर भी मेरा विश्वास है कि यथार्थ में हमें जिस तेजी से चलना चाहिये उससे कहीं अधिक तेजी से हम चल रहे हैं। और यदि हम अपने काम में उचित तेजी से बढ़ सके, जो घातक भी सिद्ध न हो, तो हम अब से पांच वर्ष के भीतर बहुत आगे बढ़ जायंगे बजाय इसके कि इस समय बेतहाशा दौड़ें और गिर पड़ें। और ऐसी दशा में हम निश्चय ही एक नवीन और सजीव भारत का निर्माण कर सकेंगे। [५५.२]

मातृ योजनाएं : एक सुझाव

[इस समय आम तौर पर देश भर में एक खास पद्धति के अनुसार कार्य हो रहा है। किसी क्षेत्र में तीन वर्ष की सघन योजना चालू की जाती है। इसके बाद उसे सामान्य विकास क्षेत्र में बदल दिया जाता है। क्षेत्र में काम करने वाले ग्राम सेवक आदि और धनराशि आदि में कमी कर दी जाती है। इससे शक्ति का बहुत क्षय होता है, कार्य अधूरा रह जाता है और निराशा की भावना फैल जाती है। इटावा के अनुभव से यह देखा गया है कि किसी क्षेत्र में छः सात वर्ष का सघन कार्य आवश्यक है, जिसके कारण ऐसी स्थिति आ सकती है कि जनता स्वयं सारे काम को अपने हांथ में लेने लगे और खुद ही अपना विकास करने लगे। केवल इटावा में ही इस तरह का निरन्तर चालू रक्खे जाने वाला प्रयत्न सम्भव हो सका है। हाल में जो विकास खण्ड खोले गये हैं, उनमें बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा चल रही है। देश भर में केवल इटावा योजना ही ऐसी है जो इस तरह की प्रतिस्पर्धा से एकदम बची हुई है। केवल इसी में यह बात नहीं होने पाई है कि अधिक तेजी से किये जाने वाले सालाना काम बहुत बढ़ाकर दिखाये जायं। अन्यत्र दिखाया जाता है कि वर्ष भर में तुरन्त ही इतनी मील लम्बी सड़कें बनाई गईं, इतनी अधिक संख्या में इमारतें खड़ी कर दी गईं, हजारों गज लम्बी नालियां पक्की कर दी गईं। केवल इटावा में ही लम्बे अर्से तक चलने वाले कामों के किए जाने के अवसर दिये गये और लचीली पद्धतियों से काम लिया गया। जिसका फल यह हुआ कि सब मिलाकर अधिक अच्छा और अधिक परिमाण में काम हो सका।

[सैकड़ों हजारों राष्टीय प्रसार योजनाएं अपने लक्ष्य और समय-सारिणी के लिए बहुत ही कड़ा और निश्चित ढांचा अख्तियार करती हैं। यह इटावा के ढंग से बिल्कुल उल्टा है। भारत में योजना के संचालक नेताओं की यह आदत है कि वे निश्चित किए हुए ढांचे से बिल्कुल इधर-उधर नहीं हटते; न वे कार्य आरम्भ करने की शक्ति को ही प्रदर्शित करते हैं। थोड़े में यह कहा जायगा कि उनमें प्रयोगात्मक दृष्टिकोण और प्रवृत्ति की उच्चता नहीं दीख पड़ती। निश्चित लक्ष्य की ओर आवश्यक प्रतिस्पर्धा वाली दौड़ के कारण वे निश्चित ढांचे के सम्बन्ध में किसी तरह का सवाल नहीं पेश कर सकते, और न ही नये विचारों और पद्धतियों से काम ही ले सकते

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हैं; क्योंकि उन्हें भय रहता है कि कहीं दौड़ में वे पिछड़ न जायं। इस तरह क्षेत्र में काम करने वाले को यह डर है कि हम लोग लकीर के फकीर न हो जायं।

[फिर भी विकास कार्यकर्त्ताओं और गांव वालों दोनों के ही लिए आवश्यक है कि हम लोग सदा सचेत और स्वयं आगे बढ़ते रहने की प्रवृत्ति को बनाये रक्खें, सजग रहें। हमारे कार्यकर्त्ताओं के बहुत बड़े भाग में यह गुण विकसित हो जायं ऐसा सोचना बहुत अधिक आशावादिता और महत्वाकांक्षा होगी, किन्तु सारी असलियत को सामने रखते हुए हम केवल ऊपर के स्तर के ही नहीं किन्तु बीच के स्तर के कार्यकर्त्ताओं में भी सुधार, योग्यता और कार्य प्रारम्भ करने की शक्ति को बढ़ावा देने में सफल हो सकते हैं। हमें ऐसे उपाय निकालने होंगे जिनसे हमारे कार्य में नव जीवन और नवीन विचार निरन्तर प्रवाहित होते रहें।

[सितम्बर १९५६ में एक सुझाव दिया गया था। इसके अनुसार जो विकास योजनाएँ बंधे हुए खर्चे के अनुसार चलाई जा रही हैं उनके अवश्यम्भावी प्रतिस्पर्धा वाले भाव को क्षति पहुँचाये बिना ही अधिक प्रगति और नवीनता से काम करने की प्रवृत्ति को लाने की बात बताई गई थी। यह सुझाव उत्तर प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों को ही दिया गया था। वह सुझाव यह है : "मातृ" योजनाओं की स्थापना की जाय। यह इटावा पद्धति और उद्देश्य के अनुसार ही मिलती-जुलती परीक्षण और कार्य संचालन वाली योजना होगी। यह योजना सघन रूप की होगी। जो या तो सदा के लिए सघन बनी रहेगी अथवा कम से कम सात वर्ष तक सघन रक्खी जायगी।

[कुछ-कुछ इटावा योजना के ढंग पर ये योजनाएँ इस तरह से स्थापित की जायंगी कि इनका आस-पास के क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़े। अपनी असाधारण स्थिति के कारण इटावा के सम्बन्ध में दूसरी योजनाओं में काम करने वालों ने कम महत्व दिया है। किन्तु दूसरी 'मातृ' योजनाएँ अपने उदाहरण को कम ईर्षालु ढंग का बनाएं। 'मातृ' योजनाएँ देश के विभिन्न भागों में इस तरह स्थापित की जायं कि वे देश के विभिन्न भागों के आर्थिक, सामाजिक, जन-संख्या आदि की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर सकें।]

कार्यकर्त्ताओं की वृद्धि

ग्रामीण विकास की तेज चाल में मुख्य बाधा पड़ती है कार्यकर्त्ताओं की संख्या, योग्यता और प्रशिक्षण की कमी की। इसका कारण है नई योजनाओं को नियोजित किन्तु अव्यावहारिक रूप में तेजी से स्थापित करना। दूसरा कारण है यह समझना कि कोई भी भला आदमी विकास कार्य को कर सकता है। किन्तु असलियत यह है कि ऐसे कार्य के लिए एक विशेष कार्यप्रणाली, भावना और अनुभव की आवश्यकता होती है। हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त कार्यकर्त्ताओं को न तो खोज कर निकाल सकते हैं और न तैयार ही कर सकते हैं। इसके अलावा यह बात भी है कि हम महत्त्वपूर्ण पदों पर बहुत से उन अनुभवी आदमियों को नहीं रख रहे हैं, जो हमें मिल सकते हैं। हम कार्यकर्त्ताओं के तबादले भी बहुत अधिक कर रहे हैं। ऐसा करना विकास कार्य के लिए बहुत

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

हानिकारक है, क्योंकि विकास कार्य में निरन्तर स्थायित्व रखने की जरूरत है। प्राविधिक कार्यकर्त्ताओं की विशेष कमी के कारण भी काम का नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे हट रहे हैं।

राष्ट्रीय विकास खण्ड वैसे ही देश में कम हैं। जो हैं, उनमें भी कार्यकर्त्ता पूरी संख्या में नहीं रक्खे जा सके हैं। जो कार्यकर्त्ता रक्खे गये हैं, वे भी योग्यता में बहुत ही अनुपयुक्त हैं। कुछ अंशों में यह खामियां ऊपर के स्तर के कार्यकर्त्ताओं के निरीक्षण और पथ-प्रदर्शन द्वारा दूर हो सकती थीं, किन्तु ऐसा भी नहीं हो रहा है; क्योंकि इसका कारण यह है कि ऊपर के स्तर में भी कार्यकर्त्ताओं की संख्या बहुत कम है और जो है भी उनकी योग्यता और अनुभव एक-सी नहीं है। [५५.७]

योग्यता की सीमा-रेखा

[प्रसार योजनाओं के विस्तार की गति में थोड़ा-सा सुनियोजित अन्तर करने पर अंतिम सफलता के गुण, परिमाण और वस्तुवादी दृष्टिकोण में बहुत महत्वपूर्ण अंतर पड़ जायगा।

[भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में यह निश्चित कर दिया गया है कि १० वर्ष के अन्दर देश भर में विकास खण्ड स्थापित कर दिये जायंगे। यह सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो ही जाना चाहिए। दस वर्ष के अन्दर इतना भारी कार्यक्रम पूरा कर डालने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि अधिक संख्या में कार्यकर्त्ता बराबर प्रशिक्षित किये जायं और उनको उचित जानकारी दी जाय। हम लोग बराबर साल भर कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करते रहते हैं, ताकि वे सैकड़ों नये खण्डों में भेजे जा सकें। इन कार्यकर्त्ताओं के चरित्र, नैतिकता, प्राविधिक योग्यता पर ही राष्ट्रीय कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ निर्भर करती है।

[जितने बड़े पैमाने पर यह किया जा रहा है और जैसे नये कार्य का आरम्भ हुआ है, उसको देखते हुए यह जरूरी है कि बहुत से प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता अयोग्य और असफल सिद्ध होंगे और उनके स्थान पर दूसरे योग्य व्यक्ति रखने पड़ेंगे। तभी जाकर इस महान कार्य को असफल होने से बचाया जा सकेगा। जल्दबाजी के चुनाव, अपर्याप्त प्रशिक्षण और बाद की खामियों के कारण भी हम महत्वपूर्ण पदों पर से किसी को हटा नहीं सकते।

[तो भी यदि हर पांच वर्ष की अवधि में हम उस समय की जरूरत से २० प्रतिशत अधिक कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित कर सकें, तो हम ऐसी स्थिति में पहुँच जायंगे कि हम सब से अच्छे कार्यकर्त्ताओं को चुन कर रख सकेंगे और अनुपयुक्त कार्यकर्त्ताओं को अलग कर सकेंगे। यदि यह मान लिया जाय कि हम इस समय उतने आदमियों को विकास कार्य के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं जितने की आवश्यकता है, तो हमें २० प्रतिशत अधिक कार्यकर्त्ताओं को तैयार करने में दो वर्ष और लग जायंगे। ऐसी दशा में ग्राम विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो इस समय १० वर्ष का है, १२ वर्ष का कर देना पड़ेगा।

[कार्यक्रम के पूर्णता की जो राष्ट्रीय आवश्यकता है, उस तक पहुँचने के लिए हमें १० के बजाय २० वर्ष का समय लगाना पड़ेगा जो राजनीतिक दृष्टि से असम्भव

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

है। किन्तु जिन दो वर्षों के बढ़ाने का मैं सुझाव दे रहा हूँ, वह छोटा भी है और सम्भव भी। इतने थोड़े से समय में थोड़ा-सा फर्क करने से हमारे कार्यकर्त्ताओं की योग्यता और उत्साह में काफी अन्तर पड़ जायगा और यह निश्चित है कि कार्यकर्त्ताओं की योग्यता और उत्साह ही ग्राम विकास के राष्ट्रीय प्रयास के लिए सब से महत्वपूर्ण कारण है।]

नौकरशाही शासन का कार्यानुकूल बनाया जाना

कार्यकर्त्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ाने के बारम्बार उठने वाले प्रश्न की कठिनाई के कारण यह परिपाटी-सी हो गई है कि उचित प्रशिक्षण और संगठनात्मक सहायता के पहले ही वर्त्तमान अफसरों को ही वह कार्यभार सौंप दिया जाय। अनेक उदाहरणों में से यहाँ केवल दो दिये जाते हैं : (१) उत्तर प्रदेश में जिला नियोजन अधिकारी और (२) राष्ट्रीय प्रसार सेवा में जिलाधीश।

उत्तर प्रदेश में जिला नियोजन अधिकारी की समस्या

[उत्तर प्रदेश के शुरू की अग्रगामी योजनाओं में ग्रामीण विकास के सघन समन्वय के लिए जिला नियोजन अधिकारी के पद का मूल्य महत्वपूर्ण सिद्ध हो चुका है। उसके बाद १९५१ में इसी ढांचे को उत्तर प्रदेश के ५१ जिलों में लागू कर दिया गया। जल्दी-जल्दी जिला नियोजन अधिकारी गढ़े गये। और यह काम शासन प्रबन्ध के उस समय के डिप्टी कलक्टरों को सौंपा गया। यह वे लोग थे जिनको विकास कार्य का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। और उनमें से अधिकांश विकास कार्य के लिये उपयुक्त भी नहीं थे। इसका कारण यह था कि वे इससे बिल्कुल भिन्न पदों के लिये तैयार किये गये थे, और उसी तरह के कार्य में उत्तरोत्तर उन्नति करने का दृष्टिकोण भी था।]

प्रशासकीय अधिकारियों की खामियों को दूर करने के विचार से एलबर्ट मायर ने नीचे लिखे स्मृति-पत्र प्रस्तुत किये।

यह माना जाता है कि नियोजन और विकास संगठन में जिला नियोजन अधिकारी ही केन्द्र विन्दु है। यह बात इन कारणों से ठीक उतरती है :

१. लखनऊ के मुख्य कार्यालय से योजनाएँ और उसकी आवश्यक सामग्री जिले में कार्यान्वित किये जाने और विकास कार्यों के समन्वय के लिए उसी के पास भेजी जाती है।

२. पंचायतों, सहकारी समितियों, ग्राम सेवकों और सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों से उसी के पास योजनाएँ और आवश्यक सामग्री की मांग भेजी जाती है; ताकि वह कार्यान्वित हो सके, आवश्यक वस्तुओं के लिए विभिन्न विभागों से सहायता मिल सके।

३. जिला के विभागीय अधिकारियों और जिला नियोजन समिति के मंत्री के बीच मेल बैठाने वाला भी यही अधिकारी है।

४. योजनाओं के बाहर भीतर के वास्तविक काम में शामिल होने के लिए,

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

स्थानीय मीटिंगों में उपस्थित रहने के लिए और स्थान-स्थान पर जा कर जांच करने के लिए उसे दौरे करने पड़ते हैं।

५. उसी को निश्चय करना पड़ता है कि आवश्यक साधनों की पूर्ति ठीक समय पर, ठीक परिमाण में हो।

यह धारणा बिलकुल स्पष्ट है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत ही अनुकूल स्थिति में भी इसका ठीक से पूरा करना कठिन है। किन्तु वर्तमान स्थिति में कई तरह से उचित काम का ठीक से पूरा करना असम्भव है। यदि कार्यभार के अनुरूप सुविधाएँ दी जायं और स्थिति ठीक हो, तो जिला नियोजन अधिकारी के पद पर रहने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा काम कर दिखाने का अवसर है। अच्छे काम करने वाले कम भी नहीं हैं। किन्तु यदि इस तरह की सुविधायें प्राप्त न हों और अनुकूल परिस्थिति न मिल सके, तो यह पद असफलता, उदासीनता और निराशा उत्पन्न करने वाला सिद्ध होगा।

गत वर्ष की रिपोर्ट में इस बात पर काफी विचार किया गया है। तो भी स्थिति सुधरी नहीं है। यह इस समय भी उतना ही सत्य है और इस भावना में वृद्धि ही होती जाती है कि एक अच्छा विचार बहुत अधिक बोझिल बना दिया जाता है। ज़िला नियोजन अधिकारी को दिये गये विकेन्द्रीयकरण के अधिकार स्थानीय रूप में केन्द्रीयकरण में परिणत हो जाते हैं; और उचित समय और पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों के न रहने पर यह समन्वय वाली बात या तो काम में रुकावट पैदा करने लगती है या दिखावा बन जाती है, अथवा कागज पर उसकी बहुत बढ़ा-चढ़ा कर रिपोर्ट दी जाने लगती है।

वर्त्तमान और उत्तरोत्तर बढ़ने वाली कमियाँ

१. जिला नियोजन अधिकारियों को न तो प्रशिक्षण मिला, न उनको अन्दरूनी या क्रमबद्ध अनुभव ही था। उनमें से अधिकांश को तो कोई प्रशिक्षण बिलकुल दिया ही नहीं गया; उनमें से अधिकांश ने विकास कार्य में पहले कोई भाग नहीं लिया था। यह स्थिति उस समय और भी अधिक खराब हो गई जब कुछ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया या उन्हें पद-वृद्धि दी गई और उनके स्थान पर नये रंगरूटों की नियुक्त कर दी गई।

२. जिन ज़िलों में सामुदायिक विकास योजनाएँ थीं, उनको छोड़ कर दूसरे स्थानों पर न तो इसकी देखभाल की गई और न अधिक अनुभवी अधिकारियों द्वारा पथ-प्रदर्शन ही किया गया।

३. इस अधिकारी पर नियोजन समन्वय तथा कार्य संचालन और बड़ी-बड़ी रिपोर्टों को तैयार करने का काम लाद दिया गया; किन्तु इन सब कामों में सहायता देने के लिए उपयुक्त कर्मचारी नहीं दिये गये। फल यह हुआ कि जहाँ पर विकास अधिकारी स्वयं लगन वाला, बुद्धिमान, और कार्य शक्ति सम्पन्न है, वहाँ भी किसी भी विभाग का ठीक से समन्वय नहीं हो सका।

४. ऊपर के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जिला नियोजन अधिकारी पर कार्यक्रमों, कार्य-संचालन और कागजी काम की भरमार होती रही; किन्तु न तो

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

पूरी चेतावनी दी गई और न ऊपर के अधिकारियों ने इसकी जांच ही की कि और दूसरे कौन से काम बढ़ गये हैं।

५. जिलाधीश का यह रवैया रहा है कि जिला नियोजन अधिकारी को सभी तरह के कामों के लिए (जिनमें बाहर से आने वाले बहुसंख्यक सम्मानित दर्शकों को मोटर पर बैठा कर दृश्य-दर्शन कराने का भी काम शामिल है) पकड़ लिया जाय।

सुझाव

१. प्रशिक्षण और अनुभव की कमी

(अ) सभी जिला नियोजन अधिकारियों को एक खास प्रशिक्षण कैम्प में उपस्थित होना, और सामुदायिक योजनाओं में कम से कम एक महीने का कार्य करना।

(ब) उस प्रशिक्षण के लिये सुरक्षित पदाधिकारियों के दस से पंद्रह व्यक्तियों को पहले चुन लेना चाहिए, तब मौजूदा कार्यारोपण की ओर जाना चाहिए। इसी समुदाय से जिला नियोजन अधिकारियों और उपनियोजन अधिकारियों के पदों के लिये चुनाव करना चाहिए।

२. **देखभाल और पथ-प्रदर्शन**—यह स्थिति अब सुधर जायगी, क्यों कि अब मण्डलीय उप विकास आयुक्त कार्य शुरू कर रहे हैं। हालांकि, यह बिलकुल काफी नहीं है।

सुझाव :

उन विभागों, उदाहरण के लिए, कृषि विभाग, जो इन पदाधिकारियों को नहीं रखते हैं, को कर्मठ व्यक्तियों को क्षेत्र उप संचालक पद पर नियुक्त करना चाहिए, जिससे वे क्षेत्र के काम में मदद, सलाह व निर्देशन दे सकें तथा मण्डलीय उप विकास आयुक्त के सहयोग में काम कर सकें।

३. **कार्यकर्त्ताओं की कमी**—हमें जिला नियोजन अधिकारी को उसके नियोजन, विकास, सहयोग और अनुसरण कार्य के लिये मुक्त कर देना चाहिए।

सुझाव :

(अ) सहायक नियोजन अधिकारियों के पदों में बढ़ोत्री कर देनी चाहिए। वहाँ अब जो ऐसी जगह है, वह भर दी गई है। बहुधा उस पद पर उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। ऐसे पद पर अच्छे मेहनती आदमियों की जरूरत है और उन्हें लेखा तथा प्रशासन का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

(ब) एक सीनियर एकाउन्ट्स क्लर्क और एक लिपिक को कागजी काम करने के लिए नियुक्त करना चाहिए।

४. **कार्यक्रम, आंदोलन, ऊपर से आये हुए कागजी काम**—इस प्रकार के आंदोलनों की भरमार है। ये बिला किसी सूचना के एकदम से आ जाते हैं; और बहुधा एक ही समय पर एक से अधिक आंदोलन चलते हैं। इसी प्रकार कागजी काम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अधिक है। प्रत्येक विभाग रिपोर्ट चाहता है तथा नई रिपोर्टें तैयार करता है। अकेला पंचायत विभाग ही २२ रिपोर्टें चाहता है। पंचायत और सहकारिता विभाग साथ-साथ जिला नियोजन अधिकारी से और अधिक दौरे करने की आशा करते हैं, जितने कि वह सम्भवतः कर सकता है यदि उसे और कुछ न करना हो।

सुझाव :

(अ) जिस प्रकार का सहयोग क्षेत्रीय तथा जिले स्तर पर है, उसी प्रकार का सहयोग विकास आयुक्त द्वारा मंत्रिमण्डल स्तर पर और विभागीय अध्यक्ष स्तर पर प्राप्त कर लेना चाहिए। यह कार्य पूर्णतया कर पाना असम्भव है, परन्तु अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए यदि जिला स्तर पर जिला नियोजन अधिकारी के सामान्य विचार को अति समीप से पूर्ण करना है।

(ब) वर्ष के प्रारम्भ में सभी आंदोलनों का समय जिले की योजनाओं के साथ ही निश्चित करना चाहिए, ताकि उन आंदोलनों का जिलों की योजनाओं में समावेश किया जा सके और उन्हें चलाया जा सके।

५. जिला नियोजन अधिकारी—समन्वय करने वाला व्यक्ति

सुझाव :

(अ) एक कमेटी नियुक्त की जाय जिसके अध्यक्ष विकास आयुक्त हों और जिनमें दो जिलाधीश तथा दो जिला नियोजन अधिकारी हों। यह कमेटी इस बात का निर्णय कर दे कि जिला नियोजन अधिकारी के क्या-क्या कार्य होंगे और जिलाधीश कितने और काम ले सकते हैं। यह रिपोर्ट सभी जिलाधीशों के पास भेजी जाय, और जिलाधीश तथा जिला नियोजन अधिकारी के बीच के सम्बन्धों का आधार मान ली जाय।

(ब) जब किसी ज़िले में मंत्री या सम्मानित दर्शक आयें तो यह तय कर दिया जाय कि उनकी हाजिरी के लिए ज़िला नियोजन अधिकारी का कम-से-कम समय लगे; ताकि ज़िला नियोजन अधिकारी का समय (जो वैसे ही कार्यभार से लदा हुआ है) अधिक खर्च न होने पाये। यदि मंत्री इस बात पर जोर न देंगे, तो ज़िला नियोजन अधिकारी का समय व्यर्थ में नष्ट होता रहेगा। [५४.५]

ज़िलाधीश और राष्ट्रीय प्रसार सेवा

[जैसे-जैसे ग्रामीण विकास खण्ड राष्ट्र भर में फैले, वैसे ही वैसे उनके चलाने की जिम्मेदारी अधिकाधिक प्रशासकीय अधिकारियों के हाथ में फिर से पहुंचती गई; इन्हीं अधिकारियों के पंजे से स्वतंत्र होने के लिए अग्रगामी योजनाओं ने शुरू में संघर्ष किया था।[3]]

---

[3] देखो अध्याय दो और तीन।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अंत में १९५५ के शुरू में राष्ट्रीय आधार पर यह तय कर दिया गया कि ज़िलों के प्रशासकीय अधिकारी ज़िलाधीश या कलक्टर ही अपने-अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्य की अध्यक्षता करेंगे। ये लोग पुराने प्रशासन के मुख्य प्रतिनिधि हैं। आम तौर पर अपने प्रशिक्षण और अनुभव के कारण इन लोगों को बहुत अधिक आत्म विश्वास रहता है, उन्हें प्राविधिक कार्य या प्राविधिक प्रशिक्षण में बहुत कम विश्वास होता है। वे व्यक्तिगत सूझ-बूझ और अधिकार में अधिक विश्वास करते हैं। समझते हैं कि एक प्रशासक किसी भी काम को अपने हाथ में लेकर चला सकता है और वे मध्यम वय को पार किये हुए होते हैं (प्रायः नवजवान नहीं होते)। वे प्रशिक्षण लेने में अयोग्य से हो जाते हैं। किन्तु यह तो साफ ही है कि कुछ तो करना ही होगा। [५५.९]

इस सुझाव के अनुसार सेमिनार के विस्तृत कार्य-क्रम के रूप में १९५५ में मायर ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये सुझाव दिये :

इस व्यवस्था के अनुसार ज़िलाधीश को राष्टीय प्रसार सेवा कार्य-क्रम के विकास में प्रमुख भाग लेना है और चूंकि क्षेत्र के समस्त सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे में उसका सब से महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हमें जल्दी ही उसे इस तरह की प्राविधियों, विचारों और दृष्टिकोणों से परिचित करा देना आवश्यक हो गया जिनके कारण कार्य में सफलता भी मिले और जिससे जनता विकसित हो सके। ज़िलाधीश के लिए अधिक महत्वपूर्ण दूसरा काम नहीं था। और बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उनके सामने यह बात स्पष्ट कर देनी थी कि इस तरह के काम में ज़िलाधीश की मान मर्यादा, निर्णय, अनुभव और समझ सब से अधिक महत्वपूर्ण हैं, किन्तु ये सारी बातें भी काफी नहीं हैं; क्योंकि विकास के कारण अपने खास ढंग के पारस्परिक सम्बंध और प्राविधियां विकसित हुई हैं; और विकास कार्य के लिए इनकी आवश्यकता भी है। यह सब ठीक उसी तरह हुआ है जैसे उसके प्रशासन क्षेत्र में खास चीज़ विकसित हुई हैं। और अगर इन सब बातों को वे समझ लें और उन पर अमल करें, तो उनकी पहले की शिक्षा और व्यक्तिगत योग्यता के कारण विकास के भौतिक लक्ष्य और जनता के विकास में बहुत अधिक वृद्धि होगी।

इन कारणों से यह स्पष्ट है कि कुछ इस तरह व्यवस्थित प्रशिक्षण और विचारों के आदान-प्रदान के तरीके निकाले जायं जो व्यावहारिक रूप में ज़िलाधीश के कार्य-भार के अनुरूप हों और जिसके लिए उन्हें ज़िले के बाहर अधिक समय न व्यतीत करना पड़े। ऐसी स्थिति में हमें ठीक ऐसे कार्यों और दृष्टिकोणों को चुनना होगा जो सब से अधिक महत्वपूर्ण हों और जिन्हें ज़िलाधीश अपने कार्य-व्यस्त समय में लागू कर सके। [५५.६]

विकास के लिए शिक्षा

[यदि आवश्यक हो तो विकास कार्य के संचालन के लिये कार्यकर्त्ताओं की भर्ती को वर्त्तमान प्रशासन में केवल अस्थायी रूप में ही करने का प्रयत्न किया जाय। मुस्तकिल हल तो उनके लिए निश्चित शिक्षा के विधान से ही हो सकेगा।]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि सामुदायिक विकास योजनाएं और राष्ट्रीय प्रसार सेवा की आजीविका स्थायी, पर कठिन होगी। पहले सामुदायिक विकास योजना के शुरू होने से अब तक करीब तीन वर्ष बीत चुके। फिर भी हमें अपने स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों से अधिक योग्य आदमी नहीं मिल रहे हैं। हम अपने केन्द्रों में जो थोड़ा-सा प्रशिक्षण दे रहे हैं उसे एक-दम शुरू से ही चालू करना होगा। देश में इस समय भी अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र और अंग्रेजी आदि में बहुत से बी० एस-सी०, एम० एस-सी०, एम० ए० हैं जिन्हें काम मिलने में कठिनाई हो रही है और हमें इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है कि हम इन लोगों से अपना काम कैसे लें। जिस आदमी को समाज शिक्षा के बारे में पहले से कुछ ज्ञान भी नहीं है उसे ६ महीने में या ४ महीने में हम समाज शिक्षा कार्यकर्त्ता कैसे बना सकते हैं या जिसने कृषि में एम० एस-सी० की डिग्री ली है; किन्तु जिसे कालेज में प्रसार कार्य का प्रशिक्षण और अवसर नहीं मिला है, उसे हम तुरंत ग्रामीण कृषि कार्यकर्त्ता कैसे बना सकते हैं। उसकी कालेज की शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए कि उनकी प्रस्तावित आजीविका से उसका बहुत समन्वय हो। प्रशिक्षण शिविरों का काम तो केवल अन्तिम रूप देने का ही होना चाहिए। [५५.५]

इस समय भी हमारे प्रशिक्षण का आधार यही है कि हम अप्रशिक्षित लोगों को लेते हैं और उन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों में ४ से ६ महीने तक प्रशिक्षण देते हैं।[४] आकस्मिक आवश्यकता के समय यही उचित था, लेकिन अब लम्बे अर्से का कार्यक्रम है जिसे हमें करना है। हमें तुरन्त ही स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को इस प्रकार बदलवाना चाहिए जिससे हमारे क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी हो सके। हमें अपने स्कूलों व कालेजों के पाठ्यक्रमों को भी इस तरह बदलवाना चाहिए कि हमें अब से दो वर्ष आगे पहले से अधिक योग्य आदमी मिलें, जो हमारे काम में अधिक अच्छी तरह लगाये जा सकें।

कुछ खास-खास बातों में तो हम बहुत ही पिछड़े हुये हैं, उदाहरणार्थ : पशु चिकित्सक या पशु पालन अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक और ओवरसियर के पदों के लिए कार्यकर्त्ता पाने में। कृषि इंजीनियरिंग में, जहाँ इनकी बहुत कमी है (इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में बहुत ही कम अधिकारी योजनाओं में हैं), मुझे विश्वास है सारे देश में एक वर्ष में लगभग ३० ग्रैजुएट निकलते हैं।[५] [५५.२]

समाज शिक्षा और जन सहयोग कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण करने वालों की भी बहुत अधिक कमी है। हमारे वर्त्तमान प्रशिक्षण शिविरों तक में ऐसे लोग नहीं हैं। हमें योग्य व्यक्तियों को खोज निकालना होगा, क्योंकि बिना उनके हम गांव वालों के मन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेंगे। जन सहयोग के कार्यकर्त्ता में केवल सैद्धांतिक और मनोवैज्ञानिक समझ ही नहीं चाहिये (हमारे अनेक प्रशिक्षकों में केवल यही बात है), बल्कि इसके साथ ही उनमें गांव के प्रति एक भावना होनी

---

[४] इटावा में लगभग ८०० ग्राम विकास कार्यकर्त्ता करीब २० प्रशिक्षण शिविरों से निकल चुके हैं।

[५] अब उस स्थिति में संख्या की दृष्टि से बहुत सुधार हुआ है।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

चाहिए, उन्हें गांव की अंतरात्मा को समझने की शक्ति होनी चाहिए, और गांव के संगीत, विनोद, परम्पराओं और गीतों तथा कक्षाओं की भी समझ होनी चाहिए। [५३.३]

अधिकारी शिक्षा विशेषज्ञों से बातें करने पर प्रशिक्षण के कुछ प्राविधिक पहलुओं की जानकारी भी देने की बात सामने आई। उदाहरण के लिये : क्षेत्र में काम करने वाले कृषि कार्यकर्त्ता फलों की खेती के बारे में काफी जानकारी नहीं रखते। पर हमारी अधिकांश योजनाओं में साग-सब्जी की पैदावार फलदार पेड़ों के लगाने पर काफी महत्त्व दिया गया है। इसी तरह कृषि के विशेषज्ञ सुधरे हुए औज़ारों को काम में लाने की विधि नहीं जानते, और उन्हें इसमें विशेष विश्वास भी नहीं है। फल यह होता है कि न तो हमारे सहायक विकास अधिकारी और न ग्राम सेवक जनता को इस दिशा में अधिक सहायता कर सकते हैं। शिक्षालयों में इन्हें प्रसार, भावना और कार्य की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। [५५.५]

हमें केवल विश्वविद्यालय, कालेज, स्कूल के पाठ्यक्रमों में ही उचित परिवर्तन नहीं करना चाहिए बल्कि नियोजित आन्दोलन के द्वारा विद्यार्थियों को इस बात का ज्ञान करा देना चाहिए कि उनके लिए असली स्थान कहाँ हैं। ऐसा करने से उचित रूप में लग सकेंगे। इस तरह हम जो भी कर सकते हैं (और हम बहुत कुछ कर सकते हैं) उसे करना चाहिए, ताकि शिक्षित लोगों की मांग और पूर्ति तथा प्रशिक्षण एवं नियुक्ति में ठीक से मेल बैठ सके। इस तरह हमारे कार्यकर्त्ताओं का स्तर गिरने के बजाय ऊंचा उठेगा, क्योंकि बजाय इसके कि हम वर्तमान स्थिति में किसी न किसी तरह काम चलायें, हम अधिक अच्छे और प्रशिक्षित आदमियों की तैयारी में योग दे सकेंगे। [५५.२]

प्रशिक्षण के बाद व्यावहारिक अभ्यास

केवल यही एक महत्त्वपूर्ण बात नहीं है कि हम वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्रों से ऐसे अच्छे लोगों को तैयार कर सकें, जो हमारे काम के लिए अधिक उपयुक्त हों, बल्कि हम अपने वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्रों और कार्यक्रमों को भी सुधार लें। [५५.३]

इस समय हर नये विकास खण्ड में नये कार्यकर्त्ता रक्खे गये हैं, जो अभ्यस्त और अनुभवी नहीं हैं। इनको सुधारना होगा। [५३.४]

इसलिए इस समय जो प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं उनमें प्रशिक्षित होने वालों को कम-से-कम दो महीने तक किसी अच्छे ढंग पर चलने वाले विकास खण्ड में उम्मीदवार की तरह जा कर अनुभव प्राप्त करना चाहिए। अभी यह नहीं हो रहा है। कार्य करने के लिये इस तरह का प्रशिक्षण बहुत मूल्यवान है। प्रशिक्षण केन्द्र के दौरान में भी प्रशिक्षण लेने वाले यह नहीं जानते कि चालू योजना क्या है ? वे बहुत से कृषि यंत्रों को चलते हुए या विकास खण्ड में काम होते हुए नहीं देखते। न तो वे प्रतिदिन होने वाले निर्णयों में मसलों, कार्य पद्धतियों या हलों में ही व्यावहारिक भाग लेते हैं। मामूली तौर पर चलने वाले प्रशिक्षण के अलावा, उम्मीदवारी के समय का व्यावहारिक अनुभव प्रशिक्षण के सारे अनुभव को अधिक यथार्थ, स्पष्ट और व्यावहारिक बना देता है।[१]

---

[१] देखो पृष्ठ १७६ से १७८

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

जो विकास खण्ड इस तरह के उम्मीदवारों को लेना स्वीकार करें, वे उम्मीदवारी के काम और समय की योजना ठीक से बना लें, जिससे उम्मीदवार को बेकार समय न गंवाना पड़े। वे एक दर्शक मात्र न रह जायं। दृश्य दर्शन का अपना निजी लाभ है। किन्तु केवल योजना क्षेत्र में आने से ही अधिक लाभ नहीं होता उम्मीदवार से काम लेना चाहिए। तभी वह कुछ सीख सकेगा। तभी वह विकास खण्ड को कुछ लाभ भी पहुंचायेगा। [५५.३]

सहयोगियों से अपील

एक स्थान पर जब मायर को यह विश्वास हो गया कि अब वे व्यक्तिगत रूप से दिन प्रतिदिन गिरने वाले स्तर को, जो आमतौर पर सभी स्थानों में दिखाई पड़ता था, गिरने से रोक नहीं सकते तब उन्होंने अपने पुराने सहयोगियों से व्यक्तिगत अपील की कि वे अपनी व्यक्तिगत शक्ति और ईमानदारी को इतना दृढ़ कर लें कि वे खुद इस तरह बहाव में बह न जायं और अपना स्तर किसी तरह नीचा न होने दें।

न्यू यार्क
सितम्बर ४,१९५५

प्रिय—

यह पत्र बहुत ही गुप्त, अनौपचारिक, हार्दिक अपील और सुझाव से भरा है। मैं इसे आप को लिख रहा हूँ और अपने कुछ पुराने साथियों को भी।

शुरू के दिनों से जो एक बात और हुई, वह यह है कि सामुदायिक विकास खण्ड और राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड में काम बहुत अधिक बढ़ गया। यह बाढ़ काम करने वाले पुरुषों की योग्यता और प्रशिक्षण के बाहर हुई। दूसरी दुखदायक बात यह हुई कि ऊपर के निरीक्षण संगठनों में, जिनके द्वारा इस स्थिति में कुछ सुधार हो सकता था, कार्यकर्त्ता आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त हो सके। योग्य अनुभवी सहायक विकास आयुक्तों और उप विकास आयुक्तों की संख्या बहुत ही कम थी, इस कारण वे ठीक से निरीक्षण नहीं कर सके। इस स्थिति का कुछ सुधार तो सेमिनार-कांफ्रेन्सों के द्वारा और कुछ चुने हुए विकास खण्डों में दौरा करने से किया गया। तो भी सबसे अधिक आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो पुराने कार्यकर्त्ताओं की तरह यह समझते हों कि अच्छा काम क्या है और जो यह जानते हों कि ठीक से तैयारी किस तरह की जानी चाहिए और योजना किस तरह बनानी चाहिए। जिन लोगों ने अपने पर अनुशासन कर लिया है, जिसके कारण वे मनमाने ढंग पर झक में आकर अप्रमाणित काम नहीं करेंगे या जो किसी काम के दौरान में अपने विचारों को एका-एक नहीं बदल देंगे, वही के आदमी ऊपर वाली कमी को दूर सकते हैं।

चूंकि अब काम बहुत अधिक बढ़ गया है और हमारे पुराने तरीकों में बहुत रद्दोबदल हो गया है, इसलिए जिनमें ठीक भावना, प्रशिक्षण और अनुभव है भी, वे भी इन सब को उस तरह व्यवहार में नहीं ला सकते जिस तरह वे चाहते हैं। हमें इन बातों को तो मान ही लेना चाहिए। फिर काम अन्त में अच्छे रूप में हो इसके लिए असल में अच्छे आदमियों की अधिक संख्या में आवश्यकता है। यह आदमी ऐसे हों जिनमें ऊपर वाले गुण तो हों ही, साथ ही वे अपने अन्दर इन बातों को कायम

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

रख सकें और जो यह जानते हुए भी कि जिस तरह वे काम चाहते हैं उस तरह काम नहीं कर सकते, वे आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से घुटने न टेक दें। यही इस पत्र का मुख्य विषय है।

मैं इसके करने का एक उपाय जानता हूँ। हालांकि यह उपाय वांछनीय रूप में बड़े पैमाने पर काम में नहीं लाया जा सकता। इतने पर भी हमारे सामने केवल यही एक उपाय है। वह यह है : हम में से हर एक ऐसे एक, दो या अधिक से अधिक तीन आदमियों को चुन लें, जिनमें जागृति की भावना हो, दृढ़ इच्छा-शक्ति हो और आंतरिक प्रेरणा हो। और उस आदमी या उन आदमियों के साथ सभी पहलुओं पर काम शुरू कर दे। इस तरह हम ऐसे लोगों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ा सकेंगे जिनमें अटल विश्वास और विस्तृत ज्ञान हो। मैं समझता हूँ कि यही सबसे उत्तम उपाय है जिसके द्वारा निश्चित रूप से हम अपनी ईमानदारी और कर्त्तव्य-शक्ति को जीवित रख सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि सेमिनार, आदेश, परिपत्र, सामयिक दौरे और यथा सम्भव अधिक से अधिक कार्यकर्त्ताओं का विकास आदि सारे नियमित काम चालू रखने ही होंगे। आप का मुख्य काम होगा त्याग कर के लगन से काम करने वाले लोगों को चुन लेना और अधिक दृढ़ता से उन्हें प्रोत्साहित करते रहना। यह बिल्कुल सम्भव है यदि अपनी सारी शक्ति उन्हीं पर केन्द्रित करदें और उनमें स्फूर्ति उत्पन्न कर दें।

कृपया इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कीजिए, बहुत ही सावधानी से उन एक, दो या तीन आदमियों को चुनिए और विशेष रूप से अपने को उनके विकास में लगा दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप इतने अधिक व्यस्त हैं कि शायद आप इसके लिए न तो समय निकाल सकते हैं, और न इस दिशा में काम ही कर सकते हैं फिर भी हर तरह प्रयत्न कर के आप को इतना तो करते ही रहना है।

भवदीय
एलबर्ट
[५५.१०]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

९ भविष्य और सम्भावनाएँ

[इस पुस्तक का व्यावहारिक विषय पूरा हो गया है। इसके शुरू के पृष्ठों में जिन प्रारम्भिक सफलताओं का वर्णन किया गया है वे मानवीय आशाओं और उनकी पूर्ति के महासागर में नन्हीं बूंदों के समान हैं। तब से उनकी संख्या और उनका विस्तार बहुत बढ़ गया है।

[व्यावहारिक प्रयत्नों के इन वर्षों में तीन अपूर्ण कार्य बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आ गये हैं। ये अग्रगामी प्रयास के परिणाम के रूप में ही सामने आये हैं।

[जब संसार के एक भाग के व्यक्ति दूसरे भाग के लोगों की आकांक्षाओं और कार्यों में योगदान देते हैं, तब क्या घटनाएँ घट सकती हैं, घटनी चाहिए, या घटती हैं ?

[यदि भारतीय ग्रामीण जीवन को पूरी तरह से फलना-फूलना है और आत्म-विकास द्वारा नया जीवन प्राप्त करना है, तो कितना और अधिक आगे बढ़ना होगा ?

[हम अपने सारे कार्य, लगन और बलिदानों के कारण ग्रामीण विकास में कहां जा रहे हैं ? क्या हम दूर खड़े हो कर अपने प्रयत्नों के परिणाम पर एक परीक्षणात्मक दृष्टि डाल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान नाटक में निर्धारित पात्र होने के कारण हमारी नजरों पर झीना परदा पड़ सकता है।]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

आदान प्रदान

[एक व्यक्ति अपने विदेशी अनुभवों से कितना देता है और कितना प्राप्त करता है ? भ्रातृत्व का किस अंश तक वह मध्य बिन्दु बनता है ? वह दूसरे देश की संस्कृति को अपने देश और पीढ़ी के सामने किस रूप में रखता है ?

['अर्द्ध विकसिक देशों को सहायता' वाली भावना को दोनों देश वाले केवल एकतरफा रीति मानते हैं, अर्द्ध विकसित देश ही ग्रहण करने वाला माना जाता है। किन्तु मेरा अपना अनुभव है कि इससे दोनों देशों में आदान प्रदान होता है। इस व्यापार में जो दो देश मिलते हैं, उनमें से देने वाले को भी कुछ न कुछ मिलता ही है; और शायद अधिक मात्रा में ही। हम अपने विशेष प्राविधिक ज्ञान का और अनुभव प्रदान करते हैं, और दूसरे देश के अनोखे अनुभव से लाभ उठाते हैं। यह पारस्परिक आदान प्रदान अनेक रूपों में सामने आता है—कुछ तो अप्रत्याशित होता है, कुछ साधारण और कुछ जीवन के बड़े मसलों को सीधे प्रभावित करने वाला होता है।

[भारत में आने वाले प्राविधिक विशेषज्ञ को पुरस्कार रूप में इस बात की शिक्षा मिलती है कि उससे यह पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति बिना बहुत साज सामान के भी बहुत ही कम साधनों से महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। और पश्चिम में, विशेष रूप से अमेरिका में, हम लोग संवारने-बनाने में बहुत ही अधिक समय और धन नष्ट कर डालते हैं। हम में से कुछ लोगों को जब बहुत अधिक कार्यकर्त्ता तथा भारी भरकम और बहुत संख्यक साधन प्राप्त नहीं होते तो हमारा दिमाग फिर जाता है। यह तो ठीक है कि अन्वेषण के काम में बहुत ही सुधरे हुए यंत्र आदि की अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है। किन्तु भारत में आने पर यह पता चलता है कि कितने कम साधनों से भी अच्छी तरह काम चलाया जा सकता है। अनेक तरह की योजनाओं में अल्प साधनों से ही मजे में काम चलाया जा सकता है, क्योंकि काम करने वाला यह नहीं सोचता कि जब तक सभी चीजें पूरी तरह से तैयार न हो जायं तब तक काम को रोक देना चाहिए।

[अन्य अनेक अनुभवों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि भारत से और अर्द्ध विकसित देशों से योरोप और अमेरिका का व्यक्ति और पश्चिमी संसार कितना अधिक सीख सकता है। उदाहरण के लिये पश्चिम ने अभी हाल ही में इस बात का पता लगाया है और इस बात के मूल्य को समझने की वह कोशिश कर रहा है कि नन्हा सजग समुदाय पूर्व में, अफ्रीका में और अमेरिका में आज भी कितना सशक्त है। भारत में गांधी जी ने ग्रामीण जीवन की सजीवता पर खास जोर दिया है। उन्होंने छोटे समुदाय को नवजीवन और नवीन शक्ति देने के लिए बहुत बड़ा काम किया। अब पश्चिम में इस बात को समझा जा रहा है और पश्चिम के बड़े-बड़े शहरों में नियोजित पड़ोसी बस्तियों द्वारा उनको संगठित करने की अब चेष्टा की जा रही है।

[पूर्व-पश्चिम की सम्मिलित सफलताओं के सम्भावित उदाहरण अनेक रूपों में प्राप्त हो सकते हैं। भारत में करीब आधे दर्जन बड़ी जल विद्युत योजनाएं बनी हैं, जिनका प्रारम्भ पश्चिम की सहायता से हुआ है। दामोदर वैली कारपोरेशन को अक्सर भारतीय टी० वी० ए० कहा जाता है। इस तरह की जल विद्युत योजनाओं

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

के द्वारा देहात में भी बिजली प्राप्त हो सकेगी, जिससे गांव का जीवन अधिक सुखद हो जायगा। और साथ ही पूर्व तथा पश्चिम के समाज-शास्त्रियों और अर्थ-शास्त्रियों ने उद्योगों के जिस विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया है, वह भारत में आसानी से कार्यान्वित की जा सकेगी। बिजली की शक्ति की सहायता से भारत अपने गांवों को नव-जीवन दे सकेगा और नये गांवों का निर्माण कर सकेगा।

[इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि पूर्व और पश्चिम में ऐसी बहुत चीजें हैं जिनका मानवीय रूप में आदान प्रदान किया जा सकता है। तो भी एक प्रश्न उठता है : कि हम कितने जागरूक हैं और हम अपने को कितने अधिक जागरूक रहने देंगे ? हम नये अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने को कितना तैयार कर सकते हैं ? हम अपनी महत्ता और प्रतिष्ठा की भावना से अपने रूढ़ियों और रीति रिवाजों से तथा नारों के बंधनों से किस हद तक अपने को मुक्त कर सकते हैं ? यदि हम स्वतंत्रतापूर्वक शिक्षा दे सकते हैं, निष्पक्ष होकर मूल्यांकन कर सकते हैं और बाहर की चीजों को ग्रहण कर सकते हैं तभी हम एक महान राष्ट्र के महान नागरिक हो सकते हैं और तभी हमारी पीढ़ी एक महान पीढ़ी मानी जा सकती है।]

ग्रामीण जीवन में नव शक्ति संचार

[विश्व समाज से नीचे असंख्य छोटे सामाजिक कोषों पर विचार करने से हमें पता चलता है कि जितना हमने अब तक समझा है उससे कहीं अधिक ग्राम्य जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है।]

यद्यपि हम किसी बात के लिए गर्व तो नहीं कर सकते, किन्तु यह विश्वास-पूर्वक कह सकते हैं कि हमारे काम से गांवों के जीवन में भौतिक स्तर पर काफी सुधार होगा। अधिक अच्छे जीवन के आधार के रूप में यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है। किन्तु हम सब इस बात में एक मत हैं कि जो कुछ भी हुआ है वह काफी नहीं है। हम जानते हैं, और पश्चिमी संसार ने विशेष रूप से इस बात का अनुभव किया है, कि भौतिक उन्नति और उच्च शिक्षा मात्र हमें अधिक सुखी नहीं बना सकते; हमारे मानवीय सम्बंधों को अधिक अच्छा नहीं कर सकते और व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप से अधिक सामन्जस्य नहीं ला सकते। भारत में भी जो लाभदायक परिवर्तन हम कर रहे हैं, जिनसे गांव वालों में अधिक चेतना और अधिक कर्त्तव्य शक्ति जागृत हो रही है, उनके कारण गांव के पुराने विश्वासों और सम्बंधों में दरारें पड़ रही हैं; विशेष रूप से जातियों के सम्बंधों में। इस तरह के लाभदायक परिवर्तनों से अक्सर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में तनाव भी उत्पन्न हो जाते हैं। एक तरह की दरारों को पाटने के लिए सरकार ने पंचायतों और सहकारी समितियों आदि की स्थापना की है। ये भावनाएं अच्छी तो हैं किन्तु इनका उद्भव अपने आप जनता की ओर से नहीं हुआ है। हमारे काम का सबसे महत्त्वपूर्ण भाव है इन संस्थाओं में जीवन फूंकना, इन्हें यथार्थ में क्रियाशील बनाना और उच्च स्तर के नेतृत्व का निर्माण करना।

बहुत पहले ही हमने इस बात का पता लगा लिया था कि यह सबसे अधिक आवश्यक है कि गांव वाले हमारे काम में सहयोग दें, उनमें सामाजिक शिक्षा का प्रसार हो और प्रौढ़ शिक्षा के लिये प्रयत्न करें। हमने जो कुछ सबक सीखा उनसे लाभ

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उठा कर विकास योजना क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप में काम हो रहा है और कुछ बातों में तो अधिक सुधार किये जा रहे हैं। हमने अपनी प्रौढ़ साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के विचार को अधिक विकसित कर लिया है। अब प्रौढ़ शिक्षा में सामूहिक चर्चा, शारीरिक विकास, धार्मिक भजन मण्डलियां, लोक गीत और नाटक मण्डलियां आदि सभी सम्मिलित कर ली गई हैं।

हमारे यह प्रयत्न लाभदायक और प्रभावोत्पादक हैं और उनसे पुरानी शक्ति का नई शक्ति से मेल हो जाता है तथा वर्तमान समाज में नवजीवन और नवचेतना का संचार होने लगता है। [५३.७]

शुरू से ही हम इस तरह के कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे थे। और इनके मनोरंजन और चेतना उत्पन्न करने वाले महत्त्व को समझ कर इनको बढ़ावा दे रहे थे, ताकि गावों के जीवन में जागृति पैदा कर सकें। जनता भी खुल कर इन बातों में दिलचस्पी लेने लगी और इस कारण हमने पहले से इनमें अधिक विस्तार कर दिया। यह कहा जा सकता है कि जो हम कर रहे हैं वह काफी नहीं है। और कार्य के वर्तमान ढांचे में हम बहुत अधिक कर भी नहीं सकते। विकास कार्य इतने व्यापक नहीं हो सके हैं कि उनके द्वारा गांव के उत्पादक और सम्भावित जीवन में अधिक विकास ला सकें। यह मानना पड़ेगा कि गांव वाले पहले से अब अच्छी दशा में हैं, अधिक उत्पादन कर रहे हैं, मलेरिया और कालरा से उनकी अधिक रक्षा होने लगी है। वे अपनी नालियों और गलियों को साफ कर रहे हैं और स्कूल स्थापित कर रहे हैं। अनेक स्थानों पर सहकारी समितियों और पंचायतों की स्थापना हो गई है और उनके द्वारा अगुआई करने और कार्य को व्यावहारिक रूप देने की भावना बढ़ रही है। स्थानीय नेतृत्व को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। अपने आप में ये सारी बातें महवत्त्पूर्ण और लाभदायक हैं।

किन्तु ये उतनी उत्पादक नहीं हैं। गांव के व्यक्ति और समाज को संतोषजनक आत्म-विकास और अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। सारे उत्पादक कार्यक्रम के एक अंश के रूप में इसे महत्त्वपूर्ण स्तर मिलना चाहिए।

भारतवर्ष भर में हमें ग्रामीण सांस्कृतिक जीवन में नव-शक्ति संचार का अभाव देख पड़ता है। जिस तरह का भीषण संघर्ष और विजय चीन या रूस में मिली, उस तरह की कोई चीज भारत में नहीं पाई जाती, क्योंकि भारत की जनता में इस तरह की कोई भावना नहीं है। इसका कारण यह है कि गांधी जी से लेकर अब तक के नेता मार-काट और खून-खराबा के विपरीत रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसी प्रकार का झूठा या बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर ऐसा प्रचार नहीं किया है, जिसका जनता पर अधिक प्रभाव पड़ सकता।

हमारी योजनाओं में इस तरह की चेतना और कार्य करने की प्रवृत्ति का कुछ अंश अवश्य है, किन्तु वह काफी नहीं है। मुझे इसमें शक है कि इस समय हम जिस तरह का काम कर रहे हैं इससे उसमें पर्याप्त लाभ होगा। हाल ही में जो श्रमदान आन्दोलन चला है उसने हमें एक रास्ता जरूर बताया है।

मैं देखना चाहता हूँ कि गांवों में सांस्कृतिक कार्यों का भंडार छिपा पड़ा है। हमें पूरा प्रयत्न कर के उसे उभाड़ कर ऊपर लाना होगा। यह काम भजन मंडलियों और स्थानीय नाटकों द्वारा किया जा सकता है। किन्तु यह तभी होगा जब इसे पूरी

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

शक्ति द्वारा आगे बढ़ाया जावे। इसी तरह हमें दूसरी चीजों को भी खोज कर निकालना पड़ेगा। करीब-करीब हर गांव में चित्रों के बनाने की स्वतः प्रवृत्ति पाई जाती है, जिनमें से कुछ तो बहुत ही कलापूर्ण होते हैं। गांवों में कुटीर उद्योग भी पाये जाते हैं जिनको प्रोत्साहन देना होगा।

इन सब को छांट कर गांव को कुशलता से पुनर्जीवित करना जरूरी है, ताकि उन्हें बल मिले और वे उत्पादन में योग दे सकें। स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन दे कर नाटक मण्डलियों को भी स्थापित किया जा सकता है। किन्तु स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देकर उनकी रीति में नया मोड़ देने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे नई-नई बातें गांव वालों के सामने आ सकें और उनका प्रभाव गांव वालों पर पड़ सके।

किन्तु इसे किसी भी दूसरे विकास कार्यक्रम का अंग बना कर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसे तो एक स्वतंत्र ढंग पर प्रभावशाली रूप में विकसित करना होगा। इसके लिए एक अग्रगामी योजना चलानी होगी जो हमारे सामुदायिक विकास योजना के ढंग पर संगठित हो। जब यह कुछ हद तक विकसित हो जाय तब भले ही इसे विकास कार्य के साथ सम्मिलित कर दिया जाय। किन्तु प्रारम्भ में तो इसे किसी अपने स्थानीय प्रभावशाली नेता के बल पर ही संगठित करना चाहिए। कई कारणों से मैं ऐसा नहीं समझता कि इसे एक सरकारी चीज बना देना चाहिए। मेरा विचार है कि सरकार इसे ठीक से चला भी नहीं सकती। तब सवाल यह उठता है कि यह कैसे चालू की जाय, किसी संगठन द्वारा या किन्हीं प्रतिभावान व्यक्तियों द्वारा? मैं सोचता हूँ कि शुरू-शुरू में न तो कई व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी और न किसी बड़े संगठन की ही। किन्तु कुछ लगन वाले व्यक्ति और मामूली-सा संगठन दोनों ही इसके लिए जरूरी हैं। [५३·१]

[आज भी इस पर कार्य करने को शेष है और उत्साही और कर्मठ व्यक्तियों को चुनौती है।]

अंतिम लक्ष्यों की दिशा का निर्धारण

[सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल यह है : तो हम जा कहां रहे हैं? क्या हमें इसके सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निर्देशन तालिका मिलेगी, क्या कोई इस तरह की सामयिक व्याख्या मिलेगी जिससे हम काम करने वालों को इस बात की सूचना मिले कि हम कर क्या रहे हैं? हम उस रास्ते को कैसे बदल रहे हैं जिसे इतिहास हमारे बाद साफ-साफ देखेगा?

[अर्द्ध विकसित देशों की सबसे बड़ी और व्यापक समस्या है कि वे शताब्दियों से रुके काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें, विशेषकर पश्चिमी देशों से बहुत अधिक जल्दी पूरा कर लें; क्योंकि पश्चिमी देशों को इसे पूरा करने में दो शताब्दियाँ लगीं। इतनी अधिक जल्दी इसलिए है कि पूर्ण विनाश के साथ उनकी दौड़ की होड़ लगी है। समाचार-पत्र, चलचित्र, रेडियो आदि संचार साधनों की उन्नति के कारण भारतीय किसान इस बात को जान गये हैं कि संसार में क्या चीजें मिल रही हैं और वह उन्हें लेना चाहते हैं। सालों के आन्दोलन के बीच भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संग्राम के समय बहुत ईमानदारी के साथ इस बात की घोषणा की थी कि यदि विदेशी शासन और लूट दूर हो जाय तो भारतीय किसानों को संसार की सारी चीजें प्राप्त हो सकेंगी।

[जैसी योजनाओं का यहाँ वर्णन किया गया है उनके द्वारा तीस वर्षों में जो सबसे अच्छी पद्धतियां विकसित की गई हैं उनको कार्य रूप में परिणित कर देना है। इस तरह की सहायता के बल पर हम बहुत तेजी से काम कर सकते हैं विशेषकर, वर्तमान और परम्परागत कार्य से समन्वय के साथ। किन्तु उद्योग, शिक्षा, जन-स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में चलने वाली योजनाओं का आधारभूत संगठनों और सम्बन्धों से संघर्ष हो सकता है। इसकी समानता पश्चिम के औद्योगिक क्रांति और उसके भीषण परिणामों से की जा सकती है, हालांकि औद्योगिक क्रांति भी उतनी तेज गति से नहीं चल सकी थी।

[मैं आशा करता हूं कि नव स्वतंत्र किन्तु पुराने देश औद्योगिक क्रांति के अवांछनीय फलों से अपने को बचा रक्खेंगे, क्योंकि जो कुछ वे ग्रहण करेंगे उसे वे पूरी तरह से समन्वय के रूप में लेंगे और अपने दोषों को कम से कम कर सकेंगे।

[व्यापक रूप में प्रश्न यह है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इसमें केवल अग्रगामी योजनाएं ही शामिल नहीं हैं, किन्तु सारा भारत किधर जा रहा है? इटावा, गोरखपुर सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र किस ओर जा रही है? और वे कहाँ पहुंचेगी?

[मैं यहां समाजवादी या पूंजीवादी राज्य के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल गहरे सामाजिक व्यक्तिगत और संगठनात्मक प्रभावों की बात कह रहा हूं। क्या जाति, सम्मिलित कुटुम्ब और अर्द्ध स्वतंत्र गांव जीवित रहेंगे? हम लोग जाग्रति उत्पन्न करने और पुनर्निर्माण करने की जो व्यवस्था कर रहे हैं उससे क्या उनमें नव-जीवन का संचार हो सकेगा? क्या पश्चिम की तरह इस तरह के शान्त और स्थिरता-पूर्ण संगठन नष्ट हो जायंगे? यदि उनके स्थान को लेने के लिए कोई दूसरी चीज शेष न रह गई, तो हमारे विकास कार्य से लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक होगी।

[हम लोग कार्य क्षेत्र में हैं इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि हमारा कार्य किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और न हम इस बात को ठीक से जानते ही हैं कि जो सम्बन्ध हम स्थापित कर रहे हैं उनकी गहराई कितनी है। हमें इतना समय नहीं है कि हम अंतिम परिणामों पर शांति से विचार कर सकें।

[मैं तो यह चाहता हूं कि भारत कुछ बहुत ही योग्य, अनुभवी, विचारशील स्त्री पुरुषों का एक कमीशन नियुक्त करे जो इसकी जांच करें। उन लोगों को विकास कार्य में स्वयं लगे रहने की कतई जरूरत नहीं है। उनका काम केवल यही होगा कि भारत की वर्तमान स्थिति का योरोप की औद्योगिक क्रांति आदि से तुलनात्मक मूल्यांकन करें और यह निश्चित करें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। वे यह भी बतायें कि इस समम हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उनसे समाज की किस तरह की रूपरेखा बनेगी और उसके स्थान पर दूसरा कौन-सा काम किया जा सकता है? पहले कुछ वर्षों के बाद वे अपने निर्णयों को बिना किसी सिफारिशों के प्रकाशित करें।

[उनके निर्णय माने ही जायं, यह कोई बन्धन नहीं होगा। इस तरह के निर्णयों का होना ही साधारण स्त्री पुरुषों को और वर्तमान कार्य में लगे हुए व्यस्त कार्य-

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

कर्त्ताओं को एक प्रोत्साहन देगा कि वे अपनी योजनाओं पर एक नजर डाल लें और उसके बारे में अधिक साफ तौर से जान सकें। इस तरह की विचारधारा और टिप्पणीं से काम न तो रुकेगा और न उनमें देर ही होगी। बल्कि इसके विपरीत उससे शक्ति मिलेगी, क्योंकि सारी बातें साफ तौर से दीख पड़ने लगेंगी।

[पूर्व वालों को चिंतन करने की और बहुत आगे की बातों को सोचने की आदत पड़ी हुई है। हम संगठित और व्यवस्थित रूप से विचार करने का सुझाव देते हैं—ऐसा विचार जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर आधारित हो। आज के भारत में कार्य का पुनर्संगठन तेजी के साथ किया जा रहा है। ऐसे भारत को निश्चय दूरदर्शी विचारों की ओर सुधारक प्रवृति की आवश्यकता होगी और गम्भीर और जिस संसार में पहले से ही कार्यों के पुनर्संगटन और कर्मठता की प्रधानता रही है, उसके लिए विचारशीलता सब से बड़ी विशेष देन होगी। वह समय आ गया है जब इस पर ठोस कदम उठायें जायं।]

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संदर्भ

[नीचे लिखे हुए समस्त विवरण, (अलावा उनके जिनके बारे में उल्लेख कर दिया गया है), एलबर्ट मायर द्वारा लिखे गये हैं।]

१९४६

४६.१ जवाहर लाल नेहरू द्वारा एलबर्ट मायर को भारत में नियोजन कार्य के लिए लिखा गया पत्र, दिनांक १७ जून, १९४६.

४६.२ एलबर्ट मायर द्वारा उत्तर प्रदेश, भारत, में ग्राम विकास की योजना के विषय पर गोविन्द वल्लभ पंत को लिखा गया पत्र, २ अगस्त, १९४६.

४६.३ अमेरिकन साथियों को सूचना-पत्र, २७ अक्तूबर, १९४६.

४६.४ अमेरिकन साथियों को सूचना-पत्र, १४ नवम्बर, १९४६.

४६.५ "ग्राम योजना और पुर्ननिर्माण की प्रारम्भिक रूपरेखा," २ दिसम्बर, १९४६.

४६.६ अमेरिकन साथियों को सूचना-पत्र, ११ दिसम्बर, १९४६.

१९४७

४७.१ एलबर्ट मायर द्वारा जवाहर लाल नेहरू को प्रशासन की समस्याओं पर लिखा गया पत्र, १४ अप्रैल, १९४७.

४७.२ अमेरिकन साथियों को सूचना-पत्र, ११ जुलाई से २९ अगस्त, १९४७.

४७.३ "ग्राम्य जीवन विश्लेषक", १५ नवम्बर, १९४७.

१९४८

४८.१ अमेरिकन साथियों को सूचना-पत्र, १ अगस्त, १९४८.

४८.२ "इटावा जिले में अग्रगामी विकास योजना में नियोजन, विकास और प्रशासकीय समन्वय के प्रयोगों का निश्चित कार्यक्रम," नियोजन एवं विकास सलाहकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, के पत्र में उल्लिखित, १५ सितम्बर, १९४८.

४८.३ एलबर्ट मायर द्वारा होरेस होम्स को पत्र, २७ नवम्बर, १९४८.

१९४९

४९.१ "इटावा अग्रगामी विकास योजना : अंतरिम विवरण", २९ जून, १९४९.

४९.२ "इटावा अग्रगामी विकास योजना : द्वितीय अंतरिम प्रगति विवरण", २२ अगस्त, १९४९.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

४९.३ रुद्रदत्त सिंह, "इटावा में अग्रगामी योजना संगठन क्या नहीं कर सकता," २२ अगस्त, १९४९.

४९.४ बैजनाथ सिंह, "पंच प्रशिक्षण शिविर, २८ अगस्त से ४ सितम्बर तक, १९४९."

१९५०

५०.१ अमेरिकन साथियों को सूचना-पत्र, ३१ जनवरी, १९५०.

५०.२ होरेस होम्स, "प्रसार कार्य के सिद्धान्त"—महेवा प्रशिक्षण शिविर में प्रसार प्रशिक्षार्थियों को दी गई एक वार्त्ता, ८ फरवरी, १९५०.

५०.३ होरेस होम्स, "प्रसार कार्य के सिद्धान्त"—महेवा प्रशिक्षण शिविर में प्रसार-प्रशिक्षार्थियों को दी गई एक वार्त्ता, ९ फरवरी, १९५०.

५०.४ "इटावा अग्रगामी विकास योजना : अंतरिम विवरण और मूल्यांकन," १७ जून, १९५०.

५०.५ अमेरिकन साथियों को सूचना-पत्र, २ जुलाई, १९५०.

५०.६ बैजनाथ सिंह, "महेवा क्षेत्र के कुछ घटना-चक्र," (१९५० में)

१९५१

५१.१ अमेरिकन साथियों को सूचना-पत्र, १ जून, १९५१.

५१.२ बैंजनाथ सिंह, "किसान मेला", २८ जून, १९५१.

५१.३ अमेरिकन साथियों को सूचना-पत्र, २३ जुलाई, १९५१.

५१.४ प्रथम पंच वर्षीय योजना पर एलबर्ट मायर द्वारा तारलोक सिंह को पत्र, २४ सितम्बर, १९५१.

५१.५ इटावा में एक प्रशासनिक क्रांति पर एलबर्ट मायर द्वारा के० बी० भाटिया को पत्र, २४ दिसम्बर, १९५१,

५१.६ "गृह-निर्माण तथा अन्य निर्माणों में स्व-सहायता : भारत में कुछ अनुभव," संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक पुस्तिका का प्रारूप, ३१ दिसम्बर, १९५१.

१९५२

५२.१ "जनता के साथ कार्य," कूपर फाउन्डेशन लेक्चर, स्वार्थमोर कालेज, २४ फरबरी, १९५२.

५२.२ सामुदायिक योजनाओं पर एलबर्ट मायर द्वारा तारलोक सिंह को पत्र, ३० अप्रैल, १९५२.

५२.३ ठाकुरदास बंग और सुरेश रामाभाई, "इटावा योजना—पुरस्कार का दूसरा रूप," The Pioneer (लखनऊ), ९ मई, १९५२.

५२.४ एम० पी० पांडे, "भटहट गोरखपुर की अग्रगामी विकास योजना में आयोजित पैदल-यात्रा पर एक विवरण," २३ मई, १९५२.

५२.५ भूपेन्द्र वीर सिंह, "अग्रगामी योजना घोसी (आजमगढ़, १९५२) में बीज की समस्याएँ," २८ मई, १९५२.

५२.६ भारतीय साथियों को सूचना-पत्र, ७ जून, १९५२.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

५२.७ एस० एन० अग्रवाल, "इटावा योजना के बारे में सच्चाई," The Evening News (नई दिल्ली), १९ जुलाई, १९५२.

५२.८ "इटावा अग्रगामी योजना के संगठन पर विवरण", २९ जुलाई, १९५२.

५२.९ अमेरिकन साथियों को सूचना-पत्र, ३ अगस्त, १९५२.

५२.१० भारतीय साथियों को सूचना-पत्र, ४ अगस्त, १९५२.

५२.११ "इटावा और गोरखपुर, उत्तर प्रदेश (भारत) की अग्रगामी विकास योजनाओं का प्रगति विवरण, सितम्बर, १९५२."

५२.१२ योजना आयोग, भारत सरकार। प्रथम पंच वर्षीय योजना। नई दिल्ली, १९५२.

५२.१३ रिचर्ड मोर्स, "भारतीय ग्रामीण विकास में अग्रगामी योजना," हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल आफ बिजिनेस एडमिनिस्ट्रेशन, १९५२, के लिए तयार की गई सामग्री के आधार पर एलबर्ट मायर की टिप्पणी और अनुलेख के साथ।

५२.१४ बैजनाथ सिंह, "इकारी गांव का एक घटना-चक्र" (अनुमानित, १९५२)

५२.१५ एडवर्ड स्पाइसर, ह्यूमन रिलेशंस इन टेकनोकलजिक चेन्ज, न्यूयार्क: रसेल सेज फाउन्डेशन, १९५२.

१९५३

५३.१ ग्राम कलाओं और स्व-स्पष्टता के उद्धार पर एलबर्ट मायर द्वारा रुद्रदत्त सिंह को पत्र, ३० मार्च, १९५३.

५३.२ "ग्रामीण अन्वेषण एवं कार्य केन्द्र, उत्तर प्रदेश: स्थिति और आवश्यकता," ३१ मार्च, १९५३.

५३.३ उत्तर प्रदेश में प्रसार कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने की समस्याओं पर एलबर्ट मायर द्वारा एस० एस० खेरा को पत्र, ११ अप्रैल, १९५३.

५३.४ "उत्तर प्रदेश में सामुदायिक योजनाएँ: विचार और सुझाव," २६ अप्रैल, १९५३.

५३.५ अमेरिकन साथियों को सूचना-पत्र, २९ अप्रैल, १९५३.

५३.६ "अग्रगामी और सामुदायिक योजानाओं से सीधा आर्थिक लाभ: इटावा के २३६ गांवों के फल," विषय पर एलबर्ट मायर द्वारा गोविन्द वल्लभ पंत को पत्र, १९ मई, १९५३.

५३.७ भारतीय साथियों को सूचना-पत्र, १२ जुलाई, १९५३.

५३.८ अमेरिकन साथियों को सूचना-पत्र, २२ जून, १९५३.

५३.९ भारतीय साथियों को सूचना-पत्र, २२ जुलाई, १९५३.

५३.१० उत्तर प्रदेश। आयुक्त, नियोजन एवं विकास। जन जागृति: श्रमदान। लखनऊ, १९५३.

५३.११ उत्तर प्रदेश। अग्रगामी विकास योजना इटावा का संक्षिप्त विवरण। लखनऊ (१९५३).

१९५४

५४.१ "अन्वेषण एवं कार्य: भारतीय ग्राम," पहला सेमिनार, युनिवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया, बर्कले, पर। २१ जनवरी, १९५४.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

५४.२ "समाज विज्ञान, नियोजन एवं कार्य : कुछ प्रयोगिक अनुमान।" चौथा सेमिनार, यूनिवर्सिटी आफ कैलीफोर्निया, बर्कले, पर। २३ जनवरी, १९५४.

५४.३ "ग्रामीण उद्योग में अग्रगामी योजनाएँ" एक सुझाव। एलबर्ट मायर द्वारा गोविन्द वल्लभ पंत को पत्र, २२ मार्च, १९५४.

५४.४ "गांवों में नेतृत्व," १२ अप्रैल, १९५४.

५४.५ "उत्तर प्रदेश में जिला नियोजन अधिकारी की समस्या," १९, मई १९५४.

५४.६ ए० एन० झा द्वारा संचालक, ग्रामीण अन्वेषण एवं कार्य संस्था, को पत्र, १० मई, १९५४.

५४.७ "उत्तर प्रदेश में सामुदायिक योजनाएँ और राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजनाएँ," ३१ मई, १९५४.

५४.८ ग्रामीण विकास में सामाज शिक्षा के महत्व पर एलबर्ट मायर द्वारा ए० एन० झा को पत्र, १ नवम्बर, १९५४.

५४.९ ध्यान पाल सिंह, "उत्तर प्रदेश में सहकारी ईंट भट्ठा उद्योग," मार्च, १९५४.

१९५५

५५.१ उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग। विकास अन्वेषणालय, "श्रमदान मूल्यांकन" (संदर्भ संख्या ५/१२५/३१—१-५५)। लखनऊ, १९५५.

५५.२ राष्ट्रीय प्रसार सेवा के विस्तार पर एलबर्ट मायर द्वारा तारलोक सिंह को पत्र, १४ मार्च, १९५५.

५५.३ राष्ट्रीय प्रसार सेवा के विस्तार की समस्याओं पर एलबर्ट मायर द्वारा तारलोक सिंह को पत्र, १६ मार्च, १९५५.

४५.४ चन्द्र भान गुप्ता, नियोजन मंत्री, उत्तर प्रदेश, "छठे अन्तर-प्रदेश मण्डलीय सेमिनार में प्रतिष्ठापन भाषण," ४ अप्रैल, १९५५.

५५.५ "प्रशिक्षण पर विचार और सुझाव," ७ अप्रैल, १९५५.

५५.६ "अभिनवीकरण शिविर," १४ अप्रैल, १९५५.

५५.७ "उत्तर प्रदेश में सामुदायिक योजनाएँ और राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजनाएँ : विचार और सुझाव," २१ अप्रैल, १९५५.

५५.८ उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग। विकास अन्वेषणालय, "ग्राम सेवक के कर्त्तव्यों का मूल्यांकन" (संदर्भ संख्या १९/१००/६२-४-५५), लखनऊ, १९५५.

५५.९ एलबर्ट मायर द्वारा मैकिम मैरियट को पत्र, २८ जून, १९५५.

५५.१० एलबर्ट मायर द्वारा खास-खास पुराने साथियों को पत्र, ४ सितम्बर, १९५५.

५५.११ बैजनाथ सिंह, "कथाएँ और धार्मिक व्याख्यान," १६ सितम्बर, १९५५.

५५.१२ एंड्रू एफ० बेड, "सहकारी सदस्य शिक्षा योजना पर संक्षिप्त विवरण," विकास अन्वेषणालय, उत्तर प्रदेश। लखनऊ, २७ नवम्बर, १९५५.

५५.१३ उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग। विकास अन्वेषणालय, "उत्तर प्रदेश में ग्राम सेवक के कर्त्तव्य (योजना समिति की पहली संक्षिप्त रिपोर्ट") (संदर्भ संख्या २६/१००/३०-१२-५५), लखनऊ, १९५५.

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

५५.१४ बैजनाथ सिंह, "जनता की राय का अध्ययन," जुलाई, १९५२, से एकत्रित सामग्री, फरवरी, १९५५.

५५.१५ "उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग। विकास अन्वेषणालय, "अग्रगामी योजना पर आधारित ग्रामीण युवक संगठन की रूपरेखा।" लखनऊ, अप्रैल, १९५५.

५५.१६ उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग। विकास अन्वेषणालय, "चर्मकारी की अग्रगामी योजना।" लखनऊ, अप्रैल, १९५५.

५५.१७ हरीश चन्द्र सेठ, "लोग अपनी जमीन को स्वयं बचाते हैं।" कुरुक्षेत्र, अंक ३, संख्या ४ (सितम्बर, १९५५).

१९५६

५६.१ उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग। विकास अन्वेषणालय, "एकत्रीकृत सहकारी विकास अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पर्यवेक्षण रिपोर्ट के सुझावों के आधार पर एक अग्रगामी योजना (१९५४)।" लखनऊ, मार्च, १९५६.

५६.२ उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग। विकास अन्वेषणालय, "मिट्टी के पात्रों की अग्रगामी योजना।" लखनऊ, मार्च, १९५६.

५६.३ उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग। विकास अन्वेषणालय, "पपीता उद्योग की अग्रगामी योजना।" लखनऊ, मार्च, १९५६.

५६.४ उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग। विकास अन्वेषणालय, "छोटे पैमाने पर दानेदार शकर उत्पादन की अग्रगामी योजना" (विकास अन्वेषणालय प्रकाशन संख्या ४६) लखनऊ, अप्रैल, १९५६.

५६.५ उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग। विकास अन्वेषणालय, "सहकारी सदस्य शिक्षा (एक अग्रगामी योजना)" (विकास अन्वेषणालय प्रकाशन संख्या ४७)। लखनऊ, जून, १९५६.

५६.६ भारत सरकार, योजना आयोग। द्वितीय पंच वर्षीय योजना (अंग्रेजी)। नई दिल्ली, १९५६.

५६.७ उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग। विकास अन्वेषणालय, "भूमि संरक्षण पर एक प्रसार योजना।" लखनऊ (अनुमानित, १९५६)।

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

व्यक्तिग

सामुदायिक क

डॉ

प्रत्येक विकास खण्ड ...एच० डी०, (कार्नेल)

सुन्दर, सचित्र छपाई ...क

प्रकाशक

ब्रिटिश बुक डिपो

८४, हजरतगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh